वार्षिक रिपोर्ट 2014-2015

सत्यमेव जयते

रक्षा मंत्रालय
भारत सरकार

हेलिकॉप्टर आधारित छोटे दल का अभियान

आर्मर फायर पावर

मुख्य पृष्ठ :
(दक्षिणावर्त)

एल सी ए तेजस वायुसेना बेस से उड़ान भरते हुए
लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल "निर्भय" का प्रक्षेपण
कशीन क्लास डिस्ट्रायर "भा नौ पो राजपूत"
उच्च तुंगता वाले क्षेत्र में तोप से कार्यवाई

वार्षिक रिपोर्ट
2014-15

रक्षा मंत्रालय

भारत सरकार

विषय सूची

1.	सुरक्षा परिवेश	1
2.	संगठनात्मक ढांचा और कार्य	11
3.	भारतीय सेना	19
4.	भारतीय नौसेना	31
5.	भारतीय वायु सेना	39
6.	भारतीय तटरक्षक	45
7.	रक्षा उत्पादन	53
8.	रक्षा अनुसंधान तथा विकास	71
9.	अंतर सेवा संगठन	93
10.	भर्ती एवं प्रशिक्षण	111
11.	भूतपूर्व सैनिकों का पुनर्वास एवं कल्याण	133
12.	सशस्त्र सेनाओं तथा सिविल प्राधिकारियों के बीच सहयोग	143
13.	राष्ट्रीय कैडेट कोर	151
14.	मित्र देशों के साथ रक्षा सहयोग	159
15.	समारोह और अन्य कार्यकलाप	167
16.	सतर्कता यूनिटों की गतिविधियाँ	179
17.	महिला कल्याण और सशक्तीकरण	187

परिशिष्ट

I	रक्षा मंत्रालय के विभागों के कार्यों की सूची	194
II	1 जनवरी, 2014 से आगे पदासीन मंत्री, सेनाध्यक्ष और सचिव	198
III	महत्वपूर्ण लेखा–परीक्षा टिप्पणियों का सारांश – रक्षा मंत्रालय वर्ष 2014 की रिपोर्ट सं.4 (वायुसेना और नौसेना)	200
IV	नियंत्रक/महालेखापरीक्षक की रिपोर्टों/लोक सेवा समिति की रिपोर्टों में की गई टिप्पणियों के संबंध में की गई कार्रवाई संबंधी टिप्पणियां (एटीएनएस) 31.12.14 की स्थिति के अनुसार	213
V	रक्षा उत्पादन विभाग (2013–2014) के लिए परिणाम ढांचा दस्तावेज (आरएफडी)	214

1

सुरक्षा परिवेश

भारत एक सुदृढ़ रक्षा रणनीति और नीतियों पर अमल कर रहा है जिनका उद्देश्य देश के समक्ष मौजूद व्यापक पारम्परिक और गैर–पारम्परिक चुनौतियों से निपटना है।

1.1 भारत का सुरक्षा परिवेश क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा घटनाक्रमों और चुनौतियों का एक जटिल ताना–बाना है। हमारे देश का आकार और सामरिक अवस्थिति हमें सुरक्षा गतिकी का केन्द्र बिन्दु बनाती है जिस पर एक तरफ क्षेत्रीय और वैश्विक संयोजकता की सकारात्मक शक्तियों और दूसरी तरफ हमारे आस–पड़ोस में सीमा से लगे हुए देशों और उससे आगे के भू–भाग में अनिश्चितता, अस्थिरता और हल–चल से उत्पन्न होने वाले प्रतिकूल परिणामों का एक साथ प्रभाव पड़ता है।

1.2 भारत, जहां देश के भीतर आमूल–चूल राष्ट्रीय प्रगति और विकास हासिल करने का प्रयास कर रहा है, वहीं हम एक सुदृढ़ रक्षा रणनीति और नीतियों पर अमल कर रहे हैं जिनका उद्देश्य देश के समक्ष मौजूद व्यापक पारम्परिक और गैर–पारम्परिक चुनौतियों से निपटना है। रणनीतिक स्वायत्तता और आत्मनिर्भरता के सिद्धांतों के जरिए ताकत जुटाने के सिद्धांत पर चलते हुए, भारत अपनी स्वयं की क्षमताओं में वृद्धि करने और शान्ति और स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्रीय और वैश्विक समुदाय में अपने पड़ोसियों तथा अन्य वैश्विक सहयोगी देशों के साथ रचनात्मक सहयोग बढ़ाने की दिशा में प्रयासरत है।

वैश्विक सुरक्षा परिवेश

1.3 भारत की भू–सामरिक अवस्थिति इसे इसके निकट पड़ोस से आगे, पश्चिमी एशिया, मध्य एशिया और हिन्द महासागर क्षेत्र और एशिया प्रशान्त क्षेत्र में घटित हो रहे घटनाक्रम के प्रति संवेदनशील बनाती है। वर्तमान में घटित हो रहे प्रमुख भू–राजनीतिक और भू–आर्थिक घटनाक्रम वैश्विक सुरक्षा परिदृश्य को अनिश्चितता और अस्थिरता के माहौल में परिवर्तित कर रहे हैं।

1.4 शीतयुद्ध की समाप्ति के बाद से वैश्विक सुरक्षा परिवेश में बड़े परिवर्तन देखने को मिले हैं। एक तरफ विश्व में भूमंडलीकरण में तेजी और आर्थिक दृष्टि से परस्पर निर्भरता में वृद्धि देखने में आई है जिससे भारत, चीन, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों के विकास में तेजी आई है। दूसरी तरफ, विश्व के अधिकांश भाग संघर्ष और हिंसा से निरन्तर जूझ रहे हैं। वैश्विक शक्ति संतुलन में बढ़ी हुई बहु–ध्रुवीकरण सहित नए समायोजन और गत्यात्मकता देखने में आई है जिससे नई सामरिक अनिश्चितताएं उत्पन्न हुई हैं जो प्रायः प्रतिस्पर्धाओं और विवादों के रूप में परिलक्षित होती हैं। पश्चिम में निरंतर जारी आर्थिक संकट विश्व समुदाय के लिए चिन्ता का एक प्रमुख कारण है और इसके परिणामी प्रभाव दूसरे क्षेत्रों की अर्थव्यवस्थाओं पर पड़े है।

1.5 भले ही शीतयुद्ध की समाप्ति के बाद से पूर्ण स्तरीय परंपरागत युद्ध की संभावना कम हो गई मान ली गई हो, तो भी अनेक कारक क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा परिदृश्य में नई चुनौतियों की बढ़ोत्तरी के कारण बने हैं। प्राकृतिक संसाधनों पर वर्चस्व हेतु बढ़ती प्रतिस्पर्धा, राष्ट्रों के बीच भू–भागीय विवादों के मौजूदा विस्तार में अस्थिरता का एक और दौर जोड़ती है और अन्तर्राष्ट्रीय कानून के मानकों तथा अन्तर्राष्ट्रीय व्यवहार के स्वीकृत मानदण्डों के लिए चुनौती पैदा करती है।

1.6 आतंकवादी संगठनों की गतिविधियों द्वारा उत्पन्न राष्ट्र–पारीय खतरों में अन्तःराज्य और

अन्तर्राज्य संघर्षों के फैलाव के चलते और तीव्रता आई है और ये खतरे इनके उद्‌गम स्थलों से इतर देशों के लिए भी खतरा उत्पन्न करते हैं। लड़ाकू सैनिकों की एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्रों में आवाजाही और आतंकवादी गतिविधियों हेतु संभारिकी सहायता ने विश्व भर में देशों के लिए आन्तरिक सुरक्षा संबंधी चुनौती उत्पन्न की है। दूरसंचार और साइबर डोमेन में तकनीकी उन्नति ने आतंकवादी गतिविधियों की क्षमताओं और प्रभाव को बढ़ाने में बल प्रवर्धक का काम किया है। भारत के पड़ोस से उत्पन्न होने वाले आतंकवादी खतरों और राष्ट्र–पारीय तथा अन्य संपर्कों जिनके जरिए इन आतंकवादी गुटों को पनाह मिल रही है, पर लगातार चिंता बनी हुई है।

1.7 विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में शान्ति और स्थिरता की संभावना को व्यापक विनाश के हथियारों के प्रसार से धक्का पहुंचा है। समुद्री डकैती और समुद्री सुरक्षा की अन्य चुनौतियां क्षेत्रीय और वैश्विक शांति और सुरक्षा के लिए प्रमुख चुनौतियां बनी हुई हैं। विशेष रूप से व्यापक विनाश के हथियारों का प्रसार और परमाणु आतंकवाद का खतरा परमाणु सुरक्षा को सुदृढ़ करने और सरकारी नियंत्रण रहित संगठनों को परमाणु सामग्री हासिल करने से रोकने के अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों के बावजूद, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा की एक प्रमुख चिन्ता बना हुआ है।

1.8 वैश्विक शक्ति संतुलन के यूरो–अटलांटिक क्षेत्र से एशिया–प्रशान्त क्षेत्र में स्थानांतरित हो जाने से आर्थिक, सैन्य और राजनयिक कारकों का एक जटिल और गतिशील गठजोड़ सामने आया है और यह सामुद्रिक क्षेत्रीय विवादों, सैन्य स्थितियों और शक्ति प्रतिद्वन्द्विताओं में वृद्धि में दृष्टिगोचर होता है, इन सबने मिलाकर इस क्षेत्र की सुरक्षा स्थिति में अनिश्चितताओं में वृद्धि की है। एशिया प्रशान्त में द्वीपीय क्षेत्रों पर एक दूसरे के विरोधी दावों ने इस क्षेत्र में तनाव उत्पन्न किया है और एशिया प्रशान्त समुदाय के ध्रुवीकरण की आशंका पैदा की है। कोरियाई प्रायद्वीप, जहां उत्तरी कोरिया ने अपना तीसरा परमाणु परीक्षण किया है, में भी उत्तरी और दक्षिणी कोरिया के मध्य तनाव के चलते स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। इन घटनाक्रमों के चलते इस क्षेत्र में सैन्य संतुलन प्रभावित हो रहा है और यह देशों के बीच आर्थिक सहयोग पर प्रभाव डाल रहा है। गैर–परम्परागत चुनौतियां जैसे कि राष्ट्र–पारीय अपराध, आतंकवाद, प्राकृतिक आपदा, वैश्विक महामारियां, साइबर सुरक्षा तथा खाद्य और उर्जा सुरक्षा भी इस क्षेत्र के लिए गंभीर चुनौतियां बनी हुई हैं।

1.9 भारत के एशिया प्रशांत क्षेत्र में महत्वपूर्ण राजनैतिक, आर्थिक, वाणिज्यिक और सामाजिक हित हैं और इस क्षेत्र में निरंतर शांति और स्थिरता बने रहने में भारत का हित निहित है। भारत अन्तर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार, अन्तर्राष्ट्रीय समुद्री क्षेत्र में नौवहन की स्वतंत्रता और आवाजाही के अधिकार का समर्थक है। भारत का दृष्टिकोण यह है कि सभी देशों को संयम बरतना चाहिए और अन्तर्राष्ट्रीय कानून के सिद्धांतों के अनुसार द्विपक्षीय मुद्दों का बल का प्रयोग किए बिना या बल–प्रयोग की धमकी दिए बिना राजनयिक ढंग से समाधान करना चाहिए। भारत का यह मत है कि वर्तमान क्षेत्रीय सुरक्षा परिदृश्य में सहकारिता के सिद्धांत को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। अतः हम एशिया–प्रशांत देशों के साथ द्विपक्षीय के साथ–साथ बहुपक्षीय मंचों जैसे ईस्ट एशिया समिट, एडीएमएम–प्लस और आसियान रीजनल फोरम (एआरएफ) के तंत्र के जरिए सक्रिय रूप से जुड़े रहते हैं ताकि इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता में योगदान दे सकें।

1.10 मध्य एशियाई क्षेत्र अपनी अवस्थिति और संसाधनों के कारण और यूरेशिया तथा पश्चिमी एशिया में हाल के घटनाक्रमों के चलते सामरिक महत्व का क्षेत्र बना हुआ है। भारत सभी मध्य एशियाई गणतंत्रों के साथ, उनके सामरिक महत्व के चलते सुदृढ़ राजनीतिक–आर्थिक और सुरक्षा भागीदारियां विकसित कर रहा है। यह क्षेत्र भारत की ऊर्जा आवश्यकताओं के लिए एक संभावित स्रोत और ईईयू

के तहत यूरेशियन आर्थिक सहयोग सुदृढ़ीकरण के प्रयासों की पृष्ठभूमि में हमारे निर्यातों के लिए एक महत्वपूर्ण बाजार भी समझा जाता है। नए आवगमन कारीडोरों के खुलने से भारत के लिए इस क्षेत्र में प्राकृतिक संसाधनों के व्यापक रेंज तक पहुंच हेतु अवसर पैदा होंगे।

1.11 यूक्रेन की स्थिति ने इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता के लिए एक नई चुनौती सामने ला खड़ी की है और टकराव की इस स्थिति के लम्बा खिंचने से अन्तर्राष्ट्रीय सुरक्षा और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। भारत का विश्वास है कि मौजूदा समस्या के एक राजनीतिक और कूटनीतिक समाधान की गुंजाइश है।

1.12 पश्चिमी एशियाई क्षेत्र के भाग अरब स्प्रिंग द्वारा लाए गए परिवर्तनों के परिप्रेक्ष्य में निरंतर उथल–पुथल और अस्थिरता का सामना कर रहे हैं। इन परिवर्तनों से इस क्षेत्र के कई भागों में मूलभूत राजनीतिक और सामाजिक–आर्थिक परिवर्तन आए हैं। सिक्के के दूसरे पहलु पर नजर डालें तो क्षेत्र में अनेक द्वेषपूर्ण सरकारी नियंत्रण रहित संगठन पनप आए हैं। साम्प्रदायिक अलगाव भी गहरा हुआ है जिससे इस क्षेत्र में विभिन्न देशों की स्थिरता और आन्तरिक एकजुटता को आघात पहुंचा है। भारत के इस क्षेत्र में न केवल महत्वपूर्ण हित समाहित हैं, वरन यहां के देशों और लोगों के साथ उसके दीर्घकालिक संबंध हैं। पश्चिम एशिया और खाड़ी क्षेत्र जो भारत के विस्तारित पड़ोस का हिस्सा हैं, में निरन्तर अशांति और अनिश्चितता का इस क्षेत्र में आप्रवास, व्यापार, पारेषण, ऊर्जा और सुरक्षा की दृष्टि से भारत के वैविध्यपूर्ण हितों पर भारी प्रभाव होगा। भारत साझा सरोकार के रक्षा और सुरक्षा संबंधी विषयों पर इस क्षेत्र के देशों के साथ सतत सम्पर्क में है।

1.13 सीरिया और इराक में उभरती स्थिति इन देशों की स्थिरता पर वर्तमान घटनाक्रमों के प्रभाव तथा इस क्षेत्र के भीतर और उससे आगे के अन्य देशों के लिए प्रतिक्रियास्वरूप प्रभावों की दृष्टि से बढ़ती चिंता का विषय है। सीरियाई संघर्ष के इराक तक फैल जाने से इस क्षेत्र में गंभीर स्थितियां पैदा हुई हैं जिसने उग्रवादी और साम्प्रदायिक अलगाव को बढ़ावा दिया है। भारत ने सीरिया में हिंसा और मानवीय क्षति पर गहरी चिंता प्रकट की है और निरंतर रूप से एक समावेशी और व्यापक राजनीतिक समाधान की मांग की है जिसमें सीरियाई लोगों की विधिसम्मत आकांक्षाओं का ध्यान रखा जाएगा। भारत ने अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई तथा अपनी एकता और प्रादेशिक अखण्डता बनाए रखने के उसके प्रयासों में इराक को दृढ़ समर्थन भी व्यक्त किया है।

1.14 इजराइल और फिलीस्तीन के बीच तनाव भी चिंता का एक विषय है क्योंकि इससे क्षेत्रीय शान्ति और सुरक्षा खतरे में पड़ी हुई है। भारत वार्ता से इस मामले के समाधान का समर्थन करता है जिसके परिणामस्वरूप एक सम्प्रभु, स्वतंत्र, सक्षम और संयुक्त फिलीस्तीन राष्ट्र की स्थापना हो जिसकी राजधानी पूर्वी जेरूशलम हो और यह राष्ट्र सुरक्षित और मान्यताप्राप्त सीमाओं के साथ इजरायल के साथ शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व बनाए रखे जिसका क्वार्टेट कार्ययोजना और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के संगत प्रस्तावों में समर्थन किया गया है।

1.15 इरान भारत के आर्थिक और सुरक्षा संबंधी ताने बाने में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। भारत ने ई–3+3 और इरान के बीच अन्तरिम परमाणु करार का स्वागत किया है और वह संबंधित पक्षों के बीच एक व्यापक वार्ता के जरिए इरान के परमाणु कार्यक्रम से संबंधित सभी मुद्दों का समाधान करने का समर्थन करता है।

1.16 अफ्रीका के कई क्षेत्रों में उथल–पुथल मची है क्योंकि कई उत्तरी और पश्चिमी अफ्रीकी देशों में विद्रोह और बगावत की लहर फैली हुई है। विशेष चिंता का विषय क्षेत्र में आतंकी संगठनों का बढ़ता

प्रभाव है। जबकि पश्चिमी हिंद महासागर में समुद्री डकैती के खतरे में कमी आई है, गीनी की खाड़ी में इसने गंभीर रूप अख्तियार किया है। गीनी की खाड़ी में कई भारतीय समुद्री यात्री समुद्री डकैती के कृत्यों से प्रभावित हुए हैं। नाइजीरिया और अन्य देशों में आतंकी संगठनों की गतिविधियां इन देशों की आंतरिक स्थिरता के लिए खतरा हैं और उनके और क्षेत्र के बाहर अन्य आतंकी संगठनों के बीच सांठ–गांठ गहरी चिंता का विषय है। भारत का कई अफ्रीकी राष्ट्रों के साथ ऐतिहासिक संबंध रहा है और यह भारत–अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन तंत्र के जरिए आपसी संबंधों को गहरा बनाने हेतु सामरिक पहल करता है जो अफ्रीकी देशों के साथ द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और महादेश–स्तर पर राजनैतिक, आर्थिक विकास और सामरिक सहयोग को बढ़ावा देना चाहता है।

1.17 हिंद महासागर का क्षेत्र भारत की सुरक्षा और समृद्धि के लिए अति महत्वपूर्ण है। ऐतिहासिक परंपराओं के कारण एक समुद्री राष्ट्र होने और अपने भू–भौतिकीय आकृति और भू–राजनैतिक परिस्थितियों के कारण भारत अपने चारों ओर के महासागरों पर निर्भर है। हिन्द महासागर प्रदेश में भारत का प्रायद्विपीय फैलाव इसे संसार के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों के निकट लाकर खड़ा करता है जो स्वेज नहर और फारस की खाड़ी से लेकर मलक्का जलडमरूमध्य तक फैला हुआ है। भारत की सुरक्षा और समृद्धि इन्हीं समुद्री मार्गों और इसके समुद्री व्यापार और वाणिज्य में स्वतंत्र रूप से लगे रहने की इसकी योग्यता पर निर्भर करता है।

क्षेत्रीय सुरक्षा परिवेश

1.18 एक सुरक्षित, स्थायी, शांतिपूर्ण और समृद्ध पड़ोस का होना भारत के सुरक्षा परिदृश्य के केन्द्र में है। दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय सुरक्षा परिवेश हमारे पश्चिम और उत्तर से उभरने वाले आतंकवाद, विद्रोह और साम्प्रदायिक झड़पों के कारण हमेशा परिवर्तनशील

रहा है जिससे हमारे क्षेत्र के स्थायित्व पर लगातार खतरा बढ़ता जा रहा है। किए जा रहे प्रयासों के बीच, पड़ोसी देशों के साथ व्यापक स्तर पर संबंधों को मजबूत करने के लिए नया जोश और गति प्रदान करने हेतु सामरिक अनिश्चितता की इस अवधि में एक सहयोगात्मक सामरिक संरचना विकसित करने की तत्काल आवश्यकता है। भारत, समता और आपसी लाभ एवं सम्मान पर आधारित पड़ोस के सभी भागीदारों के साथ खुली और वार्ता–आधारित सुरक्षा सहयोग के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है।

1.19 चूंकि अफगानिस्तान से अन्तरराष्ट्रीय सैन्य बल वापसी करने के चरण में हैं, अतः अफगानिस्तान की सुरक्षा स्थिति की निकट से मानीटरिंग किए जाने की आवश्यकता है। अफगान राष्ट्रीय सुरक्षा बलों (एएनएसएफ) द्वारा देश की सुरक्षा की पूर्ण जिम्मेदारी लिए जाने के साथ, अन्तरराष्ट्रीय समुदाय को चाहिए कि एएनएसएफ को सुसज्जित करने और उसकी क्षमता निर्माण की आवश्यकताओं के लिए सतत सहयोग अवश्य उपलब्ध कराएं ताकि वे संभावित सुरक्षा चुनौतियों के सम्पूर्ण परिप्रेक्ष्य का सामना कर सकें। अफगान–चालित और अफगान के स्वामित्व वाले राष्ट्रीय सुलह प्रक्रिया के नए अवसरों के साथ देश में होने वाले वर्तमान राजनीतिक परिवर्तन अफगानिस्तान के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। भारत और अफगानिस्तान के बीच

सामरिक भागीदारी करार, आतंकवाद और अन्य सुरक्षा चुनौतियों के विरुद्ध लड़ाई में आपसी क्षमता को बढ़ाने के उद्देश्य से रक्षा और सुरक्षा सहयोग सहित सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंध बनाने हेतु दोनों पक्षों की प्रतिबद्धता के लिए ढांचा उपलब्ध कराता है।

1.20 पाकिस्तान अनेक सरकारी नियंत्रण रहित संगठनों का अड्डा बना हुआ है और उत्तर पश्चिमी सीमान्त प्रांत (एनडब्ल्यूएफपी) इस क्षेत्र में आतंकवादी गतिविधियों के केन्द्र बिन्दु के रूप में कार्य कर रहा है। अफगानिस्तान में सामरिक दबदबा बनाए रखने की पाकिस्तान की चाहत ने उसे अफगानिस्तान में तालिबान और उसके सहयोगी संगठनों को समर्थन देने की नीति पर चलने पर मजबूर किया है। पाकिस्तान में उग्रवादी और आतंकी संगठनों का फैलता दायरा और जम्मू व कश्मीर तथा शेष भारत में आतंकी गतिविधियों से उनके गठजोड़ ने भारत के समक्ष बड़ी सुरक्षा चुनौती प्रस्तुत की है और इसके द्विपक्षीय संबंधों के साथ–साथ इस क्षेत्र में शान्ति और सुरक्षा पर भी व्यापक असर पड़ा है। राज्य नीति के एक साधन के रूप में आतंकवाद के इस्तेमाल की पाकिस्तानी सैन्य प्रतिष्ठान में गहरी जड़ें जमी हुई हैं। सीमा पार से युद्ध विराम उल्लंघन तथा घुसपैठ भी बेरोकटोक जारी है। भारत पाकिस्तान के साथ शान्तिपूर्ण और सहयोगपूर्ण संबंध चाहता है। तथापि पाकिस्तानी भू–भाग और पाकिस्तान के नियंत्रणाधीन भू–भागों से कार्यरत आतंकवादी संगठनों की निरन्तर चल रही गतिविधियां प्रमुख बाधा और चिन्ता का विषय हैं। भारत पाकिस्तान के साथ सभी शेष मसलों का समाधान शिमला समझौते और लाहौर घोषणा के आधार पर शान्तिपूर्ण, द्विपक्षीय वार्ता के जरिए निकालने के प्रति कटिबद्ध है। सार्थक वार्ता के लिए आतंक और हिंसा से मुक्त वातावरण की आवश्यकता होती है। दिसम्बर, 2013 में वाघा में दोनों देशों के सैन्य संक्रिया महानिदेशकों की बैठक के दौरान, भारत ने पाकिस्तान द्वारा युद्ध विराम उल्लंघन और अन्तरराष्ट्रीय सीमा पर और नियंत्रण रेखा पर अतिक्रमण पर रोक लगाकर नियंत्रण रेखा और जम्मू व कश्मीर में अन्तरराष्ट्रीय सीमा की अलंघ्यता बरकरार रखने की आवश्यकता दोहरायी। तथापि अंतरराष्ट्रीय सीमा और नियंत्रण रेखा पर आतंकवादी समूहों की निरन्तर मौजूदगी और युद्ध विराम उल्लंघन, घुसपैठ और अतिक्रमण के प्रयासों के निरन्तर मामलों से इस संबंध में भारत के समक्ष उत्पन्न चुनौतियां प्रदर्शित होती हैं। पाकिस्तान ने अपने भू–भाग और अपने नियंत्रणाधीन क्षेत्रों से सक्रिय आतंकवादी समूहों को नियंत्रित करने की चयनात्मक दृष्टिकोण की अपनी नीति जारी रखी है जिससे क्षेत्रीय शान्ति और सुरक्षा के हित पूरे नहीं होते हैं।

1.21 यद्यपि भारत और चीन के बीच अनसुलझा सीमा विवाद भारत के सुरक्षा परिकलन का एक मुख्य कारक है, तथापि भारत, चीन के साथ परस्पर सम्मान और एक दूसरे के हितों, चिन्ताओं और आकांक्षाओं के प्रति संवेदनशीलता तथा पारस्परिक और समान सुरक्षा के सिद्धांतों पर चलता रहा है। दोनों पक्षों की सशस्त्र सेनाओं के बीच बातचीत और विश्वास बनाने के उपायों को बढ़ाने के लिए कई उपाय किए जा रहे हैं। दोनों देश सीमा पर अमन और शान्ति बनाए रखने की आवश्यकता पर सहमत हुए हैं जो द्विपक्षीय संबंधों के विकास और निरन्तर वृद्धि के लिए एक महत्वपूर्ण गारंटीदाता है। भारत, चीन द्वारा सीमा–क्षेत्र में सामरिक अवसंरचना के विकास के साथ–साथ निकट तथा विस्तारित पड़ोस में उसकी सैन्य स्थिति के प्रभावों के प्रति सचेत और चौकस भी बना हुआ है। भारत अपनी सुरक्षा पर किसी प्रतिकूल प्रभाव का समाना करने हेतु वांछित क्षमताओं का विकास करने के लिए आवश्यक उपाय भी कर रहा है।

1.22 भारत और भूटान के परम्परागत और अपूर्व द्विपक्षीय संबंध हैं जो कि वर्षों में बने अत्यधिक आपसी विश्वास और आपसी गहरी समझ से बना है। भारत और भूटान 1961 से ही विशेषाधिकार युक्त

सामाजिक–आर्थिक भागीदार रहे हैं। आज दोनों देशों के बीच जलविद्युत, रक्षा और सुरक्षा और लोगों के बीच आपसी संबंध सहित व्यापार और अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में गहरा सहयोग है।

1.23 भारत और नेपाल के अनूठे संबंध रहे हैं। बड़ी संख्या में गोरखा सैनिक भारतीय सेना में कार्यरत हैं। नेपाल में राजनीतिक अनिश्चतता निरन्तर जारी है। चूंकि एक स्थिर और समृद्ध नेपाल भारत के हित में है अतः भारत सावधानीपूर्वक नेपाल में राजनीतिक घटनाक्रम पर निगरानी रख रहा है। नेपाल पर बाहरी प्रभाव, भारत–नेपाल सीमा पर आबादी और हमारे विरोधियों द्वारा प्रायोजित आतंकवादियों द्वारा भारत–नेपाल सीमा की भेद्यता का सम्भावित इस्तेमाल कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिनके बारे में भारत चिन्तित है और जिनको नजदीकी से मानीटरिंग किया जाना होगा। साथ ही यह बात भी ध्यान में रखनी होगी कि 1950 की संधि में एक खुली सीमा की व्यवस्था है और यह भारत–नेपाल मित्रता की आधारशिला है। प्रशिक्षण और उपस्कर आपूर्ति के रूप में बढ़ी हुई सहायता के कारण, भारत और नेपाल के बीच सुरक्षा सहयोग में अच्छी प्रगति हो रही है। नेपाल ने कई दुर्दान्त आतंकवादियों/उग्रवादियों को सौंपा है। सीमा पर किसी भी नए उपाय को 1950 की संधि के ढांचे के भीतर, लाखों दैनिक यात्रियों के दैनिक जीवन और मैत्रीपूर्ण आवागमन को प्रभावित किए बिना किया जाना होगा।

1.24 भारत की बांग्लादेश के साथ एक लम्बी भू–सीमा है और वर्तमान सुरक्षा परिदृश्य में द्विपक्षीय सहयोग एक सकारात्मक कारक है। सुरक्षा सहयोग के क्षेत्र में हमारे दोनों देशों के बीच संबंध अद्वितीय हैं।

1.25 भारत बांग्लादेश को अपनी सुरक्षा चिन्ताओं, विशेषकर देशी विद्रोही गुटों तथा अन्य राष्ट्रीयताओं के आतंकवादियों द्वारा बांग्लादेशी भूभाग के इस्तेमाल के बारे में जोर देता रहा है। जुलाई, 2011 में दोनों देशों के मध्य हस्ताक्षर हुए एक समन्वित सीमा प्रबंधन योजना (सीपीएमपी) सीमा पर अवैध क्रिया–कलापों और अपराधों के साथ–साथ भारत बांग्ला देश सीमा पर शान्ति और सदभावना बनाएं रखने हेतु और प्रभावी नियंत्रण बनाए रखने के लिए दोनों देशों के सीमा रक्षक बलों के प्रयासों में सहक्रियाशीलता शामिल है। सभी स्तर की बैठकों के माध्यम से सीमा प्रबंधन पर चर्चा के लिए संस्थागत विचार–विनिमय की एक प्रणाली ऐसी सभी चिन्ताओं को दूर करती हैं।

1.26 म्यांमार दक्षिण और दक्षिण–पूर्व एशिया के मध्य में अवस्थित है। एक स्थिर, शान्तिपूर्ण और लोकतांत्रिक म्यांमार भारत के हित में है। म्यांमार के साथ भारत के संबंध साझा आर्थिक और सुरक्षा हितों पर आधारित हैं जिनमें द्विपक्षीय व्यापार में वृद्धि करना, म्यांमार में लोकतांत्रिक संस्थाओं का सुदृढ़ीकरण और हमारे पूर्वोत्तर राज्यों से लगी सुभेद्य सीमाओं का दोहन करने की विद्रोही गुटों के खतरों को समाप्त करना शामिल है। भारत इस बात के लिए उत्सुक है कि म्यांमार उसके भू–भाग में कार्यरत भारतीय विद्रोही गुटों के विरुद्ध कार्रवाई करे। सीमा सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन भारत और म्यांमार के मध्य मई, 2014 में किया गया जिसमें समन्वित निगरानी, आसूचना सहयोग, प्रति–विद्रोह, शस्त्र–तस्करी, मादक–द्रव्य, मानव एवं वन्यजीव–तस्करी के क्षेत्र में भारत और म्यांमार सुरक्षा एजेंसियों के बीच सुरक्षा सहयोग और आसूचना आदान–प्रदान करने के मजबूत ढांचे का प्रावधान है। सीमा क्षेत्र विकास पर 2012 में हुए एक समझौता ज्ञापन के अंतर्गत म्यांमार में शिन राज्य और नागा स्वशासित क्षेत्रों में स्कूल, अस्पताल और पुल निर्माण से संबंधित परियोजनाओं में सरकार द्वारा सहायता दी जा रही है।

1.27 भारत और श्रीलंका के बीच संबंध साझा सांस्कृतिक, धार्मिक, भाषायी और ऐतिहासिक बंधनों के आधार पर हैं और ये सहयोगी और सृजनात्मक

बने रहे हैं। समुद्रवर्ती सुरक्षा चुनौतियां और हिन्द महासागर क्षेत्र में शांति और स्थायित्व को बनाए रखना सामान्य चिन्ताएं हैं जो दोनों देशों के बीच सामरिक हितों की समभिरूपता प्रदान करते हैं और रक्षा के क्षेत्र में सतत सहयोग पर बल देते रहे हैं। भारत श्रीलंका में आपसी मेल–मिलाप की प्रक्रिया का समर्थक रहा है और संगठित श्रीलंका के ढांचे के भीतर दीर्घकालिक राजनीतिक बंदोबस्त का समर्थन करता है जो समानता, न्याय, शान्ति और गरिमा हेतु तमिल समुदाय की आकांक्षाओं को पूरा करेगा।

1.28 भारत और मालदीव के मध्य सुरक्षा सहयोग द्विपक्षीय सहयोग का एक अत्यंत महत्वपूर्ण आयाम है, क्योंकि दोनों देशों के सुरक्षा हित आपस में जुड़े हुए हैं। द्विपक्षीय संबंध उच्चतम स्तर और दोनों देशों के रक्षाबलों के विभिन्न स्तर पर नियमित सम्पर्क के माध्यम से पोषित और सुदृढ़ किए जा रहे हैं।

1.29 क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा चुनौतियों की सामान्य प्रकृति त्रिपक्षीय रक्षा और सुरक्षा सहयोग संबंधी रूपरेखा के लिए नींव है जिसके माध्यम से भारत, श्रीलंका और मालदीव विविध समुद्री चुनौतियों से निपटने के लिए संयुक्त क्षमताएं विकसित करने के लिए कार्यरत हैं। यह प्रयास नियमित आधार पर व्यावहारिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए सभी तीनों देशों के रक्षा और सुरक्षा प्रतिष्ठानों को सक्षम बनाता है। आशा की जाती है कि यह प्रयास जो हिन्द महासागर के आस–पास के देशों में सुरक्षा प्रदान करने में भारत की भूमिका को स्वीकारता है, इस क्षेत्र में सुरक्षा के सहयोगी दृष्टिकोण के विकास में सहायता प्रदान करेगा।

1.30 गैर–परम्परागत खतरे जैसे कि व्यापक संहार के हथियारों का प्रसार, आतंकवाद, मादक पदार्थ, मानव तस्करी इत्यादि द्वारा सामने आई चुनौती भारत की सुरक्षा कार्यसूची में निरंतर ऊपर बने हुए हैं। कुछ देशों द्वारा आपराधिक क्षमताओं के प्रदर्शन से साइबर ओर अंतरिक्ष के क्षेत्रों में अतिरिक्त नई चुनौतियां उभर कर सामने आई हैं। ये क्षमताएं भविष्य में, सुरक्षा स्थिति को आकार देगी। इन चुनौतियों का विषम युद्ध कौशल क्षमताओं का प्रादुर्भाव, एक ऐसे परिवेश में, जहां प्रौद्योगिकीय अप्रचलन पहले ही पारम्परिक युद्ध कौशल क्षमताओं की दृष्टि से एक सतत चुनौती है, एक अतिरिक्त चुनौती का स्तर जोड़ता है। इन चुनौतियों का विभिन्न सरकारों, बहु–एजेंसी दीर्घावधि दृष्टिकोण, जिसका सशस्त्र सेनाएं महत्वपूर्ण और मूलभूत भाग हैं, के माध्यम से समाधान किया जा रहा है।

आंतरिक सुरक्षा परिवेश

1.31 भारत के सामने बहुमुखी आंतरिक सुरक्षा संबंधी चुनौतियां हैं जिनमें वामपंथी उग्रवाद, जम्मू एवं कश्मीर में चल रहा परोक्ष युद्ध और पूर्वोतर के कुछ राज्यों में विद्रोह और संगठित अपराध शामिल हैं।

1.32 अलगाववादी और राष्ट्र विरोधी तत्व जम्मू एवं कश्मीर में मौजूदा शांति को भंग करने के लिए अपने प्रयासों में लगे हुए हैं। तथापि, पूर्वोत्तर क्षेत्र में हिंसा के स्तरों में कमी आई है। पूर्वोत्तर में विभिन्न उग्रवादी गुटों द्वारा धन ऐंठने के विरुद्ध जन असन्तोष यह दर्शाता है कि सिविल सोसाइटी सुरक्षा स्थिति में सुधार लाने की समर्थक है। वामपंथी उग्रवाद

एक महत्वपूर्ण चुनौती बना हुआ है और यह राष्ट्रीय संसाधनों में सेंध लगा रहा है।

1.33 अनिश्चितता और अस्थिरता से पूरिपूर्ण वैश्विक और क्षेत्रीय सुरक्षा परिवेश में भारत की रक्षा सेनाएं तमाम सुरक्षा चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए तैयार रहती हैं। इसके साथ–साथ भारत सहयोगी, रचनात्मक और पारस्परिक रूप में हितकारी संबंधों के माध्यम से क्षेत्रीय और वैश्विक समुदाय के साथ इस विधि से जुड़ा रहता है कि जो राष्ट्रीय हितों को पूरा करें और वैश्विक शांति एवं स्थायित्व के बृहतर हितों में भी योगदान कर सके।

2

संगठनात्मक ढांचा और कार्य

कमांडरों के संयुक्त सम्मेलन–2014 के दौरान माननीय प्रधानमंत्री के साथ रक्षा मंत्री व तीनों सेना प्रमुख

इस मंत्रालय का मुख्य कार्य रक्षा और सुरक्षा संबंधी सभी मामलों में नीति–निदेश बनाना और उन्हें कार्यान्वित करने के लिए सेना मुख्यालयों, अंतर–सेवा संगठनों, उत्पादन स्थापनाओं और अनुसंधान तथा विकास संगठनों को भेजना है ।

संगठनात्मक ढांचा और कार्य

2.1 स्वतंत्रता के बाद रक्षा मंत्रालय का गठन एक कैबिनेट मंत्री के अधीन किया गया था और प्रत्येक सेना को उसके अपने कमांडर–इन–चीफ के अधीन रखा गया। 1955 में, कमांडर–इन–चीफ का सेनाध्यक्ष, नौसेनाध्यक्ष तथा वायुसेनाध्यक्ष के रूप में पुनः नामकरण किया गया था। नवंबर, 1962 में रक्षा उपस्करों के अनुसंधान, विकास तथा उत्पादन संबंधी कार्य के लिए रक्षा उत्पादन विभाग का गठन किया गया था। नवंबर, 1965 में, रक्षा आवश्यकताओं के आयात प्रतिस्थापन के लिए योजनाएं बनाने और उनके कार्यान्वयन के लिए रक्षा पूर्ति विभाग बनाया गया। बाद में, इन दोनों विभागों को मिलाकर रक्षा उत्पादन एवं पूर्ति विभाग बना दिया गया था। वर्ष 2004 में रक्षा उत्पादन एवं पूर्ति विभाग का नाम बदलकर रक्षा उत्पादन विभाग रख दिया गया। 1980 में रक्षा अनुसंधान तथा विकास विभाग बनाया गया। वर्ष 2004 में भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग बनाया गया।

2.2 रक्षा सचिव, रक्षा विभाग के प्रमुख के रूप में कार्य करते हैं और इसके अलावा, मंत्रालय के चारों विभागों के कार्यों में समन्वय बनाए रखने के लिए भी उत्तरदायी हैं।

मंत्रालय और इसके विभाग

2.3 इस मंत्रालय का मुख्य कार्य रक्षा और सुरक्षा संबंधी सभी मामलों में नीति–निदेश बनाना और उन्हें कार्यान्वित करने के लिए सेना मुख्यालयों, अंतर–सेवा संगठनों, उत्पादन स्थापनाओं और अनुसंधान तथा विकास संगठनों को भेजना है। मंत्रालय को यह भी सुनिश्चित करना होता है कि सरकार के नीति–निर्देशों को प्रभावी रूप से कार्यान्वित किया जाए और अनुमोदित कार्यक्रमों का निष्पादन आबंटित संसाधनों के अंतर्गत किया जाए।

2.4 इन विभागों के प्रमुख कार्य इस प्रकार हैः–

(i) रक्षा विभाग, एकीकृत रक्षा स्टाफ, तीनों सेनाओं और विभिन्न अंतर सेवा संगठनों से संबंधित कार्य करता है। यह विभाग रक्षा बजट, स्थापना मामलों, रक्षा नीति, संसदीय मामलों, अन्य देशों के साथ रक्षा सहयोग और रक्षा संबंधी सभी कार्यकलापों के समन्वय संबंधी कार्य के लिए भी उत्तरदायी है।

(ii) रक्षा उत्पादन विभाग के प्रमुख एक सचिव हैं और यह विभाग रक्षा उत्पादन कार्यों, आयात किए जाने वाले सामान, उपस्करों और कलपुर्जों के देशीकरण, आयुध निर्माणी बोर्ड और रक्षा क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रमों की विभागीय उत्पादन इकाइयों के बारे में योजना तैयार करने तथा उन पर नियंत्रण रखने से संबंधित कार्य करता है।

(iii) रक्षा अनुसंधान तथा विकास विभाग के प्रमुख एक सचिव हैं जो रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार भी हैं। इस विभाग का कार्य सैन्य उपस्करों और संभारतंत्र से संबंधित वैज्ञानिक पहलुओं पर सरकार को सलाह देना और तीनों सेनाओं द्वारा अपेक्षित साज–समान के

अनुसंधान, डिजाइन और विकास कार्यों के लिए योजनाएं तैयार करना है।

(iv) भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग के प्रमुख एक सचिव हैं और यह विभाग भूतपूर्व सैनिकों के सभी पुनर्वास, कल्याण तथा पेंशन संबंधी मामलों को देखता है।

2.5 रक्षा मंत्रालय के विभिन्न विभागों और वित्त प्रभाग द्वारा निपटाई जाने वाली मदों की सूची इस रिपोर्ट के **परिशिष्ट-I** में दी गई है।

2.6 इस रिपोर्ट की अवधि के दौरान रक्षा मंत्रालय के मंत्रियों, सेनाध्यक्षों और मंत्रालय के विभागों के सचिवों और सचिव (रक्षा वित्त)/वित्त सलाहकार (रक्षा सेवाएं) के पदों पर कार्यरत अधिकारियों से संबंधित सूचना इस रिपोर्ट के **परिशिष्ट-II** में दी गई है।

मुख्यालय एकीकृत रक्षा स्टाफ

2.7 कारगिल समीक्षा समिति पर मंत्रिसमूह की सिफारिशों के आधार पर मुख्यालय एकीकृत रक्षा स्टाफ 1 अक्तूबर, 2001 को अस्तित्व में आया। सेनाध्यक्षों की समिति के अध्यक्ष के समग्र नियंत्रण और कमान में यह संगठन सेनाओं के बीच सम्बद्धता तथा सहक्रियाशीलता के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में कार्यरत है। इसके बनने से लेकर अब तक, इस मुख्यालय ने संयुक्त और एकीकृत योजना, आसूचना का समन्वय और रक्षा आपदा प्रबंधन समूहों के जरिए मानवीय सहयता और आपदा राहत तथा अधिप्राप्तियों को प्राथमिकता के आधार पर वर्गीकृत करने/सरल बनाने में कई उपलब्धियां हासिल की हैं।

2.8 **मानवीय सहायता और आपदा राहत (एच ए डी आर)** : मुख्यालय एकीकृत रक्षा स्टाफ में डीसीएमजी की प्रभावी और समन्वित कार्रवाई ने एचएडीआर अभियानों के लिए सशस्त्र सेनाओं की अनुक्रिया को बढ़ाया है और प्रतिक्रिया समय को कम किया है।

2.9 वर्ष के दौरान डीसीएमजी के तहत संचालित मानवीय सहायता और आपदा राहत संबंधी प्रमुख अभियानों में उत्तर प्रदेश और बिहार में अगस्त, 2014 में चलाया गया ऑपरेशन सरयू, सितम्बर, 2014 में जम्मू और कश्मीर में ऑपरेशन राहत और अक्तूबर, 2014 में आंध्र पदेश और ओडिशा में हुदहुद चक्रवात से प्रभावित इलाकों में चलाया गया ऑपरेशन लहर शामिल हैं।

2.10 **माले जल संकटः** देश के भीतर चलाए गए एचएडीआर ऑपरेशनों के अतिरिक्त, विदेशी मित्र राष्ट्रों में भी संकटग्रस्त लोगों को राहत सामग्री मुहैया कराने हेतु सहायता की गई। हाल में, माले के एक वाटर डिसैलिनेशन प्लांट में 4 दिसम्बर, 2014 को आग लग गई। सहायता के लिए अनुरोध किए जाने पर, 'ऑपरेशन नीर' चलाया गया जिसके तहत हवाई मार्ग से 374 टन और नौसेना पोतों द्वारा 2086 टन पानी पहुंचाया गया। अपने सार्क पड़ोसी को समय पर सहायता पहुंचाने के लिए यह अभियान कम समय में बड़ी तीव्रता से निष्पादित किया गया।

2.11 **समन्वित गश्त (कोरपैट)** : भारतीय नौसेना ने इंडोनेशिया, थाइलैंड और म्यांमार के नौसैनिकों

के साथ समन्वित गश्त "कोरपैट" में भाग लिया। इसका लक्ष्य नौसेनाओं के बीच आपसी समझ और अन्तर संक्रियात्मकता को बढ़ावा देना है और संयुक्त गश्त लगाकर अवैध गतिविधियों में संलिप्त यानों को पकड़ना है। अंडमान व निकोबार कमान की पोतें और वायुयानों ने थाइलैंड और इंडोनेशिया के नौसैनिकों के साथ इन अभ्यासों में भाग लिया।

2.12 **राष्ट्रपति का पोर्टब्लयेर का दौराः** महामहिम राष्ट्रपति ने 11–13 जनवरी, 2014 के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह का दौरा किया। इस अवसर पर भारतीय नौसेना पोत, तटरक्षक पोत और मालवाहक यानों को खूब सजा–संवार कर समारोह का अयोजन किया गया था।

तीनों सेनाओं के सशस्त्र बलों के लिए संस्थान

2.13 एकीकृत मुख्यालय रक्षा स्टाफ निचले, मध्यम और उच्चतर स्तर पर संयुक्त प्रशिक्षण की सतत रूप से समीक्षा कर रहा है ताकि सेनाओं के बीच अधिक से अधिक एकता बनी रहे। निचले स्तर पर, सशस्त्र सेनाओं में अफसरों की कमी को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालय की क्षमता को 1800 से बढ़ाकर 1920 कर दिया गया है। आगे इसकी क्षमता को बढ़ाकर 2400 तक करने के लिए रक्षा मंत्री का सैद्धांतिक अनुमोदन भी प्राप्त हो गया है। एनडीए में 5वीं बटालियन बना कर इसका निवारण किया जाएगा।

2.14 इसी प्रकार, भारतीय सशस्त्र बलों में सभी स्तरों पर प्रबंधन शिक्षा के लिए मध्यवर्ती स्तर पर, रक्षा सेवा स्टाफ कॉलेज की क्षमता को बढ़ाकर 500 किया जा रहा है, उच्चतर स्तर पर सटीक रूप से तैयार किए गए कैप्सूल पाठ्यक्रमों/प्रबंधन विकास कार्यक्रमों के साथ सीडीएम में एचडीएम पाठ्यक्रमों की क्षमता बढ़ाकर 150 कर दी गई है।

2.15 **तीनों सेनाओं का एस एफ शिविरः** 18 से 30 नवम्बर, 2014 के दौरान अंडमान एवं निकोबार क्षेत्र में कार्निक एवं कैंपबेल की खाड़ी में एक ट्राइ–सर्विसेज स्पेशल फोर्स शिविर आयोजित किया गया। संयुक्त विशेष बलों के उपर्युक्त प्रशिक्षण शिविर में तीनों सेनाओं के कार्मिकों ने भाग लिया। इस अभ्यास का सामरिक फेज 26 से 29 नवम्बर, 2014 तक कैंप बेल की खाड़ी के निकट इस शिविर के अंतिम चरण में आयोजित किया गया। शिविर के दौरान, सेनाओं के विशेष बलों के बीच सामरिक और संक्रियात्मक सहक्रिया और अन्तर संक्रियात्मकता का अभ्यास किया गया।

2.16 **राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान में तीनों सेनाओं के लिए "गैर परंपरागत और नवीकरणीय ऊर्जा पर पहला प्रशिक्षण कैप्सूल" :** तीनों सेनाओं के सशस्त्र बल कार्मिकों के लिए गैर परंपरागत और नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में तीनों सेनाओं के एकमात्र कैप्सूल 8 से 12 दिसम्बर, 2014 तक नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के तहत मान्यता प्राप्त संस्थान–राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान में चलाया गया। सभी सेना मुख्यालयों से कुल 35 अफसरों ने इस पाठ्यक्रम में भाग लिया। यह पाठ्यक्रम सेना मुख्यालयों और तीनों सेनाओं के यूनिटों को उनके नवीकरणीय ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने में सुकर बनाएगा और सशस्त्र बलों में ऊर्जा संरक्षण तथा पुनर्सृजन–पहलों को चलाने में मददगार होगा।

2.17 **मंगोलियाई सशस्त्र बलों के लिए साइबर सुरक्षा प्रशिक्षणः** सूचना प्रौद्योगिकी, सुरक्षा, डिफेंस इन्फर्मेशन एश्योरेंस एंड रिसर्च एजेंसी परियोजना में भारत–मंगोलियाई रक्षा सहयोग के एक भाग के रूप

में एकीकृत रक्षा स्टाफ मुख्यालय ने आईटी सुरक्षा में मंगोलियाई सशस्त्र बलों और मंगोलिया के रक्षा मंत्रालय के कर्मचारियों एवं अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया। वर्ष 2013 में संचालित प्रशिक्षण पर अनुवर्ती कार्रवाई के रूप में, मंगोलिया के अनुरोध पर, चालू वर्ष के दौरान आईटी सुरक्षा पर एक उच्च स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया गया।

रक्षा सहयोग संबंधी कार्यकलाप 2014-15

2.18 **चीनः** छठी भारत–चीन वार्षिक रक्षा वार्ता के दौरान रक्षा सहयोग योजना पर बनी सहमति के एक भाग के रूप में वर्ष के दौरान नवयुवक और मध्यमवय अफसरों का भारत और चीन के बीच आदान–प्रदान हुआ जिससे दोनों देशों के बीच बेहतर समझ और समन्वय बन पाया।

2.19 **नाइजीरियाः** वर्ष 2014 में भारत–नाइजीरिया संयुक्त रक्षा सहयोग समिति की दूसरी बैठक के दौरान रक्षा सहयोग योजना पर बनी सहमति के एक भाग के रूप में, सैन्य प्रशिक्षण के क्षेत्र में सहयोग और समझ के लिए दोनों देशों के बीच कैडेटों और अनुदेशकों का आदान–प्रदान हुआ।

चिकित्सा के क्षेत्र में पहल

2.20 एकीकृत मुख्यालय रक्षा स्टाफ की चिकित्सा शाखा ने रिपोर्टाधीन अवधि में मेडिकल स्टोरों और आपूर्ति चौन मैनेजमेंट, टेलिमेडिसिन और संयुक्त चिकित्सीय प्रशिक्षण के मानकीकरण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की। चल रही परियोजनाओं में सशस्त्र सेना खेलकूद चिकित्सा केन्द्र का पुनरूद्धार करना और सैन्य अस्पताल हेल्थ स्मार्ट कार्ड को मान्यता दिलाना शामिल हैं।

संयुक्त युद्धस्थिति अध्ययन केन्द्र (सेनजॉस)

2.21 सेनजॉस, जो तीनों सेनाओं का थिंक टैंक है, ने आगे एकता बनाए रखने के लिए विचार करने को प्रोत्साहित करने हेतु कई सेमिनारों और गोलमेज वार्ताओं का आयोजन किया और अध्ययन रिपोर्टें प्रकाशित की। इनमें से सार्वजनिक–निजी भागीदारी पर रिपोर्ट भारत में सैन्य प्रौद्योगिकी का दोहन विषय पर सिनर्जी जर्नल और एकता पर सेनजॉस की चर्चाएं मील की पत्थर साबित हुई हैं।

सशस्त्र बल अधिकरण

2.22 सरकार ने संघ की सशस्त्र सेनाओं के सदस्यों को शीघ्रता से न्याय देने की व्यवस्था करने के लिए तीनों सेनाओं (सेना, नौसेना और वायुसेना) के सदस्यों के सेवा संबंधी मामलों से संबंधित हिदायतों और विवादों तथा कोर्ट मार्शल के निर्णयों से उत्पन्न अपीलों के अधिनिर्णय के लिए एक सशस्त्र सेना अधिकरण की स्थापना की है।

2.23 वर्तमान में दिल्ली स्थित प्रधान पीठ सहित चेन्नै, जयपुर, लखनऊ, चंडीगढ़, कोलकाता, कोच्चि, गुवाहाटी और मुंबई स्थित क्षेत्रीय पीठें कार्यरत हैं। मंत्रिमंडल द्वारा यथा अनुमोदित श्रीनगर और जबलपुर में सशस्त्र बल अधिकरण की स्थायी एकल पीठ स्थापित करने की प्रक्रिया चल रही है।

रक्षा (वित्त)

2.24 रक्षा मंत्रालय में वित्त प्रभाग, वित्तीय प्रभाव डालने वाले सभी मामलों का कार्य देखता है। इस प्रभाग के प्रमुख सचिव (रक्षा वित्त)/वित्त सलाहकार (रक्षा सेवाएं) हैं और यह रक्षा मंत्रालय के साथ पूर्णतः एकीकृत है। यह एक सलाहकार की भूमिका भी निभाता है।

2.25 शीघ्रता से निर्णय लेने के लिए, रक्षा मंत्रालय को वर्धित वित्तीय शक्तियां प्राप्त हैं। इन शक्तियों का

प्रयोग वित्त प्रभाग की सहमति से किया जाता है। रक्षा अधिप्राप्ति मामलों के संबंध में इन शक्तियों के कार्यान्वयन की पारदर्शिता और निर्धारित नीति संबंधी मार्ग–निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से रक्षा अधिप्राप्ति प्रक्रिया तथा रक्षा अधिप्राप्ति मैनुअल को समय–समय पर अद्यतन किया जाता है।

2.26 वित्त प्रभाग रक्षा सेवा प्राक्कलनों, सिविल प्राक्कलनों तथ रक्षा पेंशनों से संबंधित प्राक्कलनों को तैयार करता है तथा उसकी मानीटरी करता है। रक्षा सेवा प्राक्कलनों से संबंधित वर्ष 2012–13 और वर्ष 2013–14 के वास्तविक व्यय और 2014–15 के लिए संशोधित प्राक्कलन तथा वर्ष 2015–16 के लिए बजट अनुमान के ब्यौरे तालिका संख्या 2.1 में दिए गए हैं तथा इससे संगत ग्राफ/चार्ट इस अध्याय के अंत में दिया गया है।

2.27 नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा यथा प्रस्तुत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की एक अद्यतन रिपोर्ट का सारांश इस वार्षिक रिपोर्ट के **परिशिष्ट-III** पर दिया गया है।

2.28 नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की रिपोर्टों/लोक लेखा समिति की रिपोर्टों में की गई टिप्पणियों पर की गई कार्रवाई संबंधी नोट की दिनांक 31.12.2014 के अनुसार स्थिति इस वार्षिक रिपोर्ट के **परिशिष्ट-IV** पर दी गई है।

सारणी 2.1
रक्षा व्यय का सेना/विभाग-वार ब्यौरा

(करोड़ रुपये में)

	सेना/विभाग	2012–13 वास्तविक (राजस्व+पूंजी)	2013–14 वास्तविक (राजस्व+पूंजी)	संशोधित प्राक्कलन 2014–15 (राजस्व+पूंजी)	बजट प्राक्कलन 2015–16 (राजस्व+पूंजी)
	सेना	91450.51	99464.21	119434.94	130658.33
	नौसेना	29593.53	33393.21	32442.86	40528.88
	वायुसेना	50509.13	57708.63	53896.54	56686.84
रक्षा उत्पादन विभाग	आयुध निर्माणी महानिदेशालय	(-) 267.86	1298.39	2332.89	3644.30
	गुणता आश्वासन महानिदेशालय	695.67	766.02	815.58	850.16
	अनुसंधान तथा विकास	9794.80	10868.89	13447.19	14358.49
	योग	181775.78	203499.35	222370.00	246727.00

डी जी ओ एफ – आयुध निर्माणी महानिदेशालय
डी जी क्यू ए – गुणता आश्वासन महानिदेशालय
आर एंड डी – अनुसंधान तथा विकास

कुल रक्षा प्राक्कलन 2015-16 (बजट प्राक्कलन) के प्रतिशत के रूप में सेना / विभागवार आबंटन

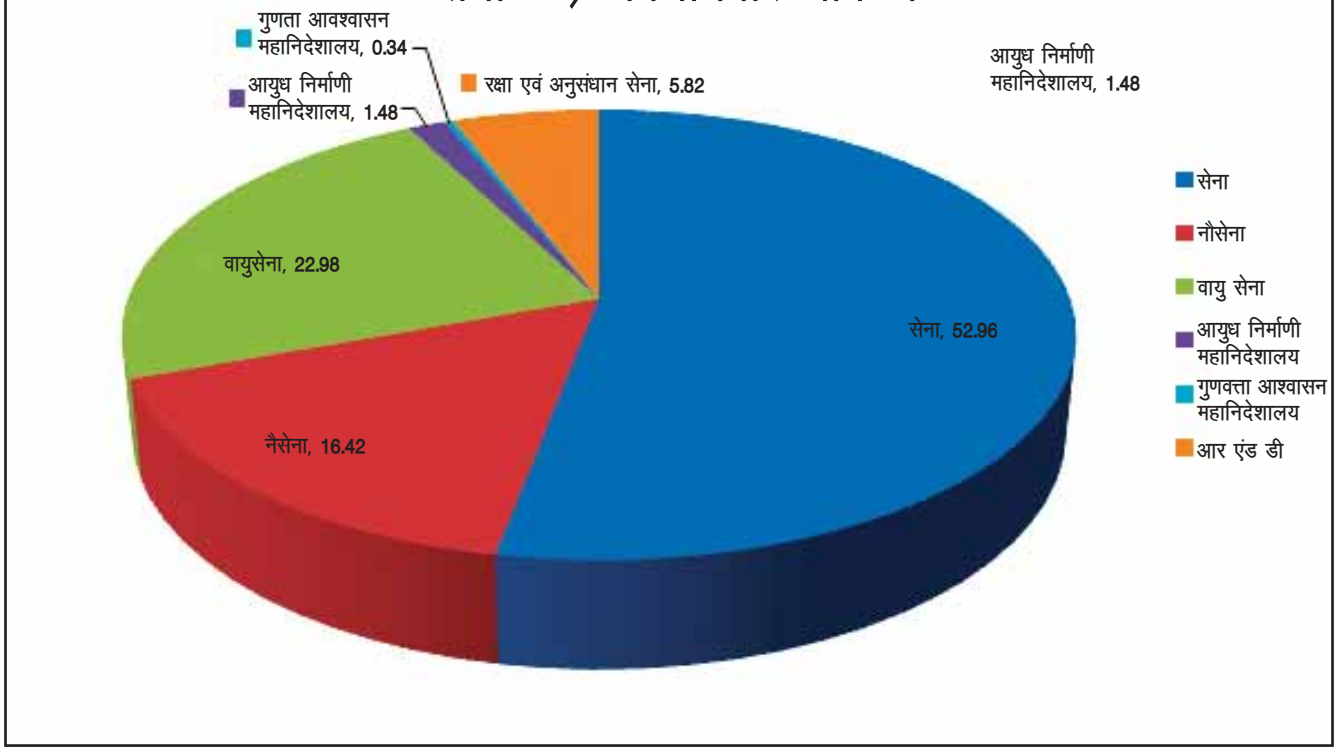

रक्षा व्यय/प्राक्कलन का सेना/विभागवार ब्यौरा

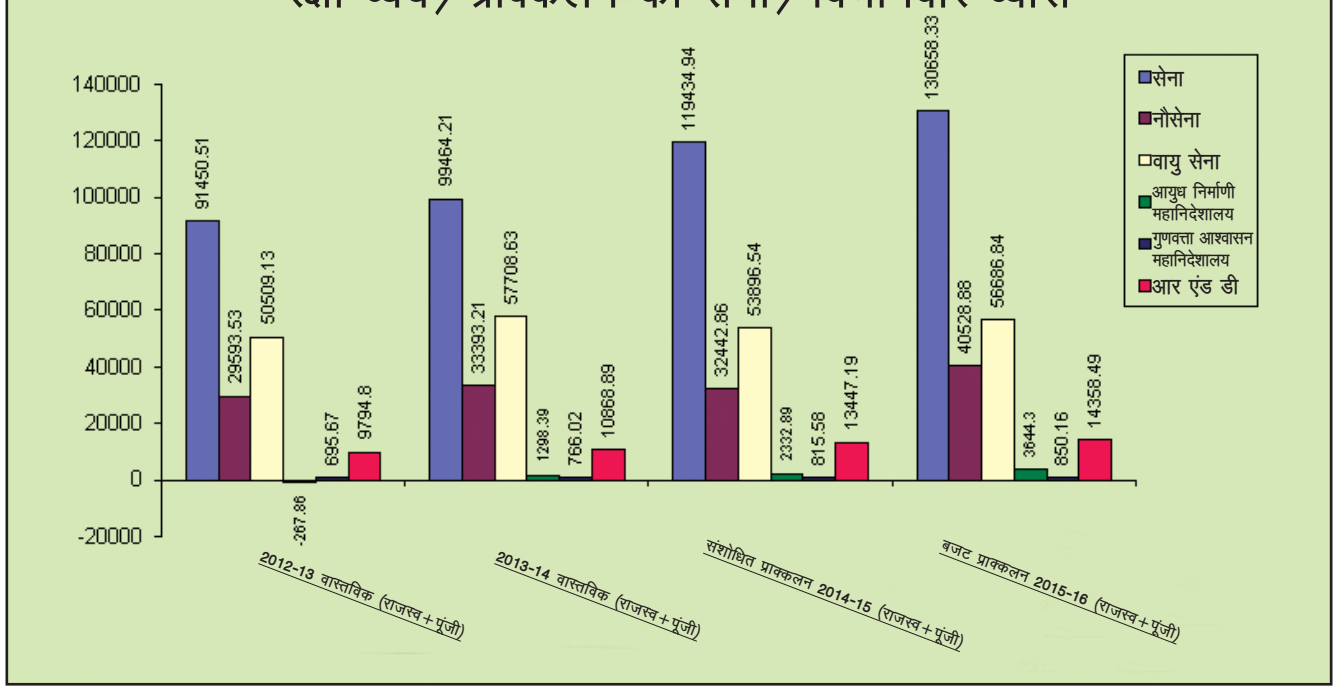

3

भारतीय सेना

कंधे पर रख कर चलाई जाने वाली विमान–रोधी प्रक्षेपास्त्र प्रणाली

भारतीय सेना (आईए) युद्ध पद्धति के संपूर्ण स्पेक्ट्रम में बाहरी एवं आंतरिक खतरों से अपने देश की रक्षा करने के लिए समर्पित है।

सुरक्षा रूपरेखा

3.1 विश्व भर में लगातार बदलती भू–राजनीतिक परिस्थितियों के कारण सुरक्षा बनाए रखने की कई चुनौतियां देश के सामने हैं। सामने दिखाई दे रही सुरक्षा चुनौतियों का सामना करने के लिए अपनी संक्रियात्मक तैयारी/स्थिति की लगातार समीक्षा करते हुए भारतीय सेना (आईए) युद्ध पद्धति के संपूर्ण स्पेक्ट्रम में बाहरी एवं आंतरिक खतरों से अपने देश की रक्षा करने के लिए समर्पित है। साथ ही, विपत्ति/प्राकृतिक आपदाओं के समय पीड़ित लोगों को सहायता पहुंचाने एवं उन्हें आसरा देने के लिए भारतीय सेना हमेशा आगे रही है।

जम्मू-कश्मीर

3.2 जम्मू–कश्मीर में सुरक्षा स्थिति काफी नाजुक है। लगातार चलने वाले घुसपैठ–रोधी तथा आतंकवाद रोधी सफल ऑपरेशनों के परिणामस्वरूप वहां संसदीय तथा विधान सभा चुनाव सफलतापूर्वक पूरे हो पाए और उनमें मतदान प्रतिशत अच्छा रहा।

3.3 दूसरी तरफ,पाकिस्तान ने कश्मीर मुद्दे का अंतर्राष्ट्रीयकरण करने के अपने प्रयासों में वृद्धि की है और राज्य में हिंसा भड़काने का कार्य किया है। सीमा पर आंतकवादी ठिकाने यथावत बने हुए हैं तथा पाकिस्तान की कुण्ठा युद्धविराम उल्लंघनों एवं सीमापार विदेशी आतंकवादियों की बड़ी संख्या में मौजूदगी द्वारा और उनके धृष्टतापूर्ण हमलों से स्वयं ही स्पष्ट हो जाती है।

सीमा पर स्थिति

3.4 **युद्ध विराम उल्लंघन (सीएफवी):** जम्मू–कश्मीर की वास्तविक भू–स्थिति रेखा (एजीपीएल), नियंत्रण रेखा (एलसी) एवं अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्षेत्र (आईबी) में सामान्यतः युद्धविराम की स्थिति रखी जाती है। तथापि, पिछले दो वर्षों में युद्ध विराम उल्लंघनों में बढ़ोत्तरी हुई है। युद्धविराम उल्लंघन के मामलों पर विचार करने के लिए डीजीएमओ वार्ताओं, स्थानीय स्तर की फ्लैग बैठकों तथा हॉटलाइनों का इस्तेमाल किया जा रहा है। जहां जरूरत थी, हमारे सैनिकों ने वहां उपयुक्त जवाबी हमले किए।

3.5 **घुसपैठः** सीमा पर कड़ी सतर्कता रखी जा रही है और सेना द्वारा अपनाए गए घुसपैठरोधी उपायों को और सुदृढ़ किया गया है। इस वर्ष में घुसपैठ की 23 कोशिशें नाकाम की गई जिनमें 28 आतकंवादी मारे गए।

भीतरी क्षेत्र में स्थिति

3.6 **आतंकवाद-रोधी ऑपरेशनः** सेना द्वारा लंबे समय से चलाए जा रहे आतंकवाद–रोधी ऑपरेशनों के परिणामस्वरूप वर्ष 2014 में भीतरी क्षेत्र में 68 आतंकवादियों का खात्मा किया गया। पिछले साल सेना ने जम्मू–कश्मीर के भीतरी क्षेत्र में 37 आतंकवादियों को मार गिराया।

उत्तर पूर्व

3.7 उत्तर पूर्व में सुरक्षा स्थिति कुल मिलाकर स्थिर तथा नियंत्रण में है। वर्ष 2014 में हिंसा की घटनाओं में मामूली बढ़ोत्तरी हुई है किंतु सुरक्षा बलों ने घुसपैठियों पर लगातार अपना दबदबा बनाए रखा। 1314 हथियारों की बरामदगी के साथ वर्ष 2014 में सेना/असम राइफल्स द्वारा कुल 1142 घुसपैठियों की कोशिशों को नाकाम किया गया (मारे गए–91, पकड़े गए 894 तथा समर्पण करवाए गए–157)। पांच विद्रोही गुट युद्ध–विराम का पालन कर रहे हैं

तथा 42 विद्रोही गुटों पर सैन्य कार्रवाई को निलंबित रखने की प्रक्रिया चल रही है।

3.8 **असमः** राज्य में सुरक्षा की स्थिति काफी हद तक शांतिपूर्ण एवं नियंत्रण में है। सुरक्षा बलों द्वारा सोच–समझकर और आपसी तालमेल से किए गए ऑपरेशनों से विद्रोही गुटों के ऑपरेशनल क्षेत्र में कमी आई है। तीन बड़े गुटों–उल्फा (बातचीत के पक्ष में), एनडीएफबी (प्रगतिवादी) और एनडीएफबी (रंजन दाईमारी) के साथ त्रिपक्षीय बातचीत जारी है। लेकिन परेश बरुआ नेतृत्व वाला उल्फा (स्वतंत्र) और आई के सौंगबिजित के नेतृत्व वाला एनडीएफबी (सौंगबिजित) अभी भी अपनी हिंसक गतिविधियां कर रहा है।

3.9 **नागालैंडः** 2014 में इस राज्य में कोई बड़ी हिंसक घटना नहीं हुई और स्थिति शांतिपूर्ण रही। तीन नागा गुटों के साथ युद्ध विराम जारी है। एनएससीएन गुटों को नियंत्रण में रखने और उनके द्वारा युद्ध विराम संबंधी मूल नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सेना और असम राइफल्स ने व्यापक ऑपरेशन चलाए हैं। नागा समस्या का स्थायी एवं स्वीकार्य हल ढूंढने के लिए एनएससीएन (आईएम) के साथ शांति वार्ता जारी है।

3.10 **मणिपुरः** इस राज्य में अधिकांश हिंसा मेटी गुटों द्वारा की गई है। राज्य में घेराबंदी और बंद की राजनीति भी चलती रहती है और इसके परिणामस्वरूप तीन प्रमुख समुदायों; मेटी–नागा कुकी के बीच दरार बढ़ती जा रही है। अंतर जनजातीय दुश्मनी और आंतरिक–बाहरी अलगाव 2014 के दौरान स्पष्ट रूप से दिखाई दिए जो कि मणिपुर में हिंसा के मुख्य कारण थे।

3.11 **अरूणाचल प्रदेश में सुरक्षा स्थितिः** तीरप, लॉन्गडिंग और चंगलैंग जिलों में नागा विद्रोह फैल रहा है क्योंकि इन तीन जिलों में एनएससीएन गुटों के साथ युद्ध विराम लागू नहीं है। सुरक्षा बलों द्वारा तालमेल स्थापित कर चलाए जाने वाले ऑपरेशनों ने विद्रोहियों के ऑपरेशन क्षेत्र को कम कर दिया है।

3.12 **त्रिपुरा और मिजोरमः** इन दोनों राज्यों में सुरक्षा स्थिति नियंत्रण में है। विद्रोहियों द्वारा अपहरण/फिरौती की छोटी–मोटी घटनाओं को अंजाम दिया गया।

3.13 **मेघालयः** हिंसा की घटनाएं मुख्यतः गारो की पहाड़ियों तक ही सीमित रही और इसे मुख्यतः जीएनएलए एवं यूएएलए द्वारा अंजाम दिया गया। इन गुटों की गतिविधियां असम स्थित इसके पड़ोसी जिलो–गोलपारा और ढुबरी तक फैल गई है। दो समूहों – एएनवीसी और एएनबीसी (बी) ने भारत सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए और 15 दिसम्बर, 2014 को इसका अस्तित्व समाप्त कर दिया गया।

सीमा पर स्थिति

3.14 **चीन के साथ द्विपक्षी संबंधः** पिछले कुछ वर्षों में दोनों देशों के संबंधों में सुधार हुआ है। राजनैतिक, कूटनीतिक एवं सैन्य स्तर पर सकारात्मक बातचीत चल रही है। वर्ष 2014 में शांतिपूर्ण सह–अस्तित्व के पांच सिद्धांतों (पंचशील) की 60वीं वर्षगांठ मनाई गई और इसे मनाने के लिए इस वर्ष को भारत–चीन मैत्री वार्ता का वर्ष घोषित किया गया। सितंबर, 2014 को चीन के राष्ट्रपति श्री शी जिंनपिंग के भारत दौरे ने दोस्ती के बंधन को और मजबूत किया है और दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सहयोग में वृद्धि की है।

3.15 चीन अपने मुख्य उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करने में लगा है। चीन म्यांमार और पाकिस्तान के जरिए हिंद महासागर में अपनी पहुंच बढ़ा रहा है। चीन की अति सक्रिय कूटनीति की बदौलत राजनैतिक, सैन्य और आर्थिक सहयोग एवं बातचीत के जरिए भारत के निकटम पड़ोस में इसका प्रभाव दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है।

3.16 भारतीय सेना देश की सुरक्षा और सीमा क्षेत्रों में अवसंरचना के विकास की जरूरतों को पूरा करने

के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। राष्ट्रीय सुरक्षा के लक्ष्यों को पाने के लिए उत्तरी सीमाओं पर हमारी अवसंरचना को अपग्रेड करने और सैन्य बल में अपेक्षित वृद्धि करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए गए हैं।

3.17 **वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) पर स्थितिः** भारत–चीन सीमा पर स्थिति शांतिपूर्ण बनी हुई है। इस सीमा पर कुछेक क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर वास्तविक नियंत्रण रेखा के बारे में भारत और चीन में मतभेद हैं। दोनों देश अपने–अपने मतानुसार निर्धारित की गई वास्तविक नियंत्रण रेखा तक गश्त लगाते हैं। वास्तविक नियंत्रण रेखा पर ऐसे क्षेत्रों में चीन के गश्त दलों द्वारा किए गए अतिक्रमण के उल्लेखनीय मामले हॉट लाइनों, फ्लैग मीटिंगों और सीमा कार्मिक बैठकों जैसी स्थायी प्रक्रिया के माध्यम से चीन के प्राधिकारियों के समक्ष उठाए गए हैं।

3.18 **सीमा रक्षा सहयोग समझौता (बीडीसीए) को लागू करनाः** इस वर्ष के दौरान बीडीसीए को लागू करने के बारे में दोनों देशों के बीच काफी बातचीत हुई है। इस दिशा में नॉन कॉन्टेक्ट गेम्स तथा त्यौहारों को मनाने के लिए संयुक्त समारोहों के आयोजनों को शामिल करके सीमा कार्मिक बैठकों के दायरे को बढ़ाया गया है।

3.19 **चौथा संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यासः** सकारात्मक सैन्य संबंध बनाने और उनको बढ़ावा देने, अंतर सैनिक कार्रवाई और आतंकवाद विरोधी वातावरण में संयुक्त आपरेशन चलाने के उद्देश्य से नवंबर, 2014 में चौथा संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास भारत (पुणे) में सफलतापूर्वक संचालित किया गया। इन प्रशिक्षण अभ्यासों से परस्पर काफी अधिक व्यावसायिक सैन्य बातचीत करने और एक–दूसरे के प्रति विश्वास बढ़ाने का बहुमूल्य अवसर मिला।

उत्तरी सीमाओं पर क्षमता विकास

3.20 उत्तरी सीमाओं पर हमारे दुश्मन की बढ़ती क्षमता को देखते हुए अपने सुरक्षा बलों की क्षमता का जायजा लिया गया। इसी के मद्देनजर सरकार ने उत्तरी सीमाओं पर क्षमता विकास योजना को मंजूरी दी जिसका उद्देश्य हमारी समाघात क्षमता को बढ़ाना है। योजना यह सुनिश्चित करती है कि मौजूदा खामियों को कम/दूर किया जाएगा। फोर्स मल्टीप्लायर्स, आवश्यक समाघात और संभारिकी तत्वों के जरिए सेना की आक्रामक क्षमता में वृद्धि की जाएगी। अनुमोदित टाइमलाइन के अनुसार एक्रीशंस 1 दिसंबर, 2013 से आरंभ हो गए हैं।

पड़ोसी देशों और कुछ अन्य देशों के साथ रक्षा सहयोग

3.21 **नेपालः** भारत और नेपाल के बीच चल रहे रक्षा सहयोग के आपसी सैन्य संबंधों को कई क्षेत्रों में बढ़ाने के मुद्दे पर और बल दिया गया है। बटालियन स्तर का अभ्यास 18 से 31 अगस्त, 2014 तक संचालित किया गया। चिकित्सा दलों, पैदल दलों के नियमित दौरे और वरिष्ठ अफसरों द्वारा किए गए दौरे के साथ–साथ क्षमता वृद्धि का कार्य भी किया जा रहा है।

3.22 जुलाई 5 से 7, 2014 में सुरक्षा पर नेपाल–भारत द्विपक्षीय परामर्शी समूह (एनआईबीसीजीएस) की 11वीं बैठक काठमांडू, नेपाल में आयोजित की गई जिसमें आपसी हितों की रक्षा और सुरक्षा मुद्दों पर चर्चा की गई।

3.23 द्विपक्षीय सहयोग के हिस्से के रूप में नवम्बर, 2014 में नेपाल आर्मी को क्षमता निर्माण में सहायता प्रदान की गई जिसमें एक हेलिकॉप्टर भेजना भी शामिल है।

3.24 **भूटानः** भूटान के साथ अपने पुराने नजदीकी संबंधों को बनाए रखते हुए हम रॉयल भूटान आर्मी और रॉयल बॉडी गार्ड्स के क्षमता निर्माण में सहायता प्रदान कर रहे हैं।

3.25 **मालदीवः** भारत और मालदीव के बीच वर्तमान रक्षा सहयोग के भाग के रूप में मालदीव को 2014 में क्षमता संवर्धन में सहयोग दिया गया । मालदीव में 17 नवम्बर से 30 नवम्बर, 2014 तक 5वां इंडो मालदीव पलटन स्तर संयुक्त प्रशिक्षण/अभ्यास (अभ्यास इक्वेरिन 2014) संचालित किया गया ।

3.26 **म्यांमारः** भारत और म्यांमार के सैन्य संबंधों को बढ़ावा देने के लिए 2014 में म्यांमार को क्षमता संवर्धन में सहायता दी गई।

मित्र राष्ट्रों (एफएफसी) के साथ संयुक्त अभ्यास

3.27 मित्र राष्ट्रों के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास रक्षा सहयोग का एक महत्वपूर्ण भाग है। इसमें एक–दूसरे के साथ अनुभव बांटना, सैन्य आपरेशन के बदलते तरीकों को समझना, इंटर ऑपरेबिलिटी विकसित करना तथा संयुक्त ऑपरेशनों जिनमें मानवीय सहायता पहुंचाना और आपदा राहत कार्य शामिल है, की प्रक्रिया को सरल और कारगर बनाना शामिल है।

3.28 भारतीय सेना मित्र राष्ट्रों के साथ निरंतर संयुक्त प्रशिक्षण/अभ्यास करती रहती है। जनवरी, 2014 से निम्नलिखित संयुक्त प्रशिक्षण/अभ्यास किए गए हैं:–

(क) पिथौरागढ़ में 18 अगस्त से 31 अगस्त, 2014 तक 7वां इंडो–नेपाल बटालियन स्तर संयुक्त प्रशिक्षण/अभ्यास (अभ्यास सूर्य किरण–VII) दिया गया।

(ख) पांचवां इंडो–मालदीव पलटन स्तर संयुक्त प्रशिक्षण/अभ्यास (अभ्यास इकूवेरिन 2014) 17 से 30 नवम्बर, 2014 तक मालदीव में दिया गया।

3.29 **भारत-यू.एस. का संयुक्त अभ्यास युद्धाभ्यास-2014:** भारत और यू.एस. सेना द्वारा 17–30 सितम्बर, 2014 तक चौबटिया, रानीखेत में संयुक्त अभ्यास संचालित किया गया। 30 सदस्यों वाले भारतीय सेना विशेष दल प्रतिनिधि मंडल ने भी प्रथम विशेष बल समूह से आए 09 सदस्यों वाली यू.एस. विशेष बल टीम के साथ इस अभ्यास में भाग लिया।

3.30 **भारत बांग्लादेश संयुक्त विशेष बल अभ्यासः** सम्प्रीती IV: यह भारत और बांग्लादेश विशेष बलों के बीच चल रहे पारस्परिक अभ्यास की श्रृंखला में चौथा संयुक्त अभ्यास था। इस अभ्यास का आयोजन बारी–बारी से भारत और बांग्लादेश में किया जाता

है। इस वर्ष इस अभ्यास का आयोजन 19 से 30 अक्तूबर, 2014 तक जलालाबाद छावनी, शामलत, बांग्लादेश में कराया गया। इस अभ्यास में भारतीय सेना विशेष दल के 30 सदस्यों ने भाग लिया।

3.31 **अफगानिस्तान विशेष बलों के लिए विशेष बल फोर्स:** 27 अक्तूबर से 22 नवम्बर, 2014 तक, विशेष बल प्रशिक्षण स्कूल, नहान के संरक्षण में अफगान विशेष बलों के लिए तैयार किए गए विशेष कोर्स का आयोजन किया गया। इस कोर्स में अफगानिस्तान विशेष बल के 2 अफसरों एवं 18 अन्य रैंकों ने भाग लिया।

3.32 **भारत-श्रीलंका संयुक्त विशेष बल अभ्यास मित्र शक्ति-।।:** यह अभ्यास भारत और श्रीलंका में पारस्परिक चल रहे अभ्यासों की श्रृंखला में दूसरा था। यह अभ्यास बारी–बारी से भारत और श्रीलंका में आयोजित किया जाता है। इस वर्ष यह अभ्यास 3–23 नवम्बर, 2014 तक उदावालावे, श्रीलंका में आयोजित किया गया था। इस अभ्यास में भारतीय सेना के विशेष बलों के 45 सदस्यों ने भाग लिया।

3.33 **फिलिस्तीनी सुरक्षा बलों के लिए प्रशिक्षण कोर्स:** आगरा में 50(I) पैरा ब्रिगेड के संरक्षण में 22 दिसम्बर से 17 जनवरी, 2015 तक फिलिस्तीनी सुरक्षा बलों के लिए एक विशेष कोर्स का आयोजन किया गया। इस कोर्स में फिलिस्तीनी सुरक्षा बलों के 5 अधिकारी एवं 15 अन्य रैंक भाग ले रहे हैं।

3.34 **विदेशी प्रतिनिधिमंडलों का दौरा:** निम्नलिखित प्रतिनिधि–मण्डलों ने विभिन्न विशेष बल संस्थानों का दौरा किया:

क्रम सं.	प्रतिनिधिमंडल	स्थान	समयावधि
(i)	जर्मन सेना पैराट्रूपर प्रतिनिधि मंडल	50(I) पैरा ब्रिगेड, आगरा एवं पैरा प्रशिक्षण स्कूल, आगरा	16–20 जून, 2014
(ii)	मिश्र सेना विशेष बल प्रतिनिधिमंडल	50(I) पैरा ब्रिगेड, आगरा	16–17 सितम्बर, 2014
		स्पेशल फोर्स ट्रेनिंग स्कूल, नेहान	18–19 सितम्बर, 2014

आधुनिकीकरण और उपस्कर जुटाना

3.35 भारतीय सेना का आधुनिकीकरण करना इसके महत्वपूर्ण क्षेत्रों में से एक है। इसी को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित पहलुओं पर विशेष बल दिया जा रहा है।

(क) **घातकता:** इंफैट्री सैन्य दलों को सब–मशीनगन उपलब्ध करवा दी गई है। क्लोज क्वार्टर बैटल कार्बाइन, असाल्ट राइफल तथा लाइट मशीनगन की प्रापण प्रक्रिया अपने अंतिम चरण में है। इसके अतिरिक्त, इंफैट्री को अत्याधुनिक, टैंक रोधी हथियार, मिसाइल, ग्रेनेड लांचर स्निपर जैसे उपस्करों एवं इससे संबंधित गोला–बारूद से सुसज्जित करने की योजना है।

(ख) **लक्ष्य प्राप्ति एवं स्थिति की जानकारी रखना:** भारतीय सेना की यूनिटों का रात्रि में कार्य करने में सक्षम होना आवश्यक है। इसलिए हथियारों को इमेज इंटैन्सिफायर तथा थर्मल इमेजिंग पर आधारित रात्रि दृश्यों से लैस करने पर बल दिया जा रहा है।

कार्बाइन के लिए इमेज इंटेन्सिफायर को खरीदने का कार्य चल रहा है। सभी प्रकार के मौसमों में और दिन व रात के समय में स्थिति संबंधी जानकारी बढ़ाने के लिए मिनी अनमैंड एरिअल व्हीकलों एवं फलेक्सिबल सर्वेलन्स डिवाइसों को खरीदने की योजनाएं भी बनाई गई हैं।

(ग) **बॉडी आर्मर:** बालिस्टिक हेलमेट की प्रापण प्रक्रिया पर भी काफी कार्य चल रहा है और बुलेट प्रूफ जैकेटों को प्राथमिकता आधार पर खरीदा जा रहा है।

(घ) **गतिशीलता:** इंफैंट्री के लिए ऐसे अत्याधुनिक वाहनों की खरीद प्रक्रिया चल रही है जिनमें पर्याप्त सुरक्षा के साथ–साथ उन पर सहायक हथियारों को माउंट करने की व्यवस्था भी हो। इससे सभी प्रकार के भू–भागों में इंफैंट्री की गतिशीलता बढ़ेगी।

फील्ड आर्टिलरी का आधुनिकीकरण

3.36 **गन:** सन 2012 से आर्टिलरी के आधुनिकीकरण का कार्य चल रहा है। आधुनिकीकरण की प्रगति को तेज करने के लिए वैश्विक एवं स्वदेशी उपाय अपनाए जा रहे हैं। हाल ही में सरकार ने माउंटिंग गन प्रणाली को खरीदने के लिए सहमति प्रदान की है। 'खरीदो और बनाओ भारतीय' नीति के तहत फिलहाल सेना की मौजूदा गनों को उन्नत करने की प्रक्रिया भी चल रही है।

इलेक्ट्रानिक तौर पर अपग्रेड की गई गन प्रणाली "धनुष"

3.37 **निशांत यूएवी:** वैमानिक विकास स्थापना, बंगलूर द्वारा निशांत यूएवी की प्रणाली को सेना में शामिल किया जा रहा है।

3.38 **स्वदेशी टी-90 टैंकों का निर्माण:** स्वदेश निर्मित टी–90 टैंक आवडी स्थित एचवीएफ में भारतीय सेना को डिलीवर किए जा रहे हैं।

3.39 **एफएमबीटी:** यंत्रीकृत बलों को कवचित लड़ाकू वाहन से लैस करने के लिए एक नए मुख्य युद्धक टैंक की संकल्पना की जा रही है जिसमें अधिक घातकता, अधिक कवचित सुरक्षा एवं गतिशीलता

जैसी आधुनिक प्रौद्योगिकी होगी। एफएमबीटी को शामिल करने से यंत्रीकृत बलों को प्रभावी ताकत मिलेगी और इससे उनकी संक्रियात्मक क्षमता भी बढ़ेगी।

3.40 **एफआईसीवीः** यंत्रीकृत इंफैट्री बटालियनें पुरानी आईसीवी बीएमपी–2/2 के से लैस हैं जो 1980 के दशक के हैं। सेना में इनके स्थान पर एफआईसीवी को शामिल करने की योजना है। स्वीकृत समय सीमा के अंदर नए एफआईसीवी के निर्माण की योजना बनाने और उसके उत्पादन संबंधी कार्यों में तालमेल बैठाने के लिए एकीकृत परियोजना प्रबंधन टीम का गठन किया गया है।

3.41 **बीएमपी-।।ः** बीएमपी–।। एक आधुनिकतम हथियार प्रणाली है और वर्ष 1986 में इसे सेना में शामिल करने के बाद से इसे युद्ध क्षेत्र की प्रौद्योगिकी में हो रहे लगातार परिवर्तनों के अनुरूप बनाने के लिए इसका कई बार आधुनिकीकरण किया गया है। पिछले कुछ वर्षों में बीएमपी–2 एक ताकतवर हथियार प्रणाली के रूप में उभर कर सामने आया है और इस हथियार प्रणाली का प्रयोग करने वाले ट्रूपों का आत्मविश्वास एवं मनोबल बढ़ा है। इस उपस्कर की गतिशीलता तथा फायर पावर, दोनों को उचित रूप से अपग्रेड किया जा रहा है।

3.42 बीएमपी–2 को अपग्रेड किए जाने की प्रक्रिया के साथ–साथ इस वाहन की बेहतरीन चेसिस/हल का उपयोग ऐसे अनेक वाहनों को डिजाइन करने एवं उन्हें सेना में शामिल करने के लिए किया जा रहा है जो युद्ध क्षेत्र में हमारे यंत्रीकृत बलों की युद्ध क्षमता बढ़ाएंगे। आर्मर्ड टैक्ड एम्बुलेंस, कैरियर मौर्टार ट्रैक्ड (सीएमटी) कैरियर कमांड पोस्ट ट्रैकड (सीसीपीटी) आदि बीएमपी–11 के कुछ ऐसे अलग–अलग रूप हैं जिनसे यंत्रीकृत बल बेड़े को लाभ मिलेगा।

राष्ट्रीय राइफल्स

3.43 राष्ट्रीय राइफल्स का गठन जम्मू–कश्मीर राज्य में आतंकवाद के खतरे का सामना करने के लिए किया गया था। गठन के बाद से ही इसने राज्य की सुरक्षा तथा इसके सामाजिक–आर्थिक विकास में भी अपनी अमूल्य सहायता प्रदान की है।

3.44 राष्ट्रीय राइफल्स ने अपने अथक ऑपरेशनों से अपने क्षेत्र में सफलतापूर्वक अपना प्रभुत्व स्थापित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। उनके जान व माल का नुकसान होने के बावजूद सेना ने दिसम्बर,

2014 में आई विध्वंसकारी बाढ़ से गंभीर रूप से प्रभावित जम्मू कश्मीर के लोगों को सहायता पहुंचाने का कठिन कार्य किया। इसके अतिरिक्त ऑपरेशन मेघ राहत के दौरान एक व्यापक प्रतिविद्रोहिता ग्रिड बनाने से आतंकवादी संगठनों पर काफी दबाव पड़ा है। सेना द्वारा अपने कार्यक्षेत्रों में कारगर ढंग से कार्य करने के कारण लोक सभा और राज्य सभा चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से हो पाए। राष्ट्रीय राइफल्स की लगातार उपस्थिति ने जम्मू कश्मीर के लोगों को बिना किसी भय के मतदान करने का आश्वासन दिया और इसका स्पष्ट परिणाम अब तक के सबसे अधिक मतदान में दिखाई दिया जितना पिछले 25 वर्षों में नहीं हुआ था। ऑपरेशनों एवं आपदा राहत कार्यों में सेना के एकजुट प्रयासों का प्रचार–प्रसार प्रिंट और इलेक्ट्रानिक मीडिया द्वारा पूरे देश में किया गया जिससे देश–विदेश में सेना की काफी अच्छी छवि बन गई है।

3.45 सेना में अपने अथक प्रयासों को सफल बनाने के लिए तत्काल कार्रवाई करने को बाध्य होने पर भी अत्यधिक धैर्य बनाए रखा। राष्ट्रीय राइफल्स की यूनिटें अपने पूरे कार्यकाल के दौरान आतंकवादियों और उनके सहयोगियों पर लगातार दबाव बनाए रखने में सफल रही। उपद्रवी ताकतों के विरुद्ध सशक्त अभियान चलाकर सेना के प्रयासों से इस क्षेत्र में शांति बनी रही और स्थिति सामान्य हो पाई ।

3.46 **चुनावः** लोक सभा और विधान सभा चुनावों के दौरान सुरक्षा इंतजाम करने के लिए एक कार्य योजना तैयार की गई थी जिसमें लाइन ऑफ कंट्रोल, हिंटरलैंड और पीर पंजाल रेंज में सेना को अपना नियंत्रण रखना था। संवेदनशील और अतिसंवेदनशील मतदान केन्द्रों को सेना ने अपने नियंत्रण में ले लिया था और चुनावों के शांतिपूर्ण ढंग से पूरा करवाने के लिए पैरा–मिलिट्री बलों की सहायता की गई। इससे लोगों का आत्मविश्वास बढ़ा और लोगों के उत्साह का अंदाजा विधानसभा चुनावों में पिछले 25 वर्षों में से इस वर्ष हुए सर्वाधिक मतदान से लगाया जा सकता है।

3.47 **छवि को ठीक करनाः** सेना तथा सरकार की छवि को सुधारने के लिए जन कल्याण के कई काम किए गए जिसमें 'आवाम' और 'जवान' के संबंधों में सुधार के साथ–साथ सेना के प्रति लोगों के दृष्टिकोण में काफी परिवर्तन हुआ है। विभिन्न जन–समूहों जैसे स्कूल के बच्चों, बेरोजगार युवाओं और ग्रामीण बुजुर्गों के लिए थीम आधारित कई टूर करवाए गए जिसका उद्देश्य स्थानीय लोगों को राष्ट्र की मुख्य धारा से जोड़ना था और उन्हें राष्ट्र की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संपत्ति के बारे में जानकारी देना था। राष्ट्रीय राइफल्स द्वारा संचालित यूथ इम्प्लाइमेंट एंड गाइडैंस नोड्स का मुख्य लक्ष्य राज्य के बेरोजगार युवाओं के लिए उच्चतर शिक्षा और रोजगार के अवसरों की तलाश करना था और उनका इस प्रकार मार्गदर्शन करना था कि वे आसानी से पैसे कमाने की लालसा और आतंकवाद द्वारा खुद को शक्तिशाली समझने की अनुचित भावना से दूर रहें।

प्रादेशिक सेना

3.48 प्रादेशिक सेना एक्ट 1948 में बनाया गया था। प्रादेशिक सेना तैयार करने का उद्देश्य लाभकरी रूप से नियोजित नागरिकों को अंशकालिक प्रशिक्षण प्रदान करना है जो यह प्रशिक्षण पाने के बाद सक्षम सैनिक बन जाते हैं।

3.49 **प्रधानमंत्री की प्रादेशिक सेना दिवस परेडः** प्रादेशिक सेना दिवस के अवसर पर 09 अक्तूबर, 2014 को आर्मी परेड ग्राउंड दिल्ली कैंट में आयोजित प्रधानमंत्री की प्रादेशिक सेना दिवस परेड का निरीक्षण सेनाध्यक्ष द्वारा किया गया था। इस परेड में मार्च करती हुई दस टुकड़ियों ने हिस्सा लिया जिसमें इंफैंट्री (टीए) यूनिटें एवं होम व हार्थ (टीए) यूनिटें, दस इंफैंट्री बटालियन (टीए) यूनिट, पाइप बैंड और प्रादेशिक सेना (टीए) विभाग यूनिटों की तीन झांकियां थीं।

3.50 **प्रतिविद्रोहिता/आतंकरोधी कार्रवाइयों तथा आंतरिक सुरक्षा में प्रादेशिक सेना यूनिटों का योगदानः** वर्तमान में लगभग75% प्रादेशिक सेना यूनिट जम्मू–कश्मीर तथा उत्तर पूर्व के प्रतिविद्रोहिता/

09 अक्तूबर, 2014 को सेनाध्यक्ष प्रधानमंत्री की प्रादेशिक सेना दिवस परेड का निरीक्षण करते हुए

आतंकरोधी क्षेत्र में तैनात है तथा ये यूनिटें नियमित सेना के सहायक अंग के रूप में सौंपे गए कार्यों को पेशेवर अंदाज में पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।

3.51 **इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कारः** पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफसीसी), भारत सरकार ने 128 इंफैंट्री बटालियन (टीए) इकोलिकल, राजराइफल को इकोलॉजी के क्षेत्र में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए वर्ष 2011 का इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार प्रदान करने की पुष्टि की है।

3.52 पारिस्थितिकीय वृक्षारोपणः प्रादेशिक सेना की इकोलॉजिकल बटालियनें देश के विभिन्न भागों में वृक्षारोपण एवं पर्यावरण सुधार के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य कर रही हैं। इन यूनिटों ने अभी तक 60,000 हेक्टेयर क्षेत्र में लगभग 6 करोड़ पेड़ लगाए हैं।

संयुक्त राष्ट्र मिशन

3.53 भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का संस्थापक सदस्य है तथा 1950 से ही संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना मिशनों में काफी महत्वपूर्ण योगदान देता रहा है जब 346 कार्मिकों वाली 60 फील्ड एंबुलेंस को कोरिया में तैनात किया गया था। भारत ने विदेशों में अभी तक 50 से अधिक संयुक्त राष्ट्र मिशनों में भाग लिया है तथा विभिन्न यूएन मिशनों में 2,15,000 से अधिक भारतीय ट्रूप्स भेजे हैं। भारतीय सेना का सबसे अहम योगदान अफ्रीका तथा एशिया के कुछ भागों में शांति एवं स्थिरता सुनिश्चित करने में रहा है। संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना मिशनों के लिए भारत की प्रतिबद्धता के कारण अब तक 157 भारतीय शांति स्थापना कार्मिकों (सेना एवं पुलिस) ने सर्वोच्च बलिदान दिया है।

3.54 **संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना ऑपरेशनों (यूएनपीकेओ) में अगुवाईः** भारत ने अब तक विभिन्न यूएन मिशनों में 16 फोर्स कमांडर भेजे हैं। वर्तमान में, लेफ्टिनेंट जनरल यूएनडीओएफ (गोलन पहाड़ियां) में फोर्स कमांडर के पद पर सेवारत हैं । इसके अतिरिक्त ब्रिगेडियर अप्रैल, 2014 से यूएनआईएफआईएल में डिप्टी कमांडर के तौर पर सेवारत हैं तथा एक और बिग्रेडियर अक्तूबर, 2014 से यूएनएमआईएसएस में सेक्टर कमांडर के तौर पर सेवारत हैं। फोर्स कमांडरों के अलावा भारत को संयुक्त राष्ट्र महासचिव को दो सैन्य सलाहकार, एक उप सैन्य सलाहकार भेजने का गौरव भी प्राप्त है।

3.55 **वर्तमान में हमारा योगदानः** इस समय यूएन शांति स्थापना ऑपरेशनों में भारत तीसरा सबसे बड़ा ट्रूप्स भेजने वाला देश है। वर्तमान में भारतीय सेना ने आठ शांति स्थापना मिशनों में 7,159 सैनिक तैनात किए हुए हैं। संयुक्त राष्ट्र मिशनों में हमारा मौजूदा योगदान एवं उपलब्धियां इस प्रकार हैं:–

(क) **मोनस्को (कांगो लोकतांत्रिक गणतंत्र) (1999-अब तक):** मोनस्को में भारत का योगदान 1999 में सैन्य प्रेक्षकों की प्रतिनियुक्ति के साथ आरंभ हुआ। ट्रूप्स भेजने की बढ़ती मांगों के कारण भारत ने नवंबर, 2004 से कांगों में चार इंफैंट्री, बटालियन ग्रुपों

वाला एक इंफैंट्री ब्रिगेड ग्रुप, ब्रिगेड सिग्नल कंपनी तथा लेवल–II। अस्पताल स्थापित किया गया है। वर्ष 2009 से मिशन क्षेत्र में एक सेना विमानन फ्लाइट भी तैनात की गई जो अपना कार्यकाल पूरा करने के पश्चात जनवरी, 2015 में देश लौट रही है। कांगों लोकतांत्रिक गणतंत्र (डीआरसी) अफ्रीका महाद्वीप में दूसरा सबसे बड़ा देश है लेकिन इसने 1960 में आजादी मिलने के समय से ही अशांति एवं अस्थिरता की ऐसी लंबी अवधि का सामना किया है, जिसके दौरान वहां दो गृहयुद्ध एवं जातीय संघर्ष हुए। कांगों में भारतीय ब्रिगेड के लिए कार्य करने की स्थितियां चुनौतीपूर्ण, दुर्गम भू–भागों तथा विषम जलवायु वाली हैं। ब्रिगेड को नागरिकों (सिविलियनों) की सुरक्षा का काम सौंपा गया है जो कि उसका प्रमुख कार्य है। ब्रिगेड ने मोनस्को अधिदेश लागू करने में काफी महत्वपूर्ण योगदान दिया है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी बहुत सराहना की गई है। उत्तरी किवु प्रांत में सामान्य स्थिति बहाल करने में भारतीय ब्रिगेड के प्रयास काफी सहायक रहे हैं। अप्रैल/मई 2014 में फोर्स इंटरवेंशन ब्रिगेड (एफआईबी) और कांगों की सेना के साथ मिलकर किए गए हमले में एम–23 (विद्रोही ग्रुप) का खात्मा किया गया। इस समय ब्रिगेड उस क्षेत्र में छोटे–छोटे विद्रोही समूहों के विरुद्ध ऑपरेशनों (ऑपरेशन सुकोला–I और II) में सहायता प्रदान कर रही है। ब्रिगेड ने अपने बेसों के माध्यम से बाल सैनिकों और आश्रितों सहित आर्म्ड काडरों का आत्मसमर्पण करवाया जिससे उस क्षेत्र में सामान्य स्थिति बहाल होने में मदद मिली। नॉर्थ किवु ब्रिगेड विभिन्न मानवतावादी कार्यों की शुरुआत करके कांगों के स्थानीय निवासियों की परेशानियों को दूर करने के काफी प्रयास करती है। भारतीय सैन्य दल की संक्रियात्मक क्षमता को और बढ़ाने के लिए 15 से 17 नवम्बर, 2013 को मिशन क्षेत्र में आईएएफ ग्लोब मास्टर द्वारा 40 टन अति आवश्यक गोला–बारूद (एम्युनिशन) भेजा गया। इसके साथ ही, भारतीय सेना इन सैन्य दलों के सारे उपस्कर बदलने की कार्रवाई कर रही है जिनकी लागत 418 करोड़ रुपए है। डीआरसी में तैनात भारतीय ब्रिगेड के निरंतर प्रयासों के फलस्वरूप नॉर्थ किवु की सुरक्षा स्थिति में सुधार हुआ है और डीआरसी में स्थायी रूप से शांतिपूर्ण स्थिति कायम होने के आसार वास्तव में नजर आ रहे हैं।

(ख) **यूएनमिस (साउथ सुडान) (जुलाई 2011-आज तक):** सुडान में यूएन मिशन 09 जुलाई, 2011 को समाप्त कर दिया गया था और यू एन मुख्यालय ने एक नया मिशन यानि यूएनमिस (साउथ सुडान) प्रारंभ किया। भारत सरकार ने यूएन मिशन (सुडान) में तैनात भारतीय सैन्य टुकड़ियों को वहां से हटाकर यूएन मिशन (साउथ सुडान) भेजने की मंजूरी दे दी। रिपब्लिक आफ साउथ सुडान के स्वतंत्र राज्य का गठन 09 जुलाई, 2011 को काफी जटिल और तनावपूर्ण क्षेत्रीय परिवेश में हुआ । भारत ने यूएन मिशन साउथ सुडान में दो इंफैट्री बटालियन ग्रुप, एक लेवल–II अस्पताल, हॉरिजॅन्टल मिलिट्री इंजीनियरिंग कंपनी, पेट्रोलियनम प्लाटून और एक सिग्नल कंपनी तैनात की है। साउथ सुडान में दिसम्बर, 2013 में समाज में जातीय मतभेद के कारण वहां गृहयुद्ध प्रारंभ हो गया। भारतीय सैन्य टुकड़ियों के समय पर दखल करने से वहां के कबीलों के आपसी झगड़ों के दौरान करीब 40,000 आंतरिक रूप से विस्थापित लोगों की जान बचाई गई। पिछले एक वर्ष में, भारतीय सेना ने 19 और 21 मई,2013 में भारतीय वायु सेना के वायुयान में 4 माइन प्रोटेक्टिड वाहन (एमपीवी) शामिल करके इस मिशन में अपनी सैन्य टुकड़ियों की संक्रियात्मक क्षमता को और सुदृढ़ किया। इसके साथ ही इन सैन्य टुकड़ियों के सभी उपस्कर बदले जा रहे हैं और आधे से ज्यादा उपस्कर मिशन क्षेत्र में ले जाए जा चुके हैं।

(ग) **यूनिफिल (यूएनआईएफआईएल) (लेबनान) (1998 से अब तक):** यूनिफिल में भारतीय सेना ने सहायता के रूप में एक इंफैंट्री बटालियन ग्रुप, लेवल–। अस्पताल और स्टाफ अफसर भेजे हैं। बटालियन को लगभग 100 वर्ग किलोमीटर तक फैले पहाड़ी इलाके में तैनात किया गया है और वहां की जिम्मेवारी सौंपी गई है। सीरिया और गाजा में काफी तनाव के बावजूद यह सैन्य टुकड़ी लेबनानी सशस्त्र सेना के साथ मिलकर लगातार गश्त लगाकर अपनी जिम्मेवारी के क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखने में सफल हुई है। भारतीय टुकड़ी नियमित रूप से बड़ी संख्या मे जनता की भलाई के लिए शिविर लगाती है जिसमें मेडिकल, डेंटल और पशु चिकित्सा शिविर शामिल हैं ताकि स्थानीय लोगों की मदद की जा सके और उनके दुख कम हो सकें। इस सहायता के कारण स्थानीय जनता के साथ सीधा संपर्क स्थापित हो सका है। जनता के साथ सीधा संपर्क होने से संक्रियात्मक कार्यों को अंजाम देने में मदद मिलती है।

(घ) **यूएनडीओएफ (गोलन हाइट्स) (2006 से अब तक):** भारत ने गोलन हाइट्स में यूएनडीओएफ के भाग के रूप में एक संभारिकी दल तैनात किया है। यह सैन्य दल इस मिशन को द्वितीय पंक्ति की संभारिकी सहायता प्रदान करने के लिए जिम्मेवार है। इस टुकड़ी ने बहुत से विदेशी दल जैसे जापान, क्रोएशिया, ऑस्ट्रिया और हाल ही में सितम्बर, 2014 में फिलिपीन्स बटालियन के हट जाने के बावजूद भी सराहनीय कार्य किया है।

मानवधिकार सुरक्षा रिकार्ड

3.56 भारत का रवैया ट्रूपों के आचरण और व्यवहार को लेकर काफी सख्त है और किसी भी तरह का यौन शोषण और दुराचरण बर्दाशत नहीं करता। भारत अधिक से अधिक महिला शांतिदूतों को शामिल करने के पक्ष में है और इस प्रक्रिया में डीपीकेओ को और अधिक सक्रिय होने के लिए प्रोत्साहित करता है। भारतीय सेना के अफसरों और जवानों को अपनी संस्कृति पर गर्व है और उनकी छवि बेजोड़ है। अपनी ड्यूटी के प्रति उनकी निष्ठा भारतीय सेना की उच्च परम्पराओं को बनाए रखने के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देने के लिए प्रेरित करती है। पिछले पांच दशकों में कई महत्वपूर्ण यूएन मिशनों की तरह भविष्य में जरूरत पड़ने पर भारतीय सेना का यूएन शांति स्थापना कार्रवाइयों में पूरी व्यावसायिक योजना के साथ हिस्सा लेने के लिए विश्वास किया जा सकता है।

3.57 यूएन मिशन में भाग लेने के लिए देश से बाहर जाने वाले सभी भारतीय सैनिकों को भारत के राष्ट्रपति की ओर से शपथ दिलाई जाती है। निष्पक्षता, न्याय संगतता और मानव अधिकारों का सम्मान उनके प्रशिक्षण का अभिन्न अंग होने चाहिए और उनकी मौजूदगी से हमेशा सुरक्षा का आभास होना चाहिए। शांति स्थापना कार्रवाइयों में मानव अधिकारों के क्षेत्र में भारत का सर्वोत्तम रिकार्ड रहा है। अब तक के सबसे बड़ी संख्या में ट्रूप भेजने वाले देशों में शुमार होने के बावजूद हमारा एचआर रिकार्ड निस्संदेह बिल्कुल सही है और अन्य देशों की तुलना में सर्वश्रेष्ठ है।

4

भारतीय नौसेना

भारतीय नौसेना पोत कोलकाता की कमीशनिंग

भारतीय नौसेना (भा नौ से) देश की सामुद्रिक संप्रभुता और असंख्य समुद्री क्रियाकलापों को संभव बनाने और उसकी गारंटी देने में प्रमुख भूमिका निभाती है।

4.1 भारतीय नौसेना (भा नौ से) देश की सामुद्रिक संप्रभुता और असंख्य समुद्री क्रियाकलापों को संभव बनाने और उसकी गारंटी देने में प्रमुख भूमिका निभाती है। भारतीय नौसेना द्वारा अपनी चार भूमिकाओं अर्थात् सैन्य, राजनयिक, रक्षीदल और हितैषी कार्यों के माध्यम से इस दायित्व का निर्वहन किया जाता है। नौसेना की सैन्य भूमिका का उद्देश्य ऐसे किसी हस्तक्षेप या कार्य का भय दिखाकर निवारण करना/रोकना है, जो हमारे राष्ट्रीय हितों के विरुद्ध हों, और लड़ाई होने की स्थिति में शत्रु को करारी मात देने की योग्यता रखना है। नौसेना का बल प्रयोग के लिए तैनात किया जाना भी, जैसा कि 'आपरेशन विजय' और 'आपरेशन पराक्रम' के दौरान प्रदर्शित किया गया था, भारतीय नौसेना के प्रमुख मिशन बने रहेंगे। नौसेना की रक्षी भूमिका का एक प्रमुख उद्देश्य तटवर्ती सुरक्षा और समुद्री–डकैती–रोधी उपायों का कार्यान्वयन सुनिश्चित करना है।

4.2 सामुद्रिक सैन्य रणनीति इस बात को मानकर चलती है कि 21वीं शताब्दी के दौरान भारतीय नौसेना का प्रमुख कार्य राष्ट्रीय विदेश नीति के समर्थन में भारत की समुद्री शक्ति का प्रयोग करना है। इसे हासिल करने के लिए भारतीय नौसेना को हमारे प्राथमिक और गौण हित क्षेत्रों में शक्ति को प्रदर्शित करने और अपनी उपस्थिति दर्शाने, समुद्री क्षमता के माध्यम से साझेदारी कायम करने और संयुक्त अभ्यासों और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सहायता के जरिए विश्वास पैदा करने और परस्पर संक्रियात्मकता कायम करने की आवश्यकता है। इस रणनीति के तहत हिंद महासागरीय क्षेत्र में शांतिपूर्ण वातावरण बनाए रखने और हमारे मित्र देशों की अपेक्षाओं पर खरा उतरने के कार्य में भारतीय नौसेना की भूमिका भी प्रदर्शित होती है।

4.3 भारत एक समुद्रवर्ती राष्ट्र है और हिन्द महासागर में मौजूद व्यस्त अंतर्राष्ट्रीय पोत परिवहन गलियारे इसके समुद्री क्षेत्र से होकर गुजरते हैं। हमारा मात्रात्मक दृष्टि से 90% से अधिक और मूल्य के हिसाब से 77% से अधिक व्यापार समुद्री मार्ग से होता है। विश्व भर में नए बाजार तलाश कर रही और तेजी से विकास कर रही अर्थव्यवस्था के लिए व्यापार संबंधी ये आंकड़े भविष्य में और उन्नति करेंगे। हिंद महासागरीय क्षेत्र में सुरक्षा–संबंधी चुनौतियों का भी खतरा बना हुआ है। इनमें प्राकृतिक, मानव–निर्मित आपदाएं, मादक पदार्थों, शस्त्र, मानव की समुद्र के रास्ते होने वाली तस्करी तथा समुद्री डकैती और आतंकवाद जैसी घटनाएं शामिल हैं। चूंकि ये चुनौतियां राष्ट्र और क्षेत्र की सीमाओं से परे तक जाती हैं, हमारे लिए यह आवश्यक हो जाता है कि हम इन मसलों का सामूहिक हल खोजें। भारतीय नौसेना इस कार्य को हमारे समुद्री साझेदारों के साथ 'रचनात्मक वचनबद्धता' की प्रक्रिया के माध्यम से करती है।

4.4 भारतीय नौसेना हिंद महासागर क्षेत्र में मौजूद मित्र राष्ट्रों की नौसेनाओं को क्षमतावान बनाने और उनकी क्षमता बढ़ाने संबंधी क्रियाकलापों को सक्रियता से आगे बढ़ाती रही है। इस दिशा में, भारत उन्हें हार्डवेयर और प्लेटफार्म उपलब्ध कराता रहा है जिसमें अनन्य आर्थिक क्षेत्र (ईईजेड) निगरानी के लिए पोत और विमान शामिल हैं। भारतीय नौसेना ने मित्र राष्ट्रों की समुद्री अवसंरचना के विकास में भी मुख्य भूमिका निभाई है। इसके प्रयासों से समुद्री क्षेत्र से जुड़े कर्मियों के ऑपरेशनल और तकनीकी कौशल का भी विकास हुआ है। क्षेत्र में मौजूद नौसेनाओं/समुद्री बलों को अतिरिक्त हिस्से–पुर्जे, एआईएस उपस्कर, शिप हैंडलिंग सिमुलेटर, गोला–बारूद,

संचार उपस्कर, तटीय निगरानी रडार, नौका आदि के रूप में सामग्री सहायता प्रदान कर इसने भारत की महत्ता को बढ़ाने और द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

4.5 समुद्री डकैतों के आक्रमण को रोकने और भारत एवं विदेशी राष्ट्रों के व्यापारिक पोतों को निरापद मार्ग रक्षा मुहैया कराने के उद्देश्य से अदन की खाड़ी में अक्तूबर, 2008 से एक अग्रणी बेड़ा पोत की तैनाती अनवरत रूप से रोटेशन आधार पर की गई है।

4.6 अपतटीय विकास क्षेत्र (ओडीए) समेत सभी अपतटीय परिसम्पत्तियों की सुरक्षा में इजाफा करने के लिए नए तत्काल सहायता जलयानों (आईएसवी) को शामिल कर तैनात किया गया है। अपतटीय विकास क्षेत्र (ओडीए) की सुरक्षा और संरक्षा के प्रयोजनार्थ अपतटीय विकास क्षेत्रों (ओडीए) पर नियमित अभ्यासों का आयोजन किया गया है, जो भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं।

विदेश में ऑपरेशन

4.7 **लापता हुए मलेशियाई विमान की खोज और बचाव अभियानः** 7/8 मार्च, 2014 की रात को क्वालालामपुर से बीजिंग जा रहा मलेशियाई एयरलाइंस के विमान एम एच 370 के लापता होने की सूचना मिली थी। भारतीय नौसेना ने खोज और बचाव अभियान (ऑपरेशन सहायता) 13–17 अप्रैल, 2014 तक चलाया और इस कार्य में आईएनएस कुंभीर, केसरी और सरयू को लगाया। इसी घटना के लिए आईएनएस सरयू, बंगारम और बट्टीमाल्व ने 19 से 26 अप्रैल, 2014 तक ऑपरेशन हेस्टैक को अंजाम दिया। खोज ऑपरेशनों के लिए भारतीय नौसेना के समुद्री निगरानी विमान पी–81 को भी तैनात किया गया था।

4.8 **ऑपरेशन कैपेलाः** जून के अंत से जुलाई 2014 तक फारस की खाड़ी में आईएनएस मैसूर की तैनाती की गई और इराक से कार्मिकों को बाहर निकालने के लिए इसे स्टैंड–बाई रखा गया।

4.9 **पूर्वी बेड़े से विदेश में तैनातीः** भारतीय नौसेना पोत 'शक्ति' 'रणविजय' और 'शिवालिक' जुलाई से अगस्त 2014 तक दक्षिण चीन सागर, जापान सागर और पश्चिमी प्रशान्त महासागर में तैनात किए गए। भारतीय नौसेना पोतों ने रूसी नौसेना के साथ 'इंद्र 14' और यूएस नौसेना के साथ 'मालाबार 2014' जैसे दो बड़े युद्ध अभ्यासों में भाग लिया।

4.10 **पश्चिमी बेड़े से विदेश में तैनातीः** भारतीय नौसेना के पोत दीपक, मुंबई, तलवार और तेग अक्टूबर से नवम्बर 2014 तक दक्षिण हिंद महासागर में तैनात किए गए और विदेश तैनाती के दौरान इन पोतों ने अन्तिसिरानाना, मोम्बासा, दारेसलाम, साइमंस टाउन, केप टाउन, पोर्ट लुइस, सेंट डेनिस, पोर्ट विक्टोरिया और नकाला का दौरा किया।

4.11 **प्रशिक्षण स्कवाड्रन की विदेश में तैनातीः** प्रथम प्रशिक्षण स्कवाड्रन के भारतीय नौसेना पोतों ने समुद्री कैडेट्स के प्रशिक्षण के रूप में अबू धाबी और मस्कट का दौरा किया।

मुख्य अभ्यास

4.12 **जल प्रहार 14:** अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 27 अक्तूबर से 7 नवम्बर, 2014 तक एक जलस्थलीय प्रशिक्षण अभ्यास (जल प्रहार 14) का आयोजन किया गया जिसमें तीनों सेनाओं ने भाग लिया।

4.13 **ट्रोपेक्स-14:** भारतीय नौसेना के वार्षिक थिएटर लेवल ऑपरेशनल रेडिनेस एक्सरसाइज (ट्रोपेक्स) का आयोजन जनवरी 2014 के अंत से फरवरी, 2014 तक किया गया। इस अभ्यास में नए शामिल किए गए पी 81 लॉग रेंज मैरिटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट और आईएनएस चक्र समेत कुल 55 पोतों, 60 वायुयानों और 3 पनडुब्बियों ने हिस्सा लिया। अभ्यास का संचालन 36 लाख वर्ग मील से अधिक इलाके में किया गया जिसमें यूनिटों की तैनाती उनके बेस से 3500 कि.मी. से अधिक दूरी तय की गई थी।

4.14 **डिफेंस ऑफ गुजरात एक्सरसाइज 14 (डीजीएक्स 14):** डिफेंस ऑफ गुजरात एक्सरसाइज का संचालन 18 नवम्बर 14 से 28 नवम्बर 2014 तक पश्चिमी समुद्रतट पर किया गया जिसमें भारतीय वायु सेना और भारतीय तटरक्षक की यूनिटों ने भाग लिया। इस अभ्यास का उद्देश्य युद्ध से कमतर परिदृश्य में तटीय क्षेत्रों और अपतटीय परिसम्पत्तियों की विद्यमान खतरों से सुरक्षा का अभ्यास करना और संपूर्ण युद्ध में परिवर्तित हो रही तटीय सुरक्षा स्थितियों की संभावना के संबंध में अभ्यास करना था।

विदेशी नौसेनाओं के साथ अभ्यास

4.15 **मालाबार-14 :** भारतीय नौसेना और संयुक्त राज्य की नौसेनाएं वर्ष 1992 से ही नियमित रूप से द्विपक्षीय अभ्यास 'मालाबार' में हिस्सा लेती रही हैं। मालाबार के 18वें संस्करण का आयोजन जुलाई 2014 में जापान के तट पर किया गया जिसमें जापान के मेरिटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स (जेएमएसडीएफ) ने भी हिस्सा लिया।

4.16 **सिम्बेक्स-14:** सिंगापुर इंडिया मेरीटाइम बाईलेट्रल एक्सरसाइज (सिम्बेक्स) हर वर्ष बंगाल की खाड़ी और दक्षिण चीन सागर में बारी–बारी से आयोजित किए जाते हैं। सिम्बेक्स 14 का आयोजन मई 14 में अंडमान सागर में सिंगापुर नेवी के साथ मिलकर किया गया।

4.17 **एक्सरसाइज 'कोमोडो':** भारतीय नौसेना ने 28 मार्च 14 से 3 अप्रैल 2014 तक इंडोनिशिया के बातम में आयोजित मल्टीलेट्रल ह्यूमेनिटैरियन असिसटेंस एंड डिजास्टर रिलीफ एक्सरसाइज 'कोमोडो' में भाग लिया। इस अभ्यास में सिविक मिशन फेज के दौरान लैंड एंड शिप मेडिकल इवैक्यूएशन एक्सरसाइज (मेडेवैक) और इंजीनियरिंग सिविक एक्शन प्रोग्राम (एनकैप) भी शामिल थे।

4.18 **रिमपैक-14:** रिमपैक विश्व का सबसे बड़ा बहुपक्षीय नेवल अभ्यास है। इस अभ्यास के 24वें संस्करण रिमपैक 2014 का आयोजन हवाई के तट पर 27 जून 2014 से 1 अगस्त 2014 तक किया गया। इस अभ्यास में भारतीय नौसेना का प्रतिनिधित्व आईएनएस सह्याद्रि और अभ्यास स्टाफ के रूप में दो सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने किया।

4.19 **इंद्र-14:** भारत रूस नेवल अभ्यास 'इंद्र' का आयोजन वर्ष 2003 से किया जा रहा है। इंद्र 14 का आयोजन जापान सागर में जुलाई 2014 में किया गया।

4.20 **इब्सामार-14:** भारतीय नौसेना द्विवार्षिक अभ्यास इंडिया ब्राजील साउथ अफ्रीका मेरिटाइम एक्सरसाइज (इब्सामार) में ब्राजील और दक्षिण की नेवी के साथ भाग लेती है। इस्सामार IV का आयोजन नवम्बर 2014 में साउथ अफ्रीका तट पर किया गया।

हिंद महासागर क्षेत्रीय तटवर्ती नौसेनाओं के साथ समन्वित गश्त

4.21 **मलेशियन नेवी के साथ भारतीय नौसेना की समन्वित गश्त (कॉर्पेट):** प्रथम भारतीय नौसेना–मलेशियन नेवी समन्वित गश्त मार्च 2013 में अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह तट पर आयोजित की गई। दूसरी समन्वित गश्त (कॉर्पेट) का आयोजन 13 फरवरी 14 से 20 फरवरी 14 तक मिलान–14 के साथ किया गया। इसका उद्घाटन समारोह यांगून में आयोजित किया गया।

4.22 **इंड-इंडो कोरपैट:** भारत और इंडोनेशिया के मध्य जनवरी, 2001 में हुए रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर होने के फलस्वरूप दोनों देशों की नौसेनाओं के परस्पर संबंधों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई और समय–समय पर समन्वित गश्त का रास्ता खुला। 'इंड–इंडो कोरपैट' के नाम से जानी जाने वाली इस समन्वित गश्त का आयोजन अंतर्राष्ट्रीय मैरिटाइम सीमा रेखा (आईएमबीएल) के साथ प्रत्येक वर्ष मार्च/अप्रैल और सितम्बर/अक्टूबर में किया जाता है। अभी तक कुल 24 समन्वित गश्तों (कोरपैट) का आयोजन किया गया है। वर्ष 2014 में कोरपैट का आयोजन अप्रैल और सितम्बर माह में किया गया।

4.23 **इंडो-थाई समन्वित गश्त (कोरपैट):** इंडो–थाई समन्वित गश्त (कोरपैट) का आयोजन वर्ष 2005 से नियमित रूप से किया जा रहा है। दो समन्वित गश्तों (कोरपैट) का आयोजन प्रत्येक वर्ष किया जाता है और अभी तक कुल 19 समन्वित गश्त (कोरपैट) की गई हैं। 18वीं समन्वित गश्त (कोरपैट) का आयोजन अप्रैल 2014 में और 19वें सत्र का आयोजन नवम्बर 2014 में किया गया।

समुद्री डकैती-रोधी नियोजन

4.24 भारतीय नौसेना पोतों ने अक्टूबर 2008 से अदन की खाड़ी में 47 तैनातियां की हैं। इन तैनातियों के दौरान, 31 दिसम्बर, 2014 तक 3033 व्यापारिक पोतों का सुरक्षित मार्गरक्षण किया गया है जिनमें 345 भारतीय ध्वज लगे जलपोत भी शामिल हैं, भारतीय नौसेना और भारतीय तटरक्षक द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशनों के फलस्वरूप अप्रैल 2012 से भारतीय अनन्य आर्थिक क्षेत्र (ईईजेड) में समुद्री डकैती की कोई घटनाएं नहीं घटी हैं। समुद्री डकैती जैसी स्थितियों से निपटने के लिए मेकेनिज्म को सरल और कारगर बनाने के लिए मानक प्रक्रियाओं का प्रतिपादन किया गया है जिन पर नियमित विचार–विमर्श और समीक्षा की जाती है।

4.25 नेवल प्रयासों के समन्वयन के लिए साझा जागरूकता और युद्ध विरोधी (शेड) मंच तथा सोमालिया तट से परे समुद्री डकैती संबंधी संपर्क समूह (सीजीपीसीएस) के जरिए भारतीय नौसेना समुद्री डकैती रोधी मंचों की सक्रिय सदस्य रही है और समुद्री क्षेत्र में हथियार और गोला–बारूद के प्रसार समेत, अन्य ज्वलंत मुद्दों पर बात–चीत के प्रयास करती रही है।

4.26 मालदीव, मॉरिशस और सेशेल्स की निगरानी के लिए मेजबान देशों के अनुरोध पर भारतीय नौसेना पोतों और वायुयानों की नियमित तैनाती की जा रही है।

तटीय सुरक्षा

4.27 नेशनल कमान कंट्रोल कम्यूनिकेशन इंटेलिजेंस (एन सी3आई) नेटवर्क 23 नवम्बर, 2014 को आपरेशनलाइज किया गया। भारतीय नौसेना और तटरक्षक के 51 नोड्स को समाकलित कर

नेशनल कमान कंट्रोल कम्यूनिकेशन इंटेलिजेंस का संचालन

प्रवर्तित इस एनसी3आई नेटवर्क की स्थापना कॉमन ऑपरेशनल पिक्चर (सीओपी) को विकसित करने के लिए की गई है। यह नेटवर्क स्थैतिक सेंसरों की श्रृंखला, नेशनल ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम (एनएआईएस) श्रृंखला के 74 स्टेशनों लांग रेंज आइडेंटिफिकेशन एंड ट्रैकिंग (एलआरआईटी) और अन्य स्रोतों से प्राप्त जानकारी को संकलित करेगा।

4.28 2014 में 16 फास्ट इन्टरसेप्टर क्राफ्ट सागर प्रहरी बल में शामिल किए गए। इनके प्रवेश से, जिन 95 एफआईसी को शामिल करने की योजना थी उनमें से 47 में भारतीय नौसेना शामिल हो गए हैं। शेष एफआईसी को 2017 तक चरणबद्ध तरीके से शामिल किए जाने की योजना है। अपतटीय सुरक्षा बढाने के उद्देश्य से भारतीय नौसेना में शामिल किए जा रहे 23 तत्काल सहायता जलयान (आईएसवी) में से 10 को 2014 में कमीशन किया गया। अन्य 10 आईएसवी को 2015 की शुरुआत में कमीशन किए जाने की योजना है।

4.29 तटीय सुरक्षा अभ्यासों से अंतर एजेंसी सहयोग सुधरा है तथा इससे समुद्री, तटीय और अपतटीय सुरक्षा सुदृढ़ हुई है। तटीय और अपतटीय सुरक्षा सहित सम्पूर्ण समुद्री सुरक्षा के लिए जिम्मेदार राष्ट्रीय प्राधिकारी होने के नाते मौजूदा व्यवस्थाओं को और मजबूत करने तथा इस प्रकार के अभ्यासों में और जटिलता लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। भारतीय नौसेना ने सभी हितधारियों को प्रशिक्षण में सहायता

देने के साथ–साथ समुद्री सुरक्षा को प्रभावित करने वाले अनेक विषयों पर जानकारी देकर उनके साथ सक्रिय रूप से जुड़ी है। इन विषयों में बायोमैट्रिक कार्ड पर ट्रायल, फिशिंग जलयानों पर नजर रखने वाली प्रणालियों का ट्रॉयल और विभिन्न एजेंसियों द्वारा नौकाओं की अधिप्राप्ति विषयक विशेषीकृत सूचनाएं शामिल हैं। मछुआरों और तटीय समुदायों की महत्ता को ध्यान में रखते हुए भारतीय नौसेना लगातार सामुदायिक संपर्क कार्यक्रमों के जरिए मछुआरों और तटीय समुदायों के साथ जुड़ी हुई है।

विदेशी सहयोग

4.30 **मिलन-2014:** एशिया–प्रशांत क्षेत्र की तटीय नौसेनाओं का द्विवार्षिक सम्मेलन पोर्टब्लेयर में 2 से 10 फरवरी तक आयोजित किया गया। मिलन–14 में अब तक की सबसे बड़ी भागीदारी दर्ज की गई। इसमें आस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, इण्डोनेशिया, केन्या, कम्बोडिया, मलेशिया, मालदीव, मारीशस, म्यांमार, न्यूजीलैंड, फिलीपीन्स,सेशेल्स सिंगापुर, तंजानिया, श्रीलंका और थाईलैंड समेत कुल 14 देशों ने भाग लिया। कार्यक्रम का आयोजन पूरे पेशेवर ढंग से किया गया तथा मेहमान नौसेनाओं ने इसकी खूब प्रशंसा की।

4.31 हाइड्रोग्राफी टीम की तैनाती भारत हाइड्रोग्राफी विभाग की स्थापना में मारीशस सरकार की सहायता कर रहा है। परिणामस्वरूप एक अफसर और दो नौसैनिकों को एक वर्ष के लिए मारीशस के लैंड एंड हाउसिंग मंत्रालय में प्रतिनियुक्त किया गया है।

4.32 **केन्या और तंजानिया में हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण:** भारतीय नौसेना के सर्वेक्षण पोत जमुना द्वारा 25 नवम्बर से 25 दिसम्बर 2013 तक मोम्बासा पत्तन का सर्वेक्षण किया गया तथा तंजानिया के साथ संयुक्त रूप से दारेसलेम बंदरगाह का संयुक्त संक्रियात्मक सर्वेक्षण 26 दिसम्बर, 2013 से 25 जनवरी 2014 तक किया गया। विशेष अनुरोध पर मांडा की खाड़ी और मोम्बासा से परे म्कोकोनी तट पर 15 सितम्बर से 15 अक्टूबर 14 तक तथा दार–ए–सलेम तट पर 15 अक्टूबर से 15 नवम्बर 2014 तक संयुक्त सर्वेक्षण किया गया।

एक नौसेना से दूसरी नौसेना के बीच परस्पर कार्यक्रम

4.33 **यूएन मिशन:** स्टॉफ अफसर मॉवकॉन सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन (यूएनएमआईएस) हेतु भारत सरकार द्वारा भरा जाने वाला एक स्थायी पद है। तीनों सेनाओं के बीच यह पद भारतीय नौसेना को आवंटित किया गया है तथा 30 जनवरी, 2006 से ही नौसेना अफसरों को यहां तैनात किया जा रहा है।

4.34 **आईओएनएस (हिन्द महासागरीय नौसेना संगोष्ठी) 2014:** नौसेना प्रमुखों की आईओएनएस संगोष्ठी और कन्क्लेव का आयोजन 25 से 28 मार्च 2014 तक पर्थ आस्ट्रेलिया में किया गया। चार्टर ऑफ बिजिनेस के मसौदे को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लागू किया गया। सभी स्थायी सदस्यों से अनुरोध किया गया कि वे सीओबी के बारे में तथा स्थायी सदस्य बनने की अपनी औपचारिक सहमति 12 महीने के भीतर दे दें। इसके अलावा, चीन और जापान द्वारा उन्हें प्रेक्षक बनाए जाने के संबंध में उनके आवेदनों को भी स्वीकार किया गया।

विदेशी राष्ट्रों को परिसम्पत्तियों का उपहार

4.35 **सेशेल्स को भानौपो तरासा सौंपना:** भारत सरकार की ओर से नौसेनाध्यक्ष ने 7 नवम्बर, 2014 को सेशेल्स को भानौपो तरासा उपहार में दिया।

4.36 **गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स (जीआरएसई) में मारीशस के लिए एमओपीवी 'बाराकुडा' का निर्माण:** 2 अगस्त, 2013 को जीआरएसई में मारीशस के प्रधानमंत्री कार्यालय में सीनियर चीफ एक्जीक्यूटिव श्रीमती केओ फांग वेंग पूरून द्वारा मॉरीशस के ओपीवी 'बाराकुडा' को लांच किया गया। भारत में आर्डर देकर निर्मित किये जाने वाला यह पहला विदेशी युद्धपोत है और इसकी डिलीवरी मॉरीशस को 20 दिसम्बर, 2014 को की गई। दो भारतीय नौसेना अफसरों को क्रमशः कमांडिंग अफसर और इंजीनियर अफसर के रूप में नियुक्त किया गया है।

4.37 **मालदीव को लैंडिंग क्राफ्ट की सुपुर्दगी:** विदेश मंत्री द्वारा फरवरी, 2014 में मालदीव की नौसेना के एक लैंडिंग क्राफ्ट ऑगजिलियरी (एलसीए) को दी गई।

कमीशनिंग और डि-कमीशनिंग

4.38 **भानौपो सुमेधा की कमीशनिंग:** गोवा शिपयार्ड लिमिटेड (जीएसएल), गोवा में निर्मित भानौपो समेधा को जो एक नौसैनिक अपतटीय निगरानी जलयान (एनओपीवी) है, 7 मार्च, 2014 को गोवा में कमीशन किया गया।

4.39 **भानौपो कोलकाता की कमीशनिंग:** भानौपो कोलकाता को जो कोलकाता श्रेणी का भानौपो का अग्रणी निदेशित मिसाइल विध्वसंक है, प्रधानमंत्री द्वारा 16 अगस्त, 2014 को भारतीय नौसेना में कमीशन किया गया। भारतीय नौसेना के इन–हाउस संगठन नौसेना अभिकल्प निदेशालय द्वारा डिजाइन किए गए तथा माझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड मुम्बई द्वारा निर्मित इस पोत में उन्नत हथियार और सेंसर लगे हैं। स्वावलंबन के जरिए समुद्री सुरक्षा हासिल करने के राष्ट्रीय विचार के अनुरूप कोलकाता श्रेणी के पोतों का स्वदेशीकरण दिल्ली श्रेणी के पोतों की तुलना में कहीं अधिक हुआ है।

4.40 **भानौपो कमोर्टा की कमीशनिंग:** कमोर्टा श्रेणी के गुप्त एएसडब्ल्यू कार्वेट के प्रथम पोत भानौपो कमोर्टा को माननीय रक्षा मंत्री द्वारा 23 अगस्त, 2014 को विशाखापट्टनम में कमीशन किया गया। भानौपो कमोर्टा देश में निर्मित पहला युद्धपोत है जिसमें 90% स्वदेशी घटक लगे हैं जिसमें स्टील अथारिटी ऑफ इंडिया द्वारा निर्मित स्पेशल ग्रेड उच्चतन्यता वाले स्टील का भी प्रयोग हुआ है। इसके अंदर लगे अधिकांश सेंसर और हथियार प्रणाली भी स्वदेश में निर्मित हैं।

4.41 **भानौपो सुमित्रा की कमीशनिंग:** जीएसएल गोवा में निर्मित नौसैनिक अपतटीय गश्ती जलयान (एनओपीवी), भानौपो सुमित्रा को नौसेनाध्यक्ष द्वारा 4 सितम्बर, 2014 को चौन्नई में कमीशन किया गया।

4.42 **84वें तत्काल सहायता जलयान (आईएसवी) स्क्वाड्रन की विशाखापत्तनम में कमीशनिंग:** पूर्वी तट पर अपतटीय विकास क्षेत्र (ओ डी ए) की गश्त के प्रयोजनार्थ 4 जून, 2014 को तीन आई एस वी विशाखापत्तनम में कमीशन किए गए।

4.43 **भा नौ पो तरासा की डि-कमीशनिंग:** भा नौ पो तरासा, जो एक तीव्र प्रहारक क्राफ्ट है, को 11 नवम्बर, 2014 को डि–कमीशन कर सेशेल्स सरकार को स्थानांतरित किया गया।

4.44 **भा नौ पो निर्देशक की डि-कमीशनिंग:** सर्वेक्षण पोत भा नौ पो निर्देशक को 19 दिसम्बर, 2014 को डि–कमीशन किया गया।

नौसेना विमानन का विकास

4.45 आधुनिकीकरण की दिशा में नेवल विमानन एक निर्णायक मोड़ पर खड़ा है। नेवल विमानन में महत्वपूर्ण वृद्धि के लिए आवश्यक है कि सापेक्ष आयोजना, संक्रिया, मानव संसाधन, प्रशिक्षण और फ्लाइट संरक्षा के विविध पहलुओं पर एक साथ ध्यान दिया जाए, इसके साथ–साथ हमारे मौजूदा और नियोजित नौसेना वायु स्टेशनों और नौसेना वायु एन्कलेवों में अवसंरचना की भी वृद्धि की जाए। भारतीय नौसेना को भविष्य की एक शक्तिशाली, पेशेवर रूप से दक्ष और संक्रियात्मक रूप से तैयार वायु सेना बनाने की दिशा में नौसेना ने अनेक प्रयास किए हैं। इसके लिए पी–81, ए जे टी और मिग–29 लड़ाकू वायुयानों जैसे अत्याधुनिक एयर क्राफ्ट को सेना में शामिल करने का कार्य प्रगति पर है।

4.46 **आई एन ए एस 551 का बेस स्थानांतरण (रिबेसिंग):** किरन एयर क्राफ्ट के साथ आई एन ए एस 551 का बेस भा नौ पो हंसा, गोवा में था। हॉक ए जे टी को शामिल करने के बाद 1 जनवरी, 2014 से आई एन ए एस 551 को भा नौ पो डेगा, विशाखापत्तनम बेस में पुर्नस्थापित किया गया। यह स्क्वाड्रन हॉक एयर क्राफ्ट का प्रचालन कर रही है तथा लड़ाकू पायलटों को भी प्रशिक्षण दे रही है।

4.47 **मिग 29 के लड़ाकू विमान:** मिग 29 के बहुउद्देशीय पोत आधारित एयरक्राफ्ट है जिसे दुश्मन के हवाई टारगेटों के साथ–साथ सतही पोतों और समुद्रतट पर विद्यमान चीजों को नष्ट करने के उद्देश्य से डिजाइन किया गया है। एक संक्रियात्मक

स्क्वाड्रन (आई एन ए एस 303) को मई 2013 में गोवा में कमीशन किया गया। 2015 की शुरूआत में एक प्रशिक्षण स्क्वाड्रन को कमीशन किए जाने की योजना है।

महत्वपूर्ण रोचक प्रसंग

4.48 **रक्षा मंत्री का दौराः** रक्षा मंत्री ने 7 जून, 2014 को भा नौ पो विराट का दौरा किया। उन्हें 50 सैनिकों का गार्ड ऑफ आर्नर दिया गया और उसके बाद उन्हें फ्लाइट डेक पर पश्चिम नौसेना कमान में चल रहे आपरेशनों के बारे में बताया गया। इस अवसर पर एडमिरल, नौसेनाध्यक्ष और वाइस एडमिरल, फ्लैग अफसर कमांडिंग–इन–चीफ (पश्चिम) भी पोत पर उपस्थित थे।

4.49 **समुद्र में प्रधानमंत्री का एक दिनः** भारत के प्रधानमंत्री समुद्र में 4 जून, 2014 को भा नौ पो विक्रमादित्य पर सवार हुए। गोवा के तट से उनके साथ गोवा के मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, संस्कृति और पर्यटन राज्य मंत्री (आई सी), नौसेना अध्यक्ष, फ्लैग अफसर कमांडिंग–इन–चीफ (पश्चिम), रक्षा सचिव और रक्षा मंत्रालय/भारत सरकार के अन्य अधिकारी उपस्थित थे। उन्होंने नाना प्रकार की नौसेना संक्रियाओं का जायजा लिया। उस दिन प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में पोत को देश की सेवा में समर्पित किया।

4.50 **भारत के उपराष्ट्रपति का दौराः** भारत के उपराष्ट्रपति ने 22 सितम्बर, 2014 को सपत्नीक भा नौ पो विक्रमादित्य का दौरा किया। उस दौरान पश्चिमी बेड़े के पोत कारवाड़ तट पर लंगरगाह पर थे। दौरे के दौरान, उपराष्ट्रपति ने कैरियर के एयर विंग की ताकत की एक झलक देखी।

4.51 **रक्षा विषय पर स्थायी समितिः** रक्षा विषय पर स्थायी समिति ने 31 अक्तूबर, 2014 को मुम्बई का दौरा किया और उन्हें कमान की संक्रियात्मक तत्परता और भूतपूर्व सैनिक तथा कैंटीन स्टोर विभाग से जुड़े मसलों से संक्षेप में अवगत कराया गया। ब्रीफिंग के पूरा होने पर उन्होंने भा नौ पो कोलकाता का भी दौरा किया।

4.52 **भारतीय नौसेना द्वारा युद्धपोत के स्वदेशी डिजाइन और निर्माण की स्वर्ण जयंती (1964-2014) का आयोजन :** नौसेना अभिकल्प निदेशालय (सतही पोत समूह) ने 25 सितम्बर, 2014 को भारतीय नौसेना द्वारा युद्धपोत के स्वदेशी डिजाइन और निर्माण के 50 वर्ष पूरे होने पर स्वर्ण जयंती समारोह का आयोजन किया। इस अवसर पर एक दिवसीय सेमीनार आयोजित किया गया जिसमें पूरे विश्व के पोत डिजाइन और निर्माण से जुड़े प्रसिद्ध वक्ताओं ने भाग लिया। पिछले पांच दशकों से स्वदेशी डिजाइन और युद्धपोत निर्माण के क्षेत्र में रत डिजाइन संगठन ने भारतीय नौसेना की अद्यतन तकनीकों को आत्मसात करते हुए अत्याधुनिक युद्धपोत के सामयिक उत्पादन संबंधी बढ़ती आकांक्षाओं को पूरा करने की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति की है।

4.53 **नागरिक उड़ानों के लिए भा नौ पो डेगा पर 24 घंटे आपरेशनः** गोवा और पोर्ट ब्लेयर के अतिरिक्त विशाखापत्तनम तीनों 'संयुक्त प्रयोक्ताओं के लिए निर्दिष्ट एयरोड्रोम' है, जिसका नियंत्रण भारतीय नौसेना द्वारा किया जाता है। निर्विध्न नागरिक उड़ान संक्रियाओं को सुगम बनाने के लिए भारतीय नौसेना 1 जनवरी, 2014 से सिविल और सैन्य एयरक्राफ्ट की 24 घंटे उड़ान संक्रियाओं को सुनिश्चित करने में पूरा सहयोग दे रही है। इसमें एयरफील्ड, संरक्षा सेवाएं, वायु यातायात, नियंत्रण और अन्य संबद्ध सुविधाओं की व्यवस्था का कार्य सम्मिलित है।

5

भारतीय वायु सेना

मानवीय सहायता और आपदा राहत ऑपरेशन के दौरान भारतीय वायु सेना का एमआई–17 वी5 हेलिकॉप्टर

भा वा से का सिद्धांत इस दृष्टिकोण को इस प्रकार स्पष्ट करता है हर प्रकार के युद्ध के लिए ऐसी सामरिक पहुंच तथा क्षमता हासिल करना जिससे सैन्य कूटनीति और राष्ट्र निर्माण के उद्देश्यों की पूर्ति हो सके तथा भारत के सामरिक प्रभाव क्षेत्र के भीतर उसकी सैन्य ताकत का पता चल सके।

5.1 8 अक्तूबर 2014 को भारतीय वायु सेना (भा वा से) ने देश के प्रति अपनी गौरवशाली सेवा की 82वीं वर्षगांठ मनाई। देश के प्रति सेवा में इसने बेहतरीन व्यावसायिकता कर्त्तव्यपरायणता और दूरदर्शिता का परिचय दिया। भा वा से का सिद्धांत इस दृष्टिकोण को इस प्रकार स्पष्ट करता है ''हर प्रकार के युद्ध के लिए ऐसी सामरिक पहुंच तथा क्षमता हासिल करना जिससे सैन्य कूटनीति और राष्ट्र निर्माण के उद्देश्यों की पूर्ति हो सके तथा भारत के सामरिक प्रभाव क्षेत्र के भीतर उसकी सैन्य ताकत का पता चल सके।''

5.2 एक एयरोस्पेस पावर बनने की अपनी यात्रा में भा वा से ने कई मुकाम हासिल किए और अपनी युद्ध क्षमताओं में भारी इज़ाफा किया है। इसके वर्तमान बेड़े में अतिरिक्त एस यू–30 एम के आई वायुयान शामिल किए जा रहे हैं, एक तरफ सी–17 ग्लोबमास्टर 3 वायुयान ने जहां एयरलिफ्ट को सामरिक आयाम प्रदान किया है वहीं सी–130 जे 30 वायुयान ने मीडियम एयरलिफ्ट और विशिष्ट ऑपरेशन भूमिका में संवर्द्धन किया है। एम आई–17 वी 5 हेलीकॉप्टर के जरिए मीडियम लिफ्ट हेलिकॉप्टरों ने आधुनिकीकरण के काम को आगे बढ़ाया। भारतीय वायु क्षेत्र के बेहतर कवरेज के लिए हवाई रक्षा रेडार लगाए गए हैं और आकाश मिसाइल प्रणाली को ऑपरेशनल किए जाने से एयर मिसाइल क्षमता में बढ़ोत्तरी होती जा रही है।

5.3 इस विस्तार यात्रा के साथ–साथ आवश्यकता है एक ऐसी आधारभूत संरचना की जो आधुनिक प्रणालियों की आवश्यकताओं को पूरा कर सके जिसमें प्रायः अतिविशिष्ट स्थितियों में ऑपरेशन, अनुरक्षण और भंडारण की जरूरत पड़ती है। वर्ष 2014–15 के दौरान भा वा से ने अपनी ताकत को एकजुट किया और अपनी बढ़ी हुई परिसम्पतियों के लिए उपयुक्त वातावरण तैयार करने पर बल दिया। इसमें प्रशिक्षण कार्यक्रमों पर विशेष ध्यान दिया गया। इसमें प्रशिक्षण कार्यक्रमों के जरिए ऐसे वायुयोद्धाओं–अफसरों तथा वायुकर्मियों को तैयार किया गया जो इन प्रणालियों को समझकर इनका भरपूर इस्तेमाल कर सकें। भा वा से के विकास पथ पर कायाकल्प कर देने वाली इन चुनौतियों का डट कर मुकाबला किया जा रहा है।

5.4 मानवीय सहायता तथा आपदा राहत (एच ए डी आर) भा वा से के प्रमुख कार्यों में से एक है और जब भी भा वा से को ऐसे कामों के लिए बुलाया गया उसने चुनौतियों को सहर्ष स्वीकार किया। इस वर्ष कश्मीर घाटी में बाढ़ की विभिषिका में भा वा से ने ऑपरेशन मेघ राहत चलाया। इस मिशन में लगभग 70 भा वा से वायुयानों को काम पर लगाया गया था। भारतीय सेना, राष्ट्रीय आपदा राहत बल तथा सिविल एजेंसियों के साथ कार्य करते हुए 96000 से भी अधिक जानें बचाई और 3500 टन से अधिक राहत सामग्री को एयरलिफ्ट कर पहुंचाया गया। उड़ीसा में हुदहुद चक्रवात के दौरान भा वा से का प्रयास इसका एक और शानदार उदाहरण है। इसके अतिरिक्त 2014 के आम चुनाव के दौरान हवाई सहायता, खोज एवं बचाव ऑपरेशन, ऑपरेशन त्रिवेणी के दौरान वायु अनुरक्षण मिशन तथा भारतीय सेना के लिए सतत वायु अनुरक्षण इस वर्ष की उल्लेखनीय उपलब्धियां हैं।

5.5 एक गौरवशाली राष्ट्र की वायु सेना के रूप में स्वयं को समर्पित करते हुए भा वा से ने एक बार फिर इस विश्वास को मजबूत किया है कि वह भारत की जनता की सेवा में अपने असाधारण पेशेवर कौशल का प्रदर्शन करती रहेगी।

ऑपरेशन

प्रमुख अर्जन एवं उन्नयन

5.6 **एस यू-30 एम के आई:** हिन्दुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड (एच ए एल) के साथ की गई संविदा के

अनुसार इस वर्ष अतिरिक्त एस यू–30 एम के आई वायुयानों की आपूर्ति जारी रही और इसे वर्ष 2016–17 तक पूरा करने की योजना है। एस यू–30 एम के आई पर ब्रहोस मिसाइल को लगाने के लिए संशोधन कार्य पूरा हो चुका है। इसी दौरान देश में ही विकसित एस्ट्रा 'बियांड विजुअल रेंज' हवा–से हवा–में प्रहार करने वाली मिसाइल का एस यू–30 एम के आई वायुयान से सफलतापूर्वक टेस्ट फायर किया गया।

एस यू 30 एम के आई द्वारा एस्ट्रा फायरिंग

5.7 **मिराज 2000 का उन्नयन :** मिराज 2000 वायुयान की उन्नयन परियोजना का कार्य प्रगति पर है। कोटि उन्नयन के बाद इस वायुयान के पास बहु हवाई लक्ष्य भेदन और हवा–से–जमीन पर मारक बढ़ी हुई क्षमता के साथ नया रेडार होगा।

मिराज 2000 अपग्रेड वायुयान

5.8 **मिग-29 का उन्नयन :** अंतिम चरण का उड़ान परीक्षण पूरा करने के बाद मिग–29 बेड़े की कोटि उन्नयन श्रृंखला का कार्य भा वा से के एक बेस मरम्मत डिपो में आरंभ हो चुका है।

मिग–29 उन्नत विमान

5.9 **जगुआर डारिन-III कोटि उन्नयनः** जगुआर वायुयान ने अपनी बढ़ी III नौचालन एवं शस्त्र आपूर्ति क्षमताओं के साथ उड़ान भरी। इससे इंजन के कोटि उन्नयन के साथ साथ इस वायुयान की ऑपरेशनल क्षमता में बढ़ोत्तरी होगी।

5.10 **तेजस लाइट कॉम्बैट वायुयानः** एच ए एल द्वारा लाइट काम्बैट वायुयान श्रृंखला के उत्पादन से वर्ष 2015 में इसे संक्रियात्मक रूप से शामिल करने की उम्मीद है।

5.11 **हेलिकॉप्टरः** भा वा से में एम आई–17 वी–5 शामिल किए जाने से इसकी रोटरी विंग क्षमताओं में पहले ही जबरदस्त बढ़ोत्तरी हुई है। यह बेहतर वैमानिकी, हथियार प्रणाली, संशोधन निष्पादन क्षमता से लैस है। वर्तमान एम आई–17 तथा एम आई–17 1 वी हेलीकॉप्टरों का कोटि उन्नयन करने का भी प्रस्ताव है। एडवांसड लाइट हेलीकॉप्टर (ए एल एच) के मार्क 3 वेरिएंट को शामिल किए जाने का कार्य पहले से ही प्रारंभ किया जा चुका है।

एम आई–17 वी–5 हेलिकॉप्टर

मुख्य उपलब्धियां (माइलस्टोन)

5.12 **सी-17 ग्लोबमास्टर-III :** जून 2011 में संयुक्त राज्य सरकार के साथ सी–17 एयरक्राफ्ट की आपूर्ति के संबंध में एक अनुबंध किया गया। सी–17 एयरक्राफ्ट एक भारी मिलिट्री कार्गो एयरक्राफ्ट है जो गरमी में भी ऊंचाई वाले हवाई क्षेत्रों से उड़ान भरने में सक्षम है और इन–फ्लाइट रिफ्यूलिंग क्षमता के साथ कॉम्बेट यूनिटों को हजारों किलोमीटर ले जा सकता है जिससे विदेश और भारत में रिडिपलॉयमेट के समय

को कम किया जा सकता है। इसके शामिल होने से भा वा से ने महत्वपूर्ण सामरिक ऊंचाइयों को छुआ है। अभी हाल ही में कश्मीर में आई बाढ़ एवं आंध्रप्रदेश और उड़ीसा के तटीय क्षेत्रों में 'हुदहुद' साइक्लोन द्व ारा हुए विध्वंस के दौरान सी–17 एयरक्राफ्ट को राहत कार्यों में लगाया गया था जिससे सिविलियन लोगों को तुरंत प्रभावी सहायता दी जा सकी। क्रमबद्ध तरीके से फ्लाइट का परिचालन किया गया। नियमित एयर ट्रांसपोर्ट कार्यों के अलावा उक्त फ्लीट का विदेशी मिशनों के लिए क्रिटिकल लोड ले जाने के लिए भी प्रयोग किया गया।

सी–17 ग्लोबमास्टर–III

5.13 **पिलाटस पी सी-7 एम के-II बेसिक ट्रेनर वायुयान :** भारतीय वायु सेना ने मैसर्स पीलाटस, स्विट्जरलैंड से पी सी–7 एम के–II बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट (बी टी ए) को शामिल किया है। फरवरी 2013 में बी टी ए की प्रथम सुपुर्दगी से इस अतिविश्वसनीय बेड़े (फ्लीट) ने 22000 उड़ान घण्टों से अधिक की उड़ान भरी है। सभी संविदागत विमानों की सुपुर्दगी अगस्त 2015 तक पूरी कर लिए जाने का अनुमान है।

5.14 **अतिरिक्त सी-130 जे 30 :** प्रथम सी–130 जे 30 स्क्वॉड्रन को पूरी तरह से ऑपरेशनल बना दिया गया है। अधिक वायुयानों के प्रापण की योजना है जिससे विशेष ऑपरेशनों और भारतीय वायु सेना की एयर मोबिलिटी क्षमता में वृद्धि होगी। एच ए डी आर प्रतिक्रिया (रेसपांस) परिस्थितियों में, प्लेटफार्म भी अत्यधिक वर्सेटाइल है।

5.15 **स्वदेशी प्रापणः** हाल ही में सैन्य हार्डवेयर का स्वदेशी विकास और प्रापण को बढ़ावा देने के लिए एक अच्छा निर्णय लिया गया है। दोनों हल्के समाघाती हेलिकॉप्टर (एल सी एच) और हल्के उपयोगी हेलिकॉप्टर (एल एच यू) पूर्णतः डिजाइन और निर्माण की एडवांस स्टेज में हैं। इन हेलिकॉप्टरों को वर्ष 2020 तक शामिल किए जाने की योजना है।

हवाई रक्षा नेटवर्क

5.16 **आकाश मिसाइल प्रणाली :** आकाश हवाई रक्षा हथियार प्रणाली हर मौसम के लिए एक ऐसी हवाई रक्षा हथियार प्रणाली है जो निम्न, मध्यम और अधिक उंचाइयों से घुसने वाले टारगेटों से महत्वपूर्ण परिसंपत्तियों की रक्षा करती है। आकाश स्क्वाड्रन के लिए मैसर्स भारत इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड (बी ई एल), बैंग्लौर के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए। कुछ स्क्वॉड्रनों को ऑपरेशनल बना दिया गया है और कुछ अन्य के लिए उपस्करों की डिलिवरी कर दी गई है।

5.17 **स्पाइडर मिसाइल प्रणाली :** कम ऊंचाइयों से हवाई खतरों के विरूद्ध त्वरित प्रतिक्रिया मुहैया कराने और उच्च मूल्य वाली परिसम्पत्तियों (एच वी ए) की रक्षा करने के लिए भारतीय वायु सेना स्पाइडर मिसाइल प्रणाली का प्रापण मैसर्स राफेल, इजरायल से कर रही है।

5.18 **नियंत्रण और रिपोर्टिंग :** अपनी निगरानी क्षमताओं को बढ़ाने के उद्देश्य से, भारतीय वायु सेना अपने रेडार नेटवर्क को आधुनिक बना रही है।

इस कार्य के लिए ऐसी रेडार जो नई फ्रंटलाइन तकनीक से लैस हैं, को शामिल किया जा रहा है और ऑपरेशनल बनाया जा रहा है। इनमें रोहिणी रेडार, मध्यम शक्तियुक्त रेडार और लो लेवल कवरेज में वृद्धि करने वाली रेडार शामिल हैं।

5.19 **वायुसेनिक्स 3.0 का विमोचन :** भारतीय वायु सेना के इंटरनेट से जुड़े कम्प्यूटरों को लगातार साइबर हमलों से बचाने के लिए भारतीय वायु सेना परम्परागत ऑपरेटिंग सिस्टम जिसे वायुसेनिक्स कहा जाता है, का इस्तेमाल करती है। नए अद्यतन, रूपांतरित वायुसेनिक्स वरजन 3.0 की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं :–

(क) प्रयोक्ता विंडों को आसानी से देख सकता है और समझ सकता है।

(ख) सभी यूजर अपने डेस्कटॉप को अपनी आवश्यकतानुसार अनुकूल करने में समर्थ हैं।

(ग) ब्राशर इस प्रकार तैयार किया गया है कि वह हानिकारक और अनुपयुक्त वेबसाइटों को ब्लॉक कर सके।

5.20 **ऑपरेशनों के लिए बेहतर संचारः** आधुनिकीकरण की अपनी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, भा वा से ने आई पी आधारित नेटवर्क जिसे एफनेट कहते हैं के साथ वायस और डाटा सिस्टम अभिसरण के साथ–साथ महत्वपूर्ण संचार हेतु नेट–केंद्रिक युद्ध पद्धति (एन सी डब्ल्यु) में एक अच्छी प्रगति की है। एफनेट, अच्छे संचारण के लिए सेटेलाइट संचार फालबैक सहित ओ एफ सी पर आधारित है।

5.21 पिछले चार दशकों से, ट्रोपो संचार नेटवर्क भा वा से के हवाई संचार नेटवर्क का प्रमुख आधार रहा है। ए डी सी पर हवाई स्थिति पिक्चर (ए एस पी) को अद्यतन करने के लिए इस नेटवर्क ने एयर डिफेंस डाइरेक्शन सेंटरों (ए डी डी सी) के बीच पाइंट से पाइंट टेलिफोन लाइनों के साथ, ग्राउंड कंट्रोल इंटरसेक्शन (जी सी आई) रेडारों और हवाई बेसों के साथ–साथ तत्कालिक वायस प्रतिकृति और डाटा संचार सुविधाएं मुहैया करायी है।

5.22 एफनेट का विस्तार करने के लिए मौजूद ट्रोपो कम्यूनिकेशन नेटवर्क का उन्नयन (अपग्रेडेशन) किया गया है। उन्नयित ट्रोपो कम्युनिकेशन प्रणाली, भारतीय वायु सेना को एक शीर्ष, विश्वसनीय और आई पी आधारित सुरक्षित टेली–कम्युनिकेशन नेटवर्क प्रदान करेगी जो अनुमान है कि आधुनिक वायु रक्षा कम्युनिकेशन के लिए इस नेटवर्क की उपलब्धता 99.9 प्रतिशत रहेगी।

विदेशी वायु सेनाओं के साथ अभ्यास

5.23 **अभ्यास गरूड़-V :** पांचवां इंडो–फ्रेंच अभ्यास गरूड़–टए 02 जून 2014 से 13 जून 2014 तक वायु सेना स्टेशन जोधपुर और आगरा में सफलतापूर्वक संचालित किया गया। फ्रैंच वायु सेना (एफ ए एफ) ने इसमें अपने चार बहुआयामी युद्धक फाइटरों के साथ हिस्सा लिया। इसमें एक केसी'135 फ्लाइट रिफ्यूलिंग वायुयान और एफ ए एफ के 94 कार्मिकों का एक सैन्य दल भी शामिल था। इस अभ्यास से दोनों सेनाओं को एक दूसरे की संक्रियात्मक गतिविधियों को समझने का एक उत्कृष्ट अवसर मिला।

5.24 **भारत-रूस अभ्यासः** प्रथम भारत–रूस अभ्यास ए वी आई ए इंद्रा–14 दो चरणों में संचालित किया गया। अभ्यास का विषय भारत–रूस दोनों के द्वारा मिलकर फाइटर हेलीकॉप्टर और वायु रक्षा क्रू द्व ारा युद्ध संबंधी क्रियाकलापों की तैयारी और संचालन करना था। अभ्यास का प्रथम चरण रूस में 25 अगस्त 2014 से 05 सितंबर 2015 तक सफलतापूर्वक संचालित किया गया जिसमें भा वा से के 20 सदस्यों ने हिस्सा लिया। अभ्यास का दूसरा चरण वायु सेना स्टेशन हलवारा में 17 नवंबर 2014 से 28 नवंबर 2014 तक संचालित किया गया। रूसी एयरफोर्स फेडरेशन के 18 कार्मिकों ने इस अभ्यास में हिस्सा लिया। उड़ान अभ्यास भा वा से एस यू–30 एम के आई लड़ाकू वायुयान साथ ही साथ एम आई–35 और एम आई–17 पर किए गए।

फॉर्मेशन में अभ्यास बी एम टी–14 के दौरान भा वा से और आर एस ए ए वायुयान

5.25 **भारत-सिंगापुर अभ्यास जे एम टी-14:** इंडिया–सिंगापुर का एक संयुक्त उड़ान अभ्यास जे एम टी–14 वायु सेना स्टेशन कलाइकुंडा में 13 अक्तूबर 2014 से 20 नवंबर 2014 तक संचालित किया गया। इस अभ्यास में रिपब्लिक ऑफ सिंगापुर एयर फोर्स (आई एस ए एफ) के छः एफ–16 वायुयानों और 108 कार्मिकों ने हिस्सा लिया।

5.26 **अन्य अभ्यासः** 'इंडो–श्रीलंका विशिष्ट सैन्य बल अभ्यास' 'मित्र शक्ति–II और इंडो–चाइना संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास 'हैंड इन हैंड 2014' क्रमशः अक्तूबर 2014 और नवंबर 2014 में संचालित किए गए।

5.27 **वांतरिक्ष संरक्षाः** गुणवत्ता लेखा परीक्षा ग्रुप का गठन : वायुयान घटनाओं/दुर्घटनाओं की संख्या को कम करने के लिए सरकार ने 2005 में वायुयान दुर्घटनाओं को रोकने हेतु एक विशेषज्ञ समिति (ई एक्स सी ओ एम) का गठन किया। इस समिति ने एच ए एल डिविजनों और भा वा से की संक्रियात्मक यूनिटों की संयुक्त गुणवत्ता लेखा परीक्षा की आवश्यकता बताई जिसमें एच ए एल और भाा वा से दोनों के सदस्य शामिल हों ताकि समस्याओं का पारदर्शिता के साथ और आपसी मदद से समाधान किया जा सके। इसलिए एच ए एल की विनिर्माण डिविजनों और भा वा से की संक्रियात्मक यूनिटों की दो वर्ष में एक बार संयुक्त गुणवत्ता लेखा परीक्षा शुरू की गई। जे क्यू ए टीम, एच ए एल विनिर्माण डिविजनों साथ ही साथ भा वा से की संक्रियात्मक यूनिटों में उनके उत्पादन और अनुरक्षण कार्यों, प्रलेखनों तथा गुणवत्ता विश्वसनियता की बारीकी से जांच करेगी और उनकी क्षमता, विश्वसनीयता और संरक्षा को बेहतर करने के लिए सुझाव देगी।

5.28 **उत्तर-पूर्व में आधारभूत ढांचे को विकसित करनाः** पूर्व वायु कमान के एरिया ऑफ रिसपांसब्लिटी (ए ओ आर) में आधारभूत ढांचे को विकसित करने के लिए प्रधानमंत्री द्वारा 2008 में घोषणा की गई। अतः विकास के कार्यों की देखरेख के लिए एक उच्चाधिकार समिति गठित की गई और अरूणाचल प्रदेश में ए एल जी के विकास सहित विभिन्न आधारभूत ढांचों के विकास कार्यों के विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्टों पर सहमति दी गई। ए एल जी और पूर्व वायु कमान ए ओ आर में कुछ अन्य वायु सेना स्टेशनों में निर्माण कार्य चल रहा है। इससे भारतीय वायु सेना की संक्रियात्मक क्षमता में बढ़ोत्तरी होगी और अरूणाचल प्रदेश राज्य में नागरिक उड्डयन और पर्यटन को निश्चित रूप से बढ़ावा मिलेगा।

6

भारतीय तटरक्षक

भारतीय तटरक्षक का झंडा ऊंचाई पर लहराता हुआ;
बहुआयामी और समन्वित संक्रिया

भारतीय तटरक्षक को तटीय पुलिस द्वारा गश्त किए जाने वाले समुद्री क्षेत्र सहित भू–भागीय समुद्र में तटीय सुरक्षा के लिए जिम्मेदार प्राधिकरण के रूप में अतिरिक्त रूप से नामोद्दिष्ट किया गया है।

6.1 राजनीतिक मामलों संबंधी मंत्रिमंडल समिति द्वारा एक अंतरिम तटरक्षक संगठन स्थापित किए जाने के लिए अनुमोदन देने पर भारतीय तटरक्षक 1 फरवरी, 1977 को अस्तित्व में आया। तटरक्षक अधिनियम, 1978 के विधान के साथ ही इस सेवा की एक स्वतंत्र संगठन के रूप में 19 अगस्त, 1978 को औपचारिक रूप से स्थापना हुई। भारतीय नौसेना से प्राप्त दो फ्रिगेटों और सीमा शुल्क विभाग से प्राप्त पाँच गश्ती नौकाओं के साथ तटरक्षक ने 1978 में अपना सफर शुरू किया। अपनी स्थापना के समय से, इस सेवा ने शांति काल के दौरान उसे सौंपे गए कार्यों को पूरा करने तथा युद्ध के दौरान भारतीय नौसेना के प्रयासों की अनुपूर्ति करने के लिए सतह और वायुवाहित दोनों ही प्रकार की व्यापक क्षमताएं हासिल की हैं।

6.2 **संगठनः** तटरक्षक की कमान और नियंत्रण नई दिल्ली स्थित महानिदेशक, भारतीय तटरक्षक के द्वारा की जाती है। इस संगठन के गांधीनगर, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता और पोर्ट ब्लेयर स्थित 5 क्षेत्रीय मुख्यालय हैं। ये क्षेत्रीय मुख्यालय भारत के तटवर्ती राज्यों में स्थित 14 तटरक्षक जिला मुख्यालयों के माध्यम से भारत की संपूर्ण तटरेखा से लगे समुद्र में कमान और नियंत्रण संभालते हैं। इसके अलावा, खोज एवं बचाव कार्य तथा समुद्री निगरानी के लिए पोतों व विमानों की प्रभावी रूप से तैनाती करने हेतु विभिन्न सामरिक स्थानों पर 42 स्टेशन, 2 वायु स्टेशन, 6 एयर एंक्लेव और 1 स्वतंत्र वायु स्क्वाड्रन स्थापित किए गए हैं।

6.3 **कार्य तथा प्रकार्यः** तटरक्षक को निम्नलिखित कार्य सौंपे गए हैः–

(क) समुद्री क्षेत्रों में कृत्रिम द्वीपों, अपतटीय टर्मिनलों, संस्थापनाओं तथा अन्य संरचनाओं और साधनों की सुरक्षा तथा संरक्षा सुनिश्चित करना।

(ख) समुद्र में संकट के दौरान मछुआरों की सहायता करने सहित उनको संरक्षण प्रदान करना।

(ग) ऐसे उपाय करना जो समुद्री पर्यावरण की संरक्षा एवं सुरक्षा तथा समुद्री प्रदूषण के निवारण और नियंत्रण के लिए आवश्यक हों।

(घ) तस्करी–रोधी अभियानों में सीमा–शुल्क तथा अन्य प्राधिकरणों की सहायता करना।

(च) समुद्री क्षेत्रों में उस समय लागू अधिनियमों के उपबंधों को प्रवर्तित करना।

(छ) समुद्र में जान और माल की सुरक्षा करने के लिए उपायों सहित अन्य मामलों पर कार्रवाई करना तथा यथानिर्दिष्ट वैज्ञानिक आंकड़ों का संग्रहण करना।

6.4 भारतीय तटरक्षक की स्थापना के समय से इसे अतिरिक्त कार्य भी सौंपे गए हैं, जो इस प्रकार हैः–

(क) राष्ट्रीय समुद्री खोज एवं बचाव समन्वय प्राधिकरण।

(ख) राष्ट्रीय तेल बिखराव की घटनाओं हेतु समन्वय प्राधिकरण।

(ग) अपतटीय तेल क्षेत्रों में सुरक्षा के लिए समन्वय।

(घ) एशिया में क्षेत्रीय सहयोग समझौते के तहत समुद्री डकैती रोधी कार्रवाइयों में समन्वय के लिए भारत में केंद्र बिंदु।

(ङ) समुद्री सीमाओं के लिए अग्रणी आसूचना एजेंसी।

तटीय सुरक्षा

6.5 भारतीय तटरक्षक को तटीय पुलिस द्वारा गश्त किए जाने वाले समुद्री क्षेत्र सहित भू–भागीय समुद्र में तटीय सुरक्षा के लिए जिम्मेदार प्राधिकरण के रूप में अतिरिक्त रूप से नामोद्दिष्ट किया गया है। महानिदेशक, भारतीय तटरक्षक को कमांडर, तटीय कमान के रूप में भी नामोद्दिष्ट किया गया है और वे तटीय सुरक्षा से संबंधित सभी मामलों में केंद्रीय तथा राज्य एजेंसियों के बीच समग्र समन्वय के लिए उत्तरदायी हैं।

6.6 **तटीय सुरक्षा अभ्यासः** भारतीय तटरक्षक, नौसेना के साथ समन्वय से, संपूर्ण तटीय रेखा की गश्त तथा निगरानी कर रहा है। वर्ष 2009 से, समन्वित गश्त की प्रभावकारिता सुनिश्चित करने तथा मानक प्रचालन क्रियाविधि को विधिमान्य करने के लिए कुल 108 तटीय सुरक्षा अभ्यास आयोजित किए गए हैं।

6.7 **तटीय सुरक्षा अभियानः** अनन्य आर्थिक क्षेत्र में गश्त करने के अलावा तटीय सुरक्षा हेतु तटरक्षक पोतों तथा वायुयानों की तैनाती में वृद्धि की गई है। वर्ष 2009 से, सभी हितधारकों के साथ समन्वय से, कुल 150 तटीय सुरक्षा अभियान आयोजित किए गए।

6.8 **समुदाय संपर्क कार्यक्रमः** भारतीय तटरक्षक, समुदाय संपर्क कार्यक्रम के माध्यम से मछुवारा समुदायों के साथ नियमित रूप से संपर्क करता है। मछुवारों को सुरक्षा एवं संरक्षण के मुद्दों पर सचेत करने के लिए तथा संकट चेतावनी ट्रांसमीटर, रक्षा बोया और जीवन–रक्षी जैकेटों आदि जैसे जीवन–रक्षक उपकरणों के उपयोग के बारे में जानकारी देने के लिए, वर्ष 2009 से अब तक कुल 3179 समुदाय संपर्क कार्यक्रम आयोजित किए गए।

महत्वपूर्ण लक्ष्य और उपलब्धियां

6.9 **पुदुचेरी में तटरक्षक जिला मुख्यालय नं.-13 की स्थापनाः** 15 मई, 2014 को पुदुचेरी में तटरक्षक जिला मुख्यालय नं.–13 की स्थापना की गयी।

6.10 **तटरक्षक स्टेशनों की कमीशनिंगः** फ्रेजरगंज (पश्चिम बंगाल) और निजामपटनम (आंध्र प्रदेश) में भारतीय तटरक्षक के दो स्टेशनों की क्रमशः 14 अप्रैल, 2014 और 25 नवंबर, 2014 को कमीशनिंग की गयी।

6.11 **तीव्रगामी गश्ती पोतों (एफपीवी) की कमीशनिंगः** भारतीय तटरक्षक पोत अभिराज, भारतीय तटरक्षक पोत अचूक, भारतीय तटरक्षक पोत अग्रिम, भारतीय तटरक्षक पोत अमल और भारतीय तटरक्षक पोत अमर्त्य नामक पांच तीव्रगामी गश्ती पोतों को क्रमशः 2 सितंबर, 2014, 7 जून, 2014, 7 जून, 2014, 5 नवंबर, 2014 और 5 नवंबर, 2014 को कमीशन किया गया।

6.12 **तीव्रगामी गश्ती पोत (एफपीवी) का समावेशनः** भारतीय तटरक्षक पोत अमेया नामक एक तीव्रगामी गश्ती पोत को 20 नवंबर 2014 को सेवा में शामिल किया गया तथा इसे शीघ्र ही कमीशन किया जाएगा।

6.13 **वायु उपधान वाहनों(एसीवी) की कमीशनिंगः** एच–195, एच–196, एच–197 और एच–198 नामक चार वायु उपधान वाहनों को क्रमशः 13 मई, 2014, 10 नवंबर, 2014, 11 अक्तूबर, 2014 और 10 नवंबर, 2014 को कमीशन किया गया।

6.14 **अंतर्रोधी नौकाओं(आईबी) की कमीशनिंगः** सी–427, सी–408, सी–407, सी–409, सी–410, सी–428, सी–429, सी–411 तथा सी–412 नामक नौ अंतर्रोधी नौकाओं (आईबी) को क्रमशः 6 नंवबर, 2014, 21 मई, 2014, 30 मई, 2014, 15 नवंबर, 2014, 5 नवंबर, 2014, 6 नवंबर, 2014, 6 नवंबर, 2014, 15 नवंबर, 2014 तथा 15 नवंबर, 2014 को कमीशन किया गया।

6.15 **अंतर्रोधी नौका (आईबी) का समावेशनः** भारतीय तटरक्षक पोत सी–413 नामक एक अंतर्रोधी नौका 15 दिसंबर, 2014 को सेवा में शामिल की गयी तथा उसे शीघ्र कमीशन किया जाना देय है।

6.16 **तटरक्षक वायु एंक्लेव की कमीशनिंगः** 15 दिसंबर, 2014 को भुवनेश्वर में एक तटरक्षक वायु एंक्लेव का कमीशन किया गया।

6.17 **तटरक्षक वायु स्क्वाड्रन की कमीशनिंगः** 15 दिसंबर, 2014 को भुवनेश्वर में 743 स्क्वाड्रन (त.र.) का कमीशन किया गया।

अंतर्राष्ट्रीय सहयोग

6.18 **रिकैप की शासी परिषद की आठवीं वार्षिक बैठकः** भारतीय तटरक्षक, एशिया में पोतों के विरूद्ध जलदस्युता एवं सशस्त्र डकैती से निपटने पर क्षेत्रीय सहयोग अनुबंध (रिकैप) संगठन को नियमित रूप से सहायता दे रहा है तथा उसमें सक्रिय रूप से भाग ले रहा है। वाइस एडमिरल अनुराग जी थपलियाल, एवीएसएम एंड बार, महानिदेशक भारतीय तटरक्षक (डीजीआईसीजी) ने 3–7 मार्च, 2014 के दौरान सिंगापुर में आयोजित रिकैप की शासी परिषद की आठवीं वार्षिक बैठक में भाग लिया।

रिकैप की शासी परिषद की आठवीं वार्षिक बैठक

6.19 **ब्रूनेई में उच्च स्तरीय बैठक और भारतीय तटरक्षक पोत का विदेश में परिनियोजनः** भारतीय तटरक्षक पोत सागर के विदेश में परिनियोजन के पर्यवेक्षण हेतु अपर महानिदेशक (एडीजी) राजेन्द्र सिंह, पीटीएम, टीएम ने 9 से 12 मार्च, 2014 के दौरान मौरा, ब्रूनेई का दौरा किया। दौरे के दौरान अपर महानिदेशक ने सैन्य बलों के प्रमुखों और कमीशनर रॉयल ब्रूनेई पुलिस बल से मुलाकात की। अपर महानिदेशक ने रायल ब्रूनेई समुद्री पुलिस के कार्य एवं प्रकार्यों पर आपरेशनों के निदेशक के साथ एक संयुक्त बैठक की भी सह–अध्यक्षता की। रायल ब्रूनेई समुद्री पुलिस के अधिकारियों के समक्ष भारतीय तटरक्षक पोत सागर पर प्रदूषण प्रतिक्रिया संबंधी भारतीय तटरक्षक की क्षमताओं को प्रदर्शित किया गया।

6.20 **भारतीय तटरक्षक (आईसीजी) और श्रीलंका तटरक्षक (एसएलसीजी) के बीच उच्च स्तरीय बैठक (एचएलएम):** 25 जून, 2014 को सम्मेलन कक्ष, तटरक्षक मुख्यालय, नई दिल्ली में भारतीय तटरक्षक और श्रीलंका तटरक्षक के बीच उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल की बैठक आयोजित की गयी। श्रीलंकाई प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व रियर एडमिरल रविन्द्र विजेगुनारत्ने, महानिदेशक, श्रीलंका तटरक्षक ने किया। यह दौरा, भारतीय तटरक्षक और श्रीलंकाई तटरक्षक के बीच सहयोग के लिए तथा परस्पर हितों के समुद्री मुद्दों पर विमर्श करने के अनुसरण में दोनों देशों की सरकारों के विभिन्न प्रयासों के अनुक्रम में था।

6.21 **भारतीय तटरक्षक (आईसीजी) और वियतनाम तटरक्षक (वीसीजी) के बीच उच्च स्तरीय बैठकः** महानिरीक्षक के आर नौटियाल, पीटीएम, टीएम, उपमहानिदेशक (संक्रिया एवं तटीय सुरक्षा) के नेतृत्व में भारतीय तटरक्षक के एक प्रतिनिधिमंडल ने 8–10 सितंबर, 2014 के दौरान वियतनाम तटरक्षक के साथ संपर्क हेतु वियतनाम का दौरा किया। वियतनाम के लिए भारतीय तटरक्षक के प्रतिनिधिमंडल का यह पहला दौरा वियतनाम के साथ संयुक्त कार्य समूह की दूसरी बैठक के अनुवर्तन में वियतनाम तटरक्षक के साथ परस्पर क्रिया करने के लिए किया गया था

योकोहामा, जापान में भारतीय तटरक्षक – जापान तटरक्षक संयुक्त अभ्यास 'सहयोग–कैजिन–2014'

जिसका उद्देश्य क्षेत्रों की पहचान करना तथा दोनों तटरक्षकों के बीच पारस्परिक सहयोग हेतु रोडमैप तैयार करना है।

6.22 **एशियाई तटरक्षक एजेंसियों के प्रमुखों (एचएसीजीएएम) की दसवीं बैठकः** 29 सितंबर, 2014 से 3 अक्तूबर, 2014 के दौरान योकोहामा, जापान में एशियाई तटरक्षक एजेंसियों के प्रमुखों (एचएसीजीएएम) की दसवीं बैठक आयोजित की गयी थी। जापान तटरक्षक (जेसीजी), जापान समुद्री सुरक्षा संघ (जेएएमएस) और निप्पोन फाऊंडेशन, जापान द्वारा आयोजित इस हाई प्रोफाईल बैठक (दसवीं एचएसीजीएएम) में एशियाई क्षेत्र की 19 तटरक्षक एजेंसियों के प्रमुखों ने भाग लिया था।

6.23 **भारत-जापान तटरक्षक संयुक्त अभ्यास 'सहयोग-कैजिन'-2014:** 1 अक्तूबर, 2014 को योकोहामा, जापान में भारत–जापान तटरक्षक संयुक्त अभ्यास "सहयोग–कैजिन–2014" आयोजित किया गया। भारतीय तटरक्षक पोत समुद्र पहरेदार ने अभ्यास में भाग लिया।

6.24 **भारतीय तटरक्षक (आईसीजी) और जापान तटरक्षक (जेसीजी) के बीच उच्च स्तरीय बैठकः** 02 अक्तूबर, 2014 को योकोहामा, जापान में भारतीय तटरक्षक–जापान तटरक्षक की उच्च स्तरीय द्विपक्षीय बैठक आयोजित की गयी। भारतीय तटरक्षक के

माले, मालदीव में द्विवार्षिक त्रिपक्षीय अभ्यास 'दोस्ती–XII'

उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व महानिदेशक, भारतीय तटरक्षक द्वारा किया गया।

6.25 **द्विवार्षिक त्रिपक्षीय अभ्यास 'दोस्ती-XII':** भारतीय तटरक्षक ने 28 से 31 अक्तूबर, 2014 के दौरान माले, मालदीव में मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बल (एमएनडीएफ) और श्रीलंकाई तटरक्षक के साथ 'दोस्ती–XII' नामक संयुक्त अभ्यास के 12वें संस्करण का आयोजन किया। अभ्यास में कुल पांच पोतों

और दो वायुयानों ने भाग लिया। भारतीय तटरक्षक से दो पोत, भारतीय तटरक्षक पोत समर (एकीकृत हेलिकॉप्टर सहित) तथा भारतीय तटरक्षक पोत राजदूत एवं एक डोर्नियर वायुयान, श्रीलंका तटरक्षक से एक पोत, एसएलसीजी समुद्र और मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बल से दो पोत, एमसीजीएस हुरेवी और शहीद अली ने अभ्यास में भाग लिया। समुद्र में अभ्यास में खोज एवं बचाव, चिकित्सा निकासी, जलदस्युता–रोधी और समुद्र में प्रदूषण नियंत्रण प्रतिक्रिया की वास्तविक आपात स्थितियों के प्रति अनुक्रिया करने के क्रम–विकास शामिल हैं ताकि समुद्र में वास्तविक आपात स्थितियों से निपटने के लिए प्रत्येक तटरक्षक की क्षमता में और अभिवृद्धि हो सके।

समुद्र में अभ्यास के दौरान मालदीव का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल तथा भारत, श्रीलंका और मालदीव के तटरक्षकों के महानिदेशक उपस्थित थे।

6.26 **महानिदेशक भारतीय तटरक्षक और महानिदेशक पाकिस्तान समुद्री सुरक्षा एजेंसी के बीच उच्च स्तरीय द्विपक्षीय बैठक:** रियर एडमिरल अत्हर मुख्तार, एसआई(एम), महानिदेशक, पाकिस्तान समुद्री सुरक्षा एजेंसी (पीएमएसए) के नेतृत्व में उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने 18 से 20 दिसंबर, 2014 के दौरान भारत का दौरा किया। महानिदेशक पाकिस्तान समुद्री सुरक्षा एजेंसी ने महानिदेशक भारतीय तटरक्षक के साथ उच्च स्तरीय बैठक में भाग लेने के लिए 19 दिसंबर, 2014 को तटरक्षक मुख्यालय, नई दिल्ली का दौरा किया।

तटरक्षक की उपलब्धियां

6.27 तटरक्षक की कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियां, जो राष्ट्र की सेवा में भारतीय तटरक्षक द्वारा निभाई गयी भूमिका को प्रदर्शित करती हैं, निम्नवत हैं :

लोटस बिजनेस पार्क, अंधेरी पश्चिम से व्यक्ति का बचाव

क्रम संख्या	1 अप्रैल से 31 दिसंबर, 2014 की अवधि के दौरान उपलब्धियां	
(i)	पकड़ी गयी वर्जित वस्तुएं	रु. 9.0 करोड़
(ii)	अनधिकृत मछली शिकार में लिप्त ट्रालरों को पकड़ना	55 नौकाएं 419 कर्मी
(iii)	तस्करी में लिप्त पोतों को पकड़ना	3 नौकाएं 20 कर्मी
(iv)	कुल खोज एवं बचाव (एसएआर) मिशन	115
(v)	खोज एवं बचाव (एसएआर) सार्टियां	202
(vi)	जीवन बचाव	243
(vii)	चिकित्सा निकासी	24
(viii)	तेल बिखराव घटनाओं में प्रतिक्रिया	3

6.28 खोज एवं बचाव

(क) **राष्ट्रीय समुद्री खोज एवं बचाव (एनएमएसएआर) बोर्ड की 13वीं बैठकः** राष्ट्रीय समुद्री खोज एवं बचाव (एनएमएसएआर) बोर्ड की 13वीं बैठक 12 अगस्त, 2014 को तटरक्षक क्षेत्रीय मुख्यालय (पश्चिम), मुंबई में आयोजित की गयी थी। बैठक की अध्यक्षता वाइस एडमिरल अनुराग जी थपलियाल, एवीएसएम एंड बार, महानिदेशक भारतीय तटरक्षक द्वारा की गयी थी। भारतीय खोज एवं बचाव क्षेत्र (एसआरआर) में खोज एवं बचाव (एसएआर) प्रणाली को उन्नत करने से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गयी थी।

(ख) **लोटस बिजनेस पार्क से व्यक्ति का बचावः** 18 जुलाई, 2014 को आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ मुंबई नगर निगम (बीएमसी) से, अंधेरी पश्चिम स्थित ऊंची इमारत लोटस बिजनेस पार्क की छत से संकटग्रस्त 15–20 फायरमैनों की तुरंत निकासी करने के संबंध में सूचना प्राप्त हुई।

(ग) **भूग्रस्त/आंशिक रूप से डूबी भारतीय मछुवाही नौका सुवर्ण राज को सहायताः** 09 सितंबर, 2014 को मछुवाही संघ से सूचना मिली कि ओखा के लगभग 01 समुद्री मील की स्थिति में मछुवाही नौका सुवर्ण राज (पंजीकरण सं. जीजे–11–एमएम–2216) सैलाबग्रस्त है तथा खतरनाक ढंग से झुक गयी है। भारतीय तटरक्षक द्वारा प्रारंभिक मूल्यांकन के उपरांत, समुद्री पुलिस की नौका सहित 2 वायु उपधान वाहन (एसीवी) एच–191 एवं एच–184 को 7 तटरक्षक गोताखोरों के साथ प्रतिकूल समुद्री/मौसमी स्थिति में मछुवारों का बचाव करने के लिए दिशानिर्देशित किया गया। तत्पश्चात, सभी 7 मछुवारों का डूब रही नौका से सुरक्षित बचाव कर लिया गया।

चिकित्सा निकासी

6.29 11 अप्रैल, 2014 को निगरानी कर रहे भारतीय तटरक्षक डोर्नियर को, मुंबई के 156 समुद्री मील पश्चिम की स्थिति में पोत एमवी एम्मा विक्टरी से एक संकट संदेश प्राप्त हुआ जिसमें सिर की चोट से ग्रस्त उसके कर्मी की चिकित्सा निकासी करने का अनुरोध किया गया। 12 अप्रैल, 2014 की मध्यरात्रि में घायल कर्मी की भारतीय तटरक्षक पोत एस के चौहान द्वारा निकासी की गयी। 18 अप्रैल, 2014 को, समुद्री बचाव समन्वय केंद्र (एमआरसीसी), मुंबई को, मुंबई के 200 समुद्री मील पश्चिम की स्थिति में पोत एम वी अल–हिलाल से एक संकट संदेश प्राप्त हुआ जिसमें उनके मास्टर, जो छाती में तीक्ष्ण दर्द से पीडित थे, की चिकित्सा निकासी करने का अनुरोध किया गया। रोगी का बचाव भारतीय तटरक्षक पोत अमृतकौर एवं सी–154 द्वारा किया गया। 13 मई, 2014 को समुद्री बचाव समन्वय केंद्र, पोर्टब्लेयर को पोत 'एमवी एशियाटिक डॉन' के मास्टर से एक संकट संदेश प्राप्त हुआ, जिसमें सिर की चोट से ग्रस्त एक कर्मी का बचाव करने का अनुरोध किया गया तथा कर्मी का बचाव भारतीय तटरक्षक पोत राजश्री द्वारा किया गया। 27 दिसंबर, 2014 को समुद्री बचाव समन्वय केंद्र, मुंबई को समुद्री बचाव समन्वय केंद्र, फ्रांस से एक ई–मेल संदेश प्राप्त हुआ, जिसमें पोत एमवी आईल डि बैट्ज से हृदय समस्या से ग्रसित एक कर्मी की तुरंत चिकित्सा निकासी करने का अनुरोध किया गया। गश्त कर रहे भारतीय तटरक्षक पोत सम्राट ने रोगी की चिकित्सा निकासी की तथा उसे 28 दिसंबर, 2014 को तटरक्षक हेलिकॉप्टर द्वारा तटीय स्थान पर स्थानांतरित किया गया।

COAST GUARD

7

रक्षा उत्पादन

देश में निर्मित पनडुब्बीरोधी युद्धक स्टील्थ कार्वेट (आई एन एस कमोर्ता)

रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के उद्देश्य से आयुध निर्माणियां और सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रम अपनी क्षमताओं को निरंतर आधुनिक और उन्नयित तथा अपनी उत्पादन रेंज को विस्तृत कर रहे हैं।

7.1 रक्षा उत्पादन विभाग (डी डी पी) की स्थापना नवंबर, 1962 में रक्षा के लिए आवश्यक हथियारों/प्रणालियों/प्लेटफार्मों/उपस्करों का उत्पादन करने के लिए व्यापक बुनियादी ढांचे के विकास के उद्देश्य से की गई थी। पिछले वर्षों में इस विभाग ने आयुध निर्माणियों और रक्षा क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रमों के माध्यम से विभिन्न रक्षा उपकरणों के लिए व्यापक उत्पादन सुविधाएं स्थापित की हैं। विनिर्मित उत्पादों में हथियार एवं गोलाबारूद, टैंक, बख्तरबंद वाहन, भारी वाहन, लड़ाकू विमान एवं हेलिकॉप्टर, युद्ध पोत, पनडुब्बियां, प्रक्षेपास्त्र, गोलाबारूद, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, अर्थ मूविंग इक्विपमेंट, विशेष मिश्र धातुएं और विशेष प्रयोजन वाले इस्पात शामिल हैं।

7.2 रक्षा उत्पादन विभाग के अंतर्गत निम्नलिखित प्रमुख संगठन हैं:

- आयुध निर्माणी बोर्ड (ओ एफ बी)
- हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड (एच ए एल)
- भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (बी ई एल)
- भारत डायनामिक्स लिमिटेड (बी डी एल)
- बी ई एम एल लिमिटेड (बी ई एम एल)
- मिश्र धातु निगम लिमिटेड (मिधानि)
- माझगांव डॉक लिमिटेड (एम डी एल)
- गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स लिमिटेड (जी आर एस ई)
- गोवा शिपयार्ड लिमिटेड (जी एस एल)
- हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड (एच एस एल)
- गुणता आश्वासन महानिदेशालय (डी जी क्यू ए)
- वैमानिकी गुणता आश्वासन महानिदेशालय (डी जी ए क्यू ए)
- मानकीकरण निदेशालय (डी ओ एस)
- योजना एवं समन्वय निदेशालय (डाइरेक्टोरेट आफ पी एण्ड सी)
- रक्षा प्रदर्शनी संगठन (डी ई ओ)
- राष्ट्रीय रक्षा पोत निर्माण अनुसंधान व विकास संस्थान (निर्देश)

7.3 रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के उद्देश्य से आयुध निर्माणियां और सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रम अपनी क्षमताओं को निरंतर आधुनिक और उन्नयित तथा अपनी उत्पादन रेंज को विस्तृत कर रहे हैं। प्रौद्योगिकी अंतरण के माध्यम से बहुत से उत्पादों एवं उपस्करों का उत्पादन करने के अलावा इन हाउस अनुसंधान एवं विकास संबंधी पहलों के माध्यम से कई प्रमुख उत्पादों का विकास किया गया है।

7.4 कर पश्चात् लाभ सहित आयुध निर्माणियों और सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रमों का उत्पादन एवं कारोबार, क्रमशः सारणी सं0 7.1 व सारणी सं0 7.2 में दर्शाया गया है।

7.5 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम और आयुध निर्माणियों, नीति के रूप में, अपनी जरूरतों का बहुत सारा काम बाहर से करवाती रही हैं और उन्होंने पिछले इन वर्षों से एक व्यापक विक्रेता आधार विकसित किया है जिसमें भारी उद्योग के अलावा अनेक मध्यम और लघु उद्यम भी शामिल हैं। इसके अलावा, सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रम और आयुध निर्माणी बोर्ड अपने विनिर्मित उपस्करों एवं उत्पादों में स्वदेशी मात्रा बढ़ाने के लिए भी प्रयासरत हैं।

निजी क्षेत्र की भागीदारी

7.6 जहां भी प्रौद्योगिकीय रूप से साध्य और आर्थिक रूप से व्यवहार्य हो, रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने और स्वदेशीकरण करने के लिए सतत प्रयास किए जा रहे हैं।

7.7 मई, 2001 में, रक्षा उद्योग क्षेत्र को जो कि अब तक सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित था, लाइसेंस के अधीन 26 प्रतिशत तक के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश सहित शत–प्रतिशत तक की भारतीय निजी क्षेत्र की भागीदारी के लिए खोल दिया गया था। हाल ही में, औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग, वाणिज्य

सारणी सं. 7.1
कार्य परिणाम
सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रमों और ओएफबी का उत्पादन मूल्य

(₹ करोड़ में)

सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रम	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15 (दिसम्बर, 2014 तक)
हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड (एच ए एल)	12693	14202	15867	9915
भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (बी ई एल)	5794	6290	6127	4026
बी ई एम एल लिमिटेड(बी ई एम एल)	4077	3360	3165	1671
भारत डायनामिक्स लिमिटेड (बी डी एल)	993	1177	1804	1298
गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स लिमिटेड (जी आर एस ई)	1294	1529	1611	863
गोवा शिपयार्ड लिमिटेड (जी एस एल)	676	507	509	387
हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड (एच एस एल)	564	484	453	160
माझगांव डॉक लिमिटेड (एम डी एल)	2524	2291	2865	2028
मिश्र धातु निगम लिमिटेड (मिधानि)	496	537	572	403
आयुध निर्माणी बोर्ड (ओ एफ बी)	12391	11975	11123	7138
कुल	**41502**	**42352**	**44096**	**27889**

सारणी सं. 7.2
डीपीएसयू का कर पश्चात लाभ

(₹ करोड़ में)

सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रम	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15 (दिसम्बर, 2014 तक)
हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड (एच ए एल)	2539	2997	2693	1238
भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (बी ई एल)	830	890	932	440
बी ई एम एल लिमिटेड(बी ई एम एल)	57	-80	5	-178
भारत डायनामिक्स लिमिटेड (बी डी एल)	235	288	346	244
गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स लिमिटेड (जी आर एस ई)	108	132	121	24
गोवा शिपयार्ड लिमिटेड (जी एस एल)	83	16	-61	6
हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड (एच एस एल)	-86	-55	-46	-96
माझगांव डॉक लिमिटेड (एम डी एल)	494	413	398	226
मिश्र धातु निगम लिमिटेड (मिधानि)	68	83	83	42
कुल	**4328**	**4684**	**4471**	**1946**

एवं उद्योग मंत्रालय ने सरकारी रास्तों के माध्यम से एफडीआई सीमा बढ़ाकर 49 प्रतिशत तक एवं जहां कहीं भी देश में आधुनिक और नवोन्नत प्रौद्योगिकी प्राप्त होने की संभावना हो तो मामला-दर-मामला आधार पर सुरक्षा संबंधी मंत्रिमण्डलीय समिति के माध्यम से 49 प्रतिशत से अधिक कर दी है। 49 प्रतिशत की एफडीआई सीमा मिली-जुली है जिनमें सभी प्रकार के विदेशी निवेश (एफडीआई) अर्थात् प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई), विदेशी संस्थागत निवेशक प्रत्यक्ष (एफआईआई), विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक (एफपीआई), अप्रवासी भारतीय (एनआईआई), विदेशी उद्यम पूंजीगत निवेश (एफवीसीआई) और पात्र विदेशी निवेशक शामिल हैं चाहे उक्त निवेश, एफईएमए (विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम) (भारत के बाहर रह रहे व्यक्तियों के द्वारा सिक्यूरिटी निर्गम के अंतरण विनियमनों की अनुसूची 8 के अंतर्गत किए गए हों। एफपीआई/एफआईआई/एनआरआई/ क्यूएफआई के पोर्टफोलियो द्वारा निवेश और एफवीसीआई द्वारा निवेश, कुल मिलाकर निवेश/संयुक्त उद्यम कंपनी की कुल इक्विटी का 24 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा। पोर्टफोलिया निवेश स्वचालित रूट के अंतर्गत होगा।

7.8 औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग ने शस्त्रों एवं गोलाबारूद के लाइसेंस के तहत उत्पादन करने के लिए प्रेस नोट सं. 2(2002 श्रृंखला) दिनांक 04 जनवरी, 2002 अधिसूचित किया है। परिणामस्वरूप निजी क्षेत्र की भूमिका कच्ची सामग्री, उपस्करों, उप–प्रणालियों के आपूर्तिकर्ता से बदलकर पूर्ण उन्नत उपस्कर/प्रणाली के विनिर्माण में भागीदार बनने की हो गई है।

7.9 लाइसेंस दिए जाने योग्य रक्षा मदों के विनिर्माण के लिए औद्योगिक लाइसेंस प्रदान करने हेतु औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग (डी आई पी पी) से प्राप्त सभी आवेदनों और आर्थिक कार्य विभाग (डी ई ए) की एफ आई पी बी इकाई से प्राप्त प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफ डी आई) के प्रस्तावों पर विचार करने तथा संबंधित विभागों को रक्षा मंत्रालय की सिफारिशें देने के लिए रक्षा उत्पादन विभाग में एक स्थाई समिति का गठन किया गया है। वर्तमान में, नौसेना मुख्यालय, वायुसेना मुख्यालय, थल सेना मुख्यालय, डी जी क्यू ए, डी जी ए क्यू ए, रक्षा विभाग, ओ एफ बी, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन और बी ई एल जैसे विविध क्षेत्रों से सदस्यों सहित संयुक्त सचिव (डी आई पी) इस स्थायी समिति के अध्यक्ष हैं।

7.10 औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग (डी आई पी पी) ने 144 कंपनियों को कवर करते हुए उन्हें निजी कंपनियों को कई प्रकार की रक्षा मदों के विनिर्माण के लिए 31 दिसम्बर, 2014 तक 240 आशय-पत्र (एल ओ आई)/औद्योगिक लाइसेंस (आई एल) जारी किए हैं। 49 लाइसेंस प्राप्त कंपनियों ने उत्पादन आरंभ करने की सूचना दी है।

7.11 रक्षा उद्योग क्षेत्र को, वर्तमान नीतियों के अनुसार, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफ डी आई) के साथ भारतीय निजी क्षेत्र की भागीदारी के लिए खोलने के पश्चात सार्वजनिक और निजी दोनों ही क्षेत्रों में विभिन्न रक्षा उपस्करों के विनिर्माण के लिए रक्षा क्षेत्र में 31 दिसम्बर, 2014 तक 33 एफ डी आई प्रस्तावों/संयुक्त उद्यमों को अनुमोदन किया जा चुका है। अप्रैल, 2000 से नवंबर, 2014 तक रक्षा औद्योगिक क्षेत्र को 24.36 करोड़ रुपए (4.94 यू. एस. डालर) की राशि प्राप्त हुई (स्रोत http://www.dipp.nic.in)।

7.12 रक्षा उत्पादन विभाग ने (औद्योगिक विकास एवं विनियमन), 1951 के अंतर्गत लाइसेंसिंग प्रयोजनार्थ रक्षा उत्पादों की सूची को अंतिम रूप दे दिया है। औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग (डी आई पी पी) ने रक्षा मदों की सूची को अपनी वेबसाइट पर प्रेस नोट संख्या 3 (2014 श्रृंखला) के द्वारा अपलोड कर दिया गया है और यह सूची www.dipp.nic.in से देखी जा सकती है।

7.13 विभाग ने निजी क्षेत्र के रक्षा उद्योगों के लिए एक सुरक्षा नियमावली को अंतिम रूप दिया है। सुरक्षा नियमावली कंपनियों के लिए भौतिक प्रलेखन

और आईटी सुरक्षा मुहैया कराती है। यह सुरक्षा नियमावली, प्रकाशन/रिपोर्ट के तहत डीडीपी के वेबसाइट (www.ddpmod.gov.in) पर उपलब्ध है। इस सुरक्षा नियमावली को अनुपालन के उद्देश्य से तीन भागों श्रेणी 'क' 'ख', 'ग' वर्ग में बांटा गया है। उत्पादों/हथियारों/उपस्करों पर निर्भर करते हुए, कंपनियों को सुरक्षा प्रोटोकॉल का अनुपालन करने की जरूरत होगी। यह रक्षा उत्पादन विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। इन श्रेणियों का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार हैः

श्रेणी 'क': इस श्रेणी के अंतर्गत आने वाले उत्पाद सुरक्षा की दृष्टिकोण से उच्च रूप से वर्गीकृत और संवेदनशील होंगे और इन मदों के निर्माण में उच्च स्तर की सुरक्षा की जरूरत होगी।

श्रेणी 'ख': इस श्रेणी के अंतर्गत आने वाले उत्पादों में अपूर्ण उत्पाद सब असेंबलियां, मुख्य हथियारों की उप–प्रणालियां/उपस्कर/प्लेटफार्म और कम संवेदनशील प्रकृति के कुछ तैयार उत्पाद शामिल होंगे।

श्रेणी 'ग': इस श्रेणी के तहत आने वाले उत्पादों में वैसे उत्पाद शामिल होंगे जिनमें कोई वर्गीकृत/गुप्त सूचना का उपयोग शामिल नहीं है और सामान्य प्रकृति के हैं। इस श्रेणी में ऐसे उत्पाद शामिल होंगे जिन्हें सामान्यतः सेना के प्रयोग के लिए विशेष रूप से अभिकल्पित या आशोधित नहीं किया जाता है अतः इन्हें न्यूनतम स्तर की सुरक्षा की आवश्यकता होगी।

भारतीय रक्षा उद्योग की निर्माण संबंधी रूपरेखा

7.14 रक्षा उत्पादन विभाग द्वारा जारी किए गए अनापत्ति प्रमाण-पत्रों के अनुसार 09 सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रमों तथा आयुध निर्माणी बोर्ड सहित भारतीय रक्षा उद्योग के निर्यातों का मूल्य, वर्ष 2012-13 के 460.97 करोड़ रुपए की तुलना में वर्ष 2013-14 में 686.27 करोड़ रु0 है। निर्यात का यह रूझान उद्योग द्वारा की गई बहुत अच्छी वृद्धि को दर्शाता है। निजी रक्षा उद्योग ने निर्यात में अच्छी वृद्धि दर्शाई है। निजी क्षेत्र में लगभग 12–14 कंपनियों ने रक्षा निर्यात में योगदान दिया है।

7.15 रक्षा उत्पादों के लिए बड़े निर्यात गन्तव्य वाले कुछ देश इस प्रकार से हैंः– इटली, इजराइल, इक्वाडोर, रूस, अमरीका, यू ए ई, नामीबिया, श्रीलंका, मलेशिया, रोमानिया, यू के, इंडोनेशिया, मारीशस, नीदरलैण्ड, केन्या, नेपाल, बोत्सवाना, तजाकिस्तान, ओमान, बेल्जियम, सिंगापुर, बांग्लादेश, वियतनाम, आयरलैंड, म्यांमार, स्वीटजरलैण्ड और चेक। निर्यात की गई कुछ मदें इस प्रकार हैंः– रडार के लिए परीक्षण उपस्कर, रडार के लिए यूएसएसपी इत्यादि, तेज गति वाले गश्ती जलयान, टरेट अपग्रेड्स, हल्के अभियांत्रिकी पुर्जे, भारी वजन वाले तारपीडो के लिए ध्वनिक शीर्ष (अकाउस्टिक हेड), के लिए संघटक, बैट्री प्रूफ वेस्ट, हेलमेट, फ्यूज हारनेस, स्टालियन 4X4, नेबल सेफ एवं ऊर्जा एवं आर्म डिवाइस (आशोधित) टर्बो चार्जर, व्हीलकल माउण्टेड लांचिंग ब्राइड एवं अपतटीय गश्ती जलयान

7.16 सैन्य मदों के निर्यात के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गम करने हेतु मानक प्रचालन प्रक्रिया को संशोधित किया गया है और इसे पब्लिक डोमेन में रखा गया है।

आयुध निर्माणी संगठन

7.17 भारतीय आयुध निर्माणियां सबसे पुरानी और सबसे बड़ी औद्योगिक स्थापना हैं जो उत्कृष्ट युद्धभूमि उपकरणों से सैन्य बलों को सुसज्जित करने में आत्म निर्भरता प्राप्त करने के प्रारंभिक उद्देश्य के साथ आयुध निर्माणी बोर्ड के अंतर्गत कार्य करती हैं। इस समय आयुध निर्माणी बोर्ड की 39 निर्माणियां हैं। दो नई आयुध निर्माणियां – एक बिहार में नालंदा और दूसरी उत्तर प्रदेश में कोरबा में निर्माणाधीन हैं।

7.18 **आयुध निर्माणियों की प्रमुख सक्षमताः**

हथियार	छोटे, मध्यम एवं बड़े कैलीबर के हथियार एवं मोर्टार उपकरण
गोलाबारूद, विस्फोटक एवं प्रोप्लेंट	छोटे, मध्यम एवं बड़े कैलीबर के गोलाबारूद, मोर्टार बम, संकेतक एवं संबद्ध मदें, रॉकेट एवं एरियल बम, फ्यूज, विस्फोटक, रसायन व प्रोप्लेंटस
सैन्य वाहन	ट्रक, सुरंगरोधी एवं विशेष सुरक्षा वाहन
कवचित वाहन	टैंक व इसके संस्करण, कवचित सैनिक वाहक (एपीसी) एवं इंजन
उपकरण एवं ऑप्टीकल डिवाइस	नाइट एण्ड डे विजन साइट्स और उपकरण
पैराशूट	ब्रेक पैराशूट, मैन ड्रापिंग एवं रसद गिराने वाले पैराशूट
ट्रूप कंफर्ट एवं सामान्य वस्तुएं	तम्बू, परिधान, वैयक्तिक उपकरण, ब्रिजेज, नौकाएं, केबल्स इत्यादि

7.19 **उत्पादन उपलब्धियांः** वित्त वर्ष 2013-14 के दौरान कारोबार 11,123 करोड़ रुपए का था। वर्ष 2014-15 के लिए अनुमानित कारोबार 11,900 करोड़ रुपए है। ओएफबी की करीबन 77 प्रतिशत आपूर्ति भारतीय सेना के लिए है।

7.20 **आधुनिकीकरणः** ओएफबी ने अपनी मौजूदा सुविधाओं के उन्नयन/संवर्धन, नए क्षेत्रों के विविधीकरण, अप्रचलित मशीनों और प्रौद्योगिकियों को बदलने को लक्षित कर एक व्यापक आधुनिकीकरण कार्यक्रम शुरू किया है। आधुनिकीकरण पर व्यय 2011–12 के 564 करोड़ रुपए से दोगुना होकर वर्ष 2013-14 में 1156 करोड़ रुपए हो गया। आधुनिकीकरण पर किया गया व्यय वर्ष दिसंबर, 2014 तक 685 करोड़ रूपए है। (अनंतिम)

7.21 **गुणवत्ता प्रबंधनः** इस प्रक्रिया को निम्नलिखित उपायों के द्वारा सुदृढ़ किया गया हैः–

- गुणता ऑडिट समूह का गठन (क्यूएजी) गुणता परिषद एवं असफलता समीक्षा बोर्ड (एफआईबी) का गठन
- विनिर्माण प्रक्रियाओं की लेखा परीक्षा
- एनक्यूडीबीएमएस (नेटवर्क गुणवत्ता डाटा आधारित प्रबंधन प्रणाली)
- ग्राहक प्रतिपुष्टि (फीडबैक)

7.22 पुरस्कार

(i) भारतीय यूरोपियन अनुसंधान पहल में, आयुध निर्माणी अम्बाझरी को प्राकृतिक जल प्रणालियों और आशोधन प्रौद्योगिकियों द्वारा जल प्रबंधन प्रणाली के लिए चुना गया है।

(ii) गोलाबारूद निर्माणी खड़की (एएफके) को महाराष्ट्र राज्य द्वारा "ऊर्जा संरक्षण और प्रबंधन" के लिए उत्कृष्टता पुरस्कार दिया गया था।

7.23 **संरक्षा एवं पर्यावरणीय सुरक्षाः** निर्माणियों के संरक्षा प्रबंधन को 4 वर्गीय प्रबंधन ढांचे के गठन के माध्यम से सुदृढ़ किया गया है। आयुध निर्माणी बोर्ड ने हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए भारतीय सौर ऊर्जा निगम के माध्यम से सौर संभावनाओं का आकलन करने के लिए कार्यक्रम शुरू किया है।

सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रम (डी पी एस यू)

हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड (एच ए एल)

7.24 हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड (एच ए एल) रक्षा उत्पादन विभाग के अंतर्गत सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का रक्षा उपक्रम है। एच ए एल के पूरे देश में स्थित 20 उत्पादन डिवीजन, 10 अनुसंधान एवं विकास केंद्र और 01 सुविधा प्रबंधन डिवीजन हैं। इसने अब तक घरेलू अनुसंधान एवं विकास से 15 प्रकार के विमान और लाइसेंस के तहत 14 प्रकार के विमानों का उत्पादन किया है। प्रमुख वायुयानों/ हेलिकॉप्टरों की वर्तमान उत्पादन रेंज निम्नवत् हैः– एस यू-30 एम के आई बहुभूमिका वाले लड़ाकू विमान, हॉक - उच्च जेट प्रशिक्षक, हल्के लड़ाकू विमान (एल सी ए), मध्यवर्ती जेट प्रशिक्षक (आई जे टी), डोर्नियर 228 - हल्के परिवहन वायुयान, ध्रूव (उन्नत हल्का हेलीकॉप्टर), चेतक, चीता और चीतल हेलीकॉप्टर।

7.25 **वर्ष 2014-15 के दौरान एच ए एल की प्रमुख उपलब्धियां**

(i) उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर-ध्रूव को भारत के प्रधानमंत्री ने नेपाल के प्रधानमंत्री को 25 नवम्बर, 2014 को सौंपा।

(ii) हि0 ए0 लि0 को मॉरीशस से डीओ-228 विमान की आपूर्ति के लिए ठेका मिला।

(iii) श्रृंखला उत्पादन के तहत हि0 ए0 लि0 द्वारा विनिर्मित, स्वदेश में अभिकल्पित और विकसित हल्का लड़ाकू विमान, तेजस को रक्षा मंत्री ने 27 जनवरी, 2015 को भारतीय वायुसेना को सौंपा।

(iv) रक्षा मंत्री द्वारा भारतीय वायुसेना को प्रथम ओवरहाल एसयू-30 एमकेआई विमान सौंपा गया।

(v) हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर की पहली उड़ान नवंबर, 2014 में हुई।

(vi) एकीकृत क्रायोजेनिक इंजन(आईसीइएम) के लिए सुविधा सृजित की गई।

7.26 **पेटेंटः** 773 पेटेंट आवेदन अप्रैल, 2014 से दिसम्बर, 2014 तक प्राप्त किए गए हैं।

7.27 **निर्यात कार्यनिष्पादनः** हि ए लि ने दिसंबर, 2014 के अंत तक 257 करोड़ रुपए की निर्यात बिक्री की।

7.28 **वर्ष 2014-15 के दौरान प्राप्त पुरस्कारः**

(i) भारतीय वाणिज्य संघ (आईसीसी) द्वारा व्यापार में नैगमिक शासन एवं व्यापार में नवाचार के लिए पीएसई सर्वोत्कृष्टता का पुरस्कार प्रदान किया गया।

(ii) फाउण्ड्री और फोर्ज डिविजन ने कोलंबो, श्रीलंका में आयोजित गुणता नियंत्रण सर्किल पर 38वीं अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी में स्वर्ण श्रेणी का पुरस्कार जीता।

7.29 **पर्यावरण संरक्षणः** प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सभी प्रतिमानकों का कुशलतापूर्वक पालन किया जा रहा है। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने हि ए लि के प्रभागों को परिचालन जारी रखने की सहमति दी है। औद्योगिक बहिःस्राव का उपचार करने के लिए बहिःस्राव उपचार संयंत्रों (ईटीपी) का प्रयोग किया जा रहा है।

7.30 कम्पनी ने ऊर्जा लेखा परीक्षा के अनुवर्तन में ऊर्जा संरक्षण के कई उपायों को कार्यान्वित किया है जिसके परिणास्वररूप वर्ष 2013-14 के दौरान लगभग10 लाख यूनिट ऊर्जा की बचत हुई है।

भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (बीईएल)

7.31 देशभर में फैली हुई 9 सामरिक व्यापार इकाइयां (एसबीयू) के साथ भारत इलेक्ट्रॉरनिक्स लिमिटेड (बी ई एल) रक्षा मंत्रालय के तहत 1964 में स्थापित एक नवरत्न कंपनी है। यह कंपनी रडारों एवं हथियार प्रणालियों, सोनार, संचार, इलेक्ट्रॉ निक युद्ध प्रणालियों, इलेक्ट्रो आप्टिक्स और टैंक इलेक्ट्रॉनिक्स आदि के क्षेत्र में बुनियादी क्षमताएं रखती है। गैर-रक्षा क्षेत्र में,बी ई एल, इलेक्ट्रानिक हाईब्रिड माइक्रोसर्किट, सेमीकंडक्टेर और डिवाइस सोलर सैल इत्यादि का निर्माण करती है।

7.32 **अनुसंधान एवं विकास:** कंपनी ने एक प्रौद्योगिकी रोड मैप तैयार किया है एवं ग्राहकों की भावी जरूरतों को पूरा करने हेतु सभी आर एण्ड डी प्रभागों के लिए एक तीन वर्षीय आर एण्ड डी योजना निर्धारित की है। इसके साथ ही डीआरडीओ प्रयोगशालाओं के साथ अनेक घरेलू और संयुक्त विकास कार्यक्रम शुरू किए गए हैं।

7.33 **निर्यात:** कंपनी द्वारा अनेक प्रकार के उत्पादों का निर्यात किया गया है जैसे कि माउंटेड सोनार (एचएमएसएक्स), तटीय निगरानी रडार प्रणाली, रडार फिंगर प्रिटिंग सिस्टम, आरएसी तरंग, स्वचालित परीक्षण उपस्कर (एटीई) शेल्टर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स वोटिंग मशीन (ई वी एम) इत्यादि। निर्यात कारोबार वर्ष 2014-15 (दिसंबर, 2014 तक) 30.44 मिलियन अमेरिकी डॉलर है।

7.34 **वर्ष के दौरान प्राप्त पुरस्कार:** बीईएल को भारत के महामहिम राष्ट्रपति द्वारा 05 नवंबर, 2014 को मानव संसाधन प्रबंधन में सर्वश्रेष्ठ प्रणाली के लिए प्रतिष्ठित स्कोप मेरीटोरियस पुरस्कार (2012-13) प्रदान किया गया था।

7.35 **भावी चुनौतियां:** रक्षा इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार के निजी भागीदारी के लिए खुल जाने से, प्रतिस्पर्धा और भी बढ़ गई है। इसके अलावा, ग्राहक की अपेक्षाएं भी मात्र उत्पादों तक सीमित न रहकर सिस्टम/मोबाइल प्लोटफार्मों तक पहुंच गई हैं। इस चुनौती का सामना करने के लिए नए उत्पादों का विकास करके, उनका विविधीकरण करके, संयुक्त उद्यमों का गठन करके, प्रक्रियाओं के सुधार आदि पर जोर देकर अपने बाजार के हिस्से को रक्षित करने के लिए कंपनी ने अनेक कदम उठाए हैं।

7.36 **स्वदेशीकरण:** कंपनी के उत्पादों का स्वदेशीकरण का स्तर इसके कुल कारोबार का लगभग 85 प्रतिशत है। कंपनी द्वारा विकसित प्रमुख स्वदेशी उत्पाद हैं:– मुख्य युद्धक टैंक (एमबीटी अर्जुन) एवं टी–90 के लिए उप–प्रणाली, मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम (एमएडब्ल्यूएम), उन्नत सिल्का, आक्रामक प्रक्षेपास्त्र प्रणाली, भरानी रडार, सीएमएस-17 एकीकरण ऑनबोर्ड, आईपी इंसक्रीपटर्स, एनसीआई लेजर रेंज फाइंडर (एलआरएफ) और ईवीएम का उन्नत संस्करण इत्यादि।

भरानी रडार

30-टीसीआर

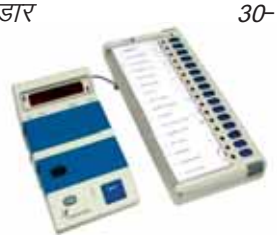

नए डिजाइन के ईवीएम

7.37 **आधुनिकीकरण:** बीईएल उन्नत सामरिक महत्व के इलेक्ट्रॉनिक उपस्करों के विनिर्माण

में लगा हुआ है जहां न केवल उत्पादों की प्रौद्योगिकी ही नहीं अपितु प्रक्रियायें भी तीव्रता से बदलती हैं। बीईएल में आधुनिकीकरण एक सतत रूप से चलने वाली प्रक्रिया है एवं कंपनी आधुनिकीकरण पर प्रतिवर्ष 250-300 करोड़ रुपए व्यय करती है। आधुनिकीकरण के कुछ प्रमुख कार्यक्रमों में आधुनिक रडारों के लिए आर एफ–माइक्रोवेव सुपर–कंपोनेंट्स के लिए अत्याधुनिक विनिर्माण सुविधा, प्रक्षेपास्त्र प्रणाली के लिए परीक्षण ढांचा, तटीय निगरानी प्रणाली इत्यादि के लिए एकीकरण जांच सुविधा शामिल हैं।

आर एफ/माइक्रोवेव सुपर कंपोनेन्ट्स सुविधा

मिसाइल प्रणालियों के लिए परीक्षण ढांचा

भारत डायनामिक्स लिमिटेड (बीडीएल)

7.38 भारत डायनामिक्स लिमिटेड (बीडीएल) को, जोकि एक लघु रत्न श्रेणी–1 की कंपनी है, रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत वर्ष 1970 में निगमित किया गया था। टैंकरोधी निर्देशित प्रक्षेपास्त्री के विनिर्माण से शुरुआत करके बीडीएल नई पीढ़ी की एटीजीएम, सतह से हवा में मार करने वाली शस्त्र प्रणालियों, सामरिक महत्त्व के हथियारों, लांचरों, अंतर्जलीय हथियारों, डिकॉयज और परीक्षण उपस्करों के विनिर्माण केंद्र के रूप में उभरा है। भारत डायनामिक्स लिमिटेड (बीडीएल) ने विभिन्न प्रकार के प्रक्षेपास्त्रों (एसएएम) के निर्माण के लिए अमरावती, महाराष्ट्र और इब्राहीमपुर, आंध्र प्रदेश में जमीन का अधिग्रहण किया है। कंपनी चालू वित्त वर्ष अर्थात 2014-15 के दौरान 2500 करोड़ रुपए का बिक्री कारोबार करने को तैयार है। वर्तमान में बीडीएल के पास लगभग 18,000 करोड़ रुपए का अच्छा आर्डर बुक है। वर्ष 2013-14 के लिए भुगतान किया गया कुल लाभांश 69.1 करोड़ रुपए है।

7.39 बी डी एल को भारतीय सेना के लिए एमआरएसएएम और आकाश एसएएम के लिए अग्रणी एकीकर्ता के रूप में नामित किया गया है। बी डी एल को नौसेना के लिए एमआरएसएएम प्रक्षेपास्त्र एकीकर्ता के रूप में भी नामित किया गया है जिसे डीआरडीओ और मैसर्स आइएआई, इजराइल द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है।

आकाश सैम

7.40 मौजूदा क्षमताओं को बढ़ाने के अलावा, बीडीएल एएटीजीएस और एसएएम की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए नई विनिर्माण सुविधा भी

स्थापित कर रहा है। आकाश और एमआरएसएएम को एमएएम श्रेणी राकेट मोटर्स के परीक्षण फायरिंग की व्यवस्था के लिए, बीडीएल, इब्राहीमपुर में 50 टन राकेट मोटर स्टेटिक परीक्षण सुविधा के लिए आधारशिला रखी गई।

7.41 बी डी एल ने आत्मनिर्भरता बढ़ाने, विदेशी मुद्रा की खपत में कमी करने और लागत में कमी करने के उद्देश्य से अपने द्वारा निर्मित एटीजीएम के स्वदेशीकरण के लिए कदम उठाएं हैं। कॉकर्स-एम, इनवार एटीजीएम ओर मिलन-2 टी जैसे उत्पादों का स्वदेशीकरण क्रमशः 90%, 80% और 71% तक कर दिया गया है।

इनवार (3 यूबीके-20)

कोन्कर्स - एम एटीजीएम

मिलन–2टी एटीजीएम

7.42 **आधुनिकीकरणः** वर्ष 2014-15 के लिए आधुनिकीकरण पर 100 करोड़ रुपए आरक्षित किए गए हैं। आधुनिकीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत अपनाई जा रही कुछ प्रौद्योगिकियों में डीप ड्राइंग प्रोसेस के स्थान पर फ्लो-फोर्मिंग, हाइब्रिड माइक्रो सर्किट्स, नवीनतम थिन फिल्म हाइब्रिड टेक्नोलॉजी, वायर पूल की वाइन्डिंग प्रोसेस में अपनाए गए आटोमेटेड टेन्शन कंट्रोल्स, इत्यादि शामिल हैं।

बीईएमएल लिमिटेड

7.43 बीईएमएल, वर्ष 1964 में स्थापित, एक लघु रत्न (श्रेणी-1) कंपनी है। बैंगलूर, मैसूर, कोलार गोल्ड फील्ड एवं पाल्लकाड़ में कंपनी के चार विनिर्माण परिसर हैं। इनमें 9 उत्पादन यूनिटें हैं जो खनन व निर्माण उपस्करों, रक्षा एवं एरोस्पेस उत्पादों तथा रेल एवं मेट्रो उत्पादों के डिजाइन, विनिर्माण, विपणन और बिक्री पश्चात सेल संबंधी कार्यों में लगी हुई हैं।

7.44 **उत्पादन के क्षेत्र में उपलब्धियां :** बीईएमएल के उत्पादों का सीरिया, टयूनीसिया, यूएई, सूरीनाम, दक्षिणी अफ्रीका, श्रीलंका, बंगलादेश, आदि सहित 58 से अधिक देशों में निर्यात किया जाता है। वर्ष 2013-14 में उत्पादन मूल्य 3165 करोड़ रुपए था और वर्ष 2014-15 (दिसंबर, 2014 तक) के लिए उत्पादन मूल्य 1671 करोड़ रुपए (अनंतिम) था।

आधुनिकीकरण और अनुसंधान एवं विकास संबंधी पहल

7.45 कंपनी का इन-हाउस आर एण्ड डी पर एक सकेंद्रित दृष्टिकोण है यह अपने कारोबार का लगभग 2.5 प्रतिशत से 3 प्रतिशत आर एण्ड डी पर व्यय करती है। अनुसंधान एवं विकास के प्रमुख कार्यकलापों में नए उत्पादों के डिजाइन एवं विकास और डोजरों, डंपरों, एक्सकेवेटर्स, लोंडरों, ग्रेडरों तथा अन्य रक्षा एवं रेल उत्पादों इत्यादि के लिए एग्रीगेट्स शामिल हैं।

7.46 आधुनिकीकरण के इन कार्यक्रमों का उद्देश्य प्रौद्योगिकी के उन्नयन, गुणवत्ता, लागत में कमी, प्रक्रिया में सुधार से रिवर्क में कमी, विनिर्माण क्षमता में विस्तार और निरंतर उत्पादन सुनिश्चित करने के लिए गतिरोध समाप्त करके उत्पादकता में बढ़ोतरी करना है। इन–हाउस आर एण्ड डी द्वारा शुरु किए गए कुछ नए उत्पादों में बीएच 205ई (डम्प ट्रक), बीई 1800 ई एक्सकेवेटर बीईएमएल एचएमवी 8×8 स्वदेशी ट्रक और डीजल इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट (डीईएमयू) आदि शामिल हैं।

7.47 खनन एवं निर्माण उत्पादों तथा रेल एवं मेट्रो उत्पादों के संबंध में स्वदेशीकरण का स्तर 90 प्रतिशत से भी अधिक है। मेट्रो कारों के संबंध में मेट्रो परियोजनाओं के लिए सभी अपेक्षित इनपुट्स का स्वदेशीकरण बीईएमएल द्वारा किया गया है और इनमें सहयोगकर्ता द्वारा कोई आपूर्ति नहीं की गई है। पीएमएस ब्रिज, एटीटी, विमान हथियार लोडर, 50 टी ट्रेलर इत्यादि जैसे रक्षा उत्पादों के संबंध में स्वदेशीकरण का स्तर शत-प्रतिशत है और हाई मोबिलिटी वाहन का स्तर 90 प्रतिशत है।

7.48 **पर्यावरण संरक्षणः** कर्नाटक के गदग जनपद में स्वच्छ हरित ऊर्जा की ओर 5 मेगावाट के विंडमिल और कंपनी के संपूर्ण परिसर में वृक्षारोपण से दिसंबर, 2014 के अंत तक लगभग 20000 टन कार्बन की कमी आई है।

7.49 **पुरस्कारः** 'उपस्कर भारत पुरस्कार–2014' में "बेस्ट सेलर–रिजिड डम्प ट्रक्स" और "बेस्ट सेलर क्रालर डोजर्स" की श्रेणी के अंतर्गत अपने उपस्कर के लिए बीईएमएल को दो पुरस्कार प्राप्त हुए हैं।

मिश्र धातु निगम लिमिटेड (मिधानि)

7.50 मिधानि एक "लघु रत्न श्रेणी" की कंपनी है जिसकी स्थापना 1973 में रक्षा उत्पादन एवं आपूर्ति विभाग, रक्षा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन की गई थी ताकि विदेशी सहयोगियों से तकनीकी जानकारी के साथ जटिल क्षेत्रों के लिए विभिन्न उत्कृष्ट मिश्र धातुओं, टाइटेनियम मिश्र धातुओं, विशेष प्रयोजन वाले इस्पात आदि के उत्पादन में आत्मनिर्भता प्राप्त की जा सके। अब तक मिधानि ने रक्षा, अंतरिक्ष और परमाणु ऊर्जा क्षेत्रों के राष्ट्रीय महत्व के कार्यक्रमों के लिए विभिन्न आकारों, मापों में उच्च कार्य निष्पादन मिश्र धातुओं की 105 से भी अधिक श्रेणियों का विकास, विनिर्माण किया है व उनकी आपूर्ति की है।

7.51 मिधानि ने 03 नवंबर, 2014 को ग्यारहवीं ग्राहक बैठक का आयोजन किया जिसमें रक्षा, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष, सार्वजनिक क्षेत्र के अन्य उपस्करों और निजी क्षेत्र के संगठनों जैसे विभिन्न सामरिक क्षेत्रों के लगभग 128 ग्राहकों ने भाग लिया था। इस बैठक का विषय "शेपिंग विजन इनटू एक्शन–मेक इन इंडिया" था। मिधानि ने 05 दिसंबर, 2014 को छठी विक्रेता बैठक का आयोजन भी किया था। इस विक्रेता बैठक का विषय "एक साथ कल की ओर" (टूगेदर टूवर्डस टूमारो) था।

7.52 **ऊर्जा संरक्षणः** ऊर्जा संरक्षण उपायों को सम्यक महत्व दिया गया है और पूर्व की तरह इस वर्ष भी इन्हें जारी रखा गया है। आंतरिक बेंचमार्क और विशिष्ट प्रतिमानक विकसित किए गए। वर्ष के दौरान ऊर्जा की बचत करने के लिए शुरू किए गए कुछ उपायों में भट्ठियों का पुनरुद्धार, संयंत्रों एवं उपस्करों का निरंतर प्रचालन, भट्ठियों का नियमित रख–रखाव, रिफ्रेक्टरी लाइनिंग, नियमित कैलिब्रेशन, समान उत्पादों के लिए एक समान हीट ट्रीटमेंट साइकल का विकास करना, उपयुक्त स्थलों पर सोलर वाटर हीटर लगाना आदि हैं।

माझगांव डॉक लिमिटेड (एमडीएल)

7.53 माझगांव डॉक लिमिटेड सार्वजनिक क्षेत्र के सभी रक्षा उपक्रम शिपयार्डों में अग्रणी है जो युद्धपोतों एवं पनडुब्बियों के निर्माण में लगा हुआ है। वर्तमान में यह यार्ड मिसाइल विध्वंसकों, स्कॉर्पीन पनडुब्बियों का निर्माण कर रहा है और इस प्रकार भारतीय नौसेना के लिए युद्धपोत निर्माण में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने में सहायता कर रहा है।

7.54 एमडीएल को पी17ए वर्ग के फ्रिगेट, जो शिवालिक वर्ग के स्टील्थ पोतों के अनुवर्ती पोत हैं, का निर्माण करने के लिए भी शार्टलिस्ट किया गया है। एमडीएल को परियोजना 75–I के अंतर्गत भावी पनडुब्बियों का निर्माण करने के लिए भी उद्दिष्ट किया गया है। पी15बी वर्ग (वाई-12705) के दूसरे

पोत के लिए उत्पादन-पूर्व-कार्यकलाप 19 मई, 2014 को आरंभ हो चुके हैं। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा दो पोतों अर्थात पी15ए के वाई-701 एवं एमएसवी-II की सुपुर्दगी की गई है।

7.55 अपने अनुसंधान एवं विकास संबंधी कार्यकलापों में बढ़ोतरी करने के लिए, एमडीएल ने नौसेना आर्किटेक्चरल परियोजनाओं के लिए आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी मद्रास जैसे प्रमुख संस्थानों, पोत के विस्तृत डिजाइन में श्रम प्रभाविकी एरगोनोमिक्स के लिए एनआईडी अहमदाबाद, वेल्डिंग में अनुसंधान संबंधी कार्यकलापों के लिए वेल्डिंग अनुसंधान संस्थान त्रिची, युद्धपोत निर्माण परियोजनाओं में अनुसंधान एवं विकास कार्य के लिए निर्देश (एनआईआरडीईएसएच) इत्यादि के साथ गठजोड़ किया है। मुख्यतः समान प्रकार की सामग्री का उत्पादन करने वाले वैश्विक शिपयार्डों के साथ बेंचमार्किंग की जाती है।

7.56 एमडीएल ने माझगांव डॉक आधुनिकीकरण परियोजना(एमएमपी) के जरिए अपनी अवसंरचना का संवर्धन सफलतापूर्वक पूरा किया है जिसमें एक नया वेट बेसिन, एक हैवी ड्यूटी 300 टी गोलिएथ क्रेन, मॉडयूल वर्कशाप, क्रेडल असेम्बली शॉप, स्टोर निर्माण एवं संबद्ध अनुषंगी स्ट्रक्चर्स शामिल हैं। इस परियोजना का औपचारिक रूप से उद्घाटन रक्षा मंत्री जी द्वारा 27 अगस्त, 2014 को किया गया था।

7.57 मेक-इन-इंडिया के दृष्टिकोण को प्राप्त करने के लिए कई सहायक उपस्करों एवं प्रमुख उपस्कर फिटमेंट हेतु युद्धपोत निर्माण में स्वदेशीकरण का कार्य किया गया है। डीएमआर249ए ग्रेड स्टील के विकास के साथ युद्धपोत निर्माण के लिए प्रयुक्त गुणवत्ता स्टील हेतु आयात प्रतिस्थापन पहले ही हो चुका है।

7.58 **पुरस्कार एवं उपलब्धियां :** 12-15 अक्तूबर, 2014 के दौरान कोलंबो, श्रीलंका में अंतरराष्ट्रीय क्वालिटी कंट्रोल सर्किल्स (आईसीक्यूसीसी-2014) संगोष्ठी में दो क्वालिटी सर्किल टीमों ने शिरकत की तथा दोनों क्यूसी टीमों ने रजत पुरस्कार जीता।

गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स लिमिटेड (जीआरएसई)

7.59 गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स लिमिटेड (जीआरएसई) सितंबर, 2006 से सार्वजनिक क्षेत्र की एक लघु रत्न श्रेणी–1 कंपनी है जो भारत की बढ़ती समुद्री जरूरतों के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही है और एक अग्रणी पोत निर्माण यार्ड के रूप में जानी जाती है। जीआरएसई, भारतीय नौसेना के लिए पनडुब्बीरोधी युद्धक (एएसडब्ल्यू) कारवेट्स का निर्माण कर रही है। जीआरएसई द्वारा एएसडब्ल्यू स्टील्थ कारवेट्स वर्ग के प्रथम पोत (आईएनएस कमोरता) की सुपुर्दगी जुलाई, 2014 में की गई थी और रक्षा मंत्री जी द्वारा 23 अगस्त, 2014 को इसका जलावतरण किया गया था।

7.60 भारत द्वारा निर्यात किया जाने वाला पहला युद्धपोत एक अपतटीय गश्ती जलयान है जिसका निर्माण जीआरएसई, कोलकाता द्वारा मारीशस सरकार

भारत द्वारा मारीशस को निर्यात किया गया
प्रथम युद्धपोत–अपतटीय गश्ती जलयान

के लिए किया गया है। 'सीजीएस बाराकुडा' नामक इस जलयान की सुपुर्दगी मारीशस सरकार को कोलकाता में 20 दिसंबर, 2014 को की गई थी।

7.61 जीआरएसई ने एक युद्धपोत लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी का 22 सितंबर, 2014 को जलावतरण किया। जीआरएसई में 31 दिसंबर, 2014 तक चार (04) युद्धपोतों की नौतल आधारशिला (कील लेइंग) रखी गई थी।

7.62 **आधुनिकीकरण:** जीआरएसई की चरण-2 की आधुनिकीकरण परियोजना पूरी कर ली गई है और

नई एकीकृत पोत निर्माणी सुविधा का जून, 2013 में उद्घाटन किया गया था। इस नई सुविधा का मारीशस के लिए ओपीवी और भारतीय नौसेना के लिए एलसीयू के निर्माण में उपयोग किया गया है। इस सुविधा में माडयूलर पोत निर्माण प्रौद्योगिकी का उपयोग करके युद्धपोतों के एकीकृत निर्माण के लिए अवसंरचना का प्रावधान है, जिसका पी-17 ए जैसे बड़े युद्धपोतों के निर्माण के दौरान संपूर्ण कार्यान्वयन किया जाएगा।

गोवा शिपयार्ड लिमिटेड (जीएसएल)

7.63 वर्ष 1957 में एक छोटे बार्ज मरम्मत और निर्माण यार्ड के रूप में एक छोटी सी शुरूआत से विकास करते हुए गोवा शिपयार्ड लिमिटेड एक ऐसे प्रतिस्पर्धी शिपयार्ड की हैसियत तक आ पहुंचा है जो भारतीय नौसेना एवं तटरक्षक बल के लिए अपेक्षित उच्च प्रौद्योगिकी वाले अत्याधुनिक पोतों के स्वदेशी डिजाइन एवं इनका निर्माण करने में सक्षम है। यह यार्ड, नियत कीमत पर पोतों की समयबद्ध सुपुर्दगी करने में गौरव महसूस करता है तथा ओपीवी एवं अन्य उन्नत जलयानों के लिए भारतीय नौसेना एवं तटरक्षक बल दोनों द्वारा इसकी सराहना की गई है।

105मी एनओपीवी

7.64 वित्तीय वर्ष के दौरान, जीएसएल ने भारतीय नौसेना को एक नौसेना अपतटीय गश्ती जलयान (एनओपीवी), सीएमएफआरआई, कोच्ची को एक 13.5 मी. मत्स्यन अनुसंधान जलयान और मत्स्य निदेशालय, गोवा सरकार के लिए एक जीआरपी उच्च गति गश्ती नौका सौंपी है।

7.65 गोवा शिपयार्ड लिमिटेड अपने विभिन्न उत्पादों के लिए अनुसंधान एवं विकास कार्यकलाप करता है और पोत निर्माण की नई योजनाएं घरेलू (इन–हाउस) अभिकल्पना पर आधारित होती हैं। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा पेट्रोल पोतों के घरेलू रूप से विकसित किए गए डिजाइनों से देश को पोतों के डिजाइनों के आयात से बचाते हुए विदेशी मुद्रा की काफी बचत हुई है।

7.66 अपने अनुसंधान एवं विकास संबंधी कार्यकलापों में और अधिक बढ़ोतरी करने के लिए, जीएसएल ने पर्याप्त लाइसेंसों एवं कार्य स्थलों के साथ 'एवीईवीए मरीन' के डिजाइन साफ्टवेयर का हाल ही में उन्नयन किया है। जीएसएल, अनुसंधान एवं विकास संबंधी कार्यकलापों में सतत रूप से निवेश कर रहा है तथा विविध प्रचालनात्मक भूमिकाओं एवं स्टील्थ फीचर्स के लिए बेहतर ईंधन क्षमता, सहन शक्ति एवं उच्च गतियों जैसी संशोधित विशेषताओं के साथ नई पीढ़ी के प्लेटफार्मों का विकास कर रहा है।

हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड (एचएसएल)

7.67 हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, रक्षा उत्पादन विभाग के अंतर्गत सबसे बड़ा शिपयार्ड है। यह सामरिक रूप से अवस्थित है और सामरिक परिसंपत्तियों एवं युद्धपोतों का निर्माण करने के लिए इसे फरवरी, 2010 में रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत लाया गया था। आज की तारीख तक, यह यार्ड, रक्षा एवं समुद्री क्षेत्र के लिए 173 जलयानों का निर्माण एवं 1925 जलयानों की मरम्मत कर चुका है।

7.68 **प्रमुख उपलब्धियां :** एचएसएल ने 04 नवंबर, 2014 को भारतीय नौसेना के लिए आईएनएस सिंधु कीर्ति, पनडुब्बी की सफल अनडॉकिंग के साथ निर्धारित लक्ष्य हासिल किया है।

7.69 **अनुसंधान एवं विकास में सुधार करने के लिए सक्रिय कार्रवाईः** पोतों एवं टग्स की संकल्पना

और मूल डिजाइन का विकास करने के लिए एचएसएल प्रयत्नशील है। निरंतर विकास को बनाए रखने के लिए यार्ड अपनी डिजाइन अवसंरचना का उन्नयन कर रहा है। संकल्पना एवं मूल डिजाइन के विकास के लिए नौ इंजीनियरों के एक दल की तैनाती की गई है।

7.70 **आधुनिकीकरणः** एलपीडी परियोजना के लिए यार्ड को तैयार करने हेतु मशीनरी एवं अवसंरचना (आरआरएमआई) का पुनर्सज्जीकरण और प्रतिस्थापन शुरू करने के लिए सरकार द्वारा 457.36 करोड़ रुपए आबंटित किए गए हैं।

7.71 **बेंचमार्किंगः** सार्वजनिक क्षेत्र के सभी रक्षा उपक्रम शिपयार्डों का बेंचमार्क करने के लिए मैसर्स प्राइसवाटरहाउसकूपर्स द्वारा एक सामान्य अध्ययन किया जा रहा है। मैसर्स पीडब्ल्यूसी ने सार्वजनिक क्षेत्र के सभी यार्डों को एक सामान्य प्लेटफार्म पर लाने तथा विश्व के अग्रणी शिपयार्डों द्वारा अपनाई जाने वाली सर्वोत्तम प्रणालियों का अनुपालन करने के लिए बेंचमार्किंग पर एक रिपोर्ट जुलाई, 2014 को प्रस्तुत की है।

गुणता आश्वासन महानिदेशालय (डीजीक्यूए)

7.72 गुणता आश्वासन महानिदेशालय (डीजीक्यूए) एक ऐसा अंतर सेवा संगठन है जो रक्षा मंत्रालय के रक्षा उत्पादन विभाग के अंतर्गत कार्य करता है। गुणता आश्वासन महानिदेशालय थल सेना, नौसेना के लिए (नौसेना आयुधों के अलावा) आयातित एवं स्वदेशी दोनों प्रकार के सभी रक्षा भंडारों और उपस्करों और वायुसेना के लिए निजी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों और आयुध निर्माणियों से अधिप्राप्त सामान्य उपभोक्ता मदों की गुणता आश्वासन के लिए उत्तरदायी है।

7.73 **संगठनात्मक ढ़ांचा और कार्यः** गुणता आश्वासन महानिदेशालय संगठन ग्यारह तकनीकी निदेशालयों में विभाजित है जिनमें से प्रत्येक निदेशालय एक भिन्न प्रकार के उपकरण श्रेणी के लिए जिम्मेदार है। कार्यात्मक उद्देश्यों के लिए तकनीकी निदेशालयों को दो स्तरों में संरचित किया गया है जिनमें उनके नियंत्रणालय और फील्ड गुणता आश्वासन स्थापनाएं शामिल हैं। इसके अलावा हथियारों और गोलाबारूदों की जांच करने के लिए आयुध शाखा में जांच स्थापनाएं हैं।

7.74 उपलब्धियांः

(i) **स्टोरों का गुणता आश्वासनः** डीजीक्यूए संगठन प्रतिमाह औसतन 18,765 निरीक्षण करता है। वर्ष 2014-15 के दौरान नवंबर, 2014 तक गुणता सुनिश्चित किए गए स्टोरों का मूल्य 12215 करोड़ रुपए है।

155 मिमी/45 कैलीबर ईयूआई एफएच गन प्रणाली 'धनुष': कर्षित विधि से वर्तन चक्कर व्यास (टीसीडी) जांच

(ii) **डीजीक्यूए तकनीकी मूल्यांकनः** 01 जनवरी, 2013 से 31 मार्च, 2014 तक की अवधि के दौरान, डीजीक्यूए द्वारा विभिन्न स्टोरों, गोलाबारूद एवं उपस्करों के कुल 40 तकनीकी मूल्यांकन किए गए हैं जिसमें कई जटिल उप-प्रणालियां भी शामिल हैं।

7.75 **भावी चुनौतियांः** गुणवत्ता का एक समरूप मानक बनाए रखने के लिए, समाकृति प्रबंधन (सीएम) संकल्पना अपनाई जा रही है। सीएम का उद्देश्य रक्षा की उल्लिखित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आपूर्तिकर्ताओं को लागत प्रभावी डिजाइन विकसित करने की पर्याप्त छूट देते हुए सामग्री के संपूर्ण जीवनकाल का तकनीकी सत्यनिष्ठा नियंत्रण सुनिश्चित करना होगा।

7.76 **आधुनिकीकरणः** 39 प्रयोगशालाओं को एनएबीएल प्रत्यायन प्रदान किया गया है। प्रूफ रेंज एवं परीक्षण प्रयोगशालाओं की परीक्षण सुविधा का आधुनिकीकरण करने के लिए डीजीक्यूए अत्याधुनिक परीक्षण उपस्करों के साथ आंचलिक परीक्षण प्रयोगशालाएं भी स्थापित कर रहा है।

7.77 **विश्व में सर्वोत्कृष्ट के साथ बेंचमार्किंगः** डीजीक्यूए वैश्विक मानकों के अनुरूप गुणता प्रतिमानकों की बेंचमार्किंग के लिए प्रयासरत है।

उत्पादन ड्राइंग्स एवं विनिर्देशनों का उन्नयन करने के लिए एक सतत प्रयास किया जाता है। डीजीक्यूए विभागीय विनिर्देशनों के अलावा बीआईएस मानकों एवं संयुक्त सेवा विनिर्देशनों के निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है।

वैमानिकी गुणता आश्वासन महानिदेशालय (डीजीएक्यूए):

7.78 वैमानिकी गुणता आश्वासन महानिदेशालय, रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय के अधीन एक नियामक प्राधिकरण है, जो हवाई शस्त्रास्त्र और मानवरहित विमान (यूएवी) सहित सैन्य विमानों के सहायक हिस्से पुर्जों और अन्य वैमानिकी साजो–सामान को गुणता आश्वासन और अंतिम स्वीकृति देता है। डीजीएक्यूए देश के विभिन्न भागों में अवस्थित 34 फील्ड स्थापनाओं/डिटैचमेंटस के एक नेटवर्क के माध्यम से अपने नई दिल्ली स्थित मुख्यालय से कार्य करता है। डीजीएक्यूए, प्रेक्षापास्त्र प्रणालियां, गुणता आश्वासन एजेंसी (एमएसक्यूएए) और सामरिक प्रणालियां गुणता आश्वासन समूह (एसएसक्यूएजी) के लिए एक नोडल एजेंसी भी है।

7.79 **स्वीकृत स्टोरों का मूल्यः** चालू वर्ष एवं गत तीन वर्षों के दौरान डीजीएक्यूए द्वारा क्यूए कवरेज दिए गए स्टोरों का मूल्य निम्नवत हैः–

करोड़ रु. में

2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	
14898/-	14022/-	21803/-	8669/-*	15900/-**

*31 दिसंबर, 2014 तक

**पूर्वानुमानित (जनवरी से 31 मार्च, 2015 तक)

7.80 डीजीएक्यूए के गुणता आश्वासन के अंतर्गत प्रमुख परियोजनाएं :

(क) विकास/विनिर्माण परियोजनाएं :

(i) एसयू-30 (एमकेआई) और उन्नत जेट ट्रेनर (हॉक एमके-132) : मूल उपस्कर विनिर्माता (ओईएम) से लाइसेंस के तहत विनिर्माण।

(ii) एसयू-30 एमकेआई विमान (एसबी-200) पर ब्रहमोस मिसाइल के इंटीग्रेशन में संरचनागत सुधार को एवं तदोपरांत किए गए क्वालिफिकेशन परीक्षणों के दौरान संतोषजनक पाया गया था।

(iii) एसयू–30 एमकेआई पर अस्त्र मिसाइल के चरण-II के परीक्षण सफलतापूर्वक पूरे किए गए।

(iv) उन्नत हल्का हेलीकॉप्टर (एएलएच): विनिर्माण

(v) हल्का युद्धक हेलीकॉप्टर (एलसीएच): विकास

(vi) हल्का युद्धक विमान (एलसीए): विनिर्माण

(vii) मध्यवर्ती जेट ट्रेनर (आईजेटी) और हल्का युद्धक हेलीकॉप्टर (एलसीएच): विकास/विनिर्माण

(viii) सारस परिवहन विमान (सैन्य रूपांतर): विकास

(ix) पायलटरहित टारगेट विमान (पीटीए-लक्ष्य): विनिर्माण

(x) डोर्नियर (डीओ–228) विमानः निर्माण

(xi) पैराशूट (ब्रेक, पायलट, ड्रोग, एंटी स्पिन, रिकवरी इत्यादि) : विकास/विनिर्माण

(xii) हवाई आयुध स्टोर्सः विनिर्माण

(xiii) स्वदेशी मिसाइलः विकास/विनिर्माण

(xiv) वायु वाहित पूर्व चेतावनी रडार एवं नियंत्रण प्रणाली (एईडब्ल्यू एण्ड सी) : विकास

(xv) वायु वाहित प्रयोगों के लिए भू-रडार प्रणालीः विकास/विनिर्माण

(xvi) विमान के लिए अरेस्टर प्रणालियाः विनिर्माण

(xvii) वायुयान कर्मी दल के लिए उड़ान के दौरान पहने जाने वाले वस्त्रः विकास/विनिर्माण

(xviii) सैन्य विमानों में उपयोगार्थ टायर/ट्यूबः विकास/विनिर्माण

(xix) सैन्य विमानों में उपयोगार्थ बैटरियां: विकास/विनिर्माण

(ख) मरम्मत एवं ओवरहाल (आरओएच) परियोजनाएं

(i) एसयू–30 एमकेआई/मिग-21 बाइसन विमान

(ii) जगुआर/किरन जेट ट्रेनर/मिराज-2000 विमान

(iii) डोर्नियर (डीओ-228)/एव्रो (एचएस-748) विमान

7.81 महत्वपूर्ण निर्णयः

(i) डीजीएक्यूए ने पैराशूटों के गुणता आश्वासन कवरेज के लिए ओपीएफ (आयुध पैराशूट निर्माणी) कानपुर में 1 अगस्त, 2014 से एक सैल शुरू किया है।

(ii) अनुमोदित फर्म गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली (एएफक्यूएमएस), आयुध निर्माणियों में कार्यान्वयन की प्रक्रियाधीन है।

मानकीकरण निदेशालय (डीओएस)

7.82 मानकीकरण निदेशालय की स्थापना 1962 में रक्षा सेनाओं के भीतर मदों की तेज वृद्धि को नियंत्रित करने के उद्देश्य से की गई थी। मानकीकरण महानिदेशालय का प्राथमिक उद्देश्य तीनों सेनाओं में उपस्करों और संघटकों में उभयनिष्ठता स्थापित करना है ताकि रक्षा सेवाओं की कुल मदसूची को कम करके न्यूनतम किया जा सके तथा निम्नलिखित द्वारा इस उद्देश्य को प्राप्त करने का प्रयास हैः–

(क) विभिन्न मानकीकरण दस्तावेजों को तैयार करना।

(ख) रक्षा सामान सूची का संहिताकरण।

(ग) प्रविष्टि नियंत्रण

7.83 रोल ऑन योजना 2014-15 के अनुसार, 65 नए दस्तावेजों और 469 संशोधित दस्तावेजों को दिसंबर, 2014 तक पूरा कर लिया गया है। लगभग 5000 मानक दस्तावेजों को 31 दिसंबर, 2014 तक परिचालित किया गया है।

7.84 31 दिसंबर, 2014 तक 46,499 मदों (5,841 नई एवं 40,658 एनएसएन) को कूटबद्ध कर लिया गया है जिससे आज की तारीख तक कूटबद्ध को गई मदों की कुल संख्या 6,13,974 हो गई है।

7.85 बढ़ते हुए साइबर खतरे के मद्देनजर, रक्षा उत्पादन एजेंसियों को साइबर सुरक्षा के महत्व के बारे में सुग्राही बनाने के उद्देश्य से एक साइबर सुरक्षा समूह का सृजन किया गया है।

योजना और समन्वय निदेशालयः

7.86 सन 1964 में स्थापित योजना और समन्वय निदेशालय, रक्षा उत्पादन विभाग (डीडीपी) का अंतर–सेवा कार्यालय (आईएसओ) की हैसियत का एक संबद्ध कार्यालय है और डीडीपी की विभिन्न स्थापनाओं के बीच सभी प्रकार की योजना एवं समन्वय की जिम्मेदारी इसको सौंपी गई है। योजना एवं समन्वयन निदेशालय के कार्यकलाप, डीडीपी के समग्र उद्देश्यों अर्थात स्वदेशी रक्षा अपेक्षाओं में पर्याप्त आत्म–निर्भरता प्राप्त करने एवं देश में स्वदेशी उत्पादन के लिए मौजूदा क्षमताओं के इष्टतम उपयोग करने के मद्देनजर उपयोगकर्ताओं के साथ घनिष्ठ संपर्क में किए जाते हैं।

रक्षा प्रदर्शनी संगठन (डीईओ)

7.87 रक्षा प्रदर्शनी संगठन का मुख्य कार्य भारतीय रक्षा उद्योग द्वारा विकसित और विनिर्मित रक्षोन्मुखी उत्पादों और सेवाओं के निर्यात में अभिवृद्धि करने के दृष्टिकोण से देश और विदेश में रक्षा प्रदर्शनियों का आयोजन और समन्वय करना है। रक्षा प्रदर्शनी संगठन, प्रगति मैदान, नई दिल्ली में रक्षा पंडाल में स्थायी रक्षा प्रदर्शनी लगाए रखता है। इस प्रदर्शनी में सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रम (डीपीएसयू),

आयुध निर्माणी बोर्ड (ओएफबी), रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन (डीआरडीओ), गुणता आश्वासन महानिदेशालय (डीजीक्यूए) और वैमानिकी गुणता आश्वासन महानिदेशालय (डीजीएक्यूए) अपने उत्पादों, नवाचारों और सेवाओं को प्रदर्शित करते हैं।

7.88 **भारतीय अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला (आईआईटीएफ) :** रक्षा पैवेलियन प्रगति मैदान, नई दिल्ली में हर वर्ष 14 नवंबर से 27 नवंबर तक लगने वाले भारतीय अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले में भाग लेता है। भारतीय अंतरराष्ट्रीय मेले में, रक्षा पैवेलियन को पिछले 28 वर्षों के दौरान 8 स्वर्ण,4 रजत, 3 कांस्य और एक विशेष प्रशंसा पुरस्कार प्राप्त हुए हैं।

7.89 **एरो इंडियाः** दसवां एरो इंडिया शो–2015, 18 फरवरी से 22 फरवरी, 2015 तक आयोजित किया गया था। इस संस्करण का मुख्य विषय, वांतरिक्ष, रक्षा, नागर विमानन, विमान पत्तन अवसंरचना और रक्षा इंजीनियरिंग में 'मेक–इन–इंडिया' था।

7.90 **डिफेंस एक्सपो इंडियाः** एरो इंडिया की अनुपूरक प्रदर्शनी के रूप में मानते हुए, डिफेंस एक्सपो इंडिया का आरंभ 1999 में किया गया था। डिफेंस एक्सपो इंडिया के 8वें संस्करण का आयोजन 2014 में किया गया था और इसके अगले संस्करण का आयोजन फरवरी, 2016 में किया जाएगा।

7.91 **विदेशों में अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनीः** भारतीय रक्षा उद्योग की निर्यात संभावना को बढ़ावा देने के दृष्टिकोण से रक्षा प्रदर्शनी संगठन विदेशों में लगने वाले प्रमुख रक्षा अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनियों में 'भारतीय पैवेलियन' लगाता है ताकि भारतीय रक्षा उद्योग द्व ारा निर्मित किए जा रहे रक्षा उत्पादों के लिए बाजार को विकसित किया जा सके। इस अवधि के दौरान भारत ने यूरोसैटरी-2014, फार्नबोरो इंटरनेशनल एयर-शो (एफ आई ए), अफ्रीका एरोस्पेस और डिफेंस एक्सीविशन (ए ए डी)-2014, यूरोनेवल-2014 और इंडोडिफेंस एक्सपो एण्ड फोरम-2014 में भाग लिया।

राष्ट्रीय रक्षा पोत निर्माण अनुसंधान एवं विकास संस्थान (निर्देश)

7.92 राष्ट्रीय रक्षा पोत निर्माण अनुसंधान एवं विकास संस्थान (निर्देश) की स्थापना पोत निर्माण में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के उद्देश्य से की गई है। ऐसी परिकल्पना की गई है कि यह संस्थान भारत के भविष्य के पोत निर्माण कार्यक्रम के लिए एक प्रमुख केन्द्र होगा। एक पंजीकृत सोसायटी के रूप में निर्देश एक ऐसे युग का पथ प्रदर्शक है जहां देश में अलग-थलग पडी प्रौद्योगिकियां एकत्रित होंगी। विकासवादी डोमेन से पोत निर्माण में राष्ट्रीय प्रतिभा वैश्विक मानकों पर उभरेगी। वर्तमान में, निर्देश अपने संगम ज्ञापन के अनुरूप संबंधित क्षेत्रों में प्रशिक्षण कार्यक्रमों के साथ आरंभिक चरण में है। अब तक लगभग 450 कार्मिकों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। इस संस्थान के प्रगामी विकास के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा शिपयार्डों द्वारा 11 करोड़ रुपए की धनराशि का योगदान दिया गया है।

8

रक्षा अनुसंधान तथा विकास

रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन वायुवाहित पूर्व चेतावनी एवं नियंत्रण प्रणाली इम्ब्रेयर पर

डीआरडीओ का अधिदेश हथियारों, प्लेटफॉर्मो और निगरानी सेंसरों के वैज्ञानिक पहलुओं का आकलन करना और सलाह देना है; हमारी रक्षा सेनाओं के लिए अत्याधुनिक सेंसरों, हथियार प्रणालियों, प्लेटफॉर्मों और संबद्ध उपकरण के उत्पादन के लिए नवीनतम प्रौद्योगिकियों को विकसित करना है।

पृष्ठ भूमि

8.1 रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन (डीआरडीओ) रक्षा मंत्रालय का अनुसंधान तथा विकास का अंग है। इसकी स्थापना 1958 में रक्षा विज्ञान संगठन, जिसकी स्थापना वर्ष 1948 में रक्षा से संबंधित क्षेत्रों में अनुसंधान कार्य करने और वैज्ञानिक समस्याओं से संबंधित रक्षा सेवाओं पर सलाह और सहायता प्रदान करने के लिए की गई थी, के साथ तीनों सेनाओं की तत्कालीन विद्यमान तकनीकी विकास स्थापनाओं का विलय करके की गई थी। इसके पश्चात, प्रशासनिक कार्यक्षमता में सुधार करने के लिए वर्ष 1980 में एक अलग रक्षा अनुसंधान तथा विकास विभाग (डी डी आर एंड डी) का गठन हुआ था। 1958 में लगभग 10 प्रयोगशालाओं के समूह से शुरूआत करते हुए, वर्तमान में डीआरडीओ की 46 प्रयोगशालाएं हैं, जो पूर्व में तेजपुर से पश्चिम में मुंबई और उत्तर में लेह और दक्षिण में कोच्चिर तक दूरदराज के क्षेत्रों में स्थित हैं।

8.2 डीआरडीओ का अधिदेश हथियारों, प्लेटफॉर्मो और निगरानी सेंसरों के वैज्ञानिक पहलुओं का आकलन करना और सलाह देना है; हमारी रक्षा सेनाओं के लिए अत्याधुनिक सेंसरों, हथियार प्रणालियों, प्लेटफॉर्मों और संबद्ध उपकरण के उत्पादन के लिए नवीनतम प्रौद्योगिकियों को विकसित करना है। पिछले कुछ समय से, डीआरडीओ के अधिदेश को व्यापकता प्रदान करते हुए राष्ट्रीय साईबर सुरक्षा अभिकल्प को सहायता प्रदान करना भी शामिल हो गया है जिसमें परीक्षण क्षमताएं, सुरक्षा समाधान, नेटवर्किंग प्रणालियां और साइबर रक्षा उपकरण शामिल हैं। इस प्रक्रिया में, डीआरडीओ ने राष्ट्रीय अवसंरचना की स्थापना, रक्षा औद्योगिक क्षमता को बढ़ाना है तथा प्रतिबद्ध उच्च कोटि के मानव संसाधनों को विकसित किया हैं।

संगठनात्मक ढांचा

8.3 डीआरडीओ के प्रमुख रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार (एस ए टू आर एम) हैं, जो सचिव,रक्षा अनुसंधान तथा विकास विभाग और महानिदेशक आर एंड डी (डी जी आर एंड डी) भी है।

8.4 डीआरडीओ की 46 प्रयोगशालाओं द्वारा संचालित अनुसंधान तथा विकास कार्य के आधार पर, इन प्रयोगशालाओं को सात प्रौद्योगिकी समूहों (क्लस्टरों) नामतः आयुध एवं समाघात इंजीनियरिंग प्रणालियां (ए सी ई), वैमानिकी प्रणालियां (ए ई आर ओ), मिसाइल एवं सामरिक प्रणालियां (एम एस एस), नौसेना प्रणालियां एवं सामग्रियां (एन एस एंड एम), इलेक्ट्रॉनिक एवं संचार प्रणालियां (ई सी एस), सूक्ष्म इलेक्ट्रानिक उपकरण एवं संगणक प्रणालियां (एम ई डी एंड सी ओ एस) और जैव विज्ञान (एल एस) में वर्गीकृत किया गया है। इन समूहों में से प्रत्येक समूह, समूह महानिदेशकों के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन कार्य करता है। सात महानिदेशकों के कार्यालय पुणे (एसीई), बेंगलुरू (एयरो और ई सी एस), हैदराबाद (एम एस एस), विशाखापट्टनम (एन एस एंड एम) और दिल्लीं (एम ई डी एंड सी ओ एस एंड एल एस) में स्थित हैं।

8.5 इसके अतिरिक्त डीडीआर एंड डी का एक स्वायत निकाय नामतः वैमानिकी विकास एजेंसी,एक संयुक्त उपक्रम नामतः ब्रह्मोस एयरोस्पेस, चार मानव संसाधन संस्थान अर्थात् कार्मिक प्रतिभा प्रबंधन

केंद्र (सेप्टम), प्रौद्योगिकी प्रबंधन संस्थाान (आई टी एम), सैन्य प्रशिक्षण संस्थान (एम आई एल आई टी) और भर्ती एवं मूल्यांकन केंद्र (आर ए सी), एक मानद विश्वविद्यालय नामतः रक्षा उन्नत प्रौद्योगिकी संस्थान (डी आई ए टी) और तीन प्रमाणीकरण एजेंसियां नामतः सैन्य उड़ान योग्यता केंद्र और उड़ान योग्यता उत्पादों के लिए प्रमाणीकरण, अग्नि और विस्फोटकों के लिए अग्नि् विस्फोटक और पर्यावरण सुरक्षा रेंज तथा अपने विस्तार क्षेत्र के अधीन आने वाले सूचना सुरक्षा उत्पादों की ग्रेडिंग के लिए वैज्ञानिक विश्लेषण समूह हैं। ये प्रमाणीकरण एजेंसियां न सिर्फ डीआरडीओ बल्कि भारत सरकार के अन्य संगठनों को भी सेवाएं प्रदान करती हैं। डीआरडीओ की फंडिंग के अंतर्गत चार अनुसंधान बोर्ड (वैमानिकी, नौसेना, आयुध और जैव विज्ञान) कार्य कर रहे हैं ये बोर्ड सामरिक महत्व के क्षेत्रों में अकादमिक जगत में आधारभूत अनुसंधान को बढ़ावा देते हैं।

डीआरडीओ मुख्यालय

8.6 दिल्ली स्थित डीआरडीओ मुख्यालय सरकार और प्रयोगशालाओं के बीच इंटरफेस है और यह संगठन की संपूर्ण कार्य प्रणाली का समन्वय करता है। डीआरडीओ मुख्यालय में कॉरपोरेट निदेशालय नामतः बजट, वित्त और लेखा (बी एफ एंड ए), बाह्य अनुसंधान और बौद्धिक संपदा अधिकार (ई आर एंड आई पी आर),

तालिका 8.1

डीआरडीओ का कॉरपोरेट ढांचा

रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार (एस ए), सचिव डी डी आर एंड डी और डी जी आर एंड डी	
मुख्य नियत्रंक (अनुसंधान और विकास)	
मुख्य नियंत्रक एवं विकास (मानव संसाधन)	कार्मिक प्रतिभा प्रबंधन केंद्र (सेप्टम), रक्षा उन्नत प्रौद्योगिकी संस्थान (डी आई ए टी), रक्षा वैज्ञानिक सूचना और प्रलेखण केंद्र (डेसीडॉक), मानव संसाधन विकास (एच आर डी), प्रौद्योगिकी और प्रबंधन संस्थान (आई टी एम), सैन्य प्रशिक्षण संस्थान (एम आई एल आई टी),कार्मिक, जनसंपर्क, भर्ती एवं मूल्यांकन केंद्र (आर ए सी), सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ (आर टी आई)
मुख्य नियंत्रक अनुसंधान एवं विकास (संसाधन एवं प्रबंधन)	बजट और लेखा (बी एफ एंड ए), सिविल निर्माण और संपदा (सी डब्लू एंड ई), रक्षा प्रौद्योगिकी कमीशन (डीटीसी) सचिवालय, प्रबंधन सेवाएं, सामग्री प्रंबधन, संसदीय कार्य, योजना एवं समन्वय (पी एंड सी),राजभाषा एवं संगठन पद्धति निदेशालय,सर्तकता एवं सुरक्षा (वी एंड एस)
मुख्य नियंत्रक अनुसंधान एवं विकास (एस ए एम)	पद्धति अध्ययन एवं विश्लेषण संस्थान (ईसा), प्रणाली विश्लेषण और मॉडलिंग केंद्र (एस ए एम–सी), अंतरिक्ष सुरक्षा, तकनीकी एवं विकास (एस ए एम) कोर समूह (टी सी जी) कोर समूह (टी सी जी)
मुख्य नियंत्रक अनुसंधान एवं विकास (पीपी एंड एसआई)	औद्योगिक इंटरफेस और प्रौद्योगिकी प्रबंधन (आई आई टी एम), व्यापार के लिए सेवाओं से संपर्क (आई एस बी), अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और संयुक्त् उपक्रम (जेवी), निम्न् तीव्रता संघर्ष (एल आई सी), गुणवत्ता, विश्वसनीयता और सुरक्षा (क्यू आर एंड एस), नियत्रंकों के वैज्ञानिक सलाहकार, विदेश के तकनीकी सलाहकार
मुख्या नियंत्रक अनुसंधान एवं विकास (टी एम)	बाह्य अनुसंधान और बौद्धिक संपदा अधिकार (ई आर एंड आई पी आर), भविष्यवादी प्रौद्योगिकी प्रबंधन (एफ टी एम), अनुसंधान बोर्ड, अनुसंधान नवाचार केंद्र (आर आई सी)

मानव संसाधन विकास (एच आर डी), संसदीय कार्य, कार्मिक, योजना एवं समन्वय (पी एंड सी), जनसंपर्क, राजभाषा आदि मुख्यालय में शामिल हैं। कुछ अन्यक कॉरपोरेट निदेशालय भी हैं जो भागीदार संगठनों के साथ विशिष्ट कार्यों की देख–रेख करते हैं।उनके नाम औद्योगिक संपर्क और प्रौद्योगिकी प्रबंधन (आई आई टी एम), व्यापार के लिए सेवा (आई एस बी) और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग (आई सी) हैं। डीआरडीओ ने पिछले कुछ समय में, संबंधित क्षेत्रों नामतः साईबर सुरक्षा (सी एस), भविष्यवादी प्रौद्योगिकी प्रबंधन (एफ टी एम) समूह, गुणवत्ता, विश्वशसनीयता और सुरक्षा (क्यूय आर एंड एस), प्रणाली विश्लेषण और मॉडलिंग केंद्र (एस ए एम–सी) और तकनीकी समन्वय समूह आदि नए निदेशालयों/समूहों को प्रयोगशालाओं की सहायता/मार्गनिर्देश देने की विशेष भूमिका के साथ स्थापित किया है।

8.7 पांच मुख्य नियंत्रक अनुसंधान तथा विकास (सी सी आर एंड डी) हैं जो कि कॉरपोरेट मुख्यालय नामतः सी सी आर एंड डी, उत्पादन समन्वय और सेना संपर्क (पी सी एवं एस आई), सी सी आर एंड डी,मानव संसाधन (मा.सं.), सीसी आर एंड डी, प्रौद्योगिकी प्रबंधन (टी एम), सी सी आर एंड डी, संसाधन एवं प्रबंधन और कार्यान्वयन (आर एंड एम एंड कार्यान्वयन) और सी सी आर एंड डी,प्रणाली विश्लेषण एवं मॉडलिंग (एस ए एम) की गतिविधियों का कॉरपोरेट मुख्यालय का संगठनात्मक चार्ट तालिका 1 पर दिया गया है।

8.8 इसके अतिरिक्ति, एक मुख्य नियंत्रक अनुसंधान तथा विकास है जो सीईओ एवं एम डी ब्रहमोस के रूप में कार्य करते हैं। ब्रहमोस भारत और रूस का संयुक्त उपक्रम है जिसमें डीआरडीओ एक भागीदार है।

मानव संसाधन

8.9 मिशन मोड संगठन होने के कारण डीआरडीओ जनशक्ति योजना की गतिशील प्रणाली का अनुपालन करता है। कार्यभार और प्रयोगशालाओं द्वारा शुरू की गई नई परियोजनाओं के कारण आकस्मिक जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रत्येक दो वर्ष के पश्चात प्राधिकृत नियमित स्थापना (आर ई) की समीक्षा की जाती है। यह संगठन गतिशील जनशक्ति प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से अपनी जनशक्ति का सर्वोत्तम उपयोग करता है। संगठन को युवा और ऊर्जावान बनाए रखने और सेवानिवृतियों और अधिवर्षिता के कारण होने वाली रिक्तियों को भरने के लिए प्रयोगशालाओं द्वारा अपेक्षित वैज्ञानिकों को प्रत्येक वर्ष संगठन में शामिल किया जा रहा है। डीआरडीओ अपनी सभी भर्ती और मूल्यांकन गतिविधियों में आवेदनों की ऑनलाइन प्राप्ति की प्रक्रिया का अनुपालन करता है जिससे डीआरडीओ में ऑफलाइन/कागजी आवेदन प्रक्रिया बंद हो गई है। डीआरडीओ की कुल नफरी में 25,966 कार्मिक हैं, जिनमें से 7,574 कार्मिक रक्षा अनुसंधान और विकास सेवा (डी आरडी एस), 9643 कार्मिक रक्षा अनुसंधान तथा तकनीकी संवर्ग (डी आर टी सी) और 8,775 कार्मिक प्रशासन एवं संबद्ध संवर्ग में हैं।

8.10 डीआरडीओ अपने प्रशिक्षण संस्थांनों जैसे डी आई ए टी, पुणे (तकनीकी पाठ्यक्रमों के लिए),आई टी एम, मसूरी (तकनीकी–प्रबंधकीय कार्यक्रमों के लिए) और रक्षा प्रयोगशाला, जोधपुर (तकनीकी, प्रशासनिक और संबद्ध संवर्ग के लिए) के संस्थानों के माध्यम से कार्मिकों के सभी संवंर्गों का प्रशिक्षण सुनिश्चित करता है। प्रायोजित कार्यक्रम के अंतर्गत, प्रत्येक वर्ष कुछ चुनिंदा वैज्ञानिकों को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आई आई टी), भारतीय विज्ञान संस्थान(आई आई एस सी) और अन्य प्रतिष्ठित भारतीय विश्वविद्यालयों में एम ई/एम टेक/पी एच डी के लिए भेजा जाता है। डा. राजा रामन काम्पलैक्स डीआरडीओ के वैज्ञानिकों के लिए लक्ष्य प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया गया है। सतत शिक्षा कार्यक्रम (सीईपी) पाठ्यक्रम भी डीआरडीओ के वार्षिक प्रशिक्षण कार्यक्रम का भाग है। वर्ष 2014 में,75 से भी अधिक सतत शिक्षा कार्यक्रम (सीईपी) पाठ्यक्रम आयोजित किए गए थे जिनमें लगभग 1500 अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया था।

बजट

8.11 वर्तमान वित्त वर्ष 2014–15 के दौरान, डीडीआर एंड डी को 15,282.92 करोड़ रूपये आबंटित किए गए हैं। सरकार ने पिछले वित्त वर्ष 2013–14 की तुलना में विभाग का अनुमानित बजट 'राजस्व' शीर्ष में 432.10 करोड़ रूपये और 'पूंजी' शीर्ष में 4,240.65

करोड़ रूपये बढ़ा दिया है जिससे हथियार की नई प्रणालियों को विकसित करने में सहायता मिलेगी।

कार्यक्रम और परियोजनाएं

8.12 डीआरडीओ की परियोजनाएं पांच मुख्य परियोजना श्रेणियों अर्थात् मिशन मोड (एम एम), प्रौद्योगिकी प्रदर्शन (टी डी),विज्ञान और प्रौद्योगिकी (एस एंड टी), आधारभूत संरचना तथा सुविधाएं (आई एफ) और उत्पाद सहायता (पी एस) में विभाजित हैं। 1 जनवरी 2014 से लेकर 1 दिसम्बर 2014 की अवधि के दौरान, 3,152.98 करोड़ रूपये की कुल लागत की 52 नई परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई है। वर्तमान में डीआरडीओ में 294 परियोजनाएं (सामरिक परियोजनाओं को छोड़कर) चल रही हैं जिनकी अनुमानित लागत 47,824.71 करोड़ रूपये है। चल रही 294 परियोजनाओं में से 43 बड़ी परियोजनाओं (100 करोड़ रूपये की लागत से) की लागत 40,957.83 करोड़ रूपये है। सारणी 8.2 में उत्पादों और उनकी लागत का श्रेणीवार लागत का ब्यौरा दिया गया है:–

सारणी सं. 8.2
परियोजनाओं की विभिन्न
श्रेणी के लिए वित्तीय आबंटन

परियोजनाएं	परियोजनाओं की संख्या	लागत (करोड़ रूपये में)
मिशन मोड (एमएम)	60	36613.61
प्रौद्योगिकी प्रदर्शन (टीडी)	144	7182.75
आधारभूत संरचना तथा सुविधाएं (आईएफ)	23	1716.27
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (एस एवं टी)	62	1134.76
उत्पााद सहायता (पीएस)	05	1177.32
कुल	294	47,824.71
नोट: इन आंकड़ों में सामरिक कार्यक्रमों तथा 10 सी सी एस कार्यक्रमों वाली एम एम परियोजनाएं शामिल नहीं हैं।		

8.13 वर्तमान में 36,539.64 करोड़ रू. (डीआरडीओ का हिस्सा 20581.87 करोड़ रू.) की धनराशि वाले 10 प्रमुख कार्यक्रम सरकार द्वारा अनुमोदित किए गए हैं। सी सी एस कार्यक्रम की कुल लागत की लगभग 43.7 की निधि का प्रबंध प्रयोक्ता द्वारा किया जाता है। इनमें से दो परियोजनाएं लम्बी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल (एलआरएसएएम) तथा मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल (एमआरएसएएम) मिसाइलों के डिजाइन तथा विकास से संबंधित हैं। वैमानिकी के क्षेत्र में ध्वजपोत परियोजनाएं हल्के लड़ाकू वायुयान (एल सी ए) वायुसेना मेक–I, एल सी ए वायुसेना मेक–II, वायुवाहित पूर्व चेतावनी एवं नियंत्रण (एईडब्यूम एवं सी) प्रणाली, कावेरी इंजन तथा सैद्धांतिक रूप से अनुमोदित वायुवाहित चेतावनी तथा नियंत्रण प्रणाली (भारत) कार्यक्रम ए डब्लू ए सी एस (I) हैं।

8.14 वर्ष 2014 डीआरडीओ परियोजनाओं में कई महत्वपूर्ण माइलस्टोन/उपलब्धियों का साक्षी रहा है, जिनमें से कुछ का विवरण अनुवर्ती पैराग्राफों में दिए गए है:

अग्नि–4

'अग्नि' मिसाइल श्रृंखला: विकास लांचों की श्रृंखला में अंतिम मध्यवर्ती रेंज प्राक्षेपिक मिसाइल अग्नि–4 (3000 किमी.) को 20 जनवरी 2014 को पूरा किया गया है। अग्नि–4 का परीक्षण 2 दिसंबर, 2014

सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल 'आकाश'

को उड़ीसा तट से दूर व्हीलर द्वीप से भारतीय सेना के सामरिक बल कमान (एस एफ सी) कार्मिक द्वारा किया गया। यह मिसाइल प्रवेशनाधीन है। दूसरे अंतरमहाद्वीपीय प्राक्षेपिक मिसाइल अग्नि–5 (5000 किमी.) मिसाइल का निष्कासन (इंजेक्शन) परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है। एस एफ सी द्वारा उड़ीसा तट के व्हीलर द्वीप से अग्नि–। का 11 अप्रैल 2014 तथा 11 सिंतबर 2014 तथा अग्नि–2 का 10 नवंबर 2014 का सफल उड़ान परीक्षण किया गया।

सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल 'आकाश': मध्यम दूरी (25 किमी.) की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल 'आकाश' एक मोबाइल, बहु–दिशात्मक, मल्टी–टार्गेट प्वांइट/क्षेत्ररक्षण वाली प्रणाली है जो पूर्णतः स्व चालन की विधि में कई हवाई लक्ष्यों को एकसाथ भेद सकती है। अवरोध के समय मिसाइल की अच्छी पार्श्वीय त्वरण क्षमता टैक्टिकल स्ट्राइक वायुयान, बाम्बर्स, उच्च तुगंता टोही वायुयान तथा सशस्त्र सेना के हेलीकाप्टरों जैसे उच्च निष्पादन हवाई लक्ष्यों के विरूद्ध उच्च सैन्य क्षमता तथा योग्यता प्रदान करती है। आकाश मिसाइल प्रणाली के लिए सेनाओं द्वारा कुल उत्पादन ऑर्डर लगभग 20,400 करोड़ रू. दिया गया है। सेनाओं को 3,500 करोड़ रू. मूल्य की मिसाइल प्रणाली की सुपुर्दगी पहले ही दी गई है। प्रथम उत्पादन माडल का उड़ान परीक्षण भारतीय थल सेना के साथ फरवरी 2014 में सफलतापूर्वक कर लिया गया है तथा मिसाइल उत्पादन की प्रक्रिया स्थापित कर दी गई है। प्रयोक्त परीक्षणों के भाग के रूप में आकाश मिसाइल के सफल परीक्षण 26 अप्रैल, 28 मई, 18 जून, 12–13 अगस्त तथा 17–22 नवंबर 2014 को भारतीय वायु सेना तथा भारतीय थल सेना द्वारा किए गए।

दृश्य क्षमता से परे हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल 'अस्त्र': दृश्य क्षमता से परे हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल (बीवीआरएएएम) 'अस्त्र' (60 किमी.) की सिंगल शॉट संभाव्यता इसे अधिक विश्वसनीय बनाती है, का डीआरडीओ द्वारा विकास अधिक सैन्य क्षमता वाले सुपरसोनिक हवाई लक्ष्यों का सामना करने तथा नष्ट करने के लिए किया जा रहा है। मिसाइलें वर्ष 2013 में उड्डयनिकी एकीकरण तथा अन्वेषक मूल्यांकन हेतु वशवर्ती तरीके में एस यू–30 पर कठिन परीक्षण से गुजरी हैं। एस यू–30 मेक–। वायुयान तथा दो अस्त्र मिसाइलों के साथ शस्त्र एकीकरण का प्रदर्शन सी एफटी–।।।

सब सोनिक क्रूज मिसाइल निर्भय

उड़ानों के दौरान किया जा चुका है। शूटर तथा टार्गेट वायुयानों के साथ व्यापक अन्वेषक मूल्यांकन सी एफ टी चरण–।।। के दौरान सफलतापूर्वक किया गया। एस यू–30 मेकवायुयान से उड़ानें छोड़ने के लिए राकेट मोटर की उड़ान योग्यता, मार्च 2014 में पूरी की गई। एस यू–30 मेक–। वायुयान से पहला रिलीज परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है। भारतीय वायु सेना द्वारा गोवा की नौसेना रेंज से बी वी आर ए ए एम का परीक्षण सफलतापूर्वक 4 मई, 2014 तथा 20 जून 2014 को किया गया है।

सब-सोनिक क्रूज मिसाइल 'निर्भय': 1000 किमी. रेंज तथा 300 किग्रा. के युद्धशीर्ष ले जाने में समर्थ निर्भय

भारत की प्रथम स्वंदेशी रूप से डिजाइन की गई तथा विकसित लंबी दूरी की सबसॉनिक क्रूज मिसाइल है। इसके पास दो चरण सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइलें हैं। इस प्रणाली में प्राथमिक नेविगेशन के तौर पर रिंग लेजर जाइरोस्कोप आधारित जड़त्व नेविगेशन प्रणाली (आर आई एन एस–16) तथा द्वितीयक नेविगेशन प्रणाली के तौर पर एम ई एम एस आधारित जड़त्व नेविगेशन (एम आई एन जी एस) शामिल हैं। निर्भय का सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण एकीकृत परीक्षण रेंज (आई टी आर),बालासोर, उड़ीसा से 17 अक्टूबर, 2014 को किया गया।

लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल (एल आर एस ए एम): लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली 70 किमी. रेंज वाली मिसाइल, डीआरडीओ, भारतीय नौसेना तथा इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री (आई ए आई), इजराइल का एक संयुक्त विकास कार्यक्रम है। इन मिसाइलों से भारतीय नौसेना के तीन निर्देशित मिसाइल विनाशकों को सुसज्जित करने की योजना है। शस्त्र नियंत्रण प्रणाली (वर्टिकल लांच यूनिट वाले) तथा बहु–कार्य निगरानी ट्रैक तथा निर्देशन रेडार प्रणाली को दो पोतों को सौंप दिया गया है तथा मझगांव गोदीवाडा, मुम्बई में इनका अधिष्ठापन, प्रवर्तन, एकीकरण तथा परीक्षण जारी है। एल आर एस ए एम का रेंज के भीतर उड़ान लक्ष्य् के विरूद्ध सफल परीक्षण इजराइल में 10 नवंबर 2014 को किया गया। एच ओ टी परीक्षणों के पूर्व आवश्यकता के तौर पर होम ऑन टार्गेट (एच ओ टी) सेमी वेरिफिकेशन राकेट मोटर के दो स्थैतिक परीक्षण सफलतापूर्वक किए गए हैं।

मध्य्म दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल (एम आर एस ए एम): 70 किमी. रेंज की क्षमता वाली मिसाइल एम आर एस ए एम डीआरडीओ, भारतीय वायुसेना तथा आई ए आई, इजराइल का संयुक्त विकास कार्यक्रम है। विभिन्न उप–प्रणालियों/प्रमुख अवयवों जैसे समाघात प्रबंधन प्रणाली, मोबाइल पावर प्रणाली, रेडार पावर प्रणाली, मिसाइल लांचर लंबी दूरी खोज तथा ट्रैकिंग रेडार इत्याादि का डिजाइन इसी वर्ष पूरा कर लिया गया। रेडार शीतलन प्रणाली का विकास कर लिया गया है तथा सफलतापूर्वक रेडार के साथ जोड़ दिया गया है। प्रोटो री–लोडर का लदान परीक्षण भी उसी वर्ष पूरा कर लिया गया। सभी एम आर एस ए एम कार्यात्मक प्रोटोटाइपों की सुपुर्दगी कर दी गई है तथा आई ए आई, इजराइल में एकीकृत कर दी गई है। इस प्रणाली ने एल आर एस ए एम एच ओ टी परीक्षणों के दौरान शैडो मोड में सफलतापूर्वक भाग लिया है।

ठोस ईंधन डक्टिड रैमजेट प्रणोदन (एस एफ डी आर): आधुनिक एस एफ डी आर डीआरडीओ, रोजोबोरोन एक्सपोर्ट तथा रूस के मध्य एक संयुक्त विकास परियोजना है। एस एफ डी आर को डिजाइन गर्म गैस प्रवाह नियंत्रण का प्रयोग करके थ्रस्ट माडुलेशन वाली उन्नत प्रणोदन प्रणाली के साथ किया गया है। यह मिसाइल 8 किमी. की तुंगता पर 2.3, 2.5 मैक (डंबी) की गति पर 120 किमी. की रेंज पर कम स्मोक नोजल रहित बूस्टर से संरूपित है। वर्ष के दौरान प्रमुख उपलब्धियों में एस एफ डी आर प्रौद्योगिकी के परीक्षण के लिए मिसाइल कनफिगरेशन को अंतिम रूप देना तथा पूरी की गई प्रणोदन तथा उड्डयानिकी प्रणाली का प्रारंभिक डिजाइन समीक्षा (पी डी आर) पूरी कर ली गई है। स्वदेशी नोजल रहित बुस्टर के दो परीक्षण सफलतापूर्वक किए गए हैं।

नई पीढ़ी की विकिरणरोधी मिसाइल (एन जी ए आर एम): डीआरडीओ नई पीढ़ी के विकिरणरोधी मिसाइल एन जी ए आर एम के डिजाइन तथा विकास में लगा हुआ है, जिसकी 100 किमी. की रेंज है। पर्याप्त संशोधन के बाद ए के यू–58 लांचर को एस यू–30 मेक 1 वायुयान पर मिसाइल एकीकरण के लिए प्रयोग किया जाएगा। पी डी आर के लिए एयरफ्रेम संरचनाएं, प्रणोदन प्रणाली, ऑन बोर्ड कम्पयूटर, पैसिव होमिंग हैड तथा इलेक्ट्रिकल एकीकरण वर्ष की बड़ी उपलब्धियों में आते हैं। मिसाइल का संपर्क परीक्षण भी पूरा हो चुका है। प्रारंभिक डिजाइन चरण पूरा हो गया है, विंड टनल परीक्षण जारी है तथा हार्डवेयर तैयार किया जा रहा है।

सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल 'ब्रम्होस'

तीसरी पीढ़ी की टैंक-रोधी निर्देशित मिसाइल'हेलिना': उन्नत हल्के हेलिकाप्टर (ए एल एच–डब्यू एस आई) पर तैनाती के लिए 7.0 किमी. की मारक क्षमता वाली हेलिना मिसाइल का विकास डीआरडीओ द्वारा किया जा रहा है। यह मिसाइल वायुवाहित है तथा इसमें लांच होने से पहले लॉक–ऑन–प्रणाली लगी हुई है। हेलिना का सफल परीक्षण उड़ीसा तट के रक्षाबेस से 27 जून 2014 को किया गया।

मिसाइल लांच्ड प्रीसिजन गाइडेड युद्धसाम्रगी (एम एल पी जी एम एस): इस परियोजना के उद्देश्य में इमेजिंग इंफ्रा रेड (आई आई आर) सीकर आधारित पी जी एम तथा मिलीमीटर वेव (एम एम डब्ल्यू) सीकरों पर आधारित पी जी एम एस का डिजाइन और विकास शामिल है। एम एल पी जी एम ने एम आई आर ए सी एच मानवरहित हवाई वाहन (यू ए वी) से 19 अगस्त, 2014 को सफल उड़ान परीक्षण पूरा किया है, जो सीकर के मैथमेटिकल माडल के साथ युद्ध सामग्रियों के सतर्कता नियंत्रण निर्देशन एल्गोरिदम तथा मिशन ध्येय को पूरा करती है।

कैनन लांच्ड निर्देशित मिसाइल (सी एल जी एम): सी एल जी एम भारत के मुख्य युद्ध टैंक की फायर पावर क्षमता में वृद्धि करेगी। सी एल जी एम 5 किमी. की दूरी तक के शत्रु के टैंकों को भेदने में सक्षम है। सी एल जी एम के साथ किल मैकेनिजम टैंड तीव्र विस्फोटक टैंक–रोधी युद्धशीर्ष है। सी एल जी एम टैंकों की सिंगल शॉट किल संभाव्यता को बढ़ाती है और इसके लिए आर्टिलरी क्षमता पर बिना प्रभाव डाले टैंक के न्यूनतम आशोधन की जरूरत होती है। सी एल जी एम की महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों में थर्मल इमेजिंग, लेजर बीम राइडिंग निर्देशन, फ्लीपर नियंत्रण प्रणाली तथा निर्देशन तथा नियंत्रण प्रणाली का लघुरूप तथा कठोरीकरण शामिल है।

सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल 'ब्रह्मोस': ब्रह्मोस एक टू–स्टेज मिसाइल है जिसमें इसके प्रथम स्तर के तौर पर ठोस प्रणोदक बूस्टर इंजन होता है, जो इसे सुपरसॉनिक चाल प्रदान करता है तथा इसके बाद अलग हो जाता है। द्रव रामजेट अथवा दूसरा स्तर मिसाइल को क्रूज फेज में 3 मेक की गति प्रदान करता है। 290 किमी. तक की उड़ान रेंज है, यह सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल 200 से 300 किग्रा के भार वाला परंपरागत युद्धशीर्ष ढोता है।

ब्रह्मोस को सर्वप्रथम साल्वो मोड में 7 फरवरी, 2014 को अरब सागर में कर्नाटक तट से नौसेना के युद्ध पोत भा.नौ.पो. त्रिकंड से किया गया। भारतीय नौसेना ने स्वदेशी रूप से निर्मित भा.नौ.पो. कोलकाता, परियोजना 15ए श्रेणी ध्वंसक का अग्रणी पोत से सफलतापूर्वक ब्रह्मोस का उड़ान परीक्षण अरब सागर से 9 जून, 2014 को पूरा किया गया। उड़ान परीक्षणों के भाग के रूप में 8 जुलाई 2014 को उड़ीसा तट से ब्रह्मोस का टेस्ट फायर किया गया।

हाइपरसोनिक प्रौद्योगिकी प्रदर्शक वाहन (एच एस टी डी वी): डीआरडीओ 6.2 मेक तक की गति वाली एच एस टी डी वी विकसित कर रहा है। फुल स्केल स्क्रैमजेट कम्बस्टर का सफल ग्राउण्ड परीक्षण कनेक्ट पाइप मोड परीक्षण सुविधा में 20 सेकण्डो के लिए गैसीय एथीलीन ईंधन सहित किया गया। ईंधन 2.7 के अत्यधिक कम्बस्टर एंट्री मैक (डंबी)नंबर पर प्रज्जवलित होता है। कम्बस्टर निष्पादन थ्रस्ट पीढ़ी

एलसीए तेजस

के निबंधन में मिशन की जरूरतों को पूरा करता है। क्रूज वाहन पोतभ के प्रोटोटाइप को साकार रूप दिया गया है। लांच वाहन के लिए मध्य–स्तर के उड़ान हार्डवेयर को भी कार्यान्वित किया गया।

निदेशित ऊर्जा लेजर प्रणालीः डीआरडीओ ने टारगेट जैसे यूएवी के विरूद्ध 10 कि.वाट अवधारणा प्रमाण निदेशित ऊर्जा प्रणाली के विकास और सटीक ट्रैकिंग/प्वाइंटिग और लेजर बीम काम्बिनेशन की अति महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों की स्थापना के लिए परियोजना की शुरूआत की है। 350 एम तक टारगेट को रोटेट(घुमाने) के विरूद्ध सटीक लेजर आटो प्वाइंटिग और वास्तविक समय में वायुमंडलीय लेजर बीम प्रचार–प्रभाव की पीढ़ी के लिए परीक्षण बैड को स्थापित किया गया।

हल्का लड़ाकू वायुयान (एल सी ए) 'तेजस': स्वदेश में विकसित एल सी ए एक उन्नत प्रौद्योगिकी है, इसे हवा से हवा, हवा से सतह और हवा से समुद्र में समाघात भूमिकाओं के लिए एकल सीट, एकल इंजन, सुपरसॉनिक, हल्के भारी, सभी मौसमों के लिए, बहु–भूमिका, हवा उच्चता फाइटर के लिए डिजाइन किया गया है। यह विश्वे में विकासित सबसे छोटा, कम भार वाला, चौथी पीढ़ी का समाघात वायुयान है। चार तेजस वायुयानों (टी डी 1, टी डी 2, पी वी 1 एवं पी वी 2) का निर्माण पूर्ण स्केल इंजीनियरिंग विकास (एफ एस ई डी) चरण–I कार्यक्रम में किया गया था जो 31 मार्च, 2004 में पूरा हुआ था। एफ एस ई डी चरण–II कार्यक्रम में दो प्रोटोटाइप वाहनों तेजस पी वी 3 और पी वी 4 एवं एक दो–सीट वाले प्रशिक्षक परिवर्ती प्रोटोटाइप वाहन तेजस पी वी 5 के विनिर्माण के लिए विचार किया गया था। तेजस उत्पादन चरण की पहल की गई। भा.वा.से. ने प्रचलानात्मंक सेवा के साथ पहली तेजस स्क्वाड्रन के साथ प्रारंभिक क्लीयरेंस (आई ओ सी) संरूपण और अंतिम प्रचालनात्मक क्लीयरेंस वाली दूसरी स्क्वाड्रन वाले तेजस के अधिष्ठापन को अनुमोदित कर दिया है। प्रति वर्ष आठ वायुयानों की उत्पाादन दर के लिए हिन्दुस्तान वैमानिकी लिमिटेड (एच ए एल) में उत्पाादन सुविधाओं की स्थापना प्रगति में है। ग्वालियर में गर्म मौसम और रेडार चेतावनी रिसीवर (आर डब्यूउत्प आर) तरंग– एम के 1 बी के परीक्षणों का मूल्यांकन का संचालन किया गया। रेडार संबंधी परीक्षणों एवं शस्त्र रिलीज परीक्षणों को भी पूरा किया गया। 30 सितम्बर 2014 को पहली श्रृंखला उत्पादन तेजस वायुयान (एस पी 1) की प्रथम उड़ान भरी गयी। तेजस प्रशिक्षक (पी वी 6) ने 8 नवंबर 2014 को इसकी प्रथम उड़ान भरी थी। 30 नवंबर 2014 तक तेजस पर 2775 उड़ान परीक्षण किये जा चुके हैं। अंतिम प्रचलानात्मक क्लीयरेंस (एफ ओ सी) का समय जून, 2015 के लिए नियत है।

एल सी ए नौसेनाः एल सी ए नौसेना को वायुयान कैरियर के डेस्कों से संचालन के लिए डिजाइन किया गया है और इसमें मजबूत लैंडिंग गियर शामिल है जो उड़ान के दौरान स्काई जंप रेंप द्वारा लगने वाले बल को कम करता है। एफ एस ई डी चरण–I कार्यक्रम में दो प्रोटोटाइप (एल पी 1 एवं एन पी 2) के विनिर्माण पर विचार किया गया। एल सी ए नौसेना प्रोटोटाइप, एक दो सीट वाले प्रशिक्षक (एन पी 1) वायुयान पर उड़ानों को पूरा किया जा चुका है। 20 दिसंबर 2014 को गोवा में भा.नौ.पो. हंसा पर स्काई जंप सुविधा का, शोर आधारित परीक्षण सुविधा से एन पी 1 का प्रथम सफल पिक्चर परफेक्टा लांच का संचालन किया गया। दूसरा एल सी ए नौसेना प्रोटोटाइप, एक सीट वाला लड़ाकू (एन पी 2) वायुयान का प्रणाली एकीकरण के उन्नतिशील चरण में है। एन पी 2 वायुयान के लिए इंजन ग्राउंड रन (ई जी आर) पूरा हो गया है। आफ्टर–बर्नर ई जी आर पूरा हो चुका है। एल सी ए नौसेना के लिए ड्राप टैंक का विकास मार्च 2015 तक पूरा होने की उम्मीद है। एफ एस ई डी चरण–II कार्यक्रम में दो एक सीट वाले लड़ाकू प्रोटोटाइपों (एन पी 3 एवं एन पी 4) के विकास को टारगेट किया गया है।

यूएवी 'निशांत' – व्हिल्ड वर्जन

वायुवाहित पूर्व चेतावनी एवं नियंत्रण (ए ई डब्ल्यूीट एंड सी) प्रणाली: ए ई डब्लू एंड सी प्रणाली में वायुवाहित और समुद्री सतह के लक्ष्यों और शत्रु उत्सर्जन का पता लगाने और पूर्व चेतावनी प्रदान करने के लिए वायुयान पर लगाए गए संवेदक (सेंसर) शामिल हैं। यह प्रणाली ग्रांउड स्टेशनों के साथ–साथ ऑन बोर्ड वायुयान के नियंत्रकों को व्यापक जानकारी प्रदान करती है। पहले दो पूर्णतया आशोधित एमब्रेयर ई एम बी–145–वायुयान भारत में प्राप्त हुए थे। प्रणाली में निगरानी क्षमता और सहनशक्ति (सहायता) बढ़ाने के लिए हवा से हवा में ईंधन भरने का बेजोड़ प्रावधान है। प्राइमरी रेडार लाईन बदलने योग्य यूनिट (एल आर यू) सैकेण्डेरी निगरानी रेडार एल आर यू, मिशन प्रणाली नियंत्रक (एम एस सी) और एकीकृत आर डब्लू आर इलेक्ट्रानिक समर्थन मापन (ई एस एम) आत्म सुरक्षा सूट को प्रणाली परीक्षण एवं एकीकरण रिग, वैमानिकीय गुणता आश्वासन महानिदेशक और सेमिलेक से क्लीयरेंस (स्वीकृति) के पश्चात ही दो वायुयानों पर स्थापित किया जाएगा। ए ई डब्ल्यू एंड सी प्रणाली उड़ान परीक्षणों के अधीन है। अब

माले यूएवी रूस्तम – II

तक दो वायुयानों (के डब्लू पर 3555 एवं के डब्ल्यू 3556) का प्रयोग करते हुए लगभग 290 घंटों की कुल विभिन्न मिशन प्रणालियां ऑनबोर्ड परीक्षण के लिए 240 उड़ानें भरी गई।

वायुवाहित चेतावनी एवं नियंत्रण प्रणाली(भारत): ए डब्यू ए सी एस (1) कार्यक्रम दो प्रणालियों की सुपुर्दगी एवं विकास के लिए है जिसमें प्रांरभिक एवं परवर्ती (द्वितीयक) एंटीना दोनों का फ्रंट एंड इलेक्ट्रोनिकों को ले जाने के लिए गुंबद वाले वायुयान का संशोधन शामिल है। ए ई डब्ल्यू एंड सी के लिए प्रौद्योगिकी कार्यक्रम पर विचार करने और उत्पाद के निर्माण हेतु डाटा लिंक के लिए लंबी सहनशक्ति और उत्कृष्ट डाटा दर प्रदान करता है। कार्यक्रम के प्रथम चरण में, छिद्र ऐरे एंटीना यूनिट के विकास को लिया गया जिसके लिए डिजाइन संरूपण प्रक्रिया में है। विंड टनल परीक्षण के लिए उपयुक्त स्केल डाऊन माडल का डिजाइन भी प्रक्रियाधीन है।

चक्रीय (व्हीलड) रूपांतर निशांत 'पंछी': अस्त्र अवक्षेपी वाले चार निशांत वायुयानों को लांच (हाइड्रो न्यूमेटिक रूपांतर) किया गया और सभी ग्राउंड प्रणालियों को भारतीय सेना के सुपुर्द किया गया। सभी मिंशन उद्देश्यों को सफलतापूर्वक प्राप्त करने के लिए 24 दिसंबर 2014 को कर्नाटक में कोलार स्थित परीक्षण सुविधा में निशांत के व्हील्ड संस्करण की प्रथम उड़ान भरी गई।

मध्यम तुंगता की सहनशक्ति वाला यू ए वी 'रूस्तम- ।।': रूस्तम–II का डिजाइन 20,000 फीट ए एम एस एल पर सिंथेटिक छिद्र रेडार और लंबी दूरी के इलेक्ट्रॉ – ऑप्टीप्क पेलोडों (350 किग्रा. तक) की उड़ान से लैंडिंग तक 24 घंटों की सहनशक्ति के साथ 30,000 फीट ऊपर समुद्री स्त्र तंगुता (ए एम एस एल) पर कार्य करने के लिए किया गया है। इसका डिजाइन भारतीय सेना, भारतीय नौसेना एवं भा.वा.से. के लिए आसूचना, निगरानी और टोह मिशनों को अंजाम देने के लिए किया गया। तीन एयरफ्रेम एकीकरण और परीक्षण के विभिन्न चरणों के अधीन हैं।

एयरोस्टेट: एयरोस्टेट एक बैलून आधारित प्लेटफार्म है जो निगरानी और संचार उद्देश्यों के लिए हवा से भी हल्के वायु प्रिंसीपल और पेलोडों को ढोने के लिए कार्य करता है। 2000 सीयूएम 'आकाशदीप' के सफलतापूर्वक प्रदर्शन के बाद डीआरडीओ द्वारा एक नयी एयरोस्टेट प्रणाली,'नक्षत्र' का विकास किया जा रहा है जिसमें 3500 सीयू. एम वाल्यूम, 300 किग्रा.की शुद्ध पेलोड क्षमता वाले संचार आसूचना (सी ओ एम आई एन टी) संग्रहण और 7–14 दिनों की सहनशक्ति है। बैलून के लिए उड़ान मूल्यांकन परीक्षणों को पूरा कर लिया गया है। प्रणाली का एकीकरण प्रक्रिया में है और 2015 में प्रदर्शन के लिए तैयार हो जाएगा।

हैवी ड्राप प्रणाली (एच डी एस): 16 टन की क्षमता वाले एच डी एस से बना प्लेएटफार्म और पैराशूट की उच्च तर उन्नत प्रणाली है जिसे आई एल–76 हैवी लिफ्ट वायुयानों से सैन्य भंडारों जैसे वाहनों (बी एम पी श्रेणी सहित) आपूर्ति और गोला–बारूद के लोडों को गिराने के लिए डिजाइन, विकसित व निरूपित किया गया है। 'पी–7 एच डी एस'के लिए डीआरडीओ द्वारा विकसित यह प्रणाली प्रौद्योगिकी का विस्तार है तथा सात टन क्षमता वाले एच डी एस जिसका पहले ही विकास किया जा चुका है और सेना में शामिल करने के लिए भारतीय सेना द्वारा इसे मंजूरी दी जा चुकी है। प्रणाली में सन्निहित डिजाइन घटक फुल प्रूफ मैनर में दीर्घ बॉडी के पृथक्करण के साथ–साथ पैराशूट के सरल प्रस्तारण (परिनियोजन) और पूर्व–निर्दिष्ट लक्ष्य बिन्दु पर लोडों की लैंडिंग के दौरान वायुयान की सुरक्षा को सुनिश्चित करते हैं। ये प्रणालियां पुनः उपयोग की जा सकने वाली है जो सैन्य दलों को शांतिकाल में उनके नियमित सैन्य प्रशिक्षण को ड्राप अभ्यास प्रदान करती हैं। प्रणाली के लिए प्रयोक्ता सहायक तकनीकी परीक्षणों (यू ए टी टी) को पूरा कर लिया गया है।

दूसरो के एचएसपी कार्यक्रम के लिए पैराशूट प्रणाली

नियंत्रित एरियल डिलीवरी प्रणाली (सी ए डी एस): डीआरडीओ द्वारा विकसित सी ए डी एस एक एरियल डिलीवरी प्रणाली है जो रैम हवाई पैराशूट का इस्तेमाल करते हुए 100 एम सर्कुलर त्रुटि संभाविता में निर्दिष्ट लक्ष्य पर स्वतंत्र 500 किग्रा के पेलोड को डिलीवर करती है। प्लेटफार्म प्रणाली को ए एन–32 वायुयान से 3 टन तक गिराने के लिए पहले ही इंडक्ट कर लिया गया है। ए एन–32 वायुयान के लिए नियंत्रित एरियल डिलीवरी प्रणाली (500 किग्रा. एवं 4 टन) के लिए परियोजना की तैयारी प्रगति में है।

डीआरडीओ द्वारा विकसित पैराशूट प्रणाली का इस्तेमाल करते हुए भारत के मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम के अंतरिक्ष कैप्सूल की सफलतापूर्वक रिकवरी: जी एस एल वी मेक–III एक्स/सी ए आर ई की पहली प्रायोगिक उड़ान, भारत की अगली पीढ़ी लांच वाहन का इस्तेमाल डीआरडीओ द्वारा विकसित क्रू–माड्यूल (सी एम) की रिकवरी के लिए पैराशूट प्रणाली को प्रमाणित (परीक्षण) करने के लिए किया गया। 18 दिसंबर 2014 को पैराशूट प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था। जी एस एल वी मेक–III को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, श्रीहरिकोटा से लांच किया गया और सी एम को लिफ्ट–ऑफ

एमबीटी अर्जुन

के बाद 20 मिनट 43 सेकेंड में पोर्ट ब्लेयर के पास बंगाल की खाड़ी में रिकवर किया गया। इसरो द्वारा डिजाइन किया नया लांच वाहन अंतरिक्ष में मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम के 4000 किग्रा. सी एम को ले जाने में सक्षम है। डीआरडीओ द्वारा डिजाइन पैराशूट प्रणाली का इस्तेमाल हाइपरसॉनिक से सबसॉनिक

गति से एयरो–ब्रेकिंग के बाद भू–सतहपर माड्यूल को सुरक्षित लाने के लिए किया जाता है। यह उन पैराशूटों में से एक है जिसे उच्च प्रदर्शन टेक्सटाईलों का उपयोग करते हुए सी एम के सीमित स्थान में रखे जाने के लिए डिजाइन किया गया है। इसे लांच करने से पहले, डीआरडीओ ने ए एन–32 वायुयान, आई एल–76 वायुयान और एम आई–17 हैलिकॉप्टर से 14 वायु ड्राप परीक्षणों के माध्यम से उप–प्रणाली और प्रणाली योग्य सिद्ध किया था। इस परीक्षण के माध्यम से डीआरडीओ ने अधिकतम 4000 किग्रा के पेलोड के साथ अंतरिक्ष से सी एम की सुरक्षित रिकवरी के लिए सक्षमता को प्रमाणित किया। सभी पैराशूट प्रणालियां और उप–प्रणालियां टेक्स्ट बुक निष्पा्दन में वर्णित पहले प्रयास में सफलतापूर्वक रिकवरी प्राप्त करने के लिए डिजाइन की गई है।

ए एस बी ग्लाइडः 30 किमी. की रेंज वाले निर्देशित बम के नॉन–विंग्ड रूपांतर को 'गरूड़' नाम दिया गया है और 100 किमी. की रेंज वाले इस शस्त्र के विंग्ड रूपांतर को 'गरूथमा' कहा जाता है। गरूड़ के विकास परीक्षण के भाग के रूप में हस्तांतरण संरेखण और सुरक्षित अलगाव (अलग होने) को साबित किया गया। विंग किट कार्यान्वयन और विंड टनल परीक्षणों को विंग्ड रूपांतर गरूथमा के विकास परीक्षणों के भाग के रूप में पूरा किया गया। 19 दिसंबर, 2014 को बंगाल की खाड़ी, उड़ीसा तट पर गरूथमा ड्रॉप परीक्षणों का सफलतापूर्वक संचालन किया गया।

मुख्य युद्धक टैंक (एम बी टी) 'अर्जुन': एम बी टी अर्जुन मेक–II का डिजाइन एवं विकास एम बी टी अर्जुन मेक–II के 89 सुधारों को समाविष्ट करने के लिए किया गया। इनमें से 19 को सितंबर 2014 में पूरे हुए एम बी टी अर्जुन मेक–II के प्रदर्शन, खाई पार करने और स्टप क्लाइंबिंग (अधिरोहण) क्षमताओं के लिए मुख्ये सुधारों चरण IV प्रयोक्ता परीक्षणों के रूप में चिन्हित किया गया।

अर्जुन कवचित रिकवरी एवं मरम्मत वाहन (ए आर आर वी): ए आर आर वी को अर्जुन रेजिमेटों और मैकेनाइज्ड ग्राउंड फोर्सों के लिए व्यापक रिकवरी और मरम्मत सेवा प्रदान करने के आशय से बनाया गया है। दो अर्जुन रेजिमेंटों को अर्जुन चेसिस के साथ एस एमटी, एस टीई पर ए आर आर वी एवं एम बी टी अर्जुन के फील्ड मरम्मत के लिए कल–पुर्जों के साथ सुसज्जि त किया गया है। ए आर आर वी की मुख्य प्रणालियों में चेसिस एवं ऑटोमोटिव नियंत्रण, मेन विंच, ऑक्जीलरी विंच, क्रेन एवं एंकर सह डोजर, मेन इंजन एवं हाइड्रॉलिक प्रणाली शामिल हैं।

1500 एन वी इंजन का विकासः मिलिट्री इंजन के विकास के लिए 'राष्ट्रीय मिशन' के रूप में अगली पीढ़ी के मुख्य युद्धक टैंक (एन जी एम बी टी) के लिए '1500 एच पी इंजन के विकास' के लिए डीआरडीओ द्वारा एक प्रोजेक्ट शुरू किया गया है।

पिनाका

वर्ष 2014 के दौरान, डीआरडीओ द्वारा संकलपनात्मक डिजाइन का प्रथम माइलस्टोन सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है।

उन्नत कर्षित तोपखाना बंदूक प्रणाली (एटीएजीएस): डीआरडीओ ने 155 एम/52 कैल एटीएजीएस के डिजाइन एवं विकास कार्य का जिम्मा लिया है जो भारतीय सेना के तोपखाना के लिए उच्च परिशुद्धता एवं सामंजस्य (0.6% रेंज और 0.2% लाइन) प्रदान करता है। हार्डवेयर उप–प्रणालियां अर्थात बैरल, फर्स्ट ब्रीच मैकेनिज्म, मजल ब्रेक, रिक्वाइल प्रणाली, बंदूक संरचना तथा ऑटोमोटिव और ऑटोमेशन एवं नियंत्रण प्रणाली, नियत गोलाबारी आधार, बंदूक एकीकरण, बंदूक बैरल इत्यादि निर्माणाधीन हैं।

एम बी टी अर्जुन पर 130 एम एस (एस पी) कैटापल्ट बंदूक प्रणाली: डीआरडीओ एम बी टी

46एम एमएलसी–70 मॉडूलर ब्रिज

अर्जुन चेसिस तथा ऑटोमोटिव प्रणाली पर रूसी130 एम एम बंदूक प्रणाली के एकीकरण के द्वारा कैटापल्ट बंदूक प्रणाली के डिजाइन एवं विकास के कार्य में लगा हुआ है। इस प्रणाली को युद्धक्षेत्र में तोपखाना बंदूकें और समकालीन टैंकों के साथ सुमेल गतिशीलता के साथ प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। इस दिशा में डीआरडीओ द्वारा पूर्व में हासिल किए गए माइलस्टोनों में महाजन फील्ड गोलाबारी रेंजों में विकासात्मक गोलाबारी, 500 किमी. रन का ऑटोमोटिव परीक्षण तथा पोखरन फील्ड फायरिंग रेंजों में 200 राउंड गोलाबारी शामिल है। इस वाहन को जीएसक्यूआर आधारित प्रयोक्ता परीक्षणों के लिए तैयार किया जा रहा है जो 2015 के प्रारंभ में किए जाने के लिए नियत हैं जिसके उपरांत इन्हें तोपखाना में शामिल किया जाएगा।

मल्टी बैरल शकेट लांचर प्रणाली (एमबीआरएलएस) 'पिनाका' मेक-II: एमबीआरएलएस 'पिनाका' सभी मौसमों के लिए अप्रत्यक्ष रूप से फायर मुक्त उड़ान तोपखाना रॉकेट प्रणाली है। 37 किमी. की रेंज वाली पिनाका मेक–I की दो रेजिमेंटों को भारतीय सेना में शामिल करने के बाद डीआरडीओ ने 60 किमी. की बढ़ी हुई रेंज वाली पिनाका मेक–II के डिजाइन एवं विकास के कार्य का जिम्मा लिया है। पिनाका मेक–II के पहले सेट संरूपण को अंतिम रूप दे दिया गया है। इसके हार्डवेयर का निर्माण कर लिया गया है। इस डिजाइन को सुरक्षित करने के लिए प्राथमिक तकनीकी परीक्षण पूरे कर लिए गए हैं।

पहियेदार कवचित प्लेटफार्म (डबल्यू एच ए पी): डीआरडीओ दो प्रोटोटाइप प्रौद्योगिकी प्रदर्शक प्लेटफार्मों (एक डिजाइनर के मूल्यांकन के और एक यू ए टी टी के लिए) के स्वदेशी रूप से डिजाइन एवं विकास कार्य में लगा हुआ है। इस वर्ष टीबीआरएल, चंडीगढ़ में दो नमूनों के प्राक्षेपिक परीक्षण पूरे कर लिए गए हैं।

46 एम के सैन्य भार वर्ग (एम एल सी-70) के मॉडूलर पुल: डीआरडीओ ने लॉर्सेन एवं टूब्रो (एल एंड टी) के साथ औद्योगिक साझेदार के रूप में 14 मी से 46 मी की अलग–अलग दूरियों के लिए एकल स्पैयन में बिछाने के लिए 46 मी एमएलसी–70 माड्यूलर पुल के विकास की शुरूआत की है।अभी तक इसके एक प्रोटोटाइप का निर्माण कर लिया गया है। एम बी टी अर्जुन का यूएटीटी और लाइव भार परीक्षण भी किया जा चुका है। निष्पादन बढ़ाने के लिए इस प्रणाली का एक और प्रोटोटाइप निर्माणाधीन है।

युद्ध साम्रगी का नया वर्ग: मौजूदा युद्ध सामग्रियों में सुधार करने और इसकी निष्पादनता को बढ़ाने के

शिप लांच्ड हेवी वेट टॉरपीडो (वरूणास्त्र)

लिए डीआरडीओ द्वारा 06 प्रकार की युद्ध सामग्रियों अर्थात निपुण, विभव, विशाल, पार्थ, प्रचंड एवं उल्का को डिजाइन कर विकसित किया जा रहा है। ये तकनीकी और प्रयोक्ता तो परीक्षणों की विभिन्न अवस्थाओं में है।

एम बी टी अर्जुन के लिए अन्तर्वेधन तथा विस्फोट और थर्मो-बैरिक (टीबी) गोला बारूदः एम बी टी अर्जुन मेक–II के लिए 120 एम एम पी सी बी गोला बारूद के डाइनैमिक परीक्षण 2–6 जून 2014 के दौरान पी एक्सो ई, चांदीपुर में सफलतापूर्वक कर लिए गए हैं।

उन्नत टारपीडो रक्षा प्रणाली 'मारीच': मारीच एक उन्नलत टॉरपीडो रक्षा प्रणाली है जो आने वाले आधुनिक तथा विंटेज टॉरपीडो को संसूचित करने, गुमराह करने, ट्रैक करने, भ्रमित करने और घेरने में समर्थ है। इसकी अधिकतम कर्षण गति 32 समुद्री मील एवं सामरिक संचालन गति 10–24 समुद्री मील है। आई एन एस गंगा एवं आई एन एस गोमती के चालक दल के लिए मारीच प्रणाली का प्रशिक्षण रेजीमेंट आपरेशन एवं रख–रखाव कर लिया गया है। प्रयोक्ता मूल्यांकन परीक्षण प्रगति पर है और अभी तक 13 यू ई टी कर लिए गए हैं।

उन्नत हल्के भार वाले टारपीडो(ए एल डबल्यू टी): ए एल डब्लू में 29 से 50 समुद्री मील परिवर्तनीय गति, उच्च गति पर 12 किमी की रेंज, उच्च उपशमन डिजिटल बीम होमिंग प्रणाली, बहुल आकृति आपरेशन, जड़त्वीय नौ–संचालन प्रणाली, रूपित चार्ज वारहेड, अभ्यास टॉरपीडो के लिए बैलून रिकवरी प्रणाली है और यह पोत तथा वायु वाहित अनुप्रयोग दोनों के लिए है। पिछले वर्ष 6 गतिशील परीक्षणों को पूरा किया गया। होमिंग प्रणाली का एकीकरण, 70 कि.वा. बैटरी, नियंत्रक सहित 60 कि.वा. बीएलडीसी मोटर एवं अन्य सभी उप प्रणालियों को पूरा कर लिया गया है तथा गतिशील परीक्षणों को 2015 तक पूरा कर लिया जाएगा।

अधिक भार वाले पोत से लांच किया जाने वाला टरपीडो 'वरूणास्त्र': वरूणास्त्र पोत से छोड़े जाने वाला पनडुब्बी रोधी टॉरपीडो है जिसमें निम्न अपसरण नौसंचालन प्रणालियां,वाइड लुक एंगल के साथ ध्वनिक होमिंग, उन्नत ध्वनिक जवाबी–जवाबी उपाय की विशेषताएं, सक्रिय होमिंग, एटोनमस गाइडें एल्गोरिद्म, असंवेदनशील युद्ध सामग्री वारहेड एवं अभ्यास टॉरपीडो के लिए ग्लोबल पोजिशनिंग प्रणाली आधारित रिकवरी सहायता है। सात यू ई टी प्रथम चरण का वर्ष 2013 में संचालन किया गया। परीक्षणों के दूसरे चरण में नवंबर 2014 तक 11 यू ई टी का सफलतापूर्वक संचालन किया गया।

उन्नत हल्के कर्षित अरे सोनार (एलटस): एलटस पन डुब्बियों के संसूचन, स्थान निर्धारण एवं वर्गीकरण की एक प्रभावी संवेदन प्रणाली है। इस प्रणाली के प्रथम तकनीकी परीक्षण दिसम्बर, 2014 में किए गए।

वायु स्वतंत्र प्रणोदन (ए आई पी) प्रणाली के लिए भू आधारित प्रोटोटाइपः यह पनडुब्बियों के लिए फ्यूल सेल ए आई पी के लिए भू–आधारित प्रोटोटाइप है। इसका लक्ष्य ए आई पी संयंत्र उप–प्रणालियों, अभिकारक टैंकों तथा अपशिष्टत टैंकों कोपी–75 पनडुब्बियों सिमुलेटेड हल सेक्शन के अंदर पैकेज करना है। यह प्रणाली में बोरोहाइड्राइड के हाइड्रोलिसिस के माध्यम से हाइड्रोजन और तरल के माध्यम से ऑक्सीजन का स्वस्थाने प्रावधान है। इसके डिजाइन भाग को पूरा कर लिया गया है और उत्पादन पूर्व फ्लोर मॉडल का परीक्षण कर लिया गया है। हल मॉडल का एकीकरण कर लिया गया है और इसका परीक्षण जारी है।

लड़ाकू विमान (एल सी ए तेजस) के लिए ईडब्लू सूटः डीआरडीओ, रक्षा मंत्रालय इजराइल एवं मैसर्स एलिसरा, इजराइल के बीच एक संयुक्त विकास कार्यक्रम के तहत यू ई डब्यू एस जोकि एक एकीकृत रेडार चेतावनी एवं जैमर (आर डब्यूम के जे) प्रणाली है, के विकास, एकीकरण और मूल्यांकन का कार्य प्रगति पर है। तेजस पी वी 1 पर भू स्वीकृति परीक्षण को पूरा कर लिया गया है।

लड़ाकू वायुयान (एस यू-30 मेक-।) के लिए दो रंगों की मिसाइल अप्रोच चेतावनी प्रणाली (डीसीएमएडब्लूकर लएस): डीआरडीओ संयुक्त साझेदार मैसर्स एलिसरा,इजराइल के साथ एस यू–30 मेक वायुयान के लिए डी सी एम ए डब्लू एस का डिजाइन एवं विकास कर रहा है। प्रणाली एकीकरण के बाद एल आर यू (सेंसर, डिजिटल प्रोसेसिंग यूनिट और रिकार्डिंग प्रणाली) के विकास कार्य को पूरा कर लिया गया है।

मिग-29 अपग्रेड वायुयान (डी-29 प्रणाली) के लिए आंतरिक ई डब्लू प्रणालीः डीआरडीओ मिग–29 अपग्रेड वायुयान के लिए आंतरिक ई डब्लू प्रणाली को विकसित कर रहा है। सभी हार्डवेयर को एकीकृत कर लिया गया है। वायुयान को रिग में परीक्षण करने के उपरांत फरवरी 2014 में प्रदर्शित किया गया है।

वायुयान एकीकरण, भू परीक्षण, प्रणाली का उड़ान मूल्यांकन (सीमित एवं बहुउत्सर्जिक उड़ान परीक्षणों) को 2015 के प्रारंभ में शुरू किया जाएगा।

जगुआर डारिन III अपग्रेड वायुयान (डी-जेएजी प्रणाली) के लिए आंतरिक आर डब्लू जे प्रणालीः कोर ई डब्ल्यू इकाई डिजाइन के साथ पी डी आर

एमपीआर आरुद्ध

एवं महत्वपूर्ण डिजाइन समीक्षा पूरी कर ली गई है। डब्लू इकाई (निम्न दाब भाग)को विकसित कर इसका प्रणाली एकीकरण चल रहा है। ट्रांसमिटरों की तकनीकी विशिष्टियों को अंतिम रूप देकर विकास

एलएलटीआर 'अश्वनी'

कार्य प्रगति पर है। एच ए एल में वायुयान में संशोधन का कार्य भी प्रगति पर है।

भारतीय नौसेना 'समुद्रिका' के कैपिटल पोतों, वायुयानों और हेलिकाप्टरों के लिए ई डब्लू प्रणालियांः डीआरडीओ ने नौसेना स्टाफ की गुणात्मक जरूरतों के अनुसार विभिन्न प्लेटफार्मों के लिए प्रचलित सात ई डब्लू प्रणालियों (ई डब्लू सूइट 'शक्ति' ओ एम आई एन टी 'नयन' एवं 'सर्वधारीई एस एम 'तुषार','सारंग' एवं 'साराक्षी'औरई एस एम एवं सी ओ एम आई एन टी 'निकाश') के परिवार के विकास की जिम्मेदारी ली है। ऊपर लिखित प्रत्येक उत्पादों एवं हार्डवेयर के डिजाइन का क्रियान्वयन जारी है। 'समुद्रिका' परिवार के प्रथम उत्पाद अर्थात् सारंग ई डब्लू प्रणाली के प्रयोक्ता के लिए प्रयोगशाला प्रदर्शन नवंबर 2014 में किया गया।

गिरिशक्ति/हिमशक्ति के लिए महत्वपूर्ण अस्तिकत्व संघटक एवं प्रणाली साफ्टवेयरः इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य हिमशक्ति के लिए महत्वपूर्ण अस्त्वि संघटक एवं प्रणाली सॉफ्टवेयर का विकास करना है। भारतीय सेना 'डीआरडीओ प्रौद्योगिकियों वाले भारतीय उत्पाद खरीदो (बी ई एल)' श्रेणी के तहत पहाड़ी भूभाग (हिमशक्तित) के लिए एकीकृत डब्लू प्रणाली के प्रापण की प्रक्रिया में लगा हुआ है। प्रयोक्ताओं के लिए संचार तथा रेडार का प्रयोगशाला प्रदर्शन का कार्य पूरा कर लिया गया है। संचार ई डब्लू का फील्ड प्रदर्शन लेह में पूरा कर लिया गया है और रेडार ई डब्लू का प्रदर्शन 2015 की पहली तिमाही में निर्धारित किया गया है।

मध्यम शक्ति रेडार (एमपीआर) 'अरूध्र': एम पी आर, तेजी से बदलते हुए आधुनिक युद्ध क्षेत्र के लिए डीआरडीओ द्वारा डिजाइन तथा विकसित किया हुआ एक परिष्कृत बहु–प्रकार्यात्मक सेंसर है। इस एस–बैंड ठोसावस्था क्रियाशील छिद्र रेडार का विकास हैलिकाप्टरों, यूएवी तथा 100 किमी तक के धीमी गति रेडार क्रॉस सेक्शन (आरसीएस) हवाई लक्ष्यों सहित वायुवाहित लक्ष्यों का पता लगाने तथा ट्रैक करने के लिए किया जा रहा है। आजकल एमपीआर के प्रचालन के सभी मोडों को प्रयोक्ताओं ओं के प्रदर्शन के लिए कोलार पर स्थापित किया गया है।

लो लेवल ट्रांसपोर्टेबल रेडार (एलएलटीआर) 'अश्विनी': एलएलटीआर भारतीय वायुसेना (आईएएफ) के लिए एक अति आधुनिक 4डी क्रियाशील ऐरे प्रौद्योगिकी आधारित बहु–प्रकार्यात्मक रेडार है जिसे डीआरडीओ द्वारा विकसित किया जा रहा है ताकि उच्च लक्ष्य सघन और गहन ई डब्लू युद्धक्षेत्र वातावरण में उच्च मनूवैरेबल लक्ष्यों के बारे में हवाई क्षेत्र की जानकारी प्रदान की जा सके। एलएलटीआर लक्ष्य के आकार पर निर्भर करते हुए 200 किमी तक के यूएवी सहित वायुवाहित लक्ष्यों का अपने आप ही पता लगाएगा तथा ट्रैक करेगा। यह 30 मीटर से 15 किमी की ऊंचाइयों तक लड़ाकू वायुयान का पता लगाने में सक्षम होगा। रेडार प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का प्रयोगशाला वातावरण में विकास तथा परीक्षण किया गया है। एक्टिव ऐंटेना ऐरे यूनिट का डीआरडीओ में नियर फील्ड टेस्ट रेंज (एनएफटीआर) में अंशांकन (कैलिब्रेशन) किया जा रहा है।

सक्रिय इलेक्ट्रानिक रूप से स्कैन ऐरे रेडार (एईएसएआर) 'उत्तम':100 किमी की रेंज वाला उत्तम लड़ाकू वायुयान और एलसीए के लिए फायर नियंत्रण रेडार है। एईएसएआर में सक्रिय और इलेक्ट्रानिक रूप से नियंत्रित बीम, समानान्तर मल्टीमोड/ बहुकार्यात्मक क्षमता, लंबी दूरी तक हवा से हवा में पता लगाना तथा ट्रैकिंग, हवा से जमीन पर संसूचन और ट्रैकिंग, हवा से समुद्र में खोज और मल्टी टार्गेट ट्रैकिंग, हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल मार्गनिर्देशन की सहायता, उन्नत ईसीसीएम तथा विश्वसनीयता मिशन में सुधार के साथ पूरी तरह से ठोसावस्था एक्स–बैंड रेडार होगा।

साफ्टवेयर परिभाषित रेडियो (एसडीआर): विकास साझेदार के रूप में सी–डैक और वीसी तथा उत्पादन साझेदार (पार्टनर) के रूप में बेल के साथ मिलजुलकर कार्य करने की सोच के साथ डीआरडीओ द्वारा एस डी आर के विकास के कार्य को किया जा रहा है। इस परियोजना का उद्देश्य भारतीय नौसेना के लिए अपेक्षित मोबाइल और स्थैतिक दोनों सेनाओं को वायरलेस सुरक्षित संचार क्षमता प्रदान करने के लिए 3–2000 मेगाहर्ट्ज की रेंज में फ्रीक्वेंसी वाले नेटवर्क की सामर्थ्य वाला, इंटर ऑपरेबल और मॉडयूलर एसडीआर का विकास करना है। परियोजना उद्देश्यों में स्वदेशी प्रोटोटाइप एसडीआर एसडीआर– नौसेना समाघात, एसडीआर– टेक्टिकल, एसडीआर–मैन पैक, एसडीआर– एयरबोर्न और एसडीआर–हैंड–हैल्ड सहायता देनेवाला स्वदेशी 'वेवफॉर्म' और 4 लीगेसी वेवफॉर्मसका डिजाइन और विकास शामिल है। एस डी आर – नौसेना समाघात और एएम, एस डी आर सामरिक एफ एम, लिंक – II और सुरक्षित निम्नएआंकड़ा दर (सिक्योर लो डैटा रेट) (64 केबीपीएस) वेवफॉर्मस के विकासक समुद्री परीक्षण किए गए हैं। दो एसडीआर– वायुवाहित प्रोटोटाईप हार्डवेयर मॉड्यूल्स और चेसिस तैयार किए गए हैं। वर्तमान में, एसडीआर – एन सी परीक्षण प्रगति पर हैं।

समुद्री क्षेत्र के लिए परिस्थिजन्य जानकारी: नौसेना समुद्री क्षेत्र जानकारी (एमडीए) एक स्वदेशी अनुप्रयोग है जो ऑन–बोर्ड सेंसरों, किनारे पर आधारित सेंसरों और इंटरफेसिंग नेटवर्क के माध्यम से समुद्र में नौकाओं (पोतों) की निगरानी और आसूचना की जानकारियों को एकत्रित करके, मिलान करके और प्रचार द्वारा सामान्यप संक्रियात्मक पिक्चर प्रदान करता है। एमडीए अनुप्रयोग प्रचलित संक्रियात्मक प्रणाली (कस्टामाइज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम) और इन–हाउस विकसित सुरक्षा उपायोंपर कार्य करता है। इसमेंआवश्यमक योजना और विश्लेषण टूल्सत के साथ–साथ सही समय पर ट्रैक किए जा रहे पोतों के बारे में विशेष जानकारी प्रदान करने की क्षमता है। एमडीए अनुप्रयोगमें एक इनबिल्टा सह–संबंध फीचर है ताकिविभिन्नक स्रोतों से विशेष पोत की आने वाली जानकारी एकत्र की जाए। इस अनुप्रयोग में सूचना

उच्च तुंगता के लिए बायोडाइजेस्टर

आश्वा सन के लिए डाटा शेयरिंग के सभी स्तीरों पर उच्चक स्तर के सुरक्षा ओवरले शामिल हैं। इसे पूरे देश में लगाया गया है।

साइबर सुरक्षाः साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में, डीआरडीओ ने ट्रांजिट, भंडारण तथा प्रोसेसिंग के दौरान सूचना प्राप्त करने के लिए कई उच्च आश्वासन सुरक्षा प्रौद्योगिकियां विकसित की हैं। रक्षा सेवाओं तथा अन्य संवेदनशील सरकारी एजेंसियों को कई उच्च श्रेणी के संचार उपायों को सौंपा गया था।

केन्द्री इंटरनेट एक्सेस गेटवे (सीआईएजी): डीआरडीओ ने एक सीआईएजी तैयार किया है जो एक प्राइवेट एमपीएलएस क्लाउड है। डीआरडीओ की प्रत्येक प्रयोगशाला और एमबीपीएस लिंक पर क्लाउड से जुड़ी है। केन्द्रीय संचार लिंक (केंद्रीय रूटिंग हब के रूप में संरूपित) पर डीआरडीओ की सभी संघटक प्रयोगशालाओं के इंटरनेट ट्रैफिक के

संबर्धित आरटीआरएस सुविधा का साइड व्यू

न्यू असेंबली स्लेड

मिलाने और इसके द्वारा संपूर्ण संगठन में सामान्य सुरक्षा नीतियों को लागू करने को आसान करने के लिए इस नेटवर्क को स्थापित और प्रचालित किया गया है।

नाभिकीय, जैविक और रासायनिक (एनबीसी) रक्षा प्रौद्योगिकियांः डीआरडीओ की10 प्रयोगशालाओं को शामिल करते हुए 36 परियोजनाओं वाले'एनबीसी रक्षा प्रौद्योगिकियों पर कार्यक्रम' में विभिन्न उपलब्धियों में शामिल हैंः (1) सभी उप–प्रणालियों को बनाना, उदाहरण के लिए वायु(एयर) सैंपलिंग के लिए वायु(एयर) चक्रवात, बर्नर चैंबर, हाइड्रोजन जनरेटर और फ्लो कंट्रोल, ऑप्टिक्स–डायोड ऐरे डिटेक्टर, एकीकरण के लिए इलेक्ट्रॉनिक सिगनल प्रोसेसिंग और स्टैंड अलोन फ्लेम फोटोमीट्री आधारित रासायनिक युद्ध पद्धति एजेंट संसूचक प्रणाली के प्रोटोटाइप का विकास (2) आयन मॉबिलिटी स्पेक्ट्रोमेट्री आधारित एकल ट्यूब प्वांइट संसूचक और दो ट्यूब वाला स्वचालित रासायनिक एजेंट संसूचन का प्रोटोटाइप और नस, फफोले, खून तथा चोकिंग एजेंटों के लिए संसूचन क्षमता वाली अलार्म प्रणालियां (3) फर्स्ट एड किट–ए मेक–I के प्रोटोटाईप (4) नैनोमटीरियल्स आधारित व्यक्तिगत विसंदूषण किट मेक–II (5) एनबीसी कनिस्टिर नीलकंठ।

'स्वच्छ-भारत अभियान' को समर्पित बायोडाइजेस्टरः उच्च तुंगता क्षेत्रों में सैनिकों के इस्त्ेमाल के लिए, मानव मल–निपटान के लिए एक ईको–फ्रेंडली प्रौद्योगिक प्रणाली अर्थात् 'बायोडाइजेस्टर' का विकास किया गया है। बायोडाइजेस्टर का इस्तेमाल भारतीय आर्मी के ट्रांजिट कैंपों, सियाचिन ग्लेशियर, परतापुर और उच्च तुंगता वाले ठंडे प्रदेशों में सेनाओं में व्यापक रूप से किया जा रहा है। इसे कई अन्य स्थानों जैसे लक्षद्वीप, धमारा, उड़ीसा आदि पर संस्थापित किया गया है। इसकी सफलता को देखते हुए भारतीय रेलवे द्वारा इसे बड़े पैमाने पर संस्थापित किया गया है और अब ग्रामीण ग्राम पंचायतों और विभिन्न मंत्रालयों द्वारा इसकी मांग की गई है। डीआरडीओ ने 'बायोडाइजेस्टिर' को स्वच्छ भारत मिशन को समर्पित किया है।

8.15 राष्ट्रीय ढांचागत संपत्तियां

डीआरडीओ परीक्षण, मूल्यांकन और अन्य प्रयोजनों के लिए अति आधुनिक और उच्च लागत की अनुसंधान तथा विकास सुविधाओं को तैयार करने में सहायक रहा है जोकि देश के लिए मूल्यवान हैं। कुछ नई सृजित अपग्रेडेड सुविधाएं इस प्रकार हैं:

(i) **सी-कीपींग और मेनुवरिंग बेसिन (एसएमबी):** एसएमबी, सघन हाइड्रोडायनामिक मॉडल परीक्षण के लिए एक विश्व–स्तरीय सुविधा है। यह सुविधा पोतों, पनडुब्बियों और अंतर्जलीय शस्त्रों के संपूर्ण संक्रियात्मक कवच(एनवलप) को तैयार करने के लिए प्रयोग होती है।

(ii) **ट्रैक एक्सटेंशन और आर टी आर एस अगमेंटेशन (टीईआरए):** राष्ट्रीय परीक्षण सुविधा, आर टी आर एस को अपनी उड़ान वातावरण की अनुरूप (सिम्यूवलेटेड) डायनामिक स्थिति में विकासात्मक चरणों पर आयुध, मिसाइल, वैमानिकी तथा अंतरिक्ष से संबंधित विभिन्न घटकों, प्रणालियों और उप–प्रणालियों के परीक्षण और मूल्यांकन के लिए स्थापित किया गया है।

(iii) **उन्नरत प्रणाली केंद्र (सीएएस):** निर्माण में लगने वाले समय को कम करने के लिए उन्नत प्रणाली केंद्र(सीएएस)को सामरिक प्रणालियों के एकीकरण के लिए हैदराबाद में स्थापपित किया गया है।

8.16 कार्पोरेट पहल

डीआरडीओ की लंबी अवधि की प्रौद्योगिकी परिप्रेक्ष्य योजना (एलटीटीपीपी): डीआरडीओ ने सेनाओं की लंबी अवधि की एकीकृत परिप्रेक्ष्य योजना (एलटीआईपीपी) में दी गई प्रणाली जरूरतों को समझने तथा XIV(चौदहवीं) योजना अवधि से परे प्रौद्योगिकी आवश्यकताओं की कल्प करने के लिए भी एक अध्ययन कार्य को हाथ में लिया है। डीआरडीओ की एलटीटीपीपी का उद्देश्य प्रौद्योगिकी विकास योजना को एलटीटीपीपी में दी हुई प्रणाली अधिग्रहण योजनाओं को आगे बढ़ाना है जो हमारी सशस्त्र सेनाओं की जरूरतों को पूरा करने में दूर तक जाएगी। डीआरडीओ के प्रत्येक क्लस्टर से हासिल जानकारी को शामिल करके विस्तृत दस्तावेज इस वर्ष पूरे कर लिए गए हैं। प्रौद्योगिकी परियोजनाओं को बताने वाले एलटीटीपीपी को हाथ में लेने की जरूरत

तालिका सं. 8.3

डीआरडीओ द्वारा विकसित उत्पाद / प्रणालियां / प्रौद्योगिकियां

प्रणालियां	लागत (करोड़ रू. में)		
	अनु.एवं वि. लागत	प्रवेश की गई	प्रवेश के अधीन
मिसाइल प्रणालियां	4150.19	23863.25	41725.73
इलेक्ट्रॉनिक्स एवं रेडार प्रणालियां	1504.07	10642.70	22826.18
उन्नत सामग्रियां एवं सम्मिश्रण	126.53	3504.96	138.84
आयुध प्रणालियां	108.80	8362.38	4259.44
वैमानिकी प्रणालियां	12433.68	598.76	18872.04
संग्राम वाहन तथा इंजीनियरिंग प्रणालियां	776.02	13692.59	17882.67
जैव विज्ञान प्रणालियां	12.51	246.91	286.29
नौसेना प्रणालियां	327.20	1038.76	802.13
सूक्ष्म इलेक्ट्रॉनिक यंत्र तथा परिकलन प्रणालियां	195.46	1450.64	4649.41
कुल	**19634.46**	**63400.95**	**111442.72**
कुल योग (प्रवेश की गई + प्रवेश के अधीन)	**174843.67**		

है, परीक्षण सुविधा ढांचा, परीक्षण रेंज तथा अनुसंधान उत्कृष्टता केंद्र के संबंध में अपेक्षित संसाधनों की आवश्यकता होगी, अब इस पर कार्य किया जा रहा है।

उद्योग अंतरापृष्ठः डीआरडीओ ने, त्वरित प्रौद्योगिकी मूल्यांकन व्यापारीकरण (डीआरडीओ–फिक्की–एटीएसी) कार्यक्रम पर चल रही डीआरडीओ–फिक्की की पहलों के माध्यम से टी ओ टी (प्रौद्योगिकी हस्तांतरण) के लिए 12 लाइसेंस प्राप्त समझौते किए हैं। इसके अतिरिक्त 12 प्रौद्योगिकियों के लिए उद्योगों के टी ओ टी (केवल रक्षा इस्तेमाल के लिए) भी प्रयोगशालाओं के जरिए सीधे कर ली गई है। प्रौद्योगिकी प्रापण के अंतर्गत ऑफसेट के माध्यम से पांच प्रस्तावों पर कार्रवाई की गई थी जिनमें से एक के डीआरडीओ की प्रयोगशालाओं द्वारा सकारात्मक आवश्यकता के रूप में सफल परिणाम प्राप्त हुए। भारतीय उद्योगों द्वारा रक्षा उपस्कर के निर्माण/उत्पादन आधार को बढ़ाने के लिए रक्षा उत्पादन में भाग लेने के लिए औद्योगिक लाइसेंस प्रदान करने के लिए रक्षा मंत्रालय को 9 उद्योगों की सिफारिश की गई थी। डीआरडीओ ने, डीआरडीओ द्वारा विकसित प्रणालियों के निर्यात के लिए मसौदा निर्यात नीति तैयार की है। वर्ष के दौरान हुई तीन तिमाही संपर्क बैठकों (क्यूरआईएम) ने डिजाइन स्टेज से लेकर जीवन–चक्र सहायता (लाइफ साइकिल सपोर्ट) के आंरभ से ही डीआरडीओ, उत्पादन एजेंसियों और प्रयोक्ताओं के बीच आपसी सामंजस्य के लिए नींव रखी है।

सेनाओं में पारस्परिक संपर्कः सशस्त्र सेनाओं की आत्मनिर्भरता में वृद्धि के लिए स्वदेश में विकसित प्रणालियों के प्रवेशन को बढ़ावा देने के लिए डीआरडीओ के पास सेनाओं के साथ निरंतर पारस्परिक संपर्क स्थापित करने के लिए एक सुस्थापित तन्त्र (मैकेनिज्म) है। अड़चनों को हटाने और विकास टीम को आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार और तीनों सेनाओं के उपाध्यक्षों द्वारा डीआरडीओ की परियोजनाओं की संयुक्त समीक्षाएं और भारतीय थलसेना के सभी लाईन निदेशालयों के साथ नियमित रूप से आयोजित की जाती हैं। भारतीय नौसेना की लंबी अवधि की आवश्यकताओं के लिए भारतीय नौसेना डीआरडीओ सिनर्जी बैठकें पहले ही शुरू की जा चुकी हैं और क्लस्टर वार बैठकें नियमित रूप से आयोजित की जा रही हैं। प्रयोक्ता आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए डीआरडीओ प्रयोगशालाओं द्वारा हाथ में ली जाने वाली नई परियोजनाओं, जैसा कि एलटीआईपीपी में बताया गया है, पर प्रयोक्ताओं के साथ विभिन्न तिमाही संपर्क बैठक (क्यूआईएम) में चर्चा की गई है।

एक स्वतंत्र टीम द्वारा डीआरडीओ द्वारा विकसित प्रणालियों के आंतरिक मूल्यांकन की नीति को प्रयोक्ता परीक्षणों के लिए प्रस्तुत करने से पहले कार्यान्वित कर दिया गया है। यह सुनिश्चित करता है कि यह उत्पाद प्रथम प्रयास में ही प्रयोक्ता आवश्यकताओं को पूरा करता है। भारतीय वायुसेना द्वारा शामिल की गई डीआरडीओ द्वारा विकसित प्रणालियों की निष्पादनता की समीक्षा के लिए डीआरडीओ के वैज्ञानिकों को संचालनात्मक स्थानों पर नियुक्त किया गया है ताकि वे उपयोग पर सही और प्रत्यक्ष फीडबैक ले सकें और सामने आई समस्याएं, यदि कोई हों तो उनकी पहचान कर सकें। निरन्तर प्रयासों के कारण डीआरडीओ द्वारा विकसित प्रणालियों (प्रवेश की गई/प्रवेश के लिए अनुमोदित) का उत्पादन मूल्य लगभग 1,74,800 करोड़ रु. तक पहुंच गया है।

राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियांः डीआरडीओ ने नई दिल्ली में आयोजित रक्षा प्रदर्शनी–2014 में भाग लिया जिसमें डीआरडीओ की सभी प्रयोगशालाओं ने भाग लिया और विभिन्न प्रौद्योगिकीय क्लस्टरों के अधीन रक्षा प्रौद्योगिकियों में अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। वैश्विक अनु.एवं वि. सम्मेलन– डेस्टिनेशन इण्डिया, में व्यापारीकरण के एटीएसी कार्यक्रम के अधीन पहचानी गई अपनी प्रौद्योगिकियों के प्रदर्शन के लिए डीआरडीओ ने प्लेटफार्म का इस्तेमाल किया। अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्षेत्र में जनवरी 16–18, 2014 के दौरान आयोजित बहरीन हवाई–प्रदर्शनी में भारत ने डीआरडीओ द्वारा डिजाइन व विकसित की गई अपनी अत्याधुनिक वायुवाहित प्लेटफार्म प्रणालियों का प्रदर्शन किया। एम्ब्रेयर पर एकीकृत स्वदेशी एईडब्ल्यू एवं सी ने उड़ान प्रदर्शन में हिस्सा लिया। नवम्बर 2014 में आयोजित इंडो रक्षा प्रदर्शनी एवं फोरम,

जकार्ता में, डीआरडीओ ने पोतों तथा पनडुब्बियों के लिए एईडब्ल्यू एवं सी, सोनारों, रेडारों पनडुब्बियों के लिए अंतर्जलीय संचार प्रणालियों के क्षेत्र में अपने उत्पादों तथा प्रौद्योगिकियों का प्रदर्शन किया।

अंतर्राष्ट्रीय सहयोगः- अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से डीआरडीओ जिस उद्देश्य को पूरा करना चाहता है वह है, वैश्विक एस एवं टी सहयोग को बढ़ावा देना और रक्षा प्रौद्योगिकी में आत्म–निर्भरता और स्वदेशीकरण प्राप्त करने के लिए उससे संबंधित क्षमताओं को पूरा करना है। इस वर्ष डीआरडीओ ने रूस, अमरीका, इजराइल और सिंगापुर के साथ द्विपक्षीय रक्षा अनु.एवं वि. बैठकें आयोजित कीं। सितम्बर, 2014 में, डीआरडीओ के हित के विषय क्षेत्रों में डीआरडीओ ने सफलतापूर्वक भारत–अमरीकी प्रौद्योगिकी कार्यशालाएं आयोजित की। अक्तूबर 2014 में, डीआरडीओ और नॉर्वे की रक्षा अनुसंधान स्थापना ने रक्षा अनु.एवं वि. सहयोग के लिए एक 'स्टेटगेट ऑफ इन्टेंट' पर हस्ताक्षर किए। अनु. एवं वि. प्रौद्योगिकी सहयोग के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए आस्ट्रेलिया, स्पेन, कनाडा, मिस्र और दक्षिण अफ्रीका के साथ कुछ नई पहल की गई हैं।

बाहरी अनुसंधान (ईआर): शैक्षणिक संस्थानों और अनु.एवं वि. केन्द्रों में मौजूद एसएवंटी ज्ञान और प्रयोगात्मक (व्यावहारिक) उत्कृष्टता को काम में लाने के लिए तीन महत्वपूर्ण क्षेत्र अर्थात साईबर सुरक्षा, अंतरिक्ष सुरक्षा और निम्न प्रबलता संघर्षों को बाहरी अनुसंधान की निधिकरण के लिए शामिल किया गया था। भविष्य की डीआरडीओ की परियोजनाओं की योजना के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा और रणनीतिक मामलों पर दो अध्ययन परियोजनाएं मेमोरण्डा ऑफ कोलेबरेशन (एमओसी) के अन्तर्गत नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडीज को प्रदान की गई हैं। प्रयोगशालाओं में चालू परियोजनाओं में डीआरडीओ की सहायता के लिए आईआईएससी, आईआईटी और जवाहर लाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस्ड साइंटिफिक रिसर्च के साथ भी एमओसी किए गए हैं।

आयुध, उच्च ऊर्जा पदार्थ, जैव विज्ञान, सैंसर, बीज–लेखन, मानव मनोविज्ञान तथा शरीर क्रिया, सोलर सैल तथा गणितीय मॉडलिंग में करीब 400 चालू परियोजनाएं हैं। 56 परियोजनाओं को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया और अंतर्राष्ट्रीय तथा राष्ट्रीय जर्नलों और सम्मेलनों में 600 से अधिक पेपर प्रकाशित किए गए। ईआर द्वारा दी गई निधि वाली परियोजनाओं के परिणामों से दो पेटेंट फाईल किए गए हैं। डीआरडीओ के महत्व और उसके संगत विभिन्न क्षेत्रों में 148 से अधिक सम्मेलनों/कार्यशालाओं को प्रायोजित करने के लिए 9.71 करोड़ रु. दिए गए।

डीआरडीओ को 'अनुसंधान संस्थानों' की श्रेणी में एक बार फिर से प्रतिष्ठित 'थॉमसन रायटर्स इंडिया इनोवेशन पुरस्कार–2014' प्रदान किया गया है। डीआरडीओ ने 'उच्च प्रौद्योगिकी शैक्षणिक तथा सरकारी' श्रेणी में थॉमसन रायटर्स इंडिया इनोवेशन पुरस्कार–2011 भी जीता था।

बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर): डीआरडीओ के वैज्ञानिकों के नवाचार को कानूनी सुरक्षा प्रदान करने के लिए आयुध, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, सामग्रियां, जैव–चिकित्सा विज्ञान, खाद्य प्रौद्योगिकी इत्यादि क्षेत्रों में आने वाले उत्पादों/प्रक्रियाओं पर फाइल करने के लिए 140 आईपीआर आवेदनों (विदेशों के 2 सहित) पर कार्रवाई की गई। इस अवधि के दौरान 35 पेटेंट (विदेशों के 8 सहित) प्रदान किए गए। इसके अतिरिक्त भारत में 9 कॉपीराईट और 5 डिजाइनों को पंजीकृत किया गया। डीआरडीओ के वैज्ञानिकों के बीच आईपीआर जागरूकता का प्रचार करने के लिए इस अवधि के दौरान यूरोपीय पेटेंट कार्यालय के सहयोग से 2 कार्यशालाओं सहित 5 आईपीआर जागरूकता कार्यक्रम/कार्यशालाएं/पेटेंट क्लीनिक आयोजित किए गए।

8.17 पुरस्कार

आत्मनिर्भरता प्राप्त करने में डीआरडीओ के प्रयासों को बल देने में उनके उत्कृष्ट योगदानों के लिए विशिष्ट वैज्ञानिकों/डीआरडीओ की टीमों और अन्य क्षेत्रों से डीआरडीओ के सहयोगियों को अलग से सम्मानित करने के लिए भारत के माननीय प्रधानमंत्री द्वारा वर्ष 2013 के लिए डीआरडीओ पुरस्कार प्रदान किए गए।

डीआरडीओ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड: डॉ. दिपांकर बैनर्जी।

टैक्नालॉजी लीडरशिप अवार्ड: श्री एस अनंत नारायणन, वि.वै. एवं निदेशक एनपीओएल।

एकेडमी एक्सलेंस अवार्ड: सेवामुक्त प्रोफेसर एस मोहन, आईआईएससी बेंगलुरू तथा डॉ. वी. कामाकोटी, आईआईटी, मद्रास, चेन्नई।

सिलिकन ट्रॉफी: डीआरडीएल, हैदराबाद

टाइटेनियम ट्रॉफी: डिपास, दिल्ली

लीक से हटकर (पाथ ब्रेकिंग) अनुसंधान/उत्कृष्ट प्रौद्योगिकी विकास: डॉ. एससी सती, वैज्ञानिक 'एच' एवं निदेशक एडीआरडीई और उनकी टीम दूसरा पुरस्कार डॉ. एस गुरूप्रसाद, वैज्ञानिक 'एच' एवं निदेशक आर एंड डीई (पूर्व) और उनकी टीम तथा श्री आरएस चंद्रशेखर, वैज्ञानिक 'एफ', आरसीआई और उनकी टीम के बीच साझा किया गया।

निष्पादन की उत्कृष्टता के लिए डीआरडीओ पुरस्कार: यह पुरस्कार श्री पीएस सुब्रमण्यम, उत्कृष्ट वैज्ञानिक एवं निदेशक एडीए और उनकी टीम तथा डॉ. के तमिलमणि, उत्कृष्ट वैज्ञानिक, सेमिलाक और उनकी टीम के बीच साझा किया गया।

रणनीतिक योगदानों के लिए विशेष पुरस्कार: श्रीमती यूजे शांति, वैज्ञानिक एफ, स्पिक और उनकी टीम दूसरा पुरस्कार श्री के आर शंकर, वैज्ञानिक एफ, केयर और उनकी टीम तथा श्री राजीव थमन, वैज्ञानिक एफ, एसएजी और उनकी टीम के बीच साझा किया गया।

डिफेंस टैक्नालॉजी एब्सोर्बेशन अवार्ड: मैसर्स एकॉर्ड सॉफ्टवेयर एवं सिस्टम लिमिटेड, बेंगलुरू दूसरा पुरस्कार मैसर्स एयरोस्पेस इंजीनियर्स, सलेम, तमिल नाडु तथा मैसर्स कृष्णा इंडस्ट्रीज, मुम्बई के बीच साझा किया गया।

रक्षा प्रौद्योगिकी स्पिन ऑफ पुरस्कार: डीएफआरएल, मैसूर।

8.18 भारत को नवीनतम प्रौद्योगिकियों से सशक्त बनाने और हमारी सेनाओं को अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धी प्रणालियों से सुसज्जित करने की संकल्पना के साथ डीआरडीओ ने वैमानिकी, आयुध, संग्राम वाहनों, संग्राम इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, मिसाइलों, साईबर सुरक्षा, निम्न तीव्रता संघर्षों, जैव विज्ञान, एनबीसी संसूचन तथा बचाव, पदार्थों और नौसेना प्रणालियों जैसे विविध क्षेत्रों में अत्याधुनिक रणनीतिक तथा सामरिक सैन्य हार्डवेयर और संबंद्ध प्रौद्योगिकियों का उत्पादन करने में अपनी सक्षमता सिद्ध की है। डीआरडीओ की इस प्रौद्योगिकीय शक्ति के केन्द्र में पिछले पांच से भी अधिक दशकों में हासिल की गई प्रणाली डिजाइन, प्रणाली एकीकरण, जांच एवं मूल्यांकन और परियोजना प्रबंधन में इसकी विशेषज्ञता है जिसने इसे शस्त्रों और उनकी डिलीवरी प्रणालियों में स्वदेशी क्षमताओं को विकसित करने में सक्षम बनाया है।

9

अंतर सेवा संगठन

सैन्य इंजीनियरिंग महाविद्यालय, पुणे

अंतर सेवा संगठन तीनों सेनाओं की समान जरूरतों से संबंधित कार्यों के लिए उत्तरदायी है।

9.1 निम्नलिखित अंतर–सेवा संगठन सीधे रक्षा मंत्रालय के अधीन काम करते हैं:–

(i) सेना इंजीनियर सेवा
(ii) सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा
(iii) रक्षा सम्पदा महानिदेशालय
(iv) मुख्य प्रशासन अधिकारी का कार्यालय
(v) जन संपर्क निदेशालय
(vi) सेना क्रय संगठन
(vii) सेना खेल–कूद नियंत्रण बोर्ड
(viii) सशस्त्र सेना फिल्म और चित्र प्रभाग
(ix) राष्ट्रीय रक्षा कालेज
(x) विदेशी भाषा विद्यालय
(xi) इतिहास प्रभाग
(xii) रक्षा प्रबंधन कालेज
(xiii) रक्षा सेना स्टाफ कालेज
(xiv) रक्षा मंत्रालय पुस्तकालय

सेना इंजीनियर सेवा (एमईएस)

9.2 सेना इंजीनियर सेवा (एमईएस) सामरिक और संक्रियात्मक स्तर पर तीनों सेनाओं को सहयोग प्रदान करता है। यह संगठन व्यावसायिक और तकनीकी रूप से सक्षम अधिकारियों और अधीनस्थ कर्मचारियों से परिपूर्ण है।

9.3 सेना इंजीनियर सेवा सेना मुख्यालय में इंजीनियर–इन–चीफ के समग्र नियंत्रण में कार्य करती है, जो सभी प्रकार के कार्यों से संबंधित मुद्दों पर रक्षा मंत्रालय और तीनों सेनाओं के प्रमुखों का सलाहकार होता है। इसके पास 12000 करोड़ रूपये से अधिक का वार्षिक बजट संबंधी कार्यभार है। रक्षा बलों के आधुनिकीकरण के एक भाग के रूप में, काफी संख्या में आधारभूत संरचना परियोजनाओं को किये जाने की योजना बनाई गई है। सेना इंजीनियर सेवा मित्र विदेशी सरकारों के लिए विदेश में आधारभूत संरचना का सृजन करके सैन्य राजनयिक पहलों में भी सहयोग देता रहा है। सेना इंजीनियर सेवा संगठन जो प्रवीण कार्मिकों से युक्त है, कार्मिकों को पूरे देश में हर प्रकार के भू–भाग और विपरीत जलवायु स्थितियों में दूर–दराज अवस्थितियों में तैनात किया जाता है और वे शांति के समय कार्य सेवा सहयोग प्रदान करते हैं और युद्ध के दौरान समर्पित सहयोग प्रदान करने हेतु भी सुसज्जित होते हैं।

9.4 **प्रगतिशील महत्वपूर्ण परियोजनाएं:**

(क) **केन्दीय आयुध डिपो (सीओडी) आगरा और जबलपुर का आधुनिकीकरण:** समग्र "आधुनिकीकरण अभियान" के भाग के रूप में, सेना आयुध डिपो का आधुनिकीकृत निर्मित बिल्डिंग के साथ उन्नयन किया जा रहा है। चरण–। का कार्य समाप्त हो रहा है और चरण–।। का कार्य आरंभ हो रहा है। भारतीय कंक्रीट परिषद द्वारा 6 सितंबर 2014 को केंद्रीय आयुध डिपो आगरा की प्रशासनिक बिल्डिंग को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में "उत्कृष्ट कंक्रीट ढ़ांचा" के रूप में बनाने का निर्णय लिया गया है।

(ख) **ऊंची चढ़ाई वाले क्षेत्र (एचएए) के निवासी:** ऊंची चढ़ाई वाले क्षेत्र के निवासियों में सुधार लाने के लिए पायलेट परियोजना का चरण–। और चरण–।। सफलतापूर्वक पूरा हो गया है। 12 प्लाटुन अवस्थितियों पर चरण–।।। का कार्य चल रहा है। सृजित की जा रही परिसंपत्तियों का परीक्षण मूल्यांकन शीतकाल के बाद दिया जाएगा।

9.5 **पूर्ण हुई महत्वपूर्ण परियोजनाएं:**

(क) डिगलिगपुर में तट रक्षक के लिए ओटीएम और वैवाहिक आवास

(ख) कारनिकोबार में 37विंग वायु सेना स्टेशन के लिए ओटीएम आवास

(ग) जम्मू में 166 सेना अस्पताल के लिए ओटीएम आवास

(घ) बीकानेर में पैदल सेना प्रभाग (चरण–।) के लिए ओटीएम आवास

(ङ) सीडीए जबलपुर के लिए कार्यालय परिसर

(च) हिसार में मैकेनाइज्ड बटालियन के लिए ओटीएम आवास

(छ) दमन में पैदल सेना बटालियन के लिए ओटीएम आवास

(ज) फतेहगढ़ में सिख रेजिमेंट केंद्र के लिए धार्मिक बिल्डिंग

(झ) बीकानेर में बाल विद्यालय

(ञ) चंडी मंदिर में लद्दाख स्काउट्स बटालियन (चरण– ।) के लिए ओटीएम आवास

9.6 **महत्वपूर्ण पहल:**

(क) **रक्षा क्षेत्र में आउटसोर्स किया जाना:** कार्मिकशक्ति की कमी को पूरा करने के लिए, सरकार ने आवास के अनुरक्षण और मरम्मत सहित हाउसकीपिंग, सफाई व्यवस्था, सेना इंजीनियर सेवा स्थापनाओं की सुरक्षा के लिए सेवाओं का आउटसोर्स किये जाने का अनुमोदन किया है।

(ख) **कमान परीक्षण प्रयोगशाला:** आठ कमान परीक्षण प्रयोगशालाओं को चालू कर दिया गया है जो सीधे कमान और चीफ इंजीनियर कमान के नियंत्रण के तहत कार्य सेवाओं में गुणवत्ता नियंत्रण सुनिश्चित करेंगी।

(ग) **ई-निविदा:** निविदा प्रक्रिया में और पारदर्शिता तथा संगठन की समग्र दक्षता में सुधार लाने के लिए एनआईसी सर्वर पर एक ई–निविदा पोर्टल का सृजन किया गया है।

(घ) **रक्षा मंत्री द्वारा मेहराम नगर में नई आईडीएस बिल्डिंग की नींव रखा जाना:** तत्कालीन रक्षा मंत्री द्वारा 27 जून 2014 को मेहरामनगर में नई आईडीएस बिल्डिंग की नींव रखी गई थी।

(ङ) **बृहत:** संपूर्ण ई–अधिप्राप्ति। पांच लाख से उपर की सभी अधिप्राप्तियां केवल ई–अधिप्राप्ति के माध्यम से की जा रही हैं।

(च) **नवीकरणीय ऊर्जा:** सौर उर्जा के माध्यम से लगभग 150 मेगावाट उर्जा के उत्पादन और उपयोग के प्रस्ताव अनुमोदन और कार्यान्वयन हेतु तैयार किये गये हैं।

9.7 **वैवाहिक आवास परियोजना (एमएपी):** वर्ष 2002 में सशस्त्र बलों की सभी तीनों सेनाओं के लिए अपूर्ण वैवाहिक आवास को एक बार में निर्माण करने हेतु महानिदेशक वैवाहिक आवास परियोजना तैयार की गई थी। चरण–I, चरण–II और चरण–III में कुल 1,98,881 आवास यूनिटें बनाई जानी थीं। आवास के पैमाने, जो वर्ष 1983 में जारी किए गये थे, को अंत तक महत्वपूर्ण सुधारों के साथ संशोधित कर दिया गया। एमएपी को अल्पतम सर्वेक्षण सहित सलाहकार को सौंपे गये अभिकल्पना और कार्यकरण सहित आउटसोर्स की अवधारणा पर कार्य करने हेतु संरूपित किया गया है। भारत सरकार के हरित मानदंडों का कड़ाई से पालन करते हुए सभी आवास यूनिटें बनाई जा रही हैं।

सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा (एएफएमएस)

9.8 सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा में सेना, नौसेना और वायु सेना की चिकित्सा सेवाएं और महानिदेशालय, सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा शामिल हैं। प्रत्येक चिकित्सा सेवा लेफ्टिनेंट जनरल अथवा समकक्ष

रैंक में महानिदेशक चिकित्सा सेवा (डीजीएमएस) के अधीन है। महानिदेशक, सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा (डीजी,एएफएमएस), जो सेवा के प्रमुख हैं, रक्षा मंत्रालय के चिकित्सा सलाहकार और चिकित्सा सेवा परामर्शदायी समिति के अध्यक्ष भी हैं। एएफएमएस के कार्मिकों में सेना चिकित्सा कोर (एएमसी), सेना चिकित्सा कोर (गैर तकनीकी), सेना दंत चिकित्सा कोर (एडीसी) और सैन्य परिचर्या सेवा (एमएनएस) के अफसर शामिल हैं। इनके पास 130 सशस्त्र सेना अस्पताल हैं। एएमसी, एडीसी, एमएनएस और एएमसी (एनटी) की प्राधिकृत नफरी क्रमशः 5988, 658, 4600 और 363 है।

9.9 हमारे देश की सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा ने रक्षा कार्मिकों और उनके परिवारों को समर्पित और विश्वसनीय स्वास्थ्य देख–भाल की है। ये सेवाएं, युद्ध में तैनात किए जाने के समय अर्ध–सैनिक संगठनों के कार्मिकों और देश के अशांत और दूर–दराज क्षेत्रों में संक्रिया कर रहे अन्य केंद्रीय पुलिस/आसूचना बलों और जीआरईएफ यूनिटों को दी जाती हैं। एएफएमएस देश के भीतर भूतपूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों को चिकित्सा सेवा भी प्रदान करता है। प्राकृतिक विपदा, आपदा और संक्रियात्मक क्षेत्रों में यह सिविलियन नागरिकों को भी सेवा देती है।

9.10 सभी एमआई कक्षों, सिक बे, स्टेशन चिकित्सा देख–रेख केंद्र और विशेषज्ञ ओपीडी में ओपीडी कार्यभार लगभग 2.31 करोड़ था। पिछले वर्ष के दौरान सेना अस्पतालों में 6,85,272 से अधिक रोगियों को दाखिल किया गया था और उनका इलाज किया गया था।

9.11 वर्ष के दौरान लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय/कार्यकलापः

(I) **एएफएमएस में कार्मिक शक्ति की वृद्धि बढ़ाया जानाः** एससीओडी की 12वीं रिपोर्ट के अनुसार, 10590 कार्मिकों को तीन चरणों में बढ़ाए जाने की प्रकिया चल रही है। चरण–II (2012–14) पूरी हो गई है। चरण तीन के लिए कार्मिकशक्ति को बढ़ाए जाने का मामला प्रक्रियाधीन है।

(II) एएफएमएस में कमीशन

(क) **सिविल स्रोतों से अल्प सेवा कमीशनः** वर्ष 2014 में 26 महिलाओं सहित सिविल स्रोतों के 140 डॉक्टरों को अल्प सेवा कमीशन प्रदान किया गया था।

(ख) **एएफएमसी कैडेटों को कमीशनः** वर्ष 2014 के दौरान एएफएमसी के 103 कैडेटों को निम्नानुसार कमीशन प्रदान किया गयाः

(i) पीसी – 47

(ii) एसएससी – 56

(ग) अल्प सेवा कमीशन (एससीसी) के अफसरों को विभागीय स्थायी कमीशन (डीपीसी) प्रदान किया जानाः 2014 में 24 अल्प सेवा कमीशन के अफसरों को विभागीय स्थायी कमीशन प्रदान किया गया है (पुरूष 15 और महिला 09)।

(घ) विभागीय स्थायी कमीशन, एएमसी (एनटी): वर्ष 2014 के दौरान एएमसी (एनटी) के 05 अल्प सेवा कमीशन के अफसरों को स्थायी कमीशन (पीसी) प्रदान किया गया है।

(ङ) अन्य रैंकों (ओआर) को एएमसी (एनटी) में स्थायी कमीशन/अल्प सेवा कमीशन : वर्ष 2014 की रिक्तियों के विरूद्ध एएमसी (एनटी) में पीबीओआर को 05 स्थायी कमीशन और 10 अल्प सेवा कमीशन प्रदान किया गया था।

(III) **मानद परामर्शदाता/सलाहकार की नियुक्तिः** सशस्त्र सेनाओं की संपूर्ण चिकित्सा सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न विशेषज्ञताओं में सुविख्यात सिविलियन डाक्टरों की सेवा आवश्यकता, परामर्शदाता की विशेषज्ञता और मुफ्त सेवा उपलब्ध कराने की उनकी इच्छा के आधार पर उन्हें विभिन्न स्थानों पर मानद परामर्शदाता के रूप में नियुक्त किया जाता है।

(IV) **सशस्त्र सेनाओं में एच.आई.वी.-एड्सः** सशस्त्र सेनाओं में एचआईवी/एड्स नियंत्रण के लिए एएफएमएस एड्स नियंत्रण संगठन (एसीओ) नोडल संस्था है। इस संगठन ने सशस्त्र सेनाओं में एचआईवी नियंत्रण में एक उत्कृष्ट सफलता प्राप्त की है। सशस्त्र सेनाओं में नियंत्रण रणनीतियों के कड़े कार्यान्वयन से एच आई वी पॉजिटिव मामलों में बड़ी गिरावट आई है जिससे पता चलता है कि यह महामारी रूक रही है। डीजीएएफएमएस और एड्स नियंत्रण विभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के बीच 18 फरवरी, 2014 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। यह सशस्त्र बलों के एचआईवी/एड्स प्रभावित लोगों में और रोक–थाम, देख–देख और पुनर्वास के रोड मैप से संबंधित है।

(V) **सशस्त्र सेना चिकित्सा कालेज, पुणेः** यह कालेज रक्षा सेनाओं में सुनिश्चित कैरियर संभावनाओं के साथ अंडर–ग्रेजुएट और पोस्ट–ग्रेजुएट चिकित्सा और परिचर्या विद्यार्थियों को प्रशिक्षण प्रदान करता है। वर्ष 2014 में एमबीबीएस के लिए प्रवेश अखिल भारतीय आधारित परीक्षा–राष्ट्रीय प्रात्रता–सह–प्रवेश परीक्षा (एनईईटी) (अंडर ग्रेजुएट) के द्वारा केंद्रीकृत रूप से संचालित किया गया था और इस वर्ष के लिए एएफएमसी, पुणे में प्रवेश के लिए कुल 37717 उम्मीदवारों ने आल–लाइन आवेदन किया। उपर्युक्त के लिए आवेदन प्रक्रिया पूर्ण रूप से आन–लाइन की गई थी। उनकी योग्यता के आधार पर 1688 उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए बुलाया गया था। छंटाई किए गए उम्मीदवारों के लिए एएफएमसी में अंग्रेजी भाषा, तार्किक और बुद्धिमत्ता (टीओईएलआर) के लिए एक कंप्यूटर आधारित परीक्षा भी आयोजित की गई थी और अंततः वर्ष 2014 के लिए 130 (105 लड़के और 25 लड़कियां) विद्यार्थियों को एमबीबीएस पाठ्यक्रम में प्रवेश दिया गया था। इसके अतिरिक्त मित्र पड़ोसी देशों से प्रायोजित किए गए 5 उम्मीदवारों को प्रवेश दिया गया था।

(VI) **सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा (एएफएमएस) का आधुनिकीकरण**

(क) **परियोजना टेलीलिंकः** पोतों आदि पर सवार कार्मिकों के बीमार होने और घायल होने की घटनाओं का निवारण करने के लिए मुख्य भूमि तृतीय चिकित्सा नौसेना अस्पतालों के लिए टेलीलिंक पोतों की परियोजना प्रगति पर है। इस परियोजना के पूरा होने पर तृतीय चिकित्सा भूमि आधारित अस्पतालों के विशेषज्ञों/नौसेना सुपर विशेषज्ञों की राय और सुविज्ञता का पोतों/पनडुब्बियों पर सवार/सुदूर अवस्थिति में स्थित अस्पतालों में लाभकारी रूप में उपयोग किया जाएगा।

(ख) **सशस्त्र सेना चिकित्सा भंडारण डिपो (एएफएमएसडी) और आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन का स्वचालनः** "आईऔषधि" के रूप में नामित परियोजना एक वेब आधारित आनलाइन है और उससे ट्रैक प्रगति होती है। यह महत्वपूर्ण तरीके से बढ़ती अवधि को कम करने में सहायता करेगी और अनुपलब्ध (एनए) दवाइयों की सूचना सही समय पर प्रदान करेगी जो उनकी आवंटित निधियों से दवाइयों की अधिप्राप्ति प्रारंभ करने हेतु अस्पतालों की सहायता करेगी। यह रोगियों के संतोषपूर्ण स्तर को बढ़ाएगी। यह अनुप्रयोग दक्षतापूर्ण सामान सूची प्रबंधन और बेहतर भविष्यवाणी/योजना/अधिप्राप्ति में एएफएमएसडी की सहायता करेगा। प्रयोक्ता परीक्षणों को संचालित/पूरा किया गया है और सुरक्षा अनुमतियां प्राप्त की गई हैं। इस अनुप्रयोग की मेजबानी शीघ्र सशस्त्र सेनाओं में प्रयोग हेतु की जाएगी।

(ग) **कार्डियो थोरासिक वैसकुलर सर्जरी (सीटीवीएस) केन्द्र सेना अस्पताल आर एंड आर दिल्लीः** सीटीवीएस केन्द्र का कार्य पूरा हो गया है और यह कार्मिकशक्ति तथा उपस्करों के साथ कार्य कर रहा है।

(घ) डीजीएएफएमएस के कार्यालय ने अपने आश्रित लाभार्थियों को उच्च गुणवत्तापूर्ण, सघन स्वास्थ्य देखभाल प्रदान की है, जिसमें रक्षा के वरिष्ठतम व्यक्ति और उनके आश्रित शामिल हैं। आधुनिकतम, परिष्कृत 'अत्याधुनिक' चिकित्सा उपकरण वार्षिक अधिग्रहण योजनाओं (एएपी) के माध्यम से प्राप्त किए गए हैं जिन्हें चरणबद्ध आधुनिकीकरण तरीके के रूप में प्राप्त किया गया था जिससे वर्तमान में सेना अस्पतालों के विशेषज्ञतापूर्ण और महत्वपूर्ण देखभाल उपस्कर प्रोफाइल की अभूतपूर्व वृद्धि विकसित हुई है। पिछले 9 वर्षों में डीजीएएफएमएस के लिए बजट संबंधी आवंटन 1128 करोड़ रुपए को पूंजीगत बजट में विस्तृत कर दिया गया है और 5115 करोड़ रुपए को राजस्व बजट में विस्तृत कर दिया गया है। पिछले 7 वर्षों के दौरान भूतपूर्व सैनिक अंशदान स्वास्थ्य योजना (ईसीएचएस) संबंधी ब्यय 257 करोड़ रुपए है।

(ङ) समग्र विभिन्न सशस्त्र सेनाओं के अस्पतालों में अनिवार्य, जीवन रक्षक और नियमित प्रयोग के चिकित्सा उपकरणों का प्रबंधन करने के लिए व्यापक स्तर पर अभियान एक फोर्स मल्टिप्लाइंग रहा है और साथ ही रोगियों के देखभाल सेवाओं संबंधी हितकारी प्रभाव और सभी लाभार्थियों को संतोषपूर्ण पहचान बनी है। अनेक देशों को चिकित्सा और मानवीय सहायता प्रदान की गई है इसके द्वारा भारत के वैश्विक महत्व और उत्कृष्ट छवि को बढ़ावा मिला है। आज की स्थिति के अनुसार 312 वैध दर संविदाएं जिसमें सामान्य दवा सूची की 166 वस्तुएं शामिल हैं, करके प्रतिष्ठित विनिर्माताओं और फर्मों के साथ केंद्रीय दर संविदा को कवर करने में अभूतपूर्व उन्नति प्राप्त हुई है। अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) का औसतन 60% छूट प्राप्त हुई है, जो देश की एक महत्वपूर्ण बचत है, कैंसर रोधी दवाओं और प्रतिरोधक टीकों की अधिप्राप्ति को प्राथमिकता दी गई है।

(च) वित्तीय औचित्यों, सत्यनिष्ठा और बुद्धिमत्ता के सिद्धांतों का पालन करके उत्कृष्ट योजना और सुप्रवाही कार्यक्रम के माध्यम से समग्र सशस्त्र सेनाओं के लिए चिकित्सा उपकरणों का प्रावधान, अधिप्राप्ति और उन्नत आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन में हर तरह की उन्नति संभव हुई है।

(VII) मित्र देशों को प्रदत्त विदेश सहायताः

(क) वर्तमान में मालदीव राष्ट्रीय रक्षा सेना (एमएनडीएफ) अस्पताल को उपहार के रूप में देने के लिए एक सी टी स्कैन और एक एमआरआई मशीन की अधिप्राप्ति करने का प्रस्ताव उन्नत स्तर पर है।

(ख) भारत और यमन के बीच द्विपक्षीय सहयोग के भाग के रूप में, लगभग एक करोड़ रुपए की लागत वाले 10 चिकित्सा भंडारण वस्तुओं को यमन भेजने के लिए विदेश मंत्रालय (एमईए) द्वारा एकत्रीकरण हेतु उपलब्ध कराया गया है।

(ग) भारत सरकार द्वारा अनुमोदित 350 चिकित्सा भंडारण वस्तुओं को भारत–तजाकिस्तान मित्र अस्पताल (आईटीएफएच), तजाकिस्तान को भेज दिया गया है।

(घ) रिपब्लिक ऑफ तजाकिस्तान और रक्षा सचिव, भारत सरकार द्वारा 8 अक्टूबर, 2014 को भारत–तजीकिस्तान मित्र (आईटीएफएच) अस्पताल का उद्घाटन किया गया था। वर्तमान में 73 कार्मिक (9 अधिकारी, नर्सिंग सेवा के 4 सदस्य, 3 जूनियर कमीशन प्राप्त अधिकारी और 57 अन्य रैंक) की एक टीम को आईटीएफएच, तजाकिस्तान में तैनात किया गया है। अस्पताल में आंतरिक रोगियों और

बाहरी रोगियों के लिए दवाईयां, शल्य चिकित्सा, निश्चेतन विज्ञान, स्त्री रोग–विज्ञान दंत–शल्य चिकित्सा सहित ऑपरेशन थिएटर की सुविधा, प्रयोगशाला, गहन चिकित्सा इकाई (आईसीयू) और वार्डों (पुरूष और महिला रोगी दोनों के लिए) की सुविधा उपलब्ध है। आईटीएफएच के लिए विदेश मंत्रालय द्वारा निधियां उपलब्ध करवाई जाती है।

(VIII) **अस्पतालों का आधुनिकीकरण/उन्नयन**

(i) वार्षिक वृहत कार्य कार्यक्रम 2014–15: वार्षिक वृहत कार्य कार्यक्रम 2014–15 के दौरान सूची V (केन्द्रीय निधि परियोजनाएं) के तहत डीजीएमएस (सेना) को आवंटित सिलिंग के जरिए 13850.31 लाख लागत वाले विभिन्न अस्पतालों के लिए नौ कार्यों को सूचीबद्ध किया गया है।

(ii) हॉस्पिटल परियोजना श्रृंखला संख्या 2: एक वृहत दस्तावेज जिसमें रक्षा कार्य प्रक्रिया (2007) की व्याख्या की गई है और प्रशासनिक अनुमोदन स्तर के पश्चात अस्पताल परियोजना का कार्यान्वयन नवंबर, 2013 में एएमसी केंद्र और कालेज, लखनऊ की 52वें एएमसी द्वि वार्षिक सम्मेलन के दौरान प्रकाशित और जारी किया गया था। 53वीं द्विवार्षिक सम्मेलन नवंबर, 2015 में अनुसूचित है।

(IX) अनुसंधान संबंधी क्रियाकलाप: पुणे में फरवरी, 2014 में हुई सशस्त्र सेना चिकित्सा अनुसंधान समिति (एएफआरएमसी) की 52वीं बैठक के दौरान 8.13 करोड़ रूपए की अनुमानित लागत से 125 अनुसंधान परियोजनाओं को अनुमोदित किया गया था।

(X) एएफएमएस अस्पतालों में विदेशी नागरिकों का उपचार: भारत सरकार द्वारा बढ़ाई जा रही मैत्रीभाव के एक उपाय के तौर पर अफगानिस्तान, भूटान, नेपाल, बांगला देश और मालदीव जैसे देशों के सशस्त्र सेना कार्मिकों को एएफएमएस अस्पतालों में उपचार सुविधाएं दी जाती हैं।

(XI) श्रेष्ठ कमान अस्पताल के लिए रक्षा मंत्री ट्राफी: वर्ष 2014 के लिए कमान अस्पताल (दक्षिण कमान) पुणे ने 'सशस्त्र सेनाओं में श्रेष्ठ कमान अस्पताल' के लिए स्पृहणीय 'रक्षा मंत्री ट्राफी' प्राप्त की।

(XII) विदेशी छात्रों को चिकित्सा/दंत पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण: मित्रवत् पड़ोसी देशों द्वारा प्रायोजित 115 छात्रों को इन देशों से प्राप्त आग्रह के आधार पर एएफएमएस द्वारा अपने प्रशिक्षण संस्थानों/अस्पतालों में विदेशी राष्ट्रों को विभिन्न चिकित्सा/दन्त चिकित्सा पाठ्यक्रमों में चिकित्सा/दन्त चिकित्सा पाठ्यक्रम उपलब्ध करवाए गए है।

(XIII) **आपदा राहत:**

(क) ऑपरेशन मेघ राहत: जम्मू और कश्मीर राज्य में अभूतपूर्व बारिश हुई जिससे कि जम्मू और कश्मीर घाटी के निचले क्षेत्रों में व्यापक बाढ़ आ गई थी। सशस्त्र सेनाओं ने 'ऑपरेशन मेघ राहत' नामक बाढ़ आपदा ऑपरेशनों में भाग लिया और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में चिकित्सा राहत पहुंचाई।

(ख) ऑपरेशन लहर – चक्रवाती तूफान 'हुदहुद': 12 अक्तूबर, 2014 को हुदहुद एक बड़ा प्रचंड चक्रवाती तूफान सीधा विशाखापट्टनम और ओडिशा के तट से टकराया। हवा की गति 205 कि.मी. प्रति घंटा होने के कारण विशाखापट्टनम शहर में सामान्य और विशेषकर नौसेना क्षेत्र में व्यापक तबाही हुई थी। चक्रवाती तूफान हुदहुद के परिणामस्वरूप सशस्त्र सेनाओं ने राहत के लिए ऑपरेशन चलाया जिसे 'ऑपरेशन लहर' का नाम प्रदान किया गया।

(ग) पूर्णिया (बिहार) स्थित 3 आरएएमटी: बाढ़ के सन्निकट जैसी स्थिति से प्रभावित बिहार के विभिन्न जिलों में स्थानीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए, 4 अगस्त, 2014 को पालम से 3 आरएएमटी एयर लिमिटेड पूर्णिया के लिए तैनात किये गए थे।

स्थानीय प्राधिकारियों से तैनाती निर्देशों के इंतजार के दौरान, टीम ने स्कूली बच्चों, अध्यापकों, परिवारों और सिविल जनसंख्या के लिए स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन किया था।

रक्षा सम्पदा महानिदेशालय

9.12 रक्षा सम्पदा महानिदेशालय, नई दिल्ली, 62 छावनियों में रक्षा भूमि और नागरिक प्रशासन के प्रबंधन से संबंधित सलाहकार और कार्यपालक का कार्य करता है। यह महानिदेशालय, वर्तमान में जम्मू, चंडीगढ़, कोलकाता, लखनऊ पुणे और जयपुर स्थित छह प्रधान निदेशालयों के माध्यम से कार्य करता है। यह प्रधान निदेशालयों के माध्यम से कार्य करता है। ये प्रधान निदेशालय बारी–बारी से कई फील्ड कार्यालयों जैसे कि रक्षा संपदा कार्यालयों, सहायक रक्षा सम्पदा कार्यालयों और छावनी बोर्डों जैसे कार्यालयों को देश के चारो ओर फैले छावनी बोर्डों और रक्षा भूमियों के दैनंदिन प्रबंधन का कार्य सौंपता है।

9.13 रक्षा मंत्रालय के स्वामित्व में देश भर में लगभग 17.54 लाख एकड़ रक्षा भूमि है जिसका प्रबंधन तीनों सेनाओं और अन्य संगठनों जैसे कि आयुध निर्माणी बोर्ड, डीआरडीओ, डीजीक्यूए, सीजीडीए आदि द्वारा किया जाता है। सेना के नियंत्रण और प्रबंधन में सर्वाधिक अर्थात 14.14 लाख एकड़ भूमि है और इसके बाद वायुसेना और नौसेना के पास क्रमशः 1.40 लाख एकड़ और 0.44 लाख एकड़ भूमि है। अधिसूचित छावनियों के अंदर लगभग 1.57 लाख एकड़ रक्षा भूमि है और शेष लगभग 16.00 लाख एकड़ भूमि छावनियों से बाहर है।

9.14 महानिदेशालय ने सभी रक्षा भूमि का कम्प्यूटरीकरण का कार्य पूरा कर लिया है। सभी रक्षा भूमि का सर्वेक्षण कार्य और सीमांकन और रक्षा भूमि पर नियंत्रण और प्रबंधन को सुदृढ़ बनाने के लिए रिकार्डों का डिजीटाइजेशन का कार्य चल रहा है।

9.15 रक्षा संपदा विभाग सशस्त्र सेनाओं के लिए रिहायशी आवासों और भूमि को किराए पर लेने/ अर्जित करने का कार्य भी करता है। जम्मू व कश्मीर में अचल सम्पत्ति का अर्जन जे एंड के आरएआईजी अधिनियम, 1968 के अधीन किया जाता है।

9.16 रक्षा सम्पदा महानिदेशालय, रक्षा मंत्रालय की ओर से छावनियों में नागरिक प्रशासन के नियंत्रण, मानीटरी और निरीक्षण के लिए भी उत्तरदायी है। भारत में 62 छावनियां हैं। ये छावनियां राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सहित 19 राज्यों में स्थित हैं। छावनी बोर्ड 'बॉडी कार्पोरेट' होते हैं जो केन्द्रीय सरकार के समग्र नियंत्रण में और छावनी अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के तहत कार्य करते हैं। छावनी बोर्डों के आधे सदस्य निर्वाचित होते हैं। स्टेशन कमांडर छावनी बोर्ड का अध्यक्ष होता है। इन निकायों के कार्यकरण का पर्यवेक्षण और नियंत्रण मध्यवर्ती स्तर पर जनरल आफीसर्स कमांडिंग इन चीफ और प्रधान निदेशक, रक्षा सम्पदा द्वारा और उच्चतम स्तर पर रक्षा सम्पदा महानिदेशालय के माध्यम से केन्द्रीय सरकार द्वारा किया जाता है। वर्तमान में मेरठ छावनी में 61 छावनी बोर्ड और विविध चयन बोर्ड हैं। 57 छावनी बोर्डों में 11 जनवरी, 2015 में चुनाव आयोजित किए गए थे। बाकि बचे 5 छावनी बोर्डों में मई–जून, 2015 में चुनाव आयोजित किए जाने की संभावना है।

9.17 छावनी बोर्डों की बड़ी संपत्ति सरकार की होती है जिन पर टैक्स नहीं लगाया जा सकता। अतः छावनी बोर्डों के स्रोत सीमित हैं। तथापि, बोर्ड को केन्द्रीय सरकार की संपत्तियों से जुड़े सेवा शुल्क के भुगतान की प्राप्ति होती है। केन्द्रीय सरकार उन कुछ छावनी बोर्डों की जो वित्तीय घाटे में होते हैं, सहायता अनुदान के जरिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती है ताकि वे अपने बजट को संतुलित कर सकें। वित्तीय वर्ष 2014–15 के दौरान वित्तीय घाटे वाले छावनी बोर्डों को 226.26 करोड़ रूपयों का भुगतान किया गया। इसके अतिरिक्त दिसंबर 2014 में छावनियों में

पूंजीगत संपत्ति के निर्माण हेतु कुल 30.120 करोड़ की राशि उपलब्ध कराई गई।

9.18 प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने के लिए छावनी बोर्ड प्राथमिक विद्यालय चलाते हैं। कई छावनी बोर्ड उच्चतर माध्यमिक विदयालय और इंटरमीडिएट/जूनियर महाविदयालय भी चला रहे हैं। छावनी बोर्डों द्वारा चलाए जा रहे विद्यालयों की कुल संख्या 197 है।

9.19 छावनियों और आसपास की आम जनता को चिकित्सीय सेवाएं मुहैया करने के लिए छावनी बोर्ड 40 अस्पताल, जिनमें 1360 बैड हैं, और 39 डिस्पेंसरियां चला रहे हैं।

मुख्य प्रशासनिक अधिकारी का कार्यालय

9.20 मुख्य प्रशासन अधिकारी का कार्यालय रक्षा मंत्रालय के अधीन सेना मुख्यालयों और अंतरसेवा संगठनों के मुख्यालय (आईएसओएस) कार्यालयों को सिविलियन जनशक्ति और अवसंरचनात्मक सहयोग मुहैया कराता है। मुख्य प्रशासन अधिकारी (सी ए ओ) संयुक्त सचिव (प्रशिक्षण) और निदेशक (सुरक्षा) का कार्य भी करते हैं।

9.21 मुख्य प्रशासन अधिकारी का कार्यालय निम्नलिखित सात प्रभागों के द्वारा अपना कार्य करता हैरू

(क) **प्रशासन विभागः** यह प्रभाग सेना मुख्यालयों और अंतर सेवा संगठनों में कार्यरत लगभग 12,000 सिविलियन कार्मिकों को प्रशासनिक ढांचा प्रदान करता है।

(ख) **कार्मिक एवं विधिक प्रभागः** कार्मिक प्रभाग तीनों सेना मुख्यालयों और 27 अंतर सेवा संगठनों में तैनात सिविलियन कार्मिकों की लगभग 200 ग्रेडों में तैनाती सहित कैडर प्रबंधन के लिए उत्तरदायी है। यह प्रभाग सीएओ कार्यालय के अदालती मामलों को भी देखता है।

(ग) **जनशक्ति योजना और भर्ती प्रभागः** यह प्रभाग सशस्त्र बल मुख्यालय संवर्ग/काडर बाह्य पदों के विभिन्न प्रवर्गों पर भर्ती, अनुकंपा के आधार पर नियोजन, विभिन्न ग्रेडों के भर्ती नियमों को तैयार करना/में संशोधन करना, संवेदनशील संगठनों में कार्यरत कर्मचारियों के चरित्र और पूर्ववृत्त की दोबारा जांच, एएफएचक्यू सिविलियन कैडरों की कैडर समीक्षा/पुनर्गठन और वेतन आयोगों से संबंधित कार्यों आदि के लिए उत्तरदायी है।

(घ) **वित्त और सामग्री प्रभागः** यह प्रभाग अंतर सेवा संगठनों को सामग्री संबंधी सहयोग प्रदान करता है जिसमें कार्यालय उपकरणों, भंडारों, फर्नीचर, लेखा सामग्रियों और सूचना प्रौद्योगिकी उपस्करों की अधिप्राप्ति और प्रोवीजनिंग शामिल है।

(ड.) **संपदा और निर्माण कार्य प्रभागः** यह प्रभाग सशस्त्र सेना मुख्यालयों में तैनात सेना अफसरों के रिहायशी आवासों के लिए सम्पदा संबंधी कार्य करता है और रक्षा मुख्यालयों में प्रमुख निर्माण कार्यक्रमों का समन्वय करता है।

(च) **विभागीय अनुशासन, समन्वय और कल्याण प्रभागः** यह प्रभाग एएफएचक्यू सिविलियन संवर्ग कर्मचारियों के अनुशासनिक मामलों को देखता है। इसके अतिरिक्त यह प्रभाग रक्षा मंत्रालय के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी के कार्यालय के भीतर और संयुक्त सचिव (प्रशि.) और मु.प्र. अधिकारी के लिए समन्वय, राजभाषा नीति के कार्यान्वयन से संबंधित मामले, आफिस काउंसिल, महिला प्रकोष्ठ, खेलकूद एवं सांस्कृतिक कार्यकलाप, विभागीय कैंटीन, एएमए की नियुक्ति, रक्षा सिविलियन चिकित्सा सहायता निधि (डीसीएमएएफ) आदि जैसे कल्याणकारी कार्यकलापों का भी संचालन करता है।

ई–गवर्नेस का कार्यान्वयन, इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग और मुख्य प्रशासनिक अधिकारी के कार्यालय का लोकल एरिया नेटवर्क (एलएएन) और वेबसाइट के रखरखाव से संबंधित मामले इस प्रभाग के क्षेत्र में आते हैं। रक्षा मंत्रालय (पुस्तकालय) के प्रशासन के साथ–साथ पुस्तकों के चयन और उनकी अधिप्राप्ति के लिए राष्ट्रीय रक्षा निधि अनुदान प्राप्त करने संबंधी कार्य/जवाबदेही और इस उद्देश्य के लिए दिशानिर्देश जारी करने का कार्य भी इस प्रभाग को सौंपा गया है।

(छ) **रक्षा मुख्यालय प्रशिक्षण संस्थान (डीएचटीआई):** सेना मुख्यालयों और अन्तर सेवा संगठनों में तैनात सिविलियन कार्मिकों के साथ–साथ तीनों सेनाओं के अफसरों के लिए कुछ विशिष्ट पाठ्यक्रमों संबंधी आवश्यकताओं का कार्य भी संयुक्त सचिव (प्रशिक्षण) और मुख्य प्रशासनिक अधिकारी द्वारा किया जाता है। तीनों सेनाओं और आईएसओ के अफसरों के लिए अधिप्राप्ति, आरटीआई, मंत्रिमंडलीय नोट और संसद प्रक्रियाओं से जुड़े कुछ विशेष पाठ्यक्रमों का भी आयोजन किया जाता है, के तत्वाधान में कार्यरत रक्षा मुख्यालय प्रशिक्षण संस्थान देखता है। वर्ष 2014–15 के दौरान डीएचटीआई द्वारा आयोजित सिविलियन और सेना कार्मिकों दोनों के लिए रक्षा मुख्यालय प्रशिक्षण संस्थान द्वारा अपने परिसर में 142 पाठ्यक्रमों और विभिन्न फील्ड स्थापनाओं में 'सिविलियन कार्मिक प्रबंधन' के डोमिन एरिया पर 19 अतिरिक्त पाठ्यक्रमों का संचालन किया गया।

9.22 सुरक्षा कार्यालयः

(क) सुरक्षा कार्यालय, रक्षा मुख्यालय सुरक्षा क्षेत्र के अंतर्गत 22 बिल्डिंगों में वास्तविक सुरक्षा प्रदान करने, निगरानी और प्रवेश पर नियंत्रण करने और सुरक्षा भंग न होने देने और आग न लगने देने के लिए जिम्मेदार हैं। मुख्य सुरक्षा अधिकारी की निम्नलिखित प्रमुख जिम्मेदारियां है, नामतः

(i) रक्षा सुरक्षा सैनिक रक्षा मुख्यालय में बिल्डिंगों की सुरक्षा और रक्षा मुख्यालय सुरक्षा जोन में प्रवेश को नियंत्रित करते हैं।

(ii) सुरक्षा कार्यालय नीति प्रशासनिक पहलुओं की सुरक्षा करना, जब और जहां आवश्यक हो, जिनमें पास विभाग द्वारा पहचान दस्तावेज जारी करना, विदेशी पर्यटकों को सुरक्षा प्रमाण पत्र जारी करना, अग्नि–शमन प्रबंधन और विभिन्न सुरक्षा संबंधी दिशानिर्देश/परामर्श जारी करना शामिल है।

(iii) एक स्वागत नेटवर्क जो जोन में आगंतुक पास जारी कर आगंतुकों का प्रवेश और निकास नियंत्रित करता है और जब और जहां आवश्यक हो, आगंतुकों को सिविलियन सुरक्षा उपलब्ध कराता है।

(ख) सुरक्षा कार्यालय साउथ ब्लॉक और सेना भवन में क्रमशः बायोमेट्रिक और आरएफआईडी प्रणाली द्वारा कार्मिकों और वाहनों के प्रवेश/निकास के निगरानी और आगमन नियंत्रण प्रबंधन प्रणाली (एसएसीएमएस) के कार्यान्वयन की प्रक्रिया में है।

(ग) सुरक्षा कार्यालय एक वर्ष में लगभग 75,000 पास जारी करता है जिनमें एसएलआईसी, डीएसी, टीपी, सीएचटी पास, वाहन स्टिकर्स इत्यादि शामिल हैं।

जनसम्पर्क निदेशालय

9.23 जनसम्पर्क निदेशालय रक्षा मंत्रालय, सशस्त्र सेनाओं तथा रक्षा मंत्रालय के अधीन अंतर सेवा संगठनों एवं सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की महत्वपूर्ण घटनाओं, कार्यक्रमों, उपलब्धियों तथा मुख्य नीतिगत निर्णयों के बारे में मीडिया तथा जनता को सूचना प्रसारित करने के लिए एकमात्र प्राधिकृत एजेंसी है। इस निदेशालय का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है तथा इसके देश भर में 25 क्षेत्रीय कार्यालय है जो मीडिया सहायता एवं सेवाएं प्रदान करते हैं ताकि प्रिंट तथा इलेक्ट्रानिक मीडिया में व्यापक प्रचार–प्रसार सुनिश्चित हो सके। यह नियमित रूप से साक्षात्कार, प्रेस कांफ्रेंस और प्रेस दौरे आयोजित करके नेतृत्व और रक्षा मंत्रालय तथा सशस्त्र सेनाओं के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विचार–विनिमय को भी सुकर बनाता है।

9.24 गत वर्षों की भांति इस निदेशालय ने मीडिया के लोगों के लिए उनकी रक्षा विषयों के बारे में जानकारी बढ़ाने के लिए 19 अगस्त, 2014 से 20 सितंबर, 2014 तक रक्षा संवाददाता पाठ्यक्रम का आयोजन किया। संपूर्ण देश से 31 पत्रकारों, जिनमें 9 महिलाएं थीं, ने एक महीने तक चलने वाले इस पाठ्यक्रम में भाग लिया।

9.25 यह निदेशालय सशस्त्र सेनाओं के लिए 13 भाषाओं में पाक्षिक पत्रिका 'सैनिक समाचार' प्रकाशित करता है। इस निदेशालय का प्रसारण अनुभाग श्सैनिकों के लिएश 40 मिनट का कार्यक्रम तैयार करता है जिसका प्रसारण सशस्त्र सेनाओं के कार्मिकों के लिए आकाशवाणी से प्रतिदिन किया जाता है। इसका फोटो अनुभाग रक्षा संबंधी महत्वपूर्ण घटनाओं की फोटो कवरेज उपलब्ध कराता है। डीपीआर के फोटो अनुभाग के फोटो अभिलेखागार को डिजीटाइजेशन करने का प्रयास किया जा रहा है।

9.26 निदेशालय ने जम्मू और कश्मीर एवं हिमाचल प्रदेश में सितंबर 2014 में आई आकस्मिक बाढ़ के दौरान प्रभावित क्षेत्रों में मीडिया संचलन तथा समन्वय और सुविधाओं के लिए मोबाइल यूनिटें स्थापित की।

9.27 इस वर्ष के दौरान, डीपीआर ने राष्ट्रीय कमान नियंत्रण और आसूचना नेटवर्क के नोडल केंद्र जो कि तटीय सुरक्षा के हमारे क्रांतिकारी बदलाव का चिन्ह् है, काफी समय से लंबित आसूचना प्रबंधन और विश्लेषण

केंद्र (आईएमएसी) के उद्घाटन को रिकार्ड किया। इसके अतिरिक्त, डीपीआर ने नए अधिग्रहीत वायुयान वाहक 'आईएनएस विक्रमादित्य' के डेक पर प्रधानमंत्री के आने, मध्यम दूरी की एयर रक्षा प्रणाली 'आकाश' को शामिल करना, लंबी दूरी की सब–सोनिक मिसाइल 'निर्भय' के फ्लाइट परीक्षण के सफलतापूर्वक पूर्ण करने, 5000 कि.मी. दूरी की अग्नि–5 के सफल लांचिंग, पृथ्वी–II के उपयोगी परीक्षण और सुपर–सोनिक 'ब्रह्मोस' और उपरोक्त के अलावा दृश्य दूरी मिसाइल 'अस्त्र' का व्यापक प्रचार किया।

9.28 डीपीआर जम्मू और कश्मीर के बाढ़ प्रभावितों के लिए भारतीय नौसेना द्वारा चलाए गए संयुक्त राहत और बचाओ संक्रियाओं का व्यापक प्रचार भी उपलब्ध करवाता है। यह भारतीय युद्धपोतों के विदेशी भूमि पर सद्भावना मिशनों के दौरों के विभिन्न संयुक्त अभ्यासों की भी रिकार्डिंग करता है। इन शीर्षों के अलावा, जिसमें स्वच्छ भारत अभियान, विश्व के खेल मानचित्र में भारत का नाम लाने में सेनाओं के योगदान और भूतपूर्व सैनिकों के कल्याण शामिल हैं, को भी कवर किया था।

9.29 यह निदेशालय गणतंत्र दिवस समारोह से जुड़ी सभी मीडिया सुविधाओं का भी प्रबंध करता है एवं राजपथ पर परेड का आंखों देखा हाल प्रसारित करता है। निदेशालय द्वारा लाल किले पर स्वतंत्रता

दिवस समारोह, संयुक्त कमांडर्स कान्फ्रेंस एवं प्रधानमंत्री द्वारा संबोधित एनसीसी रैली और राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह जैसी महत्वपूर्ण सूचीबद्ध घटनाओं को भी यथोचित प्रचार किया गया।

9.30 पहली बार रक्षा मंत्रालय ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म में अपना शुभारंभ किया जबकि इस आधिकारिक टिवटर एकाऊंट 10 फरवरी, 2015 को चालू हुआ था। मंत्रालय के प्रवक्ता द्वारा ट्विटर handle @ spokesman Mod एक्टिवेट किया गया।

सेना क्रय संगठन (एपीओ)

9.31 रक्षा मंत्रालय के सेना क्रय संगठन को रक्षा बलों के उपभोग के लिए सूखे राशन की अधिप्राप्ति एवं समय पर विभिन्न प्रकार के भोजन सामग्री की आपूर्ति की जिम्मेदारी सौंपी गई है। यह संगठन चावल व गेहूं भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से खरीदता है और चीनी का आवंटन चीनी निदेशालय द्वारा विभिन्न चीनी मिलों को आवंटित लेवी कोटे में से किया जाता है। दालें, पशु राशन, खाद्य तेल एवं वनस्पति एवं दुग्ध उत्पाद जैसे अन्य सामान केंद्रीय एवं राज्य सार्वजनिक उपक्रमों एवं राष्ट्रीय/राज्य स्तर के सहकारी उपभोक्ता/विपणन परिसंघों से खरीदे जाते हैं। मिल्क पाउडर, बटर और घी भारतीय राष्ट्रीय सहकारिता डेयरी परिसंघ के सदस्यों से खरीदे जाते हैं। मिल्क पाउडर, बटर और घी भारतीय राष्ट्रीय सहकारिता डेयरी परिसंघ के सदस्यों से खरीदे जाते हैं। चाय एवं डिब्बाबंद सामान जैसे सब्जियां, फल, जैम, दूध, मांस एवं मछली, कॉफी, अंडा पाउडर, रेडी टू ईट भोजन (एमआरई) आदि निजी पार्टियों सहित पंजीकृत आपूर्तिकर्ताओं से खरीदे जाते हैं। सेना क्रय संगठन सशस्त्र सेनाओं के लिए ऐसे पंजीकृत आपूर्तिकर्ताओं से रिटार्ट पाउच में सब्जियां व चिकन करी, जिनके पास प्रौद्योगिकी होती है, की भी अधिप्राप्ति करता है। सेना क्रय संगठन ने उपभोग वर्ष 2014–15 के दौरान मुक्त बोली प्रणाली के जरिए चीनी की अधिप्राप्ति करना प्रारंभ किया है।

सेना खेलकूद नियंत्रण बोर्ड

9.32 सेना खेलकूद नियंत्रण बोर्ड (एसएससीबी) तीनों सेनाओं में विभिन्न खेलकूद गतिविधियों का आयोजन एवं समन्वय करता है। एसएससीबी के तत्वाधान में 18 खेलों में चार टीमों (आर्मी रेड, आर्मी ग्रीन, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स) की अंतर–सैन्य चौंपियनशिप आयोजित की जाती है और राष्ट्रीय चौंपियनशिप/खेलों में भाग लेने के लिए सेनाओं की टीम के चयन हेतु 12 खेलों के लिए ट्रायल आयोजित किए जाते हैं।

9.33 वर्ष 2014 के दौरान एसएससीबी ने खेलकूद फेडरेशनों/एसोसिएशन जो युवा मामले एवं खेल मंत्रालय द्वारा मान्यता प्राप्त है, के द्वारा आयोजित राष्ट्रीय चौंपियनशिप में सीनियर पुरूष टीमों को मैदान में उतारा था। सेना की टीमों ने 10 स्पर्धाओं में राष्ट्रीय चौंपियनशिप हासिल की। वर्ष के दौरान 123 सेना खिलाड़ियों ने विभिन्न अंतरराष्ट्रीय चौंपियनशिपों में भारत का प्रतिनिधित्व किया।

9.34 वर्ष 2014 के दौरान एसएससीबी के खिलाड़ियों ने एशियन गेम्स, 2014 (दक्षिण कोरिया), कॉमन वेल्थ गेम्स, 2014 (ग्लास्गो स्काटलैंड) और 29 वीं विश्व सेना कुश्ती चौंपियनशिप, 2014 (न्यू जर्सी, यू.एस.ए.) में 05 स्वर्ण, 11 रजत और 12 कांस्य पदक हासिल किए। एसएससीबी को संगठन श्रेणी के अंतर्गत निजी क्षेत्र (सरकार समर्थित संगठन) में खेलों को प्रोत्साहित करने के लिए सर्वोत्तम संगठन के रूप में गौरवशाली फिक्की भारत खेलकूद पुरस्कारों के विजेताओं पर गर्व है।

सशस्त्र सेना फिल्म और फोटो प्रभाग

9.35 सशस्त्र सेना फिल्म और फोटो विभाग (एएफएफपीडी) रक्षा मंत्रालय का एक अंतर सेवा संगठन है और यह तीनों सेनाओं के लिए प्रशिक्षण, वृत्तचित्रों और संवर्धनात्मक फिल्में तैयार करने तथा रक्षा मंत्रालय के समारोहों और अन्य महत्वपूर्ण अवसरों

के फोटो और वीडियों कवरेज के लिए भी उत्तरदायी है। ए एफ एफ पी डी के पास दुर्लभ फिल्मों और फोटों का विशाल संग्रह भी है जो ऐतिहासिक है और इसके पास चालू तथा अतीत रक्षा प्रशिक्षण फिल्मों सहित भरपूर फिल्म पुस्तकालय है जिसका वह अनुरक्षण करता है।

9.36 वर्तमान में, सशस्त्र सेना फिल्म और फोटो प्रभाग की उत्पादन के विभिन्न स्तरों के तहत 19 प्रशिक्षण फिल्में हैं जिसमें से 31 दिसंबर, 2014 की स्थिति के अनुसार 8 फिल्मों का कार्य पूरा हो गया है। 11फिल्में जो उत्पादन के बाद के स्तर पर हैं, वे पूर्ण होने की अंतिम स्थिति में हैं और शेष 3 फिल्में उत्पादन के उन्नत स्तर पर हैं। इसके अतिरिक्त सेना के लिए 2 प्रमोशनल फिल्मों का उत्पादन किया जा रहा है जिनमें से 1 फिल्म पूरी हो गई है और यह अंतिम संपादन के स्तर पर है और 1 फिल्म की शूटिंग की जा रही है क्योंकि इसके 30 स्थानों पर शूटिंग की जाने की आवश्यकता है। सशस्त्र सेना फिल्म और फोटो प्रभाग द्वारा उत्पादित अधिकांश फिल्मों की अवधि 30 से 60 मिनट की होती है और ये हिंदी तथा अंग्रेजी में होती हैं।

9.37 इस प्रभाग ने गणतंत्र दिवस, समापन समारोह, स्वतंत्रता दिवस, ध्वजारोहण समारोह, प्रतिष्ठापन समारोह, सेना दिवस परेड इत्यादि जैसे विभिन्न अन्य समारोहों का वीडियो और स्टिल फोटोग्राफिक कवरेज किया है।

9.38 फोटोग्राफी को अब निगेटिव से डिजीटल रूप में परिवर्तित किया गया है और वर्तमान में सभी फोटो को डिजीटल रूप में प्रदर्शित किया जा रहा है और सीडी/डीवीडी के रूप में जारी किया जाता है तथा आवश्यकतानुसार हार्ड कापी (फोटोप्रिंट) के रूप में भी जारी किया जाता है। 9318 फोटो प्रदर्शित किए गए हैं और 130 फोटो सीडी, 9 फोटो डीवीडी और 1956 फोटोग्राफिक प्रिंटों को 01 जनवरी, 2014 से 31 दिसंबर, 2014 तक तैयार करके जारी किया गया है।

9.39 इस प्रभाग की केन्द्रीय रक्षा फिल्म लाइब्रेरी (सीडीएफएल) विभिन्न यूनिटों / विरचनाओं/प्रशिक्षण स्थापनाओं/कमानों की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रशिक्षण फिल्मों के वितरण के लिए उत्तरदायी है। वर्ष 2014 के दौरान 336 डीवीडी को विभिन्न सेना/नौसेना/वायु सेना की यूनिटों/विरचनाओं को उधार के रूप में प्रेषित/जारी किया गया है।

9.40 सशस्त्र सेना फिल्म और फोटो प्रभाग के पास द्वितीय विश्व–युद्ध की दुर्लभ फिल्में और फोटो हैं जिसे ब्रिटिश से प्राप्त किया गया है और यह अत्यंत ऐतिहासिक महत्व की सामग्री है जिसे इस प्रभाग की केन्द्रीय रक्षा फिल्म लाइब्रेरी में अनुरक्षित और संरक्षित रूप में रखा गया है। ये फोटो और फिल्में भारतीय सेनाओं को द्वितीय विश्व युद्ध की विभिन्न रंगशालाओं, इसकी परेडों, समारोहों, व्यक्तित्वों और प्रशिक्षण गतिविधियों इत्यादि के दौरान कार्रवाई करते हुए प्रदर्शित करती हैं। अनेक अन्य ऐतिहासिक फिल्मों के साथ बैटल ऑफ चाइना, डेजर्ट विकट्री, जेपनीज सरेंडर, नाजीज स्ट्राइक्स, वर्मा कम्पेन, चर्चिल दि मैन, लंदन विकट्री परेड इत्यादि जैसी कुछ महत्वपूर्ण फिल्मों को भी संरक्षित करता है।

9.41 इस प्रभाग की मोबाइल सिनेमा यूनिट (एमसीयू) सांस्कृतिक, परिवार कल्याण और सैन्य टुकड़ियों से जुड़े अन्य सामाजिक संगत विषयों पर वृत्त चित्र फिल्मों/नई मैगजीनों की भी अधिप्राप्ति करती है/वितरित करती है। इस वर्ष के दौरान एमसीयू ने विभिन्न रक्षा स्थापनाओं के लिए उधार आधार पर 9 विषयों पर फिल्में जारी की है।

राष्ट्रीय रक्षा कालेज

9.42 राष्ट्रीय रक्षा कालेज रक्षा मंत्रालय की एक प्रमुख प्रशिक्षण संस्था है, जो राष्ट्रीय सुरक्षा एवं युद्ध–नीति शिक्षा का एक उत्कृष्ट केन्द्र है। इस कालेज में प्रशिक्षण के लिए भारतीय और विदेशी

सशस्त्र बलों के ब्रिगेडियर/समकक्ष पदधारित तथा प्रशासनिक सेवा के निदेशक और उससे उच्च अफसर नामित किए जाते हैं। नामित अधिकारियों को ग्यारह माह के प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान मुख्य केन्द्र बिंदु राष्ट्रीय सुरक्षा होता है जिसमें सभी घरेलू क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों के सभी आयाम शामिल होते हैं जिससे भावी नीति निर्धारकों को राष्ट्रीय रणनीति की योजना बनाने के लिए आवश्यक बहुविध आर्थिक, राजनीतिक, सैन्य वैज्ञानिक और संगठनात्मक पहलुओं की व्यापक समझ प्राप्त करने के लिए आवश्यक पृष्ठभूमि मिल सके। पाठ्यक्रम के अंतर्गत अध्ययन के कैप्सूल, लेक्चर/पैनल विचार–विमर्श, युद्ध–नीतिक अभ्यास गेम, युद्ध क्षेत्र भ्रमण, अनुसंधान कार्यकलाप/थीसिस लिखना एवं सेमिनार सम्मिलित है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए इस पाठ्यक्रम के लिए छह अध्ययन कैपसूल आयोजित किए जाते हैं।

9.43 एनडीसी के 54 वें पाठ्यक्रम में कुल 100 अधिकारी समाविष्ट थे जिनमें सेना (40), नौसेना (6), वायुसेना (12), सिविल सेवा (16), मित्र देशों से (26) समाविष्ट थे। पाठ्यक्रम 28 नवंबर, 2014 को समाप्त हुआ।

विदेशी भाषा विदयालय

9.44 विदेशी भाषा विदयालय हमारे देश का एक ऐसा अनुपम संस्थान है जैसा और कहीं नहीं है जहां पर एक ही छत के नीचे बहुत सी विदेशी भाषाएं पढ़ाई जाती हों। यह भारत में वर्ष 1948 से विदेशी भाषा पढ़ाने का एक अग्रणी संस्थान है। इस समय यह भारतीय सशस्त्र सेनाओं की तीनों सेनाओं के कार्मिकों को 18 विदेशी भाषाओं का प्रशिक्षण देने में संलग्न है। यह भारत सरकार के अन्य मंत्रालयों और विभागों, जैसे कि विदेश मंत्रालय, कैबिनेट सचिवालय, केन्द्रीय पुलिस संगठन अर्थात बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी आदि की आवश्यकता की पूर्ति करता है। इसके अलावा सिविलियन विदयार्थियों को भी प्रवीणता प्रमाण–पत्र उन्नत डिप्लोमा और दुभाषिया पाठ्यक्रमों में निर्धारित सरकारी नियमों के अनुसार प्रवेश दिया जाता है।

9.45 एसएफएल में अरबी, बहासा इंडोनेशिया, बर्मी चीनी, फ्रैंच, जर्मन, फारसी, रूसी, स्पेनी, तिब्बती और सिंहाला विदेशी भाषाएं नियमित आधार पर तथा जापानी और थाई आदि अल्पकालिक पाठ्यक्रम के रूप में पढ़ाई जाती है।

9.46 एसएफएल द्वारा प्रवीणता पाठ्यक्रम, उन्नत डिप्लोमा पाठयक्रम, दुभाषिया पाठ्यक्रम और अल्पकालिक पाठ्यक्रम/कैप्सूल पाठ्यक्रम चलाए जाते हैं।

9.47 दुभाषिया पाठ्यक्रम एक पूर्णकालिक पाठ्यक्रम है। इसके लिए सशस्त्र सेनाओं, रक्षा मंत्रालय, कैबिनेट सचिवालय और अन्य सरकारी विभागों द्वारा विदयार्थी प्रायोजित किए जाते हैं। यह पाठ्यक्रम अपने विदयार्थियों को दुभाषिए और अनुवाद के उच्च दक्षता कार्य में निपुणता प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त उनको अत्यंत धाराप्रवाह के साथ लक्षित भाषा को लिखने और बोलने में प्रशिक्षित किया जाता है। यह एक अत्यंत विशिष्ट पाठ्यक्रम है जिसके समान भारत में अन्यंत्र कोई पाठ्यक्रम नहीं है। विदेशी भाषा विदयालय में सिंहली, भाषा, इंडोनेशिया, बर्मी, पश्तो, पाक उर्दू, थाई और तिब्बती जैसे सामरिक महत्व की भाषाएं राजनीतिक सैन्य दृष्टिकोण से पढ़ाई जाती है।

9.48 अल्पकालिक पाठ्यक्रम विशेषकर नामोदिष्ट सैन्य अताशे और संयुक्त राष्ट्र संघ मिशनों पर भेजे जा रहे अफसरों के लिए अथवा प्रयोक्ता संगठन की विशिष्ट जरूरत के अनुसार, आवश्यकतानुसार आयोजित किए जाते हैं।

9.49 एसएफएल, अन्य रक्षा संस्थाओं, नामतः राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, पुणे और सेना शिक्षा कोर प्रशिक्षण केन्द्र एवं कालेज, पंचमढ़ी का नियंत्रक संगठन है

जहां विदेशी भाषाएं पढ़ाई जाती है। यह परीक्षाओं का आयोजन करता है और सफल उम्मीदवारों को डिप्लोमा भी जारी करता है। भारतीय विदेश सेवा के परिवीक्षाधीन अधिकारियों के लिए इस संस्थान द्वारा आयोजित उन्नत डिप्लोमा परीक्षा को उत्तीर्ण करना अनिवार्य है। विदेशी भाषा स्कूल पूरे देश में विभिन्न सेना यूनिटों में क्षेत्रीय भाषाओं अर्थात नेपाली में परीक्षा आयोजित करता है। तीनों सेनाओं विशेष रूप से सीखी गई भाषा को आत्मसात करने और उसे बनाए रखने का मूल्यांकन करने के लिए विभिन्न विदेशी भाषाओं में भाषा विशेष प्रवीणता परीक्षाएं आयोजित करता है।

9.50 वर्ष 2013–14 के दौरान एसएफएल ने विभिन्न देशों के लिए नामोदिष्ट डीए/एमए को संबंधित विदेशी भाषाओं अर्थात अरबी, जर्मन, फ्रैंच, जापानी और रूसी में प्रशिक्षण दिया।

इतिहास प्रभाग

9.51 पहले ऐतिहासिक अनुभाग के रूप में जाने जाने वाले इतिहास प्रभाग की स्थापना 26 अक्तूबर, 1953 को स्वतंत्रता के समय से आज तक भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा चलाए गए सैन्य आपरेशनों के इतिहास को संकलित करने हेतु की गई थी। आज तक इसने जम्मू तथा कश्मीर में आपरेशनों का इतिहास 1947–48, आपरेशन पोलो, आपरेशन विजय (गोवा), भारत के सैन्य परिधान, वीरता की कहानियां, 1965 का भारत पाक युद्ध एक इतिहास, आदि सहित 17 खंड संकलित व प्रकाशित किए हैं। इस प्रभाग ने द्वितीय विश्व युद्ध 1939–45 में भारतीय सशस्त्र सेना के आधिकारिक इतिहास को आठ खंडों में पुनर्मुदित भी किया है। संयुक्त राष्ट्र संघ शांति स्थापना मिशनों में भारतीय सशस्त्र सेनाओं द्वारा चलाए गए ऑपरेशनों को भी संकलित किया गया है और इनमें कांगों में संयुक्त राष्ट्र संघ ऑपरेशनों में भारतीय सशस्त्र सेनाओं का इतिहास, सीएफआई अथवा कोरिया में भारतीय सैनिक 1953–54, ऑपरेशन शांति (भारतीय सैनिक मिश्र में) और वृहत जिम्मेदारी (इंडो–चाइना में शांति के लिए लड़ाई) शामिल है। कुछ प्रकाशन हिंदी और अंग्रेजी दोनों में प्रकाशित किए गए हैं। 'वीरता की कहानियांः परमवीर चक्र और अशोक चक्र विजेता' नामक शीर्षक के साथ एक पुस्तक मुद्रणालय में है इस समय, यह प्रभाग वीरता की कहानियां भाग–III तथा भारत के युद्ध स्मारक शीर्षक वाली दो पुस्तकों पर काम कर रहा है।

9.52 इतिहास प्रभाग, रक्षा मंत्रालय और भारतीय सशस्त्र सेनाओं के अनुसंधान, अभिलेख और संदर्भ कार्यालय के रूप में भी कार्य करता है। इसे रक्षा मंत्रालय, तीनों सेना मुख्यालयों और विभिन्न यूनिटों से सैन्य मामलों से संबंधित विविध अभिलेख और संक्रियात्मक अभिलेख नियमित आधार पर संरक्षण तथा इस्तेमाल के लिए प्राप्त होते हैं। यह प्रभाग इस समय अभिलेखों का डिजीटाइजेशन करने में लगा हुआ है। यह प्रभाग फेलोशिप स्कीम भी संचालित करता है जिसके तहत सेना इतिहास में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक तीन वर्षों में दो अनुसंधान अध्येताओं को प्रदान की जाती है। इस स्कीम के तहत अब तक सत्रह अनुसंधान अध्येताओं को लाभान्वित किया गया है।

9.53 इस प्रभाग का हेराल्डिक प्रकोष्ठ तीनों सेना मुख्यालयों और तटरक्षक तथा रक्षा मंत्रालय को समारोह संबंधी सभी मामलों जैसे नई स्थापनाओं के नामकरण और अधिग्रहण, बैजो और कलगियों का डिजाइन बनाने और स्मृति चिन्हों के निर्माण में सहायता प्रदान करता है।

9.54 विभागीय पुस्तकालय में कुछ दुर्लभ पुस्तकें, आवधिक पत्रिकाएं और सैन्य महत्व के विदेशी प्रकाशनों सहित पांच हजार से अधिक पुस्तकें हैं।

पिछले एक वर्ष में पुस्तकालय में 600 और पुस्तकें आई हैं। पुस्तकालय में पुस्तकों की उपलब्धता की जानकारी के लिए पुस्तक–सूची को डिजीटाइज करने का भी प्रयास किया जा रहा है।

रक्षा प्रबंधन कालेज (सीडीएम)

9.55 रक्षा प्रबंधन कालेज तीनों सेनाओं का एक प्रबंधन कालेज है जो तीनों सेनाओं के वरिष्ठ अधिकारियों, अर्धसैनिक बलों रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभागियों को संकल्पनात्मक, निर्देशात्मक और कार्यात्मक रक्षा प्रबंधन शिक्षा प्रदान करता है। इसके साथ–साथ कालेज बहुतायत में सिविलियनों और विदेशी शिष्टमंडलों को रक्षा प्रबंधन प्रशिक्षण प्रदान करता है। भारतीय सशस्त्र बलों के लिए आवश्यक 'उच्चतर रक्षा प्रबंधन' शिक्षा और 'सैन्य मामलों में क्रांति' की आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए, रक्षा प्रबंधन कालेज ने वर्तमान प्रशिक्षण अवसंरचना का इष्टतम उपयोग किया है और प्रतिवर्ष लगभग 500 अधिकारियों को प्रशिक्षित करता है। रक्षा प्रबंधन कालेज ने भारतीय सशस्त्र सेना के सभी स्तरों में पाठ्यक्रम/प्रबंधन शिक्षा के लिए प्रबंधन विकास कार्यक्रम (एमडीपीएस) के तदनुकूल कैप्सूल भी विकसित किये हैं। ये प्रबंधन विकास कार्यक्रम बड़ी संख्या में मित्र देशों के साथ भी साझा किया जाता है। वास्तव में रक्षा प्रबंधन पर एक प्रबंधन विकास कार्यक्रम सार्क देशों के अफसरों के लिए पूर्णतः समर्पित है। एक जनवरी, 2013 से 31 मार्च 2014 रक्षा प्रबंधन कालेज द्वारा एक उच्चतर रक्षा प्रबंधन पाठ्यक्रम, दो वरिष्ठ रक्षा प्रबंधन पाठ्यक्रम, दस प्रबंधन विकास कार्यक्रम और कई विदेशी कैप्सूल पाठ्यक्रमों का आयोजन किया जा चुका है। एचडीएलसी के प्रतिभागियों को सेना मुख्यालय द्वारा एक प्रोजेक्ट पाठ्यक्रम भी प्रायोजित किया जाता है और पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूर्ण करने वालों को उस्मानिया विश्वविदयालय द्वारा प्रबंध निष्णात (एमएमएस) की डिग्री प्रदान की जाती है।

रक्षा सेवा स्टाफ कालेज

9.56 रक्षा सेवा स्टाफ कालेज एक सशस्त्र सेना प्रशिक्षण संस्थान है जो तीनों सेनाओं और केन्द्रीय सिविल सेवाओं के चयनित अफसरों के लिए स्टाफ पाठ्यक्रम संचालित करता है। इसके अतिरिक्त, मित्र राष्ट्रों के रक्षा अधिकारियों को भी कालेज द्वारा संचालित स्टाफ कोर्स में शामिल किया जाता है। रक्षा सेवा स्टाफ कालेज से पास होने वाले अफसरों को चेन्नई विश्वविद्यालय रक्षा और सामरिक अध्ययन में विज्ञान स्नातकोत्तर की उपाधि दी जाती है। तीनों सेनाओं के अफसरों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए स्टाफ पाठ्यक्रम की क्षमता को चरणबद्ध ढंग से बढ़ाकर 500 करने हेतु सम्मिलित प्रयास किए जा रहे हैं। इसके लिए योजनाबद्ध प्रशिक्षण अवसंरचनाएं पहले ही स्थापित की जा चुकी है। तथापि, विवाहित आवास परियोजना के लिए अफसरों को निर्माण कार्य प्रगति पर है जिसके वर्ष 2015 तक पूरा हो जाने की संभावना है। इन सब बातों के होते हुए भी, विद्यमान अवसंरचनाओं का इष्टतम उपयोग करते हुए, चालू स्टाफ कोर्स (69 वां स्टाफ कोर्स) की संख्या बढ़ाकर 445 कर दी गई है जिसमें विदेशी मित्र राष्ट्रों के 32 अफसर शामिल हैं। रक्षा सेवा स्टाफ कालेज ने 'डीप ब्लू वार गेमिंग पैकेज फॉर एयर ऑप्स' और सैंड माडल रूम्स के डिजीटाइजेशन के द्वारा प्रशिक्षण उपकरणों के आधुनिकीकरण में उल्लेखनीय प्रगति की है। एक व्यापक संयुक्त युद्धाभ्यास पैकेज का भी विकास किया जा रहा है।

रक्षा मंत्रालय पुस्तकालय

9.57 रक्षा मंत्रालय पुस्तकालय दिल्ली स्थित रक्षा मंत्रालय, तीनों सेना मुख्यालयों, अंतर सेवा संगठनों और अन्य सम्बद्ध रक्षा स्थापनाओं में योजना एवं नीति निर्धारण से संबंधित विषयों पर साहित्य उपलब्ध करवाता है। सामान्य पाठकों की आवश्यकताओं की पूर्ति के अलावा, इसे रक्षा तथा संबद्ध विषयों में विशेषज्ञता प्राप्त है। वर्ष के दौरान इस पुस्तकालय ने 1725 पुस्तकें खरीदीं और 129 पत्रिकाएं/आवधिक पत्रिकाएं तथा 29 समाचार पत्र मंगवाएं।

10

भर्ती एवं प्रशिक्षण

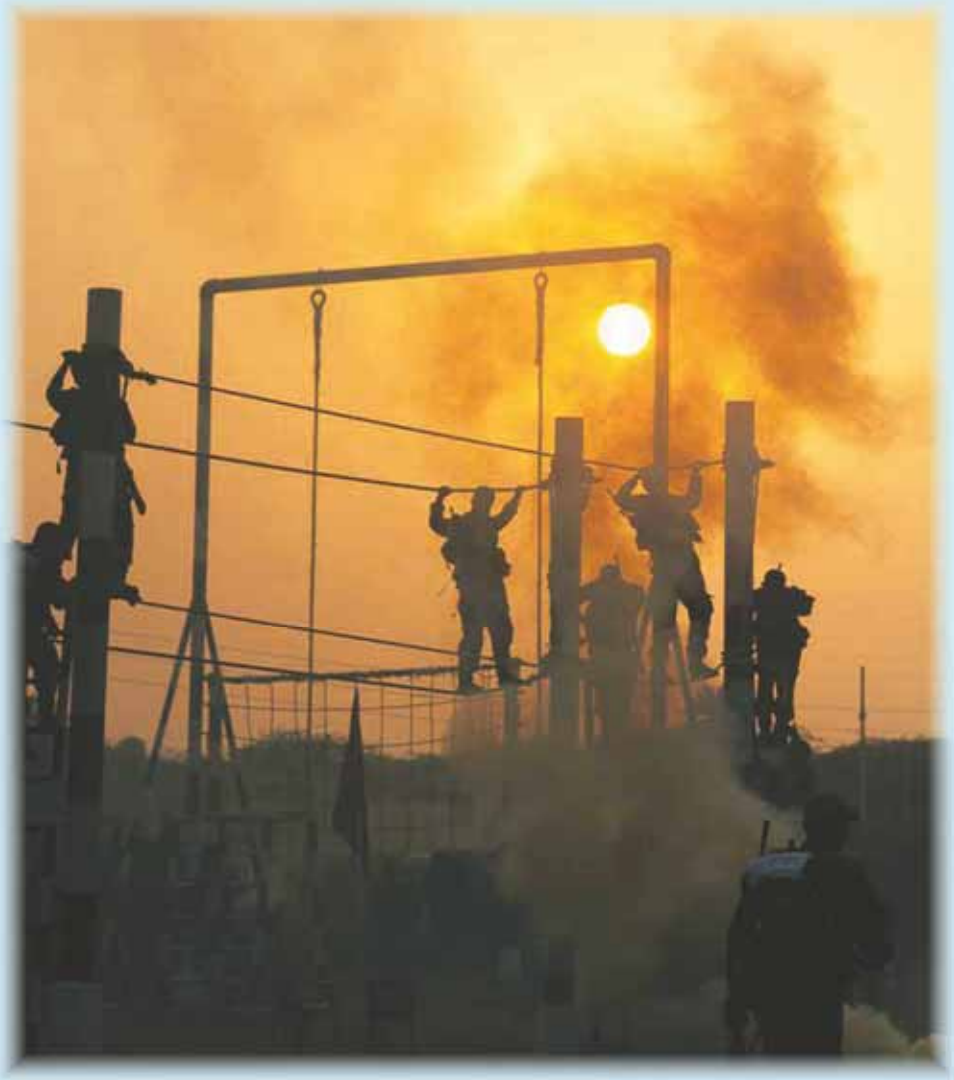

प्रशिक्षण लेते हुए

सशस्त्र सेनाओं में भर्ती स्वैच्छिक है और भारत का प्रत्येक नागरिक, चाहे वह किसी भी जाति, वर्ग, धर्म और संप्रदाय का हो, सशस्त्र सेनाओं में भर्ती के योग्य है बशर्ते कि वह निर्धारित शारीरिक, चिकित्सा और शैक्षिक मानदंडों पर खरा उतरता हो।

10.1 सशस्त्र सेनाएं सेवा, बलिदान, देशभक्ति और हमारे देश की मिली–जुली संस्कृति का प्रतीक हैं। सशस्त्र सेनाओं में भर्ती स्वैच्छिक है और भारत का प्रत्येक नागरिक, चाहे वह किसी भी जाति, वर्ग, धर्म और संप्रदाय का हो, सशस्त्र सेनाओं में भर्ती के योग्य है बशर्ते कि वह निर्धारित शारीरिक, चिकित्सा और शैक्षिक मानदंडों पर खरा उतरता हो।

10.2 **सशस्त्र सेनाओं में संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से अफसरों की भर्ती :** सशस्त्र बलों में कमीशन प्राप्त अफसरों की भर्ती मुख्यतः संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से की जाती है जो इसके लिए निम्नलिखित दो अखिल भारतीय प्रतियोगिता परीक्षाएं आयोजित करता है :

(क) **राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (एन डी ए) और नौसेना अकादमी (एन ए):** संघ लोक सेवा आयोग राष्ट्रीय रक्षा अकादमी और नौसेना अकादमी में प्रवेश के लिए वर्ष में दो बार प्रवेश परीक्षा का आयोजन करता है। उम्मीदवार 10+2 परीक्षा पास करने पर या 12वीं कक्षा में पढ़ते हुए प्रतियोगिता में बैठने के पात्र हैं। संघ लोक सेवा आयोग की लिखित परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात सफल उम्मीदवारों को सैन्य चयन बोर्ड (एस एस बी) द्वारा आयोजित पांच दिवसीय साक्षात्कार के लिए बुलाया जाता है। चिकित्सीय रूप से स्वस्थ पाए जाने एवं एन डी ए की मैरिट सूची में आने वाले सफल उम्मीदवार आवेदन के समय दिए गए विकल्प के अनुसार राष्ट्रीय रक्षा अकादमी अथवा नौसेना अकादमी में प्रवेश पाते हैं। प्रशिक्षण पाठयक्रम सफलतापूर्वक पूरा करने पर उन्हें कमीशन–पूर्व प्रशिक्षण के लिए संबंधित सेना अकादमियों में भेजा जाता है।

(ख) **संयुक्त रक्षा सेवा परीक्षा (सी डी एस ई):** संयुक्त रक्षा सेवा परीक्षा का आयोजन संघ लोक सेवा आयोग द्वारा वर्ष में दो बार किया जाता है। विश्वविद्यालयों के स्नातक अथवा स्नातक के अंतिम वर्ष में पढ़ने वाले छात्र इस परीक्षा में बैठने के पात्र हैं। लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले उम्मीदवारों को एस एस बी साक्षात्कार एवं चिकित्सा जांच के लिए उपस्थित होना होता है। मेरिट लिस्ट में आने वाले उम्मीदवारों को स्थायी कमीशन के लिए भारतीय सैन्य अकादमी/वायुसेना अकादमी एवं नौसेना अकादमी में 18 महीने का आधारभूत सैन्य प्रशिक्षण एवं अल्पकालिक सेवा कमीशन अफसर (एस एस सी ओ) बनने के लिए अफसर प्रशिक्षण अकादमी (ओ टी ए) में 11 महीने का सैन्य प्रशिक्षण लेना होता है। एस एस सी ओ 10 वर्ष की अवधि तक सेवा कर सकता है जिसे 14 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। हालांकि वे 10 वर्ष की सेवा पूरी होने पर स्थायी कमीशन के लिए अथवा 5 वर्ष की सेवा पूरी होने पर सेवा छोड़ने का विकल्प ले सकते हैं, जिस पर अलग–अलग मामले के आधार पर विचार किया जाता है।

सेना

10.3 संघ लोक सेवा आयोग के जरिए प्रवेश के अलावा नीचे बताए तरीकों से भी सेना में कमीशन प्राप्त अफसरों की भर्ती की जाती हैः–

(क) **10+2 तकनीकी प्रवेश योजना (टी ई एस) :** जिन उम्मीदवारों ने भौतिकी, रसायन विज्ञान और गणित में कुल मिलाकर न्यूनतम 70% अंकों के साथ सी बी एस ई/आई सी एस ई/राज्य बोर्ड की 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण की है, वे 10+2 (टी ई एस) के तहत कमीशन पाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। एस एस बी में सफल रहने तथा चिकित्सा बोर्ड द्वारा स्वस्थ घोषित किए जाने पर वे प्रशिक्षण अकादमी (गया) में एक वर्ष का बुनियादी सैन्य प्रशिक्षण लेते हैं और तत्पश्चात स्थायी कमीशन प्राप्त करने से पूर्व संबंधित शाखाओं में तीन वर्ष का इंजीनियरी डिग्री पाठ्यक्रम पूरा करते हैं। कमीशन प्रदान किए जाने के बाद उन्हें उस सेनांग/सेवा का एक वर्ष का प्रशिक्षण दिया जाता है जिसमें उन्हें कमीशन दिया गया है।

(ख) **विश्वविद्यालय प्रवेश योजना (यू ई एस):** अधिसूचित इंजीनियरी शाखाओं के अंतिम वर्ष से पूर्व के विद्यार्थी विश्वविद्यालय प्रवेश योजना के तहत सेना के तकनीकी सेनांगों में कमीशनप्राप्त अफसर के रूप में स्थायी कमीशन के लिए आवेदन कर सकते हैं। पात्र अभ्यर्थियों को सेना मुख्यालय द्वारा तैनात स्क्रीनिंग टीमों द्वारा कैम्पस साक्षात्कार के जरिए चुना जाता है। इन अभ्यर्थियों को एस एस बी और मेडिकल बोर्ड के सामने उपस्थित होना होता है। सफल अभ्यर्थियों को भारतीय सैन्य अकादमी (आई एम ए) देहरादून में एक वर्षीय कमीशन–पूर्व प्रशिक्षण लेना होता है। इस प्रवेश के माध्यम से कमीशन मिलने पर कैडेट एक वर्ष की पूर्व–दिनांकित वरिष्ठता के भी हकदार होते हैं।

(ग) **तकनीकी स्नातक पाठ्यक्रम (टी जी सी):** सेना शिक्षा कोर के लिए इंजीनियरी की अधिसूचित शाखा के इंजीनियरी ग्रेजुएट, न्यूनतम द्वितीय श्रेणी अंक योग वाले पोस्ट ग्रेजुएट एवं कृषि/सैन्य फार्म के लिए डेयरी में एम एससी धारक उम्मीदवार इस प्रवेश के माध्यम से स्थायी कमीशन के लिए आवेदन कर सकते हैं। एस एस बी और चिकित्सा बोर्ड के पश्चात अंतिम रूप से चुने गए उम्मीदवारों को कमीशन प्रदान किए जाने से पूर्व भारतीय सैन्य अकादमी, देहरादून में एक वर्ष का कमीशन–पूर्व प्रशिक्षण लेना अपेक्षित है। इस प्रवेश के माध्यम से कमीशन मिलने पर कैडेट एक वर्ष की पूर्व–दिनांकित वरिष्ठता के हकदार होते है।

(घ) **अल्प सेवा कमीशन (तकनीकी) प्रवेश:** अल्प सेवा कमीशन (तकनीकी) प्रवेश योजना, पात्र तकनीकी स्नातकों/स्नातकोत्तरों को तकनीकी सेनांगों में भर्ती कराती है। एस एस बी और चिकित्सा बोर्ड के बाद अंतिम रूप से चुने गए अभ्यर्थियों को ओ टी ए, चेन्नई में 49 सप्ताह का कमीशन–पूर्व प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण पूरा होने पर उन्हें अल्प सेवा कमीशन प्राप्त अफसर के रूप में प्रवेश दिया जाता है। इस प्रवेश के माध्यम से आए अभ्यर्थी भी कमीशन प्राप्त होने पर एक वर्ष की पूर्व–दिनांकित वरिष्ठता के हकदार हैं।

(च) **एन सी सी (विशेष प्रवेश योजना):** न्यूनतम 'बी' ग्रेड का एन सी सी 'सी' प्रमाण–पत्र और स्नातक परीक्षा में 50% अंक पाने वाले विश्वविद्यालय स्नातक इस योजना के माध्यम से अल्प सेवा कमीशन के लिए आवेदन कर सकते हैं। तृतीय वर्ष में पढ़ने वाले छात्र भी इस प्रवेश के लिए आवेदन कर सकते हैं बशर्ते उन्होंने पहले दो वर्षों में न्यूनतम 50% समग्र अंक प्राप्त किए हों। ऐसे उम्मीदवारों को साक्षात्कार में चयन होने की स्थिति में 50% समग्र अंक प्राप्त करने होंगे अन्यथा उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। ओ टी ए में प्रवेश लेने के समय उम्मीदवारों के पास स्नातक डिग्री होनी चाहिए अथवा तृतीय वर्ष में पढ़ रहे

छात्रों को ओ टी ए में प्रशिक्षण आरंभ होने की तारीख से 12 सप्ताह के भीतर डिग्री प्रस्तुत करनी होगी। इन कैडेटों को एस एस बी द्वारा अयोजित साक्षात्कार के पश्चात मेडिकल बोर्ड द्वारा जांच के लिए बुलाया जाता है। योग्यता संबंधी अपेक्षाएं पूरी करने वाले अभ्यर्थियों को राज्य स्तर पर एन सी सी ग्रुप मुख्यालयों के माध्यम से आवेदन करना होता है। संबंधित ग्रुप मुख्यालयों द्वारा स्क्रीनिंग के बाद एन सी सी महानिदेशालय योग्य कैडेटों के आवेदन पत्र रक्षा मंत्रालय (सेना) के एकीकृत मुख्यालय स्थित भर्ती निदेशालय को भेजता है।

(छ) **जज एडवोकेट जनरल प्रवेशः** एल एल बी में न्यूनतम 55% कुल अंकों सहित विधि स्नातक और 21 से 27 वर्ष तक की आयु वाले व्यक्ति जज एडवोकेट जनरल शाखा के लिए आवेदन कर सकते हैं। पात्र उम्मीदवारों को सीधे ही सेवा चयन बोर्ड द्वारा साक्षात्कार के लिए बुलाया जाता है और तत्पश्चात् उनकी चिकित्सा जांच की जाती है। यह एक अल्पकालिक सेवा कमीशन प्रवेश है जिसमें योग्य उम्मीदवार बाद में स्थायी कमीशन का चुनाव कर सकते हैं।

(ज) **अल्पकालिक सेवा कमीशन (महिला):** पात्र महिला उम्मीदवारों को महिला विशेष प्रवेश योजना के माध्यम से सेना में अल्प सेवा कमीशन अफसर के रूप में भर्ती किया जाता है। वैद्युत एवं यांत्रिक इंजीनियर कोर, इंजीनियर्स, सिग्नल, सेना शिक्षा कोर, सेना आयुध कोर, सेना आपूर्ति कोर, सैन्य आसूचना कोर, जज एडवोकेट जनरल शाखा और सेना वायु रक्षा में कमीशन प्रदान किया जाता है। महिलाओं को तीन क्षेत्रों (स्ट्रीम) अर्थात गैर–तकनीकी स्नातक, तकनीकी और स्नातकोत्तर/विशेषज्ञ में दस वर्ष की अवधि के लिए अल्प सेवा कमीशन की पेशकश की जाती है जिसे पूर्णतः स्वैच्छिक आधार पर और चार वर्षों के लिए बढ़ाया जा सकता है। हाल ही में भारत सरकार ने महिला अफसरों को 10 वर्ष की सेवा पूरी करने पर सेना शिक्षा कोर एवं जज एडवोकेट जनरल शाखा में स्थायी कमीशन का विकल्प प्रदान किया है। अफसर प्रशिक्षण अकादमी, चेन्नई में दिए जाने वाले प्रशिक्षण की अवधि 49 सप्ताह है। अल्पकालिक सेवा कमीशन महिला (तकनीकी) प्रविष्टि के लिए अधिसूचित शाखाओं में बी ई/बी टेक के उत्तीर्ण अथवा अंतिम वर्ष/सेमेस्टर के छात्र आवेदन करने के पात्र हैं। इसके पश्चात सीधे एस एस बी साक्षात्कार एवं चिकित्सा जांच होती है। हालांकि गैर–तकनीकी स्नातक शाखाओं के लिए आवेदकों को संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से आवेदन करना अपेक्षित है और लिखित परीक्षा के बाद एस एस बी साक्षात्कार के लिए आना होता है जैसा कि अल्पकालिक सेवा कमीशन प्राप्त पुरूष अफसरों के मामले में किया जा रहा है । गैर–तकनीकी शाखा की 20% आबंटित सीटें एन सी सी 'सी' प्रमाणपत्र धारित उन महिला उम्मीदवारों के लिए आरक्षित हैं जिन्होंने स्नातक परीक्षा में न्यूनतम 'बी' ग्रेड एवं 50% अंक योग प्राप्त किया हो। आवेदन एन सी सी निदेशालय, एकीकृत मुख्यालय रक्षा मंत्रालय (सेना) के माध्यम से भेजे जाएंगे जैसा कि पुरूष अफसरों के मामलों में किया जा रहा है। जज एडवोकेट जनरल शाखा के लिए न्यूनतम 55% अंक प्राप्त करने वाले विधि स्नातकों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं जिन्हें सीधे एस एस बी साक्षात्कार के लिए भेजा जाता है। सेवा कार्मिकों की जो विधवाएं पात्रता संबंधी निर्धारित मानदंडों को पूरा करती हैं, वे आयु में 4 वर्ष की छूट के लिए पात्र हैं और उनके लिए प्रत्येक पाठ्यक्रम में 5% (तकनीकी और गैर–तकनीकी, प्रत्येक शाखा में

2.5%) सीटों का आरक्षण प्रदान किया गया है। अल्पकालिक सेवा कमीशन महिला (तकनीकी), एन सी सी प्रविष्टि एवं जज एडवोकेट जनरल शाखाओं के लिए लिखित परीक्षाओं से छूट है और इनके लिए सीधे अतिरिक्त भर्ती महानिदेशालय, रक्षा मंत्रालय के एकीकृत मुख्यालय (सेना) को आवेदन करना होगा। अधिसूचना एस एस सी डब्ल्यू (तकनीकी) के साथ वर्ष में दो बार प्रकाशित की जाएगी।

(झ) **सैन्य प्रवेशः** जूनियर कमीशनप्राप्त अफसर एवं अन्य रैंकों (जे सी ओ एवं ओ आर) की अफसर संवर्ग में भर्ती सेना चयन बोर्ड के माध्यम से निम्नलिखित तरीके से की जाती हैः–

(i) **सेना कैडेट कॉलेज (ए सी सी) प्रवेशः** 10+2 परीक्षा पास किए हुए 20–27 वर्ष के आयु वर्ग में न्यूनतम दो वर्ष की सेवा पूरी कर चुके पात्र अन्य रैंक (ओ आर) नियमित कमीशन के लिए आवेदन कर सकते हैं। रक्षा मंत्रालय के एकीकृत मुख्यालय (सेना) द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा पास करने के बाद अभ्यर्थियों की एस एस बी और चिकित्सा बोर्ड द्वारा स्क्रीनिंग होती है। सफल उम्मीदवारों को सेना कैडेट कॉलेज विंग, देहरादून में तीन वर्ष का प्रशिक्षण दिया जाता है जिसकी समाप्ति पर उन्हें स्नातक डिग्री मिलती है। इसके बाद आई एम ए देहरादून में एक वर्ष का कमीशन–पूर्व प्रशिक्षण दिया जाता है।

(ii) **विशेष कमीशन प्राप्त अफसर प्रवेश (एस सी ओ) योजनाः** इस प्रवेश योजना के तहत सीनियर स्कूल प्रमाणपत्र प्राप्त (कक्षा 10+2 पैटर्न) 30–35 वर्ष आयु समूह के जे सी ओ/एन सी ओ/अन्य रैंक एस एस बी और चिकित्सा बोर्ड की स्क्रीनिंग के बाद कमीशन के लिए पात्र हैं। उन्हें ओ टी ए, गया में एक वर्ष का कमीशन पूर्व प्रशिक्षण लेना होता है। मूल पदोन्नति एवं कार्यकारी पदोन्नति के नियम नियमित अफसरों की भांति ही हैं। इन अफसरों को यूनिटों में सब यूनिट कमांडर/क्वार्टर मास्टर और विभिन्न अतिरिक्त रेजिमेंटल रोजगार नियुक्तियों में मेजर रैंक तक के पदों पर नियुक्त किया जाता है। ये अफसर लगभग 20–25 वर्ष की सेवा पूरी करने के बाद 57 वर्ष की उम्र में सेवानिवृत्त होते हैं। इस योजना से न केवल जे सी ओ/एन सी ओ/अन्य रैंक की कैरियर संभावनाओं में सुधार होता है बल्कि सेना में अफसरों की कमी को पूरा करने में भी काफी हद तक सहायता मिलती है।

(iii) **स्थायी कमीशन (विशेष सूची) (पी सी एस एल):** इस प्रवेश के अंतर्गत 42 वर्ष तक की आयु एवं न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा पूरी करने वाले सीनियर स्कूल प्रमाणपत्र (10+2 पद्धति) पास जे सी ओ/एन सी ओ/अन्य रैंक के कार्मिक एस एस बी एवं चिकित्सा बोर्ड द्वारा स्क्रीनिंग के बाद कमीशन के पात्र होते हैं। आई एम ए में चार सप्ताह का अनुकूलन प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा करने पर उन्हें स्थायी कमीशन (विशेष सूची) प्रदान किया जाता है।

10.4 **भर्तीः** वर्ष 2014 के दौरान अफसर के रूप में कमीशन पूर्व प्रशिक्षण के लिए अभ्यर्थियों की भर्ती का ब्यौरा नीचे सारणी सं. 10.1 में दिया गया है।

सारणी सं. 10.1

क्र.सं.	एकादमी	एंट्री	प्रवेश
1.	एन डी ए	सेना	392
		नौसेना	71
		वायुसेना	132
		कुल	595
2.	आई एम ए	आई एम ए (डी ई)	278
		ए सी सी	112
		एस सी ओ	71
		पी सी (एस एल)	47
		कुल	508
3.	ओ टी ए	एस एस सी (एन टी)	169
		एस एस सी डब्ल्यू (एन टी)	26
		एस एस सी डब्ल्यू (टी)	39
		एन सी सी	79
		एन सी सी (डब्ल्यू)	08
		जी ए जी	19
		जी ए जी (डब्ल्यू)	12
		कुल	352
4.	तकनीकी प्रविष्टियां	यू ई एस	85
		एस एस सी (टी)	197
		102 टी ई एस	202
		टी जी सी	135
		कुल	619
		कुल योग	2074

10.5 **चयन केंद्र, उत्तर की स्थापनाः** सरकार की मंजूरी से रोपड़ (पंजाब) में चयन केंद्र, उत्तर के अधीन दो सेवा चयन बोर्ड (एस एस बी) की स्थापना का कार्य प्रगति पर है।

10.6 **जूनियर कमीशनप्राप्त अफसर एवं अन्य रैंक (जे सी ओ/ओ आर) की भर्तीः** सेना में ग्यारह जोनल भर्ती कार्यालय, दो गोरखा भर्ती डिपो, एक स्वतंत्र भर्ती कार्यालय एवं 59 सेना भर्ती कार्यालय हैं और इसके अलावा 47 रेजीमेंटल केन्द्र भी हैं जो अपने–अपने अधिकार क्षेत्र में रैलियों के माध्यम से भर्ती करते हैं। सेना में जे सी ओ/ओ आर की भर्ती खुली रैली प्रणाली के माध्यम से की जाती है। जे सी ओ/ओ आर की भर्ती के लिए पहले रैली स्थल पर उम्मीदवारों की प्रारंभिक परीक्षा, संबंधित दस्तावेजों की जाँच, शारीरिक योग्यता की परख, शारीरिक माप एवं चिकित्सा जांच की जाती है। इसके बाद हर प्रकार से पात्र उम्मीदवारों की लिखित परीक्षा ली जाती है। अंतिम तौर पर चुने गए सफल उम्मीदवारों को प्रशिक्षण के लिए संबंधित प्रशिक्षण केन्द्रों पर भेजा जाता है। एक भर्ती वर्ष में देश के प्रत्येक जिले को वर्ष में एक बार अवश्य कवर करने के प्रयास किए जाते हैं।

10.7 **भर्ती रैलियांः** भर्ती वर्ष 2014–15 में, 146 नियोजित रैलियों में 31 दिसंबर 2014 तक 107 रैलियां आयोजित की गई थीं। कुल 31,911 उम्मीदवारों को दिसंबर 2014 तक भर्ती किया गया।

10.8 **कंप्यूटर आधारित प्रवेश परीक्षा (सी बी ई टी) :**

(i) आरंभ में नर्सिंग सहायक (एन ए) ट्रेड कॉमन प्रवेश परीक्षा (सी ई ई) के लिए पेपर पेंसिल आधारित परीक्षा का स्थान लेने के लिए विकसित सी बी ई टी सॉफ्टवेयर का सभी भर्ती मुख्यालय क्षेत्रों में सफलतापूर्वक उपयोग किया जाता है। सी बी ई टी के फायदे इस प्रकार हैं:–

(क) संपूर्ण पारदर्शिता

(ख) प्रयोक्ता अनुकूलता

(ग) अफसरों के पर्यवेक्षण एवं मूल्यांकन बोर्ड की जरूरत नहीं होती जिससे मूल्यावान जनशक्ति की बचत होती है।

(घ) छद्मवेशधारिता को रोकती है।

(ङ) तुरंत परिणाम देती है।

(च) सूचना का अधिकार (आर टी आई) अधिनियम का अनुपालन करने वाली

(ii) **सी बी ई टी प्रयोगशाला की वर्तमान प्रगतिः** वर्तमान में सैनिक नर्सिंग सहायक श्रेणी के

उम्मीदवारों हेतु कंप्यूटर आधारित प्रवेश परीक्षा आयोजित कराने के लिए 11 सी बी ई टी प्रयोगशालाएं काम कर रही हैं। 28 अतिरिक्त सी बी ई टी प्रयोगशालाएं शीघ्र ही प्रचालित होंगी ऐसी प्रत्याशा की जा रही है।

10.9 **स्वचालनः** भारतीय सेना में भर्ती हेतु सॉफ्टवेयर लाए गए हैं। कंप्यूटरों में उम्मीदवारों का डाटा डाला जाता है तथा तत्पश्चात संपूर्ण प्रक्रिया स्वाचलित होती है। परीक्षा हेतु कूट बार कोडस का प्रयोग किया जाता है। परीक्षा का मूल्यांकन, मुख्य सूची निर्माण तथा रेजिमेंटल केन्द्रों के आवंटन में कोई मानव अंतःक्षेप नहीं होता है। उम्मीदवारों का सत्यापन विभिन्न स्तरों पर जैसे रैली, चिकित्सा, रेजिमेंटल केंद्रों को लिखित परीक्षा प्रेषण बायो–मिट्रिक अंगुली यंत्र द्वारा किया जाता है। इसने भर्ती को पारदर्शी तथा प्रतिरूपण मुक्त बनाया है।

नौसेना

10.10 नौसेना में भर्ती सभी नए एवं मौजूदा पोतों, पनडुब्बियों, विमानों एवं तटीय स्थापनाओं को अनुकूलतम स्तर पर प्रभावशाली ढंग से जनशक्ति तैनात करने की जरूरत के आधार पर की जाती है। नौसेना में भर्ती अखिल भारतीय आधार पर की जाती है। भर्ती किए गए कार्मिकों की संख्या पात्र आवेदकों (पुरुष और महिला) जो लिखित परीक्षा, सेवा चयन बोर्ड (एस एस बी) साक्षात्कार, डॉक्टरी जांच में उत्तीर्ण होने और योग्यता–सूची में उनकी सापेक्ष स्थिति पर निर्भर होती है। लिंग/धर्म/जाति/पंथ के आधार पर भर्ती में अथवा अन्य किसी समय कोई भेदभाव नहीं किया जाता है।

भारतीय नौसेना में अफसरों की भर्ती

10.11 **भर्ती का तरीकाः** भारतीय नौसेना की भर्ती प्रणाली सुव्यवस्थित, पारदर्शी, द्रुत और उम्मीदवारों के अनुकूल प्रक्रिया है। भारतीय नौसेना में भर्ती दो तरीकों से की जाती है, अर्थात संघ लोक सेवा आयोग भर्ती और संघ लोक सेवा आयोग के अलावा भर्ती :

(क) **संघ लोक सेवा अयोग भर्तीः** संघ लोक सेवा आयोग राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (एन डी ए) और भारतीय नौसेना अकादमी (आई एन ए) में स्थायी कमीशन (पी सी) अफसरों के रुप में भर्ती के लिए वर्ष में दो बार एक परीक्षा का आयोजन करता है। 10+2 (पी सी एम) परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके अथवा 12वीं कक्षा में पढ़ रहे उम्मीदवार इस परीक्षा में बैठने के पात्र होते हैं। लिखित परीक्षा के बाद संघ लोक सेवा आयोग उम्मीदवारों की छंटाई करता है। इसके उपरांत उम्मीदवारों को बेंगलूर, भोपाल और कोयम्बटूर में स्थित सेवा चयन बोर्डों के पास भेजा जाता है। अर्हताप्राप्त उम्मीदवारों के परिणाम संघ लोक सेवा आयोग को अंतिम मेरिट–सूची तैयार करने हेतु भेजे जाते हैं। मेडिकल रूप से फिट अर्हक उम्मीदवारों को मेरिट–सूची के आधार पर एन डी ए/आई एन ए में नियुक्ति के लिए सूचित किया जाता है। एन डी ए/आई एन ए में प्रशिक्षण पूरा होने पर नौसेना कैडेटों को नौसेना समुद्री प्रशिक्षण के लिए कोच्चि में प्रशिक्षण पोतों पर भेजा जाता है। स्नातक विशेष भर्ती योजना के लिए संघ लोक सेवा आयोग वर्ष में दो बार संयुक्त रक्षा सेवा परीक्षा (सी डी एस ई) का आयोजन करता है। बी टेक डिग्री स्नातक भी इस परीक्षा में बैठने के पात्र होते हैं। सफल उम्मीदवारों को नौसेना अनुकूलन पाठ्यक्रम (एन ओ सी) के लिए केरल के एझिमाला में स्थित भारतीय नौसेना अकादमी में शामिल किया जाता है।

(ख) **संघ लोक सेवा आयोग के अलावा भर्तीः** गैर–यू पी एस सी प्रवेश के माध्यम से की जाने वाली भर्तियां स्थायी कमीशन (पी सी) और अल्पकालिक सेवा कमीशन (एस एस सी) दोनों के लिए होती हैं। इस प्रकार की भर्तियों

के लिए रक्षा मंत्रालय के एकीकृत मुख्यालय (नौसेना) में आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं तथा उनकी छंटाई की जाती हैं। तत्पश्चात छांटे गए उम्मीदवारों को सेवा चयन बोर्ड के साक्षात्कार के लिए भेजा जाता है। उसके बाद रिक्तियों की उपलब्धता के अनुसार अर्हताप्राप्त उम्मीदवारों की एक मेरिट सूची बनाई जाती है। नौसेना की निम्नलिखित शाखाओं/संवर्गों के लिए सेवा चयन बोर्डों के साक्षात्कारों के माध्यम से गैर–यू पी एस सी भर्ती की जाती है।

(i) **एग्जीक्यूटिवः** विश्वविद्यालय प्रवेश योजना (यू ई एस) के माध्यम से अल्पकालिक सेवा कमीशन एवं कार्यपालक (जी एस)/हवाई यातायात नियंत्रण/कानून/संभारिकी/नौसैनिक अस्त्र निरीक्षणालय (एन ए आई)/जल संवर्गों/पायलट/प्रेक्षक के लिए अल्पकालिक सेवा कमीशन (एस एस सी) योजनाएं एवं संभारिकी/कानून/एन ए आई संवर्गों के लिए स्थायी कमीशन।

(ii) **इंजीनियरी (नौसेना वास्तुकारों सहित):** विश्वविद्यालय प्रवेश योजना के माध्यम से अल्प सेवा कमीशन विश्वविद्यालय प्रवेश योजना (यू ई एस), विशेष नौसेना वास्तुकार प्रवेश योजना (एस एन ए ई एस) और एस एस सी (ई) योजनाओं के माध्यम से है। स्थायी कमीशन 10+2 (कैडेट प्रवेश योजना) के माध्यम से है।

(iii) **वैद्युत इंजीनियरीः** विश्वविद्यालय प्रवेश योजना और एस एस सी (एल) योजनाओं के माध्यम से अल्प सेवा कमीशन तथा 10+2 (कैडेट प्रवेश योजना) योजना के माध्यम से स्थायी कमीशन में प्रवेश।

(iv) **शिक्षा शाखाः** इस शाखा के लिए स्थायी कमीशन और अल्प सेवा कमीशन योजनाएं मौजूद हैं।

(ग) **10+2 (कैडेट प्रवेश योजना):** यह योजना भारतीय नौसेना की कार्यपालक, इंजीनियरी और वैद्युत शाखाओं में स्थायी कमीशन के लिए है। इस योजना के तहत 10+2 (पी सी एम) अर्हताप्राप्त उम्मीदवार सेना चयन बोर्ड के माध्यम से चुने जाने के पश्चात बी टेक पाठयक्रम के लिए भारतीय नौसेना अकादमी में भेजे जाते हैं। इस पाठ्यक्रम को सफलतापूर्वक पूरा करने पर उन्हें भारतीय नौसेना में कार्यपालक, वैद्युत और इंजीनियरी शाखाओं में स्थायी कमीशन प्रदान किया जाता है।

(घ) **विश्वविद्यालय प्रवेश योजना (यू ई एस):** अगस्त 2005 से यू ई एस अल्पकालिक सेवा कमीशन के रूप में पुनरारम्भ की गई है। सातवें और आठवें सेमेस्टर के इंजीनियरी छात्र नौसेना की एग्जीक्यूटिव एवं तकनीकी शाखाओं में प्रवेश के पात्र हैं। एकीकृत मुख्यालय, रक्षा मंत्रालय (नौसेना) और कमान मुख्यालयों से नौसेना चयन दल उम्मीदवारों को छांटने के लिए पूरे देश में ए आई सी टी ई द्वारा अनुमोदित इंजीनियरी कॉलेजों का दौरा करते हैं। अखिल भारतीय मैरिट के आधार पर छांटे गए उम्मीदवारों को सेवा चयन बोर्ड में साक्षात्कार के लिए बुलाया जाता है। इसके पश्चात सफल उम्मीदवारों की डाक्टरी जांच की जाती है। अंतिम चयन, सेवा चयन बोर्ड साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के आधार पर अखिल भारतीय मेरिट के आधार पर होता है।

10.12 **महिला अधिकारीः** नौसेना की एग्जीक्यूटिव शाखा (पर्यवेक्षक, ए टी सी, विधि 7 संभारिकी), शिक्षा शाखा एवं इंजीनियरी शाखा के नौसेना वास्तुकला संवर्ग में अल्पकालिक सेवा कमीशन (एस एस सी) अधिकारी के रूप में महिलाओं का प्रवेश हो रहा है।

10.13 **एस एस अधिकारियों को स्थायी कमीशनः** रक्षा मंत्रालय ने एग्जीक्यूटिव शाखा (विधि संवर्ग), शिक्षा शाखा एवं इंजीनियरी शाखा (नौसेना वास्तुकला) के अल्पकालिक सेवा कमीशन अधिकारियों, पुरुषों तथा महिलाओं दोनों को स्थायी कमीशन प्रदान करना आरंभ किया है।

10.14 **एन सी सी के माध्यम से भर्ती :** न्यूनतम 'बी' ग्रेडिंग सहित स्नातक डिग्री परीक्षा में 50% अंक वाले एन सी सी 'सी' प्रमाण–पत्र धारक विश्वविद्यालय स्नातकों को नौसेना में नियमित कमीशन प्राप्त अफसरों के रूप में भर्ती किया जाता है। इन स्नातकों को संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित संयुक्त रक्षा सेवा परीक्षा में बैठने से छूट दी गई है और उनका चयन केवल एस एस बी साक्षात्कार के माध्यम से ही किया जाता है। वे सी डी एस ई कैडेटों के साथ ही नौसेना अभिमुखीकरण पाठयक्रम (एन ओ सी) के लिए नौसेना अकादमी में प्रवेश लेते हैं।

10.15 **विशेष नौसेना वास्तु-शिल्प प्रवेश योजनाः** सरकार ने हाल ही में 'विशेष नौसेना वास्तुकार प्रवेश योजना' (एस एन ई ए एस) के तहत भारतीय नौसेना में अल्प सेवा कमीशन अफसरों के रूप में नौसेना वास्तुकार अफसरों को भर्ती किए जाने के लिए अनुमोदन प्रदान किया है। नौसेना को शक्ति प्राप्त दल आई आई टी खड़गपुर, आई आई टी चेन्नई, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कोचिन (सी यू एस ए टी) और आंध्र विश्वविद्यालय, जिनमें बी टेक (नौसेना वास्तुशिल्प) पाठ्यक्रम का संचालन किया जाता है, के कैम्पस साक्षात्कारों के माध्यम से उम्मीदवारों का चयन करने हेतु दौरा करता है। चुने हुए उम्मीदवारों की निकटतम मिलिटरी अस्पताल में मेडिकल जांच की जाती है और उपयुक्त पाए जाने पर प्रशिक्षण के लिए उनका चयन किया जाता है।

नौसेनिकों की भर्ती

10.16 **भर्ती का तरीका :** नौसेना में भर्ती उपलब्ध रिक्तियों की संख्या के अनुसार भर्ती योग्य पात्र पुरूष आबादी की राज्यवार मेरिट पर अखिल भारतीय आधार पर की जाती है। राज्य विशेष से भर्ती हुए कार्मिकों की संख्या उन पात्र उम्मीदवारों की संख्या पर निर्भर होती है जो लिखित परीक्षा, शारीरिक फिटनेस टेस्ट और डॉक्टरी जांच तथा मेरिट में उनकी अपनी–अपनी स्थिति के अनुरूप होती है। जाति/पंथ अथवा धर्म के आधार पर रिक्तियों का कोई कोटा नहीं होता है। पात्र वालंटियरों से आवेदन–पत्र मंगवाने हेतु सभी प्रमुख राष्ट्रीय और प्रादेशिक समाचार–पत्रों और रोजगार समाचार में विज्ञापन प्रकाशित किये जाते हैं। बहुत से स्कूलों/कॉलेजों और जिला सैनिक बोर्डों में भी प्रचार सामग्री भेजी जाती है। स्थानीय प्रशासन ग्रामीण/पिछड़े क्षेत्रों में स्थानीय मीडिया के माध्यम से प्रचार अभियान चलाता है।

10.17 **भर्ती की किस्में :** नौसेनिकों की भर्ती के लिए विभिन्न प्रविष्टियां इस प्रकार हैं (प्रत्येक प्रविष्टि के सामने दर्शाई गई शैक्षिक योग्यताओं के साथ) :–

(क) आर्टिफिसर अप्रेंटिस (ए ए) – 10+2 (पी सी एम)

(ख) सीनियर सैकेन्डरी रंगरूट (एस एस आर) – 10+2 (साइंस)

(ग) मैट्रिक भर्ती रंगरूट (एम आर) – रसोइया स्टीवार्ड एवं संगीतकार की भर्ती के लिए – मैट्रिकुलेशन

(घ) गैर– मैट्रिक रंगरूट (एन एम आर), टोपास नौसैनिकों (सफाईवाला) की भर्ती के लिए–कक्षा VI

(च) सीधी भर्ती (उत्कृष्ट खिलाड़ी)

10.18 **एन सी सी प्रमाणपत्र धारकः** एस एस आर में प्रवेश हेतु नौसेना ने एन सी सी (नेवल विंग) 'सी' प्रमाणपत्र धारकों के लिए 25 रिक्तियां प्रति बैच निश्चित की हैं।

भारतीय नौसेना अकादमी (आई ए ए), एझिमाला

10.19 जून 2009 में भारतीय नौसेना अकादमी, एझिमाला में प्रौद्योगिकी स्नातक पाठ्याक्रम की

शुरुआत की गई तथा पाठ्यक्रम समाप्त होने पर 2013 में प्रशिक्षणार्थियों को प्रोद्योगिकी डिग्री प्रदान की गईं। 2452 एकड़ की तटीय भूमि पर फैली हुई इस भारतीय नौसेना अकादमी में आधारभूत संरचनाओं, शैक्षिक लक्ष्यों तथा बाह्य क्रियाकलापों के लिए उत्कृष्ट सुविधाएं हैं जिनमें प्रयोगशालाएं, कार्यशालाएं, स्विमिंग पूल, खेल के मैदान आदि शामिल हैं जो प्रशिक्षणाधीन कैडेटों के संपूर्ण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

10.20 भारत सरकार द्वारा दिसंबर 2011 में 1200 प्रशिक्षणार्थियों की क्षमता को बढ़ाने के प्रस्ताव के साथ ही तीन अतिरिक्त संगठित दलों और संबंधित आधारभूत संरचनाओं को स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। वर्तमान में भारतीय नौसेना अकादमी में 1050 प्रशिक्षाणार्थियों के प्रशिक्षण की क्षमता है।

10.21 **वित्त, लेखा विधि लागत, परियोजना तथा संविदा प्रबंधन पर सर्टिफिकेट कोर्सः** विभिन्न नौसेना अधिकारी जहाजों, यंत्रों, पुर्जों तथा जहाजों की मरम्मत के लिए संविदाओं के कार्यान्वयन तथा प्रबंधन में संलग्न रहते हैं। संविदा प्रबंधन जिसमें प्रापण के सामान्य सिद्धांत, सेवा संविदाएं, सी वी सी निर्देश, टेंडर स्वीकृति, निर्धारित क्षतियां, मध्यस्थता, बैंक की गारंटी आदि सम्मिलित हैं, के क्षेत्र में अधिकारियों को अधिकाधिक अनुभव तथा एकाग्र प्रशिक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से आई सी डबल्यू ए आई ने नौसेना के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम के साथ एक सर्टिफिकेट कोर्स तैयार किया है। इन कोर्सों को आई सी डबल्यू ए आई, दिल्ली में समय–समय पर आयोजित किया जा रहा है।

10.22 **विदेशों में प्रतिनियुक्तिः** वर्तमान सामरिक महत्व के परिपेक्ष्य में, जहां वैश्विक सुरक्षा की अपार चुनौतियां है और सभी देश घोर संकट से जूझ रहे हैं, वहां आपसी विश्वास और इनटरोपैरिबिलिटी को विकसित करने के लिए प्रशिक्षण में सहभागिता होना बहुत ही आवश्यक है। इसके अतिरिक्त लगातार बदलती स्थितियों से निपटने के लिए कार्मिकों को नई तकनीकों में अनुभव हासिल करने तथा उन तकनीकों को अपनी व्यवस्था और प्रणालियों को सुधारने/विकसित करने के लिए अपनाने की आवश्यकता है। 2013 में, 47 कार्मिकों को विदेशों में विभिन्न प्रशिक्षण कोर्सों के लिए प्रतिनियुक्त किया गया है।

आई एन एस चिल्का में नौसैनिकों का प्रशिक्षण

10.23 आई एन एस चिल्का, भारतीय नौसेना का प्रमुख नाविक प्रशिक्षण संस्थान है जिसे लगभग 1700 प्रशिक्षाणार्थियों को प्रारंभिक प्रशिक्षण देने के लिए स्थापित किया गया था। औसतन, चिल्का प्रतिवर्ष अन्य सेवाओं जैसे सी आई एस एफ/बी एस एफ तथा भारतीय तटरक्षक के 800 कार्मिकों को प्रशिक्षित करता है। यह संस्थान, ओडिसा में स्थित एन सी सी यूनिटों को संरचनात्मक, प्रशिक्षण, संभार–तंत्रों आदि की सहायता मुहैया कराता है। इस संस्थान द्वारा प्रतिवर्ष 5000 प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षित किया जाता है (जिनमें 600 प्रशिक्षणार्थी भारतीय तटरक्षक में सम्मिलित है)। प्रशिक्षण संस्थान में आधारभूत संरचनाओं में वृद्धि करने तथा प्रशिक्षण के आदर्श स्तर को कायम रखने के प्रयास किए जा रहे हैं।

भारतीय वायुसेना

अफसरों की भर्ती

10.24 भारतीय वायुसेना में अफसरों के चयन की नीति पूरी तरह मेरिट पर आधारित है और सभी भारतीय नागरिक इसमें भाग ले सकते हैं। प्रौद्योगिकी आधारित सेना होने के नाते भारतीय वायुसेना कार्मिकों की भर्ती के लिए अपने उच्च मानकों को बरकरार रखती है।

10.25 **अफसरों का प्रवेश :** संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (एन डी ए) और संयुक्त रक्षा सेवा परीक्षा (सी डी एस ई)

प्रविष्टियां अफसर संवर्ग के लिए प्रमुख फीडर हैं। अफसर संवर्ग में गैर–संघ लोक सेवा आयोग प्रविष्टियां हैं : अल्पकालिक सेवा कमीशन (एस एस सी) (पुरुष एवं महिला) उड़ान, एन सी सी भर्ती (पुरुषों के लिए स्थायी कमीशन), ग्राउंड ड्यूटी अफसर (जी डी ओ सी) (गैर–तकनीकी), (पुरुषों के लिए स्थायी कमीशन), एयरमैन भर्ती (एयर वॉरियर्स के लिए स्थाई कमीशन), अल्पकालिक सेवा कमीशन (तकनीकी) (पुरुष और महिला), और अल्पकालिक सेवा कमीशन (गैर तकनीकी) (पुरुष एवं महिला)।

10.26 **सेवा चयन बोर्ड के माध्यम से भर्ती:** भारतीय वायुसेना में उड़ान शाखा (पायलट), वैमानिकी इंजीनियरिंग (इलेक्ट्रॉनिक्स), वैमानिकी इंजीनियरिंग (यांत्रिकी), शिक्षा, प्रशासन, संभारिकी, लेखा एवं मौसम विज्ञान शाखाओं के लिए भर्ती सेवा चयन बोर्डों/ वायुसेना चयन बोर्डों के माध्यम से की जाती है।

10.27 **सेवा प्रविष्टि योजना:** इस प्रवेश के अंतर्गत न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा (तकनीकी एवं गैर तकनीकी ट्रेड) पूरी कर चुके 36–42 वर्ष आयु वर्ग वाले सार्जेंट एवं उससे ऊपर के रैंक वाले सेवारत कार्मिक, जिनकी न्यूनतम शिक्षा योग्यता 10+2 है, यूनिट स्तर पर स्क्रीनिंग के पश्चात वायुसेना चयन बोर्ड परीक्षा एवं चिकित्सा जांच किए जाने पर कमीशन के पात्र हैं। तकनीकी ट्रेडों के सैन्य कार्मिकों को तकनीकी शाखा में भर्ती किया जाता है एवं गैर–तकनीकी ट्रेडों के कार्मिकों को ग्राउंड ड्यूटी शाखाओं में भर्ती किया जाता है।

10.28 **महिला अफसरों की भर्ती:** पात्र महिलाओं को भारतीय वायुसेना की उड़ान, वैमानिक इंजीनियरी (इलैक्ट्रॉनिक्स), वैमानिक इंजीनियरी (यांत्रिकी), शिक्षा, प्रशासन, संभारिकी, लेखा और मौसम विज्ञान शाखाओं में अल्पकालिक सेवा कमीशनप्राप्त अफसरों के रूप में भर्ती किया जाता है।

10.29 **राष्ट्रीय कैडेट कोर के माध्यम से भर्ती:** न्यूनतम 'बी' ग्रेडिंग के एन सी सी 'ग' प्रमाणपत्र धारक एवं स्नातक स्तर पर 50% अंक प्राप्त करने वाले विश्वविद्यालय स्नातकों को सेवा चयन बोर्डों के माध्यम से चयन करके भारतीय नौसेना एवं वायुसेना में नियमित कमीशनप्राप्त अफसरों के रूप में भर्ती किया जाता है।

10.30 **ए एफ सी ए टी 02/2014 हेतु अभ्यार्थियों की संख्या में वृद्धि:** भारतीय वायुसेना की करियर वेबसाइट careerairforce-nic-in सरकारी वेबसाइटों में सबसे ज्यादा देखी जाने वाली 20 वेबसाइटों में शामिल है। अप्रैल से सितंबर 2014 की अवधि के दौरान 47,98,354 लोगों द्वारा वेबसाइट देखी गई है। ए एफ सी ए टी चक्र 02/2014 में 147869 आवेदन जमा किए गए थे जोकि पिछले वर्ष की समान अवधि से अधिक है।

10.31 **नए वायुसेना चयन बोर्डों (ए एफ एस बी) की स्थापना:** सरकार द्वारा दो अतिरिक्त ए एफ एस बी की स्थापना (नं. 3 ए एफ एस बी तथा नं. 5 ए एफ एस बी) का अनुमोदन जून 2014 में प्राप्त हुआ था। नं. 3 तथा नं. 5 लघु ए एफ एस बी प्रचालित किए जा चुके है।

10.32 **एयरमैन की भर्ती:** भारतीय वायुसेना के एयरमैन संवर्ग में निर्धारित चयन परीक्षा के माध्यम से अखिल भारतीय मैरिट आधार पर भर्ती की जाती है। जाति, पंथ, धर्म या समुदाय के भेदभाव बिना देश के अर्हता प्राप्त सभी नागरिकों का इस परीक्षा में स्वागत है। इस परीक्षा के अतिरिक्त, दूरदराज स्थित क्षेत्रों/ कम आवेदन वाले क्षेत्रों/सीमावर्ती क्षेत्रों/विद्रोहग्रस्त एवं पहाड़ी तथा देश के द्विपीय क्षेत्रों के युवाओं को एयरमैन के रुप में भारतीय वायुसेना में नियुक्ति का अवसर प्रदान करने के लिए भर्ती रैलियां आयोजित की जाती हैं।

10.33 **पेशेवर मिलिट्री शिक्षा:** विभिन्न 'सेवा–कालीन' पाठ्यक्रमों में अधिकारियों के निष्पादन में गुणवता वृद्धि हेतु, उन पाठ्यक्रमों में जो विभिन्न स्थानन/ नियुक्तियों के चयन में गुणवता आधारित होते हैं,

अधिकारियों के निष्पादन को उचित भार दिया जाता है। तकनीकी तथा संभार तंत्र शाखाओं के अधिकारियों के लिए भी एक सुस्पष्ट रूपरेखा प्रस्तुत की गई है। इसके अतिरिक्त विभिन्न प्रशिक्षण संस्थानों में तैनात अनुदेशकों के प्रशिक्षण हेतु एक वायुसेना अनुदेशक प्रशिक्षण विद्यालय की स्थापना की गई है। इन उपायों का लक्ष्य पेशेवर मिलिट्री शिक्षा को अधिकारियों के मध्य समुन्नत करना है।

10.34 **सिविलियनों के लिए प्रवेश प्रशिक्षणः** भारतीय वायुसेना सिविलियन एक बहुत बड़ा कार्यबल है एवं भारतीय वायुसेना के द्वारा निर्धारित उद्देश्यों/लक्ष्यों को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सिविलियन कलर्क जोकि भारतीय वायुसेना में सम्मिलित हो रहे हैं उनके लिए प्रवेश प्रशिक्षण कोर्स का प्रावधान है। प्रशिक्षण का उद्देश्य भारतीय वायुसेना सिविल प्रशासन के सूक्ष्म भेदों से परिचित कराना एवं उनके कौशल को बढ़ाना तथा उनके भीतर पेशेवर होने की भावना जागृत करना है।

भारतीय तटरक्षक

10.35 **अफसरों की भर्तीः** तटरक्षक संगठन में अफसरों की भर्ती वर्ष में दो बार की जाती है। तटरक्षक में सहायक कमांडेंटों की रिक्तियों का विज्ञापन रोजगार समाचार तथा प्रमुख राष्ट्रीय समाचार पत्रों में दिसंबर/जनवरी एवं जून/जुलाई के महीने में प्रकाशित किया जाता है। भर्ती के लिए आयु सीमा में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए पांच वर्ष तथा अन्य पिछड़े वर्ग के लिए 3 वर्ष की छूट दी जाती है। तटरक्षक चयन बोर्ड अफसरों को निम्नलिखित शाखाओं में भर्ती किया जाता है :–

(क) **सामान्य ड्यूटी :** 10+2+3 शिक्षा पद्धति के अंतर्गत बारहवीं कक्षा के स्तर तक गणित एवं भौतिकी पढ़े हुए 21 से 25 वर्ष की आयु वाले सभी पुरुष/महिला स्नातक अभ्यर्थी, सामान्य ड्यूटी शाखा में अफसर के लिए आवेदन करने के पात्र हैं।

(ख) **सामान्य ड्यूटी (पायलट/नौचालन):** स्नातक के दौरान गणित एवं भौतिकी विषयों में बैचलर डिग्री रखने वाले 21–25 वर्ष की आयु के पुरुष/महिला अभ्यर्थी, सामान्य ड्यूटी (पायलट/नौचालन) शाखा में अफसर के लिए आवेदन करने के पात्र हैं।

(ग) **सामान्य ड्यूटी (वाणिज्यिक पायलट लाइसेंस अल्प सेवा प्रविष्टि):** 10+2+3 शिक्षा पद्धति के अंतर्गत बारहवीं कक्षा उत्तीर्ण महिला/पुरुष जो आवेदन प्रस्तुत करने की तारीख को नागरिक उड्डयन महानिदेशक द्वारा अनुमोदित वाणिज्यिक पायलट लाइसेंस (सी पी एल) रखते हैं और जिनकी आयु 19–25 वर्ष के बीच है, वे सी पी एल अल्पकालिक सेवा प्रविष्टि के तहत अफसर के लिए आवेदन करने के पात्र हैं।

(घ) **महिलाओं के लिए सामान्य ड्यूटी (अल्पकालिक सेवा नियुक्ति योजना):** शिक्षा की 10+2+3 शिक्षा पद्धति में 12वीं कक्षा तक गणित और भौतिकी सहित स्नातक उपाधि वाली महिला उम्मीदवार जो 21–25 के आयु वर्ग के बीच हों, सामान्य ड्यूटी शाखा में अफसर के लिए आवेदन करने की पात्र हैं।

(च) **तकनीकी शाखाः** 21–25 आयु वर्ग के इंजीनियरिंग डिग्रीधारी (नौसेना वास्तुशिल्प/यांत्रिकी/इलेक्ट्रिकल/ऑटोमोटिव/मैक्नोट्रेनिक्स/औद्योगिक व उत्पादन/धातु–विज्ञान/डिजाईन/वैमानिक/वायु आकाश/विद्युत/इलैक्ट्रोनिक/दूरसंचार/संगीत–शास्त्र/संगीत–शास्त्र और नियंत्रण/इलैक्ट्रोनिक संचार/विद्युत इंजिनियरिंग/विद्युत इलैक्ट्रोनिक्स) अथवा समकक्ष योग्यता वाले पुरूष तकनीकी शाखा में अफसर के लिए आवेदन करने के पात्र हैं।

(छ) **विधि शाखाः** 21–30 आयु वर्ग के विधि डिग्रीधारी पुरूष/महिला विधि शाखा में अफसर

के लिए आवेदन करने के पात्र हैं। हालांकि तटरक्षक कार्मिकों अथवा उनके समकक्ष पद पर कार्यरत सेना अथवा नौसेना अथवा वायुसेना के कार्मिकों तथा अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लिए पांच वर्ष तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदकों के लिए तीन वर्ष आयु छूट का प्रावधान है।

10.36 **अधीनस्थ अफसरों को अफसर के रूप में शामिल किया जाना:** चयन प्रक्रिया के अनुसार 48 वर्ष तक की आयु के उत्कृष्ट अधीनस्थ अफसरों को सामान्य ड्यूटी और तकनीकी शाखा में सहायक कमांडेंट के रूप में शामिल किया जाता है।

10.37 **अफसर रैंक से नीचे के कार्मिकों (पी बी ओ आर) की भर्ती:** पी बी ओ आर की तटरक्षक में भर्ती वर्ष में दो बार की जाती है। दिसम्बर/जनवरी एवं जून/जुलाई माह में तटरक्षक में पी बी ओ आर की रिक्तियों का विज्ञापन रोजगार समाचार और प्रमुख समाचार–पत्रों में प्रकाशित किया जाता है। पी बी ओ आर निम्नलिखित शाखाओं में भर्ती किए जाते हैं:–

(क) **यांत्रिक:** मैट्रिक पास करने के बाद यांत्रिकी/इलेक्ट्रिकल/इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में तीन वर्षीय डिप्लोमाधारी 18–22 वर्ष की आयु के पुरूष उम्मीदवार यांत्रिक के लिए आवेदन करने के पात्र हैं।

(ख) **नाविक (सामान्य ड्यूटी):** गणित एवं भौतिकी विषयों सहित इंटरमीडिएट/10+2 पास 18–22 वर्ष की आयु के पुरुष उम्मीदवार नाविक (सामान्य ड्यूटी) के लिए आवेदन करने के पात्र हैं।

(ग) **नाविक (घरेलू शाखा):** 18–22 वर्ष की आयु के मैट्रिक पास पुरुष उम्मीदवार नाविक (घरेलू शाखा) के लिए आवेदन करने के पात्र हैं।

सैनिक स्कूल

10.38 सैनिक स्कूल केंद्र एवं राज्य सरकारों के संयुक्त उद्यम के रूप में स्थापित किए गए थे। ये सैनिक स्कूल सोसायटी के समग्र नियंत्रण में चलते हैं। इस समय देश के विभिन्न भागों में कुल 25 सैनिक स्कूल हैं। अनेक राज्यों से नए सैनिक स्कूल खोलने की मांग बढ़ रही है। परिणामस्वरूप आंध्र प्रदेश, हरियाणा, बिहार तथा कर्नाटक में दो सैनिक स्कूल हैं। उत्तर प्रदेश में मैनपुरी, अमेठी तथा झांसी में तीन नए सैनिक स्कूल आरंभ करने के प्रस्ताव को अनुमोदन मिल चुका है।

10.39 सैनिक स्कूलों का उद्देश्य बेहतर पब्लिक स्कूल शिक्षा को आम आदमी तक पहुंचाना, बच्चों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास और सशस्त्र सेनाओं के अफसर संवर्ग में मौजूद क्षेत्रीय असंतुलन को समाप्त करना है। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में प्रवेश के लिए शैक्षिक, शारीरिक एवं मानसिक रूप से तैयार किए जाने के प्रमुख उद्देश्य के अनुरूप इन स्कूलों से राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में शामिल होने वाले कैडेटों की संख्या में वृद्धि का रुझान दिखाई दिया है। 132वें एन डी ए कोर्स में जिसकी शुरूआत जुलाई 2014 में हुई, सभी सैन्य स्कूलों के कुल 98 कैडेटों ने राष्ट्रीय रक्षा अकादमी और नौसेना अकादमी में प्रवेश लिया।

10.40 सैनिक स्कूल लड़कों को छठी एवं नौवीं कक्षाओं में प्रवेश देते हैं। प्रवेश वर्ष की 01 जुलाई को कक्षा छठी के लिए उनकी उम्र 10–11 वर्ष एवं कक्षा नौवीं के लिए 13–14 वर्ष होनी चाहिए। प्रवेश प्रत्येक वर्ष जनवरी मास में आयोजित अखिल भारतीय स्तर की प्रवेश परीक्षा में योग्यताक्रम (मेरिट) के आधार पर दिया जाता है।

10.41 सैनिक स्कूल सोसाइटी ने उत्कृष्ट शैक्षिक लक्ष्य प्राप्त करने के लिए अनेक उपाय किए हैं जिनके परिणामस्वरूप बोर्ड और एन डी ए के परिणामों में उच्चतर वृद्धि हुई है। राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं

प्रशासन विश्वविद्यालय ने सैनिक स्कूलों के कार्यान्वयन पर विस्तृत अध्ययन किया है ताकि सैनिक स्कूलों के निष्पादन में और वृद्धि की जा सके। देश के उत्तर पूर्व में स्थित छोटे राज्यों में भी सैनिक स्कूल खोलने के प्रयास किए जा रहे हैं।

राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल (आर एम एस)

10.42 देश में पांच मिलिट्री स्कूल कर्नाटक में बेलगाम व बंगलौर, हिमाचल प्रदेश में चायल एवं राजस्थान में अजमेर और धौलपुर में स्थित है। धौलपुर में स्थापित राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल इनमें से नवीनतम है। ये स्कूल सी बी एस ई से संबद्ध है। ये स्कूल लड़कों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करके रक्षा सेनाओं में भर्ती होने के लिए तैयार करते हैं।

10.43 राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल एक साझी प्रवेश परीक्षा के माध्यम से लड़कों को प्रवेश देते हैं। उम्मीदवारों की चार विषयों अर्थात अंग्रेजी, गणित, बुद्धिमता एवं सामान्य ज्ञान की परीक्षा ली जाती है। आर एम एस में 67% सीटें जूनियर कमीशन प्राप्त अफसरों/अन्य रैंक के बच्चों के लिए एवं 20% सीटें कमीशनप्राप्त अफसरों तथा शेष 13% सिविलियनों के बच्चों के लिए आरक्षित होती हैं।

राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (एन डी ए)

10.44 राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (एन डी ए) तीनों सेवाओं की एक प्रमुख संस्था है जहां सभी तीन सेवाओं के कैडेटों को उनसे संबंधित कमीशन–पूर्व प्रशिक्षण अकादमियों में प्रवेश से पूर्व प्रशिक्षण दिया जाता है। भारतीय सशस्त्र सेनाओं में अधिकारियों की कमी तथा इस कमी को दूर करने के लिए परिणामी तत्काल आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए एन डी ए में एक अतिरिक्त स्क्वाड्रन अर्थात् 16वें स्क्वाड्रन की स्थापना को मंजूरी मिलने के साथ ही एन डी ए की प्रवेश क्षमता को हाल ही में 1800 कैडेट से बढ़ाकर 1920 कैडेट कर दिया गया है। भवन निर्माण में कुछ अतिरिक्त वर्ष लगने के कारण अंतरिम उपाय के रूप में 120 कैडेटों के आवास के लिए पी फैब्रिकेटेड आवास का निर्माण किया गया है। इसके साथ ही वर्ष 2015 तक कैडेटों की प्रवेश क्षमता 2400 तक बढ़ाने के लिए 4 स्क्वाड्रन वाले एक अतिरिक्त बटालियन (5वीं वटालियन) की स्थापना पर कार्य चल रहा है। भारतीय सशस्त्र सेनाओं में भविष्य की तकनीक के आगमन से सामंजस्य बढ़ाने के लिए कल के सैन्य अधिकारियों को सक्षम बनाने के लिए एन डी ए कैडेटों के अकादमिक स्तर को भी ऊंचा उठाया जा रहा है।

राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कलेज (आर आई एम सी)

10.45 राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज (आर आई एम सी) की स्थापना चयनित लडकों को राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (एन डी ए) एवं नौसेना अकादमी (एन ए वी ए सी) में प्रवेश के लिए तैयार करने के उद्देश्य से 1922 में की गई थी। वर्ष में दो बार (जनवरी एवं जुलाई) बिना आरक्षण अखिल भारतीय प्रवेश परीक्षा के आधार पर प्रत्येक सत्र में 25 कैडेटों को प्रवेश दिया जाता है।

10.46 आर आई एम सी के लिए लड़कों का चयन राज्य सरकारों के माध्यम से आयोजित एक लिखित–सह–मौखिक परीक्षा के द्वारा किया जाता है। संबंधित राज्यों के लिए सीटें जनसंख्या के आधार पर आरक्षित की जाती हैं। कॉलेज, लड़कों को कक्षा VIII में प्रवेश देता है।

भारतीय सैन्य अकादमी (आई एम ए), देहरादून

10.47 वर्ष 1932 में स्थापित भारतीय सैन्य अकादमी, (देहरादून) का उद्देश्य सेना में अफसरों के रूप में शामिल होने वाले व्यक्तियों के बौद्धिक, नैतिक एवं शारीरिक गुणों का पूर्णतः विकास करना है। भारतीय

सैन्य अकादमी में प्रविष्टि के विभिन्न माध्यम इस प्रकार हैं :–

(क) एन डी ए से स्नातक होने पर।

(ख) सेना कैडेट कॉलेज जो आई एम ए का ही एक विंग है, से स्नातक होने पर।

(ग) सीधी भर्ती स्नातक केडेट, जो संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा उत्तीर्ण करके सैन्य चयन बोर्ड द्वारा चुने जाते हैं।

(घ) तकनीकी स्नातक पाठ्यक्रम (टी जी सी) के लिए

(च) इंजीनियरिंग कॉलेजों के अंतिम/अंतिम से पूर्व वर्ष के छात्रों के लिए विश्वविद्यालय प्रविष्टि योजना (यू ई एस) के अंतर्गत

(छ) 10+2 तकनीकी प्रविष्टि योजना (टी ई एस) के माध्यम से।

10.48 आई एम ए मित्र देशों के जैंटलमैन कैडेटों को भी प्रशिक्षण प्रदान करता है।

अफसर प्रशिक्षण अकादमी (ओ टी ए), चेन्नई

10.49 वर्ष 1963 में स्थापित अफसर प्रशिक्षण स्कूल (ओ टी एस) के 25 वर्ष पूरे होने पर 01 जनवरी 1988 को इसे अफसर प्रशिक्षण अकादमी (ओ टी ए) नाम दिया गया। वर्ष 1965 से पहले इसका मुख्य कार्य इमरजेंसी कमीशन प्रदान करने के लिए जैंटलमैन कैडेटों को प्रशिक्षित करना था। 1965 के बाद अकादमी ने अल्प सेवा कमीशन के लिए कैडेटों को प्रशिक्षित करना आरंभ किया है।

10.50 21 सितम्बर 1992 से सेना में महिला अफसरों के प्रवेश के पश्चात ओ टी ए से हर वर्ष लगभग 100 महिला अफसर सेना सर्विस कोर, सेना शिक्षा कोर, जज एडवोकेट जनरल विभाग, इंजीनियर्स कोर, सिग्नल तथा इलैक्ट्रिकल एवं मैकेनिकल कोर में कमीशन प्राप्त करती हैं।

10.51 ओ टी ए निम्नलिखित के लिए कमीशन पूर्व प्रशिक्षण प्रदान करती है :–

(क) स्नातकों के लिए अल्प सेवा कमीशन (गैर तकनीकी)

(ख) स्नातकों के लिए अल्प सेवा कमीशन (तकनीकी)

(ग) स्नातक/स्नातकोत्तर महिला कैडेटों के लिए अल्प सेवा कमीशन (महिला)

अफसर प्रशिक्षण अकादमी (ओ टी ए), गया

10.52 3 दिसम्बर 2009 को सुरक्षा संबंधी मंत्रिमंडल समिति (सी सी एस) ने गया, बिहार में दूसरी अफसर प्रशिक्षण अकादमी (ओ टी ए) स्थापित किए जाने के प्रस्ताव को अनुमोदित किया। 18 जुलाई 2011 से इस अकादमी में प्रशिक्षण प्रारंभ हो गया है। नियोजित 135 जेंटलमैंन कैडेट्स की रिक्तियों के विरूद्ध प्रथम चरण में 149 कैडेट्स ने प्रवेश लिया। क्रमिक रूप से इसकी क्षमता बढ़ाकर 750 जेंटलमैन कैडेट कर दी जाएगी।

सेना युद्ध कालेज, महू

10.53 15 जनवरी 2003 से सेना युद्ध कॉलेज के नाम से गत पूर्ववर्ती समाघात कॉलेज इंफेन्ट्री स्कूल में से सृजित किया गया था और 01 अप्रैल 1971 को इसे स्वतंत्र संस्थान के रूप में स्थापित किया गया था। एक अग्रणी संस्थान के रूप में अफसरों को सामरिक प्रशिक्षण प्रदान करने के साथ–साथ सेना युद्ध कॉलेज सामरिकी एवं संभारिकी के क्षेत्रों में नई संकल्पनाओं एवं सिद्धांतों के मूल्यांकन का महत्वपूर्ण कार्य करता है।

जूनियर लीडर्स विंग (जे एल डब्ल्यू), बेलगांव

10.54 बेलगाम में जूनियर लीडर्स विंग सब यूनिट लेवल टेक्टिकल और विशेष मिशन तकनीकों में

जूनियर अफसरों, जे सी ओ एवं एन सी ओ को प्रशिक्षण देता है ताकि वे भीषण तनाव और दबाव में विभिन्न क्षेत्रों में सौंपे गए संक्रियात्मक मिशनों तथा युद्ध एवं शांतिकाल में अपनी उप–यूनिटों की कमान और प्रशासन प्रभावी रूप से संभाल सकें। यह सेना, अर्ध सैनिक बलों, केन्द्रीय पुलिस संगठनों और विदेशी मित्र देशों के अफसरों और एन सी ओ को कमांडो प्रकार की संक्रियाओं में प्रशिक्षण देती है ताकि उन्हें सभी प्रकार के क्षेत्रों और संक्रियात्मक परिवेश में या तो विशेष मिशन समूहों का हिस्सा बनाया जा सके अथवा स्वतंत्र मिशनों का नेता बनाया जा सके।

जूनियर लीडर्स अकादमी (जे एल ए), बरेली

10.55 प्रशिक्षण के लिए और अधिक सुविधाओं की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए जे एल ए, रामगढ़ और जे एल ए, बरेली का समामेलन कर दिया गया है। यह संस्था प्रतिवर्ष 4212 अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण प्रदान कर रही है।

उच्च तुंगता युद्घपद्धति स्कूल (एच ए डब्ल्यू एस), गुलमर्ग

10.56 इस विद्यालय का उद्देश्य उच्च तुंगता (एच ए) की पर्वतीय युद्धपद्धति से जुड़े सभी पहलुओं में चुने गए कार्मिकों को प्रशिक्षित करना तथा ऐसी भौगोलिक परिस्थितियों में युद्ध तकनीक विकसित करना है। एच ए डब्ल्यू एस अफसरों, जे सी ओ तथा एन सी ओ के लिए पाद्यक्रमों की दो श्रृंखलाएं–पर्वतीय युद्ध पद्धति (एम डब्ल्यू) तथा शीतकालीन युद्ध पद्धति (डब्ल्यू डब्ल्यू), क्रमशः सोनमर्ग तथा गुलमर्ग में चलाता है। प्रशिक्षण की अवधि सामान्यतः जनवरी से अप्रैल तक (डब्ल्यू डब्ल्यू सीरीज) तथा मई से अक्तूबर तक (एम डब्ल्यू सीरीज) होती है। इस स्कूल से प्रशिक्षित कार्मिकों ने माउंट एवरेस्ट, माउंट कंचनजंगा तथा संयुक्त राज्य अमरीका की माउंट मैकिनले जैसी विश्व की कुछ प्रमुख चोटियों पर चढ़ने में सफलता पाई है।

काउंटर इंसरर्जेंसी तथा जंगल वार फेयर पर युद्ध पद्धति स्कूल (सी आई जे डब्ल्यू), वीरांगटे

10.57 सी आई जे डब्ल्यू अधिकारियों तथा जे सी ओ/एन सी ओ के लिए जबावी कार्यवाही तकनीकों तथा असमिया, बोडो, नागामीज, मणिपुरी/तंगखुल भाषाओं के पाठ्यक्रम आयोजित करता है तथा विद्रोहपूर्ण क्षेत्रों में भेजने से पहले सभी यूनिटों के लिए तैनाती पूर्व प्रशिक्षण (पी आई टी) भी आयोजित करता है।

प्रतिविद्रोहिता तैनाती-पूर्व प्रशिक्षण युद्ध स्कूल

10.58 सी आई जे डब्ल्यू स्कूल की सीमित क्षमता तथा विशिष्ट संक्रियात्मक परिस्थितियों व यूनिटों के संचलन में आने वाली प्रशासनिक समस्याओं के कारण यह आवश्यक समझा गया कि यूनिटों को उनके संक्रिया क्षेत्रों के निकट ही प्रशिक्षण दिया जाए। सेना के संसाधनों में से ही उत्तरी कमान की ओर जाने वाली यूनिटों के लिए खेरू, सरोल एवं भालरा में तथा असम तथा मेघालय की ओर संचलन करने वाली यूनिटों के लिए ठाकुरबाड़ी में और कोर युद्ध स्कूल स्थापित किए गए हैं। प्रतिविद्रोहिता प्रशिक्षण के साथ–साथ ये स्कूल विशेषकर उत्तरी कमान में यूनिटों को नियंत्रण रेखा तथा उच्च तुंगता के संबंध में उनकी भूमिका के लिए प्रशिक्षण दे रहे हैं।

इन्फैन्ट्री स्कूल, महू

10.59 इन्फैन्ट्री स्कूल भारतीय सेना का सबसे बड़ा और सबसे पुराना सैन्य प्रशिक्षण संस्थान है। इन्फैन्ट्री स्कूल में यंग आफिसर्स पाठ्यक्रम, प्लैटून वेपन पाठ्यक्रम, मोर्टार पाठ्यक्रम, एंटी टैंक एण्ड गाइडेड मिसाइल पाठ्यक्रम, मीडियम मशीन गन

एवं आटोमैटिक ग्रेनेड लॉन्चर (जे/एन) पाठ्यक्रम, सेक्शन कमांडर्स पाठ्यक्रम, ऑटोमैटिक डेटा प्रोसेसिंग पाठ्यक्रम, स्नाइपर पाठ्यक्रम तथा सपोर्ट वेपन पाठ्यक्रम चलाए जाते हैं। यह संस्थान केवल इंफेंट्री के ही नहीं बल्कि अर्ध सैनिक बलों एवं सिविल पुलिस संगठनों के साथ–साथ अन्य सेनांगों एवं सेनाओं के अफसरों, जे सी ओ एवं अन्य रैंकों को भी प्रशिक्षण प्रदान करता है।

सामग्री प्रबंधन कॉलेज

10.60 यह कॉलेज अक्तूबर 1925 में किरकी में स्थापित भारतीय सेना आयुध कोर (आई ए ओ सी) अनुदेश स्कूल की परम्परा को आगे बढ़ा रहा है। बाद में फरवरी, 1939 में इस स्कूल को दोबारा आई ए ओ सी प्रशिक्षण केंद्र नाम दिया गया और इसे जबलपुर में इसके मौजूदा स्थान पर स्थानांतरित कर दिया गया। जनवरी 1950 में आई ए ओ सी स्कूल का नाम सेना आयुध कोर (ए ओ सी) स्कूल कर दिया गया। ए ओ सी स्कूल का नाम फिर से बदलकर सामग्री प्रबंधन कॉलेज (सी एम एम) रख दिया गया और 1987 में इसे जबलपुर विश्वविद्यालय (रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय) से संबद्ध कर दिया गया। 1990 में सी एम एम स्वायत्तशासी हो गया। यह कॉलेज विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में 'सरकारी कॉलेज' के रूप में भी पंजीकृत है। इसे अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (ए आई सी टी ई) का अनुमोदन भी प्राप्त है।

10.61 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम के तहत गठित एक स्वायत्तशासी निकाय नेशनल असेसमेन्ट एंड एक्रिडिटेशन काउंसिल (एन ए ए सी) ने कॉलेज को पांच सितारा (उच्चतम) मान्यता प्रदान की है। कॉलेज, भारतीय सेना में आयुध सपोर्ट प्रबंधन संबंधी कार्यों में लगे ए ओ सी के सभी रैंकों और सिविलियनों को आवश्यक संस्थागत प्रशिक्षण प्रदान करता है। यह सभी सेनांगों तथा सेवाओं के चयनित अफसरों, जे सी ओ तथा अन्य रैंकों को भी यूनिट प्रशासन और सामग्री प्रबंधन संबंधी नियंत्रण का प्रशिक्षण प्रदान करता है।

तोपखाना स्कूल, देवलाली

10.62 तोपखाना स्कूल, देवलाली विज्ञान की विविध उपशाखाओं और तोपखाना युद्धपद्धति प्रणाली सिखाने वाला शैक्षणिक केन्द्र है जो हवाई प्रेक्षण चौकी ड्यूटी के लिए पायलटों को प्रशिक्षण देने के साथ–साथ अफसरों, जे सी ओ तथा एन सी ओ को तोपखाना हथियारों और प्रणाली का तकनीकी प्रशिक्षण भी प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त, यहाँ भारतीय तथा विदेशी तोपखाना उपस्कर सिद्धांतों की समीक्षा, अध्ययन और परीक्षण भी किया जाता है।

10.63 स्कूल ने भारतीय सेना के कई अफसरों, जे सी ओ तथा एन सी ओ के साथ–साथ मित्र देशों के कई अफसरों और कार्मिकों को भी वर्ष के दौरान प्रशिक्षण प्रदान किया है।

सेना हवाई रक्षा कालेज, गोपालपुर

10.64 सेना हवाई रक्षा कॉलेज (ए ए डी सी) पहले अक्टूबर 1989 तक तोपखाना स्कूल देवलाली की एक विंग के रूप में कार्य करता था, जब इसे तोपखाने की मुख्य शाखा से हवाई रक्षा तोपखाना के अलग होने से पूर्व गोपालपुर लाया गया। यह कॉलेज वायुरक्षा तोपखाना के कार्मिकों, अन्य सेनांगों और मित्र देशों के सशस्त्र बलों के कार्मिकों को वायु रक्षा संबंधी विषयों में प्रशिक्षण प्रदान करता है।

10.65 ए ए डी सी अनेक पाठ्यक्रम चलाता है। इनमें से कुछ हैं–लांग गनरी स्टाफ कोर्स (अफसर), युवा अफसर कोर्स, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध पद्धति कोर्स, वरिष्ठ कमान हवाई रक्षा कोर्स, लांग गनरी स्टाफ कोर्स, जूनियर कमीशंड अफसर/नॉन कमीशंड अफसर, तकनीकी अनुदेशक फायर नियंत्रण कोर्स, वायुयान पहचान कोर्स, यूनिट अनुदेशक और चालक दल आधारित प्रशिक्षण और ऑटोमेटेड डाटा प्रोसेसिंग कोर्स।

सेना सेवा कोर (ए एस सी) केन्द्र एवं कॉलेज, बंगलौर

10.66 बंगलौर में सेना सेवा कोर केन्द्र एवं कॉलेज की स्थापना के लिए 01 मई 1999 को सेना सेवा कोर केन्द्र (दक्षिण) और सेना यांत्रिक परिवहन स्कूल को बंगलौर में ए एस सी केन्द्र के साथ मिला दिया गया। यह विविध विषयों जैसे संभारिकी प्रबंधन, परिवहन प्रबंधन, केटरिंग, ऑटोमेटेड डाटा प्रोसेसिंग इत्यादि में अफसरों, जूनियर कमीशंड अफसरों, अन्य रैंकों और अन्य सेनांगों और सेवाओं, सेना सेवा कोर के रंगरूटों को मूलभूत और उन्नत प्रशिक्षण देने वाला एक प्रमुख प्रशिक्षण संस्थान है।

10.67 1992 से ए एस सी कॉलेज संभारिकी एवं संसाधन प्रबंधन में डिप्लोमा/डिग्री प्रदान करने के लिए रोहिलखंड विश्वविद्यालय, बरेली से संबद्ध किया गया है।

सेना शिक्षा कोर प्रशिक्षण कॉलेज एवं केन्द्र, पंचमढ़ी

10.68 ए ई सी प्रशिक्षण कॉलेज एवं केन्द्र, पंचमढ़ी सशस्त्र सेनाओं में शैक्षणिक प्रशिक्षण देनेवाला एक उत्कृष्ट रक्षा संस्थान है। यह बरकतुल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल से संबद्ध एक स्वायत्तशासी कॉलेज भी है जिसे अपने कोर्सों और डिग्रियों की रूपरेखा तैयार करने, उनको संचालित करने, परीक्षा लेने और डिग्री प्रदान करने की शैक्षणिक और प्रशासनिक शक्तियां प्राप्त हैं।

10.69 मानचित्र शिल्प विभाग ए ई सी अफसरों और भारतीय सेना के सभी सेनांगों और सेवाओं के अफसर रैंक से नीचे के कार्मिकों (पी बी ओ आर), अर्ध सैनिक बलों और मित्र देशों के कार्मिकों के लिए 10 सप्ताह का मैप रीडिंग अनुदेशक कोर्स चलाता है।

10.70 12–सप्ताह का यूनिट शिक्षा अनुदेशक (यू ई आई) पाठ्यक्रम भारतीय सेना के सभी सेनांगों और सेवाओं के अन्य रैंकों को अपनी यूनिटों में सक्षम शिक्षा अनुदेशक बनने के लिए प्रशिक्षित करता है।

10.71 विदेशी भाषा विंग (एफ एल डब्ल्यू) , जो ए ई सी प्रशिक्षण कॉलेज व केन्द्र के तीन प्रभागों में से एक है, न केवल सशस्त्र सेनाओं में अपितु राष्ट्रीय शैक्षणिक परिवेश में भी विदेशी भाषा प्रशिक्षण का एक अग्रणी संस्थान है। इसकी दो डिजिटाइज्ड भाषा प्रयोगशालाएं हैं जो 20–20 छात्रों को प्रशिक्षण देती हैं।

मिलिट्री संगीत विंग, पंचमढ़ी

10.72 मिलिट्री संगीत विंग (एम एम डब्ल्यू) की स्थापना ए ई सी ट्रेनिंग कॉलेज एंड सेंटर, पंचमढ़ी के एक भाग के रूप में अक्टूबर 1950 में तत्कालीन कमांडर–इन–चीफ (बाद में फील्ड मार्शल) जनरल के एम करियप्पा, ओ बी ई के संरक्षण में की गई थी। इसके पास 200 से भी अधिक सैन्य संगीत रचनाओं का समृद्ध खजाना है। इसने भर्ती हुए बैंडमैनों, पाइपरों या ड्रमरों को प्रशिक्षण देने के लिए भिन्न–भिन्न श्रेणियों के पाठ्यक्रमों के माध्यम से, भारत में मिलिट्री संगीत का उच्च स्तर बनाए रखने में विशिष्टता हासिल की है।

रिमाउंट और पशुचिकित्सा कोर केन्द्र तथा स्कूल, मेरठ

10.73 मेरठ स्थित रिमाउंट और पशुचिकित्सा कोर (आर वी सी) केन्द्र तथा स्कूल का उद्देश्य सभी सेनांगों और सेवाओं के अफसरों और अफसरों से नीचे के रैंक के सभी कार्मिकों को पशु प्रबंधन तथा पशुचिकित्सा से जुड़े विभिन्न पहलुओं के विषय में प्रशिक्षण देना है। संस्थान में अफसरों के लिए ग्यारह कोर्स तथा पी बी ओ आर के लिए छह कोर्स चलाए जाते हैं। प्रशिक्षित किए गए कुल अभ्यार्थियों की संख्या 250 है।

सेना खेलकूद संस्थान (ए एस आई), पुणे

10.74 भविष्य में अंतर्राष्ट्रीय खेलकूद प्रतिस्पर्धाओं में पदक विजेता तैयार करने के उद्देश्य से देश में विभिन्न स्थानों पर चुने हुए विषयों में सेना खेलकूद केन्द्रों के साथ–साथ पुणे में एक सेना खेलकूद संस्थान की स्थापना की गई है। आधुनिक आधारभूत सुविधाओं एवं उपस्करों के साथ–साथ भोजन, रहन–सहन, विदेशी दौरों एवं विदेशी प्रशिक्षकों के अधीन प्रशिक्षण के लिए पर्याप्त निधि की व्यवस्था की गई है।

शारीरिक प्रशिक्षण सेना स्कूल, पुणे

10.75 शारीरिक प्रशिक्षण सेना स्कूल (ए एस पी टी) पहला ऐसा संस्थान है जो यूनिटों और सब यूनिटों में शारीरिक प्रशिक्षण देने के संबंध में सेना कार्मिकों को सुव्यवस्थित तथा व्यापक प्रशिक्षण दे रहा है। यह सेना में खेल–कूद का स्तर सुधारने और शारीरिक प्रशिक्षण में मनोरंजन को शामिल करके उसे पूर्ण बनाने की दृष्टि से खेल–कूद का बुनियादी प्रशिक्षण भी देता है। इन पाठ्रयक्रमों में सैन्य और अर्धसैनिक बलों के अफसर, जे सी ओ और अन्य रैंक तथा मित्र देशों के सेना कार्मिक भाग लेते हैं। ए एस पी टी ने राष्ट्रीय खेलकूद संस्थान के सहयोग से पी बी ओ आर के लिए बॉक्सिंग, वॉलीबॉल, बॉस्केटबाल, तैराकी और जीवनरक्षा, जूडो और योग पाठ्रयक्रमों में छह सम्बद्ध खेलकूद पाठ्यक्रम आरंभ किए हैं।

समाघात सेना विमानन प्रशिक्षण स्कूल (सी ए ए टी एस), नासिक रोड

10.76 समाघात सेना विमानन प्रशिक्षण स्कूल (सी ए ए टी एस) की स्थापना मई, 2003 में नासिक रोड में की गई थी। इसका उद्देश्य विमान चालकों को विमानन कौशल तथा विभिन्न युद्ध संक्रियाओं में विमानन यूनिटों के रख–रखाव में प्रशिक्षित करना, विमानन अनुदेशकों को मानक प्रचालन प्रक्रियाओं (एस ओ पी) के विकास में प्रशिक्षित करना तथा जमीनी बलों के सहयोग से विमानन सामरिकी सिद्धांत के विकास में सेना प्रशिक्षण कमान की मदद करना है। स्कूल में चलाए जाने वाले पाठ्यक्रम हैं – प्री–बेसिक पायलट पाठ्यक्रम, बेसिक सेना विमानन पाठ्यक्रम, प्री–क्वालिफाइड उड़ान अनुदेशक पाठ्यक्रम, विमानन अनुदेशक हेलिकॉप्टर पाठ्यक्रम, हेलिकॉप्टर कवर्शन ऑन–टाइप, उड़ान कमांडर्स पाठ्यक्रम तथा नव उपस्कर पाठ्यक्रम।

मिलिट्री इंजीनियरी कॉलेज (सी एम ई), पुणे

10.77 पुणे स्थित मिलिट्री इंजीनियरी कॉलेज (सी एम ई) एक प्रमुख तकनीकी संस्थान है जहां इंजीनियरी कोर, अन्य सेनांगों और सेवाओं, नौसेना, वायुसेना, अर्धसैनिक बलों व पुलिस कार्मिकों और सिविलियनों को प्रशिक्षण दिया जाता है। इसके अलावा, मित्र देशों के कार्मिकों को भी प्रशिक्षण दिया जाता है। यह कॉलेज बी–टेक और एम–टेक डिग्रियां देने के लिए जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय से सम्बद्ध है। सी एम ई द्वारा चलाए जाने वाले स्नातक और स्नातकोत्तर कोर्सों को अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (ए आई सी टी ई) की मान्यता भी प्राप्त है।

सैन्य इलैक्ट्रानिक्स तथा मैकेनिकल इंजीनियरी कॉलेज (एम सी ई एम ई), सिकंदराबाद

10.78 एम सी ई एम ई का कार्य सिविलियनों सहित, ई एम ई के सभी रैंकों को इंजीनियरी, शस्त्र प्रणालियों तथा उपस्कर के विभिन्न विषयों में और खास तौर से उनके रख–रखाव, मरम्मत और जांच के संबंध में, तकनीकी शिक्षा देना तथा वरिष्ठ, मध्यम और पर्यवेक्षक स्तरों पर प्रबंध और सामरिक प्रशिक्षण देना है। एम सी ई एम ई में सभी रैंकों के 1760 कार्मिकों (सभी रैंक) को प्रशिक्षण दिया जा सकता है। यहां अफसरों के लिए 13 कोर्स और पी बी ओ आर के लिए 61 कोर्स चलाए जाते हैं।

10.79 कम्प्यूटर आधारित प्रशिक्षण (सी बी टी) पैकेज और डिजिटल चार्ट भी विकसित किए गए हैं जिनमें 'एम सी ई एम ई' में पढ़ाए जाने वाले उपस्कर के इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रोनिक भाग की कार्यप्रणाली, मरम्मत, रखरखाव, सर्विसिंग पहलुओं और सही प्रयोग की विस्तृत तकनीकी जानकारी मौजूद है।

मिलिट्री पुलिस कोर केन्द्र और स्कूल, बंगलौर

10.80 स्कूल का उद्देश्य अफसरों और पी बी ओ आर को कानून, जांच–पड़ताल, यातायात नियंत्रण आदि से जुड़ी मिलिट्री और पुलिस डयूटियों के बारे में प्रशिक्षित करना है। वर्तमान में अफसरों के लिए चार और पी बी ओ आर के लिए चौदह कोर्स चलाए जा रहे हैं। प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे छात्रों की कुल संख्या 910 है।

सेना विमानवाहित प्रशिक्षण स्कूल, आगरा

10.81 सेना विमानवाहित प्रशिक्षण स्कूल (ए ए टी एस) पहले सेना हवाई यातायात सहायता स्कूल (ए ए टी एस एस) कहलाता था। सभी विमानवाहित प्रशिक्षण को एक ही एजेन्सी के अंतर्गत लाने के उद्देश्य से सेना वायु परिवहन सहायता स्कूल का नाम बदलकर 15 जनवरी 1992 से सेना विमानवाहित प्रशिक्षण स्कूल कर दिया गया।

दूरसंचार इंजीनियरिंग मिलिट्री कॉलेज (एम सी टी ई), महू

10.82 एम सी टी ई, मऊ सिग्नल अधिकारियों को समाधात संचार, इलेक्ट्रॉनिक युद्धपद्धति, संचार इंजीनियरी, कम्प्यूटर प्रौद्योगिकी, रेजीमेंटल सिग्नल संचार एवं गूढ़ भाषा के संबंध में प्रशिक्षित करता है। पांच प्रशिक्षण संकायों एवं विंगों के अलावा, कॉलेज के पास एक प्रशासनिक विभाग है जो स्टाफ एवं विद्यार्थियों को प्रशासनिक एवं संभारिकी सहायता प्रदान करता है तथा एक अवधारणात्मक अध्ययन प्रकोष्ठ है जो संचार सिद्धांतों का प्रतिपादन तथा प्रशिक्षण सामग्री तैयार करने का काम कराता है। कॉलेज में एक आधुनिक और पुस्तकों से भरापूरा पुस्तकालय तथा एक खुद का प्रिंटिंग प्रेस भी है। प्रशिक्षणार्थियों को एक औपचारिक परिवेश में अध्ययन एवं प्रशिक्षण का मौका दिया जाता है ताकि वे वर्तमान एवं भावी कार्यों के लिए आवश्यक कौशल, ज्ञान एवं क्षमताओं से परिपूर्ण हो सकें।

सैन्य आसूचना प्रशिक्षण स्कूल और डिपो (एम आई एन टी एस डी), पुणे

10.83 सैन्य आसूचना प्रशिक्षण स्कूल और डिपो (एम आई एन टी एस डी) भारतीय सेना, वायुसेना और अर्धसैनिक बलों के सभी रैंकों को आसूचना प्राप्ति, जवाबी आसूचना और सुरक्षा पहलुओं पर प्रशिक्षण देने के लिए उत्तरदायी एक प्रमुख संस्था है। स्कूल मित्र देशों की सेनाओं के कार्मिकों को भी प्रशिक्षण प्रदान करता है। राजस्व आसूचना विभाग के सिविलियन अफसरों को भी इस संस्था में प्रशिक्षण दिया जाता है। यह स्कूल एक बार में सभी सेनांगों के 90 अफसरों, 130 जूनियर कमीशन प्राप्त/गैर कमीशन प्राप्त अफसरों को प्रशिक्षण प्रदान कर सकता है। स्कूल प्रतिवर्ष लगभग 350 अफसरों और 1100 जूनियर कमीशंड अफसरों/गैर कमीशन अफसरों को प्रशिक्षण देता है।

इलैक्ट्रानिकी और यांत्रिक इंजीनियरी स्कूल (ई एम ई), बड़ोदरा

10.84 ई एम ई स्कूल अधिकारियों के लिए स्नातकोत्तर स्तर के पाठयक्रम तथा पी बी ओ आर के लिए डिप्लोमा एवं प्रमाण–पत्र स्तर के पाठयक्रम चलाता है। मित्र देशों के अनेक अफसर और पी बी ओ आर ई एम ई स्कूल में संचालित विभिन्न पाठयक्रमों में भाग ले रहे हैं।

सैन्य विधि संस्थान, कामठी

10.85 सैन्य विधि संस्थान की स्थापना शिमला में की गई थी। 1989 में संस्थान को कामठी स्थानांतरित कर दिया गया। स्कूल की चार्टर ऑफ डयूटीज सेना के सभी सेनांगों और सेवाओं के अफसरों को व्यापक विधिक शिक्षा प्रदान करना है। यह स्कूल सैन्य और संबद्ध विधि के क्षेत्र में व्यापक अनुसंधान, विकास और प्रचार का कार्य भी करता है।

कवचित कोर केन्द्र एवं स्कूल, अहमदनगर

10.86 1948 में प्रशिक्षण विंग, रिक्रूट प्रशिक्षण केन्द्र और कवचित कोर डिपो और रिकार्ड को अहमदनगर स्थानांतरित कर दिया गया, जहां पहले से ही लड़ाकू वाहन स्कूल कार्यरत था और इन सभी को मिलाकर कवचित कोर केन्द्र एवं स्कूल और कवचित कोर रिकार्ड बना दिया गया। इसमें छह विंग हैं – कवचित युद्ध पद्धति स्कूल, तकनीकी प्रशिक्षण स्कूल, बेसिक ट्रेनिंग रेजिमेंट, ड्राईविंग एवं मेंटिनेंस रेजिमेंट, ऑटोमोटिव रेजिमेंट आयुध एवं इलैक्ट्रॉनिकी रेजिमेंट हैं जो इन विषयों में विशेषीकृत प्रशिक्षण प्रदान करते हैं।

विदेशी सेना कार्मिकों का प्रशिक्षण

10.87 भारतीय सैन्य स्थापनाओं में प्रशिक्षण पाने के लिए विदेशी सेनाओं की बढ़ती हुई दिलचस्पी के चलते पड़ोसी देशों, दक्षिण–पूर्व एशिया, मध्य एशियाई गणतंत्र (सी ए आर), अफ्रीकी महाद्वीप और कुछ विकसित देशों के सेना कार्मिकों को भारत में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। कुछ शाखाओं में भारतीय अफसर भी विकसित देशों में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं।

10.88 विदेश मंत्रालय के भारतीय तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग (आई टी ई सी) कार्यक्रम के अंतर्गत भारत सरकार विकासशील और अल्पविकसित देशो को सहायता उपलब्ध करती है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत विकासशील देशों के कार्मिक सैन्य संस्थाओं में निःशुल्क अथवा रियायती दरों पर प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। विकसित पश्चिमी देश भी अपने अफसरों को पारस्परिक आधार और प्रशिक्षण और अन्य सम्बद्ध प्रभारों की लागत के भुगतान के आधार पर इन संस्थानों में प्रशिक्षण के लिए भेजते हैं।

10.89 आई टी ई सी कार्यक्रम के अंतर्गत 1 अप्रैल 2014 से 31 दिसंबर 2014 के दौरान, विभिन्न विदेशी मित्र देशों से 499 कार्मिकों को आई ए एफ द्वारा प्रशिक्षण दिया गया।

10.90 भारतीय नौसेना गत 32 वर्षों से विदेशी कार्मिकों को प्रशिक्षित कर रही है जिसके तहत 39 देशों से लगभग 10000 कार्मिकों को प्रशिक्षित किया जा चुका है। भारतीय नौसेना उत्कृष्ट प्रशिक्षण की प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए समय–समय पर अपने प्रशिक्षण पाठ्यक्रम व सुविधाओं का मूल्यांकन करती है जिससे वह वर्तमान तकनीकों व प्रक्रियाओं के अनुरूप ढल सके। अंर्तराष्ट्रीय प्रशिक्षणार्थियों के प्रशिक्षण को अधिक आकर्षक बनाने व अधिकाधिक वैश्विक सहभागिता को विकसित करने की दृष्टि से संशोधित किया गया है। इन प्रयासों के फलस्वरूप अनेक देश भारतीय नौसेना से प्रशिक्षण की मांग कर रहे हैं। वर्तमान प्रशिक्षण वर्ष के दौरान, विदेशी मित्र देशों को 833 प्रशिक्षण पद दिए गए हैं। इस वर्ष के प्रशिक्षण के लिए, उन विदेशी मित्र देशों को मोबाइल प्रशिक्षण टीमें भेजने पर जोर दिया जा रहा है जहां अपेक्षाकृत प्रशिक्षणार्थी अधिक संख्या में हैं। भारतीय नौसेना ने मॉरिशस, सेशेल्स, वियतनाम, सिंगापुर, श्रीलंका, दक्षिण अफ्रीका व ओमान को मोबाइल प्रशिक्षण टीमें भेज दी हैं। इसी प्रकार यू ए ई, कतर, म्यांमार में भी ऐसी टीमों को भेजने की संभावनाओं पर विचार किया जा रहा है।

11

भूतपूर्व सैनिकों का पुनर्वास एवं कल्याण

ई सी एच एस पॉलीक्लिनिक

केन्द्रीय सैनिक बोर्ड युद्ध दिवंगतों/निःशक्त तथा सेवानिवृत्त सेना कार्मिकों और उनके आश्रितों के पुनर्वास एवं कल्याण हेतु सरकार की नीतियों के कार्यान्वयन हेतु उत्तरदायी है।

11.1 भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग देश में भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्वास एवं कल्याण हेतु विभिन्न नीतियां और कार्यक्रम बनाता है। विभाग के दो प्रभाग, अर्थात पुनर्वास एवं पेंशन हैं और इसके तीन संबद्ध कार्यालय हैं जिनके नाम केन्द्रीय सैनिक बोर्ड सचिवालय, महानिदेशालय (पुनर्वास) (डीजीआर) तथा केन्द्रीय संगठन, भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना (ईसीएचएस) हैं। केन्द्रीय सैनिक बोर्ड भूतपूर्व सैनिकों एवं उनके आश्रितों के कल्याण और कल्याण निधियों के प्रशासन हेतु भी उत्तरदायी होता है। केन्द्रीय सैनिक बोर्ड की उसके कार्य करने में सहायता हेतु 32 राज्य सैनिक बोर्ड(आरएसबी) और 392 जिला सैनिक बोर्ड (जैडएसबी) हैं, जो संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन होते हैं। पुनर्वास महानिदेशालय का कार्यालय सेवानिवृत्ति से पहले/बाद का प्रशिक्षण, पुनःरोजगार, स्व–रोजगार इत्यादि जैसी विभिन्न नीतियों/योजनाओं/कार्यक्रमों का कार्यान्वयन करता है। पुनर्वास महानिदेशलाय की सहायता हेतु 5 कमानों में से प्रत्येक कमान में एक–एक पुनर्वास क्षेत्र निदेशलाय (डी आर जेड) है। ईसीएचएस भूतपूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों के स्वास्थ्य और चिकित्सा संबंधी आवश्यकताओं का ध्यान रखती है।

कल्याण

11.2 केन्द्रीय सैनिक बोर्ड, सचिवालयः केन्द्रीय सैनिक बोर्ड सचिवालय भारत सरकार का एक शीर्ष निकाय है जो युद्ध दिवंगतों/निःशक्त तथा सेवानिवृत्त सेना कार्मिकों और उनके आश्रितों के पुनर्वास एवं कल्याण हेतु सरकार की नीतियों के कार्यान्वयन हेतु उत्तरदायी है। भूतपूर्व सैनिकों की कल्याण योजनाओं को राज्यों की राजधानियों में स्थित राज्य सैनिक बोर्डों (आरएसबी) और जिला स्तर पर स्थित जिला सैनिक बोर्डों (जैडएसबी) के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है। इन राज्य सैनिक बोर्डों/जिला सैनिक बोर्डों की स्थापना का खर्च केन्द्र और राज्यों द्वारा वहन किया जाता है। विशेष दर्जे वाले राज्यों अर्थात अरुणाचल प्रदेश, असम, जम्मू एवं कश्मीर, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के संबंध में निधि के वित्त पोषण का पैटर्न 75:25 और

21 नवम्बर, 2014 को आरएसबी निदेशक बैठक में भाग लेते हुए

अन्य राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के संबंध में यह 60:40 है। आरएसबी/जैडएसबी की स्थापना/रखरखाव हेतु राज्यों/संघ राज्य–क्षेत्रों को मुहैया कराए गए केंद्रीय भाग की प्रतिपूर्ति इस उद्देश्य के लिए केएसबी सचिवालय को आबंटित डीएसई बजट से की जाती है। दिसम्बर, 2014 तक केन्द्रीय भाग के रूप में 22.26 करोड़ रुपए संवितरित किए गए हैं।

11.3 **सैनिक विश्राम गृहों (एसआरएच) का निर्माणः** भूतपूर्व–सैनिकों के अपने पेंशन मामलों के निपटान तथा अन्य मामलों जैसे सीएसडी कैंटीन, अस्पताल आदि की सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए राज्य राजधानी/जिला मुख्यालयों के उनके छोटे दौरे के

दौरान उपयुक्त एवं सस्ता आवास मुहैया कराने के लिए, केएसबी सचिवालय एसआरएच की निर्माण लागत का 50% हिस्सा डीएसई बजट से करता है। एसआरएच का रखरखाव राज्य सरकारों/संघ राज्य–क्षेत्र प्रशासनों द्वारा अपने संसाधनों/निधियों से किया जाना अपेक्षित है।

सशस्त्र सेना झंडा दिवस

11.4 देश के लिए सशस्त्र सेना कार्मिकों द्वारा दिए गए बलिदानों को याद करने के उद्देश्य से पूरे देश में प्रत्येक वर्ष 07 दिसम्बर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस का आयोजन किया जाता है। इस दिवस पर, प्रतीक झंडे पिन द्वारा लगाए जाते हैं तथा युद्ध विधवाओं/निःशक्त, ईएसएम तथा उनके आश्रितों के कल्याण एवं पुनर्वास हेतु लोगों से स्वैच्छिक अंशदान एकत्रित किया जाता है।

सशस्त्र सेना झंडा दिवस निधि

11.5 डीएसई बजट के अलावा, सशस्त्र सेना झंडा दिवस निधि (एएफएफडीएफ) भूतपूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों के कल्याण एवं पुनर्वास के लिए वित्त पोषण हेतु एक बड़ा स्रोत है। सशस्त्र सेना झंडा दिवस कोष (एएफएफडीएफ) की मूलनिधि से अर्जित ब्याज में से 7.5% ब्याज को एएफएफडीएफ मूलनिधि

माननीय प्रधान मंत्री सशस्त्र सेना झंडा दिवस, 2014 के अवसर पर अंशदान करते हुए

में पुनः जोड़ दिया जाता है तथा शेष का इस्तेमाल भूतपूर्व सैनिकों तथा उनके आश्रितों के कल्याण की विभिन्न योजनाओं के वित्तपोषण के लिए किया जाता है। दिसम्बर, 2014 तक 29.12 लाख रुपए एकत्रित किए गए हैं।

रक्षा मंत्री विवेकाधीन निधि (आरएमडीएफ) योजना

11.6 आरएमडीएफ के अंतर्गत भूतपूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों को उनकी अभिनिर्धारित व्यक्तिगत आवश्यकताओं जैसे कि निर्धनता अनुदान, संतान शिक्षा तथा विवाह अनुदान, चिकित्सा अनुदान आदि के लिए वित्तीय सहायता मुहैया कराई जाती है। दिसम्बर, 2014 तक आरएमडीएफ के अंतर्गत 19.70 करोड़ रु. की वित्तीय सहायता संवितरित की गई है।

प्रधान मंत्री छात्रवृत्ति योजना (पीएमएसएस)

11.7 भूतपूर्व सैनिकों तथा भूतपूर्व भारतीय तटरक्षकों के आश्रित प्रतिपाल्यों/विधवाओं को उच्च तकनीकी तथा व्यावसायिक शिक्षा में सहयोग के लिए इस योजना को वर्ष 2006 में आरम्भ किया गया था। इस योजना के अंतर्गत भूतपूर्व–सैनिकों/विधवाओं के प्रतिपाल्यों को वार्षिक रूप से 4000 छात्रवृत्तियां प्रदान की जाती हैं। इस योजना का वित्त–पोषण राष्ट्रीय रक्षा निधि से किया जाता है। छात्रवृत्ति की राशि लड़कों के लिए 2000/–रु. प्रतिमाह तथा लड़कियों के लिए 2250/–रु. प्रतिमाह है (वार्षिक रूप से देय है)। वित्त वर्ष 2014–15 के दौरान दिसम्बर, 2014 तक 12053 लाभार्थियों को संवितरित की गई छात्रवृत्तियों की राशि 30.17 करोड़ रु. है।

अन्य कल्याणकारी योजनाएं

11.8 **गंभीर रोगों के लिए वित्तीय सहायताः** गैर–पेंशनभोगी पीबीओआर तथा अफसरों को उनके आश्रितों सहित क्रमशः कुल खर्चे का 90 और 75% तक अथवा अधिक–से–अधिक1.25 लाख रु. (हृदय रोग, जोड़ प्रतिस्थापन आदि के लिए) तथा 0.75 लाख रु. (डायलिसिस और कैंसर के लिए) प्रतिवर्ष वित्तीय सहायता मुहैया कराई जाती है। यह योजना नेपाल में रह रहे भारतीय ईएसएम के लिए भी तब तक

तक लागू है जब तक कि उस देश में ईसीएचएस कार्यात्मक नहीं हो जाती। दिसम्बर, 2014 तक 64.83 लाख रु. संवितरित किए गए हैं।

11.9 **रूपांतरित स्कूटर की खरीद हेतु वित्तीय सहायताः** ऐसे भूतपूर्व सैनिकों, जो सेवा से से सेवानिवृत्ति के पश्चात निःशक्त (50% अथवा इससे अधिक निःशक्ता वाले) हो गए हैं, के लिए रूपातंरित स्कूटर की खरीद हेतु एएफएफडीएफ बजट से 57,500/–रु. की वित्तीय सहायता मुहैया कराई जाती है।

11.10 **युद्ध स्मारक हॉस्टल (डब्ल्युएमएच) को अनुदानः** युद्ध विधवाओं /युद्ध निःशक्तों के प्रतिपाल्यों को 1350रु. प्रतिमाह प्रति बच्चा डब्ल्युएमएच अनुदान उपलब्ध कराया जाता है। दिसमबर, 2014 तक 28. 26 लाख रु. की राशि संवितरित की गई है।

11.11 **पैराप्लेजिक पुनर्वास केन्द्रों को अनुदानः** पैराप्लेजिक तथा टेट्राप्लेजिक भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्वास के लिए संचालित स्वायत्त संस्थाओं के रूप में चलाए जा रहे किरकी तथा मोहाली को उनकी देखरेख/स्थापना हेतु क्रमशः प्रतिव्यक्ति 14,600/–रु प्रति वर्ष के अलावा 9,60,750/–रु. तथा 4,34,375/–रु.(स्थापना प्रभारों पर 5% वृद्धि प्रति वर्ष भी मुहैया कराई जाती है) का वार्षिक अनुदान उपलब्ध कराया जाता है। प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति अनुदान बढ़ाकर 30,000/–रु. तथा स्थापना अनुदान को क्रमशः 20 लाख रु. तथा 10 लाख रु. कर दिया गया है।

11.12 **सैंट डंस्टन के उपचारांत देखभाल संगठनों को अनुदानः** दृष्टिहीन सैनिकों, नौसैनिकों और वायुसैनिकों के लिए सैंट डंस्टन आर्गेनाइजेशन दृष्टिहीनता के दुख को कम करने में सहायता देने और दृष्टिहीन भूतपूर्व सैनिकों को उपचारांत देखभाल के अलावा व्यावसायिक प्रशिक्षण उपलब्ध कराती है ताकि वे समाज में बदली हुई परिस्थिति में अपने को ढाल सकें। इस संगठन को प्रतिवर्ष 14 लाख रु. का रखरखाव अनुदान जारी किया जाता है।

11.13 **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा मेडिकल/डेंटल कालेजों में सीटों में आरक्षणः** केएसबी सचिवालय को भारत सरकार के नामिती के रूप में भूतपूर्व सैनिकों के प्रतिपाल्यों के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा एमबीबीएस/बीडीएस की कुछ सीटें आबंटित की गई हैं। वर्ष 2014–15 के दौरान 24 सीटें आबंटित की गई हैं।

मुख्य अंश

11.14 केएसबी सचिवालय को लाभार्थियों को वित्तीय सहायता के संवितरण हेतु प्रयोग की गई प्रक्रियाओं/पद्धतियों तथा कल्याण संबंधी शिकायतों के निपटान हेतु आईएसओ 9001:2008 प्रमाणन प्राप्त हुआ।

11.15 लाभार्थियों को एएफएफडी की ओर से वित्तीय सहायता/अनुदान नेशनल इलैक्ट्रानिक फंड ट्रांसफर (एनईएफटी) के जरिए दी जा रही है।

11.16 गत वर्ष की तुलना में वर्ष 2014 के दौरान ईएसएम एवं उनके आश्रितों को 50% अधिक वित्तीय सहायता (लगभग 27.00 करोड़ रु.) संवितरित की गई।

पुनर्वास

11.17 भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग (डीईएसडब्ल्यु) का प्रमुख कार्य पूर्व सैनिकों का पुनर्वास/पुनःस्थापन करना है। प्रत्येक वर्ष सशस्त्र सेनाओं से करीब 60,000 कार्मिक सेवानिवृत्त होते हैं अथवा सक्रिय सेवा से कार्यमुक्त होते हैं। इनमें से अधिकांश कम आयु ब्रैकेट 35 से 45 वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं और अपने परिवार की जिम्मेवारियां निभाने के लिए इन्हें दूसरे कैरियर की आवश्यकता होती है। ये कार्मिक अनुशासित, प्रशिक्षित और कर्तव्यनिष्ठ प्रतिभावान पूल होते हैं, जिन्हें राष्ट्र निर्माण में उपयोग किया जा सकता है। इस लक्ष्य को निम्नलिखित रीतियों से प्राप्त किया जा सकता हैः–

(क) पूर्व सैनिकों के लिए उपयुक्त नियुक्तियां ढूंढना और इन्हें नए कौशल प्राप्त करने हेतु प्रशिक्षण देना जिससे वे नए रोजगार/जॉब के लिए तैयार हो सकें।

(ख) सरकारी/अर्धसरकारी/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने के लिए सतत प्रयास करना।

(ग) कॉरपोरेट सेक्टर में पूर्व सैनिकों को पुनर्नियुक्तियां प्राप्त करने में सहायता के लिए सक्रिय कार्रवाई करना।

(घ) स्वरोजगार योजनाओं के माध्यम से जॉब उपलब्ध करवाना।

(ङ) उद्यमी योजनाओं में सहायता करना।

प्रशिक्षण कार्यक्रम

11.18 पुनर्वास महानिदेशालय (डीजीआर) को सेवानिवृत्त होने वाले/सेवानिवृत्त कार्मिकों को दूसरे कैरियर के लिए तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। पुनर्वास पाठ्यक्रमों का चयन समाज में भूतपूर्व सैनिकों की नियुक्ति के उद्देश्य के साथ किया जाता है।

11.19 **अफसर प्रशिक्षणः** भूतपूर्व सैनिक (अफसर) के प्रशिक्षण के लिए आईआईएम तथा अन्य प्रतिष्ठित बी–सकूलों में 24 सप्ताह के प्रबंधन पाठ्यक्रमों सहित विभिन्न प्रकार के पुनर्वास प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन तथा माड्यूलर प्रबंधन पाठ्यक्रमों जैसे परियोजना वित्त, शैक्षणिक संस्थान, आपूर्ति श्रृंखला रिटेल, सिक्स सगमा, सीफेयरिंग आदि का संचालन अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों में किया जाता है। पाठ्यक्रम के 60ः शुल्क का भुगतान डीजीआर द्वारा किया जाता है। अफसरों की विधवाएं भी उपर्युक्त पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए पात्र हैं। प्रशिक्षण वर्ष 2014–15 के लिए नए पाठ्यक्रम जैसे सामरिक रीटेल प्रबंधन, एचआरएम, सुविधा, ट्रांजिशन, आयात और निर्यात, कार्यक्रम प्रबंधन आदि कारपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी तथा जेट ट्रांजिशन भी लागू किए गए हैं।

11.20 **जेसीओ/अन्य रैंक और समकक्ष प्रशिक्षणः** जेसीओ/ओआर तथा समकक्ष के लिए विविध क्षेत्रों जैसे कि सुरक्षा, अग्नि एवं औद्योगिक सुरक्षा, श्ओश लेवल सहित कंप्यूटर एवं आईटी, आतिथ्य सत्कार, पर्यटन, कृर्षि आधारित व्यवसाय प्रबंधन, माडयूलर प्रबंधन, व्यावसायिक एवं तकनीकी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य देखभाल, पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान, कानूनी सहायक आदि में एक वर्ष तक की अवधि के प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। इन पाठ्यक्रमों का आयोजन उचित प्रत्यायन के साथ प्रतिष्ठित संस्थानों में भी किया जाता है। 100ः पाठयक्रम शुल्क का भुगतान डीजीआर द्वारा किया जाता है। जेसीओ/ओआर की विधवाएं/एक आश्रित डीजीआर द्वारा प्रायोजित किसी पाठ्यक्रम को करने के लिए पात्र हैं। भूतपूर्व सैनिक अब डीजीआर प्रशिक्षण के उन नियमित पाठ्यक्रमों के लिए आवेदन करने हेतु भी पात्र हैं जो सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों द्वारा पूर्ण रूप से नहीं भरे जाते हैं। 2014–15 के लिए नए लागू किए गए पाठ्यक्रमों में संभारिकी एवं परिवहन प्रबंधन, रीटेलिंग एवं शोरूम, कारपोरेट कार्यालय, सामग्री प्रबंधन, समुद्री इंजीनियरी आदि शामिल हैं। नियमित संस्थानों के अलावा, सभी रेजीमेंट केंद्रों पर प्रति माह कम से कम दो पाठ्यक्रमों की आयोजना की जाती है ताकि सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों को पेंशन ड्रिल संबंधी विविध पाठ्यक्रम मुहैया कराए जा सकें।

11.21 **ईएसएम ट्रेनिंगः** इस योजना के अंतर्गत, राज्य सैनिक बोर्डों को अपने–अपने राज्यों में भूतपूर्व सैनिकों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण आयोजित कराने के लिए निधियां आबंटित की जाती हैं। यह योजना मुख्यतः ऐसे भूतपूर्व सैनिकों के लिए आयोजित की जाती है जो सेवा में रहने के दौरान पुनर्वास प्रशिक्षण की सुविधा का लाभ नहीं ले पाए थे। इस योजना में भूतपूर्व सैनिक, यह विचार किए बगैर कि उसकी मृत्यु का कारण सैन्य सेवा है अथवा नहीं, की विधवा/एक आश्रित को भी शामिल किया गया है। भूतपूर्व सैनिकों के लिए यह पाठ्यक्रम निःशुल्क है और ऐसे प्रत्येक प्रशिक्षु जो अपने गृहनगर के अलावा किसी अन्य संस्थान पर प्रशिक्षण का विकल्प देता है, को 1000 रु. प्रतिमाह छात्रवृत्ति भी दी जाती है। अब, भूतपूर्व सैनिक डीजीआर के उन नियमित पुनर्वास प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग ले सकते हैं जिनमें कम प्रवेश हुआ है ताकि वे सभी भूतपूर्व सैनिक लाभान्वित हो सकें जिन्होंने गत में कोई पुनर्वास पाठ्यक्रम नहीं किया है

और अपने कौशल में वृद्धि करने हेतु इन पाठ्यक्रमों को करना चाहते हैं। तथापि, इस मामले में, उच्च मूल्य वाले इन पाठ्यक्रमों में भाग लेने हेतु अभ्यर्थियों को कोई छात्रवृत्ति नहीं दी जाती है।

रोजगार के अवसर

11.22 **सरकारी नौकरियों में आरक्षणः** केंद्रीय सरकार भूतपूर्व सैनिकों के लिए सेवाओं में निम्नवत आरक्षण उपलब्ध कराती हैः–

(क) समूह 'ग' पदों में 10 प्रतिशत और समूह 'घ' पदों में 20% इसके अलावा, निःशक्त सैनिकों और विधवाओं/आश्रितों के लिए प्रत्येक श्रेणी में 4.5% आरक्षण है।

(ख) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों तथा राष्ट्रीयकृत बैंकों में समूह श्गश पदों में 14.5% और समूह 'घ' में 24.5%।

(ग) अर्ध–सैन्य बलों में सहायक कमांडेंटों के लिए 10 प्रतिशत पद

(घ) रक्षा सुरक्षा कोर में 100 प्रतिशत।

11.23 **आरक्षण का कार्यान्वयनः** सरकार ने भूतपूर्व सैनिकों हेतु आरक्षण नीति के कार्यान्वयन की मानीटरिंग हेतु पुनर्वास महानिदेशालय को नोडल एजेंसी के रूप में नामोदिष्ट किया है।

11.24 **कारपोरेट/निजी क्षेत्र में नौकरियांः** निजी/कारपोरेट क्षेत्र में भूतपूर्व सैनिकों हेतु काफी रोजगार का सृजन किया जा सकता है। जागरुकता बढ़ाने तथा भूतपूर्व सैनिकों को रोजगार देने हेतु इन क्षेत्रों को प्रेरित करने के लिए, डीजीआर द्वारा अगस्त, 2014 में एक राष्ट्रीय कारपोरेट कनक्लेव का आयोजन किया गया जिसमें कारपोरेट घरानों के समक्ष ईएसएम की योग्यताओं का प्रदर्शन किया गया और रक्षा मंत्री ने उनसे भूतपूर्व सैनिकों के लिए रोजगार अवसर पैदा करने हेतु अनुरोध किया। डीजीआर ने भी इस उद्देश्य के लिए सीआईआई के साथ एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं और दो नौकरी मेलों का आयोजन किया। डीजीआर तथा आरएसबी के मार्फत स्थायी/संविदात्मक नौकरियों के लिए प्रायोजित कार्मिकों की स्थिति निम्नानुसार हैः–

(क) डीजीआर के मार्फत 4,957

(ख) आरएसबी के मार्फत 12,459 (30 जून, 2014 तक)

11.25 **सुरक्षा एजेंसी योजनाः** पुनर्वास महानिदेशालय भूतपूर्व सैनिकों द्वारा चलाई जाने वाली निजी सुरक्षा एंजेसियों, कम्पनियों और भूतपूर्व सैनिक निगमों को विभिन्न केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) में सुरक्षा गार्ड उपलब्ध करवाने के लिए पैनलबद्ध/प्रायोजित करता है। यह योजना सेवानिवृत्त जेसीओ/ओआर तथा समकक्ष को उनके विशेषज्ञता के क्षेत्र में स्वरोजगार के अच्छे अवसर प्रदान करती है। वर्ष 2014 के दौरान 41,764 भूतपूर्व सैनिकों को रोजगार दिया गया। वर्ष 2014 के दौरान कुल मिलाकर 382 सुरक्षा एजेंसियां पैनलबद्ध की गई हैं।

स्व रोजगार हेतु योजना

11.26 **कोयला परिवहन कंपनियांः** 2014 में नया एमओयू और दिशानिर्देश जारी करते हुए इस योजना का पुनरूद्धार किया गया है। तदनुसार, 2014 के दौरान, इस योजना से 30 अफसर, 60 जेसीओ/अन्य रैंक तथा 36 विधवाएं/निःशक्त् ईएसएम/आश्रित लाभान्वित हुए हैं।

11.27 तेल उत्पाद एजेंसियों के आबंटन हेतु पात्रता प्रमाण–पत्र जारी किया जानाः पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय/तेल कंपनी द्वारा जारी किए गए नीतिगत दिशानिर्देशों के अनुसार, डीजीआर रक्षा कोटा के अंतर्गत तेल उत्पाद एजेंसियों के आबंटन हेतु पात्रता प्रमाण–पत्र जारी करता है। वर्ष 2014 के दौरान, हकदार ईएसएम/विधवा/आश्रितों को कुल 65 पात्रता प्रमाण–पत्र जारी किए गए हैं।

11.28 **कंपनी स्वामित्व कंपनी संचालित (कोको) रिटेल आऊटलेटः** पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय/तेल कंपनी द्वारा जारी किए गए नीतिगत दिशानिर्देशों के अनुसार, डीजीआर कोको योजना के

अंतर्गत पूरे भारत में आईओसीएल, बीपीसीएल तथा एचपीसीएल के रिटेल आउटलेटों के प्रबंधन हेतु अधिकारियों को प्रायोजित करता है। डीजीआर द्वारा वर्ष 2014 के दौरान कोको योजना के लिए कुल 320 ईएसएम (अफसर) को प्रायोजित किया गया है।

11.29 **गोपालजी डेयरी एवं फ्रेश फार्मः** योजना का उद्देश्य जेसीओ/ओआर को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में स्वरोजगार मुहैया कराना है। इस योजना से 56 ईएसएम लाभान्वित हुए हैं।

11.30 **मदर डेयरी मिल्क बूथ और फल तथा सब्जी (सफल) दुकानेंः** ईएसएम जेसीओ/ओआर एवं समकक्ष हेतु यह समय की कसौटी पर खरी उतरी बेहतर लाभ वाली स्वरोजगार योजना है। वर्ष 2014 के दौरान, इस योजना से 211जेसीओ/ओआर एवं समकक्ष लाभान्वित हुए हैं।

11.31 **एनसीआर में ईएसएम (अफसर) द्वारा सीएनजी स्टेशनों का प्रबंधनः** योजना को हाल में संशोधित किया गया है। नौएडा, फरीदाबाद और गुड़गांव को शामिल करते हुए सम्पूर्ण एनसीआर को कवर करने के लिए योजना के कार्यक्षेत्र को विस्तारित किया गया है। वर्ष 2014 के दौरान, इस योजना से 62 ईएसएम (अफसर) लाभान्वित हुए हैं।

डीजीआर कॉर्पोरेट कन्क्लेव 2014 के दौरान उपस्थित माननीय रक्षा मंत्री तथा तीनों सेनाध्यक्ष

11.32 **सेना अधिशेष श्रेणी वी 'बी' वाहनों का आबंटनः** भूतपूर्व सैनिक तथा ऐसे रक्षा कार्मिक, जिनकी मृत्यु सेवा के दौरान हुई, की विधवाएं सेना अधिशेष श्रेणी वी 'बी' वाहनों के आबंटन हेतु आवेदन करने के लिए पात्र हैं। वर्ष 2014 के दौरान, डीजीआर के पास कुल 65 ईएसएम का पंजीकरण किया गया है।

11.33 **प्रचार और जागरूकता अभियानः** डीजीआर ने अपना ट्विटर पेज शुरू किया है और ईएसएम की योग्यताओं का प्रचार किया है ताकि अवसरों के बारे में जागरूकता लाई जा सके। दिल्ली, जयपुर और हैदराबाद में सीआईआई के साथ 3 कन्कलेव आयोजित किए गए हैं। सुब्रोतो पार्क, नई दिल्ली में 14–15 नवम्बर, 2014 को वायुसेना सेनानी नौकरी मेले में भी भागीदारी की गई।

स्वास्थ्य देखभाल

11.34 भूतपूर्व अंशदायी स्वास्थ्य योजना (ईसीएचएस) 1 अप्रैल, 2003 से शुरु की गई थी। इस योजना का अक्तूबर, 2010 में आगे विस्तार किया गया। ईसीएचएस का उद्देश्य भूतपूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों को पूरे देश में फैले ईसीएचएस पोलीक्लिनिकों, सेना चिकित्सा सुविधाओं तथा सिविल पैनलबद्ध/सरकारी अस्पतालों के नेटवर्क के माध्यम से गुणवत्ता वाली चिकित्सा मुहैया करना है। इस योजना को केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (सीजीएचएस) की तर्ज पर बनाया गया है और इसका वित्त–पोषण भारत सरकार द्वारा किया जाता है। यह प्रयास है कि पैनलबद्ध अस्पतालों का उपयोग करके सेनानियों और उनके आश्रितों को नकदी रहित उपचार सुनिश्चित किया जाए।

11.35 ईसीएचएस पोलीक्लीनिक 'बहिःरोगी चिकित्सा' मुहैया कराने के लिए बनाए गए हैं जिनमें परामर्श, आवश्यक जांच और औषधियों की व्यवस्था शामिल है। विशिष्ट परामर्श, जांच, अंतरंग चिकित्सा (अस्पताल में भर्ती करना) सैन्य अस्पतालों में उपलब्ध अतिरिक्त क्षमता के माध्यम से और ईसीएचएस में पैनलबद्ध सिविल अस्पतालों के माध्यम से उपलब्ध कराए जाते हैं।

11.36 **केन्द्रीय संगठनः** शीर्ष स्तर पर दिल्ली स्थित केन्द्रीय संगठन, ईसीएचएस है जो रक्षा मंत्रालय (सेना) के एकीकृत मुख्यालय में एडजुटेंट जनरल के माध्यम से स्टाफ प्रमुख समिति के अंतर्गत कार्य

जोधपुर में रोगियों का पंजीकरण

करता है। केन्द्रीय संगठन का अध्यक्ष सेवारत मेजर जनरल होता है। ईसीएचएस का कार्यकारी नियंत्रण भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग के पास होता है।

11.37 **क्षेत्रीय केन्द्रः** कुल मिलाकर 28 क्षेत्रीय केन्द्र देशभर में फैले हुए हैं। भारत सरकार ने अब तक नेपाल में 06 पोलीक्लीनिकों सहित कुल मिलकार 432 ईसीएचएस पोलिक्लिनिक संस्वीकृत किए हैं। इनमें से 401 पोलीक्लीनिकों ने कार्य करना आरंभ कर दिया है।

वर्तमान स्थिति

11.38 **ईसीएचएस सदस्यताः** 31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार, 30,96,346 आश्रितों के साथ–साथ कुल मिलाकर 14,09,535 भूतपूर्व सैनिक पेंशनभोगियों ने योजना में अपना नाम दर्ज करवाया है। इस योजना के अंतर्गत कुल 45,05,881 लाभार्थी हैं।

11.39 **पॉलीक्लीनिक तथा सिविल पैनलबद्ध चिकित्सा सुविधाएंः** पिछले एक वर्ष में ईसीएचएस के साथ कुल 250 अतिरिक्त चिकित्सा सुविधाओं को पैनलबद्ध किया गया है। अब योजना में 1132 सिविल अस्पताल ईसीएचएस के साथ पैनलबद्ध हैं और उपर्युक्त सभी अस्पतालों में ईसीएचएस लाभार्थियों को नकदी रहित उपचार मुहैया कराने हेतु करार ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तथापि, आपात स्थिति में, सदस्यों को भुगतान पर गैर–पैनलबद्ध अस्पताल में चिकित्सा उपचार का लाभ उठाने की अनुमति है। उनके चिकित्सा उपचार बिलों की प्रतिपूर्ति अनुमोदित सीजीएचएस दरों पर की जाती है।

11.40 **मुख्य अंशः**

(क) **ईसीएचएस संगोष्ठीः** पहली बार ईसीएचएस संगोष्ठी तथा क्षेत्रीय केन्द्र निदेशकों के सम्मेलन, सेना स्तर पर एक द्विवार्षिक कार्यक्रम का आयोजन रक्षा मंत्रालय (सेना) की एजी शाखा, एकीकृत मुख्यालय के तत्वावधान में किया गया। मानेकशा केन्द्र, नई दिल्ली में 10 एवं 11 मार्च, 2014 को आयोजित कार्यक्रम का उद्देश्य योजना के सम्मुख आ रही चुनौतियों पर पार पाने हेतु विभिन्न हितधारकों के प्रयासों को एक साथ लाना था।

(ख) **ऑन-लाइन बिल प्रोसेसिंगः** सरकार ने फरवरी, 2012 में 05 प्रमुख क्षेत्रीय केन्द्रों में एक बिल प्रोसेसिंग एजेंसी (यूटीआई–आईटीएसएल) का प्रयोग करते हुए श्ऑन–लाइन बिल प्रोसेसिंगश की स्वीकृति जारी की थी। सफल शुरुआत होने पर इस श्आन लाइनश प्रोसेसिंग को फरवरी, 2013 में पांच और क्षेत्रीय केन्द्रों पर शुरू किया गया। 'ऑन–लाइन' बिल प्रोसिसिंग ने न केवल पारदर्शिता को बढ़ावा दिया है ब्लकि पैनलबद्ध अस्पतालों के बिलों के भुगतान में भी बहुत तेजी आई है। शेष 18 क्षेत्रीय केन्द्रों पर 'ऑन–लाइन' बिलिंग के विस्तार के लिए अनुमोदन दे दिया गया है और यह 31 मार्च, 2015 से लागू हो जाएगी।

(ग) **पोलीक्लिनिकों में कार्य की शुरुआतः** गत एक वर्ष में 30 पोलीक्लिनिकों को कार्यात्मक बनाया गया है। 17 पोलीक्लिनिकों को अभी शुरू किया जाना है। सभी पोलीक्लिनिकों के चालू करने के लक्ष्य को जल्द से जल्द प्राप्त करने के लिए प्रयास जारी हैं।

(घ) **ईसीएचएस नेपालः** नेपाल में नेपाल अधिवासित गोरखा (एनडीजी) भूतपूर्व सैनिकों को ईसीएचएस सुविधाओं के लिए शामिल किया गया है। सरकार ने काठमांडू, पोखरा और धारण में तीन ईसीएचएस पोलीक्लिनिकों को संस्वीकृति दी है जिनमें उपर्युक्त प्रत्येक स्थान पर एक मोबाइल क्लीनिक को इसके साथ लगाया जाएगा। उपर्युक्त सभी तीनों पॉलीक्लिनिकों को अप्रैल, 2014 से कार्यात्मक बना दिया गया है। तथापि, मोबाइल क्लीनिक देने की प्रक्रिया प्रक्रियाधीन है। इस समय ईसीएचएस नेपाल के साथ आठ चिकित्सा सुविधाओं को पैनलबद्ध करने हेतु स्वीकृत किया गया है।

(ङ) **ईसीएचएस की टोलफ्री हेल्पलाइनः** सदस्यता, उपचार तथा रोजगार से संबंधित प्रश्नों के समाधान के लिए सभी ईसीएचएस सदस्यों को ईसीएचएस टोल–फ्री हेल्पलाइन 1800–114–115 उपलब्ध कराई गई है। यह सेवा सोमवार से शुक्रवार तक सभी कार्य दिवसों में 0900 से 1700 बजे तक उपलब्ध है।

पेंशन सुधार

11.41 01 जनवरी, 1996 से पूर्व सेवा से अशक्त किए गए सशस्त्र सेना के अफसरों तथा अफसर रैंक से निचले रैंक के कार्मिकों (पीबीओआर) के लिए हताहत पेंशन संबंधी अवार्डो का यौक्तिकीकरणः सशस्त्र सेना के अफसरों तथा पीबीओआर पेंशनभोगियों, जिनको 01 जनवरी, 1996 से पूर्व सेवा से अशक्त किया गया और 01 जनवरी, 1996 को निःशक्तता अंश/युद्ध घायल अंश प्राप्त कर रहे थे, को निःशक्तता/युद्ध घायल प्रतिशतता की ब्रोड–बैडिंग का लाभ स्वीकार्य किया गया है।

11.42 सशस्त्र सेना के 2006 से पूर्व के आमेलित कार्मिकों, जिन्होंने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/स्वायत्त निकायों में आमेलित होने पर एकमुश्त भुगतान आहरित कर लिया था, की पेंशन के 43% तथा 45% संराशीकृत भाग का संशोधन–24.9.2012 से कतिपय पूर्ण पेंशन को बढ़ाया जानाः मंत्रालय के दिनांक 21 अगस्त, 2009 के पत्र सं. 1(4)2007/रक्षा(पेंशन/नीति), जिसे 09 फरवरी, 2011 के समसंख्यक पत्र के तहत संशोधित किया गया, के अनुसार निर्धारित कमीशन प्राप्त अफसर आमेलित पेंशनभोगियों की कतिपय पूर्ण पेंशन को दिनांक 16 अक्तूबर, 2014 के पत्र सं. 1(1)2014–रक्षा (पेंशन/नीति) के तहत संशोधित वेतन बैंड में रैंक के लिए फिटमेंट टेबलों के न्यूनतम पचास प्रतिशत (50%) तक बढ़ा दिया गया है।

11.43 अतिरिक्त पेंशन के भुगतान हेतु परिवार पेंशनभोगियों की जन्म तिथि/आयु में परिवर्तनः 80 वर्ष अथवा इससे अधिक आयु पूरी होने पर अतिरिक्त पेंशन/परिवार पेंशन के भुगतान हेतु मौजूदा निर्धारित दस्तावेजों के अलावा, यूआईडीएआई द्वारा जारी आधार कार्ड को जन्म तिथि/आयु प्रमाण के रूप में स्वीकार कर लिया गया है।

11.44 सशस्त्र सेना के ऐसे कार्मिक/पेंशनभोगी/परिवार पेंशनभोगी, जिनके लापता होने की रिपोर्ट मिली है और जिनके पते ज्ञात नहीं हैं, के परिवार के पात्र सदस्यों को परिवार पेंशन प्रदान किए जाने के संबंध में पिछले अनुदेशों का अधिक्रमण करते हुए 23 दिसम्बर, 2014 के पत्र सं. 1(1)2010–रक्षा (पेंशन/नीति) के तहत समेकित अनुदेश जारी किए गए हैं।

ई.सी.एच.एस पॉलिक्लिनिक
ECHS POLYCLINIC

12

सशस्त्र सेनाओं तथा सिविल प्राधिकारियों के बीच सहयोग

'ऑपरेशन मेघ राहत' के दौरान सिविल प्राधिकारियों के साथ वायुसेना की समन्वित गश्त

सशस्त्र बल सिविल प्राधिकारियों को कानून एवं व्यवस्था तथा/अथवा आवश्यक सेवाएं बनाए रखने में और प्राकृतिक आपदाओं के समय बचाव एवं राहत कार्यों में सहायता पहुंचाते हैं।

12.1 देश की सीमाओं की सुरक्षा की मुख्य जिम्मेदारी के अलावा, सशस्त्र बल सिविल प्राधिकारियों को कानून एवं व्यवस्था तथा/अथवा आवश्यक सेवाएं बनाए रखने में और प्राकृतिक आपदाओं के समय बचाव एवं राहत कार्यों में सहायता पहुंचाते हैं। उक्त अवधि के दौरान सशस्त्र बलों द्वारा उपलब्ध कराई गई सहायता का विवरण उत्तरवर्ती पैराग्राफों में दिया गया है।

भारतीय सेना

सैन्य सिविल कार्रवाई कार्यक्रम

12.2 सेना ने बड़ी संख्या में सैन्य सिविल कार्रवाई कार्यक्रम चलाए हैं जिनका उद्देश्य 'आपरेशन सद्भावना' के अंतर्गत जम्मू और कश्मीर तथा पूर्वोत्तर राज्यों में आतंकवाद तथा विद्रोहिता से प्रभावित क्षेत्रों में लोगों के "दिल और दिमाग को जीतना" है। इन क्षेत्रों में आपरेशन सद्भावना का केन्द्र 'गुणवत्ता शिक्षा', 'महिला सशक्तीकरण', 'समुदाय तथा अवसंरचना विकास', स्वास्थ्य तथा पशु चिकित्सा देखभाल', 'गुर्जरों/बकरवालों का विकास' तथा 'राष्ट्र निर्माण' रहा है। राष्ट्र निर्माण तथा संस्कृतियों के परस्पर आदान–प्रदान को युवाओं में बढ़ाने के लिए शैक्षणिक/प्रेरणात्मक दौरों के लिए देश के अन्य भागों में छात्रों, बुजुर्गों तथा वीर नारियों द्वारा कुछ परियोजनाएं चलाई गई थीं। इसके अलावा, आपरेशन सदभावना को चलाने के दौरान मूलभूत आवश्यकताएं जैसे कि जलापूर्ति योजनाएं, विद्युतीकरण तथा पशुपालन के प्रावधान पर भी महत्व दिया गया है।

12.3 वर्ष 2014–15 के दौरान जम्मू और कश्मीर तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र में सैन्य नागरिक कार्रवाई चलाने के लिए कुल मिलाकर 1.80 करोड़ रुपए आबंटित किए गए थे।

12.4 समीक्षाधीन अवधि के दौरान पांच चिकित्सा दलों तथा छह अभियंता कार्यक्रमों सहित 400 सैन्य टुकड़ियों को सिविल प्राधिकारियों के सहायतार्थ तैनात किया गया था। कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं में उपलब्ध कराई गई सहायताओं के ब्यौरे उत्तरवर्ती पैराओं में दिए गए है।

बाढ़ राहत आपरेशन

आपरेशन मेघ राहतः जम्मू तथा कश्मीर- जम्मू तथा कश्मीर के विभिन्न भागों में लगातार भारी वर्षा

तथा बाढ़ के परिणामस्वरूप असहाय पड़े हुए लोगों तथा राज्य के प्रभावितों तक पहुँचकर मदद तथा राहत के लिए भारतीय सेना ने तुरंत कार्रवाई की। 02 सितम्बर, 2014 को प्रारंभ किए गए आपरेशन मेघ राहत के एक भाग के रूप में सेना द्वारा 298 सैन्य टुकड़ियों को कश्मीर घाटी तथा जम्मू–पूंछ क्षेत्र में तैनात किया गया। लगभग 1,60,000 नागरिकों को सेना द्वारा बचाया गया। राहत कार्यों के तहत 2,18,000 नागरिकों को चिकित्सा सहायता, आश्रय तथा खाद्य पदार्थ मुहैया कराया गया। पुलों का निर्माण तथा पथ संपर्क को पुनःस्थापित करने के लिए प्लांट इक्वीपमेंट डिटैचमेंट तैनात किए गए। जरूरी मार्ग संपर्क को पुनःस्थापित करने के लिए सैन्य संसाधनों की तरफ से पुलों का निर्माण करने वाले उपकरणों के साढ़े चार सेट लगाए गए थे। 158 आउट बोर्ड मोटरों के साथ 240 मोटर बोट भी सैन्य टुकड़ियों के साथ नियुक्त किए गए थे।

12.6 लगभग 850 नागरिकों को बाहर निकालने के लिए तथा लगभग 275 टन राहत सामग्रियों को पहुँचाने के लिए सैन्य विमानन के 15 चीता हेलिकॉप्टर तथा 05 एडवांस्ड लाइट हेलिकॉप्टर्स (एएलएस) तैनात किए गए थे।

12.7 **ऑपरेशन लहरः** आंध्र प्रदेश तथा ओडिशा– राहत प्रबंधन आयुक्त, आंध्र प्रदेश सरकार से प्राप्त

चिकित्सीय सहायता

सेना द्वारा राहत एवं बचाव अभियान

मांग पत्र के आधार पर 10 अक्तूबर, 2014 को राहत एवं बचाव आपरेशनों के लिए भारतीय सेना को तैनात किया गया था। राहत एवं बचाव आपरेशनों के लिए दो अभियंता कार्यबल तथा चार चिकित्सा दलों सहित 16 भारतीय सैन्य टुकड़ियां विशाखापट्टनम तथा श्रीकाकुलम में तैनात की गई। सेना द्वारा निम्नलिखित राहत एवं बचाव अभियान चलाए गए थेः–

(क) 272 नागरिकों को बचाया गया।

(ख) अचुतापुरम में चिकित्सा शिविर स्थापित किया गया।

(ग) विजाग से कैलाशगिरी, विजाग से विजाग एयरपोर्ट तथा विजाग से अचुतापुरम तक

सड़कों पर और उसके आस–पास गिरे पड़े पेड़ों को हटाकर सफाई की गई।

(घ) विशाखापट्टनम तथा श्रीकाकुलम में जरूरी सेवाओं की आपूर्ति और मरम्मत किया गई तथा उन्हें फिर से कार्यक्षम बनाया गया।

सेना द्वारा सहायता एवं बचाव ऑपरेशन

12.8 **ग्वालपाड़ा, कामरूप तथा मोरीगांव (असम):** लगातार वर्षा के कारण, सिविल प्रशासन ने 22 सितम्बर, 2014 को सेना से सहायता मांगी। ग्वालपाड़ा, कामरूप तथा मोरीगांव जिलों में बाढ़ राहत आपरेशनों के लिए नौ सैन्य दल तैनात किए गए थे। 6 सैन्य टुकड़ियों को कामरूप तथा मोरीगांव में तैयार रखा गया था । सैन्य बलों द्वारा 1535 लोगों को निकालकर ऊंचे स्थानों पर ले जाया गया। दो चिकित्सा शिविर स्थापित किए गए जिनमें 360 लोगों को राहत उपलब्ध कराई गई। इसके अलावा 730 लोगों के लिए खाद्य पदार्थ मुहैया कराया गया।

कानून एवं व्यवस्था को बनाए रखना

12.9 **जुन्हेबोटो: नागालैंड:** जुन्हेबोटो जिला, नागालैंड में कानून–व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने पर, सिविल प्रशासन की मांग पर मुकालिमी कैंप के आस–पास 28–29 दिसम्बर, 2013 की रात में असम राइफल्स की सात सैन्य टुकड़ियों को कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने हेतु तैनात किया गया। 02 जनवरी, 2014 को सैन्य टुकड़ियों को पूरी तरह से हटा लिया गया।

12.10 **असम:** निचले असम के कोकराझार, बक्सा तथा धुबरी जिलों में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने पर सिविल प्रशासन ने सेना से सहायता की मांग की। फलस्वरूप 02 मई, 2014 को कोकराझार में सेना की 08 टुकड़ियां तथा 03 मई, 2014 को बक्सा तथा धुबरी जिलों में 11 सैन्य टुकड़ियां तैनात की गईं। 06 मई, 2014 को कोकराझार जिले से तथा 07 मई, 2014 को बक्सा तथा धुबरी जिले से सैन्य टुकड़ियों को हटा लिया गया।

12.11 **मणिपुर:** मणिपुर के उखरूल जिले में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने पर सिविल प्रशासन द्वारा 30 अगस्त, 2014 को सेना से मदद की मांग की गई थी। परिणामस्वरूप, अमन तथा शांति बनाए रखने के लिए चार सैन्य टुकड़ियां तैनात की गईं। 21 सितम्बर, 2014 को इन सैन्य टुकड़ियों को हटा लिया गया।

भारतीय नौसेना

12.12 **भारतीय नागरिकों को इराक से सुरक्षित निकालना:** भारतीय नागरिकों को इराक से सुरक्षित निकालने के लिए 27 जून, 2014 को आईएनएस मैसूर को फारस की खाड़ी में तैनात किया गया था। इस तैनाती के दौरान, पोत ने कुवैत के मीना ऐश शुवैख में जून और जुलाई, 2014 में ऑपरेशनल टर्नएराउंड (ओटीआर) में भाग लिया। इसके अतिरिक्त, आईएनएस मुंबई को मुंबई में उचित चिकित्सा दल, दवाइयां, अतिरिक्त खाद्य सामग्री तथा जहाज पर भण्डारण के साथ तैयार रखा गया। 19 जुलाई, 2014 को आईएनएस मैसूर को फारस की खाड़ी से वापस बुला लिया गया।

12.13 **आपरेशन मेघ राहत- जम्मू एवं कश्मीर में बाढ़ के दौरान राहत अभियान - सितम्बर, 2014-** 11 से 19 सितम्बर, 2014 तक राहत अभियान के लिए भारतीय नौसेना का एक गोताखोर दल जिसमें

10 गोताखोर शामिल थे, एक अफसर की अगुवाई में जेमिनी जलयान के साथ गोताखोरी और बचाव उपकरण सहित तैनात किए गए। इसके अलावा, एक चिकित्सा दल जिसमें एक चिकित्सा अधिकारी तथा दो सहायक चिकित्सक थे, को श्रीनगर के बेस अस्पताल में नियुक्त किया गया। भारतीय गोताखोर दल ने नौ जलमग्न गांवों के लगभग 1300 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया तथा 3650 लोगों में राहत सामग्रियां वितरित कीं।

12.14 **आपरेशन लहरः-** विशाखापट्टनम में हुदहुद चक्रवात के बाद राहत ऑपरेशनः– महाचक्रवात हुदहुद ने विशाखापट्टनम में 12 अक्तूबर, 2014 को स्थलावतरण किया। 190 कि0मी0 प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हवा के परिणामस्वरूप नागरिकों तथा नौसेना के इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत अधिक नुकसान हुआ। भारतीय नौसेना को राहत तथा बचाव कार्य ऑपरेशन के लिए मुख्यता से नामित किया गया जिसने राज्य एजेंसियों तथा अन्य सेनाओं के साथ समन्वय में बड़ी भूमिका निभाई। 13 से 18 अक्तूबर, 2014 को आंध्र प्रदेश सचिवालय, हैदराबाद में सशस्त्र बलों की अनुक्रिया का समन्वय करने के लिए एक संपर्क कक्ष की स्थापना की गई । चलाए गए प्रमुख राहत अभियान निम्नानुसार हैः–

(क) बिजली और पानी की आपूर्ति सहित आधारभूत आवश्यक सेवाओं की पुनःबहाली, सड़कों की सफाई तथा अन्य बाधाओं को दूर करना।

(ख) पानी सहित राहत सामग्रियों का प्रावधान तथा वितरण

(ग) चार प्रभावित क्षेत्रों में सामुदायिक रसोईघरों की स्थापना

(घ) एयरपोर्ट और पत्तनों संबंधी अभियानों को पुनः चालू करना

(ङ) विपदाग्रस्त गांवों से लोगों को बचाना।

सिविल प्राधिकारियों को गोताखोरों द्वारा की गई सहायता

12.15 जनवरी, 2014 से भारतीय नौसेना के गोताखोर दलों को अनेक अवसरों पर सिविल प्राधिकारियों की सहायता के लिए तैनात किया गया। की गई सहायता में खोज तथा बचाव और मानवीय सहायता तथा आपदा राहत मिशन (एचएडीआर) शामिल हैं। उनमें से प्रमुख तैनातियां इस प्रकार हैः–

(क) ऑपरेशन मेघ राहत के तहत सितम्बर, 2014 में मारकोस (एमएआरसीओएस) की जम्मू एवं कश्मीर में तैनाती तथा आईएनडीटी, दिल्ली के एक अतिरिक्त दल को आपदा राहत आपरेशनों तथा खोज एवं बचाव कार्यों के लिए कश्मीर में तैनात किया गया था।

(ख) जुलाई, 2014 में 12 कार्मिकों के एक गोताखोर दल को साउथ इस्टर्न कोल फिल्ड, बिलासपुर में प्रतिनियुक्त किया गया था।

(ग) जून, 2014 में हिमाचल प्रदेश के मंडी में आंध प्रदेश के महाविद्यालय के छात्रों की खोज एवं बचाव के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार को गोताखोरों की सहायता उपलब्ध कराने के लिए भारतीय नौसेना गोताखोर दल को तैनात किया गया था।

12.16 **तटीय सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम/ अभियानः**– भारतीय तटरक्षक तथा नौसेना पुलिस के साथ तटीय गांवों में कई तटीय सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम/अभियानों को चलाया गया। इन अभियानों का उद्देश्य तटीय गांवों के मछुआरों तथा ग्रामीणों में सुरक्षा जागरुकता को बढ़ाना था।

12.17 **मछुआरों के साथ परस्पर संपर्कः** तमिलनाडु के सभी नौसेना दलों ने मछुआरों के स्थानीय नेताओं तथा मत्स्यपालन विभाग के कर्मचारियों के साथ परस्पर संपर्क के लिए जागरुकता अभियान चलाया।

मछुआरों को सलाह दी गई कि समय पर सहायता प्रदान करने के लिए वे समुद्र में होने वाली सभी घटनाओं की समय पर सूचना दें।

12.18 **नौसेना स्वास्थ्य शिविरः**

(क) **हटबे में चिकित्सा शिविरः** स्थानीय आईसीजीएच हटबे एवं पीएचसी के सिविल स्वास्थ्य प्राधिकारियों के सहयोग से आईएनएचएस धनवंतरी की तरफ से आए विशेषज्ञों के साथ एक बहु–विशेषज्ञता वाला चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया था। हटबे में कैंप का संचालन 17 तथा 18 जनवरी, 2014 को किया गया। छोटे बच्चों, गर्भवती महिलाओं तथा बुजुर्गों सहित 97 मरीजों की जांच की गई।

(ख) **लाँग आइसलैण्ड (द्वीप) पर चिकित्सा कैंपः**– 22 मई, 2014 को लाँग आइसलैंड (द्वीप) के लोगों के लिए आईएनएचएस धनवंतरी द्वारा विशेषज्ञों तथा चिकित्सा अधिकारियों, के साथ एक बहुत–विशेषज्ञता वाला चिकित्सा शिविर आयोजित किया गया। यह शिविर लाँग आइसलैंड के पीएचसी परिसर में आयोजित किया गया था। 52 मरीजों के अल्ट्रासाउंड किए गए तथा मधुमेह, हाइपरटेंशन तथा अन्य बीमारियों के 72 मरीज ओपीडी परामर्श की सुविधा से लाभान्वित हुए।

(ग) **रक्त दान शिविरः** 23 मई, 2014 को भारतीय नौसेना द्वारा समाज सेवा के एक भाग के रूप में पोरबंदर, नेवल एयर इंक्लेव में एक रक्त दान शिविर का आयोजन किया गया। यह भारतीय नौसेना द्वारा पोरबंदर में संचालित इस प्रकार का पहला कार्यक्रम था। एकत्रित किए गए रक्त से लगभग 200 थैलीसीमिया के मरीजों को आशा शिशु अस्पताल, पोरबंदर में खून चढ़ाया जा सकेगा।

(घ) **कुचीड़ी गांव में चिकित्सा शिविरः** 30 जनवरी, 2014 को पोरबंदर के कुचीड़ी गांव में दूसरा चिकत्सा शिविर, पोरबंदर की स्थानीय जनता के अनुरोध पर लगाया गया। इस शिविर का आयोजन सुविधाविहीन लोगों को विशेषज्ञों की चिकित्सा सेवा प्रदान करने के लिए किया गया था। इस शिविर का आयोजन आम जनता में भारतीय नौसेना के बारे में जागरुकता फैलाना भी था।

(ड.) **मुंबई में चिकित्सा शिविरः** आईएनएचएस अश्विनी ने निम्नलिखित चिकित्सा शिविरों का संचालन किया–

(i) 14 अक्तूबर, 2014 को ट्राम्बे में कैंसर की जांच

(ii) 22 अक्तूबर, 2014 को ट्राम्बे में त्वचा रोग संबंधी शिविर

(iii) 16 नवम्बर, 2014 को करांजा में चिकित्सा शिविर

तटरक्षक

12.19 **ओडिशा बाढ़ राहतः** अगस्त, 2014 में आई बाढ़ के दौरान भारतीय तटरक्षक ने राहत अभियानों में विशेष रूप से भाग लिया। राहत एवं बचाव कार्यों

मरीजों का इलाज करते हुए चिकित्सा अफसर

के लिए सिविल प्रशासन के अनुरोध पर, भारतीय तटरक्षक बल कार्मिक तथा जेमिनी नाव को तैनात किया गया था। भारतीय तटरक्षक बलों को बालकनी,

भारतीय तटरक्षक दल द्वारा प्रभावित कार्मिकों की निकासी

टंडापात्रा, कुजंग तथा केंद्रपाड़ा क्षेत्रों में तैनात किया गया था। बाढ़ पीड़ितों को चिकित्सा सुविधा मुहैया कराने के लिए भारतीय तटरक्षक के चिकित्सा दलों को भी बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में भी तैनात किया गया था। भारतीय तटरक्षक बल द्वारा राहत आपरेशनों में कुल 32 लोगों को जीवित बचाया गया तथा 03 चिकित्सीय बचाव कार्य चलाए गए।

12.20 **प्रचंड चक्रवात हुदहुदः** 12 अक्तूबर, 2014 को आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्र से हुदहुद चक्रवात के टकराने के दौरान भारतीय तटरक्षक ने चक्रवात के पहले चेतावनी का प्रचार–प्रसार करने तथा चक्रवात के बाद के प्रभाव में राहत एवं बचाव कार्य आपरेशनों में अहम भूमिका निभाई। आंध्र तट से चक्रवात के टकराने से बहुत पहले, भारतीय तटरक्षक ने राज्य प्रशासन मत्स्य विभाग तथा संबंधित बंदरगाहों को तटीय आबादी, मछुआरों तथा जलयानों को बचाने हेतु सुरक्षात्मक कदम उठाने के लिए परामर्श जारी किया। ओडिशा तथा आंध्र प्रदेश राज्यों के पूर्वी तटों पर तैनात भारतीय तटरक्षक इकाइयों को चक्रवात के बाद खोज एवं बचाव (एसएआर) के लिए तैयार रखा गया था। भारतीय तटरक्षक दल के दो पोतों (सारंग तथा राजध्वज) क्रमशः चेन्नई तथा कृष्णापट्टनम से आंध्र प्रदेश के तट पर राहत एवं बचाव कार्य आपरेशन के लिए 12 अक्तूबर, 2014 को प्रस्थान करने वाले पहले पोत थे। भारतीय तटरक्षक का डोर्नियर विमान चक्रवात के बाद 13 अक्तूबर, 2014 को विजाग में उतरने वाला पहला विमान था जो विजाग एयरपोर्ट को संचलनात्मक बनाने के लिए मरम्मत हेतु अपने साथ विमानपत्तन प्राधिकरण के 02 अभियंताओं को चेन्नई से विजाग लेकर आया था। बाद में 13 तथा 14 अक्तूबर, 2014 को तटीय क्षेत्रों में हुई क्षति का मूल्यांकन करने के लिए चेन्नई, विजाग, कोलकाता तथा भुवनेश्वर से विमान तैनात किए गए थे। भारतीय तटरक्षक के हेलिकॉप्टरों ने सुदूर गांवों में राहत अभियान के तहत खाद्य सामग्री तथा पानी के पैकेट मुहैया कराये। पोतों तथा विमानों से राहत सामग्रियों को लेकर काकीनाड़ा कोच्ची तथा चेन्नई से विजाग के लिए कई चक्कर लगाए।

वायु सेना

12.21 भारतीय वायु सेना का रोटरी विंग बेड़े ने राष्ट्र की सेवा में अपने 60 वर्ष पूरे किये । इस ऐतिहासिक वर्ष में बेड़े को अपने विभिन्न महत्वपूर्ण आपरेशनों के तहत आवश्यक कार्य करना था। लोकसभा के आम चुनावों में, विशेषकर वामपंथी उग्रवाद प्रभावित राज्यों में, हेलिकॉप्टर बेड़े को चुनाव

कार्यों में सहायता के लिए तैनात किया गया। विभिन्न प्रकार के हेलिकॉप्टरों ने 1138 घंटे में 1612 उड़ानों के उपयोग से भारी प्रयास कर भारतीय निर्वाचन आयोग की प्रशंसा अर्जित की।

12.22 **आपरेशन मेघ राहतः** भारतीय वायु सेना ने सितंबर, 2014 में जम्मू–कश्मीर में आई बाढ़ के बाद के सबसे बड़ा आपदा राहत आपरेशन चलाया। इस

अभियान में कुल 73 विमान, जिनमें 34 स्थायी विंग तथा 39 हेलिकॉप्टर थे, तैनात किए गए थे। 11 दिनों के आपरेशन में भारतीय वायुसेना के विमान द्वारा 2915 उड़ानें भरी गईं जिनमें 4536 टन सामान का विमानवाहन किया गया तथा 53159 यात्रियों को (जिसमें 47909 लोगों को बाहर निकाला गया) सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। "आपरेशन मेघ राहत" के दौरान भारतीय वायुसेना की हवाई मेहनत "आपरेशन मदद–(सुनामी 2004)" तथा "आपरेशन राहत" (उत्तराखंड 2013) के दौरान किए गए संयुक्त प्रयास से बढ़कर रही।

12.23 बाढ़ प्रभावित आबादी में चिकित्सा राहत उपलब्ध कराने के लिए वायु सेना स्टेशन अवंतीपुर में एक त्वरित कार्रवाई चिकित्सा दल को तैनात किया गया। 23 दिनों की तैनाती के दौरान चिकित्सा दल ने 3236 रोगियों को चिकित्सा राहत मुहैया कराया। इस योगदान को सिविलियन प्राधिकारियों द्वारा बहुत सराहा गया।

12.24 **आपरेशन हुदहुदः** भारतीय वायुसेना ने आंध्र प्रदेश के चक्रवात हुदहुद में राहत आपरेशनों में भाग लिया। कुल 47 उड़ानों में 316.3 टन की राहत सामग्री पहुंचाई गई तथा 154 यात्रियों को सुरक्षित निकाला गया ।

12.25 **आपरेशन त्रिवेणीः** जहां भारतीय वायुसेना केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के साथ मिलकर कार्य कर रही है, वहां दिसम्बर, 2009 से ही नक्सल विरोधी आपरेशनों में सहयोग के लिए भारतीय वायु सेना का एमआई–17 तथा एमआई–17वी–5 हेलिकॉप्टरों को तैनात किया गया है। ऐसे आपेरशनों के लिए स्वयं को सतत रूप से अनुकूल बनाये रखते हुए चालू वर्ष में भारतीय वायु सेना ने 810 उड़ान घंटों का उपयोग करते हुए 1224 उड़ाने भरीं जिनमें 6131 लोगों तथा 195 टन सामग्रियों का वहन किया गया।

13

राष्ट्रीय कैडेट कोर

प्रधानमंत्री की एनसीसी रैली के दौरान प्रधानमंत्री गारद सम्मान का निरीक्षण करते हुए

एनसीसी देश के युवाओं के चरित्र एवं नेतृत्व, निःस्वार्थ सेवा के आदर्श, समर्पण और साहस के सर्वांगीण विकास के लिए अवसर प्रदान कराने का प्रयास करता है ताकि वे देश के जिम्मेदार नागरिक बन सकें। राष्ट्रीय कैडेट कोर का आदर्श वाक्य है **"एकता और अनुशासन "**।

13.1 राष्ट्रीय कैडेट कोर (एन सी सी) की स्थापना रा0कै0कोर अधिनियम 1948 के अन्तर्गत हुई थी । यह अपनी स्थापना के 66 वर्ष पूरे कर चुका है । एनसीसी देश के युवाओं के चरित्र एवं नेतृत्व, निःस्वार्थ सेवा के आदर्श, समर्पण और साहस के सर्वांगीण विकास के लिए अवसर प्रदान कराने का प्रयास करता है ताकि वे देश के जिम्मेदार नागरिक बन सकें। राष्ट्रीय कैडेट कोर का आदर्श वाक्य है **"एकता और अनुशासन "**। एनसीसी के भूतपूर्व बहादुर कैडेटों की बढ़ती संख्या इसके सार्थक अस्तित्व का प्रमाण है। बदलते समय को ध्यान में रखते हुए प्रशिक्षण सिद्धांत की समीक्षा की गई है और नया पाठ्यक्रम 2013 से लागू हो गया है।

13.2 **एनसीसी की विस्तार योजनाः** वर्ष 2010 में यह निर्णय लिया गया था कि एनसीसी कैडेटों की स्वीकृत संख्या पाँच चरणों में दो लाख की वृद्धि कर 13 लाख से 15 लाख की जाएगी। प्रत्येक चरण में 40000 कैडेट बढ़ाए जाएंगे। इसके विस्तार के दो चरण पहले ही पूरे हो चुके हैं और एनसीसी कैडेटों की स्वीकृत नफरी 13.8 लाख कैडेट हो गई है। वर्तमान में एनसीसी देश के 670 जिलों में फैला हुआ है जिसमें 800 एनसीसी यूनिटों के अंतर्गत 15908 संस्थान हैं।

13.3 मौजूदा नामांकित कैडेट नफरी का स्कन्ध-वार विवरण इस प्रकार है-

(क)	सेना स्कन्ध	-	7, 38,443
(ख)	वायु सेना स्कन्ध	-	52,003
(ग)	नौ सेना स्कन्ध	-	50,215
(घ)	छात्रा स्कन्ध	-	2, 90,422
	कुल	**-**	11, 31,083

13.4 **विस्तार के लिए तीसरे चरण में नई स्थापनाएं खड़ी करनाः** तीसरे चरण में 01 ग्रुप मुख्यालय, 07 सेनांग यूनिटें तथा 07 नौसेनांग यूनिटें खड़ी करने की सैद्धांतिक स्वीकृति दे दी गई है। इन यूनिटों की स्थापना के बाद इनकी संख्या 800 से बढ़कर 814 हो जाएगी और इन यूनिटों की स्थापना के बाद कैडेटों की नफरी बढ़कर 14.2 लाख हो जाएगी।

13.5 **एनसीसी गतिविधियों का संपूर्ण खर्च वहन की इच्छुक संस्थाओं को बिना बारी के आवंटनः** जुलाई 2014 में सरकार ने स्व-वित्त पोषण आधार पर संस्थानों को बिना बारी के एनसीसी कैडेटों की नफरी आवंटित करने का एक निर्णय किया था। यह योजना एक पायलट प्रोजेक्ट के रुप में शुरु की गई थी और 2016 में इसकी पुनरीक्षा की जानी है। इसे लागू करने की प्रक्रिया जारी है और इससे सरकारी खजाने पर कोई वित्तीय भार नहीं पड़ेगा। इस योजना से एक ओर जहां सरकारी धन की बचत होगी, वहीं दूसरी ओर कैडेटों के नामांकन को भी बढ़ाया जा सकेगा।

13.6 **छात्रा कैडेटों का प्रतिनिधिनित्व बढ़ानाः** सरकार द्वारा वर्ष 2010 में दी गई स्वीकृति को लागू करने के पहले दो चरणों में कुल 08 छात्रा कैडेट बटालियन खड़ी की गई हैं। तीसरे चरण में एक और छात्रा बटालियन खड़ी करने की सरकारी मंजूरी दीं गई है। एनसीसी में छात्राओं का प्रतिशत बढ़ाने के उद्देश्य से उन्हें मिश्रित बटालियनों में भी शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।

प्रशिक्षण

13.7 राष्ट्रीय कैडेट कोर प्रशिक्षण के महत्वपूर्ण पहलू इस प्रकार हैं:-

(क) संस्थागत प्रशिक्षण

(ख) शिविर प्रशिक्षण

(ग) साहसिक प्रशिक्षण

(घ) समाज सेवा तथा सामुदायिक विकास कार्य

(च) युवा आदान-प्रदान कार्यक्रम

13.8 **संस्थागत प्रशिक्षण:** इस प्रशिक्षण का उद्देश्य युवाओं को सैन्य जीवन शैली से परिचित कराना और उनमें अनुशासन, व्यक्तित्व विकास तथा व्यवस्थित जीवन मूल्यों का संचार करना है। सभी नामांकित कैडेटों को अपने-अपने स्कूलों/कालेजों में एन सी सी के प्रत्येक स्कंध के लिए निर्धारित पाठयक्रम में यह प्रशिक्षण दिया जाता है।

13.9 **शिविर प्रशिक्षण:** शिविर प्रशिक्षण एन सी सी के पाठ्यक्रम का एक महत्वपूर्ण अंग है । ये शिविर कैडेटों में सहचर्य, टीम भावना, परिश्रम की महत्ता और आत्म-विश्वास का विकास करने में सहायक होते हैं और सबसे महत्वपूर्ण है- "एकता एवं अनुशासन " की भावना का विकास करना। एनसीसी ने अपने कैडेटों के लिए व्यक्तित्व विकास कार्यक्रम के एक भाग के रूप में मानव मूल्यों की कक्षाएँ भी शुरू की हैं। एन सी सी द्वारा संचालित विभिन्न प्रकार के शिविर इस प्रकार हैं:-

(क) **वार्षिक प्रशिक्षण शिविर:** वार्षिक प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन राज्य निदेशालयों द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है कि जूनियर डिविजन/विंग (जेडी/जे डब्ल्यू) कैडेट और सीनियर डिविजन/विंग के कैडेट, जिनकी संख्या लगभग 8.5 लाख है, कम से कम वर्ष में ऐसे एक शिविर में अवश्य भाग लें। हर वर्ष ऐसे लगभग 1800 शिविर लगाए जाते हैं।

(ख) **राष्ट्रीय एकता शिविर (एन आई सी):** हर वर्ष कुल 37 राष्ट्रीय एकता शिविर (एनआईसी) आयोजित किए जाते हैं। सभी राज्यों तथा संघ शासित प्रदेशों से कुल 24,200 कैडेट इन राष्ट्रीय एकता शिविरों में भाग लेते हैं । अब तक देश के विभिन्न भागों में 36 राष्ट्रीय एकता शिविर आयोजित किए गए हैं। इसके अलावा निम्नलिखित स्थानों पर विशेष राष्ट्रीय एकता शिविर आयोजित किए गए हैं-

(i) **विशेष राष्ट्रीय एकता शिविर, श्रीनगर:** 12 से 23 जून 2014 तक श्रीनगर में एक विशेष राष्ट्रीय एकता शिविर का आयोजन किया गया। इस विशेष राष्ट्रीय एकता शिविर में देश के सभी भागों से कुल 250 कैडेटों ने भाग लिया ।

(ii) **विशेष राष्ट्रीय एकता शिविर पेडापुरम (काकीनाड़ा):** 09 से 20 अक्टूबर 2014 के दौरान पेडापुरम में एक विशेष राष्ट्रीय एकता शिविर का आयोजन किया गया। इसमें सभी राज्यों और संघशासित प्रदेशों से 300 छात्र और छात्रा कैडेटों ने भाग लिया।

(iii) **विशेष राष्ट्रीय एकता शिविर बड़ाबाग (जैसलमेर):** 28 अक्तूबर से 08 नवंबर 2014 तक बड़ाबाग, जैसलमेर में एक विशेष राष्ट्रीय एकता शिविर का आयोजन किया गया। पूरे भारत से 300 कैडेटों ने इस शिविर में भाग लिया ।

(iv) **विशेष राष्ट्रीय एकता शिविर उत्तर-पूर्वी क्षेत्र:** 03 से 14 जनवरी 2015 के दौरान दीमापुर (नागालैंड) में राष्ट्रीय स्तर पर एक विशेष शिविर का आयोजन किया गया जिसमें 600 कैडेटों ने भाग लिया।

(ग) **वायुसेना शिविर (वी एस सी):** हर वर्ष वायुसेना वरिष्ठ प्रभाग तथा वरिष्ठ स्कंध के कैडेटों के लिए जाकूर एयरफील्ड, बंगलूरू में 12 दिन की

अवधि के लिए एक अखिल भारतीय वायुसेना शिविर का आयोजन किया जाता है। इस वर्ष 9 से 20 अक्तूबर 2014 तक इस शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में कुल 600 वरिष्ठ प्रभाग एवं वरिष्ठ स्कंध कैडेटों ने भाग लिया।

(घ) **नौ सैनिक शिविर:** यह शिविर भी नौसेना स्कंध के वरिष्ठ प्रभाग एवं वरिष्ठ स्कंध कैडेटों के लिए वर्ष में एक बार 12 दिन की अवधि के लिए आयोजित किया जाता है। इस वर्ष 21 दिसंबर 2014 से 01 जनवरी 2015 तक कारवार में यह शिविर आयोजित किया गया। इस शिविर में कुल 590 कैडेटों ने भाग लिया।

(च) **थल सैनिक शिविर:** परेड ग्राउंड, दिल्ली छावनी में हर वर्ष वरिष्ठ प्रभाग तथा वरिष्ठ स्कंध कैडेटों के लिए एक थल सैनिक शिविर का आयोजन किया जाता है। इस वर्ष 19 सितम्बर से 30 सितंबर 2014 तक इस शिविर का आयोजन किया गया। कुल 1360 केडेटों ने इस शिविर में भाग लिया।

(छ) **नेतृत्व शिविर:** हर वर्ष अखिल भारतीय स्तर पर 06 उन्नत नेतृत्व शिविरों (एएलसी) का आयोजन किया जाता है। इस वर्ष सेवा चयन बोर्ड और स्क्रीनिंग कैप्सूल की तैयारी के लिए दो उन्नत नेतृत्व शिविर आयोजित किए गए। इन शिविरों में 17 राज्य एनसीसी निदेशालयों से 300 वरिष्ठ प्रभाग /वरिष्ठ स्कंध कैडेटों ने भाग लिया।

(ज) **पर्वतारोहण प्रशिक्षण शिविर:** कैडेटों को पर्वतारोहण की प्राथमिक जानकारी देने और उन्हें साहस की भावना से ओत-प्रोत करने के लिए प्रत्येक प्रशिक्षण वर्ष में 01 अप्रैल से 31 मार्च तक 08 पर्वतारोहण शिविर आयोजित किए जाते हैं। इस वर्ष 1080 कैडेटों ने इन शिविरों में भाग लिया। इनमें से चार शिविर ग्वालियर, मध्य-प्रदेश में तथा अन्य चार शिविर श्रीनगर और गढ़वाल में आयोजित किए गए।

(झ) **गणतन्त्र दिवस शिविर 2015:** दिल्ली में 01 जनवरी से 31 जनवरी 2015 तक गणतंत्र दिवस शिविर-2015 का आयोजन किया गया। इस शिविर में देश भर से आए 2070 कैडेटों सहित उन मित्र देशों से आए कैडेटों ने भी भाग लिया जिनके साथ एनसीसी का युवा आदान-प्रदान कार्यक्रम होता है। पूरे मास चले इस शिविर में सांस्थानिक प्रशिक्षण से संबंधित अन्तर निदेशालय प्रतियोगिताएं, सांस्कृतिक प्रतियोगिताएं तथा राष्ट्रीय एकता जागरूकता कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया।

राजपथ पर एनसीसी गर्ल्स बैंड

13.10 **गणतंत्र दिवस परेड:** एनसीसी के दो मार्चिंग दस्तों तथा एनसीसी के तीन बैंडों ने 26 जनवरी 2015 को राजपथ पर गणतंत्र दिवस परेड में भाग लिया।

13.11 **अटैचमेंट प्रशिक्षण:** एन सी सी कैडेट सशस्त्र सेना यूनिटों से जुड़कर नए-नए महत्वपूर्ण अनुभव प्राप्त करते हैं । इस वर्ष निम्नलिखित अटैचमेंट प्रशिक्षण आयोजित किए गए :-

(क) इस वर्ष 20,000 कैडेटों ने नियमित सेना यूनिटों के साथ एटेचमेंट प्रशिक्षण में भाग लिया जिसमें महिला अधिकारियों सहित 440 अधिकारी तथा 560 वरिष्ठ स्कंध के कैडेट शामिल हुए।

(ख) इस वर्ष 120 वरिष्ठ प्रभाग तथा 48 वरिष्ठ स्कंध कैडेटों को क्रमश: भारतीय सैन्य अकादमी , देहरादून और अफसर प्रशिक्षण अकादमी, चैन्नई में दो-दो सप्ताह के एटैचमेंट प्रशिक्षण के लिए एटैच किया गया।

(ग) 1000 वरिष्ठ स्कंध कैडेटों को विभिन्न सेना चिकित्सालयों मे एटैच किया गया ।

(घ) वायुसेना स्कंध के 100 एन सी सी कैडेटों (76 वरिष्ठ प्रभाग तथा 24 वरिष्ठ स्कंध) ने वायुसेना स्टेशन, डुंडीगल में अटैचमेंट प्रशिक्षण प्राप्त किया।

(च) हर वर्ष वायुसेना स्कंध के 20 एसोसिएट अफसरों(ए एन ओ) तथा 200 कैडटों (वरिष्ठ प्रभाग) को विभिन्न वायुसेना स्टेशनों पर एटेच किया जाता है।

13.12 **माइक्रोलाइट फ्लाइंग:** एयर विंग (वरिष्ठ प्रभाग/ वरिष्ठ स्कंध) के एनसीसी कैडेटों को हवाई अनुभव प्रदान करने के उद्देश्य से एनसीसी में माइक्रोलाइट फ्लांइग का आयोजन किया जाता है। इस समय देश के सभी राज्यों में 45 जेन एयर माइक्रोलाइट तथा 06 'एक्स' एयर माइक्रोलाइट विमानों की सहायता से 51 एनसीसी एयर स्क्वाड्रनों में माइक्रोलाइट फ्लाइंग सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं।

13.13 **एयर विंग के ए एन अफसरों के लिए कमीशन से पूर्व तथा पुनश्चर्या पाठयक्रम:**-हर वर्ष एयर विंग के एसोशिएट एनसीसी अफ़सरों के लिए 8/9 सप्ताह की अवधि के 03 कमीशन पूर्व पाठ्यक्रम तथा 04-04 सप्ताह की अवधि के 03 पुनश्चर्या पाठ्यक्रम वायुसेना स्टेशन तंबारम में आयोजित किए जाते हैं और हर वर्ष एयर विंग के लगभग 210 एएनओ इन पाठ्यक्रमों में भाग लेते हैं।

13.14 **नौसेना पोत अटैचमेंट:** नौसेना स्कंध के 295 कैडेटों को मुम्बई, कोच्चि तथा विशाखापट्टनम में भारतीय नौसेना के जहाजों पर 12 दिन का समुद्री प्रशिक्षण दिया गया। इस दौरान इन कैडेटों को विभिन्न नौसेना विषयों का गहन प्रशिक्षण दिया गया और इन्हें समुद्र में नौ सेना अभ्यास देखने का भी अवसर मिला।

13.15 **विदेश समुद्री यात्रा:**

(क) **नौसेना समुद्री यात्रा**

(i) 10 कैडेट और 01 पर्यवेक्षण अधिकारी ने नौ सेना पोतों पर सवार होकर 02 अप्रैल से 10 मई 2014 तक सिंगापुर, फुकेट और यंगून की यात्रा की।

(ii) 10 कैडेटों और 01 पर्यवेक्षण अधिकारी ने 27 सितंबर से 30 अक्टूबर 2014 तक मस्कट (ओमान), दुबई (संयुक्त अरब अमीरात), मनामा (बहरीन), अल जुआबी (सऊदी अरब) की यात्रा की।

(ख) **तटरक्षक:** 03 एनसीसी कैडेटों और 01 पर्यवेक्षण अधिकारी ने 02 अप्रैल से 12 अप्रैल 2014 तक मालदीव और माले बंदरगाह की यात्रा की।

13.16 **नौसेना अकादमी अटैचमेंट प्रशिक्षण:** भारतीय नौसेना अकादमी, एजीमाला में 170 वरिष्ठ स्कंध कैडेटों के लिए वार्षिक प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। 10 से 21 दिसंबर 2014 तक भारतीय नौसेना अकादमी, एजीमाला में 25 वरिष्ठ प्रभाग कैडेटों को अटैच किया गया।

13.17 **नौसेना स्कंध के लिए तकनीकी एन सी सी शिविर:** चैन्नई के इंजीनियरिंग कॉलेजों के 70 वरिष्ठ प्रभाग/वरिष्ठ स्कंध कैडेटों ने 23 जून से 05 जुलाई 2014 तक वार्षिक तकनीकी प्रशिक्षण शिविर में भाग लिया । कैडेटों को नौसेना इंजीनियरी स्थापनाओं आई एन एस वालसुरा, शिवाजी और नेवल डॉकयार्ड, मुंबई पर शिक्षण दौरे के लिए ले जाया गया ।

13.1.8 **समुद्री यात्रा:** इस वर्ष से कैडेटों को समुद्री यात्राओं के अनुभव के लिए नौ सेना पोतों पर ले जाया गया। 27 सितंबर से 07 नवंबर 2014 की अवधि के दौरान 245 कैडेटों को समुद्री यात्राओं के लिए कोच्चि, चेन्नई, पोरबंदर और जामनगर ले जाया गया।

साहसिक प्रशिक्षण

13.19 **चिल्का में अखिल भारतीय नौका दौड़ (सेलिंग रिगेटा):** सभी एनसीसी निदेशालयों (जम्मू-कश्मीर निदेशालय को छोड़कर) से 48 वरिष्ठ प्रभाग तथा 48 वरिष्ठ स्कंध कैडेटों ने 11-18 नवम्बर 2014 तक आई

एन एस चिल्का में आयोजित अखिल भारतीय एनसीसी नौका दौड़ प्रतियोगिता में भाग लिया। बंग्ला देश एन सी सी के 01 अधिकारी और 06 कैडेटों ने भी इस दौड़ में भाग लिया ।

13.20 **नौकायन अभियान:** नौकायन अभियान नौसेना प्रशिक्षण का एक रोचक अंग होता है। प्रत्येक एन सी सी निदेशालय 12 दिन के लिए न्यूनतम एक नौकायन अभियान आयोजित करता है जिसमें कुल 400 से 500 किलोमीटर दूरी तय की जाती है। इस अभियान में प्रत्येक निदेशालय के 40 से 60 कैडेट भाग लेते हैं। वर्ष 2014-15 में विभिन्न एन सी सी निदेशालयों ने ऐसे 12 अभियान आयोजित किए।

13.21 **स्कूबा डाइविंग:** इस वर्ष 05 से 14 अगस्त 2014 तक कारवार में स्कूबा डाइविंग शिविर का आयोजन किया गया जिसमें 30 वरिष्ठ प्रभाग कैडेटों ने भाग लिया।

13.22 **पर्वतारोहण अभियान:** प्रति वर्ष राष्ट्रीय कैडेट कोर महानिदेशालय छात्रा और छात्र कैडेटों के लिए दो अभियान संचालित करता है। 20 वरिष्ठ प्रभाग/वरिष्ठ स्कंध कैडेट इन अभियानों में भाग लेते हैं। वर्ष 2014 में एनसीसी छात्र कैडेटों ने मई 2014 में भागीरथ-II पर चढ़ाई करने का प्रयास किया और सितंबर 2014 में छात्रा कैडेटों ने रूदुगेरा चोटी पर चढ़ाई की।

13.23 **ट्रेकिंग अभियान:** एनसीसी निदेशालयों द्वारा कुल 28 ट्रेकिंग अभियान किए गए जिनमें 14000 कैडेटों ने भाग लिया ।

13.24 **पेरा बेसिक पाठ्यक्रम:** प्रतिवर्ष 40 छात्र तथा 40 छात्रा कैडेटों को पेरा प्रशिक्षण स्कूल, आगरा में पेरा बेसिक पाठ्यक्रम में नामित किया जाता है। वर्ष 2014-15 में 40 वरिष्ठ प्रभाग तथा 40 वरिष्ठ स्कंध कैडेटों ने इस पाठयक्रम में भाग लिया।

13.25 **स्लिदरिंग:** वर्ष 2014-15 में 90 कैडेटों को स्लिदरिंग का प्रशिक्षण दिया गया और 20 वरिष्ठ प्रभाग तथा 20 वरिष्ठ स्कंध कैडेटों ने एनसीसी की प्रधानमंत्री रैली-2015 में स्लिदरिंग प्रदर्शन में भाग लिया।

13.26 **डेजर्ट कैमल सफारी:** डैजर्ट कैमल सफारी प्रतिवर्ष राजस्थान निदेशालय द्वारा जैसलमेर डेजर्ट में आयोजित किया जाता है। प्रशिक्षण वर्ष 2014-15 में 18 नवम्बर से 29 नवम्बर 2014 तक 20 भारतीय एनसीसी कैडेटों के साथ सिंगापुर के 02 अधिकारी तथा 10 कैडेट एवं कजाकिस्तान के 01 अधिकारी एवं 12 कैडेटों ने जैसलमेर में डेजर्ट कैमल सफ़ारी में भाग लिया।

युवा आदान–प्रदान कार्यक्रम (वाई ई पी)

13.27 **युवा आदान–प्रदान कार्यक्रम के अन्तर्गत विदेश दौरे:** वर्ष 2014-15 में युवा आदान-प्रदान कार्यक्रम के अंतर्गत 9 विदेश दौरे किए गए, जिनका विवरण इस प्रकार है :-

क्रम सं.	देश	अधिकारी	कैडेट
(क)	सिंगापुर	2	20
(ख)	रूस	2	25
(ग)	श्रीलंका - I	2	12
(घ)	श्रीलंका - II	1	6
(च)	भूटान	2	8
(छ)	बांग्लादेश	2	20
(ज)	वियतनाम	2	13
	कुल	13	104

13.28 **युवा आदान–प्रदान कार्यक्रम के अंतर्गत भारत में विदेशी प्रतिनिधि मंडलों द्वारा किए जाने वाले दौरे:** वर्ष 2014-15 में युवा आदान-प्रदान कार्यक्रम के अन्तर्गत विदेशी प्रतिनिधिमडलों द्वारा भारत में निम्नलिखित दौरे किए गए :

क्रम सं.	देश	अधिकारी	कैडेट
(क)	सिंगापुर एवं कजाकिस्तान एन सी सी कैडेटों द्वारा डेजर्ट सफारी के लिए	4	22
(ख)	बंगलादेश (सेलिंग रिगेटा)	1	6

(ग)	बंगलादेश (बेलगांव ट्रेक)	1	8
(घ)	श्री लंका (शिवाजी ट्रेल ट्रैक)	1	6
(च)	भूटान, कजाकिस्तान, बंगलादेश, सिंगापुर, नेपाल, श्रीलंका, वियतनाम और रुस से 08 प्रतिनिधिमंडलों ने गणतंत्र दिवस शिविर (आरडीसी) 2015 में भाग लिया	12	100
(छ)	बंगलादेश, नेपाल, श्रीलंका, सिंगापुर, कजाकिस्तान, वियतनाम भूटान और रुस मित्र देशों के युवा संगठनों के विभागाध्यक्ष	08	0
	कुल	27	142

सामाजिक सेवा एवं सामुदायिक विकास

13.29 **सामान्य:** कैडेटों में समुदाय के लिए नि:स्वार्थ सेवा, परिश्रम की गरिमा, स्वयं सहायता का महत्व,

वृक्षारोपण अभियान के दौरान कैडेट पौधा लगाते हुए

पर्यावरण सुरक्षा की आवश्यकता और समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान में सहायता करने की भावना पैदा करने के उद्देश्य से एनसीसी द्वारा समाज सेवा तथा सामुदायिक विकास के कार्य किए जाते हैं। ये कार्य प्रौढ़ शिक्षा, वृक्षारोपण, रक्तदान, वृद्धाश्रमों व अनाथालयों का दौरा करने, मलिन बस्तियों की सफ़ाई, ग्रामीण उत्थान एवं विभिन्न सामाजिक योजनाओं के अंतर्गत आयोजित कार्यक्रमों के माध्यम से किए जाते हैं। एनसीसी कैडेटों ने जिन बड़ी गतिविधियों में भाग लिया उनका विवरण आगामी अनुच्छदों में दिया गया है:

13.30 **वृक्षारोपण:** एनसीसी कैडेट पौधे लगाते हैं तथा बाद में संबंधित राज्य विभाग/कॉलेजों/स्कूलों और गाँवों के साथ मिल कर उनकी देखभाल करते हैं। इस वर्ष पर्यावरण सुरक्षा और संरक्षण अभियान के अंतर्गत एनसीसी कैडेटों ने देश भर में 1,61,889 लाख पौधे लगाए ।

13.31 **रक्तदान:** जब कभी सरकारी अस्पतालों को आवश्यकता होती है, एन सी सी कैडेट स्वेच्छा से रक्तदान करते रहे हैं। इस वर्ष एनसीसी के 16,043 कैडेटों ने स्वेच्छा से रक्तदान किया।

13.32 **वृद्धाश्रम:** पिछले वर्षों की तरह, इस वर्ष भी कैडेटों ने वृद्धाश्रमों को अपनी सेवाएं प्रदान की।

13.33 **एड्स जागरूकता कार्यक्रम:** एनसीसी कैडेट एड्स /एचआईवी के प्रति जागरूकता कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं और वे देश भर में एड्स जागरूकता कार्यक्रम चला रहे हैं। विभिन्न शिविरों के दौरान एच आई वी/एड्स पर व्याख्यान तथा बातचीत के दौर आयोजित किए जा रहे हैं।

13.34 **दहेज रोधी और कन्या–भ्रूण हत्या रोधी शपथ:** पूरे देश में एन सी सी कैडेटों ने दहेज रोधी और कन्या-भ्रूण हत्या रोधी शपथ ली। रैलियों और जागरुकता कार्यक्रमों में लगभग 30000 कैडेटों ने भाग लिया।

13.35 **नशा रोधी रैली:** देश के प्रमुख शहरों और कस्बों में लगभग 74,049 एनसीसी कैडेटों ने नशारोधी रैलियों में भाग लिया।

13.36 **पल्स पोलियो टीकाकरण:** एनसीसी कैडेटों ने राष्ट्रीय कार्यक्रम के अनुसार पूरे देश में सरकार द्वारा चलाए गए अनेक पोलियो उन्मूलन कार्यक्रमों में भाग

लिया । 46310 एनसीसी कैडेटों ने इनमें सक्रियता से भाग लिया।

13.37 **कुष्ठ रोधी अभियानः** एन सी सी कैडेटों ने पूरे देश में कुष्ठ रोधी अभियानों का आयोजन किया तथा वे इस क्षेत्र में विभिन्न स्वयं सेवी/सरकारी संगठनों की सहायता कर रहे हैं ।

13.38 **कैंसर जागरूकता कार्यक्रमः** लगभग 45,952 एन सी सी कैडेटों ने विभिन्न शहरों में आयोजित कैंसर जागरूकता कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से भाग लिया।

13.39 **तम्बाकू रोधी अभियानः** 31 मई 2014 को मनाए गए "तम्बाकू-रोधी दिवस (नो टोबेको डे)" पर सभी निदेशालयों के लगभग 19,675 कैडेटों ने बढ़-चढ़ कर भाग लिया। इस दिन तंबाकू के कुप्रभावों के बारे में आम जनता में जागरूकता फ़ैलाने के लिए सभी एनसीसी निदेशालयों में एनसीसी कैडेटों द्वारा विभिन्न रैलियों/ रोड शो/नाटकों का आयोजन किया गया ।

13.40 **गाँवों तथा मलिन बस्तियों को गोद लेनाः** एन सी सी ने देश के विभिन्न भागों में गाँवों व मलिन बस्तियों के उत्थान और सर्वांगीण विकास के लिए 1047 गांवो/मलिन बस्तियों को गोद लिया है। इससे एनसीसी कैडेटों को समाज के विभिन्न वर्गों और गांवों में रहने वाले लोगों के साथ जुड़ने का अवसर भी मिलता है।

13.41 **स्वच्छ भारत अभियानः** एनसीसी कैडेटों ने स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत "स्वच्छता अभियान" और "सेफ सेनिटेशन" जागरुकता अभियान आयोजित किए।

राष्ट्रीय स्तर पर खेल गतिविधियाँ

13.42 **एनसीसी राष्ट्रीय खेलः** एनसीसी के राष्ट्रीय खेल 07 अक्टूबर से 19 अक्टूबर, 2014 तक नई दिल्ली में आयोजित किए गए। एनसीसी राष्ट्रीय खेलों के एक भाग के रुप में 08 से 19 सितंबर, 2014 तक आसनसोल में निशानेबाजी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कुल 2100 कैडेटों ने फुटबॉल, हॉकी, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, एथलेटिक्स, खो-खो, कबड्डी और निशानेबाजी प्रतियोगिताओं में भाग लिया। एनसीसी निदेशालय पश्चिम बंगाल एवं सिक्किम इन प्रतियोगिताओं में विजयी रहे तथा एनसीसी निदेशालय ओडिशा रनर अप रहा।

13.43 **जवाहर लाल नेहरु हॉकी कप टूर्नामेंटः** एनसीसी की कनिष्ठ छात्र, कनिष्ठ छात्रा और उप कनिष्ठ छात्र श्रेणियों की टीमों ने प्रतिष्ठित जवाहर लाल नेहरु हॉकी टूर्नामेंट - 2014 में भाग लिया, जहाँ ये टीमें देश की कुछ सर्वश्रेष्ठ टीमों और कुछ विदेशी टीमों के साथ खेलीं।

13.44 **सुब्रतो कप फुटबॉल टूर्नामेंटः** एनसीसी की कनिष्ठ छात्र, कनिष्ठ छात्रा और उप कनिष्ठ छात्र टीमों ने प्रतिष्ठित सुब्रतो कप फुटबॉल टूर्नामेंट - 2014 में भाग लिया, जहां ये टीमें देश की कुछ सर्वश्रेष्ठ टीमों और कुछ विदेशी टीमों के साथ खेलीं। महाराष्ट्र निदेशालय की उप कनिष्ठ छात्र, उत्तर-पूर्वी क्षेत्र कनिष्ठ छात्र टीम क्वाटर फाइनल तक पहुँची और उत्तर-पूर्वी क्षेत्र निदेशालय कनिष्ठ छात्रा टीम टूर्नामेंट के सेमी फाइनल में पहुँची ।

13.45 **अखिल भारतीय जीवी मावलंकर निशानेबाजी प्रतियोगिताः** गोली चालन एनसीसी की प्रशिक्षण गतिविधियों में एक प्रमुख गतिविधि हैं। एनसीसी खेल गतिविधियों में निशानेबाजी एक विशेष रोचक स्थान रखती है। एनसीसी निशानेबाजी टीमें पिछले कई वर्षों से अच्छा प्रदर्शन कर रही है और इस वर्ष 43 कैडेटों ने इसमें भाग लिया। इन्होंने 24वीं अखिल भारतीय जीवी मावलंकर निशानेबाजी चैंपियन प्रतियोगिता-2014 में 03 स्वर्ण, 03 रजत और 04 कांस्य पदक जीते।

13.46 **राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियन प्रतियोगिताः** प्रतिवर्ष एनसीसी निशानेबाजी टीमें प्रतिष्ठित राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियन प्रतियोगिता में भाग लेती है। इस वर्ष 12 से 24 दिसंबर 2014 के दौरान यह प्रतियोगिता आयोजित की गई और 26 एनसीसी निशानेबाज 58वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप प्रतियोगिता के लिए चुने गए। टीम ने कांस्य पदक जीता।

14

मित्र देशों के साथ रक्षा सहयोग

स्पेन के रक्षा मंत्री की अगुवाई में प्रतिनिधि मंडल की बैठक

रक्षा सहयोग मित्र देशों के साथ हमारे द्विपक्षीय सहयोग को सुदृढ़ करने और हमारे विदेशी नीतिगत उद्देश्यों को पूरा करने के लिए रणनीति का एक महत्वपूर्ण भाग है।

14.1 रक्षा सहयोग मित्र देशों के साथ हमारे द्विपक्षीय सहयोग को सुदृढ़ करने और हमारे विदेश नीतिगत उद्देश्यों को पूरा करने के लिए रणनीति का एक महत्वपूर्ण भाग है। इसमें रक्षा मंत्रालय और सशस्त्र सेनाओं द्वारा युद्ध स्थितियों से बचने, विश्वास बहाली और उसे बनाए रखने तथा संघर्ष निवारण और समाधान के लिए महत्वपूर्ण योगदान देने संबंधी कार्यकलाप शामिल हैं। रक्षा सहयोग संबंधी कार्यकलापों को मित्र देशों के साथ निर्णीत द्विपक्षीय रक्षा सहयोग समझौता ज्ञापन/करारों के भाग के रूप में या भारत और मित्र देशों की सिविलियन और सैन्य रक्षा स्थापनाओं के बीच वार्ताओं के लिए संरचित तंत्र के भाग के रूप में या समग्र रक्षा और सुरक्षा प्रयोजनों के अनुसरण में विदेशों को शामिल करने की आवश्यकताओं से उत्पन्न विशेष मामला–दर–मामला आधार पर किया जाता है। रक्षा सहयोग कार्यकलापों के वर्तमान स्वरग्राम में उच्च स्तरीय रक्षा संबंधी दौरे, संयुक्त अभ्यास, प्रशिक्षण, सेना से सेना के बीच वार्ताएं संरचित मंचों इत्यादि के जरिए वार्ताएं शामिल हैं।

14.2 भारत ने **अफगानिस्तान** को उसकी सुरक्षा स्थिति को स्थिर बनाने के लिए अपने प्रयासों को जारी रखा। भारत अफगानिस्तान राष्ट्रीय सेना (ए एन ए) को सैन्य प्रशिक्षण कार्यक्रमों, चिकित्सा प्रशिक्षण और चिकित्सा सहायता के जरिए इसकी क्षमता निर्माण में सहायता करता रहा है। जनरल करीमी, अफगानिस्तान राष्ट्रीय सेना (ए एन ए) प्रमुख ने अगस्त 2014 में भारत का दौरा किया था। श्री ई. नाजरी, प्रथम उप रक्षा मंत्री के नेतृत्व में एक 10 सदस्यीय सामरिक समूह ने 10–20 नवम्बर, 2014 को भारत का दौरा किया था। जनरल करीमी, सीजीएस, ए एन ए ने आईएमए, देहरादून में पासिंग आउट परिड़ का निरीक्षण करने के लिए 11–13 दिसम्बर, 2014 को पुनः भारत का दौरा किया था।

14.3 बांग्लादेश के साथ रक्षा सहयोग को उच्च स्तरीय द्विपक्षीय दौरों और रक्षा संबंधी प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आदान–प्रदान द्वारा सुदृढ़ बनाया गया है। बांग्लादेश की सशस्त्र सेनाओं के सिद्धान्तों को समझने और सहयोग के क्षेत्रों की तलाश करने के लिए सेना, नौसेना और वायु सेना के बीच वार्षिक स्टाफ वार्ताओं के अवसर प्रदान किए गए हैं। नौसेना प्रमुख (सीएनएस) एडमिरल आर के धवन ने 16–19 फरवरी, 2015 को बांग्लादेश का दौरा किया। बांग्लादेशी वायु सेना प्रमुख एयर मार्शल मुहम्मद इनामुल बरी ने 17–20 सितम्बर, 2014 को भारत की यात्रा की थी। दोनों सेनाओं के बीच संयुक्त अभ्यासों को सिल्हेट में आयोजित किया गया। एयर मार्शल एस.बी.देव, ए ओ सी–इन–सी, पूर्वी वायु कमान द्वारा बांग्लादेशी वायु सेना को ढ़ाका में फरवरी, 2015 को उपहार के रूप में एक डेकोटा एयर फ्रेम सौंपा गया।

14.4 भारत के भूटान के साथ घनिष्ठ रक्षा संबंध हैं जो वर्षों से परिपक्व हैं और विश्वास तथा समझौते के द्वारा चित्रित हैं। इसमें भूटानी सशस्त्र सेना के कार्मिकों को प्रशिक्षण देना और रक्षा आधारभूत संरचना को सुदृढ़ बनाना शामिल है। जनरल दलवीर सिंह सुहाग, सेनाध्यक्ष ने 31 अक्टूबर से 2 नवम्बर 2014 को भूटान का दौरा किया और अपनी यात्रा के दौरान भूटान के प्रधानमंत्री, भूटान नरेश और अपने समकक्ष के साथ मुलाकात की।

14.5 वर्ष 2014 को 'पारस्परिक आदान–प्रदान वर्ष' के रूप में घोषित करके चीन के साथ रक्षा सहयोग को और सुदृढ़ बनाया गया है। जनरल बिक्रम सिंह,

सेनाध्यक्ष ने चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के रूप में अपनी हैसियत से 2–5 जुलाई, 2014 को चीन का सद्भावना दौरा किया था। 6ठी वार्षिक रक्षा वार्ता 22–25 फरवरी, 2014 को नई दिल्ली में आयोजित की गई। भारत की ओर से प्रतिनिधिमण्डल का नेतृत्व श्री आर.के.माथुर रक्षा सचिव द्वारा और चीनी प्रतिनिधिमण्डल का नेतृत्व लेफ्टिनेंट जनरल वांग गुसांगझोंग, चाइनीज पीपुल लिबरेशन आर्मी के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ द्वारा किया गया।

14.6 2014 में चीन की ओर से भारत को किए गए रक्षा आदान–प्रदान में लेफ्टिनेंट जनरल क्यूई जेन्गुओ उप सीजीएस (एम ओ) के नेतृत्व में 22–23 अप्रैल, 2014 को 8 सदस्यीय सीमा प्रतिनिधिमण्डल का दौरा शामिल है। लेफ्टिनेंट जनरल झू फक्सी, राजनैतिक कमिसार सीएमएसी के नेतृत्व में 8 सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डल ने 22–26 सितम्बर, 2014 को भारत का दौरा किया था। मेजर जनरल ही हेंगजुन उप प्रमुख कार्मिक जनरल राजनैतिक विभाग के नेतृत्व में 25 सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डल ने 20–25 दिसम्बर, 2014 को भारत की यात्रा की। सीनियर कर्नल चुवीवी के नेतृत्व में 12 सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डल ने 11–13 अगस्त, 2014 को दौरा किया। सीनियर कर्नल जेंग येंशेंग, सूचना ब्यूरो प्रमुख, राष्ट्रीय रक्षा मंत्रालय के नेतृत्व में 6 सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डल ने 2–5 जुलाई, 2014 को दौरा किया था। जनरल झांग यूक्सिया, निदेशक जनरल आयुध विभाग वीएलए ने 27 फरवरी से 2 मार्च 2015 को भारत का दौरा किया था।

14.7 भारत की ओर से चीन को आदान–प्रदान में रियर एडमिरल एस.एन. घोरमडे एसीओपी (एचआरडीए) के नेतृत्व में 2 सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डल शामिल है जिसने क्विंगदाओ में 21–24 अप्रैल, 2014 को आयोजित की गई डब्ल्यु पीएनएस संगोष्ठी में भाग लिया था। आईएनएस शिवालिक ने क्विंगदाओ बंदरगाह पर 21–24 अप्रैल, 2014 को पोर्ट काल किया। रियर एडमिरल आर जे नादकर्णी के नेतृत्व में 2 सदस्यीय नौसेना प्रतिनिधिमण्डल ने 9–12 दिसम्बर, 2014 को दौरा किया था। एयर कोमोडोर एस के विधाते के नेतृत्व में 5 सदस्यीय वायु सेना प्रतिनिधिमंडल ने 22–25 जुलाई, 2014 को यात्रा की थी। मेजर जनरल अमरजीता सिंह बेदी, जीओसी, 3 पैदल सेना डिवीजन के नेतृत्व में 8 सदस्यीय सेना प्रतिनिधिमण्डल ने 21–24 अक्टूबर , 2014 को दौरा किया था। लेफ्टिनेंट जनरल एमएसराय जीओसी, पूर्वी कमान के नेतृत्व मे 8 सदस्यी सेना प्रतिनिधिमण्डल ने 10–14 नवम्बर, 2014 को दौरा किया था। ब्रिगेडियर सान्याल कुमार के नेतृत्व में 15 सदस्यीय त्रिसेना युवा अफसर स्तरीय प्रतिनिधिमण्डल ने 19–22 अगस्त, 2014 को दौरा किया।। पीएल के साथ संयुक्त अभ्यास 'हाथ में हाथ' चीन में 16–27 नवम्बर, 2014 को आयोजित किया गया।

14.8 स्वतंत्रता से ही मिश्र के साथ भारत के खुशहाल संबंध हैं। संयुक्त रक्षा समिति (जेडीसी) की 5वीं बैठक कैरो, मिश्र में 12–13 जनवरी, 2015 को आयोजित की गईं थी। श्री अनूप चंद्र पांडेय, अपर सचिव के नेतृत्व में भारतीय प्रतिनिधिमण्डल और ब्रिगेडियर तौफीक खालिद सईद, संक्रिया प्राधिकरण में योजना शाखा प्रमुख ने मिश्र पक्ष का नेतृत्व किया। रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार ने नवम्बर 2014 में मिश्र का दौरा किया था और उनकी यह यात्रा फलदायी रही। मिश्र सेना के सैन्य प्रशिक्षण कालेज के छह सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डल ने 7–13 अप्रैल, 2014 को सीएमई, पूणे का दौरा किया था।

14.9 भारत और फ्रांस ने सौहार्द और पारस्परिक लाभकारी रक्षा संबंधों को साझा करना जारी रखा है। श्री जीन्स–येवीस ली ड्रियन, रक्षा मंत्री, फ्रांस ने 01 दिसम्बर, 2014 को और पुनः 24 फरवरी, 2015 को भारत का दौरा किया था। फ्रांस वायु सेना प्रमुख और फ्रांस नौसेना प्रमुख क्रमशः जून, 2014 और नवम्बर, 2014 को भारत की यात्रा पर आए थे। संयुक्त वायु सेना अभ्यास गरूड़ का 2–13 जून, 2014 को भारत में आयोजन किया गया। रक्षा सहयोग पर उच्च समिति की बैठक में भाग लेने के लिए रक्षा सचिव के

नेतृत्व में भारत प्रतिनिधिमण्डल ने 11–13 जनवरी, 2015 को फ्रांस का दौरा किया था।

14.10 भारत जर्मनी के साथ मैत्रीपूर्ण रक्षा संबंधों को साझा करता है। डा. राल्फ ब्रौक्स्पी, संसदीय स्टेट सचिव ने 7वीं उच्च रक्षा समिति (एचडीसी) की बैठक में भाग लेने के लिए 9–10 जुलाई, 2014 को भारत का दौरा किया था। भारतीय पक्ष की ओर से रक्षा सचिव द्वारा एचडीसी की बैठक की सह–अध्यक्षता की गई।

14.11 इंडोनेशिया के साथ भारत के संबंध सौहार्दपूर्ण बने हुए है। भारतीय नौसेना और इंडोनेशियोई नौसेना के बीच 23वें समन्वित गश्त का चक्र कोरपेट 9–29 सितम्बर, 2014 को आयोजित किया गया था। वायु सेना प्रमुख (सीओएएस) ने नवम्बर, 2014 को इंडोनेशिया का दौरा किया था। 4वीं सेना से सेना के बीच वार्ताएं 11–13 फरवरी, 2015 के बीच नई दिल्ली में आयोजित की गई थीं।

14.12 इजराइल के साथ भारत के रक्षा संबंध सौहार्द और मैत्रीपूर्ण रहे हैं। इजराइल–भारत संयुक्त कार्यकारी समूह (जेडब्ल्युजी) की 11वीं बैठक 30 जून, 2014 को तेल अवीव में आयोजित की गई थी। भारतीय प्रतिनिधिमण्डल का नेतृत्व रक्षा सचिव द्वारा किया गया। जबकि इजराइली प्रतिनिधिमण्डल का नेतृत्व मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) डेन हारेल, महानिदेशक, रक्षा मंत्रालय इजराइल द्वारा किया गया। इजराइल के रक्षा मंत्री श्री मोशे (बोगी) यालोन ने बेंगलूरू में आयोजित एयरो इंडिया– 2015 का दौरा किया और रक्षा सहयोग को और सुदृढ़ बनाने के लिए रक्षा मंत्री के साथ वार्ताएं की। उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री से भी मुलाकात की थी।

14.13 मलेशिया के साथ भारत के रक्षा संबंध सोहार्दपूर्ण बने हुए हैं। मलेशिया के साथ सेना स्टाफ से सेना स्टाफ के बीच वार्ताओं का 5वां चक्र 27–28 नवम्बर, 2014 को मलेशिया में आयोजित किया गया था।

14.14 मालदीव के साथ रक्षा सहयोग दोनों देशों के साझा समुद्रीय सुरक्षा विषयों द्वारा निर्देशित हैं। मालदीव गणराज्य के रक्षा मंत्री श्री मोहम्मद नाजिम ने 20–23 अक्टूबर, 2014 को भारत का दौरा किया था और रक्षा मंत्री से मुलाकात की। सेनाध्यक्ष जनरल बिक्रम सिंह ने 8–10 मई, 2014 को मालदीव की यात्रा की थी। संयुक्त सेना अभ्यास एकुवेरिन 17–30 नवम्बर, 2014 को आयोजित किया गया था। भारत ने मानदीव को मालदीव की राष्ट्रीय रक्षा सेनाओं के कार्मिकों को प्रशिक्षण प्रदान करने में सहायता देना जारी रखा है।

14.15 माले में अलवणीकरण संयंत्र के ब्रेकडाउन से उत्पन्न हुए ताजे जल के संकट पर काबू पाने के लिए आपरेशन नीर को प्रारंभ किया था। नौसेनाध्भारतीय तटरक्षक और वायु सेना ने दिसम्बर, 2014 में मालदीव को पैकेज्ड ताजा जल पहुंचाया 'कोरल क्राफ्ट' नौका जो 30 समुद्रीमील बा अटोल के पश्चिम में फंसी थी, को तलाश और बचाव के लिए एक डार्नियर प्रदान कर भारतीय तटरक्षक द्वारा एसएआर सहायता भी दी गई।

14.16 मंगोलिया के साथ हमारे द्विपक्षी संबंध मैत्रीपूर्ण सौहार्दपूर्ण और शांत रहे हैं। भारतीय सेना और मंगोलियाई सशस्त्र सेनाओं के बीच 10वाँ संयुक्त अभ्यास एक्स–नोमेडिक एलीफेंट 26 जनवरी से 3 फरवरी, 2015 को भारत में आयोजित किया गया था।

14.17 मारीशस के साथ भारत के ऐतिहासिक घनिष्ठ संबंध हैं। दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को प्रशिक्षणों , यात्राओं का आदान–प्रदान, हाइड्रोग्राफी, भारतीय पोतों द्वारा पोर्ट आहवान, रक्षा परिसंपत्तियों का परिनियोजन इत्यादि के जरिए सुदृढ़ बनाया गया है। नौसेना प्रमुख एडमिरल आर के धवन ने 19–22 जनवरी, 2015 को मारीशस का दौरा किया था। श्री डी.आई. रामप्रकाश, पुलिस आयुक्त, मारीशस ने 29 सितम्बर, 2014 को भारत की यात्रा की थी। भारतीय

नौसेना प्रत्येक वर्ष 12 मार्च को मारीशस के स्वतंत्रता दिवस समारोहों में भाग लेती है। जीआरएसई, कोलकाता में निर्मित ओपीवी बाराकुडा फरवरी, 2015 में शामिल होने के लिए तैयार है।

14.18 म्यांमार के साथ रक्षा सहयोग को 2014 के दौरान सुदृढ़ किया गया। म्यांमार के रक्षा कार्मिकों को भारत में प्रशिक्षण दिया गया और रक्षा सेना अकादमी म्यांमार में भारतीय प्रशिक्षकों द्वारा अंग्रेजी का विशेष प्रशिक्षण प्रदान किया गया था। नौसेना से नौसेना के बीच संयुक्त अभ्यास 13–20 फरवरी, 2014 को आयोजित किया गया था। प्रशिक्षण पोत आईएनएस तरंगिणी और सीजीएस विजया ने यंगून बंदरगाह पर डेरा डाल कर मुलाकात की थी। 5वीं क्षेत्रीय सीमा बैठक लिमाखोंग, भारत में 24–26 जुलाई, 2014 को आयोजित की गई थी और 6ठी क्षेत्रीय सीमा बैठक कल्ले, म्यांमार में 4–6 फरवरी, 2015 को आयोजित की गई थी। बैठकों ने दोनों देशों के मध्य लम्बी सीमा के प्रबंधन में विशेष रूप से रक्षा सहयोग को और सुदृढ़ किया।

14.19 भारत नेपाल के साथ मजबूत रक्षा संबंध रखता है। प्रत्येक वर्ष भारत में नेपाल के असंख्य रक्षा कार्मिक प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। सेनाध्यक्ष जनरल दलवीर सिंह ने 12–15 नवम्बर, 2014 को नेपाल का दौरा किया। नेपाल के सेनाध्यक्ष, ले. जनरल एसजेबी राणा ने 11–17 जून, 2014 को भारत का दौरा किया। तीसरा बटालियन स्तर का सेना अभ्यास का आयोजन 17–31 अगस्त, 2014 को पिथौरागढ़ में किया गया।

14.20 नेपाल के अपने दौरे के दौरान, भारत के प्रधानमंत्री ने 26 नवम्बर, 2014 को नेपाली सेना के प्रयोग हेतु नेपाल के प्रधानमंत्री को 1 एएलएच सौंपा।

14.21 भारत और **नाइजीरिया** मित्रवत संबंधों को साझा करते हैं। संयुक्त रक्षा समिति की दूसरी बैठक 7 मई, 2014 को अबूजा, नाइजीरिया में आयोजित की गई। सुश्री स्मिता नागराज, संयुक्त सचिव (पीआईसी) ने भारतीय प्रतिनिधिमण्डल का नेतृत्व किया। वर्ष के दौरान, भारत के विभिन्न रक्षा संस्थाओं के प्रशिक्षण कार्यक्रमों में नाइजीरिया के रक्षा कार्मिकों ने हिस्सा लिया।

14.22 भारत ओमान के साथ सौहार्दपूर्ण रक्षा संबंध रखता है। 7वीं भारत ओमान संयुक्त सैन्य सहयोग समिति (जेएमसीसी) की बैठक 29–30 जनवरी, 2014 को नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। भारतीय पक्ष का नेतृत्व, श्री आर.के माथुर, रक्षा सचिव के द्वारा किया गया जबकि मि. मोहम्मद–बिन–नासेर एएल–रश्बी, महासचिव, ओमान के सल्तनत ने ओमानी प्रतिनिधिमण्डल का नेतृत्व किया। 6ठी एयर टू एयर बातचीत 1–2 मई, 2014 को नई दिल्ली में आयोजित की गई।

14.23 कतार के साथ हमारे संबंध मैत्रीपूर्ण हैं। चौथी भारत–कतार संयुक्त रक्षा समिति (जेडीसी) की बैठक 6 जनवरी, 2015 को नई दिल्ली में आयोजित की गई। भारतीय पक्ष का नेतृत्व श्री नवीन के.चौधरी, संयुक्त सचिव (पीआईसी) के द्वारा किया गया और कतार पक्ष का नेतृत्व ब्रिगे.मोहम्मद महमूद ए. अलसोवैदी, निदेशक , अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग, कतार सशस्त्र सेना, कतार राज्य के रक्षा मंत्री के द्वारा किया गया।

14.24 भारत और रूस आपसी विश्वास और समझ के आधार पर दीर्घकालीन स्थायी रक्षा संबंधों को साझा करते हैं। रूस एकमात्र देश है जिस के

रूस के रक्षा मंत्री और सेना प्रमुख तथा भारत के रक्षा मंत्री समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करते हुए

साथ भारत दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों की स्तर पर एक संस्थाकृत वार्षिक रक्षा सहयोग रखता है। सैन्य तकनीक सहयोग संबंधी भारत–रूस अन्तर शासकीय आयोग की 14वीं बैठक 21 जनवरी, 2015 को नई दिल्ली में आयोजित की गई। रक्षा मंत्री और मि. एस.के. शोइगू, रूस फेडरेशन के रक्षा मंत्री के द्वारा इस बैठक की अध्यक्षता साथ–साथ की गई। 14वीं आईआरआईजीसी–एमटीसी की बैटक के समापन के बाद दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों ने एक प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए। इस दौरे के दौरान, दोनो पक्षों ने उड़ान सुरक्षा में सहयोग संबंधी करार पर हस्ताक्षर भी किए। रूस के राष्ट्रपति और भारत के प्रधान मंत्री के बीच वार्षिक शिखर बैठक की तर्ज पर 11 दिसम्बर, 2014 को रूसी फेडरेशन के रक्षा मंत्रालय के सैन्य शैक्षिक स्थापनाओं में भारतीय सशस्त्र सेना के कार्मिकों के प्रशिक्षण हेतु एक करार पर भी हस्ताक्षर किए।

14.25 रूस के उपप्रधान मंत्री दमित्री कोगोजन ने भारत का दौरा किया और 18 जून, 2014 के अपने दौरे के दौरान रक्षा मंत्री से मिले और द्विपक्षीय सैन्य तकनीक सहयोग मुद्दे पर चर्चा की। भारत–रूस की उच्च स्तरीय मॉनीटरिंग समिति की 7वीं बैठक 5 जून, 2014 को नई दिल्ली में आयोजित की गई। इस बैठक की अध्यक्षता रक्षा सचिव और मि. एलेक्जेन्डर वी. फोमिन, निदेशक, एफएसएमटीसी, रूस के द्वारा साथ–साथ की गई।

14.26 सितम्बर–अक्टूबर, 2014 को रूस में दोनो पक्षों की सेनाओं के बीच संयुक्त अभ्यास इन्द्रा का आयोजन किया गया था, संयुक्त नौसेना अभ्यास का आयोजन जुलाई, 2014 में किया गया और संयुक्त वायुसेना अभ्यास एविया इन्द्रा का आयोजन 25 अगस्त–5 सितम्बर, 2014 के दौरान रूस में और 17–28 नवम्बर, 2014 के दौरान भारत में किया गया। पहली बार, भारतीय सेना ने जुलाई–अगस्त, 2014 को रूस में आयोजित टैंक बियथलोन में हिस्सा लिया। भारत ने अपर सचिव स्तर पर मई, 2014 को आयोजित मास्को सुरक्षा सम्मेलन में भी हिस्सा लिया।

14.27 भारत और सेशल्स उच्च स्तरीय दौरों द्वारा चिन्हित नजदीकी रक्षा संबंध, प्रशिक्षण आदान–प्रदान, रक्षा परिसंपत्तियों की आपूर्ति, हाइड्रोग्राफी आदि रखते हैं। सेना–सेना अभ्यास 'एलएएम आईटीवाईई' द्विवार्षिक रूप से आयोजित की जाती है। आइएनएस सुकन्या और आईएनएस त्रिशूल ने 2014 में पोर्टकाल की। एडमिरल आर.के. धवनय सीएनएस ने नवम्बर, 2014 में सेशल्स का दौरा किया और पुनः मरम्मत के बाद आईएनएस तरासा को सौंपा। आईएनपोत ने सेशल्स राष्ट्रीय दिवस समारोह में हिस्सा लिया।

14.28 हाल ही के वर्षों के दौरान भारत और सिंगापुर के मध्य रक्षा संबंध तेजी से बढ़ रहे हैं। डॉ. एनजी ईएनजी हेन, सिंगापुर के रक्षा मंत्री ने भारत का दौरा किया और 19 अगस्त, 2014 को रक्षा मंत्री से मिले तथा द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर फलदायी चर्चा हुई। 9वीं भारत–सिंगापुर रक्षा नीति वार्ता (डीपीडी) 4 सितम्बर, 2014 को सिंगापुर में आयजित की गई। रक्षा सचिव ने भारतीय प्रतिनिधिमण्डल का नेतृत्व किया जबकि सिंगापुर प्रतिनिधिमण्डल का नेतृत्व मि. चान येंग किट, स्थायी रक्षा सचिव, रक्षा मंत्रालय, सिंगापुर द्वारा किया गया था। 10वीं नौसेना–से–नौसेना स्टाफ बातचीत नई दिल्ली में 10 से 12 नवम्बर, 2014 को हुई। सेना–से–सेना बातचीत 21–23 जनवरी, 2015 को भारत में हुई।

14.29 श्रीलंका के साथ रक्षा आदान–प्रदान में प्रशिक्षण आदान–प्रदान संयुक्त अभ्यास और उच्च स्तरीय द्विपक्षीय दौरे शामिल हैं। एयर मार्शल अरूप के.राहा. सीएएस ने 15–18 जुलाई, 2014 को श्रीलंका का दौरा किया। वाइस एडमिरल जयन्त पेरेरा, सीएनएस श्रीलंका ने 26–29 अक्टूबर, 2014 को भारत का दौरा किया। दोनों देशों की सेनाओं और नौसेनाओं द्वारा संयुक्त अभ्यास संचालित किए गए। भारतीय तटरक्षक, श्रीलंका तटरक्षक और मालदीव राष्ट्रीय रक्षा फोर्स

का द्विपक्षीय अभ्यास 'दोस्ती' का संचालन 28–31 अक्टूबर, 2014 को मालदीव में किया गया। सेना, नौसेना और वायु सेना द्वारा उनके प्रतिपक्ष के साथ स्टाफ बातचीत आयोजित की गई थी।

14.30 द्वितीय वार्षिक रक्षा वार्ता अक्टूबर, 2014 को कोलम्बो में आयोजित की गई थी। भारतीय पक्ष का नेतृत्व श्री आर.के माथुर, रक्षा सचिव के द्वारा किया गया था और श्रीलंका पक्ष का नेतृत्व श्री गोटाबाया राजपक्ष, श्रीलंका के रक्षा सचिव के द्वारा किया गया। इस तंत्र से श्री लंका के रक्षा सहयोग को और मजबूत किया है।

14.31 भारत के **तन्जानिया** के साथ परम्परागत रूप से घनिष्ठ संबंध हैं। मि. हुसैन अली एमविन्यी, तन्जानिया के रक्षा मंत्री ने 17–22 फरवरी, 2015 को बैंगलूर में आयोजित एयरो इण्डिया–2015 का दौरा किया और दोनों देशों के बीच सतत रक्षा सहयोग पर रक्षा मंत्री के साथ चर्चा की।

14.32 **थाईलैण्ड** के साथ रक्षा सहयोग आगे बढ़ रहा है। तीसरी भारत–थाईलैण्ड रक्षा वार्ता 8 मई, 2014 को नई दिल्ली में आयोजित की गई। श्री ए.के. विश्नोई, अपर सचिव ने भारतीय पक्ष का नेतृत्व किया जबकि एयर चीफ मार्शल सोंगताम चोक्कानापिटग, रक्षा उप स्थायी सचिव, रक्षा मंत्रालय थाईलैण्ड ने थाई प्रतिनिधिमण्डल का नेतृत्व किया। दौरा करने वाले उच्च अधिकारियों ने रक्षा सचिव को भी बुलाया। जनरल तानासक पतिमा प्रकोर्न, चीफ ऑफ डिफेन्स फोर्सेज रायल थाई सशस्त्र सेना ने भारत का दौरा किया और 30 जून, 2014 को रक्षा मंत्री से मिले। भारतीय नौसेना और रायल थाई नौसेना के बीच 19वीं साइकिल ऑफ को आर्डिनेटेड पेट्रोल (सीओआरपीएटी) नवम्बर, 2014 में आयोजित की गई। सेना–से–सेना अन्तःक्रियाएं सन्तोषजनक तरीके से चल रही हैं। 5वीं एयर–टू–एयर स्टाफ बात–चीत 9–11 सितम्बर, 2014 को नई दिल्ली में आयोजित की गई। 7वीं नौसेना से नौसेना स्टाफ बातचीत 14–15 जनवरी, 2015 को थाईलैण्ड में आयोजित की गई थी।

14.33 7वीं भारत–यूएई संयुक्त रक्षा सहयोग समिति (जेडीसीसी) की बैठक 15 दिसम्बर, 2014 को नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। बैठक की अध्यक्षता श्री नवीन के. चौधरी, संयुक्त सचिव (वीआईसी) और ब्रिगे. मोहम्मद मुराद हुसैन अल बलौशी, संयुक्त संभारी तंत्र कमान्डर, जीएचक्यू सशस्त्र सेना यूएई के द्वारा साथ–साथ की गई।

14.34 भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच द्विपक्षीय रक्षा सहयोग वार्ता 1995 में श्रक्षा परामर्शदायी ग्रुपश (डीसीजी) के लिए विचारार्थ विषय पर हस्ताक्षर होने के साथ आयोजित की गई थी। तब से, भारत और यू.के. के बीच रक्षा संबंध तीव्रगति से बढ़ रहे हैं। दोनों देशों के बीच रक्षा उत्पादन हेतु उच्च स्तरीय दौरें प्रशिक्षण और विशेषज्ञ आदान–प्रदान और संयुक्त परियोजनाओं का नियमित आदान–प्रदान होता है।

14.35 रक्षा सचिव ने यू.के. के भारतीय प्रतिनिधिमण्डल का नेतृत्व 11–12 फरवरी, 2015 को डीसीजी की बैठक में हिस्सेदारी लेने के लिए किया। भारतीय सेना ने 17–26 अक्टूबर, 2014 को यू.के. के एक्सरसाइज कैम्ब्रियन पैट्रोल में हिस्सा लिया। वायु सेनाध्यक्ष ने सितम्बर, 2014 में यू.के. का दौरा किया और यू.के. सेनाध्यक्ष ने 8–10 फरवरी, 2015 को भारत का दौरा किया।

14.36 भारत के **संयुक्त राज्य अमेरिका** (यूएसए) के साथ रक्षा संबंध दोनों देशों के बीच सीमा सामरिक भागीदारी के महत्वपूर्ण तत्व हैं। सैन्य सहयोग क्रियाकलापों के नियमित संचालन , विशेषज्ञ आदान–प्रदान, उच्चस्तरीय दोरों का आदान–प्रदान, रक्षा अनुसंधान में सहयोग और संयुक्त अभ्यासों के नियमित संचालन के माध्यम से द्विपक्षीय रक्षा सहयोग में प्रगति हो रही है।

14.37 अगस्त, 2014 में रक्षा सचिव चुक हैगल के भारत के दौरे के दौरान, दोनो पक्ष अनूठी और विशिष्ट रक्षा तकनीक के सह–विकास और सह–उत्पादन हेतु परियोजनाओं की पहचान करने के लिए और दोनो

पक्षों संबंधी कार्रवाई मुद्दों का निवारण करने के लिए रक्षा प्रौद्योगिकी और ट्रेड पहल (डीटीटीआई) की स्थापना करने पर सहमत हो गए। डीटीडीआई समूह की अध्यक्षता भारतीय पक्ष के सचिव (रक्षा उत्पादन) और अमेरिकी पक्ष के मि.फ्रैंक केन्डल, अवर सचिव (अधिग्रहण प्रौद्योगिकी और संभारी तंत्र) ने साथ–साथ की। इस समूह की दौ बैठकें अमेरिका में सितम्बर, 2014 में और भारत में जनवरी, 2015 में आयोजित की गई हैं।

14.38 श्युद्ध अभ्यासश नामक एक संयुक्त सेना अभ्यास 17–30 सितम्बर, 2014 को संयुक्त राज्य अमेरिका में आयोजित किया गया था। भारतीय नौसेना ने 25 जून–1 अगस्त, 2014 को हवाई में आरआईएनपीएसी अभ्यास में भी हिस्सा लिया। संयुक्त नौ सेना अभ्यास मालाबार 27–30 जुलाई, 2014 को जापान के अपतट पर किया गया। जापान ने भी इस अभ्यास में हिस्सा लिया।

14.39 रक्षा सचिव ने रक्षा नीति समूह की बैठक में हिस्सा लेने के लिए 28–29 अक्तूबर, 2014 को संयुक्त राज्य अमेरिका के भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया। दोनों पक्षों ने 22 जनवरी, 2015 को नई दिल्ली में अनुसंधान, विकास प्रौद्योगिकी और मूल्यांकन (आरडीटीएण्डई) करार पर हस्ताक्षर किए।

14.40 भारत और **वियतनाम** के संबंध मैत्रीपूर्ण और सौहार्दपूर्ण रहे हैं। वियतनाम के साथ संयुक्त कार्यकारी समूह की दूसरी बैठक 19–20 जून, 2014 को वियतनाम में आयोजित की गई थी। सुश्री स्मिता नागराज, संयुक्त सचिव (पीआईसी) ने भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया जबकि मेजर जनरल वीयू चियन थांग, महानिदेशक, विदेश संबंध विभाग ने वियतनाम प्रतिनिधिमण्डल का नेतृत्व किया। संयुक्त कार्यकारी समूह की तीसरी बैठक 15 जनवरी, 2015 को नई दिल्ली में आयोजित की गई। 9वीं भारत वियतनाम सुरक्षा वार्ता 16 जनवरी, 2015 को नई दिल्ली में आयोजित की गई। रक्षा सचिव ने भारतीय प्रतिनिधिमण्डल का नेतृत्व किया जबकि कर्नल जनरल नगूपेन चीविंह, रक्षा उप मंत्री ने वियतनाम प्रतिनिधिमण्डल का नेतृत्व किया।

15

समारोह और अन्य कार्यकलाप

गणतंत्र दिवस समारोह

रक्षा मंत्रालय स्वायत्त संस्थाओं को नियमित रूप से आर्थिक सहायता देकर अकादामिक तथा साहसिक दोनों प्रकार के कार्यकलापों को प्रोत्साहन देता है।

15.1 रक्षा मंत्रालय स्वायत्त संस्थाओं को नियमित रूप से आर्थिक सहायता देकर अकादामिक तथा साहसिक दोनों प्रकार के कार्यकलापों को प्रोत्साहन देता है। ये संस्थाएं हैं :

(i) रक्षा अध्ययन एवं विश्लेषण संस्थान, नई दिल्ली;

(ii) दार्जिलिंग और उत्तर काशी स्थित पर्वतारोहण संस्थान; और

(iii) पहलगांव स्थित जवाहर पर्वतारोहरण एवं शीत क्रीडा संस्थान (जेआईएम)।

15.2 समीक्षाधीन वर्ष के दौरान इन संस्थानों के महत्वपूर्ण कार्यकलाप आगे के पैराग्राफों में दिए जा रहे हैं।

रक्षा अध्ययन एवं विश्लेषण संस्थान (आईडीएसए)

15.3 नवम्बर, 1965 में स्थापित रक्षा अध्ययन एवं विश्लेषण संस्थान (आईडीएसए), समय–समय पर यथासंशोधित, सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (पंजाब संशोधन अधिनियम 1957) के तहत एक पंजीकृत संस्था है। यह संस्थान रक्षा और सुरक्षा से संबंधित मुद्दों का सृजन और प्रचार–प्रसार करके राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से रक्षा और सुरक्षा के सभी पहलुओं पर अनुसंधान और नीति से संबंधित एक स्वायत्तशासी निकाय है।

15.4 वर्ष के दौरान, आईडीएसए ने उन क्षेत्रीय तथा वैश्विक घटनाओँ पर पैनी दृष्टि रखी है जो भारत की सुरक्षा तथा विदेश नीति को प्रभावित करती हैं। आईडीएसए ने जलवायु परिवर्तन, ऊर्जा जलसुरक्षा और साइबर एवं अंतरिक्ष सुरक्षा जैसे उभरते हुए मुद्दों पर ध्यान केन्द्रित करने के लिए शोध–क्षेत्र का विस्तार किया है। संस्थान ने नई चुनौतियों के उद्भव और उनके प्रति भारत की अनुक्रिया का विस्तार से विश्लेषण किया है। रक्षा सुधारों, रक्षा मंत्रालय और भारतीय रक्षा उद्योग के बीच इंटरफेस पर विशेष ध्यान दिया गया और सरकार द्वारा कई सुरक्षा वार्ताएं प्रारंभ की गई हैं। आईडीएसए छात्रों के लिए पड़ोस में हो रही घटनाएं प्राथमिकता वाले क्षेत्र बने रहे। वर्ष के दौरान बड़ी संख्या में पुस्तकें, मोनोग्राफ, पेपर आदि निकाले गए। रणनीतिक मामलों में स्वदेशी ज्ञान में दिलचस्पी उत्पन्न करने के लिए विशेष प्रयास किए गए। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अध्ययन को भी पूरी गंभीरता से लिया गया है।

15.5 आईडीएसए की बाहरी गतिविधियों में काफी विस्तार हुआ है। विदेशों के कई विद्वान आगंतुकों और प्रतिनिधिमंडलों का आईडीएसए में आतिथ्य किया गया। महान थिंक टैंकों और विश्वविद्यालयों को भी इसमें बुलाया गया था। आईडीएसए की वेबसाइट शोध कर्ताओं, विद्यार्थियों और आम जनता के लिए सुरक्षा और रक्षा के व्यापक मुद्दों पर जानकारी का स्रोत बन गई है। आडीएसए की पहुंच बढ़ाने के लिए सोशल मीडिया का व्यापक उपयोग किया जा रहा है।

15.6 आईडीएसए की अनुसंधान उपलब्धियों को नीतिगत रूप से बढ़ाने के क्रम में, नीति निर्माताओं के साथ सम्पर्क बढ़ाने के लिए एक सुविचारित प्रयास किया गया था। विभिन्न सरकारी विभागों की ओर से कई शोध परियोजनाएं चलाई गईं। आईडीएसए का व्यापक प्रकाशन कार्यक्रम है। रक्षा अध्ययनों पर

इसके फ्लैगशीप जर्नल, रणनीतिक विश्लेषण और त्रैमासिक जर्नल महत्वपूर्ण संदर्भ–स्रोतों के तौर पर उभरे हैं।

15.7 रक्षा मंत्रालय आईडीएसए को निधि उपलब्ध कराता है और यह स्वायत्त रूप से कार्य करता है। आईडीएसए में अध्ययन संस्थानों, रक्षा बलों और सिविल सेवाओं से छात्र लिए जाते हैं। 53 छात्रों के शोध निकाय 13 केन्द्रों के तहत आयोजित किए जाते हैं। इस संस्था ने वर्ष के दौरान अपने विजिटिंग फेलोशिप कार्यक्रम के तहत विभिन्न देशों से 7 विजिटिंग फैलो तथा अपने इंटर्नशिप कार्यक्रम के तहत 17 शिशिक्षुओं की मेजबानी की जिससे इस संस्थान की विदेशों में पहचान बढ़ी है। वर्ष के दौरान आईडीएसए के 60 छात्रों को विदेशों में सेमिनारों, गोलमेज सम्मेलनों और संगोष्ठियों में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया।

अन्तर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय सम्मेलन/ सेमिनार/वार्ताएं

15.8 इस संस्थान ने 28–29, अक्तूबर, 2014 को "दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय समन्वय बढ़ाने में मीडिया की भूमिका" विषय पर 8वें दक्षिण एशिया सम्मलेन का आयोजन किया। उदघाटन भाषण, सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री (स्वंत्र प्रभार), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा संसदीय कार्य राज्य मंत्री द्वारा वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिए दिया गया।

15.9 पश्चिम एशिया सम्मलेन : 'पश्चिम एशिया में भू–राजनीतिक परिवर्तन : प्रवृत्तियां तथा प्रभाव' नामक शुरुआती वार्षिक पश्चिम एशिया सम्मेलन का आयोजन 10–11 सितम्बर, 2014 को किया गया था।

15.10 उपर्युक्त दो महत्वपूर्ण सम्मेलनों के अतिरिक्त संस्थान ने बहुत से अन्य सम्मेलनों का आयोजन भी किया, जिनका विवरण निम्नलिखित हैः–

- आईडीएसए में 2–3 अप्रैल, 2014 को 'एक नाभिकीय शस्त्र–मुक्त विश्व : संकल्पना से सत्यता' का आयोजन किया गया। उदघाटन भाषण तत्कालीन प्रधानमंत्री ने दिया था।
- 9 अप्रैल, 2014 को भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएसएसआर) के सहयोग से 'कौटिल्य' विषय पर एक अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया था। उदघाटन सत्र में पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने मुख्य बिन्दु अभिभाषण दिया।
- 11 जून 2014 को नई दिल्ली स्थित चीन जनवादी गणराज्य के दूतावास के सहयोग से 'पंचशील की 60वीं वर्षगांठः भारत–चीन संबंधों हेतु प्रासंगिकता' नामक एक सम्मेलन का आयोजन किया गया।

15.11 **वाई.बी. चह्वान मेमारियल व्याख्यानः** भारत की सीमाओं की सुरक्षा–भावी कार्रवाई' विषय पर पांचवा वाई.बी. चह्वान मेमोरियल व्याख्यान दिनांक 3 दिसम्बर 2014 को पूर्व गृह सचिव, भारत सरकार डॉ. माधव गोडबोले द्वारा दिया गया। व्याख्यान की अध्यक्षता श्री पी सी हल्दर ने की।

15.12 **गोलमेज चर्चाः** इस संस्थान ने वर्ष के दौरान कई गोलमेज चर्चाएं आयोजित कीं, जिनका विवरण इस प्रकार हैः–

- पाकिस्तान में आंतरिक सुरक्षा स्थिति : एक विश्लेषण।
- दक्षिण एशिया तथा सीमा सुरक्षा।
- अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा स्थिति तथा अमरीका की वापसी के बाद अफगानिस्तान।
- भारत का विदेश नीति परिदृश्य : 2014 के चुनाव के बाद, चीन तथा दक्षिण एशिया क्षेत्रीय घटनाक्रम और अफगानिस्तान : अमरीका की वापसी के बाद।

- पाकिस्तान में साम्प्रदायिक चुनौती : भारत के लिए विकल्प।
- अफ्रीका में शांति तथा सुरक्षा।
- कारगर अंतर्राष्ट्रीय तथा राष्ट्रीय जल प्रबंधन – मध्य यूरोप के अनुभव।
- अफगानिस्तान में भावी आकलन।
- दक्षिण एशिया, नेपाल पर बल देते हुए तथा भारत–नेपाल संबंध।
- भारत–अमरीका रणनीतिक भागीदारी, क्षेत्रीय सुरक्षा तथा विदेश नीति मुद्दे।
- सोशल मीडिया : आंतरिक सुरक्षा तथा कानून और व्यवस्था हेतु प्रभाव, चुनौतियां तथा अवसर।
- जिनीवा समझौते की 60वीं वर्षगांठ की स्मृति में भारत–वियतनाम संबंध।
- चीन के राष्ट्रपति के भारत दौरे के परिणाम।
- भारत का सामरिक पड़ोस।

15.13 **द्विपक्षीय मेलजोलः** संस्थान की उपलब्धियों का एक महत्वपूर्ण भाग वह संबंध है जो इसने विश्वभर के अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त थिंक टैंकों और प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ बनाए हैं और उसे संजों कर रखा है। कुछ द्विपक्षीय विचार–विमर्श निम्नानुसार हैं :–

- 18–21 मई, 2014 के दौरान ईरान के तेहरान में राजनीतिक तथा अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन संस्थान (आईपीआईएस) के साथ द्विपक्षीय वार्ता का 10वां दौर आयोजित किया गया।
- सामरिक अध्ययन संस्थान (आईएसएस,) मंगोलिया के साथ उलान बटोर में 26–27 जून, 2014 को द्विपक्षीय वार्ता का तीसरा दौर आयोजित किया गया।
- चीन के समकालीन अंतर्राष्ट्रीय संबंध संस्थान (सीआईसीआईआर) के साथ बीजिंग में 23–25 जून, 2014 को द्विपक्षीय वार्ता आयोजित की गई।
- सामरिक अध्ययन संस्थान (आईएसएस), इस्लामाबाद के साथ नई दिल्ली में 24 अक्तूबर, 2014 को पहली द्विपक्षीय वार्ता आयोजित की गई।
- अफगान सामरिक अध्ययन संस्थान (एआईएसएस), काबुल के साथ 18 जून, 2014 को नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता का पहला दौर आयोजित किया गया।
- अफगान सामरिक अध्ययन संस्थान, काबुल के साथ 8 नवंबर, 2014 को एक समझौता–ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

15.14 आईडीएसए के प्रकाशन : वर्ष 2014 के दौरान महत्वपूर्ण प्रकाशनों में, आईडीएस के छात्रों द्वारा लिखे गए और संपादित किए गए, निम्नलिखित शामिल हैं :–

- अफगानिस्तान में अधूरा युद्ध : 2001–2014 (विशाल चंद्रा द्वारा लिखित)।
- अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह : भारत का अप्रयुक्त सामरिक खजाना (सनत कौल द्वारा लिखित)।
- दूसरा कश्मीर : काराकोरम हिमालय में समाज, संस्कृति तथा राजनीति (के. वारिकू द्वारा संपादित)।
- पाकिस्तान में न खत्म होने वाली हिंसा, प्रवृत्तियों की समीक्षा, पाकिस्तान प्रोजेक्ट रिपोर्ट (स्मृति पट्टनायक द्वारा संपादित)।
- भारत के मावोवाद का अभिप्राय (पी.वी. रमन्ना द्वारा लिखित)।
- सामरिक पदार्थ : भारत के लिए एक संसाधन चुनौती (अजय लेले तथा प्रवीण भारद्वाज द्वारा लिखित)।

- रणनीतिक हिमालय : गणतंत्रात्मक नेपाल तथा बाहरी शक्तियां (निहार आर नायक द्वारा लिखित)।

15.15 आईडीएसए की वेबसाइट : आईडीएसए प्रकाशनों को संस्थान की वेबसाइट पर डाला जाता है। वेबसाइट देखने वालों के लिए अधिकतर प्रकाशनों तक 'खुली पहुंच' दी गई है क्योंकि इससे छात्रवृत्ति और संचार के लिए एक स्वस्थ माहौल बनता है। इससे पूरे विश्व में विचारों के आदान–प्रदान में मदद मिलती है और प्रकाशन डिजिटल फार्म में सुरक्षित रहते हैं जिससे ये बहुत अधिक दिनों तक भी सुरक्षति रहते हैं।

15.16 आईडीएसए का 50वां स्थापना दिवस : आईडीएसए का 50वां स्थापना दिवस 11 नवम्बर 2014 को मनाया गया। अंतरिक्ष आयोग के अध्यक्ष डा. के. राधाकृष्णन सचिव, अंतरिक्ष विभाग, भारत सरकार, तथा इसरो के अध्यक्ष ने 'राष्ट्र निर्माण में भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम का योगदान' विषय पर इस वर्ष का व्याख्यान दिया और उत्कृष्टता के लिए आठवां के. सुब्रहमण्यम पुरस्कार व अध्यक्षीय पुरस्कार प्रदान किया। आठवां के. सुब्रहमण्यम पुरस्कार सीएपीएस में आईसीसीआर फैलो डॉ. मनप्रीत सेठी को प्रदान किया गया तथा उत्कृष्टता के लिए अध्यक्ष का पुरस्कार श्री साम राजीव, एसोसिएट फैलो, आईएसए को प्रदान किया गया।

पर्वतारोहण संस्थान

15.17 रक्षा मंत्रालय, संबंधित राज्य सरकारों के साथ मिलकर चार पर्वतारोहण संस्थान पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग स्थित हिमालय पर्वतारोहण संस्थान, उत्तराखंड में उत्तरकाशी स्थित नेहरू पर्वतारोहण संस्थान तथा जम्मू–कश्मीर में पहलगाम स्थित जवाहर पर्वतारोहण संस्थान, शीत क्रीड़ा संस्थान तथा अरुणाचल प्रदेश के दिरांग में राष्ट्रीय पर्वतारोहण तथा संबद्ध क्रीड़ा संस्थान चलाता है। ये संस्थान पंजीकृत समितियों के रूप में चलाए जाते हैं और उन्हें स्वायत्तशासी निकायों का दर्जा प्रदान किया गया है। रक्षा मंत्री इन संस्थानों के अध्यक्ष होते हैं और संबंधित राज्य के मुख्य मंत्री इन संस्थानों के उपाध्यक्ष होते हैं। इन संस्थानों का प्रशासन कार्यकारी परिषदों द्वारा चलाया जाता है। जिनमें प्रत्येक संस्थान की आम सभा द्वारा चुने गए सदस्य, दानदाताओं और/अथवा पर्वतारोहण के उद्देश्य को बढ़ावा देने वाले व्यक्तियों में से नामित सदस्य तथा केन्द्र व राज्य सरकारों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं।

15.18 ये संस्थान पर्वतारोहण के एक खेल के रूप में प्रोत्साहन देते हैं, पर्वतारोहण को बढ़ावा देते हैं और युवाओं में साहसिक भावना उत्पन्न करते हैं। पर्वतारोहण संस्थानों के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं:

(क) पर्वतारोहण तथा चट्टानों पर चढ़ने की तकनीकों के विषय में सैद्धांतिक ज्ञान तथा व्यावहारिक प्रशिक्षण देना;

(ख) युवाओं में पर्वतों तथा अन्वेषण में रुचि एवं प्रेम उत्पन्न करना;

(ग) शीत–क्रीड़ाओं के प्रति प्रोत्साहित करना तथा उनका प्रशिक्षण देना; और

(घ) हिमालय क्षेत्र में प्रकृति कार्यशालाओं के जरिए पर्यावरण तथा पारिस्थितिकी के संरक्षण की समझ पैदा करना।

15.19 ये पर्वतारोहण संस्थान आधारभूत और उन्नत पर्वतारोहण पाठ्यक्रम, अनुदेश पद्धति पाठ्यक्रम, खोज व बचाव और साहसिक क्रियाकलाप संबंधी पाठ्यक्रम आयोजित करते हैं। इन पाठ्यक्रमों में सेना, वायुसेना, नौसेना, भारत–तिब्बत सीमा पुलिस, सीमा सुरक्षा बल, राष्ट्रीय कैडेट कोर के कार्मिक और भारतीय नागरिक तथा विदेशी भी प्रशिक्षण लेते हैं। इन पाठ्यक्रमों में भाग लेने के लिए पाठ्यक्रम,

अवधि, ग्रेडिंग और अन्य ब्यौरा उन पर्वतारोहण संस्थानों की वेबसाइटों पर मौजूद हैं, जो हिमालय पर्वतारोहण संस्थान के लिए www.hmi&darjeeling.com पर नेहरू पर्वतारोहण के लिए www-nimindia-net पर और जवाहर पर्वतारोहण संस्थान के लिए www.jawaharinstitutepahalgam.com पर उपलब्ध है। एनआईएमएएस की वेबसाइ पर कार्रवाई चल रही है। इस संस्थान का ईमेल nimasdirang2013@gmail.com है।

15.20 संस्थानों द्वारा अप्रैल से दिसम्बर 2014 तक आयोजित पाठ्यक्रम और इन पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षित पुरुषों और महिलाओं की संख्या तालिका 15.1 में दी गई है।

15.21 हिमालय पर्वतारोहण संस्थान ने 20 विद्यार्थियों के लिए एक विशेष आधारभूत पर्वतारोहण पाठ्यक्रम और 409 प्रशिक्षुओं के लिए 7 साहसिक पाठ्यक्रम भी आयोजित किए।

15.22 राष्ट्रीय पर्वतारोहण संस्थान ने एक्सपीडिशस सहित 14 विशेष पाठ्यक्रम आयोजित किए जिसमें 580 कार्मिकों को प्रशिक्षित किया गया।

15.23 जवाहर पर्वतारोहण संस्थान द्वारा 30 विशेष पर्यावरणीय पाठ्यक्रम आयोजित किए गए और उसने 907 पुरुषों और 860 महिलाओं को प्रशिक्षित किया। जेआईएम ने 69 पुरुषों और 12 महिलाओं के लिए दो बड़े अभियान अर्थात माउंट गोल्प कांगड़ी (6025 मीटर) तथा माउंट स्टॉक कांगड़ी (6135 मीटर) का आयोजन भी किया।

15.24 एनआईएमएएस ने 21 सदस्यों के साथ प्वाइंट 5880 मीटर का अभियान तथा 9 सदस्यों के साथ माउंट कांगटो पर 6042 मीटर का रेकी अभियान किया।

समारोह, सम्मान व पुरस्कार

15.25 गणतंत्र दिवस परेड, समापन समारोह, शहीद दिवस और स्वतंत्रता दिवस जैसे राष्ट्रीय समारोहों के आयोजन की जिम्मेदारी रक्षा मंत्रालय की है। वीरता तथा विशिष्ट सेवा पुरस्कार प्रदान किए जाने के लिए राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोहों का आयोजन भी रक्षा मंत्रालय द्वारा राष्ट्रपति सचिवालय के साथ मिलकर किया जाता है। वर्ष 2014–15 के दौरान आयोजित समारोह संबंधी आयोजनों का ब्यौरा आगामी पैराओं में दिया गया है।

15.26 **स्वतंत्रता दिवस ध्वजारोहण समारोहः** स्वतंत्रता दिवस समारोह का शुभारंभ, लालकिले पर स्कूली बच्चों द्वारा विभिन्न भारतीय भाषाओं में सामूहिक देशभक्ति गान के साथ हुआ। तीनों सेनाओं तथा दिल्ली पुलिस ने प्रधानमंत्री को गारद सम्मान

सारणी सं. 15.1

संस्थान	आधारभूत पाठ्यक्रम		उन्नत पाठ्यक्रम		साहिसक पाठ्यक्रम		अनुदेश पद्धति पाठ्यक्रम		खोज व बचाव पाठ्यक्रम	
	पाठ्यक्रमों की संख्या	प्रशिक्षुओं की संख्या	पाठ्यक्रमों की संख्या	प्रशिक्षुओं की संख्या	पाठ्यक्रमों की संख्या	प्रशिक्षुओं की संख्या	पाठ्यक्रमों की संख्या	प्रशिक्षुओं की संख्या	पाठ्यक्रमों की संख्या	प्रशिक्षुओं की संख्या
एचएमआई	05	327	03	135	01	124	01	18	–	–
एनआईएम	05	371	03	94	05	212	01	32	01	44
जेआईएम	06	465	01	75	43	1443	–	–	–	–
एनआईएमएएस	02	30	–	–	04	95	–	–	–	–

दिया। तत्पश्चात प्रधानमंत्री ने सेनाओं के बैंड द्वारा बजाए गए राष्ट्रीय गान के साथ ही लाल किले की प्राचीर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इस अवसर पर तोपों की सलामी दी गई। प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्र को संबोधित किए जाने के बाद समारोह का समापन विद्यालयों से आए बच्चों और एनसीसी कैडटों द्वारा राष्ट्रीय गान तथा गुब्बारे छोड़ने के साथ हुआ। बाद में दिन के दौरान, राष्ट्रपति ने उन जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए इंडिया गेट के अमर जवान ज्योति पर फूल–माला चढ़ाई जिन्होंने मातृभूमि की आजादी के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए।

15.27 स्वतंत्रता दिवस 2014 के अवसर पर वीरता पुरस्कारों की घोषणा की गई जो तालिका 15.2 में दिए गए हैं।

सारणी सं. 15.2

पुरस्कार	पुरस्कारों की संख्या	मरणोपरांत
अशोक चक्र	01	01
शौर्य चक्र	12	04
सेना मेडल (जी)	39	04
नौसेना मेडल (जी)	01	–
वायु सेना मेडल (जी)	02	–

15.28 **विजय दिवसः** 16 दिसंबर, 2014 को विजय दिवस मनाया गया। इस अवसर पर रक्षा मंत्री ने इंडिया गेट स्थित अमर जवान ज्योति पर फूलमाला चढ़ाई।

15.29 **अमर जवान ज्योति समारोह, 2015:** प्रधानमंत्री ने 26 जनवरी, 2015 को प्रताःकाल इंडिया गेट स्थित अमर जवान ज्योति पर पुष्पमाला चढ़ाई। उन जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए दो मिनट का मौन रखा गया जिन्होंने देश की अखंडता की रक्षा में अपने प्राण न्यौछावर किए थे।

15.30 **गणतंत्र दिवस समारोह, 2015:** राजपथ पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने के साथ ही गणतंत्र दिवस समारोह का शुभारंभ हुआ। राष्ट्रपति के अंगरक्षकों ने सेनाओं के बैडों द्वारा बजाए गए राष्ट्र गान और 21 तोपों की सलामी के बाद राष्ट्रीय सलामी दी। इस अवसर पर संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति माननीय श्री बराक ओबामा मुख्य अतिथि थे।

15.31 61 कैवलरी के आरोही दस्ते, मेकेनाइज्ड दस्ते जिनमें टी–90 टैंक, बल्बो मशीन पिकेट (बीएमपी–II/II–के) ट्राल सहित टी–72 टैंक, पिनाका ब्रहमोस, 3–आयामी सामिरक नियंत्रण रेडार, सैटेलाइट ऑन–द–मूव (एसोटीएम), रेडसेट शामिल थे। टी–72 फूल विड्थ माइन प्लो, ट्रांसपोर्टेबल साटल, उन्नत हल्के हेलिकाप्टरों द्वारा उड़ान मार्च, झांकियां – सशस्त्र सेना महिला माउंट एवरेस्ट पर्वतारोहण, तीनों सेनाओं, अर्ध सैन्य बलों, दिल्ली पुलिस, राष्ट्रीय कैडेट कोर, एनएसएस आदि के मार्चिंग दस्ते और बैंड परेड का हिस्सा थे। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के उपस्कर दस्ते में आकाश (सेना रूपांतर) तथा हथियार खोजी रेडार शामिल थे।

15.32 जिन 24 बच्चों को वीरता पुरस्कार प्रदान किया गया उनमें से चार को मरणोपरांत वीरता पुरस्कार प्रदान किया गया।। 20 वीरता पुरस्कार प्राप्त बच्चों ने सेना की सुसज्जित जीपों पर सवार होकर परेड में भाग लिया। राज्यों, केंद्रीय मंत्रालयों /विभागों की झांकियां एवं विभिन्न विद्यालयों के बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों का प्रदर्शन परेड के अन्य आकर्षण थे। 25 झांकियों तथा स्कूली बच्चों के 6 कार्यक्रमों ने देश की सांस्कृतिक विविधता को प्रस्तुत किया। सीमा सुरक्षा बल के जवानों द्वारा मोटर साइकिल पर प्रदर्शन और तत्पश्चात् भारतीय वायुसेना के विमानों के फ्लाई पास्ट के साथ परेड का समापन हुआ।

15.33 गणतंत्र दिवस के अवसर पर घोषित वीरता तथा विशिष्ट सेवा पुरस्कारों का ब्यौरा सारणी संख्या 15.3 में दिया गया है।

सारणी संख्या 15.3

पुरस्कार	कुल	मरणोपरांत
वीरता पुरस्कार		
अशोक चक्र	01	01
कीर्ति चक्र	03	01
शौर्य चक्र	12	04
सेना मेडल नौसेना मेडल/ वायु सेना मेडल(वीरता)	61	19
विशिष्ट पुरस्कार		
परम विशिष्ट सेवा मेडल	28	–
उत्तम युद्ध सेवा मेडल	03	–
अति विशिष्ट सेवा मेडल बार	03	–
अति विशिष्ट सेवा मेडल	53	–
युद्ध सेवा मेडल	13	–
सेना मेडल/नौसेना मेडल/ वायु सेना मेडल (कर्त्तव्य परायणता)	69	01
विशिष्ट सेवा मेडल बार	04	–
विशिष्ट सेवा मेडल	124	–

15.34 **समापन समारोह, 2015:** समापन समारोह सदियों पुरानी उन दिनों की सैन्य परंपरा है जब सूर्यास्त होने पर सेना युद्ध बंद कर देती थी। समापन समारोह गणतंत्र दिवस समारोहों में भाग लेने के लिए दिल्ली में एकत्र हुई सैन्य टुकड़ियों के प्रत्यागमन का सूचक है। यह समारोह 29 जनवरी, 2015 को विजय चौक पर आयोजित किया गया जो गणतंत्र दिवस उत्सवों का पटाक्षेप था। इस समारोह में तीनो सेनाओं के बैंडों ने भाग लिया। समारोह के समापन के अवसर पर राष्ट्रपति भवन, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, संसद भवन और इंडिया गेट की प्रकाश–सज्जा भी की गई।

15.35 शहीद दिवस समारोह, 2015 रू 30 जनवरी, 2015 को, राष्ट्रपति ने राजघाट पर महात्मा गांधी की समाधि पर फूलमाला चढ़ाई। उप राष्ट्रपति, प्रधान मंत्री, रक्षा मंत्री, रक्षा राज्य मंत्री तथा अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने भी पुष्पाजंलि अर्पित की। इसके बाद 1100 बजे उन वीरों को श्रद्वांजलि अर्पित करते हुए दो मिनट का मौन रखा गया जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए थे।

15.36 सशस्त्र सेना झंडा दिवस (एएफएफडी): संपूर्ण देश में प्रतिवर्ष की भांति 7 दिसम्बर, 2014 को सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया गया। यह दिवस हमारी सीमाओं की अखंडता की सुरक्षा करने में हमारे बहादुर सैनिकों द्वारा किए गए बलिदानों को याद करने और विधवाओं, बच्चों निशक्त तथा रुग्ण भूतपूर्व सैनिकों के कल्याण के प्रति एकजुटता व समर्थन व्यक्त करने के लिए मनाया जाता है।

राजभाषा प्रभाग

15.37 संघ सरकार की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन हेतु रक्षा मंत्रालय में राजभाषा प्रभाग कार्य कर रहा है। यह प्रभाग इस प्रयोजनार्थ राजभाषा अधिनियम और उसके अतर्गत बनाए गए नियमों के प्रावधानों तथा इस संबंध में नोडल विभाग अर्थात राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों के संबंध में रक्षा मंत्रालय (सचिवालय), तीनों सेना मुख्यालयों, सभी अंतर–सेवा संगठनों तथा रक्षा उपक्रमों तथा मंत्रालय के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को सहायता और मार्गदर्शन प्रदान करता है। मंत्रालय में रक्षा मंत्री जी की अध्यक्षता में गठित दो अलग–अलग हिंदी सलाहकार समितियां हैं। इन समितियों का गठन शासकीय प्रयोजनों हेतु हिंदी के प्रगामी प्रयोग से संबंधित मामलों में मंत्रालय के संबंधित विभागों को सलाह देने के उद्देश्य से किया गया है। राजभाषा

कार्यान्वयन से संबंधित कार्य में, सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रगामी प्रयोग हेतु प्रत्येक वर्ष जारी किए गए निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करना, मंत्रालय में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों को हिंदी, हिंदी टंकण तथा हिंदी आशुलिपि का प्रशिक्षण प्रदान करना तथा स्टाफ को बिना झिझक हिंदी में कार्य करने के लिए सक्षम बनाने हेतु हिंदी कार्यशालाओं का आयोजन करना शामिल है। मॉनीटरी कार्य में मंत्रालय के अधीनस्थ कार्यालयों, रक्षा उपक्रमों और प्रभागों/अनुभागों का राजभाषा संबंधी निरीक्षण करना, मंत्रालय की दोनों राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की तिमाही बैठकें आयोजित करना, नई दिल्ली स्थित तीनों सेना मुख्यालयों तथा अंतर–सेवा संगठनों की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों में मंत्रालय के प्रतिनिधि के रूप में प्रभाग के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा भाग लेना और सुधारात्मक उपाय करने के लिए उपयुक्त कार्यालयों से प्राप्त तिमाही प्रगति रिपोर्टों की समीक्षा करना शामिल है।

15.38 **वार्षिक कार्यक्रमः** राजभाषा विभाग से प्राप्त वर्ष 2014–15 के वार्षिक कार्यक्रम को इसके अंतर्गत निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सभी रक्षा संगठनों को परिचालित किया गया। हिंदी में मूल पत्राचार बढ़ाने, राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) के अंतर्गत आने वाले सभी कागजातों को द्विभाषी रूप में जारी करने, हिंदी कार्यशालाएं नियमित रूप से आयोजित करने तथा हिंदी शिक्षण योजना के अंतर्गत अधिकारियों एवं कर्मचारियों को हिंदी, हिंदी टंकण एवं हिंदी आशुलिपि का प्रशिक्षण प्रदान करने पर बल दिया जा रहा है। विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की तिमाही बैठकों में इस संबंध में हुई प्रगति की नियमित रूप से समीक्षा की जा रही है।

15.39 **अनुवाद कार्यः** वर्ष के दौरान मंत्रालय के विभिन्न कार्यालयों तथा अनुभागों से काफी मात्रा में प्राप्त सामग्री का अनुवाद कार्य पूरा किया गया जिसमें संसद सदस्यों/विशिष्ट व्यक्तियों से प्राप्त पत्र रक्षा मंत्री/रक्षा राज्य मंत्री के कार्यालयों से जारी होने वाले पत्र, मंत्रिमंडल के विचारार्थ प्रस्ताव, लेखा परीक्षा पैरा, रक्षा संबंधी स्थायी समिति तथा परामर्शदात्री समिति के समक्ष रखे जाने वाले दस्तावेज तथा मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट, संसदीय प्रश्न, करार आदि शामिल थे।

15.40 **हिंदी सलाहकार समिति की बैठकः** मंत्रालय में दो हिन्दी सलाहकार समिति हैं, इनमें एक रक्षा विभाग, भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग तथा रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग के लिए है तथा दूसरी रक्षा उत्पादन विभाग के लिए है। दोनों हिन्दी सलाहकार समितियों का कार्यकाल क्रमशः 25 फरवरी, 2014 तथा 27 मई 2014 है। रक्षा राज्य मंत्री की अध्यक्षता में हिन्दी सलाहकार समितियों के पुनर्गठन की प्रक्रिया अंतिम चरण में है।

15.41 **रक्षा संबंधी विषयों पर हिंदी में पुस्तक लेखन हेतु प्रोत्साहन योजनाएंः** 2011–13 के ब्लाक वर्ष के लिए योजना के व्यापक परिचालन और समाचार पत्रों में विज्ञापन के माध्यम से योजना के तहत प्रविष्टियां आमंत्रित की गईं थीं। प्राप्त पुस्तकों के मूल्यांकन की प्रक्रिया चल रही है।

15.42 **हिंदी पखवाड़ाः** अधिकारियों/कर्मचारियों को सरकारी कामकाज में हिंदी का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु मंत्रालय में 14 से 30 सितंबर, 2014 तक हिंदी पखवाड़ा मनाया गया। पखवाड़े के दौरान हिंदी टिप्पण एवं प्रारूप लेखन, हिंदी टंकण, हिंदी आशुलिपि तथा निबंध सहित कई प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। कुल मिलाकर 145 कर्मचारियों/अधिकारियों ने उपरोक्त प्रतियोगिताओं में भाग लिया।

15.43 **संसदीय राजभाषा समिति द्वारा निरीक्षणः** गत वर्षों की भांति, वर्ष के दौरान संसदीय राजभाषा समिति ने इस वर्ष भी देश के विभिन्न भागों में स्थित कई रक्षा संगठनों का निरीक्षण दौरा किया। निरीक्षण प्रश्नावलियों की समीक्षा कर तथा अपेक्षित संशोधनों का सुझाव देकर मंत्रालय ने निरीक्षणाधीन कार्यालयों की सहायता की। निरीक्षण के दौरान कार्यालयों द्वारा दिए गए आश्वासनों को समिति के निदेशों और अपेक्षाओं के अनुरूप पूरा किया जा रहा है।

अशक्त व्यक्तियों का कल्याण

15.44 रक्षा मंत्रालय (रक्षा विभाग) तथा रक्षा उत्पादन विभाग के अंतर्गत सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों में समूह 'क', 'ख', और 'ग' में अशक्त व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व क्रमशः सारणी संख्या 15.4 और 15.5 में दिया गया है।

15.45 सशस्त्र सेनाएं : अशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों की संरक्षा तथा पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 की धारा 33 और 47 के तहत किए गए प्रावधान अशक्त व्यक्तियों के भर्ती तथा सेवा में बनाए रखने संबंधी मामलों में लिए सुरक्षोपाय का निर्धारण करते हैं। तथापि सशस्त्र सेनाओं के कार्मिकों द्वारा की जाने वाली ड्युटियों की प्रकृति को देखते हुए, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा जारी की गई विशेष अधिसूचना के जरिए सभी योधी–पदों को संगत धाराओं की प्रयोजनीयता से छूट दी गई है।

सारणी संख्या 15.4

सेवाओं में अशक्तता वाले व्यक्तियों के प्रतिनिधित्व को दर्शाने वाला वार्षिक विवरण (1 जनवरी, 2014 की स्थिति के अनुसार)

दृष्टि बाधित (वीएच)/श्रवण बाधित (एचएच)/शारीरिक विकलांग (ओएच) का प्रतिनिधित्व (1.1.2014 की स्थिति के अनुसार)					कैलेंडर वर्ष 2013 में की गई नियुक्तियों की संख्या											
					सीधी भर्ती द्वारा				पदोन्नति द्वारा				प्रतिनियुक्ति द्वारा			
समूह	कुल	वीएच	एचएच	ओएच	कुल	वीएच	एचएच	ओएच	कुल	वीएच	एचएच	ओएच	कुल	वीएच	एचएच	ओएच
क	1918	0	0	7	82	0	0	5	329	0	0	0	4	0	0	0
ख	11423	9	10	64	66	1	2	0	1026	3	2	3	2	0	0	0
ग (सफाई कर्मचारी को छोड़कर)	71067	131	186	671	2435	16	16	80	3103	5	2	12	93	0	0	0
ग (सफाई कर्मचारी)	6671	3	36	62	288	3	1	5	0	0	0	0	0	0	0	0
कुल	**91079**	**143**	**232**	**804**	**2871**	**20**	**19**	**90**	**4458**	**8**	**4**	**15**	**99**	**0**	**0**	**0**

सारणी संख्या 15.5

रक्षा उत्पादन विभाग के अंतर्गत सम्बद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालयों में सेवाओं में अशक्तता वाले व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व दर्शाने वार्षिक विवरण
(1 जनवरी, 2014 की स्थिति के अनुसार)

दृष्टि बाधित (वीएच)/श्रवण बाधित (एचएच)/शारीरिक विकलांग (ओएच) का प्रतिनिधित्व (1.1.2014 की स्थिति के अनुसार)					कैलेंडर वर्ष 2013 में की गई नियुक्तियों की संख्या											
					सीधी भर्ती द्वारा				पदोन्नति द्वारा				प्रतिनियुक्ति द्वारा			
समूह	कुल	वीएच	एचएच	ओएच	कुल	वीएच	एचएच	ओएच	कुल	वीएच	एचएच	ओएच	कुल	वीएच	एचएच	ओएच
क	1981	3	8	16	111	0	1	3	72	0	0	0	0	0	0	0
ख	22653	24	38	310	20	0	0	2	634	0	2	10	0	0	0	0
ग (सफाई कर्मचारी को छोड़कर)	70080	173	210	1255	2373	14	14	82	1623	7	11	83	0	0	0	0
ग (सफाई कर्मचारी)	3337	1	9	62	4	1	0	1	90	0	0	0	0	0	0	0
कुल	**98051**	**201**	**265**	**1643**	**2508**	**15**	**15**	**88**	**2419**	**7**	**13**	**93**	**0**	**0**	**0**	**0**

15.46 रक्षा उत्पादन विभाग : रक्षा मंत्रालय के तहत सभी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में अशक्त व्यक्तियों को आरक्षण का लाभ उपलब्ध कराने के लिए अशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 के प्रावधानों का अनुपालन किया जा रहा है। सरकार द्वारा जो रियायतें और छूट निर्धारित की गई हैं उनके अलावा भी बहुत–सी रियायतें एवं छूट अशक्त व्यक्तियों को प्रदान की जाती हैं।

15.47 रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन : अशक्त व्यक्तियों के कल्याण के संबंध में सरकार की नीतियों एवं अनुदेशों को लागू करने में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन वचनबद्ध है। भर्ती एवं पदोन्नति में सरकार के अनुदेशों के अनुसार 3% आरक्षण अशक्त व्यक्तियों को प्रदान किया जा रहा है।

भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग

15.48 अशक्त सैनिकों के लिए विशेष चिकित्सा सेवा: युद्ध के दौरान या दुर्घटनाओं एवं अन्य कारणों से कुछ सैनिक अशक्त हो जाते हैं और उन्हें सेवा से बाहर निकाल दिया जाता है। इन भूतपूर्व सैनिकों को विशेष चिकित्सा देखभाल और स्वावलंबी बनाने के लिए प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। ऐसे कार्मिकों का देखरेख एवं पुनर्वास विशेष संस्थाओं में किया जाता है जनका वित्त–पोषण केंद्रीय सैनिक बोर्ड द्वारा सशस्त्र सेना झण्डा दिवस निधि से किया जाता है।

16

सतर्कता यूनिटों की गतिविधियाँ

रक्षा मंत्रालय में सतर्कता प्रभाग भ्रष्टाचार को रोकने के उद्देश्य से उपायों की पहल करता है और प्रक्रियाओं की समीक्षा करता है।

16.1 रक्षा मंत्रालय के सतर्कता प्रभाग को रक्षा मंत्रालय और इसके अधीन आने वाले विभिन्न यूनिटों के कर्मचारियों के संबंध में भ्रष्टाचार की प्रथाओं, कदाचार और अनियमितताओं से जुड़ी शिकायतें निपटाने का कार्य सौंपा गया है। यह रक्षा मंत्रालय की ओर से सतर्कता संबंधी मामलों और शिकायतों पर केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) इत्यादि के साथ मध्यस्थता के लिए नोडल प्वाइंट के रूप में कार्य करता है। सतर्कता प्रभाग भ्रष्टाचार को रोकने के उद्देश्य से उपायों की पहल करता तथा प्रक्रियाओं की समीक्षा करता है।

16.2 प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से रक्षा विभाग (भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग और रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग सहित) और रक्षा उत्पादन विभाग से संबंधित सतर्कता संबंधी कार्य उनके संबंधित मुख्य सतर्कता अधिकारियों द्वारा संभाला जा रहा है।

16.3 केन्द्रीय सतर्कता आयोग के निदेशानुसार रक्षा मंत्रालय के अधीन सभी विभागों/संगठनों/यूनिटों में सुशासन पर जोर देने के उद्देश्य से 27 अक्तूबर से 01 नवंबर, 2014 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया गया।

रक्षा विभाग

16.4 पारदर्शिता, निष्पक्ष व्यवहार, जवाबदेही और सत्यनिष्ठा सुनिश्चित करने, भ्रष्ट प्रथाओं के खिलाफ सक्रियकरण की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए रक्षा मंत्रालय में निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं।

16.5 सतर्कता कार्य से संबंधित विभिन्न रिपोर्टों, मामलों और अन्य कार्यों का समय पर पूरा करना सुनिश्चित करने के लिए मुख्य सतर्कता अधिकारी सभी संबंधित कार्यालयों के सम्पर्क में रहते हैं।

16.6 मंत्रालय संबंधित स्कंधों/प्रभागों में लंबित मामलों सहित विभिन्न चरणों में लंबित सतर्कता मामलों पर कड़ी निगरानी रखता है, ताकि इन मामलों का समयबद्ध तरीके से निपटान किया जा सके। लंबित मामलों की स्थिति की मुख्य सतर्कता अधिकारी द्वारा उपयुक्त अंतरालों पर मानीटरी की जाती है।

16.7 इस अवधि के दौरान, मुख्य सतर्कता आयोग (सीवीसी) द्वारा कुल 10 शिकायतें विचारार्थ भेजी गईं, जिन पर कार्रवाई शुरू की गई थी। वर्ष 2014–15 के दौरान समूह 'क' के 7 अधिकारियों के खिलाफ अभियोजन की मंजूरी दी गई, एक अधिकारी को दोषमुक्त किया गया था और 2 शिकायतें बंद कर दी गई थी।

16.8 सतर्कता भवन, नई दिल्ली में 2 जुलाई, 2014 को मुख्य सतर्कता आयोग (सीवीसी) द्वारा ली गई वार्षिक आंचलिक समीक्षा बैठक, 2014 के दौरान अनेक ऐसे क्षेत्रों का पता चला जिन पर कार्रवाई अपेक्षित है। सी वी सी ने रक्षा क्षेत्र की सार्वजनिक अधिप्राप्तियों में पारदर्शिता, निष्पक्षता और समानता पर जोर दिया।

रक्षा उत्पादन विभाग

16.9 **आयुध निर्माणी बोर्ड (ओएफबी):** निवारात्मक सतर्कता के लिए अधिप्राप्ति और भर्ती क्षेत्रों की पहचान की गई तथा कई प्रतिरोधात्मक जांच और सी टी ई प्रकार की जांचें की गईं।

16.10 शिकायतों की शीघ्र जांच पड़ताल के लिए नियमित सुधारात्मक उपाय किए गए। इसके परिणामस्वरूप लंबित शिकायतों की संख्या काफी कम हो गई है। वर्ष 2014 के दौरान विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया गया।

हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल)

16.11 सतर्कता विभाग का प्रयास प्रक्रियाओं और नीति संबंधी हस्तक्षेपों को सुप्रवाही बना कर निवारणात्मक तथा सक्रिय होता रहा है। विभिन्न सतर्कता जागरूकता सत्रों का आयोजन किया गया।

16.12 वर्ष के दौरान सक्रिय सतर्कता पहलों के रूप में निम्नलिखित पुस्तकों, पत्रिकाओं और रिपोर्टों को जारी किया गयाः

(i) हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने संशोधित सतर्कता नियमावली का प्रकाशन किया

(ii) कर्मचारियों को संवेदनशील बनाने के लिए पाक्षिक बुलेटिन 'वी 2' जिसमें प्रत्येक बुलेटिन में विशेष मामले को कवर करते हुए प्रकाशित किया जाता है।

(iii) "सुशासन को बढ़ावा देने" और "भ्रष्टाचार को रोकने के लिए राष्ट्रीय ढांचे" पर "मार्गदर्शन" नामक दो खंडों की इन–हाउस सतर्कता पत्रिका की गईं।

(iv) ''प्रयास–2'' जो सतर्कता अंतःक्षेपों तथा निपटाए गए सतर्कता मामलों का एक सार संग्रह है, को प्रकाशित किया गया है।

(v) एचएएल में भ्रष्टाचार को कम करने संबंधी उपायों सहित भ्रष्टाचार जोखिम प्रबंधन पर एक वृहत नीति बनाई गई है।

(vi) शिकायत निपटान नीति पर तेजस टॉक नामक एक वीडियो टूटोरियल निकाला गया।

16.13 **भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (बीईएल) :** पूर्व न्यायाधीश एन. संतोष हेगड़े के विशेष व्याख्यान के साथ 27 अक्तूबर से 01 नवंबर, 2014 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया गया। इस दौरान विभिन्न कार्यकलाप जैसे पौधे लगाना, खेल–कूद, साइकिल रैली, मैत्री क्रिकेट मैच आदि आयोजित किए गए।

16.14 सतर्कता प्रभाग द्वारा निम्नलिखित प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया गयाः–

(i) बीईएल में सार्वजनिक क्षेत्र के सभी रक्षा उपक्रमों तथा आयुध निर्माणी के भर्ती किए गए/अप्रशिक्षित सतर्कता अधिकारियों के लिए 5 और 6 सितंबर, 2014 को रक्षा उत्पादन विभाग द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान संविदाओं की गहन जांच के लिए कारपोरेट सतर्कता द्वारा नियमावली तैयार की गई।

(ii) "सतर्कता एवं संविदा", "साइबर अपराध पर उभरती गतिविधियां", "साइबर नियम एवं घटना प्रतिक्रिया" "भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988", "सरकारी पद का दुरूपयोग'' "कुशल जांच पड़ताल" और "सीबीआई और सतर्कता के बीच वार्ता" पर विशिष्ट व्यक्तियों की बातचीत का आयोजन किया गया।

16.15 निम्न कार्यकलाप भी चलाए गएः

(i) कारपोरेट सतर्कता द्वारा सीवीसी परिपत्रों तथा दिशानिर्देशों के अनुरूप शिकायत निपटान नीति को जारी किया गया।

(ii) कार्य संविदाओं, खरीद आदेश और सेवा संविदाओं की सीटीई प्रकार की गहन जांच के लिए पांच दलों का गठन किया गया।

(iii) सी वी ओ, बीईएल ने पुणे यूनिट, बीईएल–ऑप्ट्रोमिक्स बेंगलुरू यूनिट और बीईएल की पंचकुला यूनिट में आकस्मिक निरीक्षण किए।

16.16 06 अगस्त, 2014 को भ्रष्टाचार जोखिम नीति जारी की गई और इसे बीईएल की सभी यूनिटों में कार्यान्वित किया गया। अधिक पारदर्शिता के लिए बीईएल वेबसाइट पर विक्रेता निर्देशिका को डाला गया है। बीईएल की सभी यूनिटों में लगभग 29 प्रणाली सुधार परियोजनाएं शुरू की गईं।

16.17 **गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स लिमिटेड (जीआरएसई):** जीआरएसई ने 27 अक्तूबर से 01 नवंबर, 2014 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया। जीआरएसई ने 29 अगस्त, 2014 को आयोजित सतर्कता अध्ययन कार्यक्रम में सक्रिय रूप से भाग लिया।

16.18 सतर्कता मामलों की स्थिति से अवगत कराने के लिए नियमित अंतरालों में सीएमडी के साथ संरचित बैठकें की जाती हैं। कंपनी में संवेदनशील पदों की पहचान की गई तथा उनको अधिसूचित किया गया तथा सीबीआई के साथ निकट संपर्क बनाए रखा गया। सीबीआई के परामर्श से सहमत सूची भी निकाली गई।

16.19 **गोवा शिपयार्ड लिमिटेड (जीएसएल):** वर्ष के दौरान सभी पणधारियों में निवारक सतर्कता और सतर्कता जागरूकता को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया है। किसी गलती और केन्द्रीय सतर्कता आयोग के दिशानिर्देशों के उल्लंघन को रोकने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में कार्य आदेशों/खरीद आदेशों के कई नियमित निरीक्षण और आकस्मिक जांच की गई। इसके अलावा पारदर्शिता को सुनिश्चित करने के लिए निम्न उपाय किए गए:–

(i) विक्रेताओं का ऑन लाइन पंजीकरण शुरू किया गया।

(ii) निष्क्रिय विक्रेताओं की पहचान करके उन्हें विक्रेता डाटाबेस से हटाया जा रहा है।

(iii) नए सिरे से भर्ती किए गए प्रबंधन प्रशिक्षुओं और कार्यनिष्पादकों को गोवा शिपयार्ड के सतर्कता ढ़ांचे तथा उसके कार्य से अवगत कराया गया।

(iv) गोवा शिपयार्ड में 27 अक्तूबर से 01 नवंबर, 2014 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया गया। "भ्रष्टाचार को रोकने के लिए प्रौद्योगिकी को योग्य बनाना'' पर वार्तालाप का आयोजन किया गया।

16.20 **हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड (एचएसएल):** 27 अक्तूबर से 01 नवंबर, 2014 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया गया। "भ्रष्टाचार को रोकने के लिए प्रौद्योगिकी को योग्य बनाना'' पर सेमीनार तथा सतर्कता जागरूकता सप्ताह के भाग के रूप में वाद–विवाद प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया।

61.21 1.00 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की सभी खरीद संविदाओं को सत्यनिष्ठा संविदा के अधीन कवर किया गया है और लगभग 95.5 प्रतिशत खरीद ई–अधिप्राप्ति के माध्यम से की जाती हैं। खरीद एवं भर्ती नियमावली को अद्यतन किया गया।

16.22 **माझगांव डॉक लिमिटेड (एमडीएल):** 27 अक्तूबर से 01 नवंबर, 2014 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया गया और सतर्कता जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए निम्न कार्यकलापों का आयोजन किया गया:

(i) **इन-हाउस सतर्कता पत्रिका "सुचरिता" खंड-XVII** प्रकाशित किया गया।

(ii) सतर्कता से संबंधित विषयों पर हिन्दी, मराठी और अंग्रेजी में स्लोगन, निबंध लेख, पोस्टर बनाने जैसी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया।

(iii) सतर्कता से संबंधित विषयों पर हिन्दी, मराठी तथा अंग्रेजी में स्लोगन और निबंध लिखने तथा पोस्टर बनाने की प्रतियोगिताओं का आयोजन किया

गया। माझगांव डॉक लिमिटेड में कर्मचारियों के लिए सतर्कता संबंधी विषयों पर एक ऑनलाइन क्वीज कंटेस्ट भी चलाया गया।

(iv) सतर्कता जागरूकता सप्ताह के अवसर पर माझगांव डॉक लिमिटेड के सतर्कता कर्मचारियों तथा वरिष्ठ कार्यनिष्पादकों सहित प्रमुख संविदाकारों/आपूर्तिकर्ताओं की एक "आपूर्तिकर्ता बैठक" का आयोजन किया गया

16.23 माझगांव डॉक लिमिटेड के प्रबंधकों ने बेहतर कारपोरेट शासन के लिए सतर्कता सीटीई/तत्काल जांच रिपोर्ट में दिए गए सुझावों को स्वीकार करते हुए वर्ष 2014 के दौरान 06 परिपत्र जारी किए। प्रणाली संबंधी सुधार के लिए सतर्कता कार्यनिष्पादकों द्वारा आकस्मिक/तत्काल जांचे की गईं और प्रबंधकों को सुझावों/उपचारात्मक उपायों की सिफारिश की गईं।

16.24 **भारत अर्थ मूवेर्स लिमिटेड (बीईएमएल):** बीईएमएल की शिकायत निपटान नीति के अधीन, सतर्कता ने फारवर्ड ई–आक्शन के संचालन, फारवर्ड ई–आक्शन के सर्विस प्रोवाइडर के चयन, ई–मोड में दवाइयों की अधिप्राप्ति, क्षेत्रीय कार्यालय में वाहन किराए पर लेने के लिए निविदा प्रणाली तथा उत्पादन यूनिट में उप–संविदा निविदा प्रक्रिया से संबंधित विभिन्न शिकायतों को निपटाया है।

16.25 कंपनी की व्यापारिक गोपनीयता और गोपनीय व्यापार सूचना की रक्षा के उद्देश्य से निकासी साक्षात्कार फारमैट को संशोधित किया गया है जिसमें कार्यपालक के कंपनी से अलग होने या इस्तीफा देने पर एक विवरण को शामिल किया गया है जिसमें उनसे यह पुष्टि कराई जाती है कि उन्होंने प्रकट न करने संबंधी समझौते शर्तों को समझ लिया है तथा वे उसका पालन करेंगे।

16.26 सतर्कता विभाग के लिए आईएसओ मानकों के अध्ययन तथा कार्यान्वयन के लिए 3 सतर्कता अधिकारियों के एक दल का गठन किया है। इस प्रक्रिया के भाग के रूप में सतर्कता नियमावली को अद्यतन किया जा रहा है। सतर्कता जागरूकता सप्ताह–2014 मनाने तथा ''भ्रष्टाचार को रोकने के लिए प्रौद्योगिकी को योग्य बनाना'' विषय पर बीईएमएल ने वरिष्ठ कार्यनिष्पादकों, प्रभाग प्रमुखों, अधिप्राप्ति प्रबंधकों, सीआईओ दल और सतर्कता अधिकारियों के लिए 'ई–अधिप्राप्ति' पर एक एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया।

16.27 **मिश्र धातु निगम लि. (मिधानि) :** लगभग 90 प्रतिशत अधिप्राप्ति ई–अधिप्राप्ति के माध्यम से की जाती है। ऑन लाइन विक्रेता पंजीकरण लागू किया जाता है। नई खरीद नीति शुरू की गई है। लगभग 80 प्रतिशत भुगतान आरटीजीएस के माध्यम से किए जा रहे हैं। सतर्कता से संबंधित महत्वपूर्ण मामलों पर सीएमडी और सीवीसी के बीच नियमित ढ़ांचागत बैठकें की जा रही हैं।

16.28 निवारात्मक सतर्कता के एक भाग के रूप में सतर्कता विभाग द्वारा निम्नलिखित कार्रवाई की गई है:–

(i) विभिन्न विषयों पर समय–समय पर प्रणाली सुधार से संबंधित सलाह जारी की गईं।

(ii) "अधिप्राप्ति एवं सामान्य अनियमितताओं" के संबंध में मध्यम स्तर के कार्यनिष्पादकों के लिए एक एकदिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया।

(iii) पारदर्शिता एवं निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए नियमित आधार पर अधिप्राप्ति फाइलों की जांच की जाती है।

(iv) पारदर्शिता एवं निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए रद्दी की नीलामी तथा उसके निपटान में सीटीई प्रकार की जांच की गई थी।

(v) कदाचार को रोकने के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्रों में आकस्मिक जांच की जाती हैं।

16.29 27 अक्तूबर से 01 नवंबर, 2014 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया गया। सतर्कता, भ्रष्टाचार पर बाहर के जाने माने व्यक्तियों द्वारा व्याख्यान दिए गए। इस अवसर पर निबंध लेख तथा विभिन्न प्रतियोगिताएं भी आयोजित की गई थी।

16.30 **भारत डायनामिक्स लि0 (बीडीएल):** सक्रिय सतर्कता के एक भाग के रूप में वर्ष के दौरान निम्नलिखित कार्रवाइयां की गईः

(i) डीपीपी तथा डीपीएम की भावना के अनुरूप एकीकृत प्रबंधन (अधिप्राप्ति/खरीद) नियमावली को संशोधित किया गया।

(ii) भर्ती नियमावली/नियमों को तैयार तथा कार्यान्वित किया गया।

(iii) 5–0 लाख रुपए से ऊपर की सभी अधिप्राप्तियां ई अधिप्राप्ति प्रक्रिया के माध्यम से की जाती हैं। ई–निविदा प्रक्रिया में भाग लेने के लिए नए बोलीदाताओं को ऑन लाइन प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

(iv) विक्रेता को सूचित करने के लिए ई–निविदा प्रणाली में ओटोमैटिक निविदा सूचना ई–मेल सुविधा उपलब्ध कराई गई है।

(v) कुल भुगतान में से 97 प्रतिशत भुगतान ई–भुगतान (आरटीजीएस/एनईएफटी/ई–हस्तांतरण) के माध्यम से किया गया था।

(vi) संविदाकारों के बिलों की निकासी के लिए ऑनलाइन प्रणाली शुरू की गई जिससे संविदाकारों को बिलों की स्थिति का पता लगाने में सुविधा होती है।

(vii) बीडीएल द्वारा ऑनलाइन विक्रेता पंजीकरण शुरू किया गया है विक्रेता आधार में सुधार किया गया है।

(viii) कंपनी में कंप्यूटरीकृत फाइल ट्रैकिंग प्रणाली (एफटीएस) आरंभ की गई।

(ix) अधिप्राप्ति में पारदर्शिता विशेष रूप से स्वमूलक मदों/उत्पादों के लिए एक स्थायी समिति का गठन किया गया है।

(x) बृहद जोखिम प्रबंधन नीति अपनाई गई है जिसमें भ्रष्टाचार को कम करना भी शामिल है।

16.31 "प्रौद्योगिकी के माध्यम से भ्रष्टाचार को रोकना" विषय के साथ 27 अक्तूबर से 01 नवंबर, 2014 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2014 मनाया गया। विजिलेंस कंपेडियम–2014 पर सीडी और पुस्तक का प्रकाशन किया गया तथा सतर्कता जागरूकता सप्ताह के भाग के रूप में आमंत्रित व्यक्तियों के व्याख्यान का भी आयोजन किया गया।

16.32 **गुणता आश्वासन महानिदेशालय (डीजीक्यूए):** सतर्कता निवारक सतर्कता निवारक के रखरखाव तथा पालन करने के लिए यूनिट/स्थापना स्तर पर आकस्मिक जांचे/सतर्कता जांचे की गईं।

6.33 सतर्कता जागरूकता सप्ताहः उपभोक्ता तथा विक्रेता संबंध की सफलता को बढ़ाने के लिए सभी यूनिटों/स्थापनाओं तथा डीजीक्यूए के मुख्यालय, तकनीकी निदेशालयों/प्रशासन निदेशालयों में 27 अक्तूबर से 01 नवंबर, 2014 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया गया।

16.34 प्रणाली सुधार अध्ययन–डीजीक्यूए में कदाचार रोकने हेतु अपनाए जाने वाले उपायों के बारे में सुझाव/सिफारिश देने के लिए तथा भ्रष्टाचार उन्मुखी या संदेहास्पद क्षेत्रों का पता लगाने के लिए वर्ष 2014 के दौरान आउट सोर्सिंग सेवाओं के लिए संविदा प्रस्तुत करने और 'स्थानिय क्रय निधियों के उपभोग' करने संबंधी विषयों पर प्रणाली सुधार पर अध्ययन का आदेश दिया।

16.35 **वैमानिकी गुणता आश्वासन महानिदेशालय (डीजीएक्यूए):** 28 अक्तूबर से 02 नवंबर, 2014 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह के दौरान जागरूकता

कार्यकलापों के एक भाग के रूप में उपयुक्त स्लोगन के साथ बैनर लगाए गए तथा इन हाउस परिचर्चाओं का आयोजन किया गया था।

16.36 डीजीएक्यूए की फील्ड स्थापनाओं द्वारा जारी जांच टिप्पणियों को सक्रिय तथा निवारक उपाय के रूप में डीजीक्यूए के मुख्यालय में निरंतर मॉनीटरी की जाती है। व्यापार स्त्रोतों के साथ व्यवहार में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए डीजी/डीजीक्यूए को आंकड़ों के संग्रहण संबंधी एक तिमाही रिपोर्ट उपलब्ध कराई जाती है। मुख्यालय में एसएजी स्तर के अधिकारी तथा फील्ड स्थापनाओं में वरिष्ठ स्तर के अधिकारियों द्वारा सतर्कता संबंधी मामलों की मॉनीरिंग कर रहे हैं। फील्ड स्थापनाओं के प्रमुखों की प्रत्येक तीन वर्षों में अदला बदली की जाती है।

16.37 **रक्षा उत्पादन विभाग द्वारा की गई कार्रवाइयाः** 02 जुलाई, 2014 को आयोजित वार्षिक क्षेत्रीय जोनल बैठक के दौरान सीवीसी ने डीडीपी (सतर्कता) को पिछले वर्ष की बैठक पर की गई कार्रवाई रिपोर्ट उपलब्ध कराने तथा रक्षा संगठनों के कार्यान्वयन में पारदर्शिता तथा निष्पक्षता लाने के लिए शुरू किए गए विभिन्न प्रणालीगत सुधारों के लिए प्रशंसा की। सीवीसी ने बताया कि डीडीपी पिछले वर्ष अच्छा कार्य किया तथा मामलों की शीघ्र निपटा गया।

16.38 सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रमों एवं आयुध निर्माणी बोर्ड की विभिन्न गतिविधियों में पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए कार्रवाई किए जाने योग्य बिंदुओं की एक व्यापक सूची अनुपालनार्थ सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रमों और आयुध निर्माणी बोर्ड को प्रचालित की गई है। मंत्रालय स्तर पर कार्रवाई योग्य बिंदुओं की गहन एवं नियमित मॉनीटरिंग द्वारा निम्नलिखित कार्रवाई का कार्यान्वयन किया गयाः–

(i) सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रम तथा ओएफबी द्वारा सीमित/एकल निविदा के अनुपात को कम करने के लिए सतत मॉनिटरिंग की जा रही है।

(ii) सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रम तथा ओएफबी द्वारा निष्क्रिय स्त्रोतों को हटाने सहित विक्रेता के डाटाबेस को नियमित रूप से अद्यतन किया जाता रहा है।

(iii) विक्रेताओं/संविदाकारों को यथासंभव सभी भुगतान ई–भुगतान द्वारा किए जाते हैं।

(iv) सार्वजनिक क्षेत्र के सभी रक्षा उपक्रमों एवं आयुध निर्माणी बोर्ड में संविदाकारों द्वारा प्रस्तुत बिलों की स्थिति की ऑन लाइन ट्रैकिंग को लागू किया गया।

(v) सार्वजनिक क्षेत्र के सभी रक्षा उपक्रमों एवं आयुध निर्माणी बोर्ड में सीवीओ और सीएमडी के बीच संरचनात्मक बैठकें की जा रही हैं।

(vi) सार्वजनिक क्षेत्र के सभी रक्षा उपक्रमों एवं आयुध निर्माणी बोर्ड में संवेदनशील पदों की संख्या का पता लगाया गया और अधिकारियों का रोटेशनल स्थानांतरण लागू किया जा रहा है।

16.39 विभिन्न सतर्कता संबंधी गतिविधियों मेंज्ञान बढ़ाने के लिए सभी डीपीएसओ और ओएफबी क अधिकारियों को रक्षा उत्पादन विभाग (सतर्कता) द्वारा बीईएल बेंगलोर में 03सितंबर और 4 सितंबर, 2014 को प्रशिक्षण दिलाया है।

रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग

16.40 रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग के प्रयोगशालाएं/स्थापनाएं राष्ट्रीय महत्व की महत्वपूर्ण संस्थापनाएं हैं और इसलिए यह अत्यावश्यक हो जाता है कि प्रयोगशालाओं की सुरक्षा से किसी भी हाल में समझौता नहीं किया जाएं। इनकी सुरक्षा में वृद्धि करने के लिए सख्त उपाय किए गए ताकि सुरक्षा में किसी भी प्रकार की चूक को रोका जा सके जिससे जानमाल का नुकसान हो सकता हो। डीआरडीओ प्रयोगशालाओं और स्थापनाओं की सुरक्षा

के लिए सतर्कता एवं सुरक्षा निदेशालय ने विभिन्न पहल की हैं और नियमित आधार पर सुरक्षा अनुदेश और दिशानिर्देश जारी किए हैं।

16.41 गणतंत्र दिवस एवं स्वतंत्रता दिवस के दौरान महत्वपूर्ण संस्थापनाओं की सुरक्षा व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने के लिए नीति संबंधी दिशानिर्देश और अनुदेश अर्थात वार्षिक सुरक्षा अनुदेश 2014 जारी किए गए थे।

16.42 डीआरडीओ प्रयोगशालाओं एवं स्थापनाओं के दौरे के लिए लगभग 4000 विदेशियों को सुरक्षा अनुमति प्रदान की गई थी। बेंगलूरू स्थित डीआरडीओ के सभी अधिकारियों के लिए एडीई बेंगलुरू में 09 जुलाई, 2014 को आसूचना ब्यूरो के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा सुरक्षा संवेदी कार्यक्रम का आयोजन किया।

16.43 वर्ष 2014 में आसूचना ब्यूरो, गृह मंत्रालय ने एडीआरडीई, आगरा, आईआरटी, चांदीपुर, डीएल जोधपुर, एडीए, बेंगलुरू, डीएमएसआरडीई कानपुर, डीआरडीएल हैदराबाद, आरसीआई हैदराबाद, सीएबीएस बेंगलुरू, आर एण्ड डी ई (इंजीनियर्स) पुणे और सीवीआरडीई चेन्नै का औद्योगिक सुरक्षा जांच किया।

16.44 डीईएएल एण्ड आईआरडीई देहरादून, एनपीओएल कोच्ची, एनएमआरएल अंबरनाथ, डीआरडीई परियोजना स्थल बोरखेदी, एडीआरडीई आगरा, पी1 एण्ड पी2 स्थल भुवनेश्वर, एडीई, सीएआईआर एण्ड एलआरडीई बेंगलुरू, डीएमएसआरडीई, कानपुर और टीबीआरएल चण्डीगढ की सुरक्षा लेखा परीक्षा की गई।

16.45 सुरक्षा मामलों में सभी कर्मचारियों को संवेदनशील बनाने के लिए आईटीएम मसूरी, पीओआईएनटीएस (डीआईएटी) पुणे, डीआरडीएल हैदराबाद, एलआरडीई बेंगलुरू और एलएएसटीईसी दिल्ली में सुरक्षा एवं सतर्कता पर व्याख्यान दिया गया।

17

महिला कल्याण और सशक्तीकरण

तीनों सेनाओं के महिला अफसरों के मार्चिंग दस्ते

सशस्त्र सेनाओं की उड़ान (परिवहन एवं हेलिकॉप्टर स्ट्रीम) संभारिकी और विधि जैसी विभिन्न गैर–योधी शाखाओं में महिलाओं की भर्ती शुरू करने से उनके लिए व्यापक भूमिका की परिकल्पना की गई है।

17.1 राष्ट्रीय रक्षा के क्षेत्र में महिलाओं की भूमिका में निरन्तर वृद्धि हो रही है। महिलाओं को रक्षा उत्पादन यूनिटों, रक्षा अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशालाओं और सशस्त्र सेनाओं में नियुक्त किया जाता है। सशस्त्र सेनाओं की उड़ान (परिवहन एवं हेलिकॉप्टर स्ट्रीम) संभारिकी और विधि जैसी विभिन्न गैर–योधी शाखाओं में महिलाओं की भर्ती शुरू करने से उनके लिए व्यापक भूमिका की परिकल्पना की गई है।

भारतीय सेना

17.2 **सेना में महिला अफसरः** सशस्त्र सेनाओं में महिला अफसर लगभग 80 वर्षों से सेवा कर रही हैं और उन्होंने बड़ी सक्षमता व विशिष्टता के साथ सेवा की है। इन्हें सैन्य परिचर्या सेवा में 1927 में तथा चिकित्सा अफसर संवर्ग में 1943 में शामिल किया गया था। सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा में स्थाई और अल्पकालीन सेवा कमीशन, दोनों प्रकार के अफसर हैं।

17.3 एक महत्वपूर्ण उपाय के रूप में, सेना में महिला के अल्पकालीन सेवा कमीशन की अवधि को 10 वर्ष से बढ़ाकर 14 वर्ष कर दिया गया है जिससे सेना में और अधिक महिलाएं भर्ती होंगी। इसके अलावा, उनके पदोन्नति के अवसरों में पर्याप्त रूप से वृद्धि की गई है। वे पहले केवल एक पदोन्नति अर्थात 5 वर्ष की सेवा के बाद मेजर रैंक में पदोन्नति के लिए पात्र थीं। महिला अल्पकालीन सेवा कमीशन अफसरों को क्रमशः 2, 6 तथा 13 वर्ष की संगणनीय सेवा के बाद क्रमशः कैप्टन, मेजर तथा लेफ्टि. कर्नल तक के समय–मान में बड़ी पदोन्नति दी जाती है। यह स्थाई सेवा कमीशन अफसरों को उपलब्ध पदोन्नतियों के समान है। इसके अलावा, लिंग समानता सुनिश्चित करने की दृष्टि से सेना में अल्पकालीन सेवा कमीशन में महिला अफसरों की प्रशिक्षण अवधि 24 सप्ताह से बढ़ाकर 49 सप्ताह कर दी गई जो अल्पकालीन सेवा कमीशन के पुरूष अफसरों के समान है।

17.4 राष्ट्र की रक्षा और देश की प्रादेशिक अखंडता का संरक्षण करने में सशस्त्र सेनाओं की भूमिका और जिम्मेदारी को दृष्टिगत रखते हुए, सेनाओं में महिलाओं की भर्ती और रोजगार संबंधी भावी नीति का निरूपण नवंबर, 2011 में किया गया है, जो इस प्रकार हैः–

(i) तीनों सेनाओं में, जिन शाखाओं/संवर्गों में महिला अफसरों को इस समय भर्ती किया जा रहा है वहां उन्हें अल्पकालिक कमीशन अफसर (एसएससीओ) के रूप में भर्ती किया जाता रहे।

(ii) महिला एस एस सी ओ तीनों सेनाओं की विशिष्ट अर्थात सेना की जज एडवोकेट जनरल और सेना शिक्षा कोर और नौसेना तथा वायु सेना में उनके तदनुरूप शाखाओं में नौसेना में नेवल कंस्ट्रक्टर व वायु सेना में लेखा शाखा में पुरूष एस एस सी ओ के साथ स्थाई कमीशन प्रदान किए जाने के लिए विचारार्थ पात्र होंगी।

(iii) उपर्युक्त के अलावा, वायु सेना में तकनीकी, प्रशासन, संभारिकी तथा मौसम विज्ञान शाखाओं में स्थाई कमीशन प्रदान किए जाने हेतु महिला एस एस सी ओ पुरूष एस एस सी ओ के साथ विचारार्थ पात्र होंगी।

17.5 स्थाई कमीशन प्रदान किया जाना उम्मीदवार की रजा मंदी और प्रत्येक सेना द्वारा यथानिर्धारित सेना विशेष की आवश्यकताओं, रिक्तियों की उपलब्धता, उपयुक्तता, उम्मीदवार की मेरिट की शर्त के अध्यधीन है।

भारतीय नौसेना

17.6 **महिला अफसरः** महिलाओं को नौसेना में कार्यपालक (प्रेक्षक, ए.टी.सी विधि और संभारिकी संवर्ग), शिक्षा शाखा और इंजीनियरी शाखा (नौसेना वास्तुशिल्प) में अल्प सेवा कमीशन अफसरों के रूप में भर्ती किया जा रहा है।

17.7 **एससीसी अफसरों को स्थायी कमीशनः** भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय ने दिनांक 26 सितम्बर, 2008 के पत्र सं. 12(I)/2004–डी(एजी) के तहत कार्यपालक शाखा (विधि संवर्ग), शिक्षा शाखा और इंजीनियरिंग शाखा (नौसेना वास्तुशिल्प) को पुरूष एवं महिला दोनों अल्प सेवा कमीशनप्राप्त अफसरों को भविष्यलक्षी प्रभाव से स्थायी कमीशन प्रदान करना अनुमोदित कर दिया है।

17.8 **महिला कर्मचारियों के लिए शिशुगृह (क्रैच) की सुविधाः** कारखाना अधिनियम, 1948 के अनुसार, कार्यस्थल के आहाते के भीतर महिला कर्मचारियों को क्रैच मुहैया कराया जाना होता है। नौसेना डॉकयार्ड (विजाग) के महिला कर्मचारियों के बच्चों के लिए यार्ड में अपेक्षित अवसंरचना और खिलौनों सहित एक क्रैच तैयार किया गया है।

17.9 **एनडब्लूडब्लूएः** नेवल वाइफ्स वेलफेयर एसोसिएशन महिलाओं के सशक्तीकरण और कल्याण का कार्य करता है। यह व्यावसायिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित करता है जिससे नौसैनिकों की पत्नियों का आत्मविश्वास बढ़ता है और उन्हें रोजगार के अवसर प्राप्त होते हैं जिसके द्वारा उन्हें स्वतंत्र और आत्म–निर्भर बनने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। यह संगठन नौसैनिकों के परिवारों को विपत्तियों से निपटने के लिए व्यावसायिक काउंसलिंग भी मुहैया कराता है। यह संगठन नौसेना कार्मिकों की विधवाओं और उनके शोक–संतप्त परिवारों के पुनर्वास में मदद करता है और उनकी विधवाओं को दृढ़, आत्म–निर्भर और स्वतंत्र बनने में प्रोत्साहित करता है।

17.10 **आम नागरिकों के सामान्य हितो संबंधी मुद्देः** वर्ष 2014 में, नौसेना के सिविलियन कर्मचारियों और नौसेना कार्मिकों की पत्नियों के लिए कल्याण के निम्नलिखित उपायों पर विचार किया गयाः

(क) **जेंडर सेंसिटीविटी कमेटीः** आईएनएचएस अश्विनी में, वरिष्ठ महिला अफसर (सर्ज कैप्टन) की अध्यक्षता में एक समिति विद्यमान है जो कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न संबंधी मुद्दों पर विचार करती है। उत्पीड़न के किसी घटना की रिपोर्ट नहीं की गई है।

(ख) **महिलाओं की नियुक्तिः** मुंबई स्थित वायुसेना स्टेशन के विभिन्न विभागों में जैसे कि मौसम विज्ञान, चिकित्सा, एटीसी और लाजिस्टिक में उनकी संख्याशक्ति के 75 प्रतिशत से अधिक महिला अफसर हैं जो संक्रियात्मक और प्रशासनिक कार्य में सक्रिय रूप से शामिल हैं।

(ग) **महिलाओं का कल्याणः** नौसेना डॉकयार्ड में महिला कर्मचारियों के कल्याण के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैंः

(i) केवल महिलाओं के लिए आराम कक्ष

(ii) चिकित्सा सहायता

(iii) मनोरंजन की सुविधाएं

(iv) कैंटीनों में चाय–पीने के लिए अलग कमरे का प्रावधान

17.11 **कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के प्रति महिला कर्मचारियों को सुग्राही बनाने के लिए कार्यशालाः** यार्ड के महिला कार्यबलों को कार्यस्थल

पर यौन उत्पीड़न के विरुद्ध सुग्राही बनाने के लिए एनएसआरवाई, पोर्ट ब्लेयर के महिला सेल द्वारा 4 अप्रैल, 2014 को एक कार्यशाला आयोजित की गई। इस कार्यशाला का उद्देश्य उपर्युक्त मुद्दे के प्रति जागरूकता बढ़ाना और उत्पीड़कों के विरुद्ध सामना करने के लिए महिलाओं को प्रोत्साहित करना है।

भारतीय वायुसेना

17.12 (i) भारतीय वायुसेना के नौ–सदस्यीय महिला अफसरों ने उच्च तुंगता पर लगभग 1400 कि.मी. दूरी तय करते हुए एक साइकलिंग अभियान सफलतापूर्वक पूरा किया। यह अभियान वायुसेना स्टेशन पठानकोट से प्रारंभ हुआ और 13 अगस्त, 2014 को खरदुंगला दर्रा पर समाप्त हुआ। पहली बार ऐसा कठिन अभियान चलाया गया जो सफलतापूर्वक पूरा हुआ।

(ii) भारतीय वायुसान की एक महिला अफसर क्वालीफाइड फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर बनी है।

17.13 **नीति निर्माण हेतु उठाए गए कदमः** महिला अफसरों पर भी व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए उनके पुरुष समकक्ष अफसरों के समान विचार किया जा रहा है और उनके ब्यौरे तैयार किये जा रहे हैं। चिकित्सा और दंत चिकित्सा अफसरों को छोड़कर भारतीय वायुसेना में महिला एसएससी अफसरों की नियुक्ति करने हेतु 22 जुलाई, 2014 को प्रशासनिक अनुदेश जारी किए गए हैं।

भारतीय तटरक्षक

17.14 भारतीय तटरक्षक सहायक कमांडेंट के रूप में महिला अधिकारियों की भर्ती, सामान्य डयूटी (स्थाई) सामान्य (पायलट/नौचालन) और कानून शाखाओं में सहायक/उप कमांडेंट के रूप में कर रहा है। महिला अधिकारियों की तैनाती केवल गैर–समुद्री नियुक्तियों में की जाती है। सामान्य डयूटी (वाणिज्यिक पायलट लाइसेंस धारक) शाखाओं में महिला अधिकारियों की अल्प सेवा नियुक्ति की जा रही है ताकि महिला अधिकारियों की भर्ती में वृद्धि हो। वाणिज्यिक पायलट लाइसेंस धारक महिला अधिकारियों की भर्ती उड़ान के लिए की जा रही है। महिला और पुरुष उम्मीदवारों की चयन प्रक्रिया समान है। अल्प सेवा स्कीम के अंतर्गत नियुक्त किए गए अधिकारियों को छोड़कर भारतीय तटरक्षक की महिला अधिकारियों के साथ अधिवार्षिता तक सेवा करने का विकल्प होता है। वर्तमान में भारतीय तटरक्षक में 108 महिला अधिकारी हैं। जहां तक संभव हो, विवाहित महिला अफसरों की तैनाती उसी स्टेशन पर करने पर विचार किया जाता है जहां उनके पति तैनात होते हैं।

आईसीजी महिला पाइलट उड़ान के लिए तैयार

रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन

17.15 डीआरडीओ कार्य के लिए एक स्वस्थ्य और सुरक्षित वातावरण सृजित करने के लिए प्रतिबद्ध है ताकि कर्मचारी बिना किसी भेदभाव, लिंग आधारित भेदभाव और यौन उत्पीड़न के भय के बिना कार्य करने में समर्थ हो सकें। इसके परिणामस्वरूप डीआरडीओ में निदेशकों जैसे उच्च स्थान प्राप्त करने के साथ–साथ महिला वैज्ञानिकों द्वारा राष्ट्रीय महत्व की कई रक्षा परियोजनाएं संचालित की जा रही हैं।

17.16 डीआरडीओ ने यौन उत्पीड़न अधिनियम, 2013 पर जारी सरकारी अनुदेशों और दिशानिर्देशों के अनुसार एक मसौदा नीति तैयार की है। जागरूकता सृजित करने और इस मसौदा नीति पर चर्चा करने के लिए सभी डीआरडीओ प्रयोगशालाओं स्थापनाओं की महिला शिकायत समिति के अधिकारियों के लिए रक्षा प्रयोगशाला, जोधपुर में दिनांक 26–27 नवम्बर, 2014 तक एक कार्यशाला का आयोजन किया गया।

17.17 लड़ाकू वाहन अनुसंधान एवं विकास स्थापना (सीवीआरडीई), चेन्नई में "वूमन इनोवेटर्स इन ग्रोथ ऑफ साइंस (विंग्स–2014)" पर एकदिवसीय कार्यशाला का आयोजन करके राष्ट्रीय स्तर पर अन्तराष्ट्रीय महिला दिवस, 2014 मनाया गया। देश भर से डीआरडीओ की विभिन्न प्रयोगशालाओं से 300 से अधिक महिला वैज्ञानिकों, प्रोद्योगिकविदों, अफसरों और कर्मचारियों ने इस कार्यशाला में भाग लिया। इस कार्यशाला का मुख्य केंद्र बिंदु विज्ञान, इंजीनियरिंग और अनुसंधान के क्षेत्र में महिलाओं द्वारा किया गया नवीन प्रवर्तन था।

रक्षा उत्पादन विभाग

17.18 **आयुध निर्माणी बोर्ड (ओएफबी):** सरकारी आदेशों के अनुसार, ओएफबी ने सभी आयुध निर्माणियों/यूनिटों को कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न निवारण (निवारण, निषेध और निराकरण) अधिनियम, 2013 के लिए अनुदेश तत्काल परिचालित करने हेतु जारी किया है। महिला कर्मचारियों को कार्य की पाली के अनुपयुक्त समय में तैनात नहीं किया जाता है और उन्हें सभी आधारभूत सुविधाएं जैसे कि उचित कार्य क्षेत्र, पृथक शौचालय, आरामगृह आदि सभी आयुध निर्माणियों/यूनिटों में मुहैया कराई गई हैं।

17.19 **हिन्दुस्तान एयरोनिटिक्स लिमिटेड (एचएएल):** 30 सितंबर, 2014 की स्थिति के अनुसार एचएएल में महिला कर्मचारियों की नफरी 2607 है। महिला कर्मचारियों को सभी सांविधिक कल्याण सुख सुविधाएं दी गई है। प्राप्त दिशानिर्देशों के आधार पर, कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकने के लिए आवश्यक कार्रवाई की गई है। इस संदर्भ में आचरण एवं अनुशासनात्मक अपील नियमावली और सर्टीफायड स्टैंडिंग आदेशों को संशोधित किया गया है। कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (निवारण, निषेध और निराकरण) अधिनियम, 2013 की धारा 4 के अनुसार आंतरिक शिकायत समिति भी गठित की गई है।

17.20 **भारत इलैक्ट्रानिक्स लिमिटेड (बीईएल):** कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (निवारण, निषेध और निराकरण) अधिनियम, 2013 की अपेक्षानुसार बीईएल के सभी यूनिटों/कार्यालयों में कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की शिकायतें प्राप्त करने के लिए आंतरिक शिकायत समिति गठित की गई है।

17.21 **गार्डेनरीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड (जीआरएसई):** जीआरएसई महिला शक्ति को संगठित करने तथा उसका उपयोग करने तथा महिला कर्मचारियों के विरुद्ध भेदभाव और लैंगिक पक्षपात को रोकने के लिए नियमित रूप से सेन्सीटाइजेशन कार्यशालाओं का आयोजन करता है। एक महिला अधिकारी के नेतृत्व में एक शिकायत समिति, जिसमें एक एनजीओ प्रतिनिधि होता है, का गठन कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की शिकायतों का निवारण करने के लिए किया गया है।

17.22 **गोवा शिपयार्ड लिमिटेड (जीएसएल):** यौन उत्पीड़न की रोकथाम और शिकायतों के निवारण के लिए एक 'शिकायत समिति' का गठन किया गया है जिसमें 50 प्रतिशत से अधिक महिला प्रतिनिधि और एक स्वतंत्र स्थानीय एनजीओ प्रतिनिधि होता है। महिला कर्मचारियों को उनके नवजात बच्चे के 15 माह की अवस्था प्राप्त करने तक अन्य संबंधित लाभों सहित समय में एक घंटे की अवधि तक की छूट दी गई है।

17.23 **हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड (एचएसएल):** कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न निषेध संबंधी एक आंतरिक शिकायत समिति गठित की गई है। चार महिला अधिकारियों को मिलाकर एक 'जेन्डर बजटिंग प्रकोष्ठ' का गठन किया गया है जो सभी जेन्डर अनुक्रियाशील बजटिंग पहलों के लिए नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करेगा।

17.24 **माझगांव डाक लिमिटेड (एमडीएल):** एमडीएल में सीपीएसयू फोरम 'सार्वजनिक क्षेत्र में महिलाएं' की एक यूनिट कार्यरत है। कार्यस्थल में लिंग विशिष्ट मुद्दों के सभी पहलुओं की जांच करने के लिए यौन उत्पीड़न की शिकायतों के लिए एक शिकायत निवारण प्रकोष्ठ स्थापित किया गया है। इस प्रकोष्ठ की प्रमुख एक महिला अधिकारी होती है। प्राप्त सभी शिकायतों का निवारण तत्परतापूर्वक किया जाता है और उनका नितान्त गोपनीय ढंग से निपटान किया जाता है।

17.25 **बीईएमएल लिमिटेडः** बीईएमएल में महिला कर्मचारियों/अधिकारियों की नफरी 309 है। महिलाओं को भर्ती, चयन, प्रशिक्षण और विकास आदि में समान अवसर दिए जाते हैं। निर्माणी अधिनियम, मातृत्व लाभ अधिनियम आदि के अंतर्गत सभी लागू सांविधिक प्रावधान, का अनुपालन भी अक्षरशः किया जा रहा है। उपर्युक्त के अतिरिक्त कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (निवारण, निषेध और निराकरण) अधिनियम, 2013 की अपेक्षानुसार, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की शिकायतें प्राप्त करने के लिए एक आंतरिक शिकायत समिति गठित की गई है। उन महिला कर्मचारियों/अधिकारियों जिनके 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं, को 200/–रु. प्रतिमाह का शिशुसदन भत्ता दिया जाता है। सभी वेज ग्रुप की महिला कर्मचारियों को 12 दिनों का आकस्मिक अवकाश प्रदान किया जाता है जबकि 'ए' से डी वेज ग्रुप के पुरुष कर्मचारियों को 7 दिन का आकस्मिक अवकाश प्रदान किया जाता है।

17.26 **भारत डायनामिक्स लिमिटेड (बीडीएल):** बीडीएल में 341 महिला कर्मचारी कार्यरत हैं जिनमें से 100 कार्यकारी और 241 गैर–कार्यकारी हैं और ये कम्पनी में कुल कर्मचारियों का 10.7 प्रतिशत है। महिला कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने के लिए कम्पनी सीपीएसयू मंच अर्थात 'सार्वजनिक क्षेत्र में महिलाएं' द्वारा आयोजित सम्मेलनों/कार्यक्रमों में भागीदारी के लिए आवश्यक सुविधाएं प्रदान करता है और अन्तरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाता है। वरिष्ठ महिला अधिकारी के नेतृत्व वाली एक शिकायत समिति का भी गठन किया गया है जो यौन उत्पीड़न की शिकायतों की जांच पड़ताल करती है।

17.27 **मिश्र धातु निगम लिमिटेड (मिधानि):** मिधानि महिला कर्मचारियों के कल्याण के लिए संविधि के अनुसार सभी सुविधाएं प्रदान कर रहा है। 31 दिसम्बर, 2014 की स्थिति के अनुसार महिला कर्मचारियों की नफरी 65 है। आंतरिक तथा बाहरी कार्यक्रमों के लिए कार्यकारी और गैर–कार्यकारी दोनों महिला कर्मचाररियों को नामित किया गया था। महिलाओं के सशक्तिकरण के प्रति मिधानि की प्रतिबद्धता के एक भाग के रूप में मिधानि 7 करोड़ रु. लागत से फास्टनर्स के निर्माण हेतु एक प्लान्ट स्थापित कर रहा है, जो अनन्य रूप से महिला कर्मचारियों द्वारा चलाया जाएगा।

भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग

17.28 भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग, लगभग 29 लाख भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्वास और कल्याण का निपटान करता है जिसमें सशस्त्र सेनाओं के पूर्व कार्मिकों की विधवाएं और उनके आश्रित सदस्य शामिल हैं। विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत लड़कियों और महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। केन्द्रीय सैनिक बोर्ड भूतपूर्व सैनिकों की पुत्रियों के विवाह, विधवा पुनर्विवाह और विधवाओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

17.29 प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति योजना के तहत बालिकाओं को छात्रवृत्ति की बढ़ी हुई राशि प्रदान की जाती है। भूतपूर्व सैनिकों की विधवाएं, महानिदेशालय के अधीन पुनर्वास प्रशिक्षण की पात्र हैं। पुनर्वास महानिदेशालय की कई रोजगार योजना जैसे कोल टिप्पर योजना, तेल उत्पाद एजेंसियां, सरप्लस वेहिकल्स आदि भी भूतपूर्व सैनिकों की विधवाओं के लिए खुली हैं। भूतपूर्व सैनिकों की सभी पात्र विधवाएं और उनके आश्रित निःशुल्क अर्थात किसी सदस्यता शुल्क का भुगतान किए बिना ईसीएचएस के सदस्य बनने के हकदार है।

रक्षा मंत्रालय के विभागों के कार्यों की सूची

क रक्षा विभाग

1 भारत और उसके प्रत्येक विभाग की रक्षा करना, इसमें रक्षात्मक तैयारियां तथा ऐसे सभी काम आते हैं जो युद्ध के समय युद्ध को ठीक ढंग से चलाने तथा युद्ध के बाद सेना को कारगर ढंग से विसंघटित करने के लिए सहायक हैं।

2. संघ की सशस्त्र सेनाएं अर्थात सेना, नौसेना वायु सेना।

3. रक्षा मंत्रालय के समेकित मुख्यालय जिनमें सेना मुख्यालय, नौसेना मुख्यालय, वायुसेना मुख्यालय और रक्षा सेवा मुख्यालय भी शामिल हैं।

4. सेना , नौसेना और वायुसेना के रिजर्व।

5. प्रादेशिक सेना।

6. राष्ट्रीय कैडेट कोर।

7. सेना, नौसेना और वायुसेना से संबंधित कार्य।

8. रिमाउंट, वेटरनरी और फार्म संगठन।

9. कैंटीन भंडार विभाग।

10. रक्षा प्राक्कलनों में वेतनभोगी सिविलियन सेवाएं।

11. हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण और नेवीगेशनल चार्ट बनाना।

12. छावनियों की स्थापना, छावनी क्षेत्रों की हदबंदी और कुछ क्षेत्रों को उसकी सीमा के बाहर निकालना, ऐसे क्षेत्रों के स्थानीय स्वायत्त शासन, ऐसे क्षेत्रों में छावनी बोर्डों का गठन तथा प्राधिकारी और उनकी शक्तियां तथा उनमें आवास संबंधी विनियम (इसमें किराया नियंत्रण भी शामिल है)।

13. रक्षा प्रयोजनों के लिए भूमि और संपत्ति का अर्जन, अधिग्रहण, अभिरक्षा और उसकी वापसी। अनधिकृत कब्जा करने वालों को रक्षा भूमि और संपत्ति से बेदखल करना।

14. रक्षा लेखा विभाग।

15. खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग को जिस खाद्य सामग्री की खरीद का काम सौंप गया है उसे छोड़कर, सेना की जरूरतों की पूर्ति के लिए खाद्य सामग्री की खरीद और उसका निपटान।

16. तटरक्षक संगठन से संबंधित सभी मामले जिनमें निम्नांकित भी शामिल हैं –

    (i) तेल बिखराव के प्रति समुद्री क्षेत्र की निगरानी।

    (ii) बंदरगाहों के जल क्षेत्र और अपतटीय खोज और उत्पादन प्लेटफार्मों, तटीय रिफाइनरियों और अनुषंगी सुविधाओं जैसे कि सिंगल बॉय मूरिंग (एस बी एम), क्रूड तेल टर्मिनलों (सी ओ टी) और पाइपलाइनों के 500 मीटर के भीतर के सिवाए विभिन्न समुद्री क्षेत्रों में तेल बिखराव के प्रति उपाय।

    (iii) तटीय तथा विभिन्न समुद्री क्षेत्रों के समुद्री पर्यावरण में तेल प्रदूषण को दूर करने के लिए केन्द्रीय समन्वय एजेंसी।

(iv) तेल बिखराव आपदा हेतु राष्ट्रीय आकस्मिकता योजना का कार्यान्वयन, और

(v) तेल बिखराव रोकथाम और नियंत्रण कार्य हाथ में लेना, देश में जलपोतों और अपतटीय प्लेटफार्मों का निरीक्षण कार्य करना, इसमें वाणिज्य, पोत परिवहन अधिनियम, 1958 (1958 का 44) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसार बंदरगाहों की सीमाओं के भीतर का क्षेत्र शामिल नहीं है।

17. देश में गोताखोरी और संबंधित कार्यकलापों से संबंद्ध मामले।

18. केवल रक्षा सेवाओं के लिए अधिप्राप्ति।

19. सीमा सड़क विकास मंडल और सीमा सड़क संगठन से संबंधित सभी मामले।

ख रक्षा उत्पादन विभाग

1. आयुध निर्माणी बोर्ड और आयुध निर्माणियां
2. हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड
3. भारत इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड
4. माझगांव डाक लिमिटेड
5. गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड
6. गोवा शिपयार्ड लिमिटेड
7. भारत डायनामिक्स लिमिटेड
8. मिश्र घातु निगम लिमिटेड
9. गुणता आश्वासन महानिदेशालय और वैमानिक गुणता आश्वासन महानिदेशालय सहित रक्षा गुणता आश्वासन संगठन।
10. मानकीकरण निदेशालय सहित रक्षा उपस्करों और भंडारों का मानकीकरण।
11. भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड
12. हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड
13. वैमानिकी उद्येग का विकास और नागर उड्डयन मंत्रालय तथा अंतरिक्ष विभाग से संबंधित प्रयोक्ताओं को छोड़कर अन्य के बीच समन्वय।
14. रक्षा उपस्करों का स्वदेशीकरण, विकास तथा उत्पादन और रक्षा उपस्करों के निर्माण में निजी क्षेत्र की भागीदारी।
15. रक्षा निर्यात और रक्षा उत्पादन में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग।

ग रक्षा अनुसंधान तथा विकास विभाग

1. विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हो रही प्रगति का राष्ट्रीय सुरक्षा पर होने वाले प्रभाव का जायजा लेकर रक्षा मंत्री को उसकी जानकारी और सलाह देना।
2. हथियारों , हथियार–प्लेटफार्मों , सैन्य संक्रियाओं, निगरानी , सहायता और संभारिकी आदि से संबंधित सभी वैज्ञानिक पहलुओं के संबंध में और संघर्ष के सभी संभावित क्षेत्रों में रक्षा मंत्री , तीनों सेनाओं और अंतर सेवा संगठनों को सलाह देना।
3. ऐसी प्रौद्योगिकियों, जिनका भारत को निर्यात विदेशी सरकारों के राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी नियंत्रण का विषय है, के अर्जन के बारे में विदेशी सरकारों के साथ समझौता प्रलेखों से संबंध सभी मामलों पर रक्षा मंत्रालय की नोडल समन्वय एजेंसी के रूप में विदेश मंत्रालय की सहमति लेकर कार्य करना।
4. राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित क्षेत्रों में वैज्ञानिक अनुसंधान तथा डिजाइन, विकास, परीक्षण और

मूल्यांकन संबंधी कार्यक्रम तैयार करना और उसे कार्यान्वित करना।

5. विभाग की एजेंसियों, प्रयोगशालाओं, स्थापनाओं, रेंजों, सुविधाओं, कार्यक्रमों और परियोजनाओं का निर्देशन और प्रशासन।

6. वैमानिकी विकास एजेंसी।

7. सैन्य विमानों के डिजाइन, उड़ान योग्यता का प्रमाणन, उनके उपस्करों तथा भंडारों से संबंधित मामले।

8 संसाधन जुटाने के लिए विभाग के कार्यकलापों से तैयार प्रौद्योगिकियों के संरक्षण और हस्तांतरण से संबंधित सभी मामले।

9. रक्षा मंत्रालय द्वारा प्राप्त की जाने वाली सभी शस्त्र प्रणालियों और तत्संबंधी प्रौद्योगिकी के अधिग्रहण और मूल्यांकन के कार्यों में भाग लेना तथा वैज्ञानिक विश्लेषण में सहायता करना।

10. उत्पादन यूनिटों और उद्यमों द्वारा सशस्त्र सेनाओं के लिए उपस्कर और भंडारों के विनिर्माण या विनिर्माण के प्रस्तावों के लिए प्रौद्योगिकी के आयात के प्रौद्योगिकीय तथा बौद्धिक संपदा संबंधी सभी पहलुओं पर सलाह देना।

11. पेटेंट अधिनियम 1970 (1970 का 39) की धारा 35 के अंतर्गत प्राप्त मामलों पर कार्रवाई करना।

12. राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित करने वाले विभिन्न पहलुओं पर विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी संबंधी अध्ययन और जनशक्ति को प्रशिक्षण संबंधी अध्ययन और जनशक्ति को प्रशिक्षण देने के लिए व्यक्तियों, संस्थानों तथा कार्पोरेट निकायों को वित्तीय तथा अन्य सामग्री संबंधी सहायता देना।

13 अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर विदेश मंत्रालय के परामर्श करके निम्नलिखित मामलों सहित राष्ट्रीय सुरक्षा में विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी की भूमिका से संबद्ध मामले :–

(i) अन्य देशों और अंतः सरकारी एजेंसियों के अनुसंधान संगठनों से संबंधित मामले विशेष रूप से जो अन्य कार्यों के साथ–साथ राष्ट्रीय सुरक्षा के वैज्ञानिक तथा प्रौद्योगिकीय पहलुओं से संबंधित हैं।

(ii) इस विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत कार्यरत भारतीय वैज्ञानिकों के तहत कार्यरत भारतीय वैज्ञानिकों और प्रौद्योगिकी–विदों को प्रशिक्षण और विदेशी छात्रवृत्ति उपलब्ध कराने के लिए विदेश स्थित विश्वविद्यालयों, शैक्षिक और अनुसंधान–उन्मुख संस्थाओं के साथ व्यवस्था करना।

14. विभाग के बजट से निर्माण कार्य करना और भूमि खरीदना जो विभाग के बजट के नामे डाले जाते हैं।

15. विभाग के नियंत्रणाधीन कार्मिकों से संबंधित सभी मामले।

16. इस विभाग के बजट से सभी प्रकार के भंडारों, उपकरणों और सेवाओं का अर्जन।

17. विभाग से संबंधित वित्तीय मंजूरिया।

18. राष्ट्रीय सुरक्षा के वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकीय पहलुओं को प्रभावित करने वाले कार्यकलापों से संबंधित भारत सरकार के किसी अन्य मंत्रालय, विभाग, एजेंसी के साथ समझौता अथवा व्यवस्था करके इस विभाग को सौंपे गए और इस विभाग द्वारा स्वीकार किए गए कोई भी अन्य कार्य।

घ भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग

1. भूतपूर्व सैनिकों से संबंधित मामले, जिनमें पेंशनभोगी भी शामिल हैं।
2. भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना।
3. पुनर्वास महानिदेशालय तथा केन्द्रीय सैनिक बोर्ड से संबंधित मामले।
4. निम्नलिखित का प्रशासन :
   (क) सेना के वास्ते पेंशन विनियम, 1961 (भाग 1 और 2);
   (ख) वायुसेना के वास्ते पेंशन विनियम, 1961 (भाग 1 और 2);
   (ग) नौसेना पेंशन विनियम, 1964य और
   (घ) सशस्त्र सैन्य कार्मिकों को हताहत पेंशनरी अवार्डों के हकदारी विनियम, 1982

ङ रक्षा (वित्त) प्रभाग

1. सभी रक्षा मामलों की वित्त संबंधी जांच करना।
2. रक्षा मंत्रालय और सेना मुख्यालयों के विभिन्न अधिकारियों को वित्तीय सलाह देना।
3. रक्षा मंत्रालय के एकीकृत वित्त प्रभाग के रूप में कार्य करना।
4. व्यय संबंधी सभी योजनाओंध्प्रस्तावों को तैयार करना और उनके कार्यान्वयन में सहायता करना।
5. रक्षा योजनाएं तैयार करने और उनके कार्यान्वयन में सहायता करना।
6. रक्षा सेनाओं के लिए रक्षा बजट और अन्य प्राक्कलन, रक्षा मंत्रालय के सिविल प्राक्कलन, रक्षा पेंशनरों के संबंध में प्राक्कलन तैयार करना और बजट के अनुरूप योजनाओं की प्रगति पर निगरानी रखना।
7. बजट बनाने के बाद यह सुनिश्चित करना कि व्यय न तो बहुत कम हो और न ही अनपेक्षित रूप से अधिक हो।
8. सशस्त्र सेना मुख्यालयों की शाखाओं के प्रमुखों को अपने वित्तीय दायित्व का निर्वाह करने के लिए सलाह देना।
9. रक्षा सेवाओं के लिए लेखा प्राधिकारी के रूप में कार्य करना।
10. रक्षा सेवाओं के लिए विनियोजन लेखा तैयार करना।
11. रक्षा लेखा महानियंत्रक के माध्यम से रक्षा व्यय के भुगतानों और आंतरिक लेखापरीक्षा के दायित्व का निर्वाह करना।

1 जनवरी, 2014 से आगे पदासीन मंत्री, सेनाध्यक्ष और सचिव

रक्षा मंत्री

श्री ए.के.अन्टनी — 24 अक्तूबर, 2006 से 26 मई, 2014
श्री अरूण जेटली — 27 मई, 2014 से 8 नवम्बर, 2014
श्री मनोहर पर्रीकर — 9 नवम्बर, 2014 से आगे

रक्षा राज्य मंत्री

श्री जितेन्द्र सिंह — 28 अक्तूबर, 2012 से 26 मई, 2014
राव इंद्रजीत सिंह — 27 मई, 2014 से आगे

रक्षा सचिव

श्री राधा कृष्ण माथुर,
24 मई, 2013(पूर्वाह्न) से आगे

सेनाध्यक्ष

जनरल बिक्रम सिंह,
पीवीएसएम, यूवाईएसएम, एवीएसएम,
एसएम, वीएसएम, एडीसी
1 जनवरी, 2012 से 31 जुलाई, 2014

सचिव रक्षा उत्पादन

श्री गोकुल चंद्र पति
7 अगस्त, 2013(पूर्वाह्न) से 31 जुलाई, 2014 (अपराह्न)
श्री राधा कृष्ण माथुर
1 अगस्त, 2014 (पूर्वाह्न) से 31 अगस्त, 2014 (अपराह्न)
श्री जी. मोहन कुमार
1 सितम्बर, 2014(पूर्वाह्न) से आगे

जनरल दलबीर सिंह
पीवीएसएम, यूवाईएसएम, एवीएसएम, वीएसएम, एडीसी
1 अगस्त, 2014 से आगे

नौसेनाध्यक्ष

एडमिरल डी.के.जोशी
पीवीएसएम, एवीएसएम, वाईएसएम, एनएम, वीएसएम, एडीसी
1 सितम्बर, 2012 से 26 फरवरी, 2014

सचिव, भूतपूर्व सैनिक कल्याण

श्रीमती संगीता गैरोला
4 जुलाई, 2013 (अपराह्न) से 31 अक्तूबर, 2014 (अपराह्न)
श्री प्रभु दयाल मीणा
1 नवम्बर, 2014(पूर्वाह्न) से आगे

एडमिरल आर के धवन
पीवीएसएम, एवीएसएम, वाईएसएम, एडीसी
17 अप्रैल, 2014 से आगे

सचिव (रक्षा अनुसंधान एवं विकास) तथा रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार

डॉ. अविनाश चंद्र

31 मई, 2013(अपराह्न) से 31 जनवरी, 2015 (अपराह्न)

श्री राधा कृष्ण माथुर

1 फरवरी, 2015 (पूर्वाह्न) से आगे

वायुसेनाध्यक्ष

एयर चीफ मार्शल अरूप राहा,

पीवीएसएम, एवीएसएम, वीएम, एडीसी

1 जनवरी, 2014 से आगे

सचिव रक्षा वित्त

डॉ. अरूणव दत्त

1 जुलाई, 2013(पूर्वाह्न) से 30 अक्तूबर, 2014(अपराह्न) तक

श्रीमती वंदना श्रीवास्तव

1 नवम्बर, 2014 (पूर्वाह्न) से आगे

महत्वपूर्ण लेखा–परीक्षा टिप्पणियों का सारांश – रक्षा मंत्रालय वर्ष 2014 की रिपोर्ट सं.4 (वायुसेना और नौसेना)

I एक प्रणाली के विकास पर निष्फल व्यय

एक विमान की परिचालन क्षमता को बढ़ाने के लिए संस्वीकृत इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट के विकास कार्यक्रम पर बने रहने के अविवेकपूर्ण निर्णय के कारण ₹156 करोड़ का निवेश व्यापक रूप से निष्फल रहा।

(पैराग्राफ 2.1)

II एक वायुयान के उन्नयन मे विलम्ब

सविंदा को शुरू करने और समाप्त करने में विलम्ब के कारण एक वायुयान के उन्नयन हेतु सुविधाएं, प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण पर ₹272 करोड़ का निवेश करने के बावजूद, समय पर प्रदान नहीं की जा सकी जिसके परिणामस्वरूप परिवहन वायुयान बेड़े के 50 प्रतिशत विमान जमीन पर ही खड़े रहे।

(पैराग्राफ 2.2)

III एयरो-इंजनो की अधिप्राप्ति में परिहार्य व्यय

एयरो-इंजनों की दीर्घकालिक मांग की जानकारी होने के बावजूद, भारतीय वायुसेना समस्त मांग को प्रक्षिप्त करने में विफल रही जिसके परिणास्वरूप 100 एयरों-इंजनों की अधिप्राप्ति पर ₹227 करोड़ का अतिरिक्त परिहार्य व्यय हुआ।

(पैराग्राफ 2.3)

IV लेंडिग क्राफ्ट यूटिलिटी के अधिग्रहण हेतु संविदा में लाभ की परिवर्ती प्रतिशतता को शामिल न करना।

₹2169 करोड़ की लागत पर आठ लेडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी (एल सी यू) के अधिग्रहण की सविंदा में शिपयार्ड को सीधा 10 प्रतिशत लाभ अनुमत किया गया। संविदा में निष्पादन संबंधी लाभ शामिल करने से मंत्रालय को शिपयार्ड के निष्पादन के आधार पर लाभ पर नियंत्रण किया जा सकता था। 10 प्रतिशत का निश्चित लाभ अनुमत करने के कारण, मंत्रालय ने स्वयं ही ₹40.96 करोड़ की सीमा तक लाभ कम करने के अवसर से इनकार कर दिया। इसके अतिरिक्त, संविदा मे परियोजना प्रबंधन लागत के प्रति ₹9 करोड़ का प्रावधान अनुचित था।

(पैराग्राफ 2.4)

V परीक्षण उपकरणों की अधिप्राप्ति पर परिहार्य व्यय

बढ़े हुए कार्यभार को पूरा करने के लिए ₹11करोड़ के अतिरिक्त जांच उपस्कर के अधिप्राप्ति परिहार्य थी क्योकिं बी आर डी पर आधार मरम्मत स्तर की सुविधा, स्थापित करने के लिए पहले ही प्राप्त कर ली गई थी जिससे बढ़े हुए कार्यभार को पूरा किया जा सकता था।

(पैराग्राफ 3.1)

VI परीक्षण उपकरणों की कमीशनिंग करने में विलम्ब

संविदाओं मे चालूकरण की शर्त शामिल न करने के कारण, ₹5.47 करोड़ की लागत पर अधिप्राप्त चार वर्ष से अधिक तक चालू नहीं किया जा सका और वह अब अप्रयोज्य हो गया था।

(पैराग्राफ 3.2)

VII यांत्रिक परिवहन निदेशालय, वायुसेना मुख्यालय

वायुसेना मुख्यालय पर यांत्रिक परिवहन निदेशालय (डी एम टी), वाहनों की विभिन्न श्रेणियों

और उनके सहायक उपस्कर के संबंध में योजना बनाने, पूर्वानुमान, प्रबंध-व्यवस्था और बजटिंग के लिए उत्तरदायी है। अप्रैल 2012 से सितम्बर 2012 तक डी एम टी वायुसेना मुख्यालय तथा उसके नियंत्रणाधीन यूनिटों की विस्तृत लेखापरीक्षा के दौरान, लेखापरीक्षा ने देखा कि ₹132.09 करोड़ मूल्य के 408 वायुयान सहायता वाहन (ए एस वी), जिनकी आपरेशन पराक्रम के पृष्ठपट में योजना (2007) बनाई गई थी, अधिप्राप्त नहीं किए जा सके। इसके अतिरिक्त, एस यू-30 यूनिटों के लिए अधिप्राप्त ₹6.63 करोड़ मूल्य की 37 शस्त्र लोडर ट्रॉलियां अनुपयुक्त पाई गई थी, जिनके कारण ये यूनिट एक बड़े ए एस वी से वंचित रहे। नए शुरू किए गए सामान्य प्रयोक्ता वाहन (सी य ूवी) अभिप्रेत उद्देश्य के अलावा विपथित कर दिए गए थे। मंत्रालय द्वारा जोर देने के बावजूद वायु सेना स्टेशन, नई दिल्ली द्वारा स्टाफ कारों की बाह्य स्त्रोत में विलम्ब के कारण भारतीय वायुसेना स्टाफ कारों की बाह्य स्त्रोत पर ₹1.95 करोड़ की परिकल्पित (2008) वार्षिक बचत से वंचित रही।

(पैराग्राफ 3.3)

VIII भारतीय वायुसेना में हवाई क्षेत्र संभार-तंत्र/रनवे की उपलब्धता

वायुयान क्षेत्र भूमि का एक क्षेत्र होता है जिसमें रनवे, टैक्सी-पथ, छितराव, ब्लास्ट पैन तथा क्षेत्र के चारों ओर सुरक्षा का समस्त जोन शामिल होता है जिसका विमान के परिचालन हेतु प्रयोग किया जाता है। दस रनवे पुनः सतहीकरण परियोजनाओं से संबंधित अभिलेखों की संवीक्षा के दौरान, लेखापरीक्षा ने देखा कि रनवे पुनः सतहीकरण और ब्लास्ट पैनों के लिए कार्यों की संस्वीकृति मे विलम्ब के मामले थे। कार्यों के निष्पादन में भी विलम्ब थे, विशेषकर संस्वीकृति के पश्चात् डिजाइन के परिवर्तन के कारण समय और लागत का अतिलंघन हुआ। तीन स्टेशनों पर रनवे लडाकू विमानों के परिचालन हेतु उपयुक्त नहीं थे। अधिकतर मामलों में, ठेकेदार द्वारा निष्पादित कार्य घटिया स्तर का था जबकि एम ई एस द्वारा किया गया पर्यवेक्षण उचित नहीं था।

(पैराग्राफ 3.5)

IX अनुपयुक्त योजना एवं कार्य के निष्पादन के कारण निधियों का अवरोधन

राजस्व प्राधिकारियों से आवश्यक सहमति लिए बिना बिजली की लाइनों के पुनः मार्गीकरण के लिए वर्ष 2008 से ₹6.14 करोड़ की राशि की निधियों का अवरोधन हुआ।

(पैराग्राफ 3.6)

X आयकर का परिहार्य भुगतान

रक्षा मंत्रालय के कार्यो पर रियायतों का लाभ उठाने के लिए संविदागत प्रावधानों का पालन करने में विफलता के परिणामस्वरूप आयकर के प्रति ₹69.40 करोड़ परिहार्य भुगतान हुआ।

(पैराग्राफ 3.7)

XI एक निजी संगठन को कार्यालय हेतु स्थान का आंबटन

डी आर डी ओ द्वारा एक निजी संगठन को कार्यालय स्थान का अनियमित आबंटन करने के कारण राज्य को ₹5.67 करोड़ की राजस्व हानि हुई।

(पैराग्राफ 3.8)

XII लेखापरीक्षा के दृष्टान्त पर वसूलियां

लेखापरीक्षा के कहने पर, भारतीय वायुसेना प्राधिकारियों ने भारतीय वायुसेना कार्मिक तथा एक निजी फर्म को किए गए ₹0.70 करोड़ के अनियमित भुगतान की वसूली की। प्रधान नियंत्रक रक्षा लेखा (नौसेना) ने केवल लेखापरीक्षा द्वारा संकेत किए जाने के बाद ही ईंधन की देर से सुपुर्दगी के लिए निर्धारित हानिपूर्ति के रूप में एक निजी फर्म से ₹1.39 करोड़ की वसूली की ।

(पैराग्राफ 3.10 और 4.8)

XIII एक पनडुब्बी की रीफिट में अपर्याप्तताएं

भारतीय नौसेना की 2006 मे एक पनडुब्बी का रीफिट शुरू करने के लिए 204 प्रकार के आवश्यक अतिरिक्त पुर्जों की अधिप्राप्ति समक्रमित करने में विफलता ने रीफिट की गुणता और पूर्णता को प्रभावित किया। इसके अतिरिक्त, बाद की तारीख को केवल 89 अतिरिक्त पुर्जों की देर से खरीद के कारण ₹18 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ।

(पैराग्राफ 4.1)

XIV ड्रेजिंग अनुरक्षण पर ₹33.91 करोड़ का निष्फल व्यय

अनुरक्षण ड्रेजिंग पोतों, पनडुब्बियों तथा अन्य क्राफ्टों के सुरक्षित नौसंचालन के लिए नौसैनिक चैनलों तथा क्षेत्रों में न्यूनतम गहराई अनुरक्षित करने के लिए किया जाने वाला एक वार्षिक क्रियाकलाप है, हालाँकि मॉनसून में ड्रेजिंग एक व्यवहार्य विकल्प नहीं था, फिर भी संविदा की निविदाकरण और समापन में विलम्ब के कारण चरम मॉनसून के दौरान ड्रेजिंग हुआ, जिसके कारण ₹33.91 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ।

(पैराग्राफ 4.6)

XV एक हैगंर के निर्माण पर निष्फल व्यय

ठेकेदार के अनुचित चयन, अनुवर्ती घटिया संविदा प्रबंधन तथा ढांचे के दोषपूर्ण डिजाइन के परिणामस्वरूप आई एन एस राजाली, अरक्कोनम पर हैंगर के निर्माण में ₹6.72 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ। एक दशक के बीतने के बाद भी, एक अतिरिक्त हैंगर के लिए आई एन एस राजाली मे परिचालन अपेक्षा पूरी नहीं की जा सकी।

(पैराग्राफ 4.8)

XVI डुबकी धन का मिथ्या दावा

भारतीय नौसेना के सभी अर्हताप्राप्त गोताखोर एक विशिष्ट संवर्ग से संबंधित हैं और "गोता भत्ता" तथा "डुबकी धन" के पात्र हैं। तथापि, आई एन डी टी (दिल्ली) पर, कमजोर आन्तरिक नियंत्रण, अनुचित दस्तावेज अनुरक्षण तथा कार्यालयी अभिलेख की जालसाजी के कारण डुबकी धन के रूप में ₹10.24 लाख का गलत भुगतान हुआ।

(पैराग्राफ 4.9)

XVII नौसेना में द्वीप विशेष कार्य भत्ते का अधिक भुगतान

अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह पर काम करने वाले कार्मिकों के लिए द्वीप विशेष कार्य भत्ता (आई एस डी ए) एक बार में 15 दिन से अधिक तथा एक वर्ष में 30 दिन से अधिक छुट्टी/प्रशिक्षण परीक्षण के दौरान तथा निलम्बन और कार्यग्रहण अवधि में ग्राह्य नहीं है। तथापि नौसेना द्वारा आई एस डी ए के भुगतान क नियमन से संबंधित सरकारी आदेशों की गलत व्याख्या के कारण ₹3.29 करोड़ का अधिक भुगतान हुआ। इसके अतिरिक्त, इस अनियमितता की जानकारी होने के बावजूद, नौसेना ने स्थिति को सुधारने के लिए कोई कार्रवाही नहीं की।

(पैराग्राफ 4.11)

XVIII भारतीय तटरक्षक पोत विक्रम की लघु रीफिट पर परिहार्य व्यय

डीकमीशनिंग/ निपटान की प्रतीक्षा कर रहे पोतो के लिए तटरक्षक अनुदेशों के अनुसार, अनिवार्य मरम्मत शुल्क गोदीकरण (ई आर डी डी) नामक केवल अनिवार्य मरम्मत ही पोत के निपटान तक सुरक्षित प्लवन सुनिश्चित करने के लिए की जानी चाहिए। इसके विपरीत, आई सी जी एच क्यू के दो निदेशालयों के बीच समन्वय के अभाव के कारण भारतीय तटरक्षक पोत विक्रम पर ₹5.66 करोड़ की लागत पर एक महंगी लघु रीफिट (एस आर) की गई थी।

(पैराग्राफ 5.1)

XIX नौसैनिक डी आर डी ओ प्रयोगशालाओं में गुणात्मक आवश्यकताओं पर आधारित परियोजनाएं

संघ सरकार (रक्षा सेवाएं) थल सेना और आयुध निर्माणियां 2014 की रिपोर्ट सं. 30

II. रक्षा मंत्रालय

पैरा 2.1 रक्षा भूमि का अनुपयुक्त प्रबंधन

रक्षा संपदाओं के खराब प्रबंधन के मामले पर विभिन्न लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में बार–बार बल दिए जाने तथा लोक लेखा समिति द्वारा संबद्ध नियमों एवं विनियमों के कड़े अनुपालन हेतु विनिर्दिष्ट निर्देशों के जारी किए जाने के बावजूद रक्षा भूमि के प्रबंधन में कोई सुधार नहीं हुआ। इसके परिणामस्वरूप, रक्षा भूमि के दुरूपयोग से सम्बन्धित अनियमितताएं पट्टों के नवीनीकरण/समापन में असाधारण विलंब किरायों के बकायों का अधिक मात्रा में संचयन सम्मिलित है, दूसरे विभागों द्वारा रक्षा भूमि का अनधिकृत अधिभोग आदि निरंतर चलते रहे।

पैरा 2.2 टैंक में वातानुकूलकों (ए.सी.) को समाविष्ट न करना

जांच दल की संस्तुतियों की उपेक्षा करते हुए रक्षा मंत्रालय ने 2001 और 2007 में वातानुकूलकों के बिना ₹9083.36 करोड़ मूल्य के टैंक 'एक्स' संवेदनशील संघटकों के अवक्रमण के लिए सुभेद्य हो गया। तथापि, वातानुकूलकों की खरीद की कार्यवाही 2002 में शुरू कर दी गई थी, जो कि अब तक नहीं हुई है।

पैरा 2.4 कार्य अनुरूप प्रगति के बिना असमकालिक भुगतान

मॉनीटरिंग सेल, जिसमें थल सेना और भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड के सदस्य सम्मिलित थे, कार्य में अनुरूप प्रगति के साथ भुगतान को विवेकपूर्ण रूप से सुबद्ध करने के विफल रहा, जिसके परिणामस्वरूप मैसर्स भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड को ब्याज रहित ₹110 करोड़ के अग्रिम का भुगतान किया गया। इसके परिणामस्वरूप लगभग नौ वर्ष पूर्व ₹313.72 करोड़ का अग्रिम भुगतान करने के बावजूद पोन्टून मिड स्ट्रीम ब्रिजों की आपूर्ति हेतु 2001 में दिया गया आदेश फलप्रद सिद्ध नहीं हुआ।

पैरा 2.5 आवश्यक नियंत्रण के अभाव में बकाया देय की वसूली न होना

संयुक्त राष्ट्र (यू.एन.) से शान्ति मिशनों से सम्बन्धित वसूलियां प्राप्त करने के मामले में विदेश मंत्रालय (एम.ई.ए.) और रक्षा मंत्रालय के बीच दायित्व के सम्बन्ध में अस्पष्टता के परिणामस्वरूप न केवल बहुत अधिक बकाया शेषों का संचयन हुआ, अपितु उससे बंद चार मिशनों से देय ₹73.84 करोड़ की प्रतिपूर्ति भी असंभाव्य हो गयी।

III. सेना

पैरा 3.1 एक अपंजीकृत और अनुभवहीन फर्म से पूर्व तकनीकी जांच के निबा निम्न-स्तर के भंडारों की स्वीकृति

रक्षा मंत्रालय (सेना) के एकीकृत मुख्यालय ने प्रतिदर्श की उचित जांच एवं पूर्वानुमोदन के बिना एक अपंजीकृत विक्रेता से अप्रैल 2008 और अगस्त 2008 के बीच ₹ 2.54 करोड़ मूल्य के परम शीत ऋतु हेतु मास्क की अधिप्राप्ति की, जिसके कारण 92783 मास्क जिनका मूल्य ₹ 1.82 करोड़ था, अप्रयुक्त रह गए।

पैरा 3.4 भंडारों के पुनः परिवहन पर परिहार्य व्यय

'परिवहन नमूना' जिसमें आपूर्तिकर्ता द्वारा अंतिम परेषिती को भंडारों का प्रत्यक्ष परिवहन परिकल्पित था, का पालन करने में सेना मुख्यालय की विफलता के कारण ₹ 5.45 करोड़ का परिहार्य अतिरिक्त व्यय हुआ जिसने उसे उद्देश्य को ही विफल कर दिया जिसके लिए परिवहन नमूना परिकल्पित था।

पैरा 3.5 भवनों में अप्राधिकृत मजबूती के उपायों के प्रावधान के कारण अतिरिक्त खर्च

भारतीय मानक 1893: 2002, भारतीय राष्ट्रीय भवन संहिता 2005 और केन्द्रीय कमान निर्माण कार्य विनिर्देशन के उल्लंघन में सम्बन्धित सक्षम वित्तीय प्राधिकारियों ने भूकंपीय अंचल II और III में भवनो के निर्माण हेतु अतिरिक्त प्लिंथ क्षेत्र दरों को सम्मलिति करते हुए संस्वीकृतियां प्रदान की, जिसके परिणामस्वरूप ₹2.34 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ।

पैरा 3.6 रक्षा आवास का अनधिकृत उपयोग

विनिर्दिष्ट सरकारी आदेशों और भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के विभिन्न प्रतिवेदनों के रहते हुए भी, स्थानीय कमांडरों ने अनुचित उद्देश्यों के लिए दिल्ली एवं पुणे छावनियों के सरकारी भवनों के पुनर्विनियोजन के द्वारा उनकी प्रत्यायोजित शक्तियों का दुरुपयोग किया।

IV निर्माण एवं सैन्य इंजीनियरिंग सेवा

पैरा 4.2 खराब योजना के परिणामस्वरूप कार्य का निलंबन और सरकारी सम्पत्ति का नुकसान

थल सेना ने उपगमन सड़क के प्रावधान पर विचार कि बिना ₹ 9.04 करोड़ की भूमि का अधि ाग्रहण किया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 3 करोड़ व्यय करने के बाद निर्माण कार्य को निलंबित करना पड़ा। इससे परिसंपत्तियों को ₹ 37 लाख की क्षति पहुची तथा ₹1.87 करोड़ के निवारक निर्माण कार्यों की आवश्यकता हुई।

V रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन

पैरा 5.3 डीआरडीओ द्वारा अधिप्राप्तियों में नियमों का उल्लंघन

रक्षा मंत्रालय एवं विकास संगठन ने सेना से आदेश प्राप्त होने की प्रत्याशा में ₹52.58 करोड़ की लागत पर नाग मिसाइल के उत्पादन में अपेक्षित एक महत्वपूर्ण संघटक की अधिप्राप्ति की, जिसके परिणामस्परूप ₹34.70 करोड़ सरकारी धन का अवरोधन हुआ।

VI आयुध निर्माणी संगठन

पैरा 6.4 निविदा पूछताछ एवं संविदा की शर्तों को हल्का करने से एक विदेशी फर्म को अनुचित लाभ

रक्षा अधिप्राप्ति नियमावली का उल्लंघन करके आयुध फैक्ट्री, बड़मल ने उत्पादित महीने के निर्धारण के बिना ₹2.58 करोड़ मूल्य की पी.सी. शीटों को स्वीकृत करके एक विदेशी फर्म को अनुचित लाभ दिया। इसके साथ–साथ पी.सी. शीटें आयुध फैक्ट्री, चंदा को विलम्बित निर्गम करने के फलस्वरूप ₹0.67 करोड़ मूल्य की पी.सी. शीटों के संचय से उनकी शैल्फ लाईफ समाप्त हो गई।

संघ सरकार (रक्षा सेवाएं) सेना और आयुध निर्माणियां तथा सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रम; 2014 की रिपोर्ट सं.35

II रक्षा मंत्रालय

पैरा 2.1 टाट्रा वाहनों के स्वदेशीकरण में अत्यधिक विलंब

2.1 भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, जो एक रक्षा पी एस यू है, ने भारतीय थलसेना की निरंतर आवश्यकता को पूरा करने के लिए तथा आत्म–निर्भरता प्राप्त करने और विदेशी विनिमय में बचत करने हेतु चेकोस्लोवाकिया के मेसर्स ओमनीपॉल के साथ 1986 में टाट्रा वाहनों के स्वदेशीकरण के लिए सहयोग उपबंध पर हस्ताक्षर किए। बी ई एम एल द्वारा 1991 तक 86 प्रतिशत स्वेदशीकरण के लिए एक सहयोग उपबंध पर हस्ताक्षर किए। बी ई एम एल द्वारा 1991 तक 86 प्रतिशत स्वेदशीकरण प्राप्त करने का लक्ष्य परिकल्पित किया गया था। तथापि, 2014 तक यह

लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया है। बी ई एम एल ने 1986 और 1991 के बीच वाहनों के पर्याप्त संख्या में आदेश देने में मंत्रालय की विफलता को इस विलंब का मुख्य कारण बताया। थलसेना द्वारा बी ई एम एल को दीर्घ अवधि के लिए दिए गए आदेशों में स्पष्ट कमी के कारण टाट्रा वाहनों की स्वदेशीकरण प्रक्रिया को नुकसान हुआ। इसके परिणामस्वरूप टाट्रा वाहनों के उत्पादन में आत्म–निर्भरता का लक्ष्य विफल हो गया।

पैरा 2.2 ₹27.32 करोड़ मूल्य के अस्वीकार्य उपकरणों की अधिप्राप्ति

रक्षा मंत्रालय ने रासायनिक एजेंटों एवं विषैले औद्योगिक मिश्रणों की उपस्थिति का पता लगाने हेतु जनवरी 2010 और अक्तूबर 2010 के बीच ₹27.32 करोड़ मूल्य के 999 व्यक्तिगत रासायनिक एजेंट डिटेक्टरों आई सी ए डी का आयात किया। डी पी पी द्वारा निर्धारित प्रकार से, जहाँ उपकरण को संभावित रूप में तैनात किया जाना है, ऐसे परिवेश में फील्ड मूल्यांकन परीक्षणें के न किए जाने के परिणामस्वरूप ₹27.32 करोड़ मूल्य के त्रुटिपूर्ण आई सी ए डी को स्वीकार किया गया था। जून 2014 के अनुसार फर्म द्वारा अगस्त 2011 से इन उपकरणों का प्रतिस्थापना किया जाना था।

पैरा 2.3 यूनाईटिड सर्विस क्लब मुम्बई द्वारा रक्षा भूमि के अनधिकृत उपयोग के कारण राजस्व की हानि

यूनाईटिड सर्विस क्लब मुम्बई के कब्जे वाली रक्षा भूमि के लिए पट्टा करने के लिए सरकार की मंजूरी प्राप्त करने हेतु कोलाबा के स्थानीय सैन्य अधिकारियों की विफलता और आगे रक्षा संपदा विभाग द्वारा इस मामले को आगे नहीं बढ़ाने के परिणामस्वरूप सरकारी खजाने में प्रतिवर्ष ₹5.74 करोड़ के राजस्व की आवर्ती हानि हुई। संसद की लोक लेखा समिति को दिए गए आवश्वासन की कि यू.एल. क्लब के साथ व्यवस्थाओं की जाएगी, निगरानी करने में रक्षा मंत्रालय विफल रहा, जिसके कारण ₹114.85 करोड़ मूल्य की ए–1 रक्षा भूमि का सरकार की मंजूरी के बिना प्रतिवर्ष 0.36 लाख के नाममात्र किराए पर व्यावसायिक दोहन जारी रहा।

पैरा 2.4 पट्टे वाली रक्षा भूमि पर अनियमित निर्माण

किरकी छावनी में 4.56 एकड़ भूमि के साथ ओल्ड ग्रॉंट बंगले को आवासीय उद्देश्य के लिए पट्टे पर दिया गया था। रक्षा संपदा अधिकारी (डीईओ) द्वारा पावर ऑफ अटार्नी धारक (पी ओ ए एच) के साथ पुनर्निमाण हेतु अनियमित विलेख का निष्पादन तथा पी ओ ए एच/अधिभोग अधिकार धारक के विरूद्ध उचित कार्रवाई करने में डी ई ओ और छावनी कार्यकारी अधिकारी की विफलता ने ₹22.14 करोड़ मूल्य की रक्षा भूमि पर एक सामुदायिक केंद्र का अवैध निर्माण करने के लिए पी ओ ए एच को सुकर बनाया।

III सेना

पैरा 3.1 रासायनिक, जैविक, रेडियोधर्मी और परमाणु (सी बी आर एन) उपकरणों की अधिप्राप्ति में 88.39 करोड़ का निरर्थक व्यय

रासायनिक, जैविक, रेडियोधर्मी और परमाणु उपकरणों से संबंधित व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों के तहत आने वाली मदों की अधिप्राप्ति में रक्षा मंत्रालय के एकीकृत मुख्यालय, थलसेना द्वारा विवेकहीन नियोजन के परिणामस्वरूप एन बी सी सूट परमिएबल, जो आई पी ई का मुख्य घटक है, की अधिप्राप्ति नहीं हुई। अनुकूलता समस्या का समाधान किए बिना आई पी ई की अन्य आठ मदों पर किए गए ₹88.39 करोड़ के व्यय ने एन बी सी युद्ध की स्थिति में सुनिश्चित सुरक्षा के उद्देश्य को विफल कर दिया।

पैरा 3.3 फील्ड फायरिंग रेंज से धातु स्क्रैप के संचयन न करने के कारण राजस्व की हानि

इस अनुदेश के बावजूद कि फील्ड फायरिंग रेंज से गोलाबारी किये गये गोलाबारूद के स्क्रैप को संचयन हेतु नियमित संविदा अन्तिम रूप से न हाने पर किराये के सिविल श्रम के माध्यम से ₹2.32 करोड़ की 285 मैट्रिक टन धातु स्क्रैप को संग्रहण करने में सैन्य अधिकारी विफल रहे।

पैरा 3.4 दोषपूर्ण टायरों की अधिप्राप्ति

यह जानने के बावजूद कि टायरों को घटिया किस्म की सामग्री से विनिर्मित किया गया था, सेना मुख्यालय ने टायरों की अधिप्राप्ति पर ₹2.65 करोड़ खर्च किये।

पैरा 3.5 सी ओ डी आगरा द्वारा बैटरियों का अधिक प्रावधान कर अमितव्ययी रूप से जारी करना।

सेना मुख्यालय द्वारा 2009 के दौरान ₹7.16 करोड़ की लागत की बैटरी 'ए' का अधिक प्रावधान करने के कारण विशाल भंडारा को परिसमाप्त करने के लिए कम लागत वाली बैटरी 'बी' और 'सी' के बदले में 2013 के दौरान ₹1.91 करोड़ लागत की बैटरी 'ए' का अमितव्ययी रूप में जारी की।

पैरा 3.6 लेखापरीक्षा के दृष्टांत पर वसूलियाँ, बचतें और लेखाओं के समायोजन

लेखापरीक्षा की टिप्पणियों के अनुवर्तन पर लेखापरीक्षित इकाईयों ने ₹68.01 करोड़ के शुद्ध प्रभावयुक्त वेतन एवं भत्तों, विविध प्रभारों और विद्युत प्रभारों की वसूलियों से सम्बन्धित भुगतानाधिक्य की वसूली की, कार्यों की अनियमित संस्वीकृतियों के निरस्त किया और वार्षिक लेखाओं को संशोधित किया।

IV निर्माण एवं सैन्य इंजीनियरिंग सेवाएं

पैरा 4.1 अतिरिक्त आवास इकाईयों के निर्माण पर परिहार्य व्यय

जे सी ओ हेतु विवाहितों के आवास की आवश्यकता को सही निर्धारण करने में स्थानीय सैनय प्राधिकारियों चैन्ने की विफलता के फलस्वरूप कुल ₹1.79 करोड़ की लागत पर आवश्यकता से अधिक 17 आवासिय इकाइयों का निर्माण किया।

पैरा 4.2 ठेकेदार को खाली सौंपने में हुए अत्यधिक विलंब के कारण वृद्धि प्रभारों का परिहार्य भुगतान

मुख्य अभियंता शिलोंग अंचल ने 13 गोलाबारूद्ध भंडारण के आवासों के निर्माण हेतु एक संविदा की जिसके लिए दुर्ग अभियंता ने खाली उपलब्ध स्थल हेतु एक गलत प्रमाण पत्र जारी किया। कार्य के समापन में इस अत्यधिक विलंब के कारण समापन अवधि के अंदर कार्य के समापन हेतु ठेकेकार को देय सामान्य वृद्धि प्रभार के अतिरिक्त ₹4.58 करोड़ का अतिरिक्त वृद्धि प्रभार के रूप में परिहार्य भुगतान हुआ।

पैरा 4.3 अनुचित स्थल के चयन के परिणामस्वरूप ₹5.49 करोड़ व्यय के बाद कार्य को रोकना

सैन्य अभियंता सेवाएं और स्थानीय सेना प्राधिकारियों ने सेना के लिए विवाहितों के आवास के अलावा ओ.टी.एम. के निर्माण हेतु योजना चरण पर उचित स्थल को अभी निर्धारण नहीं कर सके, इसके परिणामस्वरूप ₹5.49 करोड़ खर्च करने के उपरान्त कार्य को पहले ही बंद कर दिया गया।

V रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन

पैरा 5.1 एक बहुद्देशीय हॉल के निर्माण के लिए धन का अनधिकृत उपयोग

दो सीमा सड़क कार्य दलों के लिए दो भंडारण आवासों के निर्माण हेतु आबंटित किया गया धन ₹0.93 करोड़ 489 वर्ग मीटर का स्वीकृत क्षेत्र के प्रति 1556 वर्ग मीटर के क्षेत्र के साथ बड़ा बहुउद्देश्य हॉल का निर्माण अनधिकृत प्रयोग के लिए किया गया।

पैरा 5.2 अवमृदा की जाँच के बिना पुल का निर्माण जिसके परिणामस्वरूप 0.75 करोड़ की हानि

मुख्य अभियंता (परियोजना) पुष्पक के अधीन कार्य दल द्वारा अवमृदा की जाँच किये बिना जो भारतीय सड़क काग्रेस के संहिताओं के तहत आवश्यक थी पुल के कार्य के लिए नींव की खुदाई पर ₹0.75 करोड़ खर्च किए जिसके परिणामस्वरूप लोकधन ही हानि हुई क्योंकि स्थल भूस्खलन संभावित क्षेत्र बन गया जो अवमृदा के बाद सचेत किया जा सकता था।

पैरा VI वाहन, अनुसंधान तथा विकास संस्थापन अहमदनगर और लड़ाकू वाहन अनुसंधान एवं विकास संस्थापन, अवाडी में परियोजना प्रबंधन

रक्षा सेनाओं द्वारा माँगे गए उत्पादों की डिलिवरी के लिए अप्रैल 1998 से मार्च 2013 तक की अवधि के दौरान सी वी आर डी ई एवं वी आर डी ई द्वारा ली गई स्टाफ एवं टी डी/आर एण्ड डी परियोजनाओं की लेखापरीक्षा संवीक्षा में निम्न देखा गयाः

स्टाफ परियोजनाएँ

सी वी आर डी ई में:- अप्रैल 1998 से मार्च 2013 तक दो स्टाफ परियोजनाओं को बंद किया जिसमें से एक परियोजना प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण के दौर से गुजर रही थी परन्तु उत्पादनकरण अभी भी होना था। अन्य परियोजना में हालांकि प्रयोक्ता द्वारा विकसित प्रणाली को स्वीकार किया गया था, पर विदेशी विक्रेता पर प्रतिबंध लगाए जाने के कारण उत्पादनकरण नहीं हो सका।

वी आर डी ई में :- अप्रैल 1998 से मार्च 2013 तक के दौरान बंद की गई 9 परियोजनाओं में से मात्र एक परियोजना उत्पादनकरण के दौर से गुजरी। अन्य परियोजना के लिए हालांकि प्रयोगशाला द्वारा यह कहा गया कि परियोजना सफलतापूर्वक समाप्त हुई है, सेवा में शामिल करने के लिए प्रयोक्ता द्वारा स्वीकृत विवरण प्रयोगशाला द्वारा प्रस्तुत नहीं किया जा सका। तीसरी परियोजना में परियोजना माँग को आंशिक रूप में पूरा किया और शेष छः परियोजनाओं में प्रयोक्ता द्वारा स्वीकृति के मामलों में सफलता प्राप्त नहीं कर सकी।

सामान्य स्टाफ गुणात्मक माँग के बिना परियोजनाओं की शुरूआत करना, अपेक्षित डेलिवरेबल्सों को विकसित करने में प्रयोगशाला की विफलता तथा त्रुटिपूर्ण नियोजन इस सफलता के लिए मुख्य कारण थे।

प्रौद्योगिकी प्रदर्शन/आर एण्ड डी परियोजनाएः- दो प्रयोगशालाओं द्वारा ली गई प्रौद्योगिकी प्रदर्शन परियोजनाओं की स्थिति भी उत्साहजनक नहीं थी क्योंकि बंद की गई 51 परियोजनाओं में से 36 परियोजनाएं ऐसी प्रौद्योगिकी को स्टाफ परियोजनाओं में उपयोग में नहीं ला सकी।

पैरा VII रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन की रक्षा सहायता अनुदान योजना

वैज्ञानिक महत्व की समस्याओं पर और अधिकतर रक्षा हितों वाले क्षेत्रों में अनुसंधान एवं विकास कार्य

करने हेतु आई आई टीज़ विश्वविद्यालयों, उच्चतर प्रौद्योगिकीय संस्थानों आदि में स्वदेशी रूप में उपलब्ध अनुसंधान प्रतिभा और सुविधाओं का उपयोग करने के लिए रक्षा सहायता अनुदान योजना शुरू की गई थी। लेखापरीक्षा ने देखा कि योजना के प्रबंधन तथा मॉनीटरिंग में फलीभूत होने योग्य एवं विशिष्ट अनुसंधान उद्देश्य निर्धारित किए बिना तथा प्राप्त किए जाने वाले परिणात्मक तथा गुणवत्मक लक्ष्य को परिभाषित किए बिना परियोजना प्रदान करने जैसी कमियां थी। अधिकांश व्यय उपकरणों की खरीद पर हुआ था परंतु अधिकांश मामलों में उपकरणों के निपटान को प्राप्तकर्ता संस्थानों की इच्छा के अनुसार उनपर छोड़ा दिया गया। ऐसी परिस्थिति में यह योजना संतोषजनक नहीं है। आधारभूत अवसंरचना के सृजन के लिए धन भी योजना के प्रावधानों के विरूद्ध संस्वीकृत किया गया था।

VIII आयुध निर्माणी संगठन

पैरा 8.1 आयुध फैक्ट्री बोर्ड का कार्यनिष्पादन

आयुध फैक्ट्री संगठन, जिसके अंतर्गत 41 आयुध फैक्ट्रियाँ (परियोजना स्तर पर दो फैक्ट्रियों को मिलाकर) कार्यरत हैं, में 96,317 कार्मिक कार्यरत हैं, जो प्राथमिक रूप से देश के सशस्त्र बलों के लिए शस्त्र, गोला–बारूद, उपस्कर, वस्त्रों आदि का उत्पादन करता है। फैक्ट्रियाँ, आयुध फैक्ट्री बोर्ड (बोर्ड) के अंतर्गत कार्य करती हैं। 2011–2012 में राजस्व व्यय 11 प्रतिशत बढ़ा किंतु 2012–2013 में मामूली रूप से 2 प्रतिशत घट गया। भंडार (48 प्रतिशत) एवं निर्माण व्यय (36 प्रतिशत) मिलाकर कुल राजस्व व्यय का 74 प्रतिशत था। तथापि दोनों अवयवों में 2012–2013 में थोड़ी कमी आईः भंडार में 7 प्रतिशत तथा निर्माण में 2 प्रतिशत।

2012–2013 के दौरान ₹349 करोड़ के पूंजीगत व्यय लगभग 2008–2009 के स्तर पर ही रहा तथा बोर्ड के कुल व्यय का 3 प्रतिशत था।

2012–2013 के दौरान 529 मदों के निर्माण का लक्ष्य था जिसके प्रति आयुध फैक्ट्रियों की सफलता का स्तर केवल 31 प्रतिशत रहा। संघटकों की समय से प्राप्ति तथा मांगों में अस्थिरता, सफलता का स्तर कम होने के प्रमुख कारण थे।

2012–2013 के दौरान, उत्पादन लागत (15972.44 करोड़) 2011–2012 की तुलना में लगभग समान ही रहा। जिसमें भंडार, श्रम एवं उपरिव्यय लागत का भाग क्रमशः 61 प्रतिशत, 11 प्रतिशत तथा 28 प्रतिशत रहा। आठ आयुध फैक्ट्रियों में उत्पादन लागत पर उपरिव्यय की प्रतिशतता 50 प्रतिशत से अधिक रही। प्रत्येक 1.97 प्रत्येक श्रम पर एक पर्यवेक्षण अधिकारी के साथ पर्यवेक्षण प्रभार उच्च होने के कारण, उपरिव्यय अधिक रहा।

बोर्ड ने बताया कि 2012–2013 के दौरान, 2011–2012 की अपेक्षा ₹71 करोड़ (0.56 प्रतिशत) की कुल प्राप्तियों की वृद्धि हुई। दूसरी ओर, 2012–2013 के दौरान निर्मित अधिक्य ₹118 करोड़ (16 प्रतिशत) कम हो गया। उत्पादों में प्रति–परिदान होने के कारण बोर्ड में अपर्याप्त लागत नियंत्रण था।

निर्यात से प्रापत राजस्व 2011–2012 के 46 करोड़ से घटकर 2012–2013 में ₹15 करोड़ (67 प्रतिशत) हो गया।

पैरा 8.2 आयुध फैक्ट्रियों में भंडार-सूची प्रबंधन

आयुध फैक्ट्रियों में ₹10490 करोड़ (31 मार्च 2013) का भंडार विद्यमान था जो उत्पादन लागत का दो तिहाई था। हमारी लेखापरीक्षा में 2010–2011 से 2012–2013 के वर्षों के दौरान, भंडार–सूची प्रबंधन के संबंध में आयुध फैक्ट्री बोर्ड के निष्पादन तथा नौ प्रतिदर्श फैक्ट्रियों को शामिल किया गया है। चयनित फैक्ट्रियों मे कुल मिलाकर ₹4799 करोड़ मूल्य का भंडार विद्यमान था जो 31 मार्च 2013 को सभी आयुध फैक्ट्रियों द्वारा रक्षित कुल भंडाार का 46 प्रतिशत था।

विद्यमान भंडार (एस.आई.एच.) अर्थात फैक्ट्री के भंडार अनुभाग में उपलब्ध कच्चे माल का भंडार आयुध फैक्ट्रियों में एक गंभीर विषय है। 31 मार्च 2013 को नौ प्रतिदर्श फैक्ट्रियों में उपलब्ध भंडार का 50 प्रतिशत एस.आई.एच. के रूप में था जिसका मूल्य ₹2425 करोड़ था। नौ प्रतिदर्श फैक्ट्रियों में निष्क्रिय एस.आई.एच अर्थात् वे मद जो क्रय के पश्चात् तीन अथवा अधिक वर्षों से उपयोग में नहीं लाए गए, 2010–2013 के दौरान 73 प्रतिशत बढ़ गया। हमारे विश्लेषण से ज्ञात हुआ है कि प्रतिदर्श फैक्ट्रियों में एस.आई.एच. का 95 प्रतिशत भाग प्राधिकृत सीमा से अधिक था। सीमा से अधिक रक्षित इन मदों का 4/5 से अधिक भाग वे मद थे जो हमारे विश्लेषण की अवधि 2012–2013 के दौरान बिल्कुल उपयोग में नहीं लाए गए। 96 करोड़ मूल्य के मद केवल निर्धारित भंडारण सीमा से अधि ही नहीं थे बल्कि 2010–2013 के दौरान उनकी अधिप्राप्ति के पश्चात् एक बार भी उपयोग में नहीं लाए गए। ₹96 करोड़ मूल्य के मद केवल निर्धारित भंडारण सीमा से अधि ही नहीं थे बल्कि 2010–2013 के दौरान उनकी अधिप्राप्ति के पश्चात् एक बार भी उपयोग में नहीं लाए गए। उपयोग के सभी विकल्पों के उपयोग की वर्तमान प्रक्रिया विफल रही जिसके कारण निष्क्रिया भंडार निर्मित हुआ। दूसरी तरफ, सक्रिय भंडार की परिभाषा (एक मद 'सक्रिय' के रूप में तब वर्गीकृत किया जाता है जब वह वर्ष के दौरान एक भी यूनिट उपयोग कर लिया जाता है) प्रतीकात्मक उपयोग का भारी जोखिम उत्पन्न करता है जिसके कारण उसे निष्क्रिय भंडार से अलग रखा गया है। सभी नौ फैक्ट्रियों ने ₹373 करोड़ मूल्य के 5925 मदों के प्रति प्रतीकात्मक उपयोग दर्ज किया जो कि एक सामान्य रूझान था।

जारी कार्य (डब्ल्यू.आई.पी.) वह सामग्री होती है फैक्ट्री के उत्पादन शॉप में उत्पादन के अधीन होती है। 2010–2013 के दौरान नौ फैक्ट्रियों में डब्ल्यू. आई.पी. 21 प्रतिशत बढ़ गया तथा मार्च 2013 तक डब्ल्यू.आई.पी. का मूल्य ₹1501 करोड़ हो गया। डब्ल्यू.आई.पी. में वृद्धि का उत्पादन लागत में वृद्धि के अनुरूप न होना, खुले अधिपत्रों अर्थात् कई कारणों से उत्पादन के बंद होने के बावजूद खुले अधिपत्रों के प्रति सामग्री अथवा श्रम की छद्म प्रविष्टि के जोखिम कीर ओर इंगित करता है। यद्यपि अधिपत्रों का 6 माह के अंदर पुराने थे। एक वर्ष से अधिक अवधि तक खुले अधिपत्रों का मूल्य ₹434 करोड़ था फैक्ट्रियाँ अस्वीकृत स्टॉक को डब्ल्यू.आई.पी. अथवा पारगमन भंडार के रूप मे कुछ मामलों में 20 वर्ष से अधिक अवधि से दर्शा रहीं थी जो दायित्व तय करने की प्रक्रिया लंबी होने के कारण फैक्ट्रियों में अस्वीकृत भंडार को डब्ल्यू.आई.पी. अथवा एस.आई.टी. के रूप में दिखाकर अस्वीकृति को "छिपाने" की प्रवृत्ति बढ़ी जबकि दायित्व तय करने में विलंब से उद्देश्य पूर्ण न हो सका।

भौतिक सत्यापन द्वारा प्रदत्त आश्वासन अपर्याप्त था तथा उससे भंडारों के भौतिक उपलब्धता की सही स्थिति प्रदर्शित नहीं होती थी। शॉप से मांग नोंट के बिना सामग्री के 'ऋण निर्गम' के उपयोग के लिए बोर्ड की संस्वीकृति नहीं थी जो एक अनुचित प्रथा है। बोर्ड द्वारा भंडारण की पुनरीक्षा विस्तृत नहीं थी तथा उससे फैक्ट्रियों को स्पष्ट तथा निश्चित निर्देश नहीं प्राप्त होते थे।

पैरा 8.3 एम.बी.टी. अर्जुन एवं टी-90 भीष्म टैंक का देशज उत्पादन

2002–2009 के दौरान, मंत्रालय के 124 एम.बी.टी. अर्जुन के प्रवर्तन की योजना के प्रति आयुध फैक्ट्रियों ने 2004–2013 के दौरान, थलसेना को 119 एम.बी. टी. अर्जुन की आपूर्ति की। रूस के साथ प्रौद्यगिकी के हस्तांतरण (2001) के आधार पर, 2006–2010 के दौरान 300 देशज टी–90 टैंकों के प्रदाय की योजना समय से पूरी न हो सकी तथा मात्र 225 टी–90 टैंकों का उत्पादन हुआ और 2009–2013 की अवधि में केवल 167, टी–90 टैंकों को थल सेना को

निर्गमित किया जा सका। दोनों टैंकों के उत्पादन में अत्यधिक विलंब के कारण, ₹4913 करोड़ मूल्य के टी–90 टैंकों का नवीन आयात (नवंबर 2007) करना पड़ा। यद्यपि सितंबर 2011 में स्वीकृत, टी–90 टैंकों की उत्पादन क्षमता में वृद्धि की परियोजना अत्यंत धीमी थी, थलसेना से एम.बी.टी. अर्जुन के अग्रिम आदेशों के अभाव में एम.बी.टी. अर्जुन के लिए विद्यमान सुविधाएँ अल्प प्रयुक्त रहीं।

पैरा 8.4 आयुध फैक्ट्रियों में क्षमता वृद्धि

दस आयुध फैक्ट्रियों (जिनकी प्रतिदर्श जाँच हुई) में मशीनरी की अधिप्राप्ति उत्पादन क्षमता में कमी का रूझान था जो कि 2010–2011 के 683 लाख घंटों से घट कर 2012–2013 में 639 लाख घंटे हो गया। 343 करोड़ मूल्य के 170 मशीनों (36 प्रतिशत) की प्राप्ति में विलंब तथा 317 करोड़ मूल्य की 213 मशीनों (29 प्रतिशत) की स्थापना में विलंब के कारण फैक्ट्रियाँ आधुनिकीकरण का समय से लाभ प्राप्त नहीं कर सकीं। प्रेषण पूर्व जाँच तथा स्थापना पूर्व परीक्षण में कमियों के कारण मशीनों की स्थापना में विलंब हुआ तथा कुछ मामलों में, गुणवत्ता से समझौता करके मशीनरी की स्वीकृति हुई। अल्प उपयोग की अत्यधिक आवृत्ति (21 से 24 प्रतिशत मशीनें, क्षमता का 30 प्रतिशत उपयोग हुई) एवं खराबियों के कारण फैक्ट्रियाँ अपने लक्ष्यों को पूरा करने में विफल रहीं। ये विषय, जो कि बोर्ड के निष्पादन पर सीधा प्रभाव डालते हैं, पर उच्चतम स्तर के प्रबंधन ने पर्याप्त ध्यान नहीं दिया।

पैरा 8.6 अवयवों की अधिप्राप्ति पर परिहार्य अतिरिक्त व्यय

सहयोगी फैक्ट्रियों के कुल व्यवसाय लागत से अधिक सामग्री की लागत होने के कारण ₹3.99 करोड़ का परिहार्य अतिरिक्त व्यय हुआ, इसके बावजूद भी आयुध फैक्ट्री कटनी/आयुध फैक्ट्री अंबरनाथ द्वारा आयुध फैक्ट्रह कानपुर (ओ.एफ.सी.) से रोड एल्युमिनियम एलाय/कापर ट्यूब की अधिप्राप्ति।

पैरा 8.7 थोक उत्पादन स्वीकृति के पूर्व दोषपूर्ण भंडारों की स्वीकृति

आयुध फैक्ट्री बोर्ड के निर्देशों के उल्लंघन के परिणामस्वरूप थोक उत्पादन स्वीकृति के प्राप्ति के पूर्व दोषपूर्ण भंडारों के स्वीकृति के कारण ₹93.61 लाभ की हानि।

पैरा 8.9 अविवेकपूर्ण अधिप्राप्ति के कारण अलाभकारी उत्पादन

अंतर फैक्ट्री मांग के द्वारा मैग्जीन संयोजन के पर्याप्त भंडार के बावजूद राइफल फैक्ट्री ईशापुर ने ₹1.27 करोड़ की दर पर स्प्रिंग प्लेटफार्म की खरीददारी की जो कि परिहार्य था तथा जिकसे कारण उत्पादन की लागत में वृद्धि हो गई।

पैरा 8.10 माइनों का दोषपूर्ण उत्पादन

मरम्मत/प्रतिस्थापना के बिना सेना डिपो में ₹35.97 करोड़ की कीमत के माइनों के पृथकता के कारण जुड़ाव को ठीक तरह से सील करने की उनकी असफलता एवं आयुध फैक्ट्री चांदा/उच्च विस्फोटक फैक्ट्री किरकी से दोषपूर्ण माइनों को उत्पादन।

पैरा 8.13 एक निजी विद्युत सुविधा प्रदाता को अनावश्यक लाभ

आयुध फैक्ट्री बोर्ड/गन एवं शेल फैक्ट्री काशीपुर के निर्धारित दरों के अनुसार एक निजी बिजली आपूर्तिकर्ता से पट्टा किराया एवं प्रीमियत वसूली के असफलता के परिणामस्वरूप ₹2.64 करोड़ के राजस्व की हानि हुई तथा इसके कारण एक निजी बिजली आपूर्तिकर्ता को अनावश्यक लाभ हुआ।

IX सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रम

पैरा 9.1 सुखॉय-30 एम के आई वायुयान का लाइसेंस उत्पादन

चूँकि मिग–21 सीरिज वायुयानों को कलप्रभावित बेडे जिनका तकनीकी जीवनकाल जल्दी ही समापन होनेवाला था को उड़ान 2000 से 2010 तक बंद किया जाता था, रक्षा मंत्रालय (एम ओ डी) ने रूसी सरकार से 50 सुखॉय–30 एम के वायुयानों की सीधी खरीद की (1996 और 1998)। 140 वायुयानों, 920 इंजनों एवं वायुवाहित उपकरणों के 140 सेटों के उत्पादन के लिए भारत को लाइसेंस तथा तकनीकी प्रलेखन के हस्तांतरण के लिए रूप के साथ एक अंतरसरकारी उपबंध किया (अक्तूबर 2000)।

इसके अनुसार तथा तत्काल आवश्यकता पर विचार करते हुए आई ए एफ ने चार चरणों में एच ए एल से वायुयानों के लिए आदेश दिया (जनवरी 2001), जिसके अनुसार सुपुर्दगी 2017–18 तक निर्धारित की गई है। एच ए एल ने बाद में लाइसेंस उत्पादन को सुगम बनाने के लिए रोसोबोरोएक्सपोर्ट (आर ओई) के साथ एक सामान्य संविदा की। मार्च 2006 में, लड़ाकू वायुयानों के बलस्तरों में अत्यधिक कमी का विचार करते हुए परिवर्तित चरण संरचना के साथ सुपुर्दगी 2014–15 तक करने के लिए निर्धारित की गई थी।

तत्काल आवश्यकता के रूप में 40 अतिरिक्त वायुयानों के लिए आई ए एफ के प्रस्ताव के आधार पर 'बाई' से 'मेक' में अधिप्राप्ति को संशोधित करने के एच ए एल के अनुरोध पर विचार करते हुए एक दूसरा आदेश एच ए एल को दिया। आई ए एफ के बल स्तरों में कमी से बचने तथा एच ए एल के पास उपलब्ध टी ओ टी का उपयोग करने के लिए पुनरादेश के रूप में 42 वायुयानों की आपूर्ति के लिए एच ए एल को और एक आदेश दिया गया।

एच ए एल को आर ओ ई से यथा अपेक्षित प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण के सभी संघटक प्राप्त नहीं हुए, जिसने डिलिवरेबल्स की सामयिक आपूर्ति को प्रभावित किया। 2009–10 से निर्धारित कच्चे माल स्टेज से इंजनों का उत्पादन दिसंबर 2013 तक भी शुरू नहीं किया गया था। वायुयाना तथा इंजनों की मरम्मत एवं ओवरहॉल के लिए प्रलेखन की प्राप्ति में विलंब था, जिसके परिणामस्वरूप मरम्मत एवं ओवरहॉल के लिए सुविधां स्थापित करने में विलंब हुआ। खरीद उत्पादन अनुसूची के तुल्यकालिक नहीं होने के कारण एच ए एल ने आवश्यकता के पहले ही ₹1,725.41 करोड़ की वस्तुसूची की अधिप्राप्ति की। एच ए एल में वायुयानों के लिए मरम्मत एवं ओवरहॉल सुविधाओं की विलंबित स्थापना के कारण आई ए एफ द्वारा टी बी ओ जीवनकाल को 10 वर्षों से 12 वर्षों में बढ़ाया गया।

आई ए एफ को एच ए एल से 2012–13 तक देय 112 वायुयानों के प्रति 81 वायुयान प्राप्त हुए। यह आर ओ ई से तकनीकी प्रलेखों की प्राप्ति तथा प्राप्त त्रुटिपूर्ण टूलिंग के परिशोधन में विलंब के कारण था। स्नैग परिशोधन के कारण संकेतन के पश्चात् भी वायुयान को पार उतारने में 275 दिनों तक के विलंब हुए थे। एम ओ डी ने वायुयानों की विलंबित आपूर्ति के कारण एच ए एल से ₹96.26 करोड़ की परिनिर्धारित हानियों की वसूली की। यद्यपि यह विलंब आर ओ ई के कारण हुआ था, परंतु समर्थक प्रावधान के अभाव में आर ओ ई से एच ए एल उसकी वसूली नहीं कर सका। इसके अतिरिक्त, आर ओ ई के साथ रोल उपकरणों हु उपबंध करने में विलंब के कारण एच ए एल समय पर उसका परिदान नहीं कर सका, जिसके परिणामस्वरूप एम ओ डी ₹4.77 करोड़ की परिनिर्धारित हानियां लगाई गई। दिसंबर 2000 की सामान्य संविदा में निदिष्ट मूल्य की अवहेलना करते हुए इंजन किटों की अधिप्राप्ति के लिए एच ए एल द्वारा नई दरों की स्वीकृति के कारण 66 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ।

एम ओ डी के साथ की गई संविद भारग्रहण वर्ष के संदर्भ के बिना देर उद्धत करने तथा वृद्धि खंड का समावेश न करने के कारण एच ए एल आई ए एफ को ग्राउंड हैडलिंग उपकरण/ग्राउंड सपोर्ट उपकरण की आपूति में ₹66.61 करोड़ की वसूली नहीं कर सका।

संविदा में संशोधन करते समय एम ओ डी द्वारा गलत विनिमय दर अपनाने के कारण, 40 वायुसेना के लिए अतिरिक्त संविदा के प्रति वायुसेना की आपूर्ति में एच ए एल को ₹101.72 करोड़ ही हानि हुई।

कच्चे माल से स्वदेशी रूप से विनिर्मित वायुसेना पर एयरफ्रेम का अनिवार्य फटीग परीक्षण नहीं किया गया था।

पैरा 9.2 कैप्टिव खपत हेतु पावर का उपयोग न होने के कारण हानि

कैप्टिव खपत हेतु विन्ड मिल फार्म द्वारा उत्पादित पावर का उपयोग न करना तथा पावर का क्रय करने के लिए भोरूका पावर निगम लिमिटेड और बैंगलोर बिजली वितरण कम्पनी लिमिटेड (बी ई एस सी ओ एम) को किये गये भुगतान से कम कीमत पर बी ई एम एल लिमिटेड द्वारा हुबली बिजली वितरण कम्पनी लिमिटेड (एच ई एस सी ओ एम) को पावर की बिक्री के परिणामस्वरूप ₹5.67 करोड़ की हानि हुई।

पैरा 9.3 क्षतिपूर्ति हर्जाने की वसूली न करना

बी ई एम एल लिमिटेड द्वारा एल डी की गैर पर्वनीय शर्तो की स्वीकृति से भुगतान को रोकने में दो बार विफलता के परिणामस्वरूप 12 करोड़ की एल डी की वसूली नहीं हुई।

पैरा 9.4 ए सी ई एम यू डिब्बों की आपूर्ति में 9.81 करोड़ की हानि

बी ई एम एल द्वारा एयर कन्डिशनिंग इलेक्ट्रिक मलटीपल यूनिट की आपूर्ति के प्रस्ताव में मूल्य वर्धित कर/केन्द्रीय ब्रिकी कर को शामिल न करने के परिणामस्वरूप ₹5.51 करोड़ की वसूली नहीं हुई और डिब्बों की आपूर्तियों में विलंब होने के परिणामस्वरूप ₹2.99 करोड़ के निर्णित हरजाने का भुगतान किया। आगे, निर्धारित सुपुर्दगी सूची के बाद सुपुर्दगियों हेतु दिए गए उत्पाद शुल्क के रूप में कम्पनी ने ₹1.31 करोड़ समायोजित किये क्योंकि सुपुर्दगी सूची का विस्तार निराकरण खण्ड के साथ था।

पैरा 9.5 सामग्री की अधिप्राप्ति में विलंब के कारण हानि

कच्ची सामग्री की अधिप्राप्ति में विलंब से ₹15.52 करोड़ की मूल्य वृद्धि की वसूली नहीं हुई और फलस्वरूप पूर्ति में विलंब के परिणामस्वरूप मिश्र धातु निगम लिमिटेड पर ₹1.47 करोड़ की एल डी लगी।

नियंत्रक/महालेखापरीक्षक की रिपोर्टों/लोक सेवा समिति की रिपोर्टों में की गई टिप्पणियों के संबंध में की गई कार्रवाई संबंधी टिप्पणियां (एटीएनएस) 31.12.14 की स्थिति के अनुसार

क्रम संख्या	वर्ष		उन पैराओं/लोक रिपोर्टों का ब्यौरा जिन पर 31.12.2014 की स्थिति के अनुसार की गई कार्रवाई संबंधी टिप्पणियां लंबित हैं			
		2014-15 (31.12.2014) के दौरान लेखा परीक्षा के पुनरीक्षण के बाद जिन पैराओं/लोक लेखा रिपोर्टों पर एटीएनएस लोक लेखा समिति को प्रस्तुत की गई हैं, उनकी संख्या	उन एटीएनएस की संख्या जो मंत्रालय द्वारा लेखा परीक्षा को एक बार भी नहीं भेजी गई	लेखा परीक्षा को भेजी गई एटीएनएस की संख्या	उन एटीएनएस की संख्या जो भेजी गई लेकिन अभ्युक्तियों के साथ वापस भेज दी गई और लेखा परीक्षा जिनकी मंत्रालय द्वारा पुनः प्रस्तुत करने की प्रतीक्षा कर रहा है	उन एटीएनएस की संख्या जिनका लेखा परीक्षा द्वारा अंतिम रूप से पुनरीक्षण कर लिया गया है लेकिन जो मंत्रालय द्वारा लोक लेखा समिति को प्रस्तुत नहीं की गई हैं
1	1987-88					
2	1988-89				1	
3	1990-91				1	
4	1996-97				1	
5	1997-98				1	
6	2001-02				4	
7	2002-03			1	1	
8	2003-04					
9	2004-05			1	1	
10	2005-06			1		
11	2006-07				1	
12	2007-08			1	1	
13	2008-09	1		2	2	
14	2009-10			2	6	1
15	2010-11	3	2	3	8	1
16	2011-12	5	1	11	8	1
17	2012-13	12		15	6	4
18	2013-14	6	32	3	27	
योग		**27**	**35**	**40**	**69**	**7**

रक्षा उत्पादन विभाग (2013–2014) के लिए परिणाम ढांचा दस्तावेज (आरएफडी)

खंड–1

दृष्टि, ध्येय, लक्ष्य और कार्य

दृष्टि

हमारे राष्ट्र की रक्षा के लिए आवश्यक हथियार प्लेटफार्मों, हथियारों, गोला–बारूद उपस्करों और अन्य सामग्रियों के उत्पादन में आत्म–निर्भता प्राप्त करना।

ध्येय

सशस्त्र सेनाओं के लिए रक्षा उपस्करों की गुणवत्ता सुधारने और इनकी समय पर सुपुर्दगी करने के लिए नीतियों, पहलों और प्रोत्साहन के जरिए सामर्थ्य एवं क्षमता में वृद्धि को सुगम बनाना और भारतीय रक्षा उद्योग को आत्म–निर्भर बनाने के लिए अनुसंधान एवं विकास के कार्य को बढ़ावा देना तथा आयुध निर्माणी बोर्ड, सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रमों को विश्व रक्षा उपस्करों के गुणवत्ता स्तर पर अग्रणी बनाने के लिए इनकी कार्य प्रणाली में सुधार लाना।

लक्ष्य

1. सशस्त्र सेनाओं की आवश्यकतानुसार उन्हें गुणता मानकों के हथियारों/गोला–बारूद और अन्य उपस्करों की समय पर सुपुर्दगी देना।
2. हमारी रक्षा आवश्यकताओं की अधिप्राप्ति में भारतीय उत्पादों की हिस्सेदारी को बढ़ाना।
3. रक्षा क्षेत्र में विनिर्माण/मैपिंग क्षमताओं में वृद्धि करना।
4. रक्षा संबंधी अनुसंधान एवं विकास के लिए संस्थागत आर्किटेक्चर को सुप्रवाही बनाना।
5. सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रमों, आयुध निर्माणी बोर्ड और तीनों उत्तरदायी केन्द्रों की कार्य प्रणाली में सुधारों को सुगम बनाना एवं इनका मार्गदर्शन करना।
6. ऑफसेट नीति की मानीटरिंग।

कार्य

1. रक्षा उपस्करों का स्वदेशीकरण, विकास एवं उत्पादन।
2. रक्षा उपस्करों के विनिर्माण में निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करना।
3. नागर विमानन मंत्रालय और अंतरिक्ष विभाग के साथ जुड़े उपयोगकर्ताओं को छोड़कर अन्य सभी के मध्य समन्वय और वैमानिकी उद्योग का विकास करना।
4. रक्षा निर्यात और रक्षा उत्पादन में अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना।
5. डीजीक्यूए एवं डीजीएक्यूए सहित रक्षा गुणता आश्वासन संगठनों का निरीक्षण करना।
6. मानकीकरण निदेशालय के माध्यम से रक्षा उपस्करों और भंडारों के मानकीकरण को बढ़ावा देना।
7 निम्नलिखित संगठनों और उपक्रमों के कार्यों का निरीक्षण और मानीटरिंग करनाः (क) आयुध निर्माणी बोर्ड एवं आयुध निर्माणियां (ख) हिन्दुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड (ग) भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (घ) माझगांव डॉक लिमिटेड (ड.) गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड (च) गोवा शिपयार्ड लिमिटेड (छ) भारत डायनामिक्स लिमिटेड (ज) मिश्र धातु निगम लिमिटेड (झ) बीईएमएल लिमिटेड (ञ) हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड

कार्य निष्पादन आकलन रिपोर्ट

लक्ष्य	महत्व	कार्रवाई	सफलता सूचक	यूनिट	महत्व	लक्ष्य / मानदण्ड मान					उपलब्धियां	कार्य निष्पादन	
						उत्कृष्ट	बहुत अच्छा	अच्छा	औसत	खराब		रॉ स्कोर	वेटेड स्कोर
						100%	90%	80%	70%	60%			
1. सशस्त्र सेनाओ को उनकी आवश्यनकता के अनुसार गुणता मानकों के शस्त्रों / गोलाबारूदों और उपस्करों की समयबद्ध आपूर्ति करना	30.00	वार्षिक लक्ष्य के अनुसार 31.03.2014 तक सुपुर्दगी के लिए देय गोलाबारूद की सुपुर्दगी	सुपुर्द किए गए गोलाबारूद का मूल्य	करोड़ रु0 में	1.50	5870	5283	4696	4109	3522	4950	84.33	1.26
			समयबद्ध सुपुर्दगी को संविदा की शर्तों के अनुसार पूरा करना	%	1.50	100	90	80	70	60	91	91.0	1.36
		वार्षिक लक्ष्य के अनुसार 31.03.2014 तक सुपुर्दगी के लिए देय (187 नग) बख्तरबंद वाहनों की सुपुर्दगी	सुपुर्द की गई संख्या	संख्या	1.50	187	168	150	131	112	121	64.74	0.97
			समयबद्ध सुपुर्दगी को संविदा की शर्तों के अनुसार पूरा करना	%	1.50	100	90	80	70	60	86	86.0	1.29
		वार्षिक लक्ष्य के अनुसार 31.03.2014 तक सुपुर्दगी के लिए देय (1400 नग) पिनाका रॉकेट की सुपुर्दगी	सुपुर्द की गई संख्या	संख्या	1.50	1400	1260	1120	980	840	968	69.14	1.04
			समयबद्ध सुपुर्दगी को संविदा की शर्तों के अनुसार पूरा करना	%	1.50	100	90	80	70	60	69	69.0	1.04
		वार्षिक लक्ष्य के अनुसार 31. 03.2014 तक सुपुर्दगी के लिए देय (12 नग) एके 630 एम गन की सुपुर्दगी	सुपुर्द की गई संख्या	संख्या	1.50	12	11	10	8	7	12	100.0	1.5
			समयबद्ध सुपुर्दगी को संविदा की शर्तों के अनुसार पूरा करना	%	1.50	100	90	80	70	60	100	100.0	1.5
		वार्षिक लक्ष्य के अनुसार 31.03.2014 तक सुपुर्दगी के लिए देय (5500 नग) प्रेक्षपास्त्रों की सुपुर्दगी	सुपुर्द की गई संख्या	संख्या	1.50	5500	4950	4400	3850	3300	6570	100.0	1.5
			समयबद्ध सुपुर्दगी को संविदा की शर्तों के अनुसार पूरा करना	%	1.50	100	90	80	70	60	100	100.0	1.5
		वार्षिक लक्ष्य के अनुसार 31.03.2014 तक सुपुर्दगी के लिए देय (10 नग) सुपुर्द किए गए पोतों की सं0	सुपुर्द की गई संख्या	संख्या	1.50	10	9	8	7	6	09	90.0	1.35
			समयबद्ध सुपुर्दगी को संविदा की शर्तों के अनुसार पूरा करना	%	1.50	100	90	80	70	60	100	100.0	1.5

कार्य निष्पादन आकलन रिपोर्ट

लक्ष्य	महत्व	कार्रवाई	सफलता सूचक	यूनिट	महत्व	लक्ष्य / मानदण्ड मान					उपलब्धियां	कार्य निष्पादन	
						उत्कृष्ट	बहुत अच्छा	अच्छा	औसत	खराब		रॉ स्कोर	वेटेड स्कोर
						100%	90%	80%	70%	60%			
		वार्षिक लक्ष्य के अनुसार 31.03.2014 तक सुपुर्दगी के लिए (68 नग) देय विमान / हेलीकॉप्टरों की सुपुर्दगी	सुपुर्द की गई संख्या	संख्या	1.50	68	61	54	48	41	37	0.0	0.0
			समयबद्ध सुपुर्दगी को संविदा की शर्तों के अनुसार पूरा करना	%	1.50	100	90	80	70	60	88	88.0	1.32
		वार्षिक लक्ष्य के अनुसार 31.03.2014 तक (500 नग) सेना को देय यूएलएसबी मार्क–II की सुपुर्दगी	सुपुर्द की गई संख्या	संख्या	1.50	500	450	400	350	300	896	100.0	1.5
			समयबद्ध सुपुर्दगी को संविदा की शर्तों के अनुसार पूरा करना	%	1.50	100	90	80	70	60	100	100.0	1.5
		वार्षिक लक्ष्य के अनुसार 31.03.2014 तक सुपुर्दगी के लिए (10000 नग) सेना को देय पैसिव नाइट विजन डिवाइस (पीएनवीडी) की सुपुर्दगी	सुपुर्द की गई संख्या	संख्या	1.50	10000	9000	8000	7000	6000	10178	100.0	1.5
			समयबद्ध सुपुर्दगी को संविदा की शर्तों के अनुसार पूरा करना	%	1.50	100	90	80	70	60	100	100.0	1.5
		वार्षिक लक्ष्य के अनुसार 31.03.2014 तक सुपुर्दगी के लिए (30 नग) देय रडार एवं अग्नि नियंत्रण प्रणाली की सुपुर्दगी	सुपुर्द की गई संख्या	संख्या	1.50	30	27	24	21	18	40	100.0	1.5
			समयबद्ध सुपुर्दगी को संविदा की शर्तों के अनुसार पूरा करना	%	1.50	100	90	80	70	60	100	100.0	1.5
2 हमारी रक्षा आवश्यकताओं की अधिप्राप्ति में भारतीय उत्पादों की हिस्सेदारी को बढ़ाना	3.00	विनिर्माण विक्रेता की सं0 में वृद्धि	पिछले वर्ष की तुलना में प्रतिशतता में वृद्धि	%	6.00	6	5	4	3	2	6	100.0	6.0
		निजी भागीदारी को प्रोत्साहित करना	निजी क्षेत्र की कंपनियों को औद्योगिक लाइसेंस के लिए एनओसी की संख्या	संख्या	3.00	30	27	24	21	18	43	100.0	3.0
			31.03.2012 तक मंजूर लाइसेंसों का प्रचालन	संख्या	3.00	16	14	12	11	10	16	100.0	3.0

कार्य निष्पादन आकलन रिपोर्ट

लक्ष्य	महत्व	कार्रवाई	सफलता सूचक	यूनिट	महत्व	लक्ष्य / मानदण्ड मान					उपलब्धियां	कार्य निष्पादन	
						उत्कृष्ट	बहुत अच्छा	अच्छा	औसत	खराब		रॉ स्कोर	वेटेड स्कोर
						100%	90%	80%	70%	60%			
		टी 90 टैंकों के स्वदेशीकरण में वृद्धि करना, स्वदेशीकरण के वर्तमान स्तर 65% को बढ़ाकर इसे सकल रूप से 73% करना	वर्तमान स्तर से स्वदेशीकरण के प्रतिशत में संचयी वृद्धि	%	4.00	8	7	6	5	4	7	90.0	3.6
		शक्ति इंजन के स्वदेशीकरण में वृद्धि करना, स्वदेशीकरण के वर्तमान स्तर 25% को बढ़ाकर इसे सकल रूप से 29% करना	वर्तमान स्तर से स्वदेशीकरण के प्रतिशत में संचयी वृद्धि	%	4.00	4	3	2	1	0	4	100.0	4.0
		एचएएल द्वारा सुखोई विमान के स्वदेशीकरण के वर्तमान स्तर 41% को बढ़ाकर इसे सकल रूप से 47% करना	वर्तमान स्तर से स्वदेशीकरण के प्रतिशत में संचयी वृद्धि	%	4.00	6	5.4	4.8	4.2	3.6	6	100.0	4.0
		पी–15ए के स्वदेशीकरण के वर्तमान स्तर में 4% की वृद्धि	वर्तमान स्तर से स्वदेशीकरण के प्रतिशत में संचयी वृद्धि	%	3.00	4	3	2	1	0	4	100.0	3.0
		टाट्रा 8×8 वाहन का स्वदेशीकरण करना, इसके वर्तमान स्वदेशीकरण के स्तर को 65% से बढ़ाकर 75% करना	वर्तमान स्तर से स्वदेशीकरण की प्रतिशत में संचयी वृद्धि	%	3.00	10.0	7.5	5.0	3.0	0	10	100.0	3.0
3 रक्षा क्षेत्र में विनिर्माण / मैपिंग क्षमताओं में वृद्धि करना	15.00	आयुध निर्माणियों एवं सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रमों के आधुनिकीकरण का समग्र कार्यक्रम	आयुध निर्माणियों द्वारा किया गया व्यय	करोड़ रु. में	2.00	1020	918	816	714	612	1156	100.0	2.0
			डीपीएसयू द्वारा किया गया व्यय	करोड़ रु. में	2.00	1388.77	1249.89	999.91	699.94	489.95	1200.81	88.04	1.76

कार्य निष्पादन आकलन रिपोर्ट

लक्ष्य	महत्व	कार्रवाई	सफलता सूचक	यूनिट	महत्व	लक्ष्य / मानदण्ड मान					उपलब्धियां	कार्य निष्पादन	
						उत्कृष्ट	बहुत अच्छा	अच्छा	औसत	खराब		रॉ स्कोर	वेटेड स्कोर
						100%	90%	80%	70%	60%			
		ओएफबी में प्रमुख आधुनिकीकरण परियोजना–I। ओएफबी के लिए टी–72, टी–90 ओएच के लिए कलपुर्जों की क्षमता का सृजन	सिविल कार्य का पूरा होना	दिनांक	1.00	03/03/2014	10/03/2014	17/03/2014	24/03/2014	31/03/2014	03/03/2014	100.0	1.0
			संयंत्र एवं मशीनरी का प्रतिस्थापन पूरा होना	दिनांक	1.00	03/03/2014	10/03/2014	17/03/2014	24/03/2014	31/03/2014		नहीं	नहीं
		ओएफबी में प्रमुख आधुनिकीकरण परियोजना। आयुध निर्माणी, कोरवा की स्थापना	निर्माणी क्षेत्र के लिए सिविल कार्य का पूरा होना	दिनांक	1.00	03/03/2014	10/03/2014	17/03/2014	24/03/2014	31/03/2014	03/03/2014	100.0	1.0
			संयंत्र एवं मशीनरी के लिए आर्डर देना	दिनांक	1.00	03/03/2014	10/03/2014	17/03/2014	24/03/2014	31/03/2014		नहीं	नहीं
		एमडीएल द्वारा शिपयार्डों, भवनों एवं अनुषंगिक कार्यों के लिए महत्वपूर्ण आधुनिकीकरण परियोजना	एमडीएल में भवन और अनुषंगी कार्य संघटक का पूरा होना	दिनांक	1.00	03/03/2014	10/03/2014	17/03/2014	24/03/2014	31/03/2014		नहीं	नहीं
		बीडीएल में कोनकर्स–एम परियोजना के लिए महत्वपूर्ण आधुनिकीकरण परियोजना	हीट ट्रीटमेंट शॉप, एम1एम2 असे., कंट्रोल ड्राइव असे. एवं तार स्पूल असे. के लिए सिविल कार्यों का पूरा होना	दिनांक	1.00	03/03/2014	10/03/2014	17/03/2014	24/03/2014	31/03/2014		नहीं	नहीं
		एएलएच एमआरएस विनिर्माण सुविधा के लिए एचएएल में महत्वपूर्ण आधुनिकीकरण परियोजना	एएलएच एमआरएस विनिर्माण सुविधा का संवर्धन कार्य पूरा होना	दिनांक	1.00	01/11/2013	03/12/2013	03/01/2014	04/02/2014	04/03/2014	31/10/2013	100.0	1.0
		रेडियो फ्रीक्वेंसी (आरएफ) / माइक्रोवेव (एमडब्ल्यू) के लिए बीईएल में महत्वपूर्ण आधुनिकीकरण परियोजना	रेडियो फ्रीक्वेंसी (आरएफ) / माइक्रोवेव (एमडब्ल्यू) सुपर संघटक सुविधा के विस्तार का पूरा होना	दिनांक	1.00	03/03/2014	10/03/2014	17/03/2014	24/03/2014	31/03/2014	02/10/2013	100.0	1.0

कार्य निष्पादन आकलन रिपोर्ट

लक्ष्य	महत्व	कार्रवाई	सफलता सूचक	यूनिट	महत्व	लक्ष्य / मानदण्ड मान					उपलब्धियां	कार्य निष्पादन	
						उत्कृष्ट	बहुत अच्छा	अच्छा	औसत	खराब		रॉ स्कोर	वेटेड स्कोर
						100%	90%	80%	70%	60%			
		मिधानि में प्रमुख उपस्करों के इरेक्शन के लिए महत्वपूर्ण आधुनिकीकरण परियोजना	मेल्ट शॉप IV के प्रमुख उपस्करों को लगाने का काम पूरा	दिनांक	1.00	03/03/2014	10/03/2014	17/03/2014	24/03/2014	31/03/2014	28/02/2014	100.0	1.0
		बीईएमएल में सामग्री हैंडलिंग सुविधा के लिए महत्वपूर्ण आधुनिकीकरण परियोजना	साइड लोडिंग मैटीरियल हैंडलिंग सुविधा का काम पूरा	दिनांक	1.00	14/02/2014	28/02/2014	17/03/2014	24/03/2014	31/03/2014	31/01/2014	100.0	1.0
		बीईएमएल में इंजन परीक्षण सुविधा के लिए महत्वपूर्ण आधुनिकीकरण परियोजना	एड्डी धारा डायनोमीटर युक्त इंजन परीक्षण सुविधा का काम पूरा	दिनांक	1.00	14/02/2014	28/02/2014	17/03/2014	24/03/2014	31/03/2014	10/02/2014	100.0	1.0
4 रक्षा संबंधी अनुसंधान एवं विकास के लिए संस्थागत आर्किटेक्चर को सुप्रवाही बनाना	3.00	संचार प्रणाली के लिए बीईएल की आर एण्ड डी परियोजना	ट्रोपो संचार प्रणाली के लिए अप / डाउन कंवर्टर के आंतरिक मूल्यांकन का काम पूरा	दिनांक	0.50	03/03/2014	10/03/2014	17/03/2014	24/03/2014	31/03/2014	28/02/2014	100.0	1.0
		सीएमडीएस के लिए बीडीएल की आर एण्ड डी परियोजना	240 पेलोड ले जाने के लिए मल्टी डिस्पेंसर सीएमडीएस के डिजाइन एवं विकास का काम पूरा	दिनांक	0.50	03/03/2014	10/03/2014	17/03/2014	24/03/2014	31/03/2014	30/02/2014	100.0	0.5
		थ्रस्ट वर्ग इंजन के लिए एचएएल की आर एण्ड डी परियोजना	20 केएन थ्रस्ट वर्ग के इंजन के डिजाइन एवं विकास का काम पूराः प्रारंभिक डिजाइन समीक्षा (पीडीआर)	दिनांक	0.50	31/12/2013	31/01/2014	28/02/2014	17/03/2014	31/03/2014	31/10/2013	100.0	0.5
		3 डी कैड मॉडल के विकास के लिए एमडीएल की आर एण्ड डी परियोजना	148 पोत यूनिटों सहित पी15बी पोत हल और सुपरस्ट्रक्चर के लिए अवीवा मरीन का प्रयोग करके 3डी कैड मॉडल का विकास पूरा	दिनांक	0.50	31/01/2014	28/02/2014	10/03/2014	20/03/2014	31/03/2014	31/01/2014	100.0	0.5

कार्य निष्पादन आकलन रिपोर्ट

लक्ष्य	महत्व	कार्रवाई	सफलता सूचक	यूनिट	महत्व	लक्ष्य / मानदण्ड मान					उपलब्धियां	कार्य निष्पादन	
						उत्कृष्ट	बहुत अच्छा	अच्छा	औसत	खराब		रॉ स्कोर	वेटेड स्कोर
						100%	90%	80%	70%	60%			
		155×45 कैलीबर गन के लिए ओएफबी की आर एण्ड डी परियोजना	प्रयोक्ता परीक्षणों के लिए इलेक्ट्रानिक माड्यूल वाली 155×45 कैलीबर गन का प्रस्ताव	दिनांक	0.50	03/03/2014	10/03/2014	17/03/2014	24/03/2014	31/03/2014	03/03/2014	100.0	0.5
		रॉकेट के स्वदेशीकरण के लिए ओएफबी की आर एण्ड डी परियोजना	रॉकेट 57 मिमी एस–5 केपी की अंतिम उड़ान के लिए पायलट बैच	दिनांक	0.50	03/03/2014	10/03/2014	17/03/2014	24/03/2014	31/03/2014	03/03/2014	100.0	0.5
5 डीपीएसयू, ओएफबी और तीनों उत्तरदायी केन्द्रों की कार्य प्रणाली में सुधारों को सुकर बनाना और इनका मार्गदर्शन करना	5.00	डीपीएसयू और आरसी के एमओयू/आर एफ डी की गहन मानीटरी	डीपीई द्वारा उत्कृष्ट रेटिंग	संख्या	1.00	5	4	3	2	1	3	80.0	0.8
			डीपीई द्वारा बहुत अच्छी रेटिंग	संख्या	1.00	3	2	1	0	0	3	100.0	1.0
		तीन आरसी के सहायक आरएफडी को अंतिम रूप दिया जाना	समय से कार्य पूरा	दिनांक	1.00	15/05/2013	16/05/2013	17/05/2013	20/05/2013	21/05/2013	15/05/2013	100.0	1.0
		प्रयोगशालाओं की गुणवत्ता में सुधार	एनएबीएल प्रत्यायन प्राप्त प्रयोगशालाओं की संख्या	संख्या	1.00	2	1	0	0	0	2	100.0	1.0
		अधिप्राप्ति में पारदर्शिता बढ़ाना	डीपीएसयू एवं ओएफबी के 3 अधिकारियों की समिति द्वारा ई. अधिप्राप्ति लेखा परीक्षा	दिनांक	1.00	30/09/2013	31/10/2013	29/11/2013	31/12/2013	31/01/2014	24/09/2013	100.0	1.0
6 ऑफसेट नीति की मानीटरिंग	2.00	स्थानीय स्त्रोतों से अधिप्राप्ति का समय निर्धारित करने के लिए हस्ताक्षरित ऑफसेट संविदाओं का अध्ययन	समय से कार्य पूरा	दिनांक	2.00	25/10/2013	25/11/2013	25/12/2013	24/01/2014	25/02/2014	25/09/2013	100.0	2.0

कार्य निष्पादन आकलन रिपोर्ट

लक्ष्य	महत्व	कार्रवाई	सफलता सूचक	यूनिट	महत्व	लक्ष्य / मानदण्ड मान					उपलब्धियां	कार्य निष्पादन	
						उत्कृष्ट	बहुत अच्छा	अच्छा	औसत	खराब		रॉ स्कोर	वेटेड स्कोर
						100%	90%	80%	70%	60%			
* आर एफ डी प्रणाली का दक्षतापूर्ण संचालन	3.00	आर एफ डी प्रणाली के अनुमोदनार्थ प्रारूप आरएफडी 2014–15 को समय से प्रस्तुत करना	समय पर प्रस्तुति	दिनांक	2.0	05/03/2014	06/03/2014	07/03/2014	08/03/2014	11/03/2014	04/03/2014	100.0	2.0
		वर्ष 2012–13 के परिणामों की समयबद्ध प्रस्तुति	समय पर प्रस्तुति	दिनांक	1.0	01/05/2013	02/05/2013	03/05/2013	06/05/2013	07/05/2013	30/04/2013	100.0	1.0
* मंत्रालय / विभाग की पारदर्शिता / सेवा सुपुर्दगी	3.00	नागरिक / ग्राहक चार्टर (सीसीसी) के कार्यान्वयन के लिए स्वतंत्र लेखा परीक्षा	कार्यान्वयन का प्रतिशत	%	2.0	100	90	80	70	60	97	97.0	1.94
		लोक शिकायत निवारण प्रणाली के कार्यान्वयन के लिए स्वतंत्र लेखा परीक्षा	कार्यान्वयन का प्रतिशत	%	1.0	100	90	80	70	60	37.23	0.0	0.0
* प्रशासनिक सुधार	6.00	भ्रष्टाचार के संभावित जोखिम को कम करने के लिए न्यूनीकरण कार्य नीतियों का कार्यान्वयन करना	कार्यान्वयन का प्रतिशत	%	1.0	100	95	90	85	80	100	100.0	1.0
		आईएसओ 9001 का अनुमोदित कार्य–योजना के अनुसार कार्यान्वयन	कार्यान्वयन का प्रतिशत	%	1.0	100	95	90	85	80	100	100.0	2.0
		प्रमुख नवाचारों की पहचान करना, डिजाइन करना और इनका कार्यान्वयन करना	नवाचार को सक्षम बनाने के लिए कार्य–योजना की समय पर प्रस्तुति	दिनांक	2.0	15/05/2015	16/05/2014	19/05/2014	20/05/2014	21/05/2014	15/05/2014	100.0	2.0

कार्य निष्पादन आकलन रिपोर्ट

लक्ष्य	महत्व	कार्रवाई	सफलता सूचक	यूनिट	महत्व	लक्ष्य / मानदण्ड मान					उपलब्धियां	कार्य निष्पादन	
						उत्कृष्ट	बहुत अच्छा	अच्छा	औसत	खराब		रॉ स्कोर	वेटेड स्कोर
						100%	90%	80%	70%	60%			
		मंत्रालय / विभाग के आधारभूत और गैर–आधारभूत कार्यकलापों की द्वितीय एआरसी सिफारिशों के अनुसार पहचान करना	समय पर प्रस्तुति	दिनांक	1.0	24/03/2014	25/03/2014	26/03/2014	27/03/2014	28/03/2014	27/01/2014	100.0	1.0
* आन्तरिक दक्षता / अनुक्रियाशीलता को बेहतर बनाना	2.00	विभागीय कार्यनीतियों का बारहवीं योजना की प्राथमिकताओं के अनुसार उन्नयन करना	कार्यनीति का समय पर उन्नयन	दिनांक	2.0	10/09/2014	17/09/2013	24/09/2013	01/10/2013	08/10/2014	10/09/2013	100.0	2.0
* वित्तीय जवाबदेही ढ़ांचे का अनुपालन सुनिश्चित करना	1.00	सी एण्ड एजी के लेखा परीक्षा पैराओं पर एटीएन का समय से प्रस्तुतीकरण	वर्ष के दौरान सीएजी द्वारा संसद के समक्ष रिपोर्ट की प्रस्तुति की तिथि से नियत तिथि (4 महीना) के भीतर प्रस्तुत एटीएन की प्रतिशतता	%	0.25	100	90	80	70	60	40	0.0	0.0
		पीएसी रिपोर्ट पर पीएसी सचिवालय को एटीआर समय से प्रस्तुत करना	वर्ष के दौरान पीएसी द्वारा संसद के समक्ष रिपोर्ट की प्रस्तुतीकरण की तिथि से नियत तिथि (6 माह) के भीतर प्रस्तुत किए गए एटीआरएस का प्रतिशत	%	0.25	100	90	80	70	60	0	0.0	0.0
		31.03.2013 से पूर्व संसद के समक्ष प्रस्तुत सी एण्ड एजी रिपोर्ट के लेखा परीक्षा पैराओं पर लंबित एटीएन का शीघ्र निपटान	वर्ष के दौरान निपटाए गए बकाया एटीआर का प्रतिशत	%	0.25	100	90	80	70	60	89	89.0	0.22
		31.03.2013 से पहले संसद को प्रस्तुत की गई पीएसी रिपोर्ट पर लंबित एटीआर का शीघ्र निपटान	वर्ष के दौरान निपटाए गए लंबित बकाया एटीआर का प्रतिशत	%	0.25	100	90	80	70	60	0	0.0	0.0

खण्ड 3:
सफलता सूचक के प्रवृति मान

उद्देश्य	कार्रवाई	सफलता सूचक	इकाई	वित्त वर्ष 11/12 के लिए वास्तविक मूल्य	वित्त वर्ष 12/13 के लिए वास्तविक मूल्य	वित्त वर्ष 13/14 के लिए वास्तविक मूल्य	वित्त वर्ष 14/15 के लिए वास्तविक मूल्य	वित्त वर्ष 15/16 के लिए वास्तविक मूल्य
[1] सैन्य बलों को उनकी आवश्यकतानुसार शस्त्रों/गेला बारूदों और उपस्करों की समय से सुपुर्दगी	[1.1] वार्षिक सदन के अनुसार 31.03.2014 तक सुपुर्दगी के लिए देय गोला बारूद की सुपुर्दगी	[1.1.1] सुपुर्द किए गए गोला बारूद का मूल्य	करोड़ रुपये में	–	–	5283	–	–
		[1.1.2] संविदा के शर्तों के अनुसार समय से सुपुर्दगी को पूरा करना	%	–	–	90	–	–
	[1.2] वार्षिक लक्ष्य के अनुसार 31.03.2014 तक सुपुर्दगी के लिए देय (187 अदद) कवचित वाहनों की सुपुर्दगी	[1.2.1] सुपुर्दगी की संख्या	संख्या	–	–	168	–	–
		[1.2.2] संविदा के शर्तों के अनुसार समय से सुपुर्दगी को पूरा करना		–	–	90	–	–
	[1.3] वार्षिक लक्ष्य के अनुसार 31.03.2014 तक सुपुर्दगी के लिए देय (1400 अदद) पिनाका रॉकेट की सुपुर्दग	[1.3.1] सुपुर्दगी की संख्या		–	–	1260	–	–
		[1.3.2] संविदा के शर्तों के अनुसार समय से सुपुर्दगी को पूरा करना		–	–	90	–	–

खण्ड 3:
सफलता सूचक के प्रवृति मान

उद्देश्य	कार्रवाई	सफलता सूचक	इकाई	वित्त वर्ष 11/12 के लिए वास्तविक मूल्य	वित्त वर्ष 12/13 के लिए वास्तविक मूल्य	वित्त वर्ष 13/14 के लिए वास्तविक मूल्य	वित्त वर्ष 14/15 के लिए वास्तविक मूल्य	वित्त वर्ष 15/16 के लिए वास्तविक मूल्य
	[1.4] वार्षिक लक्ष्य के अनुसार 31.03.2014 तक सुपुर्दगी के लिए देय (12 अदद) ए के 630 गन की सुपुर्दगी	[1.4.1] सुपुर्दगी की संख्या	संख्या	–	–	11	–	–
		[1.4.2] संविदा के शर्तों के अनुसार समय से सुपुर्दगी को पूरा करना	%	–	–	90	–	–
	[1.5] वार्षिक लक्ष्य के अनुसार 31.03.2014 तक सुपुर्दगी के लिए देय (5500 अदद) प्रक्षेपास्त्रों की सुपुर्दगी	[1.5.1] सुपुर्दगी की संख्या	संख्या	–	–	4950	–	–
		[1.5.2] संविदा के शर्तों के अनुसार समय से सुपुर्दगी को पूरा करना	%	–	–	90	–	–
	[1.6] वार्षिक लक्ष्य के अनुसार 31.03.2014 तक सुपुर्दगी के लिए देय (10 अदद) पोतों की संख्या की सुपुर्दगी	[1.6.1] सुपुर्दगी की संख्या	संख्या	–	–	9	–	–
		[1.6.2] संविदा के शर्तों के अनुसार समय से सुपुर्दगी को पूरा करना	%	–	–	90	–	–
	[1.7] वार्षिक लक्ष्य के अनुसार 31.03.2014 तक सुपुर्दगी के लिए देय विमानो/ हेलीकॉप्टरों की सुपुर्दगी (68 अदद)	[1.7.1] सुपुर्दगी की संख्या	संख्या	–	–	61	–	–
		[1.7.2] संविदा के शर्तों के अनुसार समय से सुपुर्दगी को पूरा करना	%	–	–	90	–	–

खण्ड 3:
सफलता सूचक के प्रवृति मान

उद्देश्य	कार्रवाई	सफलता सूचक	इकाई	वित्त वर्ष 11/12 के लिए वास्तविक मूल्य	वित्त वर्ष 12/13 के लिए वास्तविक मूल्य	वित्त वर्ष 13/14 के लिए वास्तविक मूल्य	वित्त वर्ष 14/15 के लिए वास्तविक मूल्य	वित्त वर्ष 15/16 के लिए वास्तविक मूल्य
	[1.8] वार्षिक लक्ष्य के अनुसार 31.03.2014 तक सेना के लिए यू एल एस बी – एम के–II की सुपुर्दगी (500 अदद)	[1.8.1] सुपुर्दगी की संख्या	संख्या	–	–	450	–	–
		[1.8.2] संविदा के शर्तों के अनुसार समय से सुपुर्दगी को पूरा करना	%	–	–	90	–	–
	[1.9] वार्षिक लक्ष्य के अनुसार 31.03.2014 तक सुपुर्दगी के लिए देय सेना के लिए (10000 अदद) पैसिव नाइट विजन डिवाइस की सुपुर्दगी	[1.9.1] सुपुर्दगी की संख्या	संख्या					
		[1.9.2] संविदा के शर्तों के अनुसार समय से सुपुर्दगी को पूरा करना	%	–	–	27	–	–
	[1.10] वार्षिक लक्ष्य के अनुसार 31.03.2014 तक सुपुर्दगी के लिए देय सेना के लिए (30 अदद) रडार एवं अग्नि नियंत्रण प्रणाली की सुपुर्दगी	[1.10.1] सुपुर्दगी की संख्या	संख्या					
		[1.10.2] संविदा के शर्तों के अनुसार समय से सुपुर्दगी को पूरा करना	%					
[2] हमारी रक्षा जरूरतों के लिए अधिप्राप्ति में भारतीय उत्पादों का हिस्सा बढ़ाना	[2.1] विनिर्माण बिक्रेताओं की संख्या में वृद्धि	[2.1.1] पिछले वर्ष की तुलना में प्रतिशत में वृद्धि	संख्या %					

खण्ड 3:
सफलता सूचक के प्रवृति मान

उद्देश्य	कार्रवाई	सफलता सूचक	इकाई	वित्त वर्ष 11/12 के लिए वास्तविक मूल्य	वित्त वर्ष 12/13 के लिए वास्तविक मूल्य	वित्त वर्ष 13/14 के लिए वास्तविक मूल्य	वित्त वर्ष 14/15 के लिए वास्तविक मूल्य	वित्त वर्ष 15/16 के लिए वास्तविक मूल्य
	[2.2] निजी भागीदारी को बढ़ावा देना	[22.1] निजी क्षेत्र की कंपनियों को औद्योगिक लाइसेंस के लिए जारी किए गए अनापत्ति प्रमाण पत्रों की संख्या	संख्या	–	–	27	–	–
		[22.2] 31.03.2012 तक स्वीकृत लाइसेंसों को सक्रिय करना	संख्या	–	–	14	–	–
	[2.3] टी–90 टैंक के स्वदेशीकरण (65%) के वर्तमान स्तर से बढ़ाना (73%) करना	[23.1] वर्तमान स्तर से स्वदेशीकरण की % में संचयी वृद्धि	%	–	–	7	–	–
	[2.4] एचएएल द्वारा शक्ति इंजन का स्वेदशीकरण (25%) के वर्तमान स्तर से संचयी (29%) तक स्वदेशीकरण करना	[24.1] वर्तमान स्तर से स्वदेशीकरण के % में संचयी रूप से वृद्धि	%	–	–	3	–	–
	[2.5] एचएएल द्वारा सुखोई विमान का स्वेदशीकरण (41%) के वर्तमान स्तर से संचयी रूप से (47%) तक स्वदेशीकरण करना	[25.1] वर्तमान स्तर से स्वदेशीकरण के % में संचयी रूप से वृद्धि	%	–	–	5.4	–	–

खण्ड 3:
सफलता सूचक के प्रवृति मान

उद्देश्य	कार्रवाई	सफलता सूचक	इकाई	वित्त वर्ष 11/12 के लिए वास्तविक मूल्य	वित्त वर्ष 12/13 के लिए वास्तविक मूल्य	वित्त वर्ष 13/14 के लिए वास्तविक मूल्य	वित्त वर्ष 14/15 के लिए वास्तविक मूल्य	वित्त वर्ष 15/16 के लिए वास्तविक मूल्य
	[2.6] पी–15 ए का स्वदेशीकरण के मौजूदा स्तर को (4%) तक बढ़ाना	[26.1] वर्तमान स्तर से स्वदेशीकरण को % में संचयी रूप से वृद्धि	%	–	–	3	–	–
	[2.7] बीइएमएम द्वारा टाट्रा 8×8 वाहन का स्वदेशीकरण (65%) के वर्तमान स्तर से संचयी रूप से (75%) तक स्वदेशीकरण	[27.1] वर्तमान स्तर से स्वदेशीकरण को % में संचयी रूप से वृद्धि	%	–	–	7.5	–	–
[3] रक्षा डोमेन में विनिर्माण/ मैपिंग क्षमताओं को बढ़ाना	[3.1] ओ एफ एवं डी पी एस यू के आधुनिकीकरण का समग्र कार्यक्रम	[3.1.1] ओ एफ द्वारा किया गया व्यय	करोड़ रुपए में	–	–	918	–	–
		[3.1.2] डी पी एस यू द्वारा किया गया व्यय	करोड़ रुपए में	–	–	1299.89	–	–
	[3.2] ओ एफ बी में महत्वपूर्ण आधुनिकीकरण परियोजना ओ एफ बी के लिए टी–71 टी–90 ओ एच हेतु हिस्से पूर्जों के लिए क्षमता सृजन	[3.2.1] सिविल कार्यों की पूरा करना	दिनांक	–	–	10/03/2014	–	–
		[3.2.2] संयंत्र एवं मशीनरी की स्थापना कार्य पूरा होना		–	–	10/03/2014	–	–

खण्ड 3:
सफलता सूचक के प्रवृति मान

उद्देश्य	कार्रवाई	सफलता सूचक	इकाई	वित्त वर्ष 11/12 के लिए वास्तविक मूल्य	वित्त वर्ष 12/13 के लिए वास्तविक मूल्य	वित्त वर्ष 13/14 के लिए वास्तविक मूल्य	वित्त वर्ष 14/15 के लिए वास्तविक मूल्य	वित्त वर्ष 15/16 के लिए वास्तविक मूल्य
	[3.3] ओ एफ बी में महत्वपूर्ण आधुनिकीकरण परियोजना आयुध निर्माणी, कोरवा की स्थापना	[3.3.1] निर्माणी क्षेत्र के लिए सिविल कार्य पूरा करना	दिनांक	–	–	10/03/2014	–	–
		[3.3.2] संयंत्र और मशीनरी के लिए आर्डर देना	दिनांक	–	–	10/03/2014	–	–
	[3.4] एम डी एल द्वारा शिपयार्ड निर्माण एवं सहायक कार्य के लिए महत्वपूर्ण आधुनिकीकरण परियोजना	[3.4.1] एम डी एल में भवन और सहयोगी कार्य घटक का पूरा होना		–	–	10/03/2014	–	–
	[3.5] कॉनकार्स एम परियोजना के संबंध में बी डी एल में महत्वपूर्ण आधुनिकीकरण परियोजना	[3.5.1] उष्मा उपचार कार्यशाला, एम1/एम2 असेम्बली, कंट्रोल ड्राइव असेंबली एवं वायर स्थल असेंबली के लिए सिविल कार्य पूरा होना	दिनांक	–	–	10/03/2014	–	–
	[3.6] ए एल एच एम आर एस विनिर्माण सुविधा के लिए हि. ए. लि. में महत्वपूर्ण आधुनिकीकरण परियोजना	[3.6.1] ए एल एच एम आर एस विनिर्माण सुविधा के संवर्धन का पूरा होना	दिनांक	–	–	03/12/2013	–	–

खण्ड 3:
सफलता सूचक के प्रवृति मान

उद्देश्य	कार्रवाई	सफलता सूचक	इकाई	वित्त वर्ष 11/12 के लिए वास्तविक मूल्य	वित्त वर्ष 12/13 के लिए वास्तविक मूल्य	वित्त वर्ष 13/14 के लिए वास्तविक मूल्य	वित्त वर्ष 14/15 के लिए वास्तविक मूल्य	वित्त वर्ष 15/16 के लिए वास्तविक मूल्य
	[3.7] रेडियो फ्रिक्वेंसी (आर एफ)/माइक्रो वेष (एम डब्ल्यू) के संबंध में बी इ एल में महत्वपूर्ण आधुनिकीकरण परियोजना	[3.7.1] रेडियो फ्रिकवेंसी (आर एफ) माइक्रोवेब (एम डब्ल्यू) सुपर कंपोनेन्टस के विस्तार का पूरा होना)	दिनांक	–	–	10/03/2014	–	–
	[3.8] प्रमुख उपकरणों को खड़ा करने के संबंध में मिधानि में महत्वपूर्ण आधुनिकीकरण परियोजना	[3.8.1] मेल्ट शॉप IV के प्रमुख उपकरणों को लगाने के कार्य का पूरा होना	दिनांक	–	–	10/03/2014	–	–
	[3.9] मेटेरियल हैण्डलिंग सुविधा के संबंध में बी इ एम एल की महत्वपूर्ण आधुनिकीकरण परियोजना	[3.9.1] साइड लोडिंग मेटेरियल हैण्डलिंग सुविधा का पूरा होना	दिनांक	–	–	28/02/2014	–	–
	[3.10] इंजन परीक्षण सुविधा के लिए बी इ एम एल की महत्वपूर्ण आधुनिकीकरण परियोजना	[3.10.1] एडी करेन्ट डायनमोमीटर के साथ इंजन परीक्षण सुविधा का पूरा होना	दिनांक	–	–	28/02/2014	–	–
[4] रक्षा से संबंधित अनुसंधान एवं विकास के लिए संस्थागत ढांचा को सुप्रवाही बनाना	[4.1] संचार प्रणाली के लिए बी इ एल की आर एण्ड डी परियोजना	[4.1.1] ट्रोपो संचार प्रणाली के लिए अप/डाउन कर्न्वटर की आन्तरिक समीक्षा का पूरा होना	दिनांक	–	–	10/03/2014	–	–

खण्ड 3:
सफलता सूचक के प्रवृति मान

उद्देश्य	कार्रवाई	सफलता सूचक	इकाई	वित्त वर्ष 11/12 के लिए वास्तविक मूल्य	वित्त वर्ष 12/13 के लिए वास्तविक मूल्य	वित्त वर्ष 13/14 के लिए वास्तविक मूल्य	वित्त वर्ष 14/15 के लिए वास्तविक मूल्य	वित्त वर्ष 15/16 के लिए वास्तविक मूल्य
	[4.2] सी एम डी एस के लिए बी डी एल की आधुनिकीकरण परियोजना	[4.2.1] 240 पेलोड कैरी करने के लिए मल्टी डिसपेंसर सी एम डी एस का अभिकल्पन और विकास का पूरा होना	–	–	–	10/03/2014	–	–
	[4.3] थ्रस्ट क्लास इंजिन के लिए हि. ए. लि. की आर एण्ड की परियोजना	[4.3.1] 20 के एन थ्रस्ट क्लास इंजन : प्रारंभिक अभिकल्पन समीक्षा (पीडीआर) अभिकल्पन एवं विकास का पूरा होना	–	–	–	31/01/2014	–	–
	[4.4] 3 डी सी ए डी मॉडल के विकास के लिए एम डी एल की आर एण्ड डी परियोजना	[4.4.1] 148 पोत यूनिटों को शामिल कर पी 15 बी पोत हल और सुपर स्ट्रक्चर के लिए अवीवा मरीन का प्रयोग करते हुए 3डी सी एडी मॉडल का विकास को पूरा करना	–	–	–	28/02/2014	–	–

खण्ड 3:
सफलता सूचक के प्रवृति मान

उद्देश्य	कार्रवाई	सफलता सूचक	इकाई	वित्त वर्ष 11/12 के लिए वास्तविक मूल्य	वित्त वर्ष 12/13 के लिए वास्तविक मूल्य	वित्त वर्ष 13/14 के लिए वास्तविक मूल्य	वित्त वर्ष 14/15 के लिए वास्तविक मूल्य	वित्त वर्ष 15/16 के लिए वास्तविक मूल्य
	[4.5] 155 x 45 केलिबर गन के लिए ओ एफ बी की आर एण्ड की परियोजना	[4.5.1] प्रयोक्ता परीक्षण के लिए इलेक्ट्रानिक मॉडयूल के साथ 155x45 कैलीबर गन का प्रस्ताव	दिनांक	–	–	10/03/2014	–	–
	[4.6] राकेट के स्वदेशीकरण के लिए ओ एफ बी की आर एण्ड की परियोजना	[4.6.1] राकेट 57 मि. मी एस – 5 के पी के अंतिम उड़ान के लिए पायलट (अग्रणी) खेप	दिनांक	–	–	10/03/2014	–	–
[5] डी पी एस यू ओ एफ बी और सभी तीनों उत्तरदायी केन्द्रों में कार्यकलाप को सुकर बनाना और सुधार के मार्गदर्शन करना	[5.1] डी पी एस यू एवं आर सी के एम ओ यू/आर एफ डी का कठोरतापूर्वक आधुनिकीकरण	[5.1.1] डी पी ई द्वारा सर्वोत्तम अच्छी रेटिंग्स	संख्या					
		[5.1.2] डी पी ई द्वारा बहुत अच्छी रेटिंग्स	संख्या	–	–	16/05/2013	–	–
	[5.2] तीन आर सी के सहायक आर एफ डी को अंतिम रूप देना	[5.2.1] समय से पूरा करना	दिनांक					
	[5.3] प्रयोगशालाओं की गुणवत्ता में सुधार करना	[5.3.1] अनेक प्रयोगशाला जिन्होंने एन ए बी ए प्रत्यायन प्राप्त किया	संख्या					

खण्ड 3:
सफलता सूचक के प्रवृति मान

उद्देश्य	कार्रवाई	सफलता सूचक	इकाई	वित्त वर्ष 11/12 के लिए वास्तविक मूल्य	वित्त वर्ष 12/13 के लिए वास्तविक मूल्य	वित्त वर्ष 13/14 के लिए वास्तविक मूल्य	वित्त वर्ष 14/15 के लिए वास्तविक मूल्य	वित्त वर्ष 15/16 के लिए वास्तविक मूल्य
	[5.4] अधिप्राप्ति में पारदर्शिता बढ़ाना	[5.4.1] डी पी एस यु और ओ एफ बी से अधिकारियों 3 की समिति द्वारा इ – अधिप्राप्ति की लेखा परीक्षा	दिनांक	–	–	31/10/2014	–	–
[6] आफसेट नीति का अनुवीक्षण	[6.1] विधिक स्रोतों से अधि प्राप्ति के सुनिश्चित विस्तार के लिए हस्ताक्षरित आफसेट संविदा का अध्ययन	[6.1.1] समय से प्रस्तुति	दिनांक	–	–	25/11/2013	–	–
* आर एफ डी प्रणाली का सक्षम कार्यक्रम	आर एफ डी प्रणाली अनुमोदन के लिए मसौदा आर एफ डी 2014–15 की समय से प्रस्तुति		दिनांक	29/02/2012	05/03/2013	06/03/2014	05/03/2015	05/03/2015
	2012–13 के लिए परिणाम की समय से प्रस्तुति	समय से प्रस्तुति	दिनांक	04/05/2012	01/05/2013	02/05/2013	01/05/2014	01/05/2015
* मंत्रालय/ विभाग की पारदर्शिता / सेवा सुपुर्दगी	नागरिक/क्लाइंट चार्टर के कार्यान्वयन की स्वतंत्र लेखा परीक्षा	कार्यान्वयन का %	%			95	95	95
	लोक शिकायत निवारण प्रणाली के कार्यान्वयन की स्वतंत्र लेखा परीक्षाा	कार्यान्वयन का %	%			95	95	95

* अनिवार्य उद्देश्य (यों)

खण्ड 3:
सफलता सूचक के प्रवृति मान

उद्देश्य	कार्रवाई	सफलता सूचक	इकाई	वित्त वर्ष 11/12 के लिए वास्तविक मूल्य	वित्त वर्ष 12/13 के लिए वास्तविक मूल्य	वित्त वर्ष 13/14 के लिए वास्तविक मूल्य	वित्त वर्ष 14/15 के लिए वास्तविक मूल्य	वित्त वर्ष 15/16 के लिए वास्तविक मूल्य
* प्रशासनिक सुधार	भ्रष्टाचार के संभावित खतरों को कम करने के लिए निवारक रणनीति का कार्यान्वयन	कार्यान्वयनका %	%	–	91.396	95	95	95
	अनुमोदित कार्य योजना के अनुसार आइ एस ओ 9001 का कार्यान्वयन	कार्यान्वयनका %	%	–	–	95	95	95
	पहचान, डिजाइन और प्रमुख नवाचार क्रियान्वयन	नवाचार को सक्षम बनाने के लिए कारवाई योजना की समय से प्रस्तुति	दिनांक	–	–	95	95	95
	द्वितीय ए आ सी सिफारिशों के अनुसार मंत्रालय/विभाग के प्रमुख ओर गेर–प्रमुख कार्यकलापों की पहचान	समय से प्रस्तुत करना	दिनांक	–	–	15/10/2013	01/10/2014	01/10/2015
* आन्तरिक सक्षमता/ अनुक्रियात्मकता की बेहतरी	द्वितीय ए आ सी की सिफारिश	रणनीति का समय से अद्धतन	दिनांक	–	–	17/09/2013	10/09/2014	10/09/2015

* अनिवार्य उद्देश्य (यों)

खण्ड 3:
सफलता सूचक के प्रवृति मान

उद्देश्य	कार्रवाई	सफलता सूचक	इकाई	वित्त वर्ष 11/12 के लिए वास्तविक मूल्य	वित्त वर्ष 12/13 के लिए वास्तविक मूल्य	वित्त वर्ष 13/14 के लिए वास्तविक मूल्य	वित्त वर्ष 14/15 के लिए वास्तविक मूल्य	वित्त वर्ष 15/16 के लिए वास्तविक मूल्य
* वित्तीय जबावदेही फ्रेमवर्क का अनुपालन सुनिश्चित करना	सी एण्ड एजी के लेखा परीक्षाओं पर एटीएन की समय से प्रस्तुति	वर्ष के दौरान सीएजी द्वारा संसद के लिए रिर्पोट की प्रस्तुति की तिथि से देय तिथि (4 महीने) के भीतर अधिकतर एटीएन प्रस्तुत कर दिया गया।	%	–	–	90	–	–
	पीएसी रिपोर्ट पर पीएसी सचिवालय को ए टी आर की समय से प्रस्तुति	वर्ष के दौरान पीएसी द्वारा संसद के लिए रिपोर्ट की प्रस्तुति की तिथि से देय तिथि (6 माह) के भीतर अधिकतर एटीआर प्रस्तुत कर दिया जाए	%	–	–	90	–	–
	31.03.2013 से पहले संसद को प्रस्तुत सी एण्ड ए जी रिपोर्ट की लेखा पैराओं पर लंबित एटीएन का शीघ्र निपटान	वर्ष के दौरान निपटाए गए बकाए ए टी एन का प्रतिशत	%	–	–	90	–	–
	31.03.2013 से पहले संसद को प्रस्तुत पी ए सी रिपोर्ट पर लंबित एटीआर का शीघ्र निपटान	वर्ष के दौरान अधिकांश बकाए ए टी आर को निपटाया गया	%	–	–	90	–	–

* अनिवार्य उद्देश्य (यों)

रक्षा उत्पादन विभाग के लिए परिणाम रूपरेखा दस्तावेज (2013-14)

खण्ड 4:
संक्षिप्त रूप

क्रम सं.	संक्षिप्त रूप	विवरण
1	ए एल एच	उन्नत हल्के हेलिकॉप्टर
2	ए आर वी	कवचित रिकवरी वाहन
3	ए टी जी एम	टैंकरोधी निर्देशित मिसाइल
4	बी डी एल	भारत डायनामिक्स लिमिटेड
5	बी ई एल	भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड
6	बी ई एम एल	भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड

खण्ड 4:
संक्षिप्त रूप

क्रम सं.	संक्षिप्त रूप	विवरण
7	डी पी एस यू	सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रम
8	एच ए एल	हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड
9	मिघानि	मिश्र धातु निगम लिमिटेड
10	एम ओ डी	रक्षा मंत्रालय
11	एम ओ यू	समझौता ज्ञापन
12	ओ एफ बी	आयुध निर्माणी बोर्ड

खण्ड 4:
संक्षिप्त रूप

क्रम सं.	संक्षिप्त रूप	विवरण
13	आर सी	उत्तरदायी केन्द्र
14	यू एल एस बी	यूनिट स्तर स्विच बोर्ड

खण्ड 4:
सफलता सूचकों और प्रस्तावित मापांक प्रणाली का विवरण और परिभाषा

क्रम सं.	सफलता की सूचक	विवरण	परिभाषा	मापांक	सामान्य टिप्पणी
1	[1.1.1] सुपुर्द किए गए गोला बारूद का मूल्य	सफलता सूचक में वर्ष 2013–14 में उपभोक्ता को सुपुर्द किए जानेवाले गोलाबारूद के उत्पादन मूल्य को दर्शाता है।	–	करोड़ रुपए में	–
2	[1.2.1] सुपुर्दगी की संख्या	सफलता सूचक में वर्ष 2013–14 में उपभोक्ता को सुपुर्द किए जाने वाले कवचिन वाहनों की संख्या को दर्शाता है।	–	संख्या में	–
3	[1.5.1] सुपुर्दगी की संख्या	सफलता सूचक में वर्ष 2013–14 में उपभोक्ता को सुपुर्द किए जाने वाली मिसाइलों की संख्या को दर्शाता है।	–	संख्या में	वर्ष 2013–14 का लक्ष्य वर्ष 2012–13 से कम है क्योंकि इनवर मिसाइल का मांग पत्र वर्ष 2012–13 में पूरा हुआ है और इनवर मिसाइल के लिए आगे कोई मांग पत्र प्राप्त नहीं हुआ हे।
4	[1.6.1] सुपुर्दगी की संख्या	सफलता सूचक में वर्ष 2013–14 में उपभोक्ता को सुपुर्द किए जाने वाली पोनों की संख्या को दर्शाता है।	–	संख्या में	वर्ष 2013–14 का लक्ष्य वर्ष 2012–13 से कम है क्योंकि वर्ष 2013–14 के लिए उपभोक्ता द्वारा की गई कुल मांग कम है।
5	[1.7.1] सुपुर्दगी की संख्या	सफलता सूचक में वर्ष 2013–14 में उपभोक्ता को सुपुर्द किए जाने वाले विमानों/हेलिकॉप्टरों की संख्या को दर्शाता है।	–	संख्या में	वर्ष 2013–14 का लक्ष्य वर्ष 2012–13 से कम है तीनों सेना मुख्यालयों द्वारा अनुमानित लक्ष्यों के अनुसार है।

खण्ड 4:
सफलता सूचकों और प्रस्तावित मापांक प्रणाली का विवरण और परिभाषा

क्रम सं.	सफलता की सूचक	विवरण	परिभाषा	मापांक	सामान्य टिप्पणी
6	[1.10.1] सुपुर्दगी की संख्या	सफलता सूचक में वर्ष 2013–14 में उपभोक्ता को सुपुर्द किए जाने वाले रडार तथा अग्नि नियंत्रण की संख्या को दर्शाता है।	–	संख्या में	वर्ष 2013–14 का लक्ष्य वर्ष 2012–13 से कम है क्योंकि वर्ष 2012–13 के लिए आर्डर की गई कुल मात्रा में से नियोजित मात्रा की सुपुर्दगी उसी वर्ष की गई थी। शेष मात्रा 2013–14 के लिए नियोजित है।
7	[2.1.1] पिछले वर्ष से प्रतिशतता में वृद्धि	पिछले वर्ष के मुकाबले में कितने विनिर्माण विक्रेता इस वर्ष बढ गए है।	–	प्रतिशतता में	–
8	[2.2.1] निजी क्षेत्र कंपनी को औद्योगिक लाइसेंस के लिए सिफारिश की गई एनओसी की संख्या।	सफलता सूचक से निजी भागीदारी के प्रोत्साहन मिलता है	–	संख्या में	सिफारिश की गई एनओसी की संख्या डीआईपीपी से औद्योगिक लाइसेंस के लिए प्राप्त आवेदनों की संख्या पर आधारित है और स्थाई समिति के प्रतिनिधि तथा और निजी क्षेत्र की भागीदारी के जरिए इस पर विचार किया जाता है। वर्ष 2012–13 में लाइसेंस के लिए सिफारिश की गई एनओसी की संख्या 25 है।

खण्ड 4:
सफलता सूचकों और प्रस्तावित मापांक प्रणाली का विवरण और परिभाषा

क्रम सं.	सफलता की सूचक	विवरण	परिभाषा	मापांक	सामान्य टिप्पणी
9	[3.1.1] आयुध निर्माणी द्वारा किया गया व्यय	सफलता सूचक यह दर्शाता है कि आयुध निर्माणी की विशेष परियोजना के आधुनिकीकरण के लिए कितना व्यय किया जा सकता है।	–	करोड़ रुपए में	–
10	[3.6.1] एएलएलएमआरएस के विनिर्माण सुविधा का संवर्धन कार्य पूरा किया जाना	सफलता सूचक किसी परियोजना के पूरा होने की समयसीमा को दर्शाता है	–	तिथिवार	–
11	[4.5.1] उपभोक्ता परीक्षण के लिए इलैक्ट्रॉनिक मॉड्यूल सहित 115×45 कैलिवर गन प्रस्तुत करना	सफलता सूचक उपभोक्ता परीक्षण के लिए गन को प्रस्तुत करेन की समय सीमा को दर्शाता है।	–	तिथिवार	नवम्बर 2013 तक गन का आंतरिक परीक्षण। दिसम्बर 2013 तक गन का प्रूफ। मार्च 2014 तक उपभोक्ता परीक्षण के लिए प्रस्तुत
12	[4.6.1] राकेट 57मिमी एस–5 केपी की अंतिम उड़ान के लिए पायलट बैच	सफलता सूचक राकेट के पायलट बैच की अंतिम उड़ान परीक्षण की समय सीमा को दर्शाता है	–	तिथिवार	सितम्बर 2013 तक असम्बली तथा राकेट का प्रारंभिक उड़ान परीक्षण। दिसम्बर 2013 तक पर्यावरण परीक्षण/योग्यता परीक्षण। मार्च 2014 तक राकेट का अंतिम उड़ान परीक्षण बैच के लिए पायलट बैच

खण्ड 4:
सफलता सूचकों और प्रस्तावित मापांक प्रणाली का विवरण और परिभाषा

क्रम सं.	सफलता की सूचक	विवरण	परिभाषा	मापांक	सामान्य टिप्पणी
13	[5.3.1] एनएबीएल प्रत्यायन प्रयोगशालाओं की संख्या	सफलता सूचक, एनएबीएल से प्रमाणन प्राप्त प्रयोगशालाओं की संख्या को दर्शाता है।	–	संख्या में	एनएबीएल प्रमाणन के लिए अब सिर्फ दो प्रयोगशालाएं बची हैं

खण्ड 5:
अन्य विभागों से अपेक्षित विशिष्ट कार्यनिष्पादन

स्थान	राज्य	संगठन का प्रकार	संगठन का नाम	संगठन सफलता सूचक	इस संगठन से आपकी क्या अपेक्षा है	इस अपेक्षा का ओचित्य	कृपया इस संगठन से	इस आवश्यकता को पूरा न करने पर क्या होगा
केन्द्र सरकार		राज्य मंत्रालय	वित्त मांत्रालय	[3.1.1] आयुध निर्माणी द्वारा उठाया गया व्यय	निधि का समय से इस्तेमाल करने के लिए समय से सहमति/ अनुमति	परियोजना को समय पर पूरा करना	100%	यह राष्ट्र की सुरक्षा को प्रभवित करती है
				[3.1.2] डी पी एस यू द्वारा उठाया गया व्यय	निधि का समय से इस्तेमाल करने के लिए समय से सहमति/ अनुमति	परियोजना को समय पर पूरा करना	100%	यह राष्ट्र की सुरक्षा को प्रभावित करती है

रक्षा उत्पादन विभाग के लिए परिणाम रूपरेखा दस्तावेज (2013-14)

खण्ड 6:
विभाग/मंत्रालय का परिणाम/प्रभाव

विभाग/मंत्रालय का परिणाम/प्रभाव	इस परिणाम/प्रभाव को प्रभावित करने में निम्न विभागों/मंत्रालयों ने संयुक्त रूप से जिम्मेदार	सफलता का सूचक	मात्रा	वित्त वर्ष 11/12	वित्त वर्ष 12/13	वित्त वर्ष 13/14	वित्त वर्ष 14/15	वित्त वर्ष 15/16
1 आयुध निर्माणीयों का कारोबार	सशस्त्र बल, डीजीक्यूए, क्यूईएफ	कारोबार	करोड़ रुपए में	11700	12935	13581	14260	14973
2 सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रमों का कारोबार मूल्य	ओईएम, सशस्त्र बल डीजीक्यूए	कारोबार	करोड़ रुपए में	31590	33170	34829	36570	38398
3 विक्रेता आधार के प्रतिशत में वृद्धि	निजी क्षेत्र, सेवाएं और विभिन्न सरकारी	प्रतिशत में वृद्धि	%	–	6	6	6	6
4 आफसेट नीति का अनुवीक्षण	सेना, सार्वजनिक/निजी क्षेत्र	हस्ताक्षरित आफसेट संविदा का समय से अध्ययन एवं समीक्षा	संख्या	–	–	20	20	20

भारतीय वायुसेना का सी–130 जे, हरक्यूलस विमान उड़ान संरचना में

पृष्ठ आवरण : भा नौ पो विक्रमादित्य पर उतरने के लिए तैयार एक मिग 29के विमान